राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का 21वां दिवस [संख्या 15

बुधवार,

दिनांक 9 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे, विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री अमीन खां।

तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतीकरण

364. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

[श्री अमीन खां (शिव) श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) की अनुपस्थिति में : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे] :

(1) राज्य में कितने तहसील मुख्यालय ऐसे हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने पंचायत समिति मुख्यालय ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में शेष बचे तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय के विद्युतीकरण की योजनाएं बना ली गई हैं? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों एवं पंचायत समितियों की योजना बना कर भारत सरकार को भेज दी गई हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) राजस्थान के समस्त तहसील मुख्यालय का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) राजस्थान में केवल एक पंचायत समिति मुख्यालय बाप का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है।

(3) जी हां, पंचायत समिति बाप मुख्यालय का विद्युतीकरण पंचायत समिति बाप की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। वर्ष 1982-83 के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति बाप के मुख्यालय का विद्युतीकरण करना सम्मिलित है जिसका विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो जाने की सम्भावना है। समस्त तहसील मुख्यालयों का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आज फिर प्रेस का बायकाट है

Page No 2

(2)

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रेस नहीं है, फिर क्या कोई घटना हुई है ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): यह उनकी ड्यूटी है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री दुलाराम): प्रेस बैठा है।

एक माननीय सदस्य: यह तो सरकारी है।

श्री हेमाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने बाप का ही बताया है। पचायत समिति शिव है वहां लाइन खींच दी गई, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। पचायत समिति शिव के गांवों का विद्युतीकरण किया गया है लेकिन कनेक्शन नहीं हुए हैं।

श्रीमती कमला: अभी मुख्यालयों की बात थी। मैंने निवेदन किया सभी मुख्यालय विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। मुख्यालयों के आस पास पंचायत समितियों के अन्य गांव हैं, उनमें से तो बहुत का विद्युतीकरण बाकी है। यह कहां कह रही हूं कि सबका विद्युतीकरण कर दिया गया है।

श्री हेमाराम चौधरी: पचायत समिति शिव की लोकलिटीज को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

श्रीमती कमला: आपने बताया इसको मैं देख लूंगी।

श्री हेमाराम चौधरी: कागजों पर तो बहुत वर्षों से बोल रहा है।

श्रीमती कमला: इसकी लाइन लग रही है व सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप हो गया है। इण्डिविजुअल कनेक्शन्स नहीं दिये गये हैं तो मैं यह देख लूंगी कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कनेक्शन देने की।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी।

बाडमेर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों में केटल फीड की व्यवस्था

365. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): क्या अकाल [illegible] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) बाड़मेर जिले में संवत् 2036, 2037 एवं 2038 में अकाल प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं के लिए चारे एवं दालें (केटल-फीड) की क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) उक्त जिले में उक्त वर्षों में वर्षवार पशुओं के चारे एवं दालों (केटल-फीड) के लिए सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि किस प्रकार से व्यय की गई ?

(3) उक्त जिले में संवत् 2039 में पशुओं के चारे एवं दालों के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई एवं कितनी धनराशि किस प्रकार से व्यय की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पशुओं के लिये चारे एवं दालों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण बाड़मेर जिले के मवेशी भारी संख्या में चोरी छिपे पाकिस्तान जा रहे ?

राज्य मंत्री, बाढ़ एवं अकाल सहायता (श्री चेतराम मीणा): (1)बाड़मेर जिले के

(श्री चेतराम मीणा)

पशुओं के लिये दाना उपलब्ध कराने के लिये संवत् 2036, 2037 एवं 2038 में क्रमशः 16.39 एवं 44 पशु पोषण केन्द्र चलाये गये थे। जहां तक चारे की व्यवस्था का सम्बन्ध है संवत् 2036 2037 में प्रत्येक वर्ष में 0.90 लाख रुपये की राशि जिलाधीश को उपलब्ध की गई थी जिससे कि वे इसे ग्राम पचायतों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दे दें एवं पंचायतें इस राशि से चारा खरीद कर बिना हानि-लाभ के आधार पर उसे वेचें। संवत् 2038 में ब्याज मुक्त ऋण की राशि 5 लाख रुपये कर दी गई थी। इस व्यवस्था के अतिरिक्त संवत् 2038 में दस रुपये प्रति क्विन्टल की दर से 15 हजार क्विन्टल चारे पर परिवहन अनुदान हेतु 1.50 लाख रुपये की राशि और दी गई थी।

(2) इन वर्षों में वर्षवार जो खर्चा हुआ वह निम्न प्रकार है: -

संवत्	खर्च की गई राशि पशु पोषण केन्द्र	पशु शिविर
2036	1,78,850	
2037	15,91,002	1.55,466
2038	14,61,977	—

(3) इस वर्ष पशु पोषण केन्द्रों हेतु 35,000 पशुओं के लिये स्वीकृति दी गई है एवं अनुदान हेतु 30.975 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जिलाधीश ने इस प्रयोजन हेतु 70 केन्द्र स्वीकृत किये हैं। अनुदान की राशि राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फैडरेशन को दी गई है वह अनुमानित दर से पशु आहार उपलब्ध करायेगा। चारा व्यवस्था के लिये प्रत्येक पंचायत समिति को इस वर्ष 50 हजार रुपयों ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है · जिससे वे बिना लाभ हानि के हिसाब से चारा बेचने की व्यवस्था करे। इस हेतु जिलाधीश को 5 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। इस चारे पर दस रुपये प्रति क्विन्टल की दर से परिवहन अनुदान भी स्वीकृत किया गया। इस हेतु जिलाधीश को 2.5 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है।

(4) यह सही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने संवत् 2036 एवं 2037 में 90 लाख रुपये और संवत् 2038 में 5 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करना बताया। आप स्वीकृति जारी करना ही बताते हैं या उसके अनुसार वहां पर पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिये आपने कोई प्रबंध किया जिससे पशुओं के आहार की व्यवस्था हो? आपने संवत् 2036 में 1.78 लाख और 2037 में 15.91 लाख और 2038 में 14,61 लाख रुपये का खर्चा होना बताया, उसके अनुसार वहां पर कितने पशु पोषण केन्द्र चले, इसकी आपने कोई जानकारी नहीं दी है।

दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा, इस वर्ष के लिये 70 केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आज तक एक भी गाय को चारा एवं दाल कतई नहीं मिली है। खाली आप स्वीकृत करते जायं, आंकड़े बताते जायं, उससे क्या गायों के लिये दालों की व्यवस्था हो गई? चारे की व्यवस्था हो गई? आपने बताया, इस वर्ष 50 हजार

(श्री हेमाराम चौधरी)

रुपये पंचायत समिति को बिना ब्याज के ऋण दे दिया गया है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों की जो चारा खरीदने की प्रक्रिया है वह इतनी जटिल है कि पंचायत समिति चारे की व्यवस्था कर ही नहीं पा रही है। उसके लिये टैण्डर काल करना होता है, कई दूसरी कमेटियों से अप्रूवल लेनी होती है, इस तरह की प्रक्रिया है, इस कारण आज दिन तक पंचायत समिति में एक क्विन्टल चारे की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सारे आंकड़े दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आंकड़े ही मांगे हैं, इसलिये आंकड़े दे दिये।

श्री हेमाराम चौधरी : वास्तव में ......

श्री अध्यक्ष : वास्तव में का अलग प्रश्न पूछें। जिस तरह आप प्रश्न प्रारूपित करेंगे उसके हिसाब से ही जवाब आयेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, आपने कोई व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : आज की तारीख में कितने पशुओं को दाल और चारा उपलब्ध करवा दिया ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा उत्तर में बताया गया है संवत् 2036-37 एवं 38 में पशुओं के दाने के लिये क्रमश: 16, 39 और 44 केन्द्र रखे थे। इस वर्ष 70 केन्द्र 31 मार्च तक के लिये स्वीकार किये हैं आगे के लिये नहीं। उसके अन्दर 1.80 लाख पशुओं के लिये सहायता प्राप्त हुई है उनमें से अधिकतम संख्या बाड़मेर जिले के लिये 35 हजार पशुओं की संख्या की स्वीकृति दी गई है। इसलिये यह कहें कि पहले की तुलना में कमी हुई है तो मैं उसको मानकर नहीं चलता। माननीय सदस्य जानते हैं, मैं स्वयं बाड़मेर गया था। सब माननीय विधायक हैं उन सब के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। जितने केन्द्र प्रारम्भ हुए हैं उनमें कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा

जहां तक चारे का सवाल है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक 1375 वैगन्स द्वारा 61.875 क्विंटल चारा बाड़मेर में लाया गया। चारे के भाव अब तक करीब 40 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं जो सारे राजस्थान के भावों की तुलना में ठीक हैं। फिर भी यदि भाव बढ़ते हैं तो हम व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा 10 रुपये प्रति क्विंटल जो अनुदान देते हैं, वह भी दे रहे हैं। करीब आठ हजार अपंग पशुओं को रखने के लिये केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग (4) को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, "क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पशुओं के लिये चारे एवं दालों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण बाड़मेर जिले के

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

मवेशी भारी संख्या में चोरी छिपे पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है- "जी नहीं।" अभी भारत सरकार को राजस्थान सरकार की ओर से एक जवाब में कहा गया है कि 31-1-82 तक 1116 पशु चोरी गये जिनमें से 622 बरामद हुए .....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। यह चारे के अभाव के कारण नहीं हुआ।

व्यवधान

आर्डर। प्लीज अलग प्रश्न। श्री त्रिलोकसिंह

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान से कितने पशु....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। यह राजस्थान से नहीं केवल बाड़मेर जिले से सम्बन्धित है।

श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी डैयरी फैडरेशन की मार्फत केन्द्रों का कार्यक्रम चलाया गया है। जहां डैयरी का प्रबन्ध नहीं है वहां क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

दूसरे पंचायतों के सरपंचों को जो 50-50 हजार चारे के लिये दिये हैं किन्तु वे चारा लाते नहीं, पैसा निकालते हैं, फिर जमा करा देते है। उनके लिये क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष: श्री भैंरूलाल।

श्री भैंरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : मंत्री महोदय ने बताया कि 5 लाख चारे के लिये दिये जायेंगे क्या उदयपुर जिले के लिये भी दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय स्वयं अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे में बाड़मेर पधारे थे उस समय जो अकाल राहत की मीटिंग हुई उसमें 125 केन्द्र स्वीकृत करने का आश्वासन किया था? दूसरे वहां आज की तारीख में एक भी पशु के लिये दाने की व्यवस्था नहीं है और चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो 10) रुपये सब्सिडी के देते हैं वह आपसे जो आंकड़े बताये उन पर भी लागू है क्या?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चारा लाने का प्रश्न है, हमने 50 हजार प्रत्येक पंचायत समिति को देने का फैसला किया है। यदि पंचायत समिति नहीं ले पाती है तो मार्केटिंग सोसायटी या सहकारी समिति या और कोई एजेन्सी जो ऐसा काम करना चाहती है, को चारा लाने की सुविधा देंगे।

इसके अलावा जहां डेयरीज काम नहीं करती हैं वहां पशु पोषण केन्द्र के लिये अलग से राशि किसी भी संस्था को देने में हमें आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(6)

पचपदरा और बाड़मेर तहसील को सड़कों की मरम्मत

366. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पचपदरा और बाड़मेर तहसील में कुल कितनी ग्रेवल सड़क है ? ये सड़कें कौन से सन् में बनी तथा बनने के पश्चात उनकी मरम्मत कितनी बार कब-कब की गई ?

राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चैतराम मीणा) : (1) पचपदरा तहसील में 42 व बाड़मेर तहसील में 75 ग्रेवल सड़के हैं। ये सड़के विभिन्न वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई एवं ये सड़के सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची में न होने के कारण इनकी मरम्मत विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय जिन सड़कों पर बसें चलती हैं और राज्य सरकार प्राइवेट बस वालों से टेक्स वसूल कर रही है ऐसी सड़कों के लिये आप क्या करेंगे ?

श्री चैतराम मीणा : जैसा मैंने निवेदन किया है ये सड़के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई। ये पी.डब्ल्यू.डी. के अन्तर्गत नहीं होने के कारण पी.डब्ल्यू.डी. से इनकी मरम्मत नहीं होती है।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ये सड़कें बनी हैं और अकाल राहत कार्यों में ही इनकी मरम्मत कराई जाती है। राजस्थान में पिछले पांच साल से अकाल पड़ रहे हैं तब भी इनकी मरम्मत नहीं करवाई गई। तो क्या मंत्री महोदय अब और राजस्थान में अकाल पड़ने की उम्मीद कर रहे हैं ?

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि अकाल राहत कार्यों में मैटीरियल कम्पोनेन्ट और लेबर 60:40 की सड़के कवर होती है लेकिन जिनमें 60 प्र.श. से ज्यादा खर्चा आता है वे अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नहीं आती इन सड़को की हालत बहुत ही खराब हैं तो इन सड़कों का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि ये सड़के पी.डब्ल्यू.डी. के अन्तर्गत नहीं आती तो इनका मालिक कौन है ?

श्री अध्यक्ष - अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रवीरसिंह।

जैसलमेर को हवाई सेवा से जोड़ना

367. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार ने जैसलमेर के पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रख उसे हवाई

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीबुलाकी दास कल्ला) : जी हां । यह मामला अभी केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह कब से विचाराधीन है और कब तक रहेगा ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम सी. पी. एयर हेन्ड कम्पनी द्वारा राजस्थान के कुछ हिस्सों में वायु सेवा प्रारम्भ करने की बात कही गयी थी । इसके लिये अवाप्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये पर्यटन विभाग से प्रार्थना की गई । विभाग ने राज्य सरकार को सिफारिश की कि इसे राज्य स्तर पर अथवा केन्द्रीय सरकार को वायु सेवा प्रारंभ करनी चाहिये । खास तौर से वायुदूत सेवा राजस्थान में प्रारंभ करने और उसमें जैसलमेर तथा अन्य पर्यटन स्थलों को सम्मिलित करने के सन्दर्भ में दिनांक 15.1.1981 को विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया था । इसके प्रत्युत्तर में 9 मार्च 1981 को केन्द्रीय सरकार के नागर विमानन के निदेशक ने यह बताया है कि जब वायुदूत सेवा का विस्तार किया जायेगा तब इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : जैसलमेर के अलावा अन्य स्थान कौन-कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर ।

श्री अनंग कुमार जैन ।

डग कस्बे में निर्मित छात्रावास

368. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) व श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने छात्र-छात्राएं रहती हैं ? उनको वहां पर क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(2) डग कस्बे का छात्रावास बनाने में कितनी धनराशि लगी ? उसमें कुल कितने कमरे, रसोईघर तथा शौचालय, स्नानघर बनाये गये हैं ? क्या इसमें छात्रों की भर्ती की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो कब की जावेगी ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया): (1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) डग कस्बे में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई छात्रावास भवन नहीं बनाया गया है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि वहां पर छात्रावास बन गया है और उसमें घटिया मेटीरियल लगाया गया है ।

श्री छोगाराम बकोलिया : डग में कोई छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : जो उनको सुविधा साबुन वगैरह की दी जाती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले वाले प्रश्न का उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि डग में कोई छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, डग में बन चुका है। झालावाड़ जिले में जो तीन-चार छात्रावास हैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। क्या वहां पर जो सुविधा दी जाती है ...

श्री अध्यक्ष : पहले वाले प्रश्न में कह दिया है कि नहीं है।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : अध्यक्ष महोदय, डग में है। इनको पता नहीं है। डग में छात्रावास बन चुका है। जो सुविधाएं दी जाती हैं क्या वे निरन्तर इसी प्रकार दी जाती है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : परिशिष्ट "क" में बताया गया है। कक्षा 6 से 8 तक 100 रुपया सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कठिन विषय को पढ़ाने के लिये एक टीचर रखा जाता है। इसके अलावा उनको होस्टल में तकिया, कटोरियां आदि की भी सुविधा दी जाती है। इसमें कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

श्री अनंग कुमार जैन : झालावाड़ जिले में जो विभिन्न छात्रावास हैं उनके अन्दर छात्रों की जो संख्या है, पिछले लम्बे समय से यही संख्या चली आ रही है। झालावाड़ जिले के सभी प्रतिनिधियों ने लिखकर दिया है कि झालावाड़ की दृष्टि से यह संख्या कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये। क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि झालावाड़, झालरापाटन में वर्तमान में जिस भवन में यह छात्रावास चल रहे हैं ये दोनों भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इससे बच्चों का जीवन खतरे में है। आप स्वयं इसकी जांच कराइये। यह बिल्डिंग कई जगह से गिरी हुई है। राज्य सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या राज्य सरकार इसकी जानकारी करके बच्चों को उपयुक्त भवन में बिठाने का विचार रखती है ?

इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की जोइन्ट संख्या दी गई है। झालावाड़ झालरापाटन, चौमहला और खानपुर के प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्र छात्राएं हैं और उनकी संख्या कितनी है, कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें ?

श्री हीरालाल आर्य(पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कक्षा 6 से 8 तक जो 100 रुपया प्रति छात्र दिया जाता है और कक्षा 9 से 11 तक 106.00 रुपया दिया जाता है। क्या उसमें भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, साबुन, तेल आदि सारी व्यवस्था हो सकती है ? क्या यह सही है कि पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और बच्चों

(श्री हीरालाल आर्य)
की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है? इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक 40.00 रुपये और कक्षा 9 से 11 तक तक 60 रुपये पुस्तकें, स्टेशनरी और फीस इन सब के लिये दिया जाता है। क्या यह इनके लिये पर्याप्त है?....

श्री अध्यक्ष : एक साथ अधिक पूरक प्रश्न न पूछें।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ के छात्रावास में 45 छात्र अभी रह रहे हैं। खानपुर में 40 छात्र, झालरापाटन में 39 छात्र और चोमहला में 21 छात्र हैं। अभी तक राज्य सरकार को स्ट्रेन्थ बढाने का कोई प्रपोजल प्राप्त नहीं हुआ है।....

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के सारे के सारे एम.एल.एज. ने लिखकर दिया है कि इन छात्रावासों की स्ट्रेन्थ बढ़ायी जाये। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं यदि यह सत्य न हो। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवायेंगे?

श्री छोगाराम बकोलिया : अभी तक हमारे सामने प्रपोजल्स नहीं आये हैं। जब भी प्रपोजल्स आ जायेंगे तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री नन्दलाल।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि 100 रुपये और 106 रुपये जो दिये जाते हैं, क्या वह पर्याप्त है? माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि 100 रुपये और 106रु. के अतिरिक्त जो लड़के दूर जाकर हॉस्टल में रहते हैं उनके लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा ठहरने, तकिया और कटोरी आदि की भी व्यवस्था की गयी है। अतः जो सुविधा अभी दी जा रही है, वह पर्याप्त है। यदि पर्याप्त नहीं है, तो जब भी प्रपोजल्स आयेंगे उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, जवाब आ गया है। कृपया बैठ जायें।

श्री अनंगकुमार जैन : हम ने जो प्रश्न पूछे थे उनका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री नंदलाल।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय पूरक प्रश्न का जवाब दिलायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री अनंगकुमार जैन : X X X

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अनंगकुमार जैन : X X X

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री अनंगकुमार जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : क्या फायदा है। अंकित नहीं हो रहा है आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : सिर्फ मैं एक प्रश्न श्री नंदलाल मीणा को पूछने की इजाजत दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : यह बतायें कि समाज कल्याण विभाग के पास जो छात्रावास हैं या पंचायत समितियों को समर्पित कर दिये गये हैं उनमें आप 9 महीनों के लिये ही उनको खर्चा देते हैं, क्या यह सही है ? एक बात।

क्या यह भी सही है कि शैक्षणिक सत्र जुलाई से चालू होकर 15 मई तक चलता है अर्थात वर्ष में साढे दस महीने तक। तो क्या डेढ़ महीने का खर्चा वे अपने पास से देंगे और परीक्षा के समय मे घर जाकर पैसों का इंतजाम करेंगे?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही हम उनको सब्सिडी के तौर पर यह पैसा देते हैं, इसलिए ही उनको 9 महीने का दिया जाता है कम है कुछ तो वे पढ़ाई करते हैं वह अपनी तरफ से भी लगायें।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है कि ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जाईये। अब कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है कि 82 से पूर्व तक 10 महीने की ही सब्सिडी दी जाती थी उसके पश्चात् ही यह कटौती कर दी गयी है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री दुलाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डग के छात्रावास के बारे में जानकारी चाही है उसके लिये निवेदन करूंगा कि वहां पर जो छात्रावास बन रहा है, भवन बन रहा है वह शिक्षा विभाग बना रहा है न कि सोशल वैलफेयर विभाग बना रहा है। उस भवन का निर्माण हमारे द्वारा नहीं हो रहा है इसलिये इससे सम्बन्धित नहीं है।

एक जो यह 9 से 10 महीने की बात कही गई है, यह ठीक है कि 10 महीने होना चाहिए। इसको 10 महीने करने पर सरकार विचार करेगी।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : स्टेशनरी और पुस्तकों के बारे में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।
अंकित नहीं हो।

श्री राम किशोर मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री राम किशोर मीणा : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में सदन का समय ले रहे हैं। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य

श्री रामकिशोर मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री रंगजी मीणा व श्री हंसराज शर्मा।

वेस्ट सुकेत सहकारी समिति रामगंज मण्डी

369. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) व श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वेस्ट सुकेत सहकारी समिति, रामगंज मण्डी को लाइम स्टोन/कोटा स्टोन के खनन का पट्टा सहकारी समिति को दी जाने वाली रियायतों के आधार पर दिया गया था? यदि हां, तो यह कितने क्षेत्र का स्वीकृत किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि इस खान पर करीब 5 साल पूर्व अवैधानिक एवं अनियमित तरीके से खनन कार्य करने के कारण 7 व्यक्ति मारे गये थे और अनेकों घायल हुए थे?

(3) क्या यह भी सही है कि सहकारी विभाग द्वारा जांच करने पर इस सहकारी समिति को बोगस पाया गया और वह जांच रिपोर्ट खनिज विभाग को भी प्राप्त हो गयी थी यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि खनन कार्य हेतु बने नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करने एवं बोगस सहकारी समिति होने से इसका पट्टा खारिज कर दिया गया था?

(5) क्या यह भी सही है कि इस समिति के पट्टे पर पुनः नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो कब और क्यों? नवीनीकरण के दिन कितनी सहकारी बकाया थी व किन शर्तों पर नवीनीकरण किया गया?

राज्य मंत्री खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा) :

(1) वेस्ट सुकेत सहकारी समिति, रामगंज मण्डी को खनिज लाइम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन) का एक खनन पट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। यह खनन पट्टा 6000X1500 वर्ग फीट क्षेत्र के लिये एवं अवधि 29-2-60 से 28-2-65 तक के लिए स्वीकृत किया गया था जो समय-समय पर नवीनीकरण किया गया है।

(2) जी हां।

(3) खनिज विभाग को सहकारी विभाग से ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि सोसायटी को बोगस पाया गया हो।

(4) यह सही नहीं है कि सहकारी समिति के बोगस होने के कारण पट्टा खारिज

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

किया गया। पट्टा असुरक्षित खनन कार्य के कारण नियमों व संविदा की धाराओं के अनुसार खारिज किया गया था।

(5) जी हां। स्वीकृति का कारण यह है कि राज्य सरकार के पट्टा खारिज के आदेशों के विरुद्ध सोसायटी ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष रिवीजन प्रस्तुत किया जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया व राज्य सरकार के आदेशों को निरस्त किया गया। पार्टी ने विभिन्न न्यायालयों मे भी केस दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किये जिनके कारण क्षेत्र पर उनका कब्जा बना रहा व खनन कार्य चालू रहा। पट्टा खारिज के आदेशों के पश्चात सोसायटी ने नियमानुसार कार्य करने का प्रयास किया था व खान को काफी सुरक्षित किया जा चुका था. व किया जा रहा था अतः राज्य सरकार ने खनन पट्टे की पूर्व अवधि दिनांक 28-2-80 को समाप्त हुई और उस दिन पार्टी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं थी। नवीनीकरण दिनांक 1-3-80 से 28-2-90 की अवधि के लिये 1,95,346 रु. वार्षिक स्थिर भाटक पर इस शर्त के साथ किया गया है कि पार्टी न्यायालय में दायर किये केस को वापस लेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि जिस खनन पट्टे को रिवाइज करने की एप्लीकेशन दी गई थी उस समय 34 हजार 472 रु. उनके नाम से बकाया नहीं थे?

क्या यह भी सही नहीं है कि जिस समय रिवाइज करने को एप्लीकेशन दी गई थी प्रथम बार उस समय नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया. था, नहीं दिया गया था? क्या सर्टिफिकेट न होने की सूरत में एप्लीकेशन को खारिज किया जाना आवश्यक नहीं था?

क्या यह भी सही हैकि जिस समय वह भारत सरकार के सामने अपील में गये थे। उसने अपील की थी अपने पट्टे को रिवाइज करने को। जब इसको रिवाइज किया इसका रिन्यूअल किया गया उससे पहले ही इस खनन के पट्टे को निरस्त किया जा चुका था? अगर निरस्त किया जा चुका था तो सरकार ने उसका समय-समय पर रिन्यूअल किस आधार पर किया था?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं जो नवीनीकरण जिस समय किया गया था उस तारीख को उनकी तरफ कोई बकाया नहीं थी। उससे पूर्व 34 हजार रुपये बकाया थे परन्तु जब नवीनीकरण किया गया उस समय उन्होंने रुपया जमा करा दिया था।

जहां तक सवाल आता है भारत सरकार में गये तो उससे पहले ही मुंसिफ रामगंज मन्डी ने स्टे आर्डर दे दिया था। इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता है कि उसको कब्जा किस प्रकार दिया जाता रहा।

तीसरा जहां तक कहा कि अनियमितता थी तो जब नवीनीकरण किया गया उस

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

समय कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर ऐसा होता तो नवीनीकरण नहीं किया जा सकता था।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो एक सवाल पूछना चाहता हूं उनका जवाब राज्य मंत्री जी दें।

मैं पूछना चाहता हूं कि 1977 में नवीनीकरण किया गया, दरख्वास्त जब दी जाती है तो जो नियम बने हैं उसके अनुसार नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह आवश्यक है, इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके साथ साथ बिक्री कर की क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप देखें, नियम 5 (3) (बी) और (ई) में प्रावधान हैं इन प्रावधानों का क्या हुआ? नं0 1 जब बिक्री कर के बारे में 5-11-81 को निदेशालय और सहायक अभियंता को लिख दिया गया था कि इस समिति में बिक्री कर बाकी है तो यह आपको सूचना थी कि उसने दोनों सर्टिफिकेट नहीं दिये ?

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो खनन सुरक्षा ब्यूरो है उसके अनुसार सुरक्षात्मक काम नहीं होने के कारण उसके पट्टे को केंसल करने की सिफारिश की थी। जो 12-4-78 को एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ही इस खनन के विरुद्ध तीन तीन नोटिस दे रखें थे। उसके बावजूद स्थगन नहीं दिया और खनन का काम चालू रहा।

क्या यह भी सही है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाय तो नियमों के अन्तर्गत पट्टाधारी को डायरेक्टर के आफिस में सूचना करनी पड़ती है ? मैं इसीलिये निवेदन करना चाहता हूं, कि 22-4-78 को एक्सीडेंट हुआ उसकी सूचना नहीं दी गयी। और जब तक डायरेक्टर पहुंचा तब तक सूचना नहीं थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां कोई सूचना नहीं थी। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस पत्रावली के अन्दर कोई गड़बड़ी की गयी है।

जब मैं सहकारिता मंत्री था, मैंने इसकी जांच करवायी थी। सहकारिता विभाग ने निश्चित रूप से जांच की थी कि यह बोगस समिति है और मंत्री अध्यक्ष ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं दूसरे लोग बेनामी काम कर रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह पहले सहकारिता मंत्री थे और इन्होंने जांच करवायी थी। यदि कोई भी सोसायटी बोगस निकलती है, तो को-ऑपरेटिव विभाग को यह अधिकार है कि वह सोसायटी का अवसान कर दे। जब सोसायटी का अवसान हो जाता तो ऑटोमैटिकली को-ऑपरेटिव खतम हो जाती। यदि किसी को-ऑपरेटिव सोसायटी ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की तो जिस एक्ट के तहत उस का रजिस्ट्रेशन होता है उसके अनुसार किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। कोई हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अगर को-ऑपरेटिव सोसायटी बोगस है तो इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही करने का को-ऑपरेटिव रजिस्ट्रार को अधिकार है। परन्तु हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आयी नहीं जब

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
शिकायत ही नहीं आयी तो कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

दूसरा माननीय सदस्य ने कहा कि असुरक्षित खान थी, सुरक्षा ठीक प्रकार की नहीं थी। इसी असुरक्षा को देखते हुए उसका पट्टा कैंसल किया गया था, यह मैंने तो खुद ने माना है। 1978 के अन्दर इसका पट्टा इसी वजह से कैंसल किया गया था क्योंकि उसमें कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा था। परन्तु वह लोग केन्द्र सरकार के सामने अपील में गये जैसा कि हर एक आदमी को अपील में जाने का अधिकार है और साथ साथ मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास भी गये, वहां अंडर टेकिंग दी। उसके बाद पाया गया कि खान ठीक प्रकार से चल रही है जहां तक सवाल इस बात का है, मैंने यह कहा कि नवीनीकरण के समय हमारे विभाग की किसी तरह की बकाया नहीं। थी यह मैंने खुद ने माना है। आपने कहा कि सैल्स टैक्स बकाया था, उसकी जानकारी कर लूंगा। इस प्रकार की यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछा है नवीनीकरण की दर्ख्वास्त के समय बकाया नहीं है विभागीय. ऐसा प्रमाण-पत्र आवश्यक है किन्तु उन्होंने....

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई बकाया नहीं है, मैंने बताया ...

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीनीकरण की दर्ख्वास्त के समय क्या-क्या डाक्यूमेंट लेने चाहिए, आपके नियम 5 के उप-नियम 3 के खण्ड "बी" और "सी" में स्पष्ट है. उस तारीख को क्या विभागीय बकाया नहीं होने का सर्टिफिकेट था ? मैंने यह पूछा है, क्या उस तारीख को बिक्री कर जमा होने का सर्टिफिकेट था ? इन दो बातों का जवाब दें। दूसरा, 5-11-81 को पत्र बिक्री विभाग ने लिखा है कि इस समिति पर इतना पैसा बिक्री कर का बकाया है। वह पत्र निदेशालय कैसे पहुंचा ? इसका सीधा जवाब दें।

खनिज मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में बहुत साफ-साफ बता दिया। माननीय सदस्य का यह कहना है कि जिस दिन नवीनीकरण किया गया, उस दिन बकाया थी ...

श्री कैलाश मेघवाल : दरख्वास्त में लिखा है आप कयास मत कीजिए....

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं कोई कयास नहीं कर रहा, आप सुनिये तसल्ली से, गुस्सा क्यों कर रहे हैं.

श्री कैलाश मेघवाल : 4-11-81 को श्री रामगंज मण्डी से पत्र लिखा था कि सैल्स टैक्स का इतना पैसा बकाया है ...

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय हम तो स्पष्ट मानते हैं, गलती होती है तो कार्यवाही करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं दरख्वास्त दी हो, उस दिन मुमकिन है, बकाया हो। मैं नहीं कहता कि बकाया नहीं थी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बकाया है और वह जब तक नवीनी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करण होता है तब तक जमा हो जाती है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। उसी आधार पर यह नवीनीकरण किया गया है। कहीं पर, किसी तरह की इर्रेगुलेरिटी नहीं की गई।

आपका यह कहना है कि भारत सरकार के सामने अपील के अन्दर गये थे, उस वक्त उनको पट्टे पर काम कैसे करने दिया। जैसा मंत्रीजी ने बताया, उस वक्त मुंसिफ कोर्ट में भी गये थे और मुंसिफ कोर्ट से यह स्टे आर्डर ले आये थे कि काम जारी रहेगा। तो सहकारिता विभाग उसमें कुछ नहीं कर सकता था। विभाग ने उसके विपरीत अपील की, वहां भी यह हुआ कि स्टेट्स को मेन्टेन किया जाये। मतलब, काम कर रहे हैं काम करते रहने दिया जाय। ऐसी स्थिति में हम दखल नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से हक में फैसला हो गया तो हमें भी कार्यवाही करनी पड़ी। अभी नवीनीकरण किया, उसमें भी शर्त यह रखी है कि वे अपने सारे केसेज को उठा लेंगे। एग्रीमेन्ट में....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने भी जवाब सुना। मैंने एक बात स्पष्ट पूछी थी कि नवीनीकरण की दरख्वास्त देने के समय भी....

श्री अध्यक्ष : यह टैक्निकल पाइन्ट है, इसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रैस कर रहे हैं। उसका भी उत्तर उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा हो सकता है ...

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन्हीं की सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने नहीं किया है। उसका तो उत्तर मेरे पास नहीं है ...

श्री कैलाश मेघवाल : 14-3-80 को डायरेक्टोरेट ने नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की थी सरकार को उसमें यह कारण बताया था कि विभागीय बकाया है, बिक्री कर भी बकाया है और ठीक ढंग से काम नहीं चल रहा है। इन कारणों के आधार पर इस पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया जाय, इसकी सिफारिश की थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : किस सिफारिश का उल्लेख कर रहे हैं? जो सूचना मुझे मिली उसके अनुसार उत्तर दिया। जैसा आप कह रहे हैं वह सही है तो जिन्होंने सूचना नहीं दी उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं। 28-2-80 के प्रार्थना पत्र में दिया हुआ है कि इनके खिलाफ विभागीय कोई बकाया नहीं है ...

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष, क्या यह सही है कि 1982 में इस खान में मामा जाति के 3 मजदूर दब कर मरे हैं, उसकी थाने में रिपोर्ट भी की गई है? क्या यह सही है कि जो खान में काम चल रहा है, वह उचित नहीं है? माननीय अध्यक्ष, वहां खून खराबा हुआ, झगड़ा हुआ, दो आदमी मारे गये....

श्री हीरालाल देवपुरा : 1978 का किस्सा है।

श्री हरीश शर्मा : 1978 का नहीं, 1982 का कह रहा हूं, दो आदमी मरे, उसके बाद का कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं।

अगला प्रश्न। श्री भैरूसिंह गुर्जर।

अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण

370. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर, द्वारा दिनांक 10-8-1982 को आदेश प्रसारित कर कितनी अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये गये ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विकलांग व जिनके पति राजकीय सेवा में व केन्द्र सरकार की सेवा में अजमेर या आसपास थे उनके भी स्थानान्तरण कर दिये गये ? यदि हां तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्थानान्तरण नियम विरुद्ध राज्यादेश बताकर किये गये थे ? यदि हां तो ये स्थानान्तरण निरस्त क्यों नहीं किये गये ? यदि निरस्त किये गये तो किस-किस के निरस्त किये गये ?

(4) क्या सरकार इन अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण निरस्त कर स्थानान्तरणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर द्वारा दिनांक 10-8-1982 के चार आदेशों द्वारा 19 अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये गये। चारों आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) विकलांग व जिनके पति राजस्थान राज्य सेवा में अजमेर या आसपास थे, उनके स्थानान्तरण नहीं किये गये। चार अध्यापिकायें जिनके पति अजमेर या आस पास केन्द्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत थे उनके स्थानान्तरण नियमानुसार किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) कोई आदेश निरस्त नहीं किये गये।

(4) स्थानान्तरण नियमित हैं। अतः निरस्त करने एवं स्थानान्तरणकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(आदेश की प्रति व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय सर्व प्रथम तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में भी यह माना था कि स्थानान्तरण के राज्यादेश दूरभाष पर आदेश लिखाये। 10-8-82 को शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा दूरभाष पर आदेश दिये गये। उसकी अनुपालना में ट्रान्सफर किये गये। उस समय स्थानान्तरण की नीति थी कि दूरभाष से स्थानान्तरण के आदेश किसी उच्च अधिकारी द्वारा दिये जाये तो उसके तहत ट्रान्सफर नहीं किये जायें।

दूसरा आपने बताया कि विकलांग नहीं थे, माननीय मंत्री महोदया, आपके पूर्व मंत्री चंदनमल वैद जी की सेवा में जय श्री शर्मा का उनकी फोटो सहित प्रार्थना-पत्र मैंने स्वयं प्रस्तुत किया है और गोविन्दसिंह जी ने उसको रिकमण्ड किया है, उसके अनुसार

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

वह गूंगी है बहरी है. पैर से विकलांग है। उसका स्थनान्तरण निरस्त करने के लिए फर्माया था। उसके पति केन्द्रीय सेवा में हैं। अध्यक्ष महोदय. वह पूरी विकलांग है आप उसकी जांच करवा लीजिये।

दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं। कि भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने 1976 में एक पत्र लिखा था कि सैन्ट्रल एक्साइज में पति-पत्नी हो तो एक साथ उनको रखा जाय। राज्य सरकार के भी ऐसे नियम हैं। श्रीमती मोहनी कुमारी गहलोत के पति सैन्ट्रल एक्साइज में हैं। अत: यह दोनों स्थानान्तरण गैर-कानूनी है। मेरा निवेदन है कि उस समय जो स्थानान्तरण हुए हैं वह उस समय की नीति के अनुसार नहीं किये गये है। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं। फिर आप जो आदेश देंगे वह स्वीकार है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि वह गूंगी, बहरी और अपंग है. तो वह पढ़ायेगी कैसे? फिर भी ये कहते हैं कि वह काम कर सकती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर वह अपंग है तो मैं इसकी जांच कराऊंगी। वैसे मैंने बहुत इस सम्बन्ध में ताकीद की थी। बहुत पूछने के बाद ही उसका ट्रान्सफर किया है। यदि फिर भी आप चैलेन्ज कर रहे हैं तो वह सही कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं इसकी और जांच कराऊंगी।

दूसरी बात. भारत सरकार के आदेश हैं कि पति-पत्नी साथ रहने चाहिये। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी भी संभव नहीं हो सकता है, 100 पर्सेंट स्थिति में पति-पत्नी के एक साथ रहने की व्यवस्था की जा सके, यह नही हो सकता है। इसलिए नहीं होसकता है कि सभी डिजर्विंग और मानवता से परिपूर्ण केसेज में पति-पत्नी के बजाय महिला को ज्यादा प्रिफरेन्स देना पड़ेगा। 100 पर्सेंट इस भावना की पालना के लिये कोई कानून नहीं है, न एक्ट है न कोई ऐसे नियम हैं। यह तो सरकार की एक भावना है कि आम तौर से इस तरह की व्यवस्था रहे। यह कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है इसलिये जो किया गया है वह नियमान्तर्गत है। सारी व्यवस्था के अन्दर प्रशासनिक कारण या अन्य कारण से करना पड़ा तो नियम संगत है।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत प्रश्न है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय यह व्यक्तिगत प्रश्न है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्षजी यह प्रश्न बहुत आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदया ने यह स्थानान्तरण बिलकुल अन्दर सही नहीं किया है। पिछले सत्र के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने राज्यादेश से नहीं किया था इसलिए यह सूची वैसे ही निरस्त हो जाती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विधान सभा में घोषणा की थी, इसकी जांच करूंगा। मंत्री महोदय. आप तो बहुत उदार हैं। इस उदारता के

Page No 18

(18)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

के कारण शिक्षा विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी है वह फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी उदारता को देख कर वह दुखी प्राणियों का स्थानान्तरण कर रहे हैं। आपके अधिकारी आपके कहने में नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पूरी की पूरी सूची को निरस्त किया जाय और राज्यादेश से स्थानान्तरण किये जायं।

श्री अध्यक्ष: श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन फिर भी माननीय मंत्री महोदया ने ऐसा कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगी कि भैंरूसिंह जी सही हैं या शिक्षा विभाग वाले यह दुबारा जांच करायेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि खुद जांच करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्रीमती कमला : जिस अधिकारी से जांच कराई है उससे वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराऊंगी। यदि वह गलत है तो आप कहेंगे तो मैं खुद जाकर देख लूंगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये

स्थगित प्रश्न

श्री रंगजी मीणा व श्री कैलाश मेघवाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 फरवरी, 1983)

सीलिंग से अधिशेष भूमि का आवंटन

93. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में कृषि भूमि की अधिकतम सीमा (लैण्ड सीलिंग) के कानून कब से लागू हैं और उनके तहत दिनांक 31-3-1982 तक प्रति वर्ष कितना क्षेत्रफल राज्य को प्राप्त हुआ है ?

(2) लेण्ड सीलिंग से प्राप्त भूमि को किस-किस वर्ग के कितने-कितने लोगों को बांटा गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इन कानूनों को राज्य में सही ढंग से लागू करने की मंशा व नीयत पर शक प्रकट करते हुए इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निदेश देते हुए सन् 1985 तक सभी अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर वितरण कर देने के निदेश दिये हैं ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) राजस्थान में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1963 एवं अधिनियम 1973 से लागू है। इन अधिनियमों के तहत दिनांक 31-3-1982 तक 5,40,243.92 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है सूची संलग्न है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(2) दिनांक 31-3-1982 तक निम्न प्रकार से 63.140 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया।

	संख्या व्यक्ति	आवंटित क्षेत्रफल (एकड़)
1. अनुसूचित जाति	24045	116795
2. अनुसूचित जन जाति	8854	34940
3. सैनिक	954	6783
4. अन्य व्यक्ति	29287	192097
योग	63140	350615

(3) जी नहीं, केन्द्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन कानूनों की क्रियान्विति तेजी से की जाकर अतिरिक्त भूमि का आवंटन शीघ्र किये जाने हेतु ही केवल निदेश प्रदान किये हैं।

(4) इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं तथा प्रति माह जिले-वार प्रगति का सिंहावलोकन राज्य सरकार पर किया जाता है। यह विषय विशेष राजस्व अभियानों में भी सम्मिलित किया गया है। फलस्वरूप इस राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तदनुसार 13-2-1983 तक जबकि 550086 एकड़ सीलिंग सरप्लस भूमि कब्जे में ली गई थी 363468 एकड़ भूमि का आवंटन 67343 व्यक्तियों को कर दिया जिसमें 51.8 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति के थे, शेष भूमि में से कृषि योग्य भूमि 142778 एकड़ ही शेष रही है जिसका भी आवंटन शीघ्र कर दिया जायेगा। अकृषि भूमि के उपयोग के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष, दो सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है। संक्षेप में।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में और सीलिंग के बारे में एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह स्पष्ट कया था कि भूमि सुधार और सीलिंग कानून सही ढंग से लागू किये जायं? इस प्रकार के निर्देश थे जो केन्द्र सरकार से आये हैं और वह आपके पास हैं।

दूसरी बात, जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को भू-आवंटन की बात है यह सब कुछ किया जा चुका है क्या इस बात की कोई प्रामाणिकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : कब्जा मिला नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न है। यह जवाब दे दें तो ठीक है।

श्री कैलाश मेघवाल : जितनी राजस्थान में सीलिंग भूमि प्राप्त हो रही है वह कागजों में निकलती है कागजों में अलॉटमेन्ट हो जाता है। मेरे पास इसकी सूची है 50 पर्सेन्ट लोगों के पास कब्जा नहीं है। इस सारी भूमि का कब्जा कागजों पर है।

राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : 50 पर्सेन्ट की बात असत्य है। सारे राजस्थान की बात पूछी थी उसका जवाब मंत्री महोदय ने दे दिया। यदि स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाता कि फलां जिले में, फलां जिले में तो उसकी इन्क्वायरी करते।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दूसरी बात जो कही, केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जाय तत्परता से कानून लागू किया जाय और जो जमीन आपके पास आई है उसका आवंटन किया जाय। आवंटन की कार्यवाही और जो भूमि या मकान सीलिंग के अन्दर हमारे पास आये हैं उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य । स्थगित प्रश्न । कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): सीधा-सादा प्रश्न है। जो भूमि अलॉट की, क्या आपको उन्होंने मुआवजा दे दिया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर-आर्डर। अनुमति नहीं दी गई। उत्तर नहीं आयगा, माननीय सदस्य। बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री अनंग कुमार जैन !

तहसीलदार गंगधार के पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही

216. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की तहसील गंगधार में मंदिरपुर हलके के पटवारी श्री भगवान के खिलाफ राजस्व अभियान में दिनांक 22-1-1983 को एक किसान ने 500/- रु० लेने की शिकायत राजस्व अभियान समिति के सामने रखी थी और शिकायत तहसील गंगधार के तहसीलदार ने लिखी थी ? उसमें पटवारी के विरुद्ध क्या वास्तविकता पाई गई तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

राज्य मन्त्री, परिवहन (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जी हां, किन्तु जांच कराने पर शिकायत निराधार पाई गई।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि जांच करने पर शिकायत निराधार पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पटवारी की इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। जो प्रशासन गांव की ओर अभियान में किसान जो अनुसूचित जाति का था, को भूमि पर कब्जा दिलाने के लिये 300/ - रु० लिये गये थे, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया है इसका।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने इसका उत्तर दे दिया है, यह बात गलत है। बात तो इसमें यह थी कि यह जमीन, ढाई बीघा जमीन कन्या पुत्र घूल्ला एवं नन्दा को अलॉट हुई, उसमें रास्ता निकालने की बात थी। असली बात का विश्लेषण किया जिसकी वजह से उसने यह शिकायत की, उसकी मर्जी के खिलाफ रास्ता निकलवा दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन !,

श्री अनंग कुमार जैन : किस अधिकारी के द्वारा जांच करवाई गई थी, यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तहसीलदार के द्वारा करवाई गई थी।

श्री अनंग कुमार जैन : पटवारी जिस तहसीलदार के पास ही रात दिन रहता है, उससे जांच करवाई।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : कौनसी तहसील के तहसीलदार से ? यह भी बता दें।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पटवारी की जांच तहसीलदार करेगा साहब ?

श्री अध्यक्ष : पटवारी की जांच तो तहसीलदार ही करेगा, और कौन करेगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह तहसीलदार कौनसी तहसील का था ?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा, क्या आप इस शिकायत की जांच सक्षम अधिकारी से, एस. डी. ओ. कैडर के अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसकी जांच हम एस. डी. ओ. से करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम मावली में भूमि पर अतिक्रमण

406. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम मावली जिला उदयपुर में मावली-उदयपुर रोड पर स्थित एक अल्प संख्यक पिंजारे की जमीन आराजी नं 661 किसने कितने रुपये में किस तिथि को क्रय की ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि भूमि पर चारों ओर पक्का चूने का कोट कुआ एवं उदयपुर रोड की तरफ अनेक रास्ते नाजायज तौर पर बना लिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाही को जिलाधीश, उदयपुर ने नाजायज घोषित कर उन्हें हटाने के लिये आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के प्लाट काट कर बेचान किया गया है और एक पिक्चर हॉल व ऑयल मिल का निर्माण भी कर लिया गया है? यदि हां, तो इसकी अनुमति किसके द्वारा कब दी गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(5) क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटने में अनियमित कार्यवाही के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम मावली स्थित उक्त भूमि दिनांक 13-7-64 को श्री मोतीलाल पिता लालचन्द, नन्दलाल पिता ख्यालीलाल महाजन निवासी मावली ने रु. 1 500) में क्रय की ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । आदेश की प्रति सदन पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । उक्त भूमि में पिक्चर हाल व ऑयल मिल मौके पर स्थित नहीं है व कोई अनुमति नहीं दी गई । अतः आदेश की प्रति सदन पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) जी हां । जांच के पश्चात दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ द्वारा दी गयी रॉयल्टी

407. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बिरला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ पट्टे पर दी गई खानों से सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन का खनन करता है और उस पर सरकार को रॉयल्टी चुकाता है ?

(2) यदि हां, तो रॉयल्टी किस दर से ली जाती है तथा खनिज की मात्रा का आधार क्या है और उसका हिसाब कहां-कहां पर किस-किस के द्वारा रखा जाता है ?

(3) वित्तीय वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 के 31-1-83 तक वर्क्स द्वारा कितनी रॉयल्टी चुकाई गई है ? कृपया माहवारी चार्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) रॉयल्टी रु. 4.50 पैसे प्रति टन के हिसाब से वसूल की जा रही है । खनिज की मात्रा की गणना प्रति डम्पर 22.70 टन मानते हुए की जाती है । डम्पर की कैपेसिटी टेरेक्स कम्पनी के अनुसार (जिसके द्वारा डम्पर निर्माण किया जाता है) 22.7 टन है । जिसे कई बार तुलवा कर प्रमाणित भी किया जा चुका है इसका रिकार्ड सीमेन्ट फैक्ट्री मे रखा जाता है । यह समय-समय पर रिटर्न्स देते हैं जो सहायक खनिज अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में रखे जाते हैं ।

(3) तालिका संलग्न है ।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के प्रधान एवं अप्रधान खनिजों पर रॉयल्टी

408. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में खनन किये जा रहे प्रधान एवं अप्रधान खनिजों पर दिनांक

(श्री कैलाश मेघवाल)

1-4-77 को रायल्टी की दरें क्या थीं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दि. 1-4-77 के बाद दोनों ही तरह के खनिजों की रायल्टी में कब-कब वृद्धि की गई और दि. 31-1-83 को ये दरें क्या थीं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में खनन किये जा रहे प्रधान एवं अप्रधान खनिजों पर दिनांक 1-4-77 को जो रायल्टी की दरें प्रचलित थीं, उन्हें क्रमशः परिशिष्ट "क" व "ख" पर दर्शाया गया है।

(2) दिनांक 1-4-77 के बाद दोनों ही तरह के खनिजों की रायल्टी में समय-समय पर हुई वृद्धि का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट "क" व "ख" में किया गया है। इन परिशिष्टों में अन्तिम रूप लिखी गई रॉयल्टी दर ही दिनांक 31-1-83 को लागू थी।

(दरों के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

तहसील प्रतापगढ़ में बंजर भूमि पर अतिक्रमण

409. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में कितने भूमिहीन कृषकों ने बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ? कृपया पटवार मण्डल वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणियों को बंजर भूमि का आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में 472 भूमिहीन कृषकों ने बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवार मण्डलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भूमि आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन के पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

तहसील सोजत में अनुसूचित जातियों की भूमि पर सवर्ण के कब्जे

410. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जनहित में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितार्थ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 46 ए का प्रावधान किया गया है व धारा 42 में भी प्रावधान किया गया है ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त धाराओं का उल्लंघन होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही तहसीलदार को करना लाजमी है।

(२४)

(श्री माधवसिंह दीवान)

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार सोजत अपने इस दायित्व को नहीं निभा रहे हैं ?

(4) तहसील सोजत जिला पाली के पटवार सर्किल मंडला व खारीया सोडा में किस-किस अनुसूचित जाति की आराजी पर सवर्ण जाति का कब्जा है ? उक्त कब्जा कब से है व तहसीलदार ने किस-किस मामले में राजस्व भू अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही की व किन-किन मामलों में यह कार्यवाही नहीं की, उसका क्या कारण है ? क्या सरकार अब उक्त मामलों में उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में इस प्रकार का प्रावधान है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(4) तहसील सोजत के पटवार मण्डल मण्डला के ग्राम सरदारपुरा में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री पेमाराम मेघवाल को आवंटित भूमि पर सवर्ण जाति का कब्जा है। एवं पटवार मण्डल खारीया सोडा के ग्राम बासणी भद्रावता में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति त्रिलोक मेघवाल की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा है। उपरोक्त ग्राम बासणी भद्रावता के मामले में कार्यवाही जेरतजवीज है एवं उपरोक्त सरदारपुरा के मामले में अतिरिक्त जिलाधीश की अदालत ने सवर्ण जाति के व्यक्ति के हक में फैसला होने से कार्यवाही नहीं हो सकती।

कोटा एवं गंगानगर जिले में कृषि भूमि का सीलिंग

411. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कोटा और गंगानगर जिले में कृषि भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कृषि भूमि की अधिकतम सीमा कितने एकड़ रखी गई है ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि प्रति एकड़ उत्पादन गंगानगर जिले में कोटा जिले की अपेक्षा अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोटा जिले की सीलिंग भूमि की सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी :

उत्तर

(1) कोटा जिले के लिए पुराने एवं नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :

पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत सीलिंग सीमा कोटा जिले के लिए 30 स्टेण्डर्ड एकड़ है। स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि की किस्म के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है। चम्बल कमाण्ड एरिया के स्टेण्डर्ड एकड़ की गणना प्रथम ग्रुप के गांव के लिए 22 साधारण एकड़ – 30 स्टेण्डर्ड एकड़ है। द्वितीय ग्रुप के गांव के लिए 26 साधारण एकड़ – 30 स्टेण्डर्ड एकड़ है। इसी प्रकार जो क्षेत्र कमाण्ड के अन्तर्गत नहीं हैं उनमें भी प्रथम, द्वितीय व तृतीय ग्रुप के गांवों के लिए अलग-अलग मापदण्ड निर्धारित हैं। नये सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत जहां निश्चित सिचाई दो फसलों के

(राजस्व मंत्री)

लिए है वहां 18 साधारण एकड़, जहां एक फसल के लिए निश्चित सिंचाई है वहां 27 साधारण एकड़ व अन्य समस्त क्षेत्र कोटा जिले का फर्टाइल जोन के अन्तर्गत है वहां एक यूनिट के लिए 48 साधारण एकड़ भूमि निर्धारित है।

कोटा जिले की स्थिति निम्न प्रकार है :— (एकड़ में)

	प्रथम ग्रुप	द्वितीय ग्रुप	तृतीय ग्रुप
पुराना कानून	22	26	32
नया कानून			
दो फसल	18	18	18
एक फसल	27	27	27

गंगानगर जिले की स्थिति निम्न प्रकार है : – (एकड़ में)

	प्रथम ग्रुप	द्वितीय ग्रुप	तृतीय ग्रुप	चतुर्थ ग्रुप
पुराना कानून	29	35	39	43
नया कानून	27	27	27	27

(2) गंगानगर जिले में कुछ फसलों में कोटा जिले की अपेक्षा उत्पादन अधिक है। इसी प्रकार कोटा जिले में भी गंगानगर जिले की अपेक्षा दूसरी कुछ फसलों का उत्पादन अधिक है। कोटा जिले में सीलिंग भूमि की सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर इस समय राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है।

गड़ी चाम्पवता (जैसलमेर) को राजस्व ग्राम घोषित करना

412 श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि गड़ी चाम्पवता तहसील पोकरण जिला जैसलमेर को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु जिला मुख्यालय से आवश्यक दस्तावेज राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त ग्राम को राजस्व ग्राम कब तक घोषित कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील पोकरण का नियमानुसार भूमि बन्दोबस्त पुनः किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तहसील पोकरण के 50 ग्रामों का भू-प्रबन्ध सम्वत् 2012 से 20 वर्ष के लिए. 35 ग्रामों का सम्वत् 2014 से 18 वर्ष के लिए लागू किया था। इसी प्रकार ग्राम चांदसर का भू-प्रबन्ध सम्वत् 2029 से सम्वत् 2048 तक के लिए तथा 31 गांवों का भू-प्रबन्ध सम्वत् 2023 से 2032 तक के लिए अवधि लागू की गई थी।

जिन तहसीलों में भू-प्रबन्ध का कार्य पुनः किया जाना है, उन्हें योजनाबद्ध कार्यक्रम अनुसार उपलब्ध साधन तथा अमला को दृष्टिगत रखते हुए लिया जाता है वर्तमान में निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी के ग्रामों का विद्युतीकरण

413. श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं

(श्री हेमाराम चौधरी)

सिणधरी के सम्मिलित ग्रामों में से अब तक कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 में कितने-कितने एवं किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बिजली बोर्ड की स्थानीय सलाहकार समिति जोधपुर की षष्ठम् बैठक के अनुसार भीनमाल से गुड़ा, धोरीमन्ना में बामडला सिणधरी से आडेल 33 के. वी. लाइने खींचने एवं ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 1980-81 में निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उक्त कार्यों को अब न कराये जाने के क्या कारण हैं और अब काम कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे ?

(3) पचायत समिति धोरीमन्ना के ग्राम पंचायत समिति मुख्यालय धोरीमन्ना एव तहसील मुख्यालय गुडामालानी को कब विद्युतीकृत किया गया एवं उक्त ग्रामों में अब तक घरेलू, व्यावसायिक एवं सिंचाई के कितने कितने विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम धोरीमन्ना में विद्युतीकरण के एक वर्ष बाद केवल 15 कनेक्शन दिये गये हैं, जब कि उक्त ग्राम में 1000 कनेक्शन के लिए मांग की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम गुड़ामालानी में विद्युतीकरण के एक वर्ष बाद अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों में से 6 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1982-83 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त योजनाओं में से क्रमश: आठ-आठ ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है, जिनकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1983-84 व 1984-85 में विद्युतीकृत किये जाने वाले ग्रामों हेतु अभी ग्रा० वि० कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। अत: इस सम्बन्ध में अभी सूचना देना संभव नहीं है।

(3) जी हां, वर्ष 1980-81 में दर्शाये गये कार्यों की क्रियान्विति वित्तीय एवं अन्य संसाधनों के अभाव में नहीं हो सकी। इसके अलावा 33 के० वी० लाइन व सब स्टेशन 132 के० वी० बालोतरा–बाड़मेर लाईन व बाडमेर सब स्टेशन का कार्य पूर्ण न होने के कारण भी यह कार्य नहीं किये जा सके।

(4) जी नहीं, धोरीमना गांव को दिनांक 31-3-1982 को विद्युतीकृत करने के बाद अब तक 91 कनेक्शन दिये गये हैं। उक्त ग्राम में विद्युतीकरण करने के बाद सिर्फ 193 कनेक्शन के लिए ही मांग की गई है।

(5) जी नहीं, ग्राम गुड़ामालानी में विद्युतीकरण करने के बाद अभी तक 8 कनेक्शन दिये जा चुके है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

बीकानेर महिला श्रमिक "पापड़ उद्योग", की न्यूनतम वेतन की मांग

414. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में 25 हजार महिला-श्रमिक "पापड़ उद्योग" में कार्यरत हैं ? क्या उनको उद्यमियों द्वारा न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग में पापड़ बेलने वाली महिला श्रमिक को 100 पापड़ बेलने पर केवल 1.50 रुपये ही दिया जाता है तथा एक श्रमिक 8 घन्टे में मात्र 100 या 150 पापड़ ही बेल सकती हैं ? यदि हां तो क्या उन्हें दी जा रही मजदूरी नियमों के अनुसार पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार को बीकानेर महिला पापड़ श्रमिक संघ, बीकानेर से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया शिकायत व मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि बीकानेर जिले में 25 हजार महिला श्रमिक पापड़ उद्योग में कार्यरत हैं।

इस उद्योग में भुगतान पीस रेट से किया जाता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत पीस रेट निर्धारित नहीं।

(2) जी नहीं। 100 पापड़ बेलने वाली महिला को अभी लगभग 2-रुपये मिलते हैं।

(3) जी हां। शिकायत के सन्दर्भ में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवाया गया है। एक शिकायत पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस उद्योग में न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(शिकायत पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)।

जिला सवाई माधोपुर में सैटलमेंट

415. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर में सैटलमेन्ट का कार्य चालू है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों का काम अब तक हो गया है तथा किन-किन का बाकी है तथा शेष काम कब तक हो जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि सैटलमेन्ट का काम करने वालों का आफिस अलवर जिले में है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सैटलमेन्ट द्वारा यदि कोई काम गलत किया जाता है तो उसकी अपील करने के लिए सवाई माधोपुर के काश्तकारों को अलवर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या इससे काश्तकारों को परेशानी नहीं होती ?

(4) क्या सरकार काश्तकारों के हित में सैटलमेन्ट का कार्यालय सवाई माधोपुर में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाई माधोपुर की गंगापुर, बामनवास तथा नादोती तहसीलों में भू प्रबन्ध एवं भू-अभिलेख दिनांक की कार्यवाहियां चल रही है। इनमें से तहसील गंगापुर के ग्रामों में इस समय पर्चे लगाने का वितरण किया जा रहा है, बामनवास की रेन्ट रट स्वीकृत हो चुकी है और पर्चे लगानी सम्भवतः मई, 83 के अन्त तक वितरण करा दिये जावेंगे। तहसील नादोती में पर्चा खतोनी, वितरण के बाद जम[redacted]दी तैयार कराई जा रही है।

(2) जी हां। यह सही है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी का कार्यालय अलवर में है। मगर तीनों तहसीलों (गंगापुर, बामनवास तथा नादोती) के लिए एक सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का कार्यालय गंगापुर में भी किया हुआ है। कर्मचारी वहीं बैठ कर कार्य करते हैं।

राज्य में प्रत्येक जिले के लिए अलग से भू-प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। कार्य के दृष्टिकोण से एक भू-प्रबन्ध अधिकारी के कार्यक्षेत्र में एक या इससे अधिक 5 6 जिले तक लगाये जाते हैं। भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर के अधीन भी जिला अलवर व सवाई-माधोपुर में कार्य चल रहा है।

(3) प्रत्येक जिले के लिए अलग से भू-प्रबन्ध अधिकारी नियुक्त नहीं हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भू-प्रबन्ध अधिकारी का मुख्यालय बार-बार बदलना व्यावहारिक नहीं है। विभाग द्वारा मौके पर आपत्तियां/अपील आदि सुनने के आदेश हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भू-प्रबन्ध अधिकारी मौके पर जाकर सुनवाई करते हैं।

(4) जी नहीं। प्रश्न के भाग (3) में उत्तर दिया जा चुका है।

ग्राम बाढ़ मोहनपुरा (सांगानेर) की भूमि पर अवैध कब्जे

416. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सांगानेर तहसील की पंचायत जयसिंह पुरा के ग्राम बाढ़ मोहनपुरा की खसरा नम्बर 275 की भूमि कुछ बड़े भूमि धारी व प्रभावशाली व्यक्तियों के अवैध कब्जे में होने की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम बाढ़ मोहनपुरा में केवल 77 तक ही खसरा नम्बरान है।

चौमूं तहसील के गांवों में पटवार भवन का अभाव

417. श्री तेजपाल यादव (चौमूं):– क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि चौमूं तहसील के पटवार हलका मण्डामिण्डा, भूतेड़ा, अमरपुरा, लोहरवाड़ा में पटवार भवन नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

(श्री तेजपाल यादव)

(2) क्या उक्त हलकों में पटवार घर नहीं होने से पटवारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जगहों पर पटवार भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते सभी पटवार हलकों में एक साथ पटवार घर बनवाना सम्भव नहीं है ।

(2) उक्त पटवार हलकों पर आवसीय सुविधा किराये पर उपलब्ध है, अतः कठिनाई नहीं होनी चाहिए । राज्य सरकार उपलब्ध धन राशि के आधार पर राज्य में पटवार घर बना रही है । राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब जब राशि उपलब्ध होगी आवश्यकता एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर पटवारघर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जा सकेगी

जावर माइन्स के आस पास की भूमि की अवाप्ति

418. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):—क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जावर माइंस के आस पास की भूमि जावर माइन्स के उपयोग में लाने के लिये सन् 1960 से अब तक कितनी बार अवाप्त करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है ? अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन को मेज पर रखें ।

(2) अब तक कितनी भूमि अवाप्त की गई और प्रति बीघा कितना मुआवजा चुकाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश भूमि अवाप्त करने के बाद भी उपयोग में नहीं ली गई ? यदि हां, तो कौन-कौन सी भूमि बेकार पड़ी है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना बहुत पुरानी होने के कारण तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(2) हिन्दुस्तान जिंक लि० के रिकार्ड के अनुसार अब तक जावर माइन्स क्षेत्र में जावर माइन्स के उपयोग के लिये जो भूमि अवाप्त की गई उसका विवरण निम्न प्रकार है :

	गांव का नाम	दिनांक	कुल भूमि बीघा	कुल भूमि बिस्वा
1.	जावर (पम्प हाऊस)	24 3 72	2	09
2.	रेवा तलाई	30 4-73	66	01

Page No 30

(30)

1	2	3	4	
3.	भालड़िया	30-4-73	60	19
4.	भालड़िया	29-11-74	50	09
5.	भालड़िया	19-10-75	163	19
6.	भालडिया	16-11-75	67	07
7.	रेवातलाई	19-10-75	46	03
8.	रेवातलाई	16-11-75	106	02
9.	सिंघटवाड़ा	11-3-76	29	19
10.	रेवातलाई	11/ 13-3-76	125	19
11.	जावर	13-3-76	70	14
12.	सेरा (टी० डी० बांध)	27-6-78	102	15
13.	टीडी (बस स्टेण्ड)	21-11-80	0	06
14.	जावर	3-9-82	5	17

भूमि के मुआवजे का भुगतान अवाप्ति के समय की बाजार दरों एवं भूमि किस्म के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी राजस्थान सरकार के निर्णय (अवार्ड) के अनुसार 500/- रु० प्रति बीघा से लेकर 1400/- रु० प्रति बीघा की दर से किया गया। सन् 1982 में कुछ जमीन जावरमाला में अवाप्त की गई है, वहां 3000/- रु० से लेकर 5000/- प्रति बीघा की दर से अवार्ड के अनुसार मुआवजा दिया गया।

(3) यह पूर्णतया सही नहीं है। जावर माइन्स क्षेत्र की जावर माला खान परियोजना में तब्दील आ जाने से उपरोक्त लगभग 900 बीघा जमीन में से लगभग 58 बीघा जमीन काम में नहीं ली जा सकी है।

रामगंज मण्डी को ए. एस. आई कम्पनी द्वारा श्रमिकों की छंटनी

419. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर(अ०): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की रामगंज मण्डी की ए. एस. आई. कं. द्वारा श्रमिकों की छंटनी की गई थी एवं क्या अभी भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या छंटनी के लिए सरकार से स्वीकृति ली थी ? यदि हां, तो सरकार ने स्वीकृति क्यों दी ? यदि नहीं, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

Page No 31

(31)

(श्री हरीश शर्मा) :

(3) उक्त उद्योग में छंटनी किस किस स्तर के कितने-कितने श्रमिकों की की गई एवं छंटनी करते समय श्रमिकों को क्या राशि दी गई ?

उत्तर

(1) ए. एस. आई. कम्पनी रामगंज मण्डी द्वारा छंटनी करने की कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) नियोजक द्वारा न तो राज्य सरकार से कोई छंटनी करने की स्वीकृति मांगी गई एवं न कोई स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त स्थिति में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न संख्या (1) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में तहसीलदारों के रिक्त पद

420. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में वर्तमान में तहसीलदारों के कितने पद रिक्त है जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होनी है और इनमें से कितने पद पर कार्यालय अधीक्षकों हेतु सुरक्षित हैं ?

(2) कार्यालय अधीक्षकों के पदों में से भरने हेतु क्या कार्यालय अधीक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है ? यदि हां तो कब? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने के क्या कारण हैं ? अब इसकी बैठक कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में तहसीलदारों के कुल 42 पद पदस्थापन हेतु रिक्त हैं। तहसीलदारों के 127 पद स्थाई एवं 149 अस्थाई पदों की विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 1982-83 की बैठक होनी है और इनमें से केवल 1 अस्थाई पद कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी के लिये सुरक्षित है।

(2) कार्यालय अधीक्षकों के पदों में से तहसीलदार पद की पूर्ति के लिये राजस्व मण्डल, जिलाधीश कार्यालय, उपनिवेशन विभाग, तथा भू-प्रबन्ध विभाग में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी पात्र हैं। पदों की वरिष्ठता सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाती है। चूंकि उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग के कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी के नियुक्ति प्राधिकारी, राजस्व मण्डल, नहीं है अतः तहसीलदार पद की पूर्ति हेतु मिली जुली वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की जाती है बल्कि उक्त विभागों में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी की पात्रता सूची ही डी. पी. सी. के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बनाई जाती है।

(3) वर्ष 1982-83 की तहसीलदार पद की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने हेतु सम्पूर्ण तैयारी की जाकर तिथि एवं समय निर्धारित करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को सूचना भिजवाई जा चुकी है वहां से तिथि एवं समय निर्धारित होते ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर दी जावेगी।

पंचायत समिति मंडोर में नये विषय खोलना

421. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उस क्षेत्र की एक माध्यमिक विद्यालय में एक नया विषय खोला गया है ? अगर हां, तो सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नया विषय नहीं खोलने के क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सूरसागर क्षेत्र सुरक्षित है, तथा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और जहां की पंचायत समिति, मंडोर ने नए विषय खोलने बाबत प्रस्ताव विभाग को भेजा तथा क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी कई बार मांग करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में नया विषय नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार अब सूरसागर क्षेत्र की मांग पूरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये विषय विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खोले हैं।

(2) जी हां। पंचायत समिति, मंडोर तथा क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा नये विषय खोलने के बारे में कोई मांग इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

(3) 1983-84 में नये विषय स्वीकृत करते समय सूरसागर क्षेत्र की मांग पर भी विचार किया जावेगा।

निर्वाचन क्षेत्र केशरीसिंहपुर के गांवों का विद्युतीकरण

422. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार का जिला गंगानगर के निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर (सुरक्षित) के गांव कोनी, रागुका और मलकाना कला का विद्युतीकरण करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जिला श्री गंगानगर के निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर (सुरक्षित) के ग्राम कोनी और मलकाना कला के विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। ग्राम रागुका वर्ष 1971 की जनगणना पुस्तिका में अंकित नहीं है। ग्राम रेणुका (चक 7 डी. कोड नं० 1/2/10) नाम का ग्राम है, जिसे सितम्बर 1981 में विद्युतीकृत किया जा चुका है।

जिला बीकानेर की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में गबन व घोटाले

423. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं ? उनमें से किस किस संस्था को सन् 1980-81 1981-82

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

व 1982-83 में कितनी-कितनी राशि प्राथिक अनुदान स्वरूप व कितनी राशि आंशिक अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दी गई ? कृपया विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार को बीकानेर जिले की कई गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भारी गबन एवं घोटालों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची चिन्ह 'क', 'ख' एवं 'ग' पर संलग्न है। वर्ष 1980-81 एवं 81-82 में दिये गये अनुदान की राशि की विस्तृत सूचना संलग्न है। वर्ष 82-83 में संस्थाओं को वर्ष 81 82 में किये गये अन्तिमीकरण के आधार पर प्रत्येक माह अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 82-83 के अनुदान राशि का अन्तिमीकरण मार्च 83 में किया जाता है जो अब पूर्ण होगा जिससे वर्ष 82-83 की सूचना संलग्न नहीं है।

(2) बीकानेर जिले की एक अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था सार्दूल पुष्करणा उ. मा. विद्यालय बीकानेर के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच अधिकारियों से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। शिकायत की प्रति संलग्न है। चिन्ह ड'

(सूचना व शिकायत के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र अलवर में आशुलिपि का प्रशिक्षण

424. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिन्दी में आशुलिपि के जानकार व्यक्तियों का अभाव है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर के युवकों ने स्थानीय 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान" में हिन्दी भाषा में "आशुलिपि" के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की मांग की है ?

(3) क्या सरकार उक्त बिन्दुओं के आधार पर उक्त विषय का प्रशिक्षण अलवर स्थित संस्थान में, देने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई मांग विचाराधीन नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्यालयों की क्रमोन्नति

325. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा सत्र में कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(श्री जगदीश प्रसाद तिवारी)

क्रमशः उच्च माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये? विद्यालय क्रमोन्नत करने का क्या मापदण्ड था ? कृपया तहसीलवार क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक व उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की नीति तय की थी ? यदि हां, तो इस नीति के अन्तर्गत किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्रवार क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार ने 212 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा 232 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है । विद्यालय की क्रमोन्नति विभिन्न क्षेत्रों की मांग व तकाजे को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

(2) क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) इस प्रकार का विचार था । शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों की सूचनायें विधान सभा क्षेत्रवार संकलित नहीं की जाती हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति पिड़ावा में प्राइमरी स्कूल

426. श्री शोदानसिंह (पिड़ावा): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पंचायत समिति पिड़ावा, मुख्यालय सुनेल, जिला झालावाड़ में कितने प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं ।

(2) उपरोक्त प्राइमरी स्कूल में कितने अध्यापक होने चाहिए व कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं तथा बाकी के अध्यापकों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पिड़ावा, मुख्यालय सुनेल जिला झालावाड़ में 105 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं ।

(2) उपरोक्त 105 प्राथमिक विद्यालयों में 150 अध्यापक कार्यरत हैं तथा नामांकित छात्र संख्या के आधार पर 21 अध्यापकों की कमी प्रतीत होती है । इस कमी को राज्य के वित्तीय साधनों एवं अन्य पंचायत समितियों की अध्यापकों की कमी की तुलनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जावेगा ।

संस्कृत निदेशालय में खरीद में अनियमितता

427. सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या निदेशक संस्कृत शिक्षा ने दिनांक 29-3-80 को लकड़ी की बैंच

(सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज)

सप्लाई करने का कोई आदेश श्री जगदीश प्रसाद मिस्त्री नाहरगढ़ रोड, जयपुर को दिया ? यदि हां तो कितनी बैंचे, किस साइज की किस दर से कुल कितनी रकम को, कब तक सप्लाई करनी थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री जगदीश प्रसाद मिस्त्री, तत्कालीन संस्कृत निदेशालय श्री राम नारायण चतुर्वेदी के मकान में इनके ही किरायेदार हैं ?

(3) क्या उक्त बैंचे खरीदने हेतु संस्कृत निदेशक ने कोई टेण्डर प्रकाशित करवाये थे ? यदि हां तो किस किस अखबार में किस-किस तिथि को उक्त टेण्डर प्रकाशित हुए ?

(4) कुल कितने टेण्डर आये व किस-किस फर्म के ?

(5) क्या यह सही है कि श्री जगदीश प्रसाद मिस्त्री की फर्म का माल सप्लाई करने और उक्त सप्लाई का भुगतान लेने तक भी वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत नहीं थी ?

(6) श्री जगदीश प्रसाद मिस्त्री ने माल कब सप्लाई किया ? उसे भुगतान कब हुआ और उसके भुगतान का किसने सत्यापन किया ?

(7) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि उक्त बैंचों का मूल्य बाजार मूल्य से कई गुणा अधिक था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(उत्तर)

(1) जी हां, 50 लकड़ी की बैंच साईज 6×15″×16″ दर 175/- प्रति बैंच की दर से 8750/- की बैंच खरीदी गई जिसकी सप्लाई 31-3-80 को कर दी गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। समयाभाव के कारण सीमित प्रणाली अपना कर न्यूनतम दर पर खरीद की गई थी।

(4) निम्नलिखित तीन फर्मों से दरें प्राप्त हुई:

1. श्री नत्थूलाल मिस्त्री जगन्नाथ जी की गल्ली, नाहरगढ़ रोड, जयपुर।
2. श्री जगदीश प्रसाद मिस्त्री, नाहरगढ़ रोड, जयपुर।
3. श्री जगदीश फर्नीचर वर्क्स चांदपोल बाजार, जयपुर।

(5) जी हां।

(6) माल समय पर सप्लाई हो चुका था। तथा श्री जगदीश प्रसाद को दि. 31-8-80 को भुगतान कर दिया गया था जिसका सत्यापन निदेशक द्वारा दिया गया।

(7) जी हां। शिकायतों की जांच मुख्य अधिकारी, राज० जयपुर से कराई गई थी जिसमें बैंच मूल्य बाजार भाव से अधिक होने का कोई आक्षेप नहीं बताया है।

संस्कृत शिक्षा निदेशालय में प्रतिनियुक्ति के मामले

428 सैयद मोहम्मद अय्याज महाराज (मसूदा): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) संस्कृत शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार, जयपुर तथा समान परीक्षा योजना केन्द्र, जयपुर में विगत तीन वर्षों में किन किन व्यक्तियों को किस-किस कार्य से कब से कब तक प्रतिनियुक्ति पर रखा गया और उन्हें इस निमित्त कितना-कितना टी.ए., डी.ए., दिया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन निदेशक श्री रामनारायण चतुर्वेदी ने अपने निजी कार्य से अपने लोगों को अनावश्यक रूप से प्रतिनियुक्ति पर दिखा कर राज्य कोष को हानि पहुंचाई है ? यदि हां तो क्या सरकार इस मामले की विस्तृत जांच कर भू. पू. निदेशक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। टी. ए. डी. ए. की सूचना एकत्र की जा रही है।

(2) प्रतिनियुक्ति विभाग के द्वारा की गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

विभिन्न जिलों में अकाल राहत के तहत श्रमिकों को रोजगार

470. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य के कई हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने 31 जनवरी, 1983 को विभिन्न जिलों में अकाल राहत के तहत कितने-कितने श्रमिकों को रोजगार देने हेतु स्वीकृति दी और कितने-कितने मजदूर उस दिन तक कार्यरत थे ?

(2) क्या सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में श्रमिकों की स्वीकृति से कम को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे और अब स्वीकृत संख्या में श्रमिकों को रोजगार कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि इस वर्ष राज्य के कई हिस्सों में अभावस्थिति व्याप्त है जहां तक जनवरी, 1983 फरवरी, 1983 महीनों का सम्बन्ध है, इसके लिये जिलेवार

Page No 37

(07)

(अकाल सहायता मंत्री)

निर्धारित अधिकतम श्रम संख्या एवं इन महीनों के अन्त में कार्यरत श्रमिकों की संख्या निम्न प्रकार है:—

		माह जनवरी, 1983		माह फरवरी, 1983	
क्र. सं.	नाम जिला	निर्धारित अधिकतम श्रम सं.	महीने के अन्त में कार्यरत श्रम संख्या	निर्धारित अधिकतम श्रम संख्या	महीने के अन्त में कार्यरत श्रम संख्या
1.	अजमेर	15000	4984	25000	16376
2.	अलवर	2000	—	3000	—
3.	बांसवाड़ा	8000	5448	20000	19789
4.	बाड़मेर	25000	5862	35000	37100
5.	भरतपुर	—	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	19000	17216	28000	27832
7	बीकानेर	2000	—	3000	556
8	बून्दी	2000	—	4000	916
9.	चित्तौड़गढ़	15000	1074	25000	17357
10.	चूरू	1000	—	3000	691
11.	धौलपुर	1000	—	2000	—
12.	डूंगरपुर	8000	5253	13000	11996
13.	गंगानगर	-	—	2000	—
14.	जयपुर	5000	419	10000	1833
15.	जैसलमेर	4000	1857	4000	2029
16.	जालौर	5000	2963	8000	4190
17.	झालावाड़	2000	—	3000	1128
18	झुन्झुनू	2000	—	3000	—
19	जोधपुर	20000	6036	30000	25719
20	कोटा	2000	—	3000	—
21	नागौर	2000	—	3000	439
22	पाली	19000	7883	28000	14253
23	स. माधोपुर	—	—	—	—
24	सीकर	1000	—	2000	—
25	सिरोही	10000	2027	15000	6220
26	टोंक	1000	—	4000	475
27	उदयपुर	29000	23903	40000	35868

(अकाल सहायता मंत्री)

(2) जिलेवार अधिकतम श्रम संख्या जो तय की गई उसकी तुलना में कुछ जिलों में कम श्रमिक राहत कार्यों पर लगे हैं। इस कमी के अनेक कारण हैं। राहत कार्यों की स्वीकृति होने के पश्चात उस कार्य को सम्पादित कराने के लिये जिम्मेदार अभिकरण को मौके पर अनेक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तदोपरान्त ही वह कार्य शुरू हो पाता है। इन व्यवस्थाओं के करने में कुछ समय लग जाता है। कई स्थान ऐसे भी हैं, जहां राहत कार्य शुरू करने के उपरान्त भी पर्याप्त संख्या से श्रमिक काम पर नहीं आते। एक कारण यह भी रहा है कि राहत कार्यों के प्रस्ताव जिला राहत सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात निर्धारित सूचना के साथ आने में विलम्ब हुआ है। ऐसे कारणों से श्रमिकों की संख्या में कमी रही है। राहत कार्यों पर निर्धारित संख्या में श्रमिकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिये सरकार ने समुचित व्यवस्था कर दी है।

बाड़मेर जिले में राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें

431. श्री अमीन खां (शिव) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में संवत् 2038 में किये गये राहत कार्यों की बड़े-बड़े ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच चल रही है ?

(2) क्या श्रमिक सहकारी समितियां व छोटे-छोटे ठेकेदार, जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, का भी उक्त समय का भुगतान आज तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार श्रमिक सहकारी समितियों व छोटे-छोटे ठेकेदारों जिन्होंने ग्रेवल परिवहन किया है और जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, को तत्काल भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में सम्वत् 2038 में कराये गये राहत कार्यों में से कुछ के बाबत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जांच की जा रही है।

(2) कुछ ऐसी सहकारी समितियां एवं छोटे ठेकेदारों का भुगतान बाकी रह गया गया था। यह भुगतान राहत कार्यों के लिये क्रेडिट लिमिट उपलब्ध न होने के कारण रुका।

(3) जिन श्रमिक सहकारी समितियां एवं छोटे ठेकेदारों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है उनको भुगतान हेतु अब क्रेडिट लिमिट उपलब्ध करा दी गई है।

जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्य पर लगे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान

432. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में सन् 1980-81 तथा 81-82 के अकाल राहत कार्य पर कार्यरत श्रमिक को कई जगह मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जहां पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं कराया गया है और अब भुगतान कब तक किया जावेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, कुछ भुगतान अभी बकाया है।

(2) बकाया भुगतान की स्थिति वर्षवार एवं अभिकरणवार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विभाग	श्रमिक संख्या	राशि
80–81	सा.नि.विभाग	297	6859.77
	सिंचाई विभाग	7	118.08
	योग —	304	6977.85 पैसे
81–82	सा. नि. विभाग	1190	34927.46
	सिंचाई विभाग	116	4813.45
	वन विभाग	32	1816.25
	योग —	1338	41557.16 पै

जिलाधीश ने सूचित किया है कि बकाया मजदूरी का चुकारा करने के लिये राशि का आहरण करके तहसीलदारों को दे दी गई है एवं वे 31.3.83 तक चुकारा करने की व्यवस्था कर रहे हैं।

बूंदी जिले में अकाल राहत कार्य

433. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला बून्दी में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत किस किस विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य हाथ में लिए गये हैं और यह कब से कहां-कहां आरम्भ किये गये हैं ? कृपया निर्वाचन क्षेत्र वार सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

बून्दी जिले में अकाल राहत व्यवस्था अन्तर्गत 69 राहत कार्य स्वीकृत किए गये हैं। इन कार्यों में से 30 राहत कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

तहसील	सा. नि. विभाग	सिंचाई विभाग	भू-संरक्षण विभाग	वन विभाग	योग
1. के. पाटन	2	...	—	1	3
2. बूंदी	5	10	1	6	22
3. नैनवा	4	5	3	4	16
4. हिण्डोली	3	8	4	9	24
5. उप तहसील इन्द्रगढ़	3	—	—	1	4
योग —	17	23	8	21	69

26-2-83 तक प्रारम्भ किये गये कार्यों का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सहकारी स्पिनिंग मिल श्री गंगानगर

434. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सहकारी स्पिनिंग मिल श्रीगंगानगर हैडक्वार्टर हनुमानगढ़ के निर्माण में प्रयोग करने हेतु 250 टन स्टील का कोटा अलॉट हुआ था जिसका इस मिल के निर्माण करने वाले ठेकेदार, बी. के. कन्सट्रक्शन्स कं. चण्डीगढ़ के नाम कोटा स्टील कम्पनी कोटा से खरीदने हेतु परमिट सन् 1978-79 में जारी किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह स्टील कोटा में खरीदा गया और हनुमानगढ़ नहीं पहुंचा कर कोटा में ही ऊंचे दामों में बेच दिया गया ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। रिकार्ड से अभिव्यक्त नहीं होता कि कुल कितने टन स्टील का कोटा स्टील अथोरिटी ने मिल निर्माण के लिए आवंटित किया था। रिकार्ड से जाहिर है कि ठेकेदार को मिल की तरफ से स्टील यार्ड से आवंटित स्टील मिल की तरफ से प्राप्त करने के लिये जितने परमिट पृष्ठांकित किए थे उन पर उसने स्टील यार्ड कोटा तथा जयपुर मे कुल 176.72 टन स्टील जनवरी 80 से जुलाई 80 की अवधि में प्राप्त किया।

(2) स्टील यार्ड कोटा से उठाये गये स्टील का हनुमानगढ़ मिल साइड पर आना नहीं पाया जाता। कोटा में स्टील का क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। इस संबंध में एक जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा की गई है जो कानूनी कार्यवाही हेतु परीक्षणाधीन हैं। अतः इसकी प्रति सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है।

बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में पशु पोषण केन्द्र

435. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पिछले वर्ष जिला बीकानेर जोधपुर, जैसलमेर में कितने पशु पोषण केन्द्र खोले गये ? कृपया प्रत्येक जिले की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु पोषण केन्द्र खोलने का मापदण्ड व आधार क्या है ?

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पशु पर या आहार पर प्रति किलो कितना अनुदान दिया जाता है ?

(4) वर्ष 1982-83 में जिला बीकानेर में सरकार कहां-कहां केन्द्र खोलने का विचार रखती है व कितनी गायों के लिए व्यवस्था हो सकेगी ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राज. नहर उपनिवेशन क्षेत्र में अकाल राहत कार्य न खोलने व अनुदान राशि नहीं देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व जिला जैसलमेर के उपनिवेशन क्षेत्र में कतई सिंचाई नहीं होती है? यदि हां, तो राज्य सरकार किस आधार पर उक्त अकाल पीड़ित उपनिवेशन क्षेत्र में अकाल राहत कार्य न खोलने और अनुदान राशि न देने की सोच रही है? क्या राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी?

उत्तर

(1) पिछले वर्ष जिला बीकानेर में 42, जोधपुर जिले में 104 व जैसलमेर जिले में 70 पशु पोषण केन्द्र चलाये गये थे, जिलों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पशुओं को तय की गई सीमा में पशु पोषण केन्द्र जिलाधीश द्वारा जिले की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए खोले जाते हैं।

(3) पशु पोषण केन्द्र पर राज्य सरकार प्रति पशु प्रतिदिन 1.50 रु. की दर से अनुदान दिया जाता है।

(4) बीकानेर जिले के लिए पशु पोषण केन्द्रों हेतु अधिकतम पशु संख्या 30,000 तय की गई है। इनके लिए स्थान का चयन जिलाधीश के द्वारा होता है।

(5) बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के 128 ग्रामों को दिनांक 8-3-83 को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के लिए राहत व्यवस्था भी की जावेगी।

(6) जहां तक जैसलमेर का सम्बन्ध है, स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति, फतहनगर (उदयपुर) का सत्यापन

436. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि संजीवन सहकारिता क्रय विक्रय समिति फतहनगर का भौतिक सत्यापन हुआ है? यदि हां, तो कब? सत्यापन रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कोई गबन का मामला बनता है? यदि हां, तो क्या और सरकार ने इस सम्बन्ध में किसके विरुद्ध मामला बनाया है?

उत्तर

(1) जी हां। स्टाक का भौतिक सत्यापन 30-6-82 को किया गया। सत्यापन रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर कपड़े तथा खाद में छीजत पाई

(सहकारिता मंत्री)

गई जिसकी राशि सम्बन्धित व्यक्तियों से निम्न प्रकार वसूली कर ली गई है :--

1.	श्री फूलचन्द जैन (कपड़ा शाखा)	377.99
2.	श्री शांतिलाल पामेचा	412.80
		790.79

(रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर

437. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि, जयपुर के उपहार से बेचने के लिये वर्ष 1978 में 6572 किलोग्राम मिर्च खरीदी गई थी, लेकिन उसके बिल्कुल ही घटिया एवं अखाद्य होने से वह क्रय-विक्रय संघ के गोदाम में किराये पर रखदी ?

(2) क्या यह भी सही है कि वह मिर्ची अभी तक गोदाम में ही पड़ी है और वजन में जितनी मिर्ची खरीदने का पुकारा किया गया, उससे बहुत कम है और गोदाम का किराया भी लग रहा है ?

(3) यह मिर्च कितने रुपये की खरीदी गई थी और उस खरीद के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है, तथा उनके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई है तथा मिर्ची का अब क्या करना है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा वर्ष 1978 में 6,937.100 किलोग्राम मिर्च क्रय की गई थी। मिर्च घटिया एवं अखाद्य नहीं थी, वह न ही क्रय-विक्रय संघ के गोदाम में रखी गई।

(2) जी नहीं।

(3) यह मिर्च 42,208.34 को क्रय की कोई थी और मसाला प्लांट में पिसवाई जाकर बिक्री की जा चुकी है। अतः उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता है।

तहसील प्रतापगढ़ में मन्दिरों की कृषि भूमि

438 श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में कितने पंजीकृत सार्वजनिक न्यास व मन्दिर हैं ? मन्दिरों के नाम कृषि भूमि, आवास गृह और दुकानें कितनी कितनी हैं ? सूची मन्दिरवार सदन की मेज पर रखें ?

(2) मन्दिरों की कृषि भूमि के अवैध हस्तान्तरण व अवैध नामान्तरण तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1980 तक किसने कितने किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959,

(देवस्थान मंत्री)

के प्रावधानों के अन्तर्गत 9 मन्दिर व सार्वजनिक प्रन्यास पंजीकृत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ में स्थित पंजीकृत मन्दिरों की कृषि भूमि के अवैध हस्तान्तरणों एवं अवैध नामान्तरणों का एक मामला ध्यान में आया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

परिवहन निगम के वाहन

539. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम के पास कितने वाहन हैं व कितने वाहन सड़क पर चल रहे हैं ?

(2) निगम में प्रति वाहन औसतन कितने कर्मचारी कार्यरत है व राजस्थान के मुकाबले गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र में प्रति वाहन क्या स्थिति है ?

(3) निगम को पिछले 5 वर्षों में वर्षवार कितना-कितना घाटा हुआ ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) निगम के घाटे को पूरा करने के लिए निगम ने क्या कदम उठाये हैं व उनमें निगम को कितनी सफलता मिली है ?

उत्तर

(1) निगम के पास कुल 2284 वाहन हैं। वर्तमान में परिवहन निगम के पास औसतन 2042 बसें प्रतिदिन सड़क पर चल रही हैं।

(2) परिवहन निगम में प्रति वाहन औसतन 8.42 कर्मचारी कार्यरत हैं जिसके मुकाबले गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगमों में प्रति वाहन औसतन कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

गुजरात	9.37
कर्नाटक	8.27
महाराष्ट्र	9.58

(3) निगम को पिछले 5 वर्षों में वर्षवार हुए घाटे की सूची संलग्न है।

(4) घाटे को पूरा करने की दृष्टि से निगम द्वारा निम्न कदम उठाये गये है :

1. भ्रष्ट आचरण के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को निगम सेवा से पृथक कर दिया गया है।

2. अकर्मण्य एवं नियन्त्रण में शिथिल अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं तथा उनकी पदावनति भी की गई है।

2. संचालन में नियमितता लाने, निरस्तीकरण व ब्रेक डाउन्स में कमी लाने एवं यात्रियों को कुशल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगार स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है।

(यातायात मंत्री)

4. टिकट प्रणाली एवं निरीक्षण प्रणाली में पर्याप्त सुधार कर राजस्व मूलक बनाने की दृष्टि से परिवर्तित टिकिट प्रणाली एवं निरीक्षण प्रणाली प्रारम्भ की गई है ।

5 कम आय लाने वाली सेवाओं का क्षेत्रवार यात्रीभार की दृष्टि से सर्वेक्षण कराकर उनकी समय सारिणी तदनुसार परिवर्तित कर आर्थिक बनाया गया है तथा अनार्थिक परिचक्रों को बन्द कर दिया गया है। इसी प्रकार कम आय देने वाले बुकिंग कार्यालयों को बन्द कर उनके स्थान पर बुकिंग एजेन्ट नियुक्त किये जा रहे हैं ।

6. कुछ चुनी हुई द्रुतगामी एवं रात्रि सेवाओं में टिकट बेग रहित परिचालक चलाये जा रहे हैं तथा यात्रियों को केवल रास्ते में पड़ने वाले बुकिंग कार्यालयों से ही टिकट निर्गम किये जा रहे हैं । इसी प्रकार यात्रियों में बुकिंग कार्यालयों से ही टिकट प्राप्त कर वाहनों में बैठने की आदत डाली जा रही है ।

7. लम्बी दूरी की सभी प्रकार की सेवाओं में भी आरक्षण की सुविधा प्रारम्भ को गई है । इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ।

8. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत संचालन की रोकथाम कर निगम राजस्व को बढाने की दृष्टि से पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं निगम द्वारा संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है ।

9. मुख्यालय एवं सम्भाग कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का बंटवारा आवश्यकतानुसार विभिन्न संचालनिक इकाइयों में किया गया है तथा अनावश्यक पदों को समाप्त कर दिया गया है ।

10. डीजल एवं टायर पर किये जा रहे खर्चे को नियन्त्रित किया गया है ।

11. अधिश्रम भत्ते एवं साप्ताहिक विश्राम दिवसों के अनावश्यक भुगतान को नियन्त्रित किया गया है ।

उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 81-82 में निगम को जहां 1103.89 लाख का घाटा हुआ है उसकी तुलना में वर्ष 82-83 में 452.00 लाख का घाटा होने का अनुमान है ।

पाली में निगम का आगार खोलना

440. श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या मुख्य मंत्री ने पाली प्रवास के दौरान पाली में रोडवेज का डिपो खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो पाली में रोडवेज का डिपो कब तक खोल दिया जायेगा ?

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

(2) क्या राज्य सरकार की ऐसी योजना है कि सभी जिला मुख्यालयों से जयपुर के लिये रोडवेज की बसें चलायी जाय ? यदि हां, तो पाली से जयपुर के लिए रोडवेज की बस क्यों नहीं चल रही है ? और अब पाली से जयपुर के लिये रोडवेज की बस कब तक चालू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी। वर्तमान में पाली में पृथक से आगार खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। पाली से प्रारम्भ होने तथा पाली में ही समाप्त होने वाली केवल 7 सेवायें हैं। जब तक 30 सेवायें न हो जायं तब तक पाली में डिपो खोलना अनार्थिक है।

(2) जी हां, यदि जिला मुख्यालय से जयपुर के लिए सीधी बस सेवा को पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध हो। वर्तमान में पाली से जयपुर के लिये निम्न सीधी बस सेवायें उनके सामने अंकित समयानुसार संचालित की जा रही है :—

जयपुर	पाली
0945	1845
पाली	जयपुर
0600	1730

इसके अतिरिक्त निम्न सेवायें पाली होकर जयपुर के लिये संचालित हैं :—

1. सिरोही–पाली–जयपुर	2 सेवायें
2. फालना–पाली–जयपुर	2 सेवायें
3. जालोर–पाली–जयपुर	2 सेवायें
4. आबूरोड़–पाली–जयपुर	2 सेवायें

परिवहन निगम में रिक्त पद

441. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा):– क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में विभिन्न वर्गों में काफी संख्या में रिक्त पद हैं ? यदि हां, तो कब तक इन पदों पर पूर्ति कर दी जायेगी ?

(2) क्या बीकानेर आगार में परिचालकों की नियुक्ति हेतु अक्टूबर 1979 में चयन समिति द्वारा परिचालकों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त चयनित परिचालकों को अभी तक नियुक्तियां नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। काफी संख्या में रिक्त पद न होकर केवल 3–4 प्रतिशत पद ही रिक्त हैं। निगम समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए पद भरने या खाली रखने का निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

(2) जी हां वांछित सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। चयनित परिचालकों को नियुक्तियां दी जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।

नीम का थाना में आवासीय योजना

442. श्री मोहनलाल मोदी : (नीम का थाना) क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री मोहन लाल मोदी)

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नीम का थाना में किस-किस वर्ग के कितने आवासीय मकान बनाने की योजना है ?

(2) आवासीय मकान बनाने हेतु कितनी भूमि किस स्थान पर अवाप्त की जावेगी ? क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा स्थान प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां तो क्या खसरा नम्बर व कितना रकबा है ?

(3) क्या मण्डल द्वारा स्वीकृति दे दी गई ? यदि नहीं तो कब तक दे दी जावेगी? कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) अभी नीम का थाना में मकान बनाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। केवल पंजीकरण खोला गया है, जिसके लिए 15 मार्च, 1983 तक आवेदन पत्र लिये जायेंगे। 200 या इससे अधिक पंजीकरण होने के पश्चात इस हेतु भूमि उपलब्ध कर योजना बनाई जावेगी।

(2) 200 या उससे अधिक आवेदकों का पंजीकरण होने पर ही भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जावेगी। नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित स्थान खसरा नम्बर व रकबे का विवरण संलग्न है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 15 मार्च 1983 है। यदि 200 या 200 से अधिक आवेदक पंजीकरण कराते हैं तभी मण्डल द्वारा योजना बनाई जायेगी।

(3) जी नहीं। 200 अथवा इससे अधिक आवेदकों का पंजीकरण होने के पश्चात आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध हो जाने पर योजना स्वीकृत की जावेगी, एवं कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

बांसवाड़ा जिलाधीश द्वारा छात्रों के ज्ञापन पर ली गई कार्यवाही

443. श्री यदुनाथसिंह (नदबई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों ने दिनांक 10 फरवरी, 1983 को प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश को एक 25 सूत्री ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा पुलिस के सी. आई. के विरुद्ध भी आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्रों ने जाली बिल बनाने के आरोप भी वार्डन पर लगायें हैं ? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन आदिवासी छात्रों की लगातार मांगों के प्रति उदासीन है ? यदि हां, तो भविष्य में क्या इसकी पुनरावृत्ति रोकने का सरकार का विचार है ?

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, ज्ञापन की प्रति संलग्न है। इनमें प्रथम 5 मांगें समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित हैं जिन पर बिन्दुवार टिप्पणी निम्न प्रकार है :—

(1) राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास के संचालन के लिए दिनांक 1-2-82 से नये नियम लागू किये गये हैं। जिसमें छात्रों की मैस समिति बनाकर, भोजन, नाश्ता, बिजली-पानी, वस्त्र, बाल कटाई, साबुन तेल, जूते आदि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये 100 रुपया प्रति माह एवं कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए 106 रुपया प्रति माह प्रति छात्र के हिसाब से राजकीय अनुदान मैस समिति के खाते में अग्रिम रूप से जमा करा दिये जाते हैं और छात्रों द्वारा ही इन चीजों की व्यवस्था की जाती है। कम्बल, गद्दे, चद्दर दरियां आदि छात्रों को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। उससे अधिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

(2) जिन वार्डरों के जाली हस्ताक्षर करके बिल पास कराने के मामले सामने आयेंगे उन पर अवश्य नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी बांसवाड़ा से भी रिपोर्ट मांगी गई है।

(3) छात्रावासों में अधीक्षक के पद पर प्रधानाध्यापक को अंशकालीन रूप से रखा गया है ताकि वे छात्रों को अनुशासन में रखने में अधिक प्रभावशील हो सकते हैं और छात्रों की शालाओं में उपस्थिति भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

(4) छात्रावासों में और अधिक छात्र बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यय हेतु प्रावधान उपलब्ध नहीं है अतः ऐसा किया जाना संभव नहीं है। पूर्व में छात्रों पर जो व्यय होता था उसमें इसी वर्ष 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है अतः और अधिक व्ययभार वहन करना संभव नहीं है।

(5) छात्रों के राशन पर व्यय होने वाली राशि, जो पूर्व में कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए 80) रुपया प्रति माह तथा कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए 85) रुपया प्रति माह थी, में इसी वर्ष 25 प्रतिशत वृद्धि कर क्रमशः 100) रुपया व 106) रुपया की गई है अतः इससे अधिक करना संभव नहीं है।

(6) छात्र वृद्धि प्रति माह किये जाने में अनेक कठिनाइयां हैं जिन पर तथा अन्य मांगों पर विचार तथा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) छात्रों ने मांग-पत्र में जाली बिल बनाने का आरोप किसी विशेष वार्डन पर नहीं लगाया है। उनसे इस बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(4) जिला प्रशासन को छात्रों की मांगों पर यथा संभव शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं आशा की जाती है कि ऐसे प्रदर्शनों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी।

(ज्ञापन के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

तहसील चौमूं में हरिजन छात्रावास

444. श्री तेजपाल यादव (चौमूं):– क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चौमूं तहसील में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने हरिजन छात्रावास चलाये जा रहे हैं एवं कितने छात्रावास सहायता प्राप्त हैं ? इन छात्रावासों को प्रति वर्ष कितनी सहायता दी जा रही है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील के कालाडेरा, हस्तेड़ा, गोविन्दगढ़ खेजरोली शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख केन्द्रों पर हरिजन छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चौमूं तहसील में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई हरिजन छात्रावास नहीं चलाया जा रहा है। चौमूं में विभाग से अनुदानित नेहरू छात्रावास अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाया जा रहा है। विवरण संलग्न है।

(2) वर्तमान में नये छात्रावासों के लिये प्रावधान न होने के कारण कालाडेरा हस्तेड़ा, गोविन्दगढ़, खेजरोली में कोई छात्रावास खोलने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

जिला टोंक के ग्रामों को सड़क से जोड़ने की योजना

445 श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ने सम्पर्क सड़कें बनाने आदि के लिये योजना विभाग के निर्देश एवं जन प्रतिनिधियों की सलाह से पांच वर्ष के लिए एक योजना तैयार की गई थी यदि हां, तो कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) योजनानुसार प्रत्येक वर्ष में कितना कितना कार्य करना प्रस्तावित था एवं वर्ष 1982-83 तक विभाग ने कौन से कार्य कौन-कौन से वर्ष में पूर्ण किये और इसमें कितनी-कितनी राशि खर्च हुई ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कार्य स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हुआ एवं कार्य समयानुसार भी नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? और इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1,2 एवं 3) इस योजना को अभी अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता।

टोंक में विभिन्न कार्यों पर व्यय

446. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड टोंक में सन् 1980-81, 1981-82, 1982-83 में सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत अथवा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निर्माण कार्य के लिए, प्रत्येक वर्ष एवं प्रत्येक कार्य के लिए, किस-किस कार्य का कितना कितना भुगतान किया गया ? कृपया किये गये भुगतान का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना (प्रपत्र क') सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

बीकानेर स्थित कचहरी में सफेदी एव पंखे की व्यवस्था

447. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश बीकानेर ने कचहरी स्थित हवालातों में सफेदी व पंखे की व्यवस्था करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता नगर खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखा था ? इन हवालातों में कब से सफेदी नहीं की गई है ?

(2) क्या विभाग ने सफेदी व पंखों की व्यवस्था हवालातों में कर दी है ? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1 एवं 2) जी हां हवालातों में सफेदी करीब दो वर्षों पहले की गई थी और दुबारा अभी करा दी गई है। पंखों की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग द्वारा अलग से बजट दिये जाने पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य करवा सकेगा।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री केसरीचन्द बोहरा को 28 फरवरी, 1983 से सत्रावसान तक तथा श्री बिहारीलाल पारीक को 9 मार्च, 1983 से 12 मार्च 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री केसरीचन्द बोहरा, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 28 फरवरी, 1983 से सत्रान्त तक श्री बिहारीलाल पारीक, सदस्य विधान सभा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहने के कारण दिनांक 9 मार्च, 1983 से 12 मार्च 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाये ?

स्वीकृत

(अनुमति प्रदान की गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन ; गत 29 जनवरी को

(श्री अध्यक्ष)

झालावाड़ जिले के ग्राम छोटी बकानी में मोहनबाई नामक एक महिला की उसके पति द्वारा की गई कथित हत्या के विषय में।

(2) **श्री देवीसिंह भाटी** : राजस्थान मुख्य नहर आर.डी 837 व आर.डी. 5 पर अधिशासी अभियन्ता की मिलीभगत से स्पेसिफिकेशन से विरुद्ध कच्ची पीली टाइल्स लगाने के विषय में।

(3) **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी**: जैसलमेर व बाड़मेर जिले में 3000 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय मरू उद्यान की स्थापना से तार–बन्दी करने से सम्बन्धित गांवो के 3 लाख से अधिक पशुधन की चराई आदि की समस्याओं के बारे में।

(4) **श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया** : जिला सवाई माधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट बनने से उसके आसपास पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए चराई और पीने के पानी वाले क्षेत्र में जाने से रोक लगाने के विषय में।

(5) **श्री दाउदयाल जोशी** : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अनुबन्धित बस मालिकों द्वारा गत 10 दिन से किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

(6) **श्री महाराम चौधरी** : रामदेव पशु मेला, नागौर की इस वर्ष तिथियां निर्धारित नहीं होने से उत्पन्न अनिश्चितता के के विषय में।

(7) **श्री भगवानदास शास्त्री** : अजमेर केन्द्रीय रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने सरकारी जमीन पर दुकानों के अवैध निर्माण कार्य के विषय में।

(8) **सर्व श्री कमलेन्द्रसिंह व रामकंवार बैरवा** : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी बिहार, भरतपुर में ' उत्सव " नामक फिल्म की सूटिंग के कारण हाथी, घोड़े, बेल आदि इस क्षेत्र मे घूमने से पक्षी बिहार को क्षति होने के विषय में।

(9) **श्री बन्सीलाल पटवा** : भीलवाड़ा तहसील के कुछ पंचायत मुख्यालयों पर टंकियां बनने के बावजूद पेयजल के लिये नियमानुसार पाइप लाइन न देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मिलिट्री एरिया, बीकानेर में गत 8 मार्च को मंजू पत्नी श्री रामनाथ हरिजन की सन्देहास्पद मृत्यु के विषय में।

(11) **सर्व श्री रघुवीर सिंह कौशल, वीरेन्द्र प्रतापसिंह, जीतमल जैन** : जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुरलीपुरा व विद्याधर नगर में बनाये गये मकानों की कीमत पूर्व निर्धारित शर्तों के विपरीत अधिक वसूल किये जाने के विषय में।

(12) **श्री रंगजी मीणा** : ग्राम पंचायत नागल जैसा बोहरा, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर में अनधिकृत रूप से आबादी भूमि के विक्रय के बारे में।

(13) **श्री रामकिशोर मीणा** : ग्राम महरवा तहसील टोडाभीम के 200 काश्तकारों, जो 1952 से जमीन जोतते आ रहे थे, का गत जून में आवंटन रद्द करके अन्य को आवंटित किये जाने के विषय में।

(14) **श्री गुलाबचन्द कटारिया**: उदयपुर नगर में पेयजल की गम्भीर समस्या के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) डा. उजला अरोड़ा: गत 25 फरवरी को शास्त्रीनगर थाना जयपुर के रामकिशन खण्डेलवाल नामक व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई करने के विषय में।

(16) सर्व श्री चाव खां, यदुनाथसिंह व राजबहादुर: नगरपालिका कामां के गत चुनावों में विजयी उम्मीदवार द्वारा गत 5 मार्च को चुनाव याचिका करने वाले एक व्यक्ति पर कातिलाना हमला करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अथवा व्यक्तिगत या अस्पष्ट हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन पर चर्चा की अनुमति भी नहीं होगी।

(17) श्री हरीश शर्मा: रामगंज तहसील क्षेत्र में अकाल राहत कार्य नहीं खोले जाने के विषय में।

(18) श्री छीतरलाल आर्य: ग्राम खुरी निर्वाचन क्षेत्र अटरू में चोरी के आरोप में पकड़े गये एक सरपंच को निलम्बित करने की मांग।

यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है।

(19) श्री मेघराज तावड़: उदयपुर जिले के बेकरिया थाने के अन्तर्गत केलसाइड की खानों के कर्मचारी की खान मालिक की ट्रक दुर्घटना से हुई मृत्यु के विषय में।

(20) श्री हीरालाल आर्य-कोटा के महात्मा गांधी स्कूल में वाणिज्य व अन्य विषयों के अध्यापक न होने के विषय में।

अन्तिम दो प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(21) श्रीमती विद्या पाठक: राज्य के विधि मन्त्री द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति को सूफिज्म के नव निर्मित प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 12.1.83 को एक व्यक्ति के पक्ष में सिफारिशी पत्र लिखने के विषय में।

इस प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया कि उक्त सिफारिशी पत्र किसी चयन समिति द्वारा चयन करने हेतु लिखा गया है। अतः यह प्रस्ताव अस्पष्ट है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो गई है:—

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: (1) जोधपुर में अवाप्त की गई एक भूमि पर पेट्रोल पम्प लगाने के विषय में।

(2) कोटा ताप परियोजना में गत 23 फरवरी को हुई दुर्घटना के विषय में।

(2) श्री छीतरलाल आर्य: निर्वाचन क्षेत्र अटरू के कुछ गांवों में गत 18 फरवरी को नहर बन्द कर देने से गेहूं की फसलों को होने वाली क्षति के विषय में।

(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी: इण्डस्ट्रियल अरबन को-आपरेटिव बैंक सीकर के

(श्री अध्यक्ष)

संचालक मण्डल द्वारा धन के दुरुपयोग व घोटाले होने के विषय में।

(4) सुश्री पुष्पा जैन– जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ गांवों की भूमि को फायरिंग रेन्ज के लिये अवाप्त किये जाने के विषय में।

(5) श्री समर्थलाल– ग्राम सीरनवास रौंध तहसील अलवर के अनुसूचित जातियों व बावरियों की जमीन अन्य लोगों द्वारा छीन लिये जाने के विषय में।

(6) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया– ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील शेरपुर, जिला सवाई माधोपुर में भूमिहीनों को आवंटित किये गये खसरा नम्बर 50 को कैन्सल करके एक व्यक्ति को आवंटित कर देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और व्यवस्था बाद में दी जावेगी।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं जैसी कि हमेशा से इस सदन की परम्परा रही है, जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारूं वह दो-दो मिनट अपनी बात सदन में सरकार के समक्ष रख सकते हैं।

आज ऐसा कोई भी स्थगन प्रस्ताव नहीं है जिसे मैंने अस्वीकृत किया हो। सरकार से जानकारी लेने के पश्चात् अथवा जो आज ही स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनको मैंने ऐसा नहीं माना है कि माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की इजाजत दी जाय। इसलिये इस विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : आन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं पहला तो फतेहपुर, जो कि मेरा चुनाव क्षेत्र है, में बच्चों को प्राइवेट बसों में कन्सेशन नहीं देने के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी मंगा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैंने कल ही आपको अर्ज कर दिया था।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर हालत बहुत खराब है। मुकदमे हो गये हैं, लड़ाई की नौबत आ गयी है।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है। कोटा में जे. के. सिन्थेटिक्स में पांच हजार मजदूरों को बेदखल कर दिया गया है, छंटनी कर दी गयी है, इसलिये मुकम्मिल हड़ताल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मंगायी है। मैं ताकीद करके जल्दी ही मंगा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने जानकारी मांगी है।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, आप जानकारी मंगा रहे हैं और वहां वह आदमी

(श्री चाव खां)

मरने को पड़ा हुआ है। भरतपुर अस्पताल मे भर्ती है। सरकार उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी। आर्डर आर्डर। जानकारी मांगी है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है मेरे क्षेत्र में अकाल राहत कार्यो के खोलने के बारे में। मेरे क्षेत्र में केवल एक गांव को छोड़कर दस गांवों में अकाल पड़ा हुआ है। वहां पर कोई अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। एक गांव सहारानपुर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आप अकाल राहत की मांग पर जब सदन में बहस हो तब उठा सकते हैं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय वहां पर 80 प्रतिशत लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया चुप रहें। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैंने जानकारी मांगी है। कोई पूर्वाग्रह नहीं है। आप कहें तो जानकारी मंगा लूं।

श्री हरीश शर्मा : हां जानकारी मंगा लें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। उसके लिये मैं आपसे कई बार आपके चैम्बर में भी मिल चुका हूं। पिछले 24 तारीख का स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। नोखा थाने में लोगों को खुले आम पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, आज भी पुलिस उन लोगों के पीछे लगी हुई है। यह 24 तारीख का दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आज ताकीद कर रहा हूं वापस इसके लिये। मैं जानकारी मंगा रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था उस पर मैं तो यह व्यवस्था चाहता हूं कि बेकरिया थाने के अन्तर्गत खान के कर्मचारी की जो मृत्यु हो गयी है उसके बारे में सण्डे एक्सप्रेस में आया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने उस पर जानकारी मांगी है। मैंने व्यवस्था दी है कि मैंने जानकारी मांगी है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया....

श्री अध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था तो मैं ताकीद कर रहा हूं। आप कल भी पधारे थे मेरे पास। मैंने उनको लिख दिया है।

(व्यवधान)

श्री चांद खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, कामां में मृत्यु होने वाली है। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं आ रहा है। कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप तो नियमों से परिचित हैं। स्थगन प्रस्तावों के संबंध में जानकारी के लिये आप मुझे अलग से मिलने का कष्ट करें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जानकारी सभी का है। आपको भी है और मन्त्रीजी को भी हो चुकी है, उसके बाद भी आप कौनसी जानकारी चाहते हैं। आप मुझे दो मिनट के लिये एक पत्र पढ़ने की परमिशन दे दें।

श्री अध्यक्ष : किस पर।

श्रीमती विद्या पाठक : यह पत्र जो विधि मन्त्रीजी ने दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह पत्र जो आप फर्मा रही हैं, मैंने अर्ज किया ना कि कोई भी सुझाव कोई मन्त्री या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा कोई साधारण व्यक्ति किसी को भी किसी पोस्ट के लिये दे सकता है। हां, यदि यह कहना है कि कोई चयन समिति बन गयी है, चयन समिति बैठ गयी है, इन्टरव्यू की तारीख चयन के लिये तय की गयी है, चयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है उस समय अगर लिखा हो तो आप बता दें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, समिति बन गयी है, चयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। यह वह पत्र है जो मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इसे पढ़ने की परमिशन नहीं दूंगा। माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के एक मन्त्री ने जो पत्र लिखा वह तो अखबारों में आया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हरएक ही पत्र लिख कर दे सकता है। आप मुझे वह पत्र बता दें। वैसे पत्र तो कोई भी लिख सकता है। अलग-अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे चयन समिति बन गयी हो, पोस्ट एडवरटाइज हो गयी हो और लोगों को चयन समिति द्वारा लेना शुरू हो गया हो, उस समय आपने किसी उपयोगी व्यक्ति के लिये सुफिज्म के विषय में लिखा हो।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय चयन समिति बन गयी है, चयन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है उसके लिये रिकमण्डेटरी लैटर लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष : उसमें कोई तारीख मुकर्रर हुई है क्या ?

श्रीमती विद्या पाठक : जी हां। अध्यक्ष महोदय, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका अगर पत्र पढ़ने का इरादा है तो उसको पढ़ने की परमिशन मैं आपको नहीं दूंगा। हां, अगर कोई तारीख निश्चित हुई हो चयन के लिये तो बात अलग है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जो हां, कमेटी बन गई है। चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आप मुझे उस पत्र को पढ़ कर सुनाने की परमिशन दें तो मैं उस को पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पत्र पढ़ कर सुनाने की परमिशन नहीं दूंगा। आप इस विषय को किसी अन्य तरीके से इस सदन में उठा सकती हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, वह कौनसा अन्य तरीका है। मैंने अल्पावधि का प्रश्न दिया आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने जब स्थगन प्रस्ताव दिया तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। यह तो बहुत ही अन्याय है हमारे साथ।

श्री अध्यक्ष : माननीन सदस्या, मैंने लिखा है कि प्रस्ताव अस्पष्ट है। यदि कोई चयन हो रहा हो, समिति की बैठक हो रही हो, तारीख निश्चित हो गई हो, इन्टरव्यू होने लगे हों, उस वक्त कोई पत्र लिखा गया हो तो बात अलग है वरना तो राज्य सरकार के हित में भी व्यक्ति राज्य सरकार को सुझाव दे सकता है। मैं कह सकता हूं कि फलां नियुक्ति के लिए फलां व्यक्ति उपयोगी है। चयन के लिए आवेदन पत्र दिया हो और चयन की प्रक्रिया चालू हो गई हो उसके पश्चात बात हो, मैं मानता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय चयन प्रक्रिया चालू हो गई है। मुझे आप एक मिनट पत्र पढ़ने की परमिशन दें। इसमें लिखा है :

"One chair for the suphism has been created and the post has been advertised in response of which one Mr. Shamishamsi Tehrani has applied for the post....'

प्रक्रिया चालू हो गई है। इसके लिए समिति बनी है और पोस्ट एडवरटाइज हो गई है। संबंधित जगह भरने वाली है। उसके लिए उप कुलपति को राज्य का मन्त्री, वह भी उस विषय का मन्त्री नहीं है, शिक्षा मन्त्री नहीं, पत्र लिखे केन्द्रीय सरकार के मन्त्री के पत्र अखबारों में आया हो चुकने के बाद भी और शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं समझे तो....

श्री अध्यक्ष : पहले आप मुझे वह पत्र दे दें। मैं पढ़ लूंगा, बाद में बता दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : आप जोर से पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, पहले मैं पढ़ लूं। आप मुझे बता दीजिये पहले। आज बता दें। आप को मैं चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पत्र पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। आप मुझे परमिशन दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप पहले मुझे बता दें।

श्रीमती विद्या पाठक : अभी।

श्री अध्यक्ष : हां, पहले मुझे पढ़ने दें। मैं आपको पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जो पत्र अखबारों तक में छप जाते हैं उनको पढ़ने की आप परमिशन क्यों नहीं देते हैं।

Page No 56

(87)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): आप पत्र पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : पहले मैं पढ़ लेता हूं अपनी जानकारी के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आप जोर-जोर से पढ़ दीजिये। हम सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं तो पहले मेरी जानकारी के लिये पढ़ लेता हूं। मैं आपको सदन में पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी व्यवस्था है। यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मेरी यह अर्ज है. माननीय सदस्या मैं किसी के लिये भी सुझाव के रूप में कह सकता हूं कि फलां व्यक्ति उपयोगी हो सकता है। ऐसा लिखा है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी व पी. एस. सी. के लिये रिकमन्डेशन की जाय आटोनोमस बाडी में रिकमन्डेशन हो, चदन के लिए रिकमन्डेशन हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या मैं आपको इस विषय पर चर्चा के लिए अलाउ नहीं करूंगा। आप मुझसे अलग से मिल लें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं आप से मिल चुकी हूं। आपको बता चुकी हूं। मैंने आपको अल्पावधि का प्रश्न दिया आपने मुझे अलाउ नहीं किया। अब आप मुझे इस पर भी अलाउ नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो मैं इसको अब पेंडिंग रखता हूं। आप मुझे वह पत्र बता दें अलग से।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरु) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस (आई) का सरपंच है श्री राजाराम वर्मा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। चर्चा नहीं होगी।

श्री छीतरलाल आर्य : ... 3 महीने का कठिन कारावास भोगा हुआ है जिसके ऊपर 200 रुपये का आर्थिक दण्ड मिला है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य यह एक व्यक्ति का प्रश्न है। व्यक्तिगत प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ! इसका भी कायदा है। यदि उसकी सजा हुई है ..

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री छीतरलाल आर्य : x x x

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! व्यक्तिगत प्रश्न है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर। माननीय अध्यक्ष

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरीश शर्मा)

महोदय, कोटा में परिक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं और विद्यार्थियों को मकान मालिकों ने मकान से बाहर निकाल दिया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विचारणीय प्रश्न नहीं है आज का। आर्डर, आर्डर!

श्री हरीश शर्मा : यह बहुत इम्पार्टेन्ट पाइन्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय। छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। न मकान है रहने का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज! यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर! माननीय सदस्य, कोई कठिनाई पैदा हो जाये, किसी के सगीन बीमारी हो जाये, बहुत बीमार है, बस में जगह नहीं मिल रही है, विद्यार्थी जा रहे हैं यह सब विषय ऐसे है ....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर! श्री ललित किशोर चतुर्वेदी कुछ कहना चाहते हैं!

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नैनवा नगर में 6 दिन से हड़ताल चल रही है। कुछ लोगों को खाने-पीने के लिए नहीं मिल रहा है। रात को कर्फ्यू लगा हुआ है और दिन में 144 धारा लगी हुई है। राज्य सरकार वक्तव्य नहीं देती। खुद मंत्री महोदय कहें, यह करते क्या हैं? वहां तनाव पैदा हो रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है....

श्री अध्यक्ष : उस तनाव को यदि आप समाप्त करें तो अच्छा रहेगा। उस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लोग गांव छोड़ कर जा रहे हैं। 6 दिनों से वहां हड़ताल है।

श्री हरीश शर्मा : यह सरकार स्वयं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समय न लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय स्वयं होकर आये हैं, गृह राज्य मंत्री स्वयं होकर आये हैं और हम सारी स्थिति देख कर आये हैं 6 दिन से हड़ताल हो जाये खाने के लिए और पीने के लिए लोगों को मिले नहीं, जरूरत की चीजें मुहैय्या नहीं हों फिर भी राज्य सरकार सारी स्थिति का जायजा न ले और वक्तव्य न दे, यह उचित नहीं है। उनको वक्तव्य देना चाहिए ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं हों। यह आज का विषय नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : पर्सनल इनफार्मेशन का प्रश्न नहीं है। पहले रूल बताओ।

श्री मेघराज तावड़ : पर्सनल नहीं है। पाइन्ट आफ इनफार्मेशन यह है, मुझे सुन लीजिए पहले, अभी अखबारों में हमने पढ़ा कि श्री दीपेन्द्रसिंह जी ने सदन के माननीय नेता को एक प्रस्ताव दिया, जो सातवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन चल रहा है उसकी सफलता के लिए हाउस में एक प्रस्ताव लाया जाये। तो क्या सदन के नेता की ओर से कोई ऐसा सदन में प्रस्ताव आया है ? नहीं आया है तो उनका क्या मन्तव्य है ? यह हमारी सीमाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, और गुट निरपेक्ष सम्मेलन और निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए आवश्यक है कि सदन में इन्फार्मेशन आये और प्रस्ताव पास कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव आया है नहीं। मेरे भी कान में यह भनक पड़ी थी। शायद वह अलग अलग दलों के नेताओं से कुछ बात करना चाहते हैं। यह ऐसी बात है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री मेघराज तावड़ : कांग्रेस के 30 विधायकों ने लिख कर दिया है इसके बारे में। मेरे पास आया है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास आया होगा गलती से। मेरे पास नहीं आया है।

श्री मेघराज तावड़ : यह अखबारों में आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मैं, समझ गया आपकी बात। मुझे भी मालूम पड़ गया था, मैंने बात की है।

श्री वित्त मंत्रीजी !

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में करीब 35 माननीय सदस्यों ने इस बजट की जनरल डिबेट में भाग लिया है। इसमें कई माननीय सदस्यों ने जहां बजट की तारीफ की है वहीं कुछ माननीय सदस्यों ने इस बजट को एक संतुलित बजट नहीं बताया। इसको एक झूठ का पुलन्दा बताया, एक दिशाहीन बजट बताया और कई तरह की इसके बारे में चर्चा उठाई है। मैं उन माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस बजट को अच्छा बताया, को अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसको दिशाविहीन बजट बताया है या झूठ का पुलन्दा बताया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दिशाविहीन बजट कतई नहीं है। हमारे बजट की दिशा तो जब योजना बनती है उसी वक्त निर्धारित कर दी जाती है। जब छठी पंचवर्षीय योजना बनी जो भारत की सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई और पास की गई उसकी भूमिका में ही इस बजट के उद्देश्यों के बारे में और इस बजट की दिशाओं के बारे में वर्णन है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान छठी पंचवर्षीय योजना की भूमिका की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। जिसमें यह उल्लेख किया गया :

"Meaningful solutions to the problems of poverty under employment and unemployment can only be found within the frame

(59)

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

work of a rapidly expanding economy. To that end every effort will have to be made to achieve the plan growth, rate of 5.2 percent in the 6th plan. We recognise however that even this rate of growth will have to be supplemented by more direct means of reducing the incidence of poverty especially in the rural areas. Programmes of direct Productivity benefits to the poor involving the transfer of assets, the provision of inputs credit, training and services, the generation of wage employment to the national rural employment programme and the provisions of social sciences to the minimum needs other programmes will be drawn together so that the focus of level of individual house hold can raise atleast three thousand poorest household above poverty line in each block during the plan". मेरा निवेदन करना यह है कि इसी उद्देश्य से हमारी योजनाएं बनती हैं। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार की योजनाएं बनती हैं और इसी उद्देश्य से उस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाता है, जो पंचवर्षीय योजनाओं के शुरू होने के पहले निर्धारित कर दिया जाता है। मैंने अपने बजट भाषण में भी, अध्यक्ष महोदय, यही स्पष्ट निवेदन किया है। पैराग्राफ 13 पर है:—

13. वर्ष 1983-84 की योजना में विद्युत एवं सिंचाई के क्षेत्र में बुनियादी विकास को दी जाने वाली प्राथमिकता को कायम रखने के साथ साथ सामाजिक सेवाओं के हिस्से को भी बढ़ाया गया है। इससे अधिकाधिक जन संख्या को विकास का लाभ मिल सकेगा। गरीबी की रेखा से नीचे वाले वर्गों के हित में राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने के लिये योजना में अधिक प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि तथा उद्योगों के विकास को भी योजना व्यय में उचित स्थान दिया गया है।

अतः मैंने अपने भाषण में, अध्यक्ष महोदय, पैराग्राफ 60 पर यह निवेदन किया है :—

60. हमारी पार्टी की नीतियों तथा जनता को दिये गये वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का निश्चय दोहराते हुए मैंने अपने बजट प्रस्तावों में इस बात पर अधिकाधिक जोर दिया है कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी विकास की गति को निरन्तर चालू रखा जाये तथा उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये जिनसे राज्य की आर्थिक उन्नति को गतिमान बनाने में सहायता मिले और उसके द्वारा अन्ततोगत्वा समाज के उन वर्गों को लाभ मिले जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)
यह दिशा, माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल स्पष्ट है। उस दिशा के निर्देशन में ही यह सारा का सारा बजट सदन की सेवा में प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को दिशा विहीन बताना, मैं समझता हूं, कहां तक उचित है, यह माननीय सदस्य स्वयं ही देख सकते हैं और जान सकते हैं।

यहां, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि यह बजट एक 'ऐसा बजट है जिसमें सिवाय आमदनी और खर्चे के और कोई आंकड़े नहीं हैं, न इसमें कोई प्रगति है, न इसमें कोई औद्योगिक प्रगति है इससे बेकारी बढ़ेगी। इस बजट को पेश करने से जो आने वाला फाइनेंस कमीशन है उससे हम अपने मामले में सार्थक नहीं हो सकेंगे, ज्यादा रकम नहीं ला सकेंगे। यहां गाडगिल फार्मूले का भी जिक्र किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक फाइनेंस कमीशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस बजट से उस पर कोई भी, किसी तरह से खराब असर नहीं पड़ता है, जहां तक पहले फाइनेंस कमीशनसेवन्थ फाइनेन्स कमीशन में यह चीज आई उस वक्त भी यह बजट घाटे का था, आज यह बजट घाटे का है और फाइनेंस कमीशन तो नीड्स को ध्यान में रखता है पापूलेशन को ध्यान में रखता है, साथ ही साथ प्राडलोभेटिक जो बातें हैं जो हमारी समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखता है और उसी पर चीजें निर्धारित की जाती हैं। इस बजट के ऊपर कोई भी निर्धारण नहीं होता है। न इस बात पर निर्धारण होता है कि हमारा जो बजट है वह घाटे का बजट है या अधिक लाभ का बजट है जिससे कि उसके ऊपर असर पड़े। हर एक, अलग-अलग बातों में जाकर फाइनेंस कमीशन हमारे असिस्टेंस को निर्धारित करता है।

मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, पहले मैं उन बातों के बारे में जिक्र करूंगा कि जो आम तौर पर माननीय सदस्यों ने रखी हैं ताकि सब बातें जो साथ ही आई हैं उनसे माननीय सदस्यों को संतोष हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां जो आम तौर पर माननीय सारे सदस्यों ने अपने बजट भाषणों में जिस चीज का जिक्र किया है उनमें सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा पेयजल के बारे में। पेयजल की समस्या राजस्थान में बहुत दुविधापूर्ण है, मैं इस बात को मानता हूं बहुत ज्यादा कुऐ खोदने की, पानी पिलाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करूंगा कि उनका इस संशय, ग्रामीण क्षेत्र में रकम कम कर दी गई है और शहरी क्षेत्रों के लिये ज्यादा रकम दी गई है, का कोई आधार नहीं है। मैंने तो अपने बजट भाषण में ही जिक्र किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पैराग्राफ 24 मे मैंने स्पष्ट कहा है. शहरी जल प्रदाय योजना पर 11 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 10,60 करोड़ रुपये व्यय होंगे। उसके साथ ही मैंने निवेदन कर दिया था, ग्रामीण जल प्रदाय योजानाओं के लिये भारत सरकार से 20 करोड़ रुपये की और प्राप्तियों की तरफ मैंने संकेत किया है। यह 20 करोड़ रुपये की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये भारत सरकार ने स्वीकृति देने की हमको सूचना दी है। जब यह 20 करोड़ रुपया ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए प्राप्त हो जाता है तो मैं समझता हूं कि शहरी बजटहै जल प्रदाय योजना के मुकाबले ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में दुगने से भी ज्यादा रुपया खर्च किया जायेगा बल्कि

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)

तिगुना रुपया खर्च किया जायेगा। मैं समझता हूं, इसका कोई आधार नहीं कि ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिये कम रुपया दिया गया है।

दूसरा यहां संशय व्यक्त किया गया कि, साहब, आपके डी. पी. ए. पी. में बहुत कम रकम दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी. पी. ए. पी. में 9 जिले, जो पश्चिमी राजस्थान के थे, और चार जिले दूसरे उस डी. पी. ए. पी. में शामिल कर लिये गये इसलिये डी. पी. ए. पी. में उनकी रकम शामिल है। जो भी रकम बाकी बची है दूसरे जिलों के लिए बची है इसलिये इतनी कम रकम दिखती है। वास्तव में डी. पी ए. पी. में शामिल हो जाने के पश्चात यह रकम उतनी ही है जितनी कि पहले थी बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि उससे भी ज्यादा रकम प्रोग्राम में खर्च होगी।

वर्ष 1983-84 में मरु विकास कार्यक्रम में 13.80 करोड़ रुपये व्यय होंगे जब कि 1982-83 में मूल अनुमानों में यह राशि 6.40 करोड़ रुपये थी। इसलिये 6 की बजाय 13.80 करोड़ रुपये की जो योजना है वह मरु क्षेत्र की है, उसके बारे में मैं समझता हूं, सारा संशय माननीय सदस्यों का दूर हो जाना चाहिये।

यहां यह भी कहा गया कि हमारी जो प्राथमिकता सिंचाई और विद्युत के बारे में है वास्तविकता यह है कि राजस्थान का अगर विकास हो सकता है तो सिंचाई और विद्युत को हमें प्राथमिकता देनी चाहिये। वह प्राथमिकता हमने दी है। हम सिंचित क्षेत्र को निरन्तर बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। राजस्थान नहर से इस वर्ष में जो सिंचाई बढ़ जायगी उसके साथ-साथ माही बजाज सागर योजना से इस वर्ष सिंचाई होने लग जायेगी। जो कुछ हमने टारगेट रखे हैं, मैं समझता हूं, उसकी पूर्ति हम कर लेंगे। यहां यह भी कहा गया कि, साहब, आपने यह लक्ष्य बहुत ज्यादा बढ़ा कर रख दिये हैं। मैं यह संशय भी माननीय सदस्यों का दूर करना चाहता हूं कि यह राजस्थान केनाल के ऊपर हम बहुत द्रुत गति से काम चला रहे हैं। अभी मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई उन्होंने कहा कि अभी 20 हजार मजदूर वहां पर लगे हुए हैं गधे लगे हुए हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं। हम जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करायेंगे और किसी भी तरह से मैं समझता हूं अगले वर्ष यह योजना पूरी की पूरी हो जायेगी।

यहां यह भी शंका की गई कि हम अपनी छठी पंचवर्षीय योजना को पूरा नहीं कर सकेंगे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। हमारे पास अगले वर्ष में जितना रुपया चाहिये उतना रुपया नहीं होगा। माननीय विपक्ष दल के नेता ने यह भी कहा कि आप तो दिवाला निकाल जाओगे, कोई भी आपके पास पैसा बचने वाला नहीं है, कोई तनख्वाह देने के लिये आपके पैसा बचने बचने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का यह संशय बिल्कुल निराधार है। छठी पंचवर्षीय योजना जैसी निर्धारित है उसी निर्धारित रूप में पूरी की जायेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बात भूल जाते हैं हम कि भाई हम जितना भी कार्यक्रम बनायेंगे उसके लिये जो रिसोर्सेज हैं उन उन रिसोर्सेज में कितनी कमी रहेगी या नहीं रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जितने रिसोर्सेज के लिये कहा

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)

उतने रिसोर्सेज तो हम पूरा करेंगे इसमें कोई शक की बात नहीं। आप इस बात को भूल जाते हैं कि आखिर हमारी आमदनी जो बढ़ती जा रही है हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है हमारे उद्योग बढ़ते हुए चले जा रहे है इस तरह जाकर हम खर्च में कमी करके अपने रिसोर्सेस को पूरा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने संसाधनों को जुटाने के लिये जो प्रयत्न किये हैं उसका बजट भाषण में मैंने जिक्र किया है। जो माननीय सदस्य कहते हैं कि साहब, आपकी इसमें कमिटेड लायबिलिटीज पूरी नहीं होगी। माननीय सदस्यों को यह विदित है कि राजस्थान नहर के साथ-साथ हमने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े किये हैं मूलभूत ढांचा जो है उसका जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उसके कारण संसाधनों में अभिवृद्धि होगी। यह माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की योजना का आकार पृथक से निश्चित होता है तो कमिटेड लायबिलिटीज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना का आकार निश्चित होता है।

इसलिये यह आशंका करना, मैं समझता हूं, निर्मूल है कि हम अपनी कमीटेड लायबिलिटी को भी पूरा नहीं कर सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपलब्ध कराई गई राशि के सन्दर्भ में हम जो भी राशि निश्चित हैं, उपलब्ध कर सकेंगे और हमारे रिसोर्सेज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने वाली है। आइन्दा साल में जितने रिसोर्सेज की पोजीशन है, उस पोजीशन को हम ठीक कर लेंगे। अभी हमारे पास एक वर्ष का समय बाकी है। यह वर्ष जा रहा है अगला वर्ष है उसमें जो आमदनी के सोर्सेज हैं वे निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। माननीय सदस्य एक तरफ तो यह कहते हैं कि मैंने अपने बजट में कुशन रखकर इस बजट के आंकड़े ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं किये हैं। दूसरी तरफ माननीय सदस्य यह कहते हैं जितने भी खर्चे हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकेंगे। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के कान्ट्राडिक्टरी है। मैं समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि यह तो अपनी अपनी चतुराई है। उस चतुराई को वे खुद भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं इसलिये इस विषय में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छा यही है कि इस चीज को मेरे ऊपर ही छोड़ दिया जाय कि मैं कैसे ये पूरी करता हूं कैसे योजना पूरी होती है, तो हां ज्यादा अच्छा होगा।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : मिली भगत है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हां बिल्कुल। हम और माननीय विरोधी दल के नेता बहुत पुराने सदस्य हैं इस हाउस के और एक दूसरे से ...

(व्यवधान)

अजी साहब, जाने किस-किस से मिले हुए है। इसकी काहे को फिक्र करते हो आप।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मिले हुए हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : अब जाने क्या है मिले हुए हैं या नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या के बारे में भी बहुत चिन्ता प्रकट की गई है। मैं समझता हूं कि उपयुक्त परिस्थिति के अनुसार अकाल की समस्या, जहां तक मजदूरों को लगाने प्रश्न है वह सदन में कई बार आ चुका है। जहां-जहां जितनी आवश्यकता मजदूरों की है वहां वहां आवश्यकतानुसार हमने मजदूरों को लगाया है। जहां पीने के पानी की व्यवस्था का प्रश्न है वहां भी व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं जो सेन्ट्रल टीम आयेगी जितना सेन्ट्रल टीम आकर के जितना भी हमको इसके लिये रूपया देगी वह सारा अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया जायगा इसलिये कोई इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। गत वर्ष के अकाल राहत खर्च में भी अभी कुछ डिस्प्यूट है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह डिस्प्यूट भी भारत सरकार द्वारा जल्दी सुलझा लिया जायगा ताकि हमारी अपनी स्थिति पर अन्तर पडेगा और उससे हमारा घाटा कम हो जायेगा।

रिलीफ वर्क्स मैं समझता हूं सारे जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं उनके लिये मंजूर किये जा चुके हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रिलीफ वर्क्स नहीं चल रहे हों.......

(व्यवधान)

यह मैं समझता हूं माननीय सदस्य की बीकानेर के बारे में शिकायत है तो इसके लिये भी व्यवस्था कर दी गई है।

एक माननीय सदस्य : झालावाड़ में।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : झालावाड़ में सारे मंजूर किये जा चुके हैं। बल्कि काफी मंजूर हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : कोटा जिले में ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर। वित्त मंत्री जी को सुन लीजिये पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण : जयपुर में अभी कार्य शुरू नहीं हुए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां-जहां भी आवश्यकता है उसके अनुसार वहां पर फैमिन वर्क्स खोले जा रहे हैं, खोले जायेंगे। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के किसी भी स्थान पर इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जायेगी कि लोगों को राहत नहीं मिले। जितना भी पैसा हमारे साधनों के अनुरूप और जितना पैसा भारत सरकार से मिलता है वह फैमिन रिलीफ के लिये खर्च किया जायगा। इसमें किसी तरह की शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने शिक्षा के बारे में बहुत जोरदार शब्दों में इस सदन के सम्मुख अपने भाषणों में कहा कि आपने प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के बारे में तो प्रावधान कर दिया लेकिन गर्ल्स सैकण्डरी और गर्ल्स हायर सैकण्डरी के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं रखा, यह बड़ी खराब परिस्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में आज शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को तो पूरा कर दें और जहां

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

बहुत अधिक आवश्यकता है-गत वर्ष भी हमने 210 या 211 हजार सैकेंन्डरी स्कूल खोले भी जिन में कन्या विद्यालय भीहै। और छात्रों के भी है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तीन हजार शिक्षकों का पहले प्रावधान किया गया है और तीन हजार शिक्षकों का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। कुछ हद तक यह हमारे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भी कमी को पूरा करेंगे। मैं समझता हूं गांवों में अभी बहुत आवश्यकता है उच्च प्राथमिक विद्यालय की। इसलिए हमने यह मुनासिब समझा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर ज्यादा जोर दिया जाय। अगर बहुत ही ज्यादा स्थिति होगी किसी स्थान पर तो मैं यह समझता हूं दो-चार-पांच के बारे में विचार कर लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

लेकिन मैं यह मानता हूं कि हम पहले ..

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : ये कहां बरसेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय आवश्यकता बहुत है हमारी। प्रत्येक माननीय सदस्य की यह इच्छा हो सकती है कि उसके यहां ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुले। लेकिन उसके लिए आखिर हमको कुछ माप दण्ड निर्धारित करने पड़ेंगे तो पहले हम यह देखेंगे कि वास्तव पश्चिमी क्षेत्र में जहां पर स्कूल ही नहीं है, बहुत दूर-दूर पर स्कूल है, मैं उम्मीद करता हूं कि अबकी बार जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें से प्राथमिकता के स्वरूप में उन स्थानों पर जहां बहुत जबरदस्त कठिनाइयां हैं, जहां लोग जा नहीं सकते है हम शिक्षा मन्त्री से कहेंगे कि इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो माध्यमिक शिक्षालय है. उच्च प्राथमिक के बजाय माध्यमिक निकल जाता है मेरे मुंह से उच्च प्राथमिक के बारे में भी मैं समझता हूं इस बात की आशा करके चलते है कि ज्यादा उच्च माध्यमिक शिक्षालय अब के कन्याओं के खुले जिससे एक सन्तुलन बनाया जा सके।

(व्यवधान)

उच्च प्राथमिक मिडिल स्कूल। सैकेंडरी स्कूल के लिए मेरा निवेदन करना यह है कि अगर कोई रह गया होगा तभी जाकर एक्सेप्सनली वित्त विभाग उसकी स्वीकृति देगा। वरना आमतौर पर उसकी स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय यहां यह कहा गया है कि डिसपेन्सरी बहुत कम खुली है। अब की बार भारत सरकार ने जो स्कीम बनाई है, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): माननीय वित्त मंत्री जी चिकित्सा के पहले एक-दो कालेज तो देवो। आपने बड़ी

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

उदारता के साथ प्राइमरी, मिडिल स्कूल दिया है, यहां तक कि एक-आध सैकेण्डरी स्कूल दिया है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी मांग है इनकी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया :... तो मैं कहना हूं कि एक-दो कालेज की भी आप मेहरबानी करो तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

एक माननीय सदस्य : बहुत वाजिब मांग है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : रतनगढ़ में खोल दो, साहब, एक कालेज।

(व्यवधान)

पंडित जी, कुछ घोषणा करके पाप धो डालिये।

श्री जय देव प्रसाद इन्दोरिया : माननीय मंत्री महोदय, कुछ जवाब तो दें।

(व्यवधान)

और अगर जवाब नहीं दें तो एक दफा माननीय मंत्री महोदय, मेरी तरफ देखें तो सही।

(व्यवधान)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जब....

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : अब आपको एक-एक विधायक की तरफ देखना पड़ेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा ; यहां हमारी माननीय सदस्या श्रीमती लक्ष्मी कुमारीजी चूण्डावत ने इस बात का जिक्र किया कि हम आई. सी. आर. की ग्राण्ट इस वजह से नहीं ले सकते हैं कि हमारे यहां पर एग्रीकल्चर कालेज नहीं है। हम अभी अपने प्रोजेक्ट्स पर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी ग्राण्ट मिलती है। उसी वक्त मेरे दिमाग में आया और मैंने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, मुख्य मन्त्री जी से बात की, मैं इस बात को पूरी तरह से अभी फाइनेन्शियली एग्जामिन करवा कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राजस्थान में एक अलग से कृषि कालेज को, उसी को परिवर्तित करके कृषि कालेज, I am sorry, कृषि यूनिवर्सिटी में भी -

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : गंगानगर में खोलिये, उदयपुर में........

श्री अध्यक्ष :माननीय सदस्य बैठ जायें। बाधा नहीं डालें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में तो औचित्य ही नहीं हैं। गंगानगर या कोटा में होनी चाहिए। यह तो XXX भीलवाड़ा उदयपुर इसके आगे इनको याद ही नहीं है कुछ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : गंगानगर के अलावा क्या, और जगह नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पण्डित जी को क्या जैलेसी है, ईर्ष्या का क्या कारण है।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह :इन अधिकारियों को क्या दोष दिया जा सकता है जब यह जातीयता की बात फैलाते हैं।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आपका भाषण नहीं होगा इस अवसर पर, कृपया बैठ जायें। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : गंगानगर में क्या गोट बैठ सकती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में क्या एग्रीकल्चर कालेज खोलने की आवश्यकता प्रतीत की गई है ? कोटा का पण्डित जी सर्वनाश करना चाहते हैं क्या ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्तीय साधनों के अनुरूप....

(व्यवधान)

उस पर भी आता हूं अभी आता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में सी. ए डी की स्कीम आपने खतम कर दी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय वित्त मन्त्री महोदय राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गंगानगर में खोलनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : आपको तरफ देख नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर विवाद नहीं होगा। मन्त्री महोदय का उत्तर, सुन लीजिये कृपया।

एक माननीय सदस्य : दाऊदयाल जी घबरा रहे हैं, वित्त मन्त्री जी कोटा के ही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाये बाधा पहुंचा रहे हैं आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उनको शिक्षा मन्त्री यों ही बनाया गया है कि भीलवाड़ा में खोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम फिर भी सहन कर लें लेकिन राजस्थान को पानी देने वाली

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मेरे गांव में खोल दीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं, मुझे तो जोर से बोलना आता नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा से चिढ़ है आपको।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मै इससे प्रभावित नहीं होता हूं कि कोई जोर से कहता है, कोई जोर से आवाज में कहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा काम है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति के ऊपर निगाह रखते हुए, उसकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप ज्यादा किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ इसी में है

श्री दाऊदयाल जोशी : 1 अरब 15 करोड़ की सी, ए. डी स्कीम को आपने समाप्त कर दिया, आप वित्तीय स्थिति क्या देखेंगे। जो वित्त मिल रहा है, उसको भी प्राप्त नहीं करना चाहते। आपकी सरकार को एक पाई भी नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : बाधा नहीं डालें। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य अवहेलना कर रहे हैं। यह तरीका नहीं है। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री वाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य। यह कौन सा तरीका है डिबेट करने का। माननीय सदस्य, वह बोल रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अन्याय हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ, किसानों को मारा जा रहा है। किसानों के हितों की हत्या की जा रही है।

श्री वाऊदयाल जोशी : आप चुनाव में कोटा से हारे हैं इसलिए.......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बहुत विनम्रतापूर्वक और बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की उत्तेजना से कोई लाभ होता नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री वाऊदयाल जोशी : हां, करोगे तो अपनी ही। यह सही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : और बहुत आदर-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज की वित्तीय स्थिति में उदयपुर यूनिवर्सिटी, जो आज विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का नहीं है, को अगर हम एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते हैं तो वित्तीय स्थिति पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। यह आसानी के साथ हो जायगा। इसलिये उदयपुर यूनिवर्सिटी को ही हमारा इरादा कृषि विश्वविद्यालय में परिणित करने का है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में यह पहला कदम होगा जिससे कि हम आई. सी. आर. की मदद प्राप्त कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : Back to Udaipur.

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : Every thing to Udaipur.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो चीज वाजिब होती है और सरकार उसे वाजिब तरह से मानकर कुछ कर देती है तो उसका अहसान मानना चाहिये। बड़े-बड़े शब्दों में कहें, गत वर्ष में हमने कोटा में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया, वहां उसकी आवश्यकता थी, उसको हमने मुनासिब समझा, कोटा में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई।

जहां तक कर प्रस्तावों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने बिजली पर दरें बढ़ा दी हैं, यह अच्छा नहीं किया। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज कारपोरेट सैक्टर ही ऐसा सैक्टर है कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकता है। उसकी कमाई का कोई पार नहीं है। अगर उस सैक्टर के ऊपर हम कुछ वजन बढ़ा देते हैं, कुछ हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो घाटा हो रहा है, वह उसके कारण से हो

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

रहा है, उसकी पूर्ति के लिये अगर कुछ वजन बढ़ा देते हैं या मीडियम स्कूल इण्डस्ट्रीज के ऊपर कुछ वजन बढ़ा देते हैं तो मैं समझता हूं कि आम लोगों के हित में है। इससे उनके ऊपर कोई ज्यादा वित्तीय भार नहीं पड़ता। यह आशंका जो प्रकट की जा रही हैं कि वह इण्डस्ट्रीज उठ जायेंगी, बेकारी हो जायेगी, यह सब निर्मूल है। मैं समझता हूं जो कुछ भी किया गया है, वह ठीक किया गया है।

यहां इस सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया, हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि आपने तो सिन्थेटिक्स के ऊपर से टैक्स कम कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी धारणा निर्मूल है। गत वर्ष हमने तो बल्कि यह कहा था जब टैक्स घटाया मैन मेड फाइबर के ऊपर तब कहा था कि इस शर्त के ऊपर हम टैक्स कम करते हैं कि यहां से आप लोग जो ट्रान्सफर करते हैं, वह बन्द कर दीजिये, डिपो ट्रान्सफर्स। वह डिपो ट्रान्सफर्स बन्द करने के लिये हमको उद्योगपतियों ने कहा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिपो ट्रान्सफर्स बन्द नहीं किये। नतीजा यह हुआ कि यहां के सेल्स टैक्स की आमदनी में कमी हुई। हमने तो उल्टा मैन मेड फाइबर्स पर वापस वही टैक्स लगाया है जो कि लास्ट ईयर हमने कम किया था। इसलिये फेब्रिक्स के ऊपर या सिन्थेटिक्स पर कोई टैक्स कम करने का सवाल पैदा नहीं होता है। वह हमने बीच में ही उसको ज्यादा वह कर दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या कर दिया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बढ़ा दिया था। पहले कम कर दिया उसको बढ़ा दिया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यहां हमने कोई भी सेक्टर योजना के बारे में अधूरा नहीं छोड़ा है....

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं यह चर्चा शुरू कर दी।

सुश्री पुष्पा जैन : आज इसके खिलाफ कुछ बोले नहीं, इस लिये बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी महत्वपूर्ण विषय लगता है। अभी उनका ध्यान त्याग ही नहीं आपकी आपत्ति की ओर।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कुछ बांटा जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : वहां देखें न वह बातचीत कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिस्पेंसरीज का ताल्लुक है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने उस स्कीम को एक दूसरा रूप दे दिया है। उनकी योजना के तहत सबसे ज्यादा ग्रामों में अगर कोई उपयोगी माना है तो उन्होंने उप केन्द्रों को माना है जिससे कि फोरी इमदाद लोगों को मिल सके। वहां उनको सुलभ चिकित्सा छोटे-छोटे मामलों में, छोटे कोई भी चीर फाड़ के मामले में मिल सके। इसलिये उन्होंने उस योजना के तहत में उप केन्द्रों की स्थापना पर ज्यादा जोर दिया है। इसलिये राजस्थान में इस वर्ष 500 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ताकि सुदूर क्षेत्रों

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

में जो लोग रहते हैं, उनको चिकित्सा का लाभ मिल सके। उसके साथ-साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हमने अपने साधनों के अनुरूप प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलने की बात की है। जो डिस्पेंसरीज आज चल रही हैं, उन डिस्पेंसरीज की जगह प्राइमरी हैल्थ सेंटर आ जायेंगे, उन डिस्पेंसरियों, जो 12 डिस्पेंसरीज हैं, को दूसरी जगह स्थानान्तरण करने की बात की है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस योजना के अनुरूप जो पांच सौ स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे और दूसरे प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हैं और प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स के साथ-साथ जो विशेष डिस्पेंसरियां, सब्सीडियरी हैल्थ सेंटर्स होंगे, प्राइमरी हैल्थ सेंटर के साथ सब्सीडियरी सेंटर होंगे, उस योजना को हमने साकार करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं, यह जनता के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी।

हमने राज्य के औद्योगीकरण की दृष्टि से जैसा कि बजट में निहित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका विस्तृत विवरण हमने समीक्षा में दिया है, किस प्रकार से तो हमारे यहां उद्योग रजिस्टर हुए; किस प्रकार से कितने लोगों को एम्पलायमेंट मिला। कोई किसी प्रकार से इसमें कठिनाई नहीं आने वाली है।

जहां तक बिजली की कठिनाई का ताल्लुक है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, हमने पहले से ज्यादा, गत वर्ष से ज्यादा बिजली का उपयोग किया है। आज भी जब कि आर. ए. पी. पी. चालू हो गया है, काफी मात्रा में हमको बिजली उपलब्ध है। और योजनायें जो हमारे पास हैं जिनका जिक्र बाद में आयेगा, और कई बातें ऐसी होती हैं कि जब हमारी डिमाण्ड्स पर विचार होगा तब जाकर उस पर चर्चा होगी।

यहां यह चर्चा की गई कि साहब, थरमल पावर स्टेशन कोटा का है इसका कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम नहीं है। उसमें डिले होती जा रही है। हमने बहुत इस बात को किया, उसका विस्तृत विवरण है वह तो आ जाएगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में माननीय जो सदस्य हैं इस बात को छुपा जाते हैं कि उसमें जो कुछ भी डिले हो रही है या जो डिले हुई है वह कोल हैंडलिंग प्लाण्ट की वजह से हुई है। कोल हैंडलिंग का ठेका जनता पार्टी के शासन में लाला हंसराज के लड़के को दिया गया।....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाते? गरदन कटवा दीजिए उसकी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लोगों को अनुभव नहीं था, जिनके पास साधन नहीं थे अपनी पार्टी के एक व्यक्ति को,....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लाला हंसराज....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : हौसला तो रखो सुनने का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी इंक्वायरी तो की जायेगी लेकिन यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें ठेका दिया गया। ठेका अनुभवी आदमी को नहीं दिया गया। उसी के कारण से आज तक कोल हैंडलिंग प्लाण्ट की वजह से सारी की सारी डिले हुई है। जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य के ऊपर है क्योंकि वे उस जमाने में बिजली के मंत्री थे।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : अगर यह गलत हुआ है तो इसकी इंक्वायरी करवायें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : ....तीन लाख का घोटाला हुआ है....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो!

श्री दाऊदयाल जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर आर्डर! कृपया बैठ जावें।

श्री दाऊदयाल जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : इतने आवेश में नहीं आवें. माननीय सदस्य। कृपया सुनने का धैय रखें. माननीय सदस्य आर्डर प्लीज!

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत थोड़े से शब्दों में कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि जो कहता है उसको सुनने का भी माद्दा रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जब कोटा में 15 लाख का घोटाला हुआ....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं! इतने आवेश में नहीं आवें, माननीय सदस्य!

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य बहुत गुस्से में हो करके कह रहे हैं। वैसे ही बोलने की आदत है, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो कहता है उसको सुनने की भी आदत रखनी चाहिए। अगर आप इंक्वायरी चाहते हैं तो उसकी इंक्वायरी भी जरूर हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक औद्योगिक प्रगति का ताल्लुक है, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कि रीको द्वारा इस वर्ष 12.37 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृत की गई। वर्ष 1983-84 में निगम का प्रस्ताव है कि 15 करोड़ रुपयों के सर्वाधिक ऋण तथा 8 करोड़ रुपयों की अंश पूंजी का विनियोजन किया जावे। निगम ने इस वर्ष 9 आशय-पत्र प्राप्त किये हैं। संयुक्त क्षेत्र

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

की परियोजनाओं में इस वर्ष चार में उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। इस वर्ष निगम ने 1182 एकड़ भूमि अवाप्त की तथा 720 एकड़ भूमि का विकास किया। निगम द्वारा आवंटित प्लाटों में 2980 इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है तथा शेष 1276 का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा भी इस वर्ष 39.64 करोड़ रुपयों के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। निगम ने इस वर्ष 52करल इकाइयों को सुविधा प्रदान कर पुनर्जीवित किया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य को औद्योगीकरण की प्रगति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है।

श्री यदुनाथसिंह : खेती के बारे में बुलवाइये, साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां यह कहा गया कि साहब, आपने किसी भी तरह से जो पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कुछ भी बातें कही थी उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। आपका तो कोई कन्ट्रोल फाइनेंशियल नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल कन्ट्रोल के सिद्धान्त वही हैं जो ग्यारह माननीय चन्दनमल जी ने उस वक्त दिये थे। उसी के अनुरूप कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कन्ट्रोल नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल कन्ट्रोल नहीं रह सकेगा। उसी सिद्धान्तों के अनुरूप हमने मितव्ययता करने की कोशिश की है। उस मितव्ययता के हमारे कार्यों से अब तक करीब चार, साढ़े चार करोड़ की हमने बचत की है। मैं यह उम्मीद करके चलता हूं कि जो मितव्ययता के बारे में जोर दिया गया है, मैं समझता हूं कि इस महीने में उस टार्गेट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस महीने में खर्चा भी ज्यादा होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम इस बात को चाहेंगे कि हर लास्ट मन्थ में पर्चेजेज की जाती हैं वह साल-दर-साल हमको मालूम है कि आखिरी महीने में जा करके बहुत खर्चा किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस महीने में खर्चा कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके लिए मैं समझता हूं कि कोई भी किसी प्रकार की हमारे काम में रुकावट नहीं आयेगी और खर्चा कम हो जायेगा, ऐसी आशा करके हम चलते हैं।

यहां माननीय सदस्य ने अभी बड़े जोर शोर से, कल भी मैंने सुना, यह आरोप लगाया कि सी. ए. डी.....

श्री अध्यक्ष : आप तो उनका राजनैतिक प्रभाव बढ़ा रहे दिखते हैं।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां यह भी कहा गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, साहब, आपने प्लान से भी ज्यादा खर्चा कर दिया। आपने यह कहा था गत वर्ष के बजट में कि अब एक्सेस खर्चा नहीं करेंगे प्लान के अधीन मेरा निवेदन करना यह है कि कई

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के लिये हमें खर्चा करना पड़ता है। आठ करोड़ जो कुछ रुपया खर्च हुआ वह अधिक कुछ मदों में हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में तीन हजार शिक्षकों की आवश्यकता समझी गत वर्ष में, इसलिये तीन हजार शिक्षकों का हमने बाद में जाकर प्रोविजन किया। उसी तरह से हमने हायर सैकन्डरी स्कूल के लिये प्रावधान किया। कुछ खर्चा इस बात पर हुआ, पंचायती राज में जो कुछ प्राथमिकताएं देना चाहते थे वह दीं, उनको अधिकार दिये, उनको साधन दिये इससे लेकर हमने इस बात को आवश्यक समझा है। उस प्लान में थोड़ा अधिक खर्चा हुआ लेकिन वह भी आगे जाकर होता। इस वर्ष में हो गया उससे एक्सेस प्लान में कोई विशेष नहीं 8 करोड़ का अन्तर है। हम इस बात को देख लेंगे कि किस प्रकार यह होता है।

साथ ही यह भी कहा गया कि आपकी तो आमदनी घट रही है। दो बातें और कही गईं, आपका दो करोड़ रुपया लैण्ड रेवेन्यू में कम हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जहां तीन तीन वर्ष से अकाल है, जहां वसूली नहीं हो रही है, वसूली स्थगित हो रही है वहां लैण्ड रेवेन्यू में रिलीफ दिया जाता है, कई जगह रेमिटेन्स भी होता है, कई जगह सस्पेंशन भी होता है। इस कारण से यदि लैण्ड रेवेन्यू में कमी दो करोड़ की हो जाती है तो उसे विरोधी दल के माननीय नेता को बड़ी नहीं मानना चाहिये, क्योंकि वह खुद इस बात को जानते हैं। फिर कहा कि साहब, आपके माईनिंग में कम आमदनी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका एक कारण है, रॉक फास्फेट की कीमत घट गई है। रॉक फास्फेट की कीमत घटने की वजह से यह आमदनी कम आई है। इसके अलावा मैं समझता हूं और बहुत सारे मद हैं जिनमें आमदनी बढ़ी भी है। यह तो एस्टीमेट होता है। अकाल की जैसी परिस्थिति हो जाती है तो उसमें कुछ असंतुलन आ जाता है। यदि अकाल की परिस्थिति की वजह से या और किसी परिस्थिति की वजह से इस प्रकार असंतुलन हुआ है, मैं समझता हूं, यह मान कर चलना चाहिये यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम इसको मीट नहीं कर सकते हैं।

यहां पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बातों का हमारे सामने माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा, आपने सी. ए. डी. को बंद कर दिया। कल भी इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि वहां के काश्तकारों की राय क्या है। मेरा कहना यही है जहां सीपेज हो, जहां ड्रेनेज का अभाव हो, जहां पर जमीन समान नहीं हो, वहां पर काश्तकार की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जावे, और अधिक कार्य किया जाना हो वहां खर्च किया जाना चाहिये इसलिये हमने इस बात को तय किया, इस सारी चीज को वर्ल्ड बैंक की जो योजना है उसके अनुसार अगर हम चलाते हैं तो काश्तकारों के ऊपर बहुत जबर्दस्त वजन आ जायगा, काश्तकार उसको चुका नहीं सकेगा।

(व्यवधान)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इसलिये हमने इन बातों का रिव्यू करने का निश्चय किया। रिव्यू करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचेंगे मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं जो फैसला होगा वह काश्तकारों के हित में होगा। यहां सवाल यह पैदा हो जाता है कि इतने लोग वहां के बेकार हो जायेंगे, यह हो जायेंगे, उसके लिये तो खैर बाद में जाकर देखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सभी लोग संतुष्ट हो जायेंगे इससे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे जो काश्तकार हैं उनको संतोष हो जायेगा। आज जो वेस्टेज हो रहा है, वह सारा का सारा वेस्टेज बच जायगा। मैं नहीं समझता, हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य इन कर्मचारियों की इसलिये हिमायत करते हैं क्योंकि कर्मचारी शायद आपसे ज्यादा वक्त रखते हैं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : कर्मचारियों की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इलाके की बात है। सड़कें ड्रेनेज यह सारे काम.... ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने कई व्यक्तिगत आक्षेप यहाँ पर लगाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह तो उनका एक आर्ट है। एक गैलेरी के साथ प्ले करने का आर्ट है हमेशा मैं तो वर्षों से देखता आ रहा हूं। जब कोई आग्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्तिगत आक्षेपों पर आ जाते हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं अब तो बुजुर्गी आ गई अब तो इतने बड़े नेता हो गये, अब इन छोटी छोटी बातों को लेकर यहां इस प्रकार व्यक्तिगत चीज पर व्यक्तिगत चरित्र हनन उनको करना एक प्रकार से शोभा नहीं देता है। फिर भी मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि खाली सुनी सुनाई बातों पर कहें। अगर इस प्रकार की चीज है तो जब तक तथ्य पूरे सामने नहीं आयें इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा यहां पर यह जिक्र कर दिया कल हमारे विरोधी दल के माननीय मुखिया जी ने कि साहब, जयपुर उद्योग आपके हाथ से जा रहा है। भाई, यह भाई, यह हमारी पुरानी वह है।

(व्यवधान)

उसको आप नहीं समझते।

एक माननीय सदस्य : आदत नहीं छुटती इनकी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैं समझता हूं कि वह जो आलोक जी हैं जयपुर उद्योग के, वह तो कई बार कई लोगों से मिलते हैं। अरे साहब मेरा तो काम हो रहा है। मैंने तो इस प्रकार कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 409 कम्पनीज एक्ट के तहत इस मैनजमैंट को नहीं पलटा जा सकता है। यह जो मनगढ़न्त बातें चलती हैं उन पर उनको विश्वास नहीं करना चाहिये। जयपुर उद्योग जिस प्रकार से आज चल रहा है उस प्रकार से चलने में कोई परेशानी नहीं आयेगी। वह चाहे कितने ही शेयर खरीद ले या और कुछ भी खरीद ले, मैं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

समझता हूं उसके मैनेजमेंट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । इसका विशेष विवरण मैं निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी जब उनकी डिमाण्ड्स आयेगी तो वह ज्यादा स्पष्ट रूप से इसको बताने का प्रयास करेंगे । मैं तो यहां इतना ही कहना चाहता हूं ।

यहां हमारे माननीय मुखिया जी ने कई आरोप लगाये और उन्होंने कहा........

एक माननीय सदस्य : आपके मुखिया जी ?

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अरे भाई विपक्ष मुखिया जी ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मुखिया कौन से ? यहां तो कई मुखिया बैठे हैं ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : पाइन्ट आफ आॅर्डर क्या विरोधी दल के नेता को मुखिया कहा जा सकता है, नेता के बजाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय राजबहादुर जी शायद इस बात को नहीं जानते हैं कि उनका नाम ही मुखिया जी है।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आॅर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री राज बहादुर : क्या विरोधी दल के नेता को मुखिया कहा जा सकता है ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर : बखिया थोड़े ही कहा है, मुखिया कहा है ।

श्री अध्यक्ष : मुखिया जी कहने में कौन से नियम का हनन होता है माननीय सदस्य बतायें ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, बखिया शब्द कहने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं ।

श्री राज बहादुर : कहीं भी मुखिया नहीं प्रयोग हुआ है नेता ही प्रयोग हुआ है । जो नेता का अभिराम प्रयोग हुआ है वह मुखिया नाम नहीं है । मुखिया शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । नियमों में कहीं बतादें ।

श्री अध्यक्ष: नियमों की अवहेलना नहीं होती है । यदि माननीय सदस्य यह समझ जायें इस सदन के कि मुखिया जी के मायने विपक्ष के नेता से है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राजबहादुर : नियम विरुद्ध होगा अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय फिर मैं माननीय वित्त मंत्रीजी के लिये ऐसी कोई बात कहूं जिससे लोग समझ जायं कि वित्त मंत्री के लिये कह रहे हैं तो आपत्ति नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : शब्द आपत्तिजनक नहीं होना चाहिये मैंने पहले ही निवेदन कर दिया ।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर हमारे विरोधी दल के माननीय नेता को कोई आपत्ति हो तो वह और हम दोनों समझ लेंगे कोई ऐसी बात नहीं ।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

यहां यह जिक्र किया गया कि गत वर्ष जीरा और दूसरी चीजें बाहर गई उसके बारे में इनक्वायरी करने का सदन में आश्वासन दिया गया था। मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कमिश्नर कामर्शियल टैक्सेज से इसकी जांच करवाई है. जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि नीचे लिखे जो अधिकारी हैं, प्राइमाफेसी हमने उनको दोषी माना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नीचे कैसे लिख दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नीचे लिखे मैं जो कह रहा हूं वह पढ़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझा, कहीं नीचे लिख दिया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : श्री पी सी. बिश्नोई–आर. ए. एस.।

श्री शिवराम शर्मा– सी. टी. ओ. मोखरपुरा जयपुर के अधिकारी,

श्री शंकर दान– एसी. टी. ओ.

श्री रामरतन– ए. सी. टी. ओ.

श्री जगदीश प्रसाद– कार्यवाहक ए. सी. टी. ओ.

श्री शम्भूमोहन सिंह– आबूरोड चेक पोस्ट

श्री पी. सी. जैन– ए. सी. टी. ओ.

श्री भूप सिंह– ए. सी. टी. ओ.

श्री नरेन्द्र सिंह शर्मा– सी. टी. आई.

श्री अब्दुल सत्तार– सी. टी. आई. भण्डार जयपुर के--

श्री कन्हैया लाल शर्मा– सी. टी. आई.

श्री गिरधारी सिंह– सी. टी. आई

श्री रोशन लाल– सी. टी. आई.

हमने इनके अलावा जो ट्रक आपरेटर्स हैं उन को भी इस साजिश में शरीक प्राइमाफेसी माना है।
उनके खिलाफ चीटिंग के केस दर्ज, रजिस्टर करवाये गये हैं। इन सब अधिकारियों के खिलाफ जो मामला है उसको एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में दे दिया गया है।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं, एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट आती है तभी करते हैं। प्राइमाफेसी .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी फाइंडिंग्स के आधार पर आपने जैसे कहा....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वहां से सबको हटा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सस्पेण्ड नहीं किया न ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सस्पेण्ड मेरे ख्याल से नहीं किये हैं। अगर नहीं हैं तो मैं खुद इन्क्वायरी रिपोर्ट देख लूंगा अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। उसके बाद में देखता हूं कि यह सब्सटेंशियल है तो उस पर पूरी कार्यवाही करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट है उसके आधार

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पर कितने टैक्स की चोरी हुई है या किस मात्रा में करप्शन हुआ है, क्या इसका भी कोई संकेत इस सदन को देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग से कोई प्रश्न आयेगा तो, । क्योंकि अभी तो ...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास है लिस्ट जो मैं लाया हूं इसकी जो फाईडिंग्स उन्होंने दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय, यहां कई बातें कही गई हमारे मुख्य मंत्री जी के सुपुत्र के बारे में कि उन्होंने एक दुकान खोल रखी है, उसमें इंजीनियर्स के लड़के शामिल हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : इसका बजट से क्या लेना देना ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसलिए कहता हूं, इस प्रकार की चीजें, मैं समझता हूं, हमारे विरोधी दल के नेता को कहना उपयुक्त नहीं है। पहले भी उठ चुकी हैं यह चीजें, उनके बारे में मुख्य मंत्री जवाब दे चुके है। उनको इस समय उठाना, मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। यदि विरोधी दल के नेता यह चाहते हैं कि मिनिस्टर्स के लड़के जितने भी हैं वे सब लंगोटी लगा कर रहें तब इनको खुशी हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आखिर कोई लड़का इन्जीनियर ...

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मंत्रियों के लड़कों को भ्रष्टाचार करने के लिए खुली छूट दे दीजिये, लाइसेंस दे दीजिये, यही मतलब है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाली इसलिए कि मिनिस्टर का लड़का या, मुख्य मंत्री का लड़का एक बिजनेस करता है तो कौनसी ऐसी चीज हो गई, क्या हो गया। इसलिये कि साहब वह बिजनेस करता है इसलिए भ्रष्टाचार प्रिज्यूम कर लिया जाय। तो माननीय विरोधी दल के नेता की यह दलील, मैं समझता हूं, उपयुक्त नहीं है। किसी को भी किसी से शिकायत हो तो प्रिजम्पशन अराइज नहीं होता है। हमारे भी लड़के होंगे, आपके भी लड़के होंगे बिजनेस करते होंगे, कुछ और करते होंगे लेकिन इस प्रकार की चीज....

श्री मेघराज तावड़ : एक ही बात पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप या छापा पड़ती तो क्या आप उसको पकड़ते, बचाते या जेल के शिकन्जे में डालते ? यह बताइये आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन का क्या होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह हमने तो बहुत पहले हटा लिया।

अध्यक्ष महोदय, यहां माईनिंग लीजेज का जिक्र किया गया और हैण्ड पम्पस का जिक्र किया गया। मैं समझता हूं, क्योंकि पूरी जानकारी मंत्री, जो कंसर्न्ड हैं, को हो सकती है वह उपयुक्त समय पर देंगे। मैं यही निवेदन

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो आरोप लगाये गये हैं वे बिल्कुल मिथ्या हैं। किसी भी प्रकार की इसमें कोई दलील नहीं है चाहे किसी भी तरह देख लें कोई। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं समझता हूं माननीय परसराम जी और देवपुरा जी जब उनका टर्न आयेगा उस समय वह जवाब इस बात का अवश्य देंगे।

एक जिक्र किया गया गांधी गृह निर्माण समिति का। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह मैटर जो कुछ भी है, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद डी. बी. में पैंडिग है। डी. बी. में हमारी तरफ से इसकी पैरवी में कोई कसर नहीं रहेगी। जो कुछ भी इसमें कमी आई है, वह किस वजह से क्या कमी है क्या नहीं है, उसे इस सदन में डिस्कशन का मैटर. नहीं बनाना चाहिये। उसको किसी भी तरह लीगली सस्टैन कर सकें चाहे हमको लॉ में अमेण्डमेंट करना पड़े, चाहे किसी तरह अमेंड करना पड़े, उसको अमेंड करने के बाद में इस तरह का लैंड सरकारी हाथों से नहीं जाय, इस बात की हम जरूर व्यवस्था करेंगे। क्योंकि मैंने इस बात को पहले देखा था, मैंने महसूस कर लिया था कि इस केस में यह कमी है लेकिन जवाब पेश हो जाने के बाद हाई कोर्ट में कोई एवीडेंस नहीं होती, डॉकूमेंट पेश नहीं होते हैं। डाकूमेंट पेश किये जाते हैं वह जवाब के आधार पर पेश किये जाते हैं। इसलिये मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता। उस चैप्टर को अपन अगर विरोधी दल के माननीय नेता चाहेंगे तो अलग से डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इस चीज को उस वक्त स्टडी किया था मैं जब लॉ मिनिस्टर था। अब यह डी. बी. में अपील पैंडिग है इसलिये मैं समझता हूं इस बारे में चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार की बातें आई हैं, मैं सोचता हूं कि बिल्कुल निराधार हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है। जहां जहां तक इस चीज का ताल्लुक है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं काफी बोल लिया मैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें, माननीय सदस्यगण ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कि हम तो यह मान कर चलते हैं कि जो कुछ भी हमने प्लान बनाया है, वह कुछ भी है, हमारा आगे बढ़ने का कदम है वह इसी के अनुरूप है। उसमें हम इस बात की कतई नहीं रखेंगे कमी कि उस योजना में कमी हो, किसी तरह उस योजना को हम पूरा नहीं कर सकें या साधन नहीं जुटा सकें। हमको तो हमारे सामने दिखते हुए साधन दिखते हैं, उन साधनों से हम अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल है। राजस्थान नहर से जो हमको आमदनी बढ़ने वाली है और जितनी हमारी सिंचाई योजनाएं हैं, या जितना इन्फ्रा स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है उसमें जो साधन बढ़ने वाले हैं उनकी हम आशा रख कर चलते हैं। हर एक बजट जो होता है वह आशा के अनुरूप होता है। मैं इस बारे में पैसिमिस्ट नहीं हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ओप्टिमिस्ट हूं कि हम अपनी योजना को पूरी तरह से पूरा करके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

राजस्थान के जन जीवन को सुखी बनायेंगे समृद्ध बनायेंगे और उनके विकास के लिये निरंतर कार्य करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री परसराम मदेरणा का हैन्डपम्प योजना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री परसराम मदेरणा (जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए कल माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने

(व्यवधान)

On a point of personal explanation, Mr. Speaker, Sir.

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण समाप्त हो गया था ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गया ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रति पक्ष के माननीय नेता ने कल बजट के सामान्य वाद विवाद पर अपने एक घंटा और पांच मिनट के भाषण के बाद हैण्ड पंम्प्स के सम्बन्ध में यहां कुछ बात कही और कुछ आरोप लगाये । अन्त में उन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्री और पी. एच. ई. डी. मंत्री इस सब मामले, जो एक कंप्रोमाइज का है और दूसरा हैण्ड पंप का है, के संबंध में कुछ लीपापोती करना चाहते हैं जैसा कि नेता विपक्ष के जानते हैं, 1979 के दिसम्बर माह यहां पर एक बिल पास हुआ था जो कानून बना राजस्थान के अन्दर वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट का कार्पोरेशन स्थापित किया जाय । इस कार्पोरेशन को स्थापित करने के लिये वर्ल्ड बैंक इन्सिस्ट कर रहा था कि ऐसी एजेंसी स्थापित की जानी चाहिये जिससे डिले न हो और डिसीजन जल्दी से जल्दी लिया जाय । जैसा कि विरोध पक्ष के नेता जानते हैं......

एक माननीय सदस्य : पहले मंत्री थे ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मंत्री तो वह थे या नहीं यह शायद आपको मालूम नहीं है । जब सदन में वह बिल दिसम्बर 1979 में कन्सीडरेशन के लिये आया तो यह सोचा गया कि इसमें कुछ अमेण्डमेंट भी करने चाहिये जैसा कि जयपुर डवलपमेन्ट आथोरिटी के सम्बन्ध में बिल लाने के बाद उन्होंने एतराज किया था और एक मीटिंग अपने चेम्बर में दिन भर बुला कर दूसरे दिन उस बिल को यहां पर पारित किया था । इसके पारित होने के बाद में 17 फरवरी, 1980 को विधान सभा भंग हुई । प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान के मुख्य मन्त्री नहीं रहे । सदन भी भंग हो गया । राष्ट्रपति के शासन में 1980 के अप्रेल में एक बोर्ड का गठन किया गया । वर्ल्ड बैंक से भी सहमति प्राप्त की गयी, इस बोर्ड का इसलिये गठन कर रहे हैं कि यहां पर हमने कार्पोरेशन बनाया है । कार्पोरे- के अन्दर लेबर प्राब्लम और दूसरी तरह की इस तरह की बात रहती है. बहुत प्राब्लम ओवर चार्जेज, आवर हेड चार्जेज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि यह घाटे में फंक्शन कर रहे हैं इसलिये हम बोर्ड भी बनाते हैं और उसका शेप हम इस प्रकार का रख रहे हैं कि उसमें एक कमेटी बन जायेगी, कमेटी आफ कोओर्डिनेशन पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर

(श्री परसराम मदेरणा)

फाइनेन्स मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर की। उसके नीचे पांच सेलेक्ट कमेटी। एक बोर्ड होगा जिस बोर्ड का चेयरमैन पी.एच.ई.डी. का सैक्रेटरी रहेगा। मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह बोर्ड बना जिस तरह का राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बोर्ड है एजीक्यूटिव आर्डर से, जो स्टेट्यूटरी नहीं है लेकिन वही पावर्स इसको है जो राजस्थान कैनाल बोर्ड को है। 18 जनवरी, 1982 तक वर्तमान में जो पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर है जो आपके सम्मुख खड़ा है, एक हेन्ड पम्प सेंक्शन करने की फाइल उसके पास कभी नहीं आई। इसलिये कमेटी आफ डायरेक्टर की मीटिंग जब हुई जिसमें वित्त मन्त्री जी, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट मुख्य मन्त्री जी के पास में है और मैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर, चीफ सैक्रेटरी उसका फूल फलेज्ड मेम्बर है। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सरकार पी.एच.ई.डी. की तमाम कमीशन और प्रोमीशन के लिये इस हाउस में अन्सरवल है और जनता के सामने अन्सरेबल है लेकिन जिस प्रकार बोर्ड का गठन कर दिया गया है यह बोर्ड एक तरह से आटोनोमीस के हिसाब से चलता है, पालिसी प्लानिंग कमेटी इन दो का चेयरमैन पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर होना चाहिये, अकार्डिंगली 18 फरवरी, 1985 को यह आदेश हो गये कि बोर्ड का चेयरमैन पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर रहेगा और पालिसी प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन मिनिस्टर रहेगा। फाइनेन्स कमेटी पहले बनेगी वह इसी तरह रहेगी, टैक्निकल कमेटी भी उसी प्रकार रहेगी। इसके साथ साथ एक और कमेटी है वह भी इसी प्रकार से रहेगी। वाटर सप्लाई, ड्रिन्किंग वाटर सप्लाई और सीवरेज के सम्बन्ध में और इन्वायरनमेन्ट के सम्बन्ध में जब यह इन्टरनेशनल डिबेट की बात आयी 1980 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जब सिक्स्थ प्लान का प्रारूप बन रहा था तब यह निर्णय लिया गया कि 2 लाख 30 हजार गांव हिन्दुस्तान के समस्याग्रस्त हैं और राजस्थान के 24000 गांव हैं उनको छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कमीशन किया जाना चाहिये, कवर कर लेना चाहिये। इसी सन्दर्भ के अंदर बोर्ड और बोर्ड के साथ पालिसी प्लानिंग कमेटी और पालिसी प्लानिंग कमेटी के साथ में फाइनेन्स कमेटी है, फाइनेन्स सैक्रेटरी मेम्बर होता है, उधर उन्होंने यह निर्णय लिया कि राजस्थान के अन्दर बहुत बड़े पैमाने पर गांवों को कवर करना पड़ेगा। 1980 के अप्रेल तक 24 हजार गांवों में से केवल साढ़े चार हजार समस्याग्रस्त गांव कवर हो चुके थे. इसका मतलब 19500 गांवों को आने वाले चार-पांच साल में कवर करना है। इसका मतलब यह है कि करीब करीब चार हजार गांव प्रतिवर्ष कवर करने पड़ेंगे। उस वक्त यह सोचा गया कि पी. एच. ई. डी. की चार प्रकार की स्कीम्स होती हैं, एक तो एडीशनल सोर्सेज स्कीम, पम्प एण्ड टैंक स्कीम, रीजनल पाइप लाइन स्कीम और जहां पर पानी गहरा कम है वहां पर हेण्ड पम्प की स्कीम। इस पालिसी प्लानिंग कमेटी ने और फाइनेन्स कमेटी ने बैठ कर के यह बात सोची कि आज जो गवर्नमेन्ट की रिग्स है सरकारी रिग्स है उनकी केपेसिटी क्या है और 83-84 तक कितने हैण्ड पम्प राजस्थान में खोदने पड़ेंगे। जैसा कि कल विपक्ष के नेता कह रहे थे दो करोड़ के काम के लिये टेन्डर इन्वाइट हुए और उनको काम

(श्री परसराम मदेरणा)

दे दिया गया 18 करोड़ का। कागजों से मैं बात कह रहा हूं यह कोई छिपी हुई नहीं है। जो सैक्रेटरी की और दूसरे की फरवरी की नोटिंग है, वह भी आप पढ़ सकते हैं। इस बात की तो खैर दाद दूंगा कि आपके हाथ लम्बे हैं और

[1.16 म. प.]

(श्री माधव सिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

आपके पास सरकारी कागज सब पहुंच सकते हैं। यह सब कमेटी की रिपोर्ट है जो जो कि एडीशनल चीफ इन्जीनियर और दूसरों तक भेजी है। उस वक्त यह असेसमेन्ट किया गया कि कुल 1982-84 तक 30 हजार हैन्ड पम्प राजस्थान के 9700 गांवों में लगाने पड़ेंगे। कुल 12 हजार के आस पास गांव होंगे, 1984-85 तक हेन्ड पम्प से कवर करने है। इसके लिये तीस हजार हैन्ड पम्प खोदने पड़ेंगे। सरकारी मशीनों की केपेसिटी 12600 खोदने की है इसलिये 17 हजार 400 हैन्ड पम्प प्राइवेट फर्म्स से खुदवाने पड़ेंगे। यह निर्णय लिया गया। टेन्डर इन्वाइट हुए। टेन्डर इन्वाइट होने के बाद में नेगोसिएशन हुआ और नेगोसिएशन होने बाद कुछ रेट कम हुई। फाइनेन्स कमेटी ने नेगोसिएशन के बाद में रेट एप्रूव की। रेट एप्रूव करने के बाद फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में गई और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने दिसम्बर, 1980 के अन्दर उस रेट को एप्रूव कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस वक्त पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर दिसम्बर 1980 के अन्दर तत्कालीन मुख्य-मंत्री थे लेकिन उनके पास में फाइल नहीं गयी। जिस वक्त यह सब टेन्डर इन्वाइट हुए 6 जून के आस-पास पापुलर गवर्नमेन्ट मेरी समझ में सत्ता में आ गयी थी आम चुनाव के बाद राजस्थान में चूंकि क्योंकि एक प्रोसीजर निर्धारित कर दिया गया था उस प्रोसीजर से रेट तय हुई और रेट तय होने के बाद में आगे एडीशनल चीफ इन्जीनियर को एग्रीमेन्ट करने के आदेश दे दिये गये दूसरे किसी भी एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने एग्रीमेन्ट नहीं करके अजमेर के एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने उस पार्टी के साथ में जो उन्होंने पाइंट दिये उसका एग्रीमेन्ट किया। उन पाइंट्स पर एग्रीमेन्ट के बाद, यहां पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट ने जो स्टे–आर्डर कर दिया, कोर्ट ने इसलिये किया कि वह पार्टी जिनके साथ एग्रीमेन्ट हुआ था, ने कोर्ट में यह प्ली-ली कि इन जिलों के अन्दर जहां हमने प्रिफरेन्स दिया है किसी दूसरे आदमी को एप्रूव्ड और फाइनेलाइज्ड रेट के ऊपर कोई पाइंट नहीं दिया जा सकता। एक्स पार्टी, बिना सरकार को इत्तिला दिये हुए ही मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, अजमेर ने स्टे आर्डर दे दिया। उस स्टे आर्डर के रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी गई उस स्टे आर्डर को वेकेट कराने के लिये 1981 के अन्दर इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद में मामला एडीशनल सी. जे. के कोर्ट में पेन्डिग है। एडीशनल सी. जे. के कोर्ट में आरगुमेन्ट हो गये करीब-करीब पिछले महिने में इस पार्टी के वकील ने वहां पर एक एप्लीकेशन दे दी कि हमें इस कोर्ट से जस्टिस की उम्मीद नहीं है। इसलिए अभी तक फैसला नहीं किया है, जो एप्लीकेशन दी है केस ट्रांसफर की वह पैन्डिग है। पिछले सत्र में जब हेंड पम्प के सम्बन्ध में यहां बात आई मैंने स्वयं एडवोकेट जनरल से दो बार, सेक्रेटरी,

(श्री परसराम मदेरणा)

चीफ इन्जीनियर, ला सैक्रेटरी, और हमारे दूसरे अधिकारियों ने एडवोकेट जनरल से दो या तीन दफा इस सम्बन्ध में बातचीत की है। समय-समय पर उनसे राय ली और राय लेने के बाद में एडवोकेट जनरल ने एक राय तो यह दी कि 17 डिस्ट्रिक्ट्स जहां कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ, में आप टेण्डर इन्वाइट करें। टेण्डर इन्वाइट किए और उन टेण्डर को खोल लिया गया है। वे अभी फाइनेन्स कमेटी के सम्मुख विचाराधीन हैं। उसके बाद में जिन पार्टीज़, 10 पार्टीज के स्टे आर्डर की बात है जिसके सम्बन्ध में भी उन्होंने टर्म्स एण्ड कन्डीशन को वायोलेट किया है, अगर वायोलेट करते हैं तो क्या हम इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी टेन्डर इन्वाइट कर सकते है या नहीं कर सकते हैं। हमने दुबारा एडवोकेट जनरल को रेफर किया। एडवोकेट जनरल ने ने दुबारा यह राय दी कि क्योंकि कन्डीशन का ब्रीच हुआ है इसलिए आप इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के भी टेण्डर इन्वाइट कर सकते हैं। वे 15 फरवरी को इन्वाइट कर लिये गये है और उन की एक महीने की मियाद है. 15 मार्च टेण्डर की आखरी तारीख है। मैं एक निवेदन करना चाहता था कि उसके बाद में लीपा पोती का कहां प्रश्न होता है, अगर कोर्ट ने स्टे आॅर्डर दे रखे हैं यह सदन स्वयं जानता है और इस सदन के माननीय सदस्य भी पिछले 2-3 दिन से यह बात लगातार यहां पर कह रहे थे कि कोर्टस से स्टे आर्डर मिल जाता है। डी.पी.सी के ऊपर मिल जाता है, प्रमोशन पर मिल जाता है और यहां तक कि ट्रांसफर पर लिया जाता है। आपने हिन्दुस्तान के अखबारों में पढ़ा होगा कि बड़ोदा के पुलिस कमिश्नर के ट्रान्सफर के ऊपर कोर्ट ने स्टे आर्डर कर दिया है और वह बैठा हुआ है वहां पर जहां से वह बदल दिया गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अदालत के अन्दर जो भी जुडिशियल मामले चलते हैं मैं जुडिशियरी पर कोई एस्पर्शन कास्ट नहीं करना चाहता। दूसरे जितने भी हमारे पास में आल्टरनेटिव, आप्शन्स हैं हम उन को इस्तेमाल में ला रहे हैं। यहां पर यह बात कही गई, क्योंकि वह केस चल रहे थे इसलिए उस पार्टी से कम्प्रोमाइज करने की कोई बात कही गई। कम्प्रोमाइज जो है इसमें बड़े-बड़े आदमियों का हाथ है। जिस तरह कम्प्रोमाइज करने के बाद में जब यह बात राज्य सरकार के ध्यान में आई और सैक्रेट्री पी. एच. डी. ने नोटिंग किया है उस नोटिंग के सम्बन्ध में यहां पर कुछ बाते उन्होंने पढ़ कर सुनाई। मैंने सैक्रेटरी पी.एच.ई.डी. को इन्स्ट्रक्शन दिये थे। सबसे पहले उन्होंने 11 फरवरी को मुझे इसकी सूचना दी। इस कम्प्रोमाइज फार्मूला के सम्बन्ध में एक सी.पी.सी का नोटिस इन चार पार्टीज, जिसका उल्लेख कल माननीय नेता महोदय ने किया था, ने 19-1-83 को दफा 80 में सैक्रेटरी पी. एच. ई. डी. को दिया, जो उनको मिला ही नहीं था, वह सीधा ही डीलिंग असिस्टेंट के पास चला गया। 19 के बाद में 20 तारीख से उस पर नोटिंग हुई और 3-4 दिन, 2-3 दिन के अन्दर नोटिंग करके डीलिंग असिस्टेन्ट ने सात पैराग्राफ के अन्दर इस केस को बना करके, कम्प्रोमाइज शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं करके, कम्प्रोमाइज लैटर का एक प्रफोर्मा नीचे लगा करके डिप्टी सैक्रेटरी के दस्तखत करा के लॉ डिपार्टमेंट में वेटिंग के लिए भेज दिया। लॉ डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद, शायद 23-24 को लॉ

श्री परसराम मदेरणा

डिपार्टमेंट में पहुंचा है असिस्टेन्ट ने डील किया, असिस्टेन्ट से लीगल डिप्टी सैक्रेटरी के पास गया, जो राजस्थान विधान सभा के सचिव हैं ला सैक्रेटरी के पास गया और लॉ सैक्रेटरी के बाद में 2 तारीख को, 2 फरवरी 1983 को लॉ डिपार्टमेन्ट से वेट होकर फाइल पी. एच. इ. डी. में असिस्टेंट के पास आ गई। असिस्टेंट ने उसी दिन फेयर ड्राफ्ट बना करके प्रस्तुत कर दी और सैक्रेटरी के दस्तखत हो गये। दस्तखत होकर के जो आर्डर था गवर्नमेंट कम्प्रोमाइज कर रही है जब कि उसका कोई सूट ही नहीं है वह तो नोटिस दिया है आप लोगों को, हम यह नोटिस दे रहे हैं कि आपने अगर हमारे कान्ट्रेक्ट की मियाद नहीं बढ़ाई क्योंकि चार महीने साल भर के अन्दर मानसून रहना है और पॉलिसी प्लानिंग कमेटी ने, फाइनेन्स कमेटी ने जो टेण्डर एक्सेप्ट किया है फाइनेलाइज किया है वह सितम्बर में किया है और आपने हमारे साथ में एग्रीमेंट किया है वह 12 मार्च, 1981 को किया है इसलिये वह 6 महीने की लेट है, अब 18 महीने हमको और काम करने दिया। 18 महीने के काम करने के अन्दर अगर आप हमसे कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो उनके एडवोकेट ने नोटिस दिया कि हम आप पर सूट करेंगे। वह सूट की मियाद तो बाकी पड़ी है, करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन दूसरा केस चल रहा था उसके कम्प्रोमाइज का लैटर यहां से चला गया। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि जब कल विपक्ष के माननीय नेता उस फाइल की रिलेवेन्ट प्रोसिडिंग यहां पर पढ़ रहे थे तो उन्होंने पेरा 28 का रिलेवेन्ट प्रोसिडिंग का लास्ट पैरा पढ़ा।

"It is suspected that the things have not been moved in the routine manner, but some one interested in the firms has examined it and has given it a twist."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके इमीजिएटली आफ्टर पैरा के अन्दर यह बात लिखी हुई थी

"the manner in which the file was dealt with. i.e. normally put up to the Secretary and the Minister concerned looking to the importance of the case."

जब मिनिस्टर और सैक्रेटरी के पास फाइल नहीं आई है उनको यह बात भी सदन में पढ़नी चाहिये। मैं रावी और व्यास के मामले में 6 तारीख की रात को जोधपुर से आया था, सात तारीख को प्लेन में मुख्य मंत्रीजी के साथ गया था और 11 तारीख की शाम को चार बजे आया था। 11 तारीख को सुबह मैंने पी. एच. ई. डी. सैक्रेटरी से दूसरे मामले में कोई बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह का एक मामला मेरे नोटिस में 8 तारीख को चीफ इंजीनियर लाया है और मैंने उस आर्डर को कैंसल कर दिया हैं। विथड्रा करने के लिये एप्लीकेशन कोर्ट के लिए मैंने भेज दी है। डिप्टी सैक्रेटरी, जिनको सस्पेण्ड बाद में किया गया था, को उसको लेकर मैंने अजमेर कोर्ट में भेज दिया है। यह सूचना उन्होंने मुझे सबसे पहले दी और उस सूचना के वक्त एक बात उनसे कही, मैं जो सुबह उनसे पूछ रहा था कि

(श्री परसराम मदेरणा)

"You take the custody of the file with you"

कस्टडी की बात मेरे कहने के बाद भी मुझे आश्चर्य यह हुआ कि ऐसी इम्पोर्टेन्ट फाइल के अन्दर की नोटिंग माननीय विपक्ष के नेता के हाथ में कैसे चली गई। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में हमने एडवोकेट जनरल को परामर्श दिया कि ऐसा नहीं हो कि विथड्राअल के मामले के अन्दर कोर्ट कोई दूसरा एक्शन ले ले। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना चाहिए। पहले आरग्यूमेन्ट शायद 22 तारीख को थे। उनके यहां पर केसेज लगे हुए थे। उन्होंने 5 तारीख दी। 5 मार्च को जब एडवोकेट जनरल अजमेर मुन्सिफ कोर्ट की अदालत में गये तो विरोधी पार्टी ने यह ले लिया कि आपने दूसरे कुछ ग्राउण्ड दिये इसके विथड्रा करने के मैं इसलिये तैयार नहीं हूं इसलिए आगे पेशी दे दी जाय। आगे तारीख मुकर्रर शायद 14 मार्च हुई है। इस संबंध में आपने बात करते करते यहां पर यह बात कही कि सब मामले में इसलिए कम्प्रोमाइज गवर्नमेन्ट वगैरह कर रही थी, इसका संबंध मुख्य मंत्रीजी से है। मुख्य मंत्रीजी को मैंने यह बात 15 तारीख को बताई है। सैक्रेटरी को मैंने इन्स्ट्रक्शन दे दिये थे। यहां आने के बाद मैंने उनसे बात भी की टेलिफोन से 15 तारीख को, जब पार्टी की मीटिंग में प्रश्न आया तब मैंने उनसे कहा कि इस तरह का एक मामला हो गया था वह विथड्रा हो गया है, आदेश भी चले गये, कैन्सलेशन हो गया है और विथड्रा की एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी। फिर मुख्य मन्त्री जी और मुख्य मंत्री जो के जिले के जिला प्रमुख, चाहे जिला प्रमुख हो चाहे दूसरा कोई भी होने इस संबंध में न तो कोई हमारे पर प्रेशर दिया है न कोई इन्वाल्वमेन्ट है। इसीलिए हमने तो नोटिंग देखी। मेरे साथ बैठने के बाद मैंने कहा कि इस नोटिंग का जिस तरह का प्रारूप असिस्टेन्ट ने यहां किया है और लॉ डिपार्टमेन्ट के असिस्टेन्ट ने जिस पेपर का हवाला दिया है वह एनेक्सर के अन्दर नहीं है जो 80 सी. पी. सी. का 80 का नोटिस है। इसका मतलब वाह भी कोल्यूजन के अन्दर है इसलिए इन दोनों को सस्पेन्ड किया जाय, डिप्टी सैक्रेटरी जैसा आदमी जो ऐसे प्रारूप के ऊपर पहले दस्तखत करके भेज दे, यह बात कही नहीं है, कम्प्रोमाइज कहीं पर आया नहीं है. और आते ही 2 तारीख को उस पर इमीजियेटली कम्प्रोमाइज लैटर उसी दिन रवाना होकर प्राइवेट पार्टी के हाथ में चला जाय इसलिए इसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिये। एक बार उनको सस्पेन्ड किया, सस्पेन्ड करने के बाद में पूरे केस को, इस मामले में किस तरह का इन्वोल्वमेन्ट है लोगों का, जो पार्टीज इन्ट्रेस्टेड हैं उन लोगों ने यह लिखवाया है या दूसरी तरह का कोई कन्सीडरेशन पास हुआ है या किस ने कनाइवेन्स और कोल्यूजन किया है,इस संबंध में डायरेक्टर जनरल पुलिस को आदेश दिये गये कि क्राइम इन्वेस्टीगेशन के एडिशनल आई. जी. के रैंक के आदमी के सुपरवीजन के अन्दर इस केस का इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये। इसका इन्वेस्टीगेशन प्रोग्रेस में है। इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, न तो भीलवाड़ा का आपका प्रमुख इसमें आता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आता है।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो सभी कह देंगे। अभी पी. एच. ई. डी. की डिमाण्ड भी आ जायेगी। उस समय कोई बात हो तो मुझे कह देना, मैं तो जो बात आयी उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो इन्वेस्टीगेशन आयेगा, इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध में जब कि गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल को डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन कोर्ट में नहीं मुंसिफ कोर्ट में भेजने के लिये परामर्श देती है तो सरकार की कहां मेलाफाइडी है। सरकार के हाथ साफ हैं, किसी का पक्ष लेने का, किसी से कम्प्रोमाइज करने का न तो मेरी नॉलेज में है और न सैक्रेटरी की नॉलेज में हैं। नीचे के स्तर के ऊपर यह सब जो मामला हुआ और उसको पुलिस में इन्वेस्टीगेशन के लिये दे दिया गया है।

यहां पर एक बात और कही गयी थी कि इस मामले में यह आपने इसलिये किया है कि आप ....

(विराम)

मेरे कागज कहां गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं देऊं क्या, ये कागज ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : प्रतिपक्ष के नेता के पास तो नहीं आ गये ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : चोर ले गये हों तो क्या पता।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : खेतसिंह जी उठा ले गये होंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जिला प्रमुख यहां भी पहुंच गया क्या ?

श्री नाथूसिंह: ××× बगल में बैठे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : ××× को तो बगल में भी जगह नहीं मिलती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) कागज निकालने का तो आप ही करते हो।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर यह बात कही गयी कि यह जो राजिनामे का ड्राफ्ट जिस तरह से एप्रुव हुआ और सरकार छोटे कर्मचारियों को सस्पेन्ड करके इस मामले में लीपापोती की जा रही है। भीलवाड़ा के प्रमुख के पास बोरिंग मशीन है और पाली की पूंजा कम्पनी है उसकी भी बोरिंग मशीन है उसमें हमारे पी. एच. ई. डी. मंत्री के हिस्सेदार हैं इसलिये प्रमुख भीलवाड़ा या पूंजा कम्पनी को बचाने के लिये यह किया गया। बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब दूसरी ड्रिलिंग मशीन की फर्म के साथ अगर मान लो कोई एग्रीमेन्ट भी नहीं है वह इस केस के अन्दर भी शामिल नहीं है तब एक कम्प्रोमाइज केस पार्टी से हो रहा था इसमें यह कहां पर चली गई।

जहां तक रिश्तेदारी का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फरवरी में आपने यह प्रश्न यहाँ पर उठाया था उस वक्त तब मुझे यह जानकारी भी नहीं थी कि मेरी किसी रिश्तेदार की कोई भागीदारी किसी फर्म के अन्दर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो हो गया ना ?

××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अब आप सुनिये। अब क्या हो गई है? अब होगई है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, (गुढ़ा) : जसवन्त सिंह।

श्री परसराम मदेरणा : इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे डिस्टेंट रिलेशन में मेरे साले, मेरे पांच साले हैं....

श्री राजबहादुर : पांच साले हैं। काफी खुशकिस्मत हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पांच सालों में से कोई साला इसका पार्टनर नहीं है। कम से कम ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर उनके ग्रांड फादर एक होंगे। उनका एक लड़का उसका बाप उसमें पार्टनर है। यह भी नहीं है मैंने इनको कामन रिश्तेदार, जो सदन में बैठे माननीय सदस्य भी हैं, से यह परामर्श करवाया था कि आपको इस तरह का मामला पी. एच. ई. डी. में नहीं करना चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में से हूं राजस्थान के अन्दर जो कभी धेला भेंट नहीं लेता, मैं कभी किसी आदमी से प्रजेंट नहीं लेता। इस लिये इस मामले के अन्दर चूंकि मेरे पास पी. एच. ई. डी. है, उनको कह देना चाहिये कि वह इस मशीन से काम नहीं करें, उनको अपनी मशीन डिस्पोज ऑफ करनी चाहिये। कितने भी मेरे से डिस्टेंट रिलेटेड हैं, इस सम्बन्ध में लोग मेरे ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं, मेरे सार्वजनिक जीवन को धूमिल कर सकते हैं। आगे क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने उनसे यह बात कही थी क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं वह

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया बिराजें।

श्री महाराम चौधरी : क्योंकि उनका नाम, मेरा नाम आया है। मेरे संबंध में यह बात हुई है इस बात का मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी नहीं। आपको भी अवसर दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये यह बात कहना कि मेरे किसी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिये या जिला प्रमुख भीलवाड़ा को लाभ पहुंचाने के लिये चाहे मेरा साला हो, चाहे मेरा लड़का हो या चाहे दूसरा कोई हो, इस मामले के अन्दर मैं जब तक राजस्थान का पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर हूं राज्य के इण्ट्रेस्ट को किसी भी तरह कम्प्रोमाइज नहीं किया जायगा। जो आरोप आपने लगाये हैं वे निराधार और गलत आरोप हैं।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जहां बैठे हैं वहां, मैं भी बैठा करता था आपके वक्त के मिनिस्टरों के बारे में करप्शन की बातें कईदफा आती थीं लेकिन कभी भी मैंने जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं हो कयास या इम्फ्रेंसेज के आधार पर, प्रोसीडिंग्स और इसके आधार पर किसी आदमी के ऊपर चार्ज लगाना, और तो और की बात रही माननीय विपक्ष दल के नेता, मुझे आप से उम्मीद नहीं थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्पष्टीकरण देकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पी. एच. ई. डी. मंत्री ने जो कहा उसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री सभापति : उन्होंने तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर्सनल एक्स-प्लेनेशन में उन्होंने जो बात कही है उसका ही उत्तर देना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले इन्हें बोल लेने दीजिए फिर दोनों का एक साथ कर लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक एक को ही निपटा लेने दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : निपटाने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह तो यों ही चलते रहेंगे।

श्री सभापति : सदन के नेता को बोल लेने दे, फिर आप बोल लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप मौका देंगे ?

श्री सभापति : हाँ। अगर कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में एक दो प्रश्न पूछना चाहें तो।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

बिजौलिया एवं बेगू में खनन् पट्टे देने के संबंध में मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण माथुर का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदय, कल जब विपक्ष के नेता महोदय बजट पर अपने विचार रख रहे थे उस समय मैं यहां पर नहीं था। मुझे कल सीकर जाना था, इसलिए जाना था कि राजस्थान के एक बहुत ही वयोवृद्ध और पुराने समाज सेवी मौत और जिन्दगी के बीच में अपने आपको पा रहे थे, श्री बद्रीनारायण सोगाणी जिनको आप और हम सब जानते हैं उनकी जिन्दगी खतरे में है। बहुत दिनों से इसकी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि वे एक होम्योपैथी का हास्पिटल जो उन्होंने बड़ी भावना से सीकर में बनाया है, जिसमें करीब 10 लाख रुपये की लागत लगी है, वह उनकी मृत्यु के पहले शुरू हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहलवाया। मुझे उनसे मिलना भी था। इसलिये मैं वहां पर गया। मेरे पीछे विपक्ष के माननीय नेता ने जहां बजट के संबंध में बहुत सी बातें कही उस का जिक्र तो वित्त मंत्री जी ने काफी विस्तार से किया। कुछ मैं भी कहना चाहता था लेकिन शायद वह समय नहीं है। सम्भवतः और अवसर मिलेगा तो मैं उपयुक्त अवसर पर जो बातें उन्होंने बजट के संबंध में राजस्थान की औद्योगिक प्रगति के संबंध में, राजस्थान के विकास के संबंध में कही हैं मैं उपयुक्त अवसर पर अपनी बात खुद कहना चाहूंगा। उनके नोट्स मेरे पास हैं। उस अवसर पर मैं उनका उपयोग करना चाहूंगा।

इस समय मैं खड़ा हुआ हूं कुछ व्यक्तिगत आक्षेप जो विरोधी पक्ष के नेता ने मेरे संबंध में लगाये हैं उनका उत्तर देने के लिये।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हम लोग सब सार्वजनिक जीवन में जीते हैं। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति के पास यदि कोई मूल सम्पत्ति होती है तो उसकी प्रेस्टिज होती है उसकी इमेज होती है, उसकी छवि होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश के विरोधी पक्ष का रवैया यह रहा है कि जब जनता के बीच में उनकी बात नहीं चलती और दलीलों से कोई बात साफ तौर से कह नहीं सकते जो लोगपोजीशन में होते हैं उनके चरित्र का किस प्रकार

(श्री शिवचरण माथुर)

से हनन किया जाय चरित्र को किस प्रकार से धूमिल किया जाय इस बात पर वे आ जाते हैं।

(2.00 म.प.)

[श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन]

अध्यक्ष महोदय, तीन चार बातों का जिक्र यहां पर किया गया है। हैंड पम्प के बारे में पी. एच ई. डी. मंत्री ने बहुत विस्तार से अभी उत्तर दिया है इसमें मुझे भी घसीटने की चेष्टा की गयी। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण के संबंध में जो विवरण यहां पर मंत्री महोदय ने दिया है वह इतना स्पष्ट है, इतना लूसिड है इतना साफ है कि उसके बाद में कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सदन अपने आप अन्दाजा लगा सकता है कि इसमें जो भी दोषी था उसको सजा देने के लिये सरकार ने कदम उठाये। आगे भी कहीं पर भी कोई ऐसी बात आयेगी तो सरकार कठिन से कठिन कदम उठाने में कभी नहीं हिचकिचायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको निवेदन कर दूं, मैं यह दावा नहीं करता, हमसे भी गलती होती। जब हम लोग काम करते हैं तो गलतियां होती हैं, गलतियां होना स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि गलतियां बोनाफाइड हो सकती हैं मैलाफाइड मिस्टेक कभी भी हमारे से नहीं होगी, यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने कहना चाहता हूं।

जो बातें और कही गयीं, उनमें एक बिजोलिया और बेंगू में माईनिंग की लीज के संबंध में जिक्र आया, जिसमें यह कहा गया कि डेढ़ करोड़ रुपये की राज्य की आमदनी को स्थगित कर दिया गया, नाजायज तरीके से जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जे वहां पर किये थे उनको रेगुलेराइज कर दिया गया और उसमे मेरी सांठ गांठ है, मैं डेढ़ करोड़ रुपया खा गया और खा जाने के बाद में एक बहुत भयंकर तरीके से मैंने उन अनियमित चीजों की नियमित करने वाली बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जिस समस्या के बारे में जिक्र किया गया, वह मेरे क्षेत्र की समस्या है, मेरे क्षेत्र में खनन होता है सैण्ड स्टोन का बहुत बड़े पैमाने पर खनन होता है। करीब 25-26 हजार मजदूर वहां पर काम करते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने आज से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से लगातार यह कोशिश की कि उस क्षेत्र मे बड़े पूंजीपति आकर के सारा इलाका नहीं घेर लें। एक जमाना था जब कोशिश की गयी। रामगंज मन्डी में एक बड़ा पूंजीपति सारे एरिया में खनन करता हैं, उसको वहां पर भी लीज नहीं दे दी जाये हमने उसका भी निरन्तर विरोध किया हैं। विरोध के बावजूद हमने यह कहा कि यहां पर छोटे छोटे लोगों को पट्टे दिये जायें, 25 × 25 और 50 × 50 के पट्टे छोटे-छोटे दिये गये। आप वहां जाकर देख लीजिये कि उस क्षेत्र में एक हथोड़े चलाने वाला आज उन खानों का मालिक हैं पट्टों का मालिक है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पर रहने वाला भील आज अपने आपको खान का मालिक कह सकता है। उसकी हालत सुधरी है। जब आसीन्द दौलतगढ़ और देवगढ़ के इलाके में अकाल पड़ता है तो लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। वहां पर उनको मजदूरी 25–30 रुपया रोज मिलती है,

(श्री शिवचरण माथुर)

जिससे आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। लेकिन पिछले 10-12 सालों से लगातार एक ऐसी समस्या वहाँ पर उपस्थित हुई। जब मैं उस क्षेत्र में जाता तो लोग, जिनके छोटे-छोटे 25 x . 5 के पट्टे है और 50 x 50 के पट्टे हैं यह कहते है कि साहब, माइनिंग डिपार्टमेंण्ट की गलती से हमारा सर्वे गलत हुआ है। जो बैंक - मार्क उन्होने लगाया था, वह बैंक मार्क गलत था, हम काम करते करते थोड़े आगे बढ़ गये। इस तरह से माईनिंग विभाग के लोग हम को तंग करते हैं और कहते हैं कि तुमने अनधिकृत कब्जे किये हैं। गलत, इसका अमाउन्ट पे नहीं किया इसलिए तुम पर पैनल्टी लगायी जाती है जुर्माना किया जाता हैं सैकड़ों लोगों पर ऐसी तलवार लटकी हुई थी जब मैं जाता था उस क्षेत्र में लोगों की यह मांग रहती थी कि आप जांच करवा लीजिए, हमने किया है ठीक है लेकिन उसका कभी ओवर-लैपिंग सर्वे हो गया कभी डिफरेन्ट बैंक मार्क ले लिया उसके आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर इस एरिया में, जाने समझ लीजिए या अनजाने समझ लीजिए, नाजायज काम हुए। एक बात कहना चाहता हूं उस जायज काम में जो खनन होता है पत्थरों का उसकी निश्चित रूप से, नियमित रूप से रायल्टी होती थी, सरकार की जो आमदनी होती थी रायल्टी की वह रायलटी का पैसा भी सरकार का कभी नहीं गया। क्योंकि उस क्षेत्र में दोनों तरफ नाके बने हुए हैं एक तरफ नाका बना हुआ है लालपुरा का और दूसरी तरफ नाका बना हुआ है गोपदपुरा का। वहां पर दोनों तरफ बे–ब्रिज हैं, नाकों पर बे–ब्रिज पर जाकर ट्रक खड़े हो जाते हैं तोल के लिए और रॉयल्टी ली जाती है, इसलिए दोनों तरफ निकलने के रास्ते है उनमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है चाहे नाजायज तरीके से खनन हुआ या जायज लेकिन रॉयल्टी का नुकसान गवर्नमेंट को नहीं हुआ। सवाल केवल यह था कि गलत तरीके से, डिमार्केशन की गलती या लापरवाही कह लीजिए, मैं तो यहां तक भी कहना चाहता हूं, विभाग ने समय पर उनको नहीं टोका। अगर किसी ने अनधिकृत काम भी किया तो समय पर कभी भी उन्होंने नहीं टोका और एक साल, दस साल के बाद उस आदमी पर पैनाल्टी लगाने वाली बात की। जैसा मैंने कहा कि इनमें बड़े लोग बहुत कम हैं। यह छोटे लोगों की समस्या थी। इस समस्या पर कई बार चर्चा भी की पहाड़िया जी जब मुख्य मन्त्री थे मैंने इस बात को कहा। उन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया, कमेटी मौके पर गयी और सारे क्षेत्र को देखा देखने के बाद में उसका एक फार्मूला तय किया 16- 12-80 को उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बाद में 10-4-81 को तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया कि जितने एक्सटेण्डेड पोर्शन हैं, खनिज पट्टे के उनको एक सीमा तक रेगुलेराइज कर दिया जाये। रेगुलेराइज करने के बाद एक दिन भी निश्चित कर दिया जिस दिन पैसा लेकर के उसको रेगुलेराइज कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, कल रात को जब मैं आया और जितनी जानकारी इकट्ठी कर सका उसके आधार पर मैं आपकी जानकारी के लिये कह सकता हूं कि लिस्ट मेरे पास है, जिसमें 427 व्यक्तियों को इस प्रकार से नाजायज खनन में आइडेन्टिफाई किया गया, उन 427 व्यक्तियों में से किसी के पास 15X-15 फीट का पट्टा है, उस पर 228 रुपये

(श्री शिवच[illegible] माथुर)

वसूली, किसी के पास 25×30 का पट्टा है, किसी के पास 25×20 का पट्टा है किसी के पास 50×40 का पट्टा है, किसी के पास 15×10 का पट्टा है यह सारे छोटे लोग थे, उनकी राशि कितनी थी ? एक प्रश्न पिछले सत्र में पूछा गया कि साढ़े तीन करोड़ रुपये की राशि गवर्नमेन्ट ने छोड़ दी, उसको घटाकर डेढ़ करोड़ कर दिया मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, न साढ़े तीन करोड़ रुपया था, न डेढ़ करोड़ रुपया था। कुल मिलाकर जो राशि बननी थी, वह इस प्रकार थी. वसूली जो स्थगित की गयी वह 10 लाख 72 हजार 904 रूपये 25 पैसे की वसूली स्थगित की गयी उसमें से 66,978.27 पैसे की वसूली की गयी। 2 लाख 70 हजार 840 रुपए के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया कि यह छोड़ी नहीं जा सकती, इसकी वसूली की जानी चाहिए। वह वसूली के प्रॉसेस में है। मैं समझता हूँ माइनिंग विभाग उसमें कार्यवाही कर रहा होगा। ज्यादा जानकारी माइन्स मंत्री, जब अपनी बात कहेंगे डिमाण्ड्स के वक्त में तब बता देंगे. कुल मिलाकर बाकी बची राशि थी उसमें छूट देने का सवाल है। जब साफ तौर से माना गया कि विभाग की गलती या किसी और की गलती से यह रुपया रह गया तो कहां साढ़े तीन करोड़ रुपये और कहां डेढ़ करोड़ रुपये और कहां ले देकर 7·8 लाख रुपये, उसमें भी सरकार को नुकसान भी हो गया और मैं भी खा गया डेढ़ करोड़ रुपए और उसमें सरकार को भयंकर तौर से अनियमितता का सामना करना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आता, इस प्रकार बातें कैसे कहते हैं। जैसा कि अभी पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर साहब ने कहा, विरोधी पक्ष के नेता, जो पार्लियामेन्ट के मेम्बर रहे हैं, असेम्बली में बैठते रहे हैं और मैं यह मानता हूँ, वर्षों से इस सदन का इतिहास बताता है कि जो भी मुख्य मंत्री रहा हो सुखाड़िया जी से लेकर आज तक ने कभी किसी को बख्शा नहीं। चाहे बात सही हो या गलत हो उन्होंने हमेशा इस प्रकार के आरोप हम पर लगाये हैं। वह आरोप कितने टिक पाये, कितने नहीं टिक पाये यह तो पुराना इतिहास बताता है। आज भी कहता हूँ वह कितने टिक पाये, यह तो समय बतायेगा लेकिन उनकी आदत है। मैं कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रतापूर्वक कि संसदीय परम्परा को हमें गालिब बनाना है, मैं यह भी नहीं कहता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री या राजस्थान का कोई भी मंत्री हो, उसको छूट हो, उसके पट्टे लिखें हों, जो पोजीशन उसने प्राप्त की है उसके जरिये अनधिकृत कब्जे करते जायें और गड़बड़ियां करते जायें मैं यह नहीं कहता लेकिन आपको आरोप लगाने के पहले... ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपदेश देने के बजाय आप यह बताइये कि माइन्स सेक्रेटरी ने फाइल पर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा मैं केवल एक जानकारी करना चाहता हूँ......

(व्यवधान)

यदि मुख्य मंत्री जी की नीयत साफ हो तो डायरेक्टर माइन्स और माइन्स इंजीनियर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी है वह सदन की मेज पर रखें ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जब आप मुख्य मंत्री थे और जब कभी आप फ्लोर के पजेशन में होते थे तब मैंने कभी खड़े होकर बीच में डिस्टर्ब किया ? क्या कर रहे हैं

(व्यवधान)

आप बोलते थे, मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, आप बीच में खड़े होकर बोलते है. मुख्य मंत्री is in possesion of the house....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर । जो भी किसी को सम्बोधित करे आसन के द्वारा सम्बोधित करें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर । माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह ने पहले उठाया है।

[व्यवधान]

आर्डर आर्डर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्यमंत्री, स्वायत्त-शासन): अध्यक्ष महोदय, यह जो कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो रही है सदन का समय बचाने के लिये और आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं 1980 के दिसम्बर माह में कमेटी का फाइनल फैसला हो गया और 16-4-1980 को डाइरेक्टर माइन्स को कम्युनिकेट कर दिया गवर्नमेन्ट का डिसीजन तब माननीय मुख्य मंत्री जी न मुख्य मंत्री बने थे, यह डिपार्टमेन्ट हमारे पास नहीं था, उसके तीन महीने पहले एक सही निर्णय लिया गया था। यह उस इलाके का बहुत बड़ी समस्या थी, लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई थी । गवर्नमेन्ट के डिसीजन को कम्युनिकेट कर दिया मुख्य मंत्री बनने से पहले और यह आज....

[व्यवधान]

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस प्रकार प्रश्न पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये कहते हैं ! यह मंत्री जी का पाइन्ट आफ आर्डर है

[व्यवधान]

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में अनुमति नहीं मिलने वाली है । मैं मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मुख्य मंत्री जी । कृपया बाधा न डालें ।

[व्यवधान]

श्री शिवचरण माथुर : मैं रिप्लाई नहीं दूंगा । I will not reply

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब नहीं दे सकते....

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं माननीय सदस्य । आसन पैरों पर है । कृपया बैठ जायं ।

[व्यवधान]

माननीय सदस्य, बैठ जायं । आर्डर आर्डर ।

[व्यवधान]

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाये ऐसा है, मुख्य मंत्रीजी...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं उस सम्बन्ध में यदि विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वह वक्तव्य समाप्त कर दें उसके बाद में मैं आपको अवसर दे दूंगा., ..

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : मैं उस वक्त आपको अवसर दूंगा। आप वाद-विवाद के नियमों से अच्छी तरह से परिचित हैं । मैं आपको अवसर दे दूंगा। बाद मे प्रश्न पूछ लें । कृपया बीच में बाधा न डालें । आवेश में न आयें, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बिजोलिया और बेगूं के खनन् पट्टों के सम्बन्ध में मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैं सब बातें स्पष्ट कर चुका हूं ।

दूसरी बात यहां हैण्ड,पम्प के सम्बन्ध में कहीं गई । उसका भी स्पष्ट तौर से जवाब दे दिया गया ।

दूसरी बात यह कही गयी कि श्यामनगर में मेरे पुत्र का एक मकान है, नाजायज तरीके से, अनधिकृत तरीके से उस पर मकान बनाया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ तथ्यों की आप को जानकारी देना चाहता हूं। यह श्यामनगर की जो स्कीम है उसमें 1973 में हम लोगों ने एक प्लाट के लिए एप्लाई किया। एक सोसायटी के मेम्बर की हैसियत से मेरे बेटे ने एप्लाई किया, वह 30-8-1973 को मेम्बर बना...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के अन्दर जितनी भी सहकारी समितियां हैं उन सहकारी समितियों में से शायद यह स्कीम सबसे पहले एप्रूव होने वाली स्कीम्स में से एक है ? मैं नहीं कहता कि इस सोसायटी की सारी स्कीम्स एप्रूव्ड है लेकिन यह जो जगह है सबसे पहले एप्रूव हुई और 30-9-1973 को सोसायटी ने करीब 22 लाख रुपये जमीन के कन्वर्शन चार्जेज जमा करवाये । जमा कराने के बाद में उस एरिया में उन्होंने सड़कें बनवाई पाइप लाइन डाली और बिजली के खम्भे लगाये । वहां पर मकान बनना शुरू हुये । मकान शायद इस जमीन के कन्वर्शन के पहले भी शुरू किया जा सकता था लेकिन मैंने सावधानी रखी चूंकि हम लोग राजनीति में जिन्दा रहते हैं इसीलिये जब तक इस स्कीम का पूरी तरह से टाउन प्लानिंग से एप्रूव होकर के यू० आई० टी० नक्शा एप्रूव नहीं किया जाता तब तक हमने उस मकान को बनाना शुरू नही किया । प्रश्न यह चल रहा था कि इसमें डवलपमेन्ट चार्जेज क्या लिये जायें हमने उस समय यू०आई०टी० से कहा कि आप डवलपमेन्ट चार्जेज का कोइ फैसला करें, चाहे और लोगों ने मकान बना लिये हो हमको यह बता दीजिये कि डवलपमेन्ट

(श्री शिवचरण माथुर)

चार्जेज क्या लेना चाहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे कहूं डवलपमेन्ट चार्जेज का फैसला होने के बाद और जो हमने नक्शा पहले सबमिट कर रखा था उस नक्शे को यू॰आई॰टी॰ ने उस नक्शे को पास किया। पास करने के बाद में यह मकान वहां पर बनाना शुरू हुआ

अध्यक्ष महोदय, शायद मैं मुख्य मंत्री बनने के बाद में उस मकान में एक ईंट लगाता यह कह देते कि पता नहीं कितनी रिश्वत खा कर के लाखों रुपयों का मकान बना लिया लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने उस मकान में प्रवेश किया 9 जुलाई, 1981 को उसके ठीक 5–6 दिन बाद मुझे मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला लेकिन वह मकान पूरा होकर के 9 जुलाई को मैं उस मकान में जा चुका था ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस मकान के पास और कोई प्लाट भी खाली है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर: अध्यक्ष महोदय, यह मेरे बच्चे से सम्बंधित मामला है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं इतना तक कह सकता हूं कि सारी फाइल आप देख लें, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय स्वयं देख लें मेरी स्पष्टता इस बारे में इतनी है कोई इसमें कहीं पर भी कुछ अनधिकृत तरीके से इर्रेगुलर कॉलोनी में बिना यू॰आई॰टी॰ की स्वीकृति के अगर वहां पर मकान का निर्माण किया गया हो तो आप जो कहेंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि व्यक्ति की आवश्यकता मकान बनाने की होती है। कन्वर्शन के मामले में हमने जो पालिसी अडाप्ट की उसका मूल आधार यह था कि पिछले दिनों में चूंकि जयपुर शहर की आबादी जो बढ़ती जारही है, उस बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुये कोई जमीन अलाट करने के लिये नहीं निकाली धीमी गति से बात चलती रही और जिन हजारों लोगों ने यहां पर मकान बना लिये उनको आज दिन तक अनियमित करार दे रखा है। हमने एक नीति बनाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी कितनी ही आलोचना करें उसके इम्पलीमेन्टेशन में आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन नीति मूल में सही थी, आज हजारों आदमियों ने जयपुर में राहत की सांस ली है। उन्होंने यह कहा है कि अनियमित रूप से मकान बनाने के लिये हमको गलत आदमी करार दिया जाता था, सरकार ने एक नीति के आधार पर, टाउन प्लानिंग के आधार पर जितने जयपुर में मकान बनाये गये उन मकानों को रेगुलेराइज कर दिया लेकिन हम तो उसमें भी नहीं आते हैं बिलकुल नियमित रूप से एक एप्रूव्ड कॉलोनी के अन्दर यू. आई. टी. के द्वारा जो एप्रूव्ड नक्शा था उस नक्शे के एप्रूवल के बाद मकान को बनाया । बनाने के बाद में मैं मुख्य मन्त्री बना। उसके पहले मैं मकान में दाखिल हुआ। मैं नहीं समझता, कहां तो मैंने अनियमितता कर दी कहां मेरे पुत्र ने अनियमितता कर दी। और कहां वह अनियमित मकान बना कर ले गया यह सारी बातें, अध्यक्ष महोदय आप स्वयं देख लें। मैं तो आप पर छोड़ता हूं आप स्वयं देख लें ।

अब एक और अन्तिम बात जो मेरे पुत्र के बारे में कहा जाता है कि वह एक फर्म का

(श्री शिवचरण माथुर)

पार्टनर है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि वह फर्म का पार्टनर है। मैं समझता हूं कि किसी फर्म का पार्टनर होना और व्यापार करना, धन्धा करना कोई गुनाह नहीं है। वह एक इन्जीनियर है, न केवल मैकेनिकल इन्जीनियर है लेकिन उसने इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स पास किया है इलेक्ट्रोनिक्स का। उसने दो-तीन नौजवानों के साथ में एक पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में भी मैं आपको बताऊं, उनका जो हिस्सा है उनका पैसा नियमित रूप से इन्होंने चैक के द्वारा दिया। बाकायदा पार्टनरशिप उसमें दाखिल की। पार्टनरशिप दाखिल करने के बाद आज वह पार्टनर है। अगर वह पार्टनर रहता है और उसके सम्बन्ध में कोई बात यहां पर कही जाती है, चार्ज लगाये जाते हैं तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूं, यदि वह चार्जेज हैं तो जो कानून है देश का वह उसके पीछे रहेगा और उसमें कोई दिक्कत आयेगी, कोई गलती है तो उसको सजा मिलेगी। उसमें कहीं मैं बीच में नहीं आता हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह बात कहें कि मुख्य मंत्री के लड़के या मन्त्री के लड़के को कुछ काम करना ही नहीं चाहिये। मैं आपसे कह सकता हूं अगर वह राजनीति के बीच में आता है और राजनीति में आकर मेरे पद का दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए सख्त से सख्त सजा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे मुख्य मन्त्री हो या मंत्री हो, कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कुछ उसके साधन सुविधायें मिली हुई हैं, एक समाज में उसको स्थिति मिली हुई है उसके साथ-साथ वह देश का नागरिक भी है। साधारण तौर से देश के कानून के अनुसार उसको जो राहत मिल सकती हो…

श्री अध्यक्ष : मन्त्रियों के लड़के काम में लगे रहें अपने आप, में ज्यादा अच्छा है।

[व्यवधान]

श्री चन्दनमल वैद (राजस्थान नहर परियोजना मंत्री) : राजनीति में वही जावे जिनके लड़के नहीं हों।

एक माननीय सदस्य : राजनीति में जो काम करते हैं उनके लड़के जब काम नहीं करते तो राजनीति में कमा कर खाते। राजनीति में लग जाते।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, इस सदन में बैठ करके हम एक नागरिक के अधिकार को भी डिनाई करें, एक नागरिक के अधिकार को भी इन्कार करें और एक साधारण तौर से जैसे नागरिक जिन्दा रह सकता है चूंकि हम हाउस में बोल सकते हैं, हम हाउस में किसी के बारे कुछ भी कह सकते हैं यदि यह प्रक्रिया अपनाई गई तो मैं नहीं समझता हूं कि इस देश के प्रजातन्त्र का क्या भविष्य होगा जहां मैं यह बात करता हूं वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा चरित्र दुनियां के सामने बहुत स्पष्ट होना चाहिये। उस चरित्र के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। हमारी धरोहर ही असल में हमारी छवि है। यदि बिगड़ती हैं तो फिर राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यही बात कहना चाहता हूं कि पार्टनरशिप फर्म उसकी है और उसमें कोई गुनाह नहीं है अगर वह काम करता है मैं उसके

(श्री शिवचरण माथुर)

अधिकार को छीन नहीं सकता वह काम करेगा। यदि कुछ काम उसने किया उसके बीच में कोई शिकायत किसी ने की तो उसका इन्वेस्टीगेशन होगा और जो कुछ भी कार्यवाही कानून के अनुसार होगी वह कार्यवाही होगी। यही मैं इस मौके पर अपनी व्यक्तिगत स्तर पर कहना चाहता हूं।

मैं अन्त में यह बात कह करके कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता कम से कम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लम्बी साधारण जिन्दगी उनकी भी रही है, हम लोग भी आज राजनीति में नये नहीं है, कुछ अच्छी परम्पराओं का निर्माण करें और अच्छी परम्परा का निर्माण करके समाज को यह बताने की चेष्टा करें कि यहां बैठ करके प्रजातन्त्र के माध्यम से जो हमारा एक बड़ कस्टोडियन है सदन उसमें हम किस प्रकार से बर्ताव करें कैसे एक दूसरे का विरोध करने वाली बात करें, यदि हम लोग कुछ अच्छी परम्परा का निर्माण कर सकें तो मैं यह मानता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम छाप छोड़ सकेंगे यहीं स्पष्टीकरण दे करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त में पूजा ड्रिलिंग कम्पनी की बात आई तत्कालीन सभापति महोदय बैठे थे उस वक्त मैंने यह पाइन्ट उस उठाया था वक्त में व्यवस्था दी गई थी कि ये बोल लें उसके बाद में आप दो शब्द कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं स्पष्टीकरण का अवसर मैं बाद में दूंगा। विरोधी पक्ष के नेता

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले में खड़ा हुआ था पहले भी मैं ही पहले खड़ा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय पूजा ड्रिलिंग कम्पनी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उसमें मेरा एक रिश्तेदार जरूर उसमें पार्टनर है। उसके साथ साथ में तीन चार दूसरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग जिनकी पीढ़ियों से कुए खोदने का काम करते आये हैं उन्होंने भी कम्प्रेशर वगैरह ट्रेक्टरों पर चला करके कुए खोदने कुछ अनुभव हासिल कर लिया था। इस-कालिए मेरे से भी इन्होंने राय ली और पार्टनरशिप के अन्दर यह काम काज शुरु किया। पार्टनरशिप के अन्दर जब यह काम काज शुरु किया तो जिस अधिकारी का इससे सम्बन्ध था उनके पास में उनको यह निवेदन करने के लिए मैं भी गया कि उनको भी कुछ काम दिया जाय लेकिन उनको कहीं किसी जगह पर बहुत पर्याप्त मात्रा में काम नहींमिला। नहीं मिलने की वजह से यह नौबत हो ही गई कि वह बेचारे पार्टनरशिप कोखत्म करके नौकरशाही से तंग आ करके बैठ गये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पहला स्पष्टीकरण यह चाहूंगा कि श्यामनगर

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शान्त रहें. माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मुख्य मन्त्रीजी के शुभ चिन्तक हैं....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप भी शुभचिन्तक हो ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, मैंने अवसर दिया है विरोधी पक्ष के नेता को ।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर । सदन की माननीय सदस्य, मर्यादायें है। कृपया शान्ति से सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे तो पाइन्टेड क्वेश्चन्स हैं। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता।

क्या मुख्य मन्त्रीजी ने श्यामनगर कालोनी में जो मकान बनाया है उसके डवलपमेन्ट चार्जेज जमा कराये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि इसी श्यामनगर कालोनी में उनके मकान के पास मुख्य मन्त्री बनने के बाद में उन्होंने और जमीन ली है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर एक बात और पूछना चाहता हूं. क्या जिस जगह आपने मकान बनाया है उसका लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस निकला है और आपने लैण्ड एक्वीजीशन के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया ? इस कालोनी के सम्बन्ध में तो केवल एक ही जानकारी चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक और जानकारी मैं करना चाहूंगा । इस आरोप को तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और अधिकार मान लिया कि मेरे लड़के का अधिकार है कोई पार्टनरशिप करने का मेरी जो आपत्ति थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप तो स्वीकार कर लिया इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस राजनीति के योग्य अपन दो ही हैं.....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक वेगूं बिजौलिया क्षेत्र में खनन का मामला है उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी के पास वह डेपुटेशन लेकर गये, भूतपूर्व खनिज मंत्री के पास वह डेपुटेशन लेकर गये । तो जिस बैकग्राउण्ड में मैंने सारी बात कही थी उस सीमा तक तो उन्होंने बात स्वीकार की । मैं जानकारी करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि माईनिंग डिपार्टमेन्ट के डायरेक्टर ने और जिन लोगों ने इन्वेस्टीगेशन किया इस इन्वेस्टीगेशन और इन्क्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर कितनी पैनल्टी होती थी ? उस पैनल्टी की मात्रा बता दें ।

श्री शिवचरण माथुर : दस लाख बताया मैंने आपको ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो असेसमेन्ट आपने किया है ।

श्री चन्दनमल बैद : No. डिपार्टमेन्ट की है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्यामनगर के सम्बन्ध मे कागज आपको दिखाने की बात कही है, मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि माइन्स के मामले में भी अध्यक्ष महोदय को कागज प्रस्तुत कर दें । अध्यक्ष महोदय यह रिकार्ड में आ जाये ।

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तीसरा सवाल माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा । क्या आपने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये ? यह वसूली नहीं की जाय, इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो फाइल ही सुपुर्द कर दी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है• अब तीसरा सवाल है ।

माननीय मन्त्री महोदय, जिन्होंने हैण्ड पम्प के मामले में बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दिया, से मैं जानकारी करना चाहूंगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जमी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात जमी नहीं इसलिये बोलना चाहते है कि कुछ मन की नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये जानकारी कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

जमती बात उस समय जब मुख्य मन्त्री जी मेरी बात का विरोध करते । उन्होंने लगभग सब बातें स्वीकार कर लीं । उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि उनके लड़के की इन्जीनियर, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज है, के साथ पार्टनरशिप हैं ।

(व्यवधान)

पार्टनरशिप है, यह स्वीकार किया या नहीं ? पार्टनरशिप में चीफ इन्जीनियर का लड़का है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : सदन अपने आप उसका इन्फरेन्स उसका नतीजा निकाल लेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन बृजसुन्दरजी कह रहे थे कि बात जमी नहीं इसलिये बात जमा रहा हूं ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा था, माननीय मन्त्री महोदय ने एक बात कही कि 25 फरवरी का जो नोटिंग है पी. एच. ई. डी. के सैक्रेटरी का जिसका अभी आपने रेफेरेन्स दिया और कहा, आगे का नहीं पढ़ा यह नहीं पढ़ा । क्या उसमें एक लाइन यह भी लिखी हुई है कि चूंकि इन कम्पनियों ने इस प्रकार का व्यवहार किया इनका कान्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाये ? इस बात पर आपके भी हस्ताक्षर है और मुख्य मन्त्री जी के हस्ताक्षर हैं कि उसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा है ? पहला प्रश्न ।

दूसरा प्रश्न जो मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं यहां भीलवाड़ा के जिला प्रमुख की कम्पनी है राम और रहीम कम्पनी दूसरा कम्पनी है पूजा एण्ड कम्पनी । आपको जानकारी है या नहीं है, भीलवाड़ा में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चार फर्म्स है। फर्म पूजा एण्ड कम्पनी ने राम रहीम कम्पनी को हैण्ड पम्प खोदने का सब काम लेट किया था।

तीसरी बात पूछना चाहता हूं वह यह है कि जिस फाइनेन्स कमेटी का ग्राप जिक्र कर रहे हैं। क्या यह सही है कि उस फाइनेंस कमेटी ने प्रारम्भ में दो करोड़ के पहले टैन्डर इन्वाइट किये थे ग्रौर बाद में 18 करोड़ रुपये का काम दिया यदि 18 करोड़ रुपये के टैण्डर का संकेत ग्राप पहले देते तो मैं समझता हूं कि आपके पास काम्पटीटिव रेट आती, जो नहीं आई है।

ग्रब अन्त में मैं यह एक सवाल ग्रौर करना चाहूंगा ग्रध्यक्ष महोदय, मन्त्री ने यह कहा कि इसमें कम्प्रोमाइज का प्रोफार्मा कहां से आया? क्या इस फाइल में जिस नोटिंग को मैंने पढ़कर सुनाया उसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक ग्रादमी, खास तौर से इस फर्म का आदमी इस केस को परश्यु करता है। यह कम्प्रोमाइज का फार्मूला ग्राप कहां से ले ग्राये? ग्रध्यक्ष महोदय जब सन् 81 में कोर्ट से स्टे ग्रार्डर मिला तो उस स्टे ग्रार्डर को ग्राज दिन तक वैकेट क्यों नहीं कराया गया? इसके लि कोर्टस में कितनी बार पेशियां पलटी गयीं, कितनी बार पेशियों पर आपके एडवोकेट एब्सेन्ट रहे? उन लोगों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया यह भी ग्राप बता दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय विपक्ष के नेता महोदय ने कल ही एक बात कही थी और आज भी वही बात दोहराई है कि पहले टैण्डर जो इन्वाइट किये गये थे वह केवल दो करोड़ के टैण्डर थे और बाद में बढ़ा कर 18 करोड़ रुपये का दे दिये न तो दो करोड़ की बात थी न 18 करोड़ की। इसमें तो सिर्फ 17 हजार 400 हैण्ड पम्प खुदवाने का मामला था जिसमें 13 हजार से लेकर 23 करोड़ रुपये की कीमत का काम बनता है। जो पूजा एण्ड कम्पनी ने काम को बाद में सब लेट कर दिया, मैं समझता हूं, यह जो बात कही है वह इनके फर्टाइल दिमाग की बात होगी। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा इससे कोई भी किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एक ही नहीं राजस्थान में मेरे ग्रन्डर में दो चीफ इन्जीनियर रहे, एक तो गोविन्द-लाल माथुर और दूसरा जैन। एक टैक्निकल मेम्बर रहा पहले श्री राजवन्शी ग्रौर उसके बाद में ग्रब गोविन्दलाल टैक्निकल मेम्बर है। एक चीफ इन्जीनियर बंशीराम पुरोहित है जोधपुर में है और यहां पर है जैन। उसके अलावा तीन एडिशनल चीफ इन्जीनीयर है एक एडिशनल मैकेनिकल इन्जीनियर है। 17 एस.ई. है मेरे पास, 90 एक्स. ई. एन हैं, 325 ए.ई.एन. ग्रौर एक हजार जे.ई.एन. हैं। इस प्रकार से मेरे पास में 1400 ग्रधिकारी हैं। इनमें से एक भी अधिकारी को नहीं कहा कि इस कम्पनी को हैण्ड पम्प खोदने का टैण्डर देवें। है कोई माई का लाल जो यह कह दे कि मैंने कहा, जो मेरे खिलाफ में यह कह सकता है। अगर है तो सभी को चेलेन्ज करता हूं ग्रौर सभी को चुनौति देना चाहता हूं, पूजा एण्ड कम्पनी ने क्या किया और क्या नहीं किया ग्रध्यक्ष महोदय यहां पर नागौर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उन्होंने किसी भी आफिसर से बात की होगी। पर उन्होंने मेरे से बात नहीं की, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरे पास आने की और पूंजा एण्ड कम्पनी की बात कहने की। अगर उन्होंने कहा तो आप उनको कहें कि आनेस्टी से और ईमानदारी से कह दे।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक नोटिंग का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में जब नोटिंग की बात कही है और टोटल बात यहां पर आ ही गयी है तो मैं उसकी एक कापी आपको सबमिट करता हूं। यह यह पूरी की पूरी फाइल है नोटिंग के बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या पेश करते हैं। मेरे पास इसकी फोटो स्टेट कापी है।

(व्यवधान)

क्या सैक्रेटरी ने यह नहीं कहा था ?

श्री परसराम मदेरणा : सैक्रेटरी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उसकी तो सर्विस है। दूसरे हमने तो डाइरेक्टर जनरल पुलिस को केस दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कौनसा केस पुलिस को दे दिया है ? सैक्रेटरी की रिकमन्डेशन है कि इस तरह से फर्म का व्यवहार अच्छा नहीं हैं और एग्रीमेन्ट के अनुसार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो भी हो पुलिस इसका इन्वेस्टीगेशन कर रही है। इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसको नहीं छोड़ा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जब कोई बात एक्ट ही नहीं हुई, उसको जब विथड्रा ही कर लिया गया और वह जब कैन्सल ही हो गया तो फिर इसमें क्या बात रही ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा कानून है ? यह क्या जवाब दे रहे हैं, मन्त्री महोदय ? वहां पर काम सब लैट किया गया।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का सदन में वातावरण बना कर झूठा इलजाम लगाकर डिमोरेलाइज किया जा रहा है। यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में महीपाल मदेरणा बैठा हुआ हैण्ड पम्प की सैंक्शन देता है। यह सबलैट हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। कृपया शान्त रहें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर माननीय सी.पी. जोशी ने कहा और भी माननीय सदस्यों ने कहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर-आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

श्री शिवचरण माथुर : दो तीन बातों के बारे में जरा कह दूं।

(व्यवधान)

घोषणा

अनुदान की मांगों को
प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
अनुदान की मांगों पर विचार के
लिये समय का विभाजन

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। चर्चा समाप्त हुई। आसन पैरों पर है। अनुदान की मांग प्रस्तुत करने की प्रकिया की घोषणा।

अनुदानों की मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर वाद विवाद के सम्बन्ध में प्रकिया।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है। समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसी कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा, उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो पार्टी की ओर से बोलना चाहें अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे। उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये: ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को दो घन्टे 10 मिनट, जिसमें मन्त्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिये समय का विभाजन निम्न प्रकार होगा :

भारतीय जनता पार्टी	0.45 मिनट।
जनता पार्टी (जे.पी.)	0.20 मिनट
लोकदल	0.15 मिनट
कांग्रेस (श)	0.10 मिनट
सी. पी. आई	0.10 मिनट
सी. पी. एम	0.10 मिनट
	4.00 मिनट

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। ऐसा कभी नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय, कभी कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों के नहीं मिलते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में व्यवस्था की हुई है। अगर कहीं पर त्रुटि रही है तो उसको ठीक किया जायगा।

आय व्ययक (बजट) 1982-84 अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान।

अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार चिकित्सा मंत्री श्री खेतसिंह। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ और सफाई मंत्री मांग संख्या 26 प्रस्तुत करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पॉइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सदन की आज दिन तक यह परम्परा नहीं रही है कि मांग पर विचार का समय विभाजन किया जाय। समय का विभाजन आज दिन तक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सदन में सदैव ऐसा होता रहा है। माननीय सदस्यों की सुविधा के अनुसार बैठक का समय भी बढ़ाया जाता रहा है और सदन के माननीय सदस्यों को वाद विवाद में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाती रही है। हमारे रूल्स में ऐसा प्रावधान है।

चिकित्सा मंत्रीजी।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92 करोड़ 91 लाख 83 हजार रुपये तक राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

1-टोंक जिला अस्पताल में मरीजों के आपरेशन करने हेतु समुचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2-जिला मुख्यालय टोंक की आबादी के अनुपात में जिला चिकित्सालय में बेड्स बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

3-नर्सिंग अधीक्षिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

4-राजस्थान नर्सिंग कौसिल को दी जाने वाली अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

5-नर्सिंग कालेज, जयपुर में प्रिंसिपल के पद पर निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति का चयन न करने से उत्पन्न अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

6-राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल के रजिस्ट्रार के पद पर योग्य व्यक्ति के चयन पर चर्चा के लिये।

7-नर्सिंग कालेज, जयपुर में लड़कों को प्रवेश न देने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

8-भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को विशेष वेतन गर्म वर्दी आदि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

9-आबादी के अनुपात में चिकित्सालयों, औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री मालाराम (खेतड़ी):

10-सीकर नगर में बढ़ती हुई जनसंख्या अनुपात में दो और डिस्पेन्सरियां खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

11-श्री कल्याण चिकित्सालय में स्टाफ, शैयाओं की कमी, निरन्तर व्याप्त गन्दगी एवं कॉटेज वार्ड के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री मालाराम (खेतड़ी):

12-सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोलीड़ा में चिकित्सा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति न मिलने से बढ़ते जन असंतोष को दूर कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु चर्चा के लिये।

13-सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने हेतु चर्चा के लिए

14-सीकर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेनपुरा के ग्राम चारण का बास में औषधालय भवन उपलब्ध होने के बावजूद औषधालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर):

15-ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की चिकित्सा हेतु मोबाइल युनिट्स बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

16-पश्चिम राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था केन्द्र बढ़ाने व डाक्टर व अन्य कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

17-झालावाड़ जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्ति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18-झालावाड़ जिला चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

19-उदयपुर होस्पिटल में कोबाल्ट प्लान्ट की स्वीकृति प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) :

20-भीलवाड़ा तहसील में बड़ा महुआ में डिस्पेन्सरी खोले जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

21-बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अस्पताल में दवाई व सफाई का इन्तजाम न होने पर चर्चा के लिये ।

22-सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में डिस्पेन्सरी व सब सैन्टर अधिक खोलने व स्टाफ के रिक्त स्थान भरने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

23-जिला बीकानेर में आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयां पूरी मात्रा में नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24-जिला बीकानेर के ग्राम अकासर, बरसलपुर व भलूरी में आयुर्वेद औषधालय में वैद्यों के गत तीन वर्षों से अनुपस्थित रहने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

25-पी०बी०एम० चिकित्सालय, बीकानेर में एम्बूलैन्स एवं पूछताछ के टेलीफोन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

26-जिला बीकानेर, जैसलमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों पर सांप काटों की व अन्य दवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

27-जिला बीकानेर के ग्राम बिजेरी, सुरजड़ा, आर०डी 0860, खारीचारणान, हाडला, मेघासर, श्री रामसर, घड़सीसर, आम्बासर व किलयु में डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

28-पी०बी०एम० चिकित्सालय, बीकानेर एवं अन्य चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को घटिया खाद्य-सामग्री वितरित करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :

29-प्रतापगढ़ में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक एक भी नवीन आयुर्वेद औषधालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

30-प्रतापगढ़ तहसील में वर्ष 1980-81 से वर्ष 19‧2-83 तक औषध वितरण में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री असलम खां (बाली) :

31-ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने एवं जनसंख्या के आधार पर दवाइयां उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री मेरू सिंह गुर्जर (खारची)

श्री असलम खां (बाली)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रामनारायण डूडी (विलाड़ा) :

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

32- ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा अस्पताल खोलने तथा वहां पर ज्यादा मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

33- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की चिकित्सा व्यवस्था में आवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये।

34- दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तात्कालिक उपचार की व्यवस्था सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कराने हेतु 50 बैड एवं आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जाने की चर्चा के लिये।

35- पंचायत समिति, बस्सी के ग्राम बड़वा में डिस्पेन्सरी खोले जाने पर चर्चा के लिये।

36- जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर चर्चा के लिये।

37- आयुर्वेदिक औषधालयों में उच्च कोटि की औषधियां उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

38- आयुर्वेद औषधालयों में औषधि अधिक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39- ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में ही पद-स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरुसिंह गुर्जर (खारची) :

40- ग्राम केसूली व भीमालिया जिला पाली में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु चर्चा के लिये।

41- राणावास जिला पाली में प्रसूति गृह स्वीकृत कर महिला चिकित्सक की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

42- खिवांड़ा जिला पाली में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु चर्चा के लिये।

43- राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उप-स्वास्थ्य केन्द्र पाली जिले के सारण गांव में नर्स की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

44- राजगढ़ में रैफरल अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45- राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की कमी होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46- राजगढ़ क्षेत्र (अलवर) में चिकित्सा सुविधाओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणकचन्द मेहता (पाली)

श्री असलम खां (बाली) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

47- राजकीय चिकित्सालयों में अव्यवस्था से मरीजों को होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

48- निवारु, माचुवा दुजियावास छापराड़ी कांट, कालीघाटी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

(सुश्री पुष्पा जैन)

49– पी.एच सी., जाहोता एवं पी.एच. सी. सिरसी में समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

50– आमेर डिस्पेन्सरी में समुचित चिकित्सा व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

51– बाड़मेर जिले के ग्राम बुठीया, खलीफा बावड़ी रतेउ काश्मीर में हैल्थ सब सैन्टर खोलने पर चर्चा के लिये।

52– बाड़मेर जिले के ग्राम राणासर में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री भेरुलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

53– उदयपुर की हर पंचायत में एक डिस्पेन्सरी खोली जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) :

54– सांचोर में रेफरल अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

55– जवाहरलाल नेहरू [जे एल.एन.] अस्पताल, अजमेर में कीमती दवाइयों पर उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56– अजमेर शहर के अस्पतालों की दवाइयां केमिस्टों को बेचने पर चर्चा के लिये।

57– जे.एल एन. हास्पिटल, अजमेर में नये ओपरेशन थियेटर आधुनिक यन्त्रों सहित न होने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

58– आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में सुधार एवं शोध कार्य पर बल देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59– आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाओं की उचित मात्रा में व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

60– आबादी के अनुपात में ग्रामीण इलाकों के चिकित्सालयों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61– जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

62– दवाइयों तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

63– जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति क्षेत्रों की आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

64– ग्रामीण चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

65– जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र में मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये।

66– जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू क्षेत्र की ग्रामीण जनता के लिये चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा मोबाइल यूनिट्स उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाडी (बस्सी) :

67– ग्रामीण क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों के वैद्य प्रभारी अनुपस्थित रहते हुये उपस्थिति दिखाकर वेतन प्राप्त करने की मनोवृति को रोके जाने हेतु चर्चा के लिये ।

68–आयुर्वेदिक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व वैद्य परिवारों को आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा कराने के लिये प्रेरित करने हेतु चर्चा के लिये ।

69–वैद्यों द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को त्याग कर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से निजी चिकित्सा कर धन अर्जित करने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये ।

70–प्रा०स्वा० केन्द्र बस्सी (जयपुर) एवं कोटखावदा को नेत्र शल्य उपकरण एवं औजार आदि से सुसज्जित किये जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

71–राजकीय चिकित्सालय बांसखोह (जयपुर) के भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान नहीं कराये जाने संबंधी चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली):

72–बाली उप खण्ड मुख्यावास पर चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

73–डबोक व मावली डिस्पेन्सरी के लिये दानदाता नें भवन बना दिया लेकिन घोषित डिस्पेन्सरी अन्यत्र ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

74–चितरंजन मोबाइल यूनिट के पास लाखों रुपयों की मेडिसिन का समय पर उपयोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

75–उदयपुर में टी०वी० होस्पिटल में बीमारों से जबरन फीस वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

76–उदयपुर नगर में जिला अस्पताल की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

77–उदयपुर नगर की जनसंख्या को ध्यान में रख कर वार्ड संख्या 3,4,5,6 में नई डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) :

78 आयुर्वेद विभाग पिछले दो वर्ष से अपने बजट का पूरा उपयोग नहीं कर पाया था इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय में दवाइयां बिल्कुल नहीं मिलती, इस पर चर्चा के लिये ।

79–आयुर्वेद वैद्यों का वेतनमान अन्य राज्यों की तरह डाक्टर के समान किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

80–प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्रसूति गृह की व्यवस्था की चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दर लाल (सूरतगढ़) :

81–सूरतगढ़ में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

82–राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

83–राज्य सरकार प्रति 10,000 की आबादी पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोल सकी है, इस पर चर्चा के लिये ।

(श्री बहादुर सिंह)

84–राज्य सरकार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर चिकित्सकों की पूर्ति करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

85–राज्य सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सही ढंग से चलाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

86–सरकार ग्रामीणों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु कोई भी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम राज्य में नहीं चला सकी है, इस पर चर्चा के लिये।

87 सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दगी से फैलने वाले रोगों पर काबू पाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

88–सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी तौर पर आंखों के आपरेशन कैम्प पोलियो के टीके लगाने के कैम्प कार्यक्रम नहीं कर पाई है, अतः इस पर चर्चा के लिये।

89- सरकार चिकित्सकों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चिकित्सा सेवा करने के लिये कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

90- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत रूप में चिकित्सा कार्य करने वालों के विरुद्ध कोई भी कठोर कार्यवाही करने मे असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

91- भीलवाड़ा जिले में चिकित्सा सेवाओं का भारी अभाव है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

92- सांवलपुरा सवरान में चिकित्सालय नहीं होने के कारण ग्रामवासियों की असुविधा को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

93- नीमकाथाना में मातृशिशु कल्याण केन्द्र चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

94- डाक्टरों की कमी को पूरा करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) :

95- माण्डल नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

96- माण्डल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष खोले गये अस्पतालों व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर उपयुक्त स्टाफ की नियुक्ति करने हेतु चर्चा के लिये,

श्री पीरूराम (टीबी) :

97- टीबी क्षेत्र जिला श्री गंगानगर में चिकित्सालय खुलवाने व रावतसर चिकित्सालय को क्रमोन्नत करवाने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) :

98- सराड़ा जिला उदयपुर में चिकित्सा सुविधा नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

99- जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र के बिशनिया, टीठोड़ी लुहारी कलां टीकड़ में नवीन ग्रामीण डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिये।

100 जहाजपुर में 50 शैयाओं की वृद्धि तथा कनिष्ठ सर्जन के पद स्वीकार कर वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

Page No 107

(107)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

101-राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर पाई है, इस पर चर्चा के लिये।

102-राज्य सरकार भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों में स्टाफ की लगातार बनी रही कमी को दूर नहीं कर पाई है; इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

103-आयुर्वेद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

104-ग्राम घुलेट में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी प्रारम्भ करने के विषय में चर्चा के लिये।

105-सांगोद नगरपालिका क्षेत्र में महिला चिकित्सक पद सृजित कर देने के बावजूद भी नियुक्ति न देने के बारे में चर्चा के लिये।

106-आयुर्वेद विभाग द्वारा औषधियों के क्रय में किए गये भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये।

107-यूनानी चिकित्सा पद्धति का एक महाविद्यालय अलग से प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

108-महाराव भीमसिंह अस्पताल में भयंकर गंदगी एवं अव्यवस्था व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये।

109-महाराव भीमसिंह अस्पताल में अनेकों विशेषज्ञों के पद रिक्त चल रहे हैं उन्हें भरने हेतु चर्चा के लिये।

110-वैद्यों के स्थानान्तरण के अपनाई गई नीति पर चर्चा के लिये।

111-राज्य की रसायनशालाओं का आधुनिकीकरण करने बाबत चर्चा के लिये।

112-कोटा नगर में राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारम्भ करने बाबत चर्चा के लिये।

113-राज्य में आयुर्वेद निदेशक का पद न भर कार्यवाहक व्यक्ति से कार्य लिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं):

114-चित्तौड़गढ़ के रेफरल होस्पिटल को बी श्रेणी में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

115 पश्चिमी राजस्थान के जिला बाड़मेर व जालौर में पर्याप्त चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

116-ग्राम-चांदोली (अलवर) के औषधालय में औषधियां उपलब्ध न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

117-अलवर अस्पताल की ई. सी. जी. मशीन अक्सर खराब रहने के कारण उत्पन्न असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

118-अलवर अस्पताल की एम्बूलेंस गाड़ी वर्ष 1980 से खराब होने के कारण उत्पन्न असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल जैन)

119-खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट को रोकने में विभाग अकर्मण्य रहा है . इस पर चर्चा के लिये ।

120-अलवर जिले में हुए आंख फोड़ काण्ड के परिप्रेक्ष्य में आंखों के ऑपरेशन हेतु मोबाइल वान उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

121-अलवर अस्पताल में 500 एम.- ए. की एक्सरे मशीन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

122-पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र के चिकित्सालय, मनोहरथाना जावर और थनावद में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

123-पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र के ग्राम भुरैल्या डिस्पेंसरी क्रमोन्नत की जाने हेतु चर्चा के लिये ।

124-जिला झालावाड़ के अकलेरा चिकित्सालय को क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

125-झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में प्रथम ग्रेड कम्पाउण्डर्स के पद बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

126-पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कामखेड़ा सेमलीहार और चन्दीपुर में आयुर्वेद औषधालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये ।

127-जिला झालावाड़ के अकलेरा, मनोहरथाना चिकित्सालयों में लेडी डाक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

128-ग्राम कैलाई, तह० सिकराय में स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत होने के बावजूद कर्मचारियों की पोस्टिंग न होने से होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये ।

129-स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर स्टाफ की दवाइयों की कमी से हो रही ग्रामीण जनता को परेशानी पर चर्चा के लिये ।

130-सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के गांव जोध्या, नाहरखेहरा तथा अचलपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र न होने से जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन चोधरी (लाडनू)

131-ग्राम रताऊ एवं निम्बीजोधा में डिस्पेंसरी खुलवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

132-घौला खवारानी चावंडिया, चन्दवाजी, थलाई तथा रायसर में एलोपैथिक डिस्पेंसरी खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

133-कवरपुरा, नेवर बलोद घौला वीरासना तथा जयचंदपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री चतुर्भुज (टोडा राम सिंह):

134 पिछड़े हुए क्षेत्रों में अधिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

135-जालौर जिले में चिकित्सा एवं जनिक स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

136-सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

137. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने पर चर्चा के लिए।

138. केशवराय पाटन निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिए।

139 केशवराय पाटन में होम्योपैथिक औषधालय खोलने पर चर्चा के लिए।

140. केशवराय पाटन चिकित्सालय में महिला चिकित्सक का पद सृजित कर नियुक्ति पर चर्चा के लिए।

141. केशवराय पाटन क्षेत्र में आयुर्वेद औषधालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

142. कापरेन चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु चर्चा के लिए।

143. महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के मेडिकल ज्यूरिस्ट को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

144. प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

145. जिला सवाई माधोपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों के अभाव में ताले लगे हुए हैं, इसलिए उनमें कर्मचारी लगाने पर चर्चा के लिये।

146. सवाई माधोपुर में जो हॉस्पिटल है उसमें नर्सों और अन्य स्टॉफ की कमी को पूर्ण करने हेतु, चर्चा के लिए।

147. नगर सवाई माधोपुर में जो टीबी हॉस्पिटल चल रहा है उसको शहर से बाहर लगाने हेतु. चर्चा के लिये।

148. सवाई माधोपुर में हॉस्पिटल में पुरानी खराब एक्सरे मशीन को हटा कर नई लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

149. उदयपुर के टी. बी. सेन्टर में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

150. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

151. उदयपुर जिले के गोगुन्दा की पी. एच. सी. सायरा में अनियमितता एवं दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

152. आयुर्वेद विभाग में वैद्यों के वेतनमान में भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

Page No 110

(110)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :

153. रामगंज मण्डी तहसील के उप स्वास्थ्य केन्द्र की नर्सों को डेपुटेशन पर कोटा लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

154. दृष्टि विकार और अन्धता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम को टोंक जिले में लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. देशी दाइयों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. टोंक जिले में ग्रामीण एवं अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र में बन्ध्याकरण सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु सेवा योजना की क्रियान्विति नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. टोंक जिला मुख्यालय पर यूनानी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. निवाई नगर पालिका क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सालय नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. टोंक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. टोंक जिले में अस्पतालों में दवाई एवं औजारों की भारी कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. टोंक सहादत अस्पताल में अव्यवस्था से घोर असंतोष पर चर्चा के लिये।

163. टोंक में सहादत अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164– टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में 5000 ग्रामीण जनसंख्या पर स्वास्थ्य उप केन्द्र उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165- निवाई अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166- टोंक के टी॰ बी॰ क्लीनिक के भवन की जीर्ण क्षीर्ण अवस्था से उत्पन स्थिति पर चर्चा के लिये।

167– टोंक के टी. बी. क्लिनिक को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168– टोंक में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

169- टोंक जिला मुख्यालय पर जनाना अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

170– बाड़मेर मुख्यावास पर स्थित अस्पताल को 150 बैडेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

171– जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में जनरेटर की मजदूरी 300/– रुपये के स्थान पर 900/- रुपये देने पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

172- जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में आफिस असिस्टेन्ट ग्रेड थर्ड प्रवीक्षक ग्रेड प्रथम में पदोन्नत करने पर चर्चा के लिये ।

173- राजस्थान फार्मेसी कोन्सिल की उपसमिति द्वारा रजिस्टर्ड फार्मेसी का प्रमाणपत्र अपात्र लोगों को जारी करने पर चर्चा के लिये ।

174- जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में खराब पड़ी सैक्शन मशीनों की मरम्मत नहीं कराने एवं नई मशीनें खरीदने पर चर्चा के लिये ।

175- जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में आक्सीजन सिलेण्डर लाने ले जाने का कार्य स्वयं के वाहन से नहीं कराने पर चर्चा के लिये ।

176- जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में चिल्ड्रन्स वार्ड की व्यवस्था होने के बावजूद चिल्ड्रन्स को अन्य वार्डों में भर्ती करने पर चर्चा के लिये ।

177- जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के लिये सामान्य उपकरणों यन्त्रों आदि के लिये स्वीकृत बजट राशि एक ही आइटम पर व्यय करने पर चर्चा के लिये ।

178- जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में अपर्याप्त स्टाफ के संबन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

179- तहसील बोली की ग्राम पंचायत कोल्याई में आयुर्वेद औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये ।

180- ग्राम सेवटा पानीवाला, तहसील मलारना डूंगर में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

181- जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत डान्डा शाकदा में आयुर्वेद औषधालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

182-जिला सवाई माधोपुर के ग्राम बिच्छी दोना में बन्द औषधालय चालू कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

183- प्रदेश में प्रत्येक डिस्पेन्सरी में लेबोरेटरी एवं एक्स-रे प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये -

184- ग्राम नाथूसर, कल्याणपुरा, सियारला, सुराणी में जिला सीकर में आयुर्वेद औषधालय खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

185- श्री माधोपुर (सीकर) में होम्योपैथिक औषधालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये ।

186-सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

187-तहसील श्री माधोपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये ।

188-ग्राम झाड़ली [सीकर] में चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

189-ग्राम नागल [नाथूसर] में डिस्पेन्सरी खोलने के विषय में चर्चा के लिये ।

190-चिकित्सालय श्री माधोपुर सीकर को 50 शैयाओं में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये ।

Page No 112

(112)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

191-ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का अभाव है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

192-आयुर्वेदिक औषधालय ग्वलनी लूंगा, देवगांव साभरिया में उपवैद्य लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

193-अस्पतालों आक्सीजन की दुर्लभता के संदर्भ में चर्चा के लिये।

194-अस्पतालों में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण चर्चा के लिये।

195-सांगानेर में जनाना जनरल व डिस्पेन्सरी के अहाते में ही सब्जी मण्डी बनाने पर चर्चा के लिये।

196-जयपुर के एस०एम०एस० अस्पताल से मरीजों का प्रेशर कम करने के लिये आसपास के कस्बों में डिस्पेन्सरी को डवलप नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये

197-राज्य में रेडियोग्राफी सेवाओं की समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

198-राज्य के बाहर आदान प्रदान आधार पर विद्यार्थियों का अन्यत्र व मेडिकल कालेजों में अध्ययन हेतु भेजने में धांधली के संबंध में चर्चा के लिये।

199-पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने में सरकार की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

200-राज्य में ग्लूकोज सेलाइन के निर्माण में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

201-ग्राम भोजाखेड़ी पंचायत समिति अन्ता में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202-कोटा जिले के ग्राम सुन्दलक बोथ-एवं कोयला के चिकित्सालय में डाक्टर न होने पर चर्चा के लिये।

203-बारां कोटा अस्पताल का भवन अपर्याप्त एव जीर्ण अवस्था में है, जिस पर चर्चा के लिये।

204-चौमू क्षेत्र के ग्राम चीथवाड़ी, वांसा में चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

205-चौमू होस्पिटल को रैफरल होस्पिटल का दर्जा दिलाये जाने की चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) :

206-अयानी, रनोदिया, रकावदा, डूंगरली बोरदा, बमूलिया जोरावरपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

207-भवानी मण्डी मांगरोल में चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक करने हेतु चर्चा के लिये।

208-इटावा में एक महिला चिकित्सक व एक कम्पाउण्डर का पद स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

209-इन्द्रगढ़ तथा मांगरोल में महिला चिकित्सक के पद रिक्त पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210 इटावा, खातौली मांगरौल तथा इन्द्रगढ़ के चिकित्सालयों में बेहतर दवाएं एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

211-उकेल गैंवा में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोली जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू):

212-चरडाना खुरी, बीसोती, मूडला वेरपुर बमूलिया डूंगरपुर, एवं मोतीपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के संबंध चर्चा के लिये।

213-अटरू में चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

214-ब्यावर (कोटा) एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिये।

215-अटरू में चिकित्सालय की स्थिति ठीक किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चोधरी (गुढ़ामालानी)

216-बाड़मेर जिले के ग्राम छोटू एवं ग्राम होडू में ग्रामीण डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217-बाड़मेर जिले में डाक्टर्स नर्स एवं कम्पाउण्डर्स के रिक्त पदों की पूर्ति करने आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

218-सवाई मानसिंह अस्पताल में व जनाना अस्पताल में लिफ्टों के खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

219-राजकीय लेबोरेटरी व मानसिंह अस्पताल में पी. बी. आई की जांच की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220-सवाई मानसिंह अस्पताल के शौचालयों की दशा ठीक करने व पेयजल का प्रबन्ध किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

221-सवाई मानसिंह अस्पताल की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

222-सभी प्रकार की जांच की लेबोरेटरी को पुनः शहर के मध्य लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223-जनाना अस्पताल के विस्तार के लिये अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224-जयपुर में जिला अस्पताल के शीघ्र खोले जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

225-क्षय चिकित्सालय में समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

226-जयपुर के जनाना अस्पताल, टी. बी सेनिटोरियम, मानसिक चिकित्सालय, कुष्ठ रोग चिकित्सालय के नामों के परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिये।

227-क्षय चिकित्सा में रोगियों को समय पर सही भोजन न दिये जाने की स्थिति से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

228--जयपुर में एक्स-रे प्लेटों का विभिन्न अस्पतालों को कोटा कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229--होम्योपैथिक औषधालयों के पुनर्भरण के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230--राज्य के औषधालयों में आवश्यक औषधियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

231-आयुर्वेद विभाग के निदेशक का पद वर्षों से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

232--आयुर्वेदिक चारों रसायन शालाओं में योग के अभाव में औषधियों को समय पर तैयार न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233--आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतनमान डाक्टरों के समान न किये जाने से चिकित्सकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

234--जनाना अस्पताल जयपुर की व्यवस्था बनाये रखने में कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा आवश्यक संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):

235--नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के समय आयुर्वेद विभाग में की गई नियुक्तियों पर चर्चा के लिये

236-आयुर्वेद विभाग में भेषज निर्माण व पैकिंग हेतु खरीदे गये विभिन्न कच्चे माल के क्रय में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

237-प्लास्टिक डिब्बों की खरीद में आयुर्वेद विभाग में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

238-ड्रग एण्ड कोस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अधीन न्यायालयों में प्रस्तुत परिवादों को विभाग द्वारा वापस लेने के निर्णयों पर चर्चा के लिये।

239-सन् 1979 से स्वीकृत 410 पदों में से केवल 210 पदों पर ही अभी तक सी. ए. एस. डाक्टरों को सलेक्शन ग्रेड देने व बाकी पद खाली रखने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाट (जैसलमेर):

240--जैसलमेर जिले में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

241--जैसलमेर व पोकरण के अस्पतालों में रोगी शैयाएं बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

242--जैसलमेर जिले में तीव्र गति से बढ़ते हुए क्षय रोग की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

243-जैसलमेर जिले में बंद पड़े सब सेन्टर्स व परिवार कल्याण केन्द्रों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

244 जिला जैसलमेर के ग्राम सुथार करड़ा, पोछीवा, गुजनगढ़, मसूरिया, बीजराजतला, ओला लाड़ाना घटियाली में डिस्पेन्सरी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

Page No 115

(115)

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़):

245-ग्राम डांतरोली में चिकित्सालय खोला जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

246-नर्सेज को अपनी प्रगति के लिए आगे का प्रशिक्षण देने हेतु विभाग द्वारा सहायता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

247-जिला बीकानेर में क्षय रोग के नियंत्रण में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

248-जिला बीकानेर में मलेरिया उन्मूलन में विभाग की निष्क्रियता बरतने पर चर्चा के लिये।

249-जिला बीकानेर तहसील कोलायत के गांवों में गत तीन माह से ज्वर से लगातार पीड़ित ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में विफलता पर चर्चा के लिये।

250-बीकानेर शहर व कस्बों में खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

251-जिला बीकानेर के अस्थाई नर्सेज को स्थायी करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

252-जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के होम्योपैथिक चिकित्सालय, बरसलपुर में गत चार वर्ष से चिकित्सक की अनुपस्थिति पर चर्चा के लिये।

253-प्राकृतिक चिकित्सा के विस्तार व प्रचार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

254-जिला बीकानेर की तहसील कोलायत में भ्रमणशील चिकित्सा वाहन की स्थाई व्यवस्था की उपयोगिता पर चर्चा के लिये।

255-ग्रामीण अंचल में परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रचार व लक्ष्य प्राप्ति में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

256-जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम बरसलपुर में स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257-जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम सुरजड़ा, गांधी, खेवड़ा, गुडा, हाउला भाटियान में आयुर्वेदिक औषधालय की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):

258-श्रीमाधोपुर में रेफरल हास्पिटल बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर):

259-भरतपुर के मुख्य अस्पताल में स्थानाभाव, गंदगी दवाइयों की कमी आदि से संबंधित अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

260-आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिये बेरी आयोग द्वारा न माने जाने से उपस्थित स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

261-ग्राम कुरेडा पंचायत समिति टोंक में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) :

862–बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एड पोस्ट व उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

263–मोबाइल डिस्पेन्सरी और सर्जिकल यूनिट्स के लिये वर्षों से पड़े बेकार वाहन और धन की बरबादी पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों का लिखित उत्तर

श्री देवीसिंह भाटी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय ऊपर पूर्व में भी ऐसा कहा गया था और आपने व्यवस्था दी थी कि मांग के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों के गिरा दिये जायें उसके लिखित में उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा माननीय सदस्यों को भेजे जायेंगे पर अध्यक्ष महोदय, अधिकांश सदस्यों को उनके कटौती प्रस्तावों के लिखित में उत्तर नहीं मिलते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था सख्त कीजिये ताकि उनके उत्तर आ जावे।

श्री कैलाश मेघवाल : इस व्यवस्था को सख्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : इस व्यवस्था को सख्त किया जायेगा और कटौती प्रस्तावों पर सरकार के उत्तर माननीय सदस्यों को दिलाये जायेंगे।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं एक मिनट लेना चाहूंगा इस बात को कहने के लिये, जो प्रथा हमारे कटमोशन को कन्सीडर करने की, इन पर चर्चा करने की है उस सारी में, बजट के डिस्कशन्स में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बड़ा ही अच्छा हो यदि सारी मांगों पर विस्तार से बात हो सके और सब सदस्यों को मौका मिले, निश्चित और ठोस परिणाम, तक हम पहुंच सकें। इसके लिये नियमों में क्या आवश्यक संशोधन हो इसकी चर्चा यहां नहीं करते हुए खाली मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसकी नितान्त आवश्यकता है।

मैं सिर्फ तीन मुद्दों पर आज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक है आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बारे में, दूसरा है वर्षों से खड़े वाहनों के बारे में। जब से मैं उस मकान में आया हूं तब से ही देख रहा हूं। वह मोबाइल यूनिट है, वैन है वह पड़े हैं, मेडिकल यूनिट और सर्जिकल यूनिट में जो जनता का जो पैसा है इसका बेकार अपव्यय हो रहा है। तीसरे जो आज हालात अस्पतालों में हैं अस्पताल कितने क्राउडेड हैं, कितनी दवाइयों की कमी है, कितनी सफाई की कमी है। मैं विशेष रूप से भरतपुर के अस्पताल के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं मंत्री महोदय का। वह गये तो नहीं भरतपुर लेकिन कभी जायें तो देखें और स्वयं निर्णय कर लें कि अस्पताल वहां नहीं होना चाहिये, अस्पताल की जगह भी दूसरी होनी चाहिए। अस्पताल दूसरा बनना चाहिये। जहां तक सफाई और कन्जेशन का सवाल है, मैं भुक्तभोगी हूं। मैं बहुत कद्र करते हुए उन डाक्टर साहबान की जो इलाज मुहैया कराते हैं. एक्सपर्टस हैं अपनी लाइन में किन्तु वह भी हैन्डीकेप्ड हैं, मैं यह यह कहना चाहता हूं कि मुझे पीरियोडिकल

Page No 117

(117)

(श्री राज बहादुर)

चैक-अप के लिये जाना पड़ता है। जिस अवस्था में ई०सी०जी० का चैक कराता हूं मुझे तो वह पसन्द नहीं है। इतना क्राउडेड है, इतना कन्जेस्टेड है और जो बैड्स हैं वह भी इतने डर्टी रहते हैं कि मुझे तो लेटने में भी संकोच होता है। मैंने कह इसलिए दिया इस बात को कि मैं नहीं कहूंगा तो शायद उस तरफ ध्यान भी नहीं जाय कि कितना कन्जेस्टेड हैं, कितना-कितना स्थानाभाव है। भरतपुर अस्पताल उसकी एक मिसाल है।

(2.42 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा जो वेन खड़ी है उनके लिए मैंने सुना है कि वह किसी एक खास प्रोग्राम में आई थीं। उनका कितना उपर योग हुआ है, कितनी खाली पड़ी हैं और उनकी क्या हालत हो रही है इसकी सूचना दे दें। मेरे कटौती प्रस्ताव के उत्तर में लिखित में मुझे जरूर मिल जाये।

तीसरी बात कहना चाहता हूं वह आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बारे में है। वह बेचारे कई दिनों से यहां धरना दिये बैठे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। 13-14 वर्षों से उनका आन्दोलन चल रहा है। मुझे भी यह न्यायोचित नहीं लगता जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है। सच्ची बात तो यह है कि बेरी कमीशन या तो आप बनाते ही नहीं। और अपने बेरी कमीशन बना दिया और उसने प्रस्ताव कर दिये सुझाव दे दिये रिकमन्डेशन कर दी तो उनका आप कम से कम किसी हद तक तो पालन करते। ऐसा लगता है कि उनका पालन नहीं किया गया। उनकी मांग क्या है। जो वेटरिनरी डाक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं उनके मुकाबले तो उनके सम्मानजनक वेतन रखे जायें। उन्होंने बताया कि एलोपैथी लिए जो तय किया है वह है 1900 से 1860, वेटरिनरी डाक्टर का है 860 से 1750 और आयुर्वेद चिकित्सक का है 640 से 1180 का। याने पशु चिकित्सक का वेतनमान और पशु चिकित्सक मान दोनों पैथी के इलाज करने वालों से ज्यादा है। इसका मतलब यह है It is treated as discount. यह आपका जो इन्डीजिनस सिस्टम आफ मेडिसन है, उसके साथ न्याय नहीं है आत्म स्वाभिमान भी नहीं है और राष्ट्रीय अभिमान भी नहीं है। बहुत पुरानी चिकित्सा प्रवृत्ति है हमारी हो सकता है। हम पिछड़ गये हैं। गुलामी के जमाने में बहुत ज्यादा प्रगति रुक गया, उसके साथ ही साथ इसमें भी प्रगति रुक गयी निश्चित रूप से जो खोज होनी चाहिए, जो अन्वेषण होने चाहिए जो रिसर्च होनी चाहिए वह नहीं हुई। वह इसलिए नहीं हुई प्रोत्साहन नहीं मिला। न युनानी को मिला और न आयुर्वेद को ही मिला।

मुझे जो आंकड़े दिये गये उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं। 1977 में डिसीजन हुआ था, शायद जनता सरकार ने किया था। इनका वेतनमान 65: से 1270 लेकिन वह भी क्रियान्वित नहीं हुआ और उनको कभी यह वेतनमान मिला ही नहीं। आज भी वह उसी में सड़ रहे। दूसरी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में और आंकड़े देखे जायें तो एम. पी. में सबसे ज्यादा हैं। 1000 से 1800 है। यू. पी. पंजाब और हरियाणा में 900 से 1600 है। और आन्ध्र प्रदेश में 750 से 1400 है। यह

(श्री राजबहादुर)

आयुर्वेद के आंकड़े हैं। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय के पास, डांगी जी के सामने क्या कारण हैं। क्या वह लड़ नहीं सकते कि आयुर्वेद वालों की कुछ तो कद्र करो कुछ तो मान दो।

मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि जो अभाव अभियोग जनता के हैं चाहे विलेज इन्डस्ट्रीज के बारे में हो चाहे दवाइयां नहीं मिलने के बारे में हो, चाहे उपकरण नहीं मिलनेके बारे में हो आप या तो डाक्टर रखिये ही मत और यदि रखते है तो उनको हैण्डी-कैप मत रखिये। उनको पूरे साधन दीजिये और उनको पूरा अवसर दीजिये ताकि वह कुछ कर सकें। एक एक डाक्टर कितना क्राउडेड रहता है यह देखने से ही पता चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री दीपेन्द्रसिंह

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): सभापति महोदय, अनुदान की मांगों के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो मैडिकल एण्ड हैल्थ की मांगे अनुमोदन के लिए सदन में रखीं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का उन मांगों के लिये मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका समर्थन करता हूं।

श्री भैरू सिंह गुजर (खारची): और मैं तालियां बजाता हूं।

श्री दीपेन्द्रसिंह: स्वास्थ्य मंत्री जी व जो प्रपोजल्स रखे हैं निश्चित रूप से वह सराहनीय हैं

श्री राज बहादुर: मन से कह रहे हो।

श्री दीपेन्द्रसिंह: मन से कह रहा हूं। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा हम आज उस विभाग की मांगों पर और उस विभाग के बजट पर विचार विमर्श सदन में करने जा रहे हैं जिसका संबंध मानवता के साथ इन्सान के जन्म से लेकर मरण तक जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं हमारे आयुर्वेद मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। पिछले सदों में आयुर्वेद विभाग में भयंकर घोटाले और भ्रष्टाचार के जो मामले माननीय सदस्यों ने सदन में रखे थे उनकी आपने जांच करवाई और संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी करवाई।

श्री दाऊदयाल जोशी: उन आरोपों की जांच नहीं हुई

श्री सभापति: माननीय दाऊदयाल जी अब आपका टर्न आये तब कहना।

श्री दीपेन्द्रसिंह: आयुर्वेद के निदेशक को निलम्बित करने की घोषणा इस सदन में माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी ने करके अपनी ईमानदारी का और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक उदाहरण सदन में प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से यह सराहना का विषय है। मैं चूंकि पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि इन्सान के जन्म और मरण तक मानवता के साथ जुड़ा हुआ यह विभाग है। इस संबंध में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मेडिकल विभाग के कंधों पर हैं। यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा उसका भरण-पोषण और अच्छी तरह से नहीं होगा, बिमारियों से ग्रसित यदि उनका शरीर होगा तो इन्सान के सारे काम-काज ठप्प हो जायेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, या रोग के निवारण का सवाल है या प्रदेश में बीमारियों के उन्मूलन का सवाल है राजस्थान प्रदेश की राजधानी में स्थित बहुत बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल क

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी. आप क्षमा करें. मुझे यह कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि यदि राजस्थान की धरती पर कहीं नर्क है तो वह जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है जहां रोगियों को बीमारी की दवाइयां नहीं मिलती, जिसकी पट्टी और इन्जेक्शन जयपुर बाजारों में बिक जाया करते हैं जहां डाक्टरों के बेटों की दुकानों से दवइयां खरीदने के लिए पर्चियां डाक्टरों द्वारा काटी जाती हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं जो आपसे निवेदन करने जा रहा हूं चाहे आप उसको भावुकता समझें लेकिन यह वह हकीकत है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा था कि राजस्थान में सबसे बड़ा अस्पताल जयपुर में है जिसका नाम सवाई मानसिंह अस्पताल है जहां इन्वेस्टीगेशन की मशीने तक बन्द पड़ी हैं और बीमारियों की जांच बाहर करवाई जाती है मुझे कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि मरीज को पर्ची दी जाती है और इन्सट्रक्शन्स दिये जाते हैं कि फलां जांच केन्द्र से अपनी जांच करवाओ उस जांच केन्द्र पर पर्ची देने वाले डाक्टर का 40 प्रतिशत हिस्सा बन्धा होता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं यदि इस प्रकार का अन्याय होता रहा तो राजस्थान के गरीब लोगों को सही रूप में दवाइयां नहीं मिल पायेंगी, राजस्थान की गरीब जनता का इलाज नहीं हो पायेगा, राजस्थान की गरीब जनता स्वस्थ नहीं रहेगी और उसके जो परिणाम समाज में होंगे इसकी जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान के एस. एम एस. अस्पताल के डाक्टरों के जब दो वर्ग बन चुके हों, गरीब का इलाज करने वाले छोटे डाक्टर दूसरे होते हों, अमीरों और बड़े आदमियों का इलाज करने वाले बड़े डाक्टर दूसरे होते हों, जहां इस प्रकार का वर्ग भेद चलता हो क्या वहां गरीब और गांव से आने वाले गरीबों का इलाज हो सकता है ? इमर्जेंसी के बाहर दर-दर की ठोकरें खाने वाले मरीजों की क्या स्थिति होती होगी, इस बात को आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार जो मेडिकल विभाग की आंख के नीचे हो रहा है वह निश्चित रूप से शर्मनाक है।

मैं कुछ स्पेसिफिक चार्जेज आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की खरीद होती है; जिस प्रकार के घोटाले होते हैं उसके सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान के जयपुर के एस. एस. एम. अस्पताल के अधीक्षक द्वारा खाद्य सामग्री का ठेका जुलाई, 82 में किया गया किन्तु उसको पुनः अक्टूबर, 82 में किया गया। पहले वाले टेण्डर में मैसर्स बाबूलाल विनोदकुमार के नाम से आटा 205 रुपये क्विन्टल के हिसाब से और दलिया 207 रुपये क्विन्टल के हिसाब से 21-9-82 को स्वीकृत किया गया किन्तु आपको आश्चर्य होगा कि यह सारे के सारे टेण्डर दुबारा लिये गये। 19-20 अक्टूबर को यही टेण्डर दूसरी फर्म रामगोपाल मुरलीधर के नाम से 229 रुपये क्विन्टल आटा और 224 रुपये क्विन्टल दलिया के हिसाब से स्वीकृत किया गया। बड़ी शर्म का विषय है इस प्रकार से टेण्डर बदल दिये जाते हैं। घटिया किस्म क

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

अनाज देते हैं उससे क्या मरीजों का भला हो सकता है। मैं चाहता हूं आप इस मामले में स्वयं जांच करें और निष्पक्ष जांच करें, जितने दोषी अधिकारी हों उनको निश्चित रूप से आप दण्डित करें ...

एक माननीय सदस्य : बाजार में कीमत तो नहीं बढ़ गई।

श्री दीपेन्द्रसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री कोष से लाखों रुपये की रकम एस. एम. एस. अस्पताल के लिए मिलती है। एक पिछला उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछली अनुदान की मांग में 2.50 लाख रुपया मुख्य मंत्री कोष से मिला था जिससे ब्लड बैंक के उपकरण इम्पोर्ट करने थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इम्पोर्ट के टेंडर फर्म के एल. सी. के नाम से जापान मे मंगवाये जाने का था, 10 हजार डालर की कीमत स्वीकार कर ली गई किन्तु 28-2-72 को एल. सी. भी खोल दी गई जब कि अमेरिकन फर्म डिफ्रिज के लिये भेजी गयी निविदा ओरियेन्टल इलेक्ट्रोन एण्ड बायो केमिकल बम्बई जिसकी कीमत 6 हजार डालर थी का इन्तजार तक नहीं किया गया डिफ्रिज 40 हजार से 50 हजार सस्ता एवं एस. एम. एस. की परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुकूल था इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी जांच के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दवाइयों की वहां बिक्री होती है, वहां एस. एम. एस. अस्पताल के अन्दर और बाहर उपभोक्ता भण्डार की दुकानें हैं जिनसे दवाइयां पर्चेज होती हैं। उपभोक्ता भण्डार के ऊपर एक स्पेसिफिक कमेटी है जिसके अन्दर कुछ डाक्टर्स भी होते हैं। वह लिस्ट को एप्रूव करती है। उस एप्रूव्ड लिस्ट के आधार पर वहां पर दवाइयां रखी जाती हैं। मुझे दुःख होता है यह कहते हुए एस. एम. एस. अस्पताल के बड़े डाक्टरों के बेटों ने दुकानें खोल रखी हैं, फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। फैक्ट्रियों में दवाइयों का प्रोडक्शन बाद में होता है, एप्रूवल पहले हो जाती है, उसके बाद उपभोक्ता भण्डार की कमेटी में वही डाक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी स्वयं फैक्ट्रियां होती हैं वह उन दवाइयों का एप्रूवल करवाते हैं। वह दवाइयां खुले आम बाजार में बेची जा रही हैं जिनका न कोई स्टेण्डर्ड है, न दवाइयों की पूरी मात्रा है, न उन दवाइयों का पूरा टेस्टिंग किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में यदि इस प्रकार की गलत दवाइयों की राजस्थान के अन्दर बिक्री हो, बड़े-बड़े डाक्टरों के बेटों के नाम से जो फैक्ट्रियां चलती हैं इनकी इस प्रकार की दवाइयां बेची गई तो बीमारियों का निदान नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मसलों की आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर जांच करवायें ...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, किस प्रकार डाक्टर्स का निर्माण एस. एम. एस. मेडिकल कालेज में होता है। बड़े-बड़े डाक्टर्स के बेटों को किस प्रकार से पास किया जाता है इसके घोटाले पिछले दिनों अखबारों में छप चुके हैं। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना

Page No 121

(121)

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

चाहता हूं कि यह आश्चर्य का विषय है कि जिसका बाप सिंडीकेट का मेम्बर हो, वही लोग इस बात को तय करते हैं कौन परीक्षक आयेगा, वही लोग तय करते हैं कौन-कौन परीक्षा लेगा, वही लोग तय करते हैं कौनसी परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न पूछे जायेंगे, इस कारण उनके बेटों को सर्वोच्च अंक मिलते हैं यह बड़ी विडम्बना है गरीब के लड़के जिनके बाप सिण्डीकेट के मेम्बर नहीं हो सकते, गरीब के लड़के जिनके बाप बड़े डाक्टर्स नहीं हो सकते, पास होने में कठिनाई होती है। बड़े लोगो के बेटों की फर्स्ट पोजीशन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दी जाती है। यह मामला आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यह जांच का विषय है। आपके समक्ष भी आ चुका है। अखबारों की सारी कटिंग्स प्रस्तुत हो चुकी हैं। आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको समर्पित करने को तैयार हूं। यदि इस मसले पर आपने गौर नहीं फरमाया तो राजस्थान की जनता के साथ मेडिकल विभाग बहुत बड़ा अन्याय करेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था राजस्थान को इसी विधानसभा के सत्र में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : कर रहा हूं। आप ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि राजस्थान में नर्सों की कमी है। राजस्थान में डाक्टर्स की पोस्टिंग नहीं हो रही है। राजस्थान में चपरासियों की कमी है मेडीकल डिपार्टमेंट में। राजस्थान में मेल नर्सों की कमी है। ऐसी स्थिति एक तरफ चलती हो. दूसरी ओर प्रश्न के जवाब में आपने कहा एस. एम. एस. अस्पताल के बड़े अधिकारियों के घर पर चौबीस घण्टे सेवा के लिए 8-8 घण्टे के लिए 3 नर्सों की व्यवस्था की जा रही है। यह बड़े शर्म का विषय है। एक तरफ गरीब तरसता हो दवाइयों के लिए दूसरी तरफ गांवों में पोस्टिंग न हो, तीसरी तरफ हम बड़े लोगों के लिए नर्सों की व्यवस्था करते हो, यह बड़े दुःख की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां भी एक भ्रष्टाचार है। यह अन्याय है राजस्थान की जनता के साथ यदि इस प्रकार के घोटाले आपके बैठे हुए हों।

मैं निश्चित रूप से आपको एक बात के लिए धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। आपके राजस्थान के इसी एस. एम. एस. अस्पताल के रेजीडेंट मेडिकल आफिसर के मामले में जिस दिन घपला हुआ, मिस दिनेश माथुर को गलत तरीके से जिस दिन बनाया, जूनियर होते हुए भी चार्ज दिलाया, मकान खाली कराकर तुरन्त कब्जा दिलाया, आप मौके पर पहुंचे आपने सहृदयता का परिचय दिया, आपने एक उदाहरण पेश किया। राजस्थान की जनता ने इस मिसाल के लिए स्वागत किया है। इसके बावजूद भी केवल मात्र इस बात से काम नहीं चलता। जिस व्यक्ति ने भीलवाड़ा किया जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के गलत आदेश दिये उनको इन सारी बातों की जांच के बाद यदि आपने सजा न दी तो निश्चित रूप से यह मामला दब नहीं सकता। मैं मानता हूं हो सकता है कोई राजनैतिक दबाव हो, हो सकता है कोई व्यक्तिगत दबाव हो, हो सकता है कोई अन्य दबाव एवं भार पर आये लेकिन आपके इन्साफ और ईमानदारी का सबूत उस वक्त होगा जब इस प्रकार के कारनामों की जांच आप

(122)

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

स्वयं करेंगे। इस प्रकार के कारनामों में दोषी लोगों को आप सजा दिला सकेंगे तो निश्चित रूप से आपकी छवि उभरेगी, निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा. . .

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह : और राजस्थान के मेडिकल जगत में जो विश्वास आपके प्रति जागृत होगा वह सराहनीय होगा। यह सारे मामले जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यदि आपने निश्चित रूप से जांच नहीं करवाई, अगले सत्र के अन्दर जब वह हम लोग मिलेंगे उस से पहले इस मामले में आपने निर्णय नहीं करवाया तो निश्चित रूप से जनता के सामने धोखा होगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी सत्र में इस सदन में मैं आपका विश्वास चाहता हूं मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मामले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इसी सत्र में आप उनके बारे में ठोस आश्वासन दें।

सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरूसिंह गुर्जर।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले हमारे आयुर्वेद मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि विगत लम्बे समय से जो आयुर्वेद विभाग का आन्दोलन चल रहा है, आयुर्वेद कालेजों का जो आन्दोलन चल रहा है, कॉलेज बन्द पड़े हैं उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिया, जो कैबिनेट की सिफारिश की है उस के अन्दर इनके वेतनमान एलोपैथी चिकित्सकों के बराबर करने का सुझाव दिया है, इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति जी मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह नौबत आखिर क्यों आई? 13 वर्षों से लगातार इनको पीछे क्यों रखा गया। जब 15-12-72 को एक आदेश दे दिया गया कि इनका वेतनमान बढ़ाकर 270 रुपये कर दिया जाये तो मंत्री जी, आप आज जवाब दें इस बात का कि वह 15-12-72 का आदेश क्यों रोका। इसके बाद 8-5-73 को फिर एक आदेश प्रसारित हुआ जिसमें इनकी वेतन श्रृंखला बढ़ाकर 275 से 650 कर देने के आदेश प्रसारित हुए थे वह आदेश आयुर्वेद विभाग में कहां रख गये? उसके बाद माननीय श्री हरिदेव जोशी जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे 21-4-77 को जहां तक मुझे ज्ञात है, इनके पद राजपत्रित घोषित करते हुए इनका वेतन मान 650 से 1270 कर देने की घोषणा की थी लेकिन दुर्भाग्य था इन बेचारों का सरकार का परिवर्तन हुआ और एक ऐसी गलत और बगैर नीति की सरकार राजस्थान को मिली निकम्मी कह दो इसको, जिसकी वजह से यह आदेश प्रसारित होने से इसलिये रोक दिये गये क्योंकि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री ने यह आदेश दिये थे। आप इनकी मांग की ओर गहराई से ध्यान दें, मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा आप इनकी योग्यता आंके। आयुर्वेदाचार्य की योग्यता के लिये हायर सैकण्डरी पास होना जरूरी है। एम. बी. बी. एस. के लिये मात्र प्रथम

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

वर्ष विज्ञान और पशु चिकित्सकों के लिये प्रथम वर्ष विज्ञान पास होना जरूरी है अब आप इसके बाद आ जायें. इनका पाठ्यक्रम कितना होता है, आयुर्वेदाचार्य का पाठ्यक्रम होता है 6 वर्ष 6 माह यह भी इलाज करते हैं। एम. बी बी. एस. का पाठ्यक्रम होता है 5 वर्ष 6 माह। जो जानवरों का चिकित्सक होता है उसका पाठ्यक्रम 4 वर्ष। वेतनमान जो वर्तमान में हैं उस ओर जरा आप ध्यान दें। सभापति महोदय, आयुर्वेदिक वालों का वेतनमान है केवल मात्र 640 से 1180 तक। एम० बी० बी० एस० वालों का है 1,000 से 1800 तक। अफसोस तो इस बात का है कि आयुर्वेद वाले तो मनुष्य का इलाज करते हैं, सबसे कीमती प्राणी हैं संसार में तो वह मनुष्य ही है, जो पशुओं का इलाज करते हैं वे तो राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दिये गये और मनुष्यों का जो इलाज करते हैं वे नहीं किये गये। वेतनमान में कितना फर्क है 850 से 1750 तक पशुओं का इलाज करने वालों का है और इनका मात्र 640 से 1180 तक ही है इसलिये, सभापति महोदय, 1969 के वेतनमान, जो अभी तक बरकरार हैं, बदलने की आज आवश्यकता है। अगर मन्त्री जी आप जरा सा जोर लगायेंगे तो आपके अधिकारी जी बड़े भले हैं वे आपको जरूर सहयोग देंगे। मैंने पिछले तीन सालों में एक बात देखी कि इन अधिकारियों की बुराई मत करो, मन्त्रीयों की भले ही कर दो क्योंकि ये लोग तो काम कर देगें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह अटक सकता है लेकिन हम जो काम उनसे करा लेंगे वह नहीं अटकेगा। इसलिये हमने तो इनकी बुराइयां करना छोड़ दिया और आप लोगों तक आ गये।

सभापति महोदय, इनका आमिक अनशन 24-2-83 से चल रहा है इस विधान सभा के बाहर और 3-1-83 से राजस्थान के पांचों आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन्द पड़े हैं। सत्र समाप्त होने जा रहा है, इनकी पढ़ाई पता नहीं कब होगी परीक्षाएं कब होंगी। सरकारी पक्ष के 32 माननीय विधायकों ने लिखकर मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन भी दे दिया और इनकी मांग का समर्थन किया लेकिन अफसोस जाहिर करना पड़ता है कि सरकारी पक्ष के 32 माननीय विधायकों की मांग पर भी सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मुख्य मन्त्री यहां हैं नहीं लेकिन आयुर्वेद मन्त्री जी, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत ध्यान दिलाता हूँ कि मध्यप्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पंजाब में हरियाणा में और आन्ध्रप्रदेश में जो आयुर्वेद के वैद्य हैं इनको राजपत्रित घोषित किया हुआ है। एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके अन्दर मेडिकल कम्पाउन्डर के समान ही वेतनमान और उनके समान ही दर्जा दिया गया है।

मध्य प्रदेश में 1000 से 1800 तक
उत्तर प्रदेश में 900 से 1600 तक
पंजाब में 900 से 1600 तक
हरियाणा में 900 से 1600 तक
और आन्द्र प्रदेश मे 750 से 1400 तक

और वहां वे गजेटेड आफिसर कहलाते हैं लेकिन अफसोस है राजस्थान के वैद्यों लिये मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस बहस का जवाब देंगे तो इस बात का भी जवाब जरूर देंगे, आप क्या घोषणा करने जा रहे हैं।

मैं इस मौके पर हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि

(श्री भैरोंसिंह गुर्जर)

आप स्वयं पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, जब से मुझे इनको देखने का, जानने का मौका मिला है, बड़े जोश-खरोश से इनकी बातें सुनता हूं लेकिन जिस प्रकार आप भेष बदलते हैं और कभी टोपी बदलते है उस प्रकार बातें मत बदलना। मेहरबानी करके आप जो कुछ कहें साफ साफ कहें। पश्चिमी राजस्थान अपेक्षा कृत राज्य का पिछड़ा हुआ एक हिस्सा है राजस्थान के अन्य हिस्सों के बनिस्पत मेरे ख्याल से वहां चिकित्सालयों का भी काफी अभाव है। दूर दूर डिस्पेन्सरी है। गांवों में काफी अन्तर है इसलिये लोगों को चिकित्सा कराने के लिये काफी दूर-दूर जाना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है इस वर्ष जो 13 डिस्पेन्सरी खोलने जा रहे हैं, आप पश्चिमी राजस्थान से ही सम्बन्धित हैं इसलिये निवेदन है कि इस बार 13 की 13 नहीं तो 10 तो कम से कम खोल देना, एक मुख्य मंत्रीजी के यहां खोल देना, बाकी की सबकी सब हमारे यहां खोल देना।

मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि केवल अस्पताल खोलने से ही लोगों का इलाज नहीं हो जाता है। दवाइयां भी पूरी मात्रा में उपलब्ध करायें। गांवों में दवाइयां पूरी नहीं पहुंचती हैं। सभापति महोदय, गांवों में ज्यादा रोग इसलिये भी होते हैं कि गांव वाले बेचारे समय पर रोग की पहचान नहीं कर पाते हैं, रोग को समझ ही नहीं पाते हैं और अन्ध विश्वास में ही पड़े रह जाते हैं। जब रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है तब हम वहां पहुंचते तो हैं शायद उपचार की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके बाद, सभापति महोदय, आपने मुझे एक बात बताई थी कहने के लिये...

एक माननीय सदस्य : यह क्या मिली भगत है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पश्चिमी राजस्थान के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिसमें पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में स्वास्थ्य केन्द्र है में महिला चिकित्सक का अभाव होने से, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी निरीह महिलायें, ग्रामीण महिलायें अपने रोग, ऐसे रोग जिनके बारे में पुरूष चिकित्सकों को कह भी नहीं पाती हैं के बारे में अच्छी तरह से चिकित्सक के आगे कह नहीं पाती हैं। उस स्थिति में रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है। इसलिये महिला चिकित्सक की व्यवस्था और जगह करें या नहीं करें लेकिन मारवाड़ जंक्शन पर जरूर करा देना। उसका उद्घाटन आपके द्वारा करा दूंगा।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी, इसके बाद जैसा आपके यहां नियम है, भवन बनने के बाद आप अस्पताल खोलते हैं। मैं निवेदन करता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत अच्छा गांव है राणावास, वहां पर 5 लाख रुपये की लागत से एक प्रसूति केन्द्र तथा मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाया गया है। आपने वित्त मंत्री जी को सलाह दी है या नहीं, पता नहीं, लेकिन वहां इस प्रकार का केन्द्र खोलना है। अधिक नहीं तो आप कम से कम एक तो खोल दें। दानदाताओं ने 5 लाख रुपये की राशि भेंट की है. आप एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति अवश्य कर दें ताकि जिन दान दाताओं ने जो भवन बनवाया है, उनको भी प्रोत्साहन मिले और आपको जगह-जगह दान मिले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : बस थोड़ी-सी देर में कर रहा हूं। मैं चिकित्सा मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खींवाडा गांव है जो मेरे खयाल से मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। वह देसूरी तहसील में आता है। आजादी के बाद से अभी तक केवल एक उप स्वास्थ्य केन्द्र ही है। इसलिये आस-पास की ग्रामीण जनता यानि कम से कम दस हजार लोगों को इलाज की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इन 13 डिस्पेन्सरीज में से आप आज ही आदेश फर्मायें, एक डिस्पेन्सरी जरूर वहां खोल दें। शायद आप मंत्री रहें या नहीं रहें लेकिन मैं आपका अहसान कभी नहीं भूलूंगा।

सभापति महोदय, आयुर्वेद मंत्री जी ने तो मुझे आश्वासन दे ही दिया है यह पाली जिला है इसलिये अपेक्षा करता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भवन उपलब्ध है, एक गांव भीमालिया में और एक गांव केसूली में। जो ग्राम केसूली है उसमें आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने से आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी फायदा देगा क्योंकि वह देसूरी तहसील में आता है। वहां पर आप दो आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की स्वीकृति दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

चिकित्सा मंत्री जी, आपने दिनांक 25-2 को एक अतारांकित प्रश्न का जवाब दिया है मैं आपसे निवेदन करूं, मैं इस बात का उल्लेख इसलिये नहीं करना चाहता हुं कि प्रश्न का जवाब गलत आ गया है। आपने इसमें जवाब दिया है कि सारण में कोई उप केन्द्र स्वीकृत नहीं है इसलिये कर्मचारी भेजने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके विभाग के कागजों में तो स्वीकृति के आदेश हैं। अब वे फट चुके हैं या गल चुके हैं इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन जो आपने भवन बनवाया था उसके कागज विद्यमान है। उसके अन्दर स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार ने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर दिया है इसलिये भवन जल्दी से जल्दी बनवा कर दिया जाय। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कर्मचारियों को भेजने का आदेश भी कर दिया था इसलिये इस प्रश्न का जवाब गलत आ गया है। आप कृपया संशोधन करके क्योंकि भवन है और उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर स्टाफ भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति : अब आप कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अन्त में एक मुद्दे की बात कह रहा हूं। पिछले बजट सत्र में मैं इसी मांग को कह कह कर थक चुका हूं कि इस जयपुर शहर में फर्जी दवाओं का प्रतिष्ठान है। उनके सम्बन्ध में मैंने आरोप भी लगाये थे और चिकित्सा मंत्री जी ने पिछले सत्र में यह जवाब दिया था कि जांच करवाऊंगा लेकिन अफसोस मन्त्री जी बदल गये। जांच का क्या पता वदली है या चल रही है या नहीं हुई। अब आप इस विभाग में हैं और आपने मुझे अभी कहा था कि मेरी थोड़ी प्रशंसा करना मैं तुम्हारे जो काम हैं वह कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इनकी जांच जरूर करा देना।

एक मैं एस. एम. एस. की बुराई तो नहीं करना चाहता, मैं जब-जब भी वहां गय

(भैरूंसिह गुर्जर)

हूं मुझे वहां पर बड़ी अच्छी सेवाएं उपलब्ध हुई हैं। मेरे क्षेत्र के मरीज भी अगर वहां आते हैं तो बड़ी अच्छी सेवाएं मिलती हैं। लेकिन एक बात की मैंने वहां पर कमी महसूस की थी कि आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेन्ट से जब डॉ. सेठी रिटायर हुए तो उनके बाद उनकी जगह जिन्हें चार्ज देकर लगाया गया उसमें वरिष्ठता क्रम को ओर ध्यान नहीं गया था, मन्त्री जी इसलिए मैं निवेदन करता हूं कोई चूक हो गयी तो कोई बात नहीं, कागजों में हो जाता है किन्तु जो वरिष्ठ हैं उनको इस पद का चार्ज दिलाया जाय। अन्त में सभी माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए एक निवेदन करूंगा सदन की हाउस कमेटी का चेयरमैन होने के नाते मैंने प्रपोजल भी दिया था कि विधायक नगर में डिस्पेन्सरी की सुविधा है वह गैराज में है। माननीय सदस्य को गैराज की आवश्यकता रहती है इसलिए मैंने आपके निदेशक महोदय से भी इस बारे में बातचीत की थी और एक सुझाव दिया था कि 31 मार्च को बजट समाप्त हो रहा है इससे पहले कुछ इसमें से और कुछ रुपये आने वाले बजट में से स्वीकृत करके यदि वहां पर एक छोटी सी डिस्पेन्सरी के लिये दो तीन कमरों का भवन बना दें तो 50 माननीय सदस्यों की सुविधा होगी। इसी के साथ. ...

श्री सभापति : गैराज में डिस्पेन्सरी चले यह आपको भी अच्छा नहीं लगता।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आपको भी अच्छा नहीं लगा सभापति महोदय का भी सुझाव है। यह तो घोषणा आप कर ही देना आज।

चिकित्सा मंत्री जी कोई कहा सुनी हुई तो क्षमा करना। वैसे प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं रखी है। अगर बाकी रह गयी हो तो फिर करते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री चन्द्रवीरसिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 26 के अन्तर्गत मैं कुछ अपने विचार रखने जा रहा हूं। कुछ मांगे भी माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष रखूंगा। मैडिकल साइन्स में सभापति महोदय, जितनी इस देश ने प्रगति की है वह बड़ी सराहनीय है। आज हिन्दुस्तान में लीनियर एक्सलेटर केकटेल, लिवर केन ब्रेन केन हार्ट बाई पास सर्जरी, कार्निया ग्राफ्टिंग और टेस्ट ट्यूब बेबी तक भी उत्पन्न कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, लीनियर एक्सलेटर हिन्दुस्तान में का एशिया प्रथम एक्सलेटर लगा और देश विदेश से टाटा होस्पिटल में इस सुविधा को उपलब्ध जब कराया गया तो लोग आने लगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में स्वास्थ्य के मामले में उन्नति के बजाय अवनति हुई। माननीय सभापति महोदय, कैंसर का रोग एक बड़ा गंभीर रोग है। जिस तरह से यह रोग बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए उसके सही उपकरण अपने पास नहीं उपलब्ध होने से अपने जो कैंसर के पेशेन्ट्स हैं, रोगी हैं, उनको बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आपके यहां एस. एम. एस. होस्पिटल में एक कोबाल्ट मशीन है, एक बीकानेर में कोबाल्ट मशीन है, दोनों मशीनें आब्सलीट हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह मांग करना चाहूंगा कि जयपुर के एस. एम. एस. होस्पिटल में केटकेन की व्यवस्था की जाय, बोडीज.

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

केन की व्यवस्था की जाय, लीनियर एक्सेलेटर की मशीन लगायी जाय । तीसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कीमोथैरेपी का राजस्थान में अभी तक सही रूप से प्रबन्ध नहीं हुआ है । यहां न तो बी. सी. एन. यू. उपलब्ध है और न सी. सी. एन. यू. ही उपलब्ध है । कीमोथैरेपी और कोबाल्ट थैरेपी के लिए लोगों को दिल्ली बम्बई इत्यादि जगह जाना पड़ता है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि यह सुविधाएं जयपुर के एस. एम. एस. हास्पिटल में उपलब्ध करायी जायें । इसके अतिरिक्त बर्नसुनेट यूनिट ट्रोमावोट और पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीट्यूट का भी यहां पर समावेश होना जरूरी है ।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, पश्चिम राजस्थान की जो स्थिति है वह इतनी दयनीय है कि मैं आपके समक्ष क्या अर्ज करूं, आप स्वयं उससे परिचित हैं । माननीय सभापति महोदय आज तीन वर्षों से मेरे ख्याल से तीन मन्त्री बदल चुके हैं और माननीय खेतसिंह जी चौथे मन्त्री पधारे हैं । सभापति महोदय, 1980 में जैसलमेर होस्पिटल की यह दुर्दशा थी कि चिकित्सकों के वहां पद स्वीकृत होने के बावजूद भी कोई चिकित्सक वहां कार्यरत नहीं थे । हालत यह थी माननीय सभापति महोदय, 26 पद स्वीकृत 5 रिक्त 1976 से, मेल मेट नर्स ग्रेड प्रथम 4 स्वीकृत 3 रिक्त पद, इसका मतलब एक कम्पाउण्डर सारे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में रिक्त पद कब से माननीय सभापति महोदय 1976 से मेल नर्स ग्रेड द्वितीय स्वीकृत 27 रिक्त पद 25 । सभापति महोदय, किस तरह से होस्पिटल चलेगा । मैं, माननीय मन्त्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या व्यवस्था कर रखी है डाक्टर्स क्यों नहीं जाते वहां, आप क्यों नहीं भेजते अगर नहीं जाते तो आप प्रबन्ध करिये कि वह जायें वहां, । सभापति महोदय, यही स्थिति 1981में भी विद्यमान थी। 1981 में इसी प्रकार रिक्त पद थे । 26 पद चिकित्सकों के स्वीकृत व 4 पद कनिष्ठ विशेषज्ञों के स्वीकृत इनमें से 7 पद चिकित्सों के तथा एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ का रिक्त, नर्स मेल नर्स ग्रेड प्रथम के 5 पद स्वीकृत जिनमें से 4 रिक्त । सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आता, क्या हो रहा है । 1982 में, सभापति महोदय, यही स्थिति विद्यमान रही । हम क्या करें, सभापति महोदय, कुछ समझ में नहीं आता । किसके सामने कहें, क्या कहें । स्वास्थ्य एक प्राथमिक सेवा है । यह हर सरकार का कर्तव्य और फर्ज है कि इस सेवा को सही तरीके से उपलब्ध कराये । सभापति महोदय, 1982 में चिकित्सक के 8 रिक्त 1980-81 में नर्सिंग स्टाफ के 38 रिक्त, अन्य स्टाफ 12 रिक्त, अन्य स्टाफ 11 रिक्त । सभापति महोदय 1980–81 यही सब सेंटर्स का हाल है । माननीय मन्त्री महोदय, आपका ध्यान इस ओर खास तौर से आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में 9 स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत हैं । और 12 उप केन्द्र परिवार कल्याण पक्ष के भी हैं । सभापति महोदय, इन 9 स्वास्थ्य उप केन्द्रों में से पोकरण में खेतवाई में 1959 में स्वास्थ्य उप केन्द्र प्रारम्भ हुआ, वह चालू है । लेकिन छायड़ में 28- 7- 76 को प्रारम्भ हुआ । 28 . 7 . 76 से बन्द ।

सभापति महोदय, उजला में 25.3.77 से चालु हुआ और 23.3.77 से ही बन्द । फिर क्यों खोले आप ? यह क्यों आकड़े

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

बनाकर जनता को गुमराह करना चाहते है ? सभापति महोदय, चादड़ में 78 में शुरू हुआ, भगवान का शुक्र है कि वह चालु है। अवाय का 8: में खुला 1981 से बन्द। निड़ाई में 1960—61 में खोला गया है। माननीय मन्त्री महोदय, वह 1978 से चेलक में 4·5·79 को खोला गया 4-5-79 से बन्द। रासला, 1968 में खोला गया 1979 से बन्द। हाबु में 1968 में खोला गया और वह 1979 में बन्द सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आता कि किस तरह से चिकित्सा सुविधा इस पिछडे हुए जिले को प्राप्त होगी। 12 फैमेली प्लानिंग के जो केन्द्र हैं उनमें से 10 बन्द। यह क्या है। सभापति महोदय, यह समझ में नहीं आता हमारे इसी तरह से जैसलमेर जिले की जो स्थिति है वह भयंकर अकाल की स्थिति में गुजर रहा है आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। सभापति महोदय अकाल के कारण लोगों की क्षमता है बोड़ी रेजिसटेंन्स है वह कम हो जाती है। कमहोने से विटामीन की कुी डैफिशिएन्स पैदा होती है। और इस सब डैफिशिएन्सी के कारण लोगों की जनरल हैल्थ क डिटेरियरेशन होता है। गर इस भीषण अकाल की स्थिति में हम सुचारु रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान नहीं कर सकें तो य बड़ लज्जा की बात होगी। सभापति महोदय, क्षय रोग में माननीय मन्त्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में जहां एक जमाने में यह कहा जाता था कि जैसलमेर में अगर कोई टी. बी. पेशेन्ट आकर रहे तो उसकी टी बी. स्वयं दूर हो जाती थी। आज सभापति महोदय, ...

[समय-समाप्ति सूचक घण्टी]

और जिलों का तो मुझको ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन जैसलमेर में जिस रफ्तार से क्षय रोग बढ़ रहा है, उसकी अगर रोकथाम नहीं की गयी तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, सभापति महोदय, हर घर में एक दो टी. बी. पेशेन्ट आपको मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो एक छोटा सा सर्वेक्षण करा लीजिए। आपका पुलिस डिपार्टमेन्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट में जो कान्स्टेबल कार्यरत हैं उनमें, मेरा यह दावा है, 70 प्रतिशत से ज्यादा टी. बी. पेशेन्ट हैं। किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंन्ट चलेगा ? किस तरह से क्षय रोग का निवारण होगा ? मैं माननीय मन्त्री महोदय, यह आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस रोग पर शीघ्रातिशीघ्र काबू पाने का प्रयास नहीं किया तो यह केवल पश्चिमी राजस्थान की समस्या हीं नहीं रहेगी, यह सारे राजस्थान की समस्या होगी। सभापति महोदय, जैसलमेर और पोकरण अस्पतालों में रोगी शैयाओं का जो आंवटन किया गया है वह बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि दोनों अस्पतालों की जो दयनीय स्थिति है, उसमें सुधार करके आप ज्यादा से ज्यादा रोगी शय्याओं का प्रबन्ध करावे।

माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर और पोकरण अस्पतालों की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, उसको आप देखें बड़ी दर्दनाक स्थिति है। मरीजों के लिए दवाइयों का अभाव है डाक्टरों का अभाव है। दवाइयां मिलती नहीं हैं, स्टाफ पूरा नहीं है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाय तो एक ओर जहां बीकानेर दो सौ मील दूर है वहां

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

दूसरी ओर जो जोधपुर है वह भी जैसलमेर से दो सौ मील दूर है। अकाल के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति दुरूह हुई है। उस स्थिति में अगर आप इस बार स्वास्थ्य सेवा सुचारु रूप से प्रदान नहीं कर सके तो

(3.20 म. प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह सभापति, पीठासीन) मैं यह दावा करता हूं कि इस स्थिति में लोगों की मृत्यु होगी। अगर लोग अकाल की वजह से और चिकित्सा के अभाव की वजह से मरे तो, माननीय मंत्री महोदय आप जिम्मेदार होंगे।

माननीय सभापति महोदय आज यहां बात हो रही है। नए सब सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। नए सब सेंटर्स खुल रहे हैं इसलिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। जैसे खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में सब सेंटर्स का बड़ा अभाव है। माननीय सभापति महोदय आप स्वयं पश्चिमी राजस्थान से अच्छी तरह से परिचित हैं इसलिए मुझे डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन, सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि सब सेंटर्स खोलते समय पश्चिमी राजस्थान, खास तौर से जैसलमेर का ध्यान रखा जावे। जैसलमेर के अन्तर्गत ग्राम भौला, पोछीणा, तुणार, करड़ा, बेरसीयाला और ताड़ाना में तो अवश्य ही सब सेंटर्स खोले जावें। माननीय सभापति महोदय, सब सेंटर्स खोलने से ही वहां की स्वास्थ्य सेवा सुचारु रूप से चल जायगी, यह मतलब नहीं है, सब सेंटर्स तो आप खोल देंगे। आंकड़ों में आप कह देंगे कि हमने पश्चिमी राजस्थान खास तौर से जैसलमेर में बीस सब सेंटर्स खोल दिए। अगर वह बीस के बीस सब सेंटर्स बन्द पड़े रह गए तो इनके खोलने का मतलब क्या होगा। मैं तो आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से चला नहीं सकते तो जैसलमेर, पोरकण अस्पताल बन्द कर दीजिए सब सेंटर्स बन्द कर दीजिए ताकि लोगों को आपकी तरफ मुंह देखना तो नहीं पड़े। आपकी तरफ देखना नहीं पड़ेगा और वह अन्य कोई प्रबन्ध कर लेंगे। सभापति महोदय सब सेंटर्स में डाक्टर्स नहीं जा रहे हैं। डाक्टर्स नहीं जाते इसके कारण सब सेंटर्स बन्द हैं। हॉस्पिटल में डाक्टरों का अभाव है। इसका भी कारण है। जैसलमेर में डाक्टरों के साथ कई प्रकार की समस्याएं हैं। उनके आवास की समस्या है, बच्चों की शिक्षा की समस्या है। और अन्य कई समस्यायें हैं। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जिस तरह से हार्ड कोर अलाउन्स अन्य जिलों में सैन्टर द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है उसी तरह से हार्ड कोर अलाउन्स जो डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स पश्चिमी राजस्थान में रहें उनको दिया जावे। यही नहीं, उनको इन्सेन्टिव भी दिया जावे जो डाक्टर कम्पाउन्डर और नर्स पश्चिमी राजस्थान में दो साल रहें आप उनको इन्सेन्टिव देने के लिए एक चीज और कर सकते हैं कि उनको आप प्रिफरेंस पोस्टिंग दीजिए। आप उनका अलाउन्स बढ़ाइये आप इन सब बातों को व्यवस्था करिये तो यह मेरी मान्यता है। सभापति महोदय, ऐसा कोई कारण नहीं कि डाक्टर वहां आना नहीं चाहें।

अन्त में, सभापति महोदय मैं उन डाक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जो पश्चिमी राजस्थान की भीषण समस्या में रहते हुए सही समय पर अपनी सेवा देकर जितनी उनको दवाइयां उपलब्ध हैं उनसे

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

इलाज करते हैं। मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं। उन डाक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी

श्री आत्माराम चौधरी : [हनुमानगढ़ : माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जावे

श्री सभापति : मैंने माननीय सदस्या का नाम पुकार लिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत [भीम]: सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता को जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जानी चाहिए वह पर्याप्त नहीं हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारी डिस्पेंसरीज दिन भर खाली पड़ी रहती हैं। डाक्टर वहां पर पूरे नहीं हैं। विशेष तौर से छोटे गांवों में न तो कम्पाउण्डर्स हैं, न हीं उनको जितनी दवाइयां मिलनी चाहिए उतनी दवाइयां राज्य सरकार की ओर से दी जाती हैं। इसी तरह से अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के भवनों की ओर ध्यान दें तो उनको भी अच्छी स्थिति में नहीं पाते। भवन कहीं पुराने हो गये हैं, कहीं खराब हो गये हैं, कहीं मरम्मत करानी है। इसका मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। अजमेर का जो हास्पिटल है उसकी बिल्डिंग की इस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, डर लगता है कि शायद कहीं यह गिर न जावे।

इसी तरह, सभापति महोदय, हमने जो प्रोग्राम हाथ में लिए थे उनमें कइयों में तो सफलता मिली है, कइयों में सफलता मिलकर वापस हम नुकसान की ओर पहुंचे हैं जैसे मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम है। एक वक्त था जब हम यह मान रहे थे कि मलेरिया बिलकुल गायब हो चुका है लेकिन पिछले दो सालों से देख रहे हैं कि मलेरिया तेजी से वापस आता जा रहा है। जो छिड़काव करने की दवाइयां मिलती हैं वह या तो मिलावटी हैं या अप टू मार्क नहीं उनका पूरा प्रसेस होना चाहिए वह हो नहीं पा रहा है। जहां तक हमारे डाक्टरों का प्रश्न है मैं कहूंगी कि हमारे यहां के कई डाक्टर्स इण्टरनेशनल ख्याति के हैं, कई नेशनल ख्याति के हैं, योग्य डाक्टर हैं सभापति महोदय, जब तक इन डाक्टरों के पास पूरी सुविधा न हो, उनको साधन नहीं दिए जावें तब तक डाक्टर भी क्या कर सकते हैं। आपके द्वारा मेरा मंत्री जी से कहना है कि सबसे पहले तो डाक्टर्स कम्पाउण्डर्स और नर्सों के जो खाली स्थान हैं उन स्थानों को भरें। हमने कहीं डिस्पेंसरी खोलदी और अगर हम पूरा स्टाफ नहीं दे पाते हैं तो फिर जनता में रोष होता है। और हम जन प्रतिनिधियों को नीचा देखना पड़ता है। हमें जनता को जो लाभ पहुंचाना हैं वह पहुंचा नहीं पाते। मेरी समझ में नहीं आता जब शिक्षकों और चिकित्सकों का प्रश्न आता है हमारे शिक्षा मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां जवाब देते हैं कि टीचर्स की कमी है डाक्टर्स की कमी है, इतनी पोस्टस खाली हैं। मैं यह जानना चाहूंगी कि यह पोस्टस खाली क्यों हैं? आपके पास पैसा नहीं है या व्यक्ति नहीं है या क्या बात हैं? पोस्ट्स क्रियेट कर उनको भरा क्यों नहीं जाता? जहां तक मेरा ख्याल है डाक्टर्स और टीचर्स की तो कोई कमी नहीं

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

होनी चाहिए। टीचर्स के लिये तो दरख्वास्तें लिए हुए हजारों आदमी घूमते हैं और डाक्टर्स के लिये भी मेरे ख्याल से काफी लोग हैं जिन्हें कि स्थान दिया जा सकता है। कई बार मेरे पास डाक्टर्स आते भी हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है मेरा निवेदन है यह देखा जावे आखिर क्या स्थिति है, क्यों नहीं ये जगह भरी जा रही हैं।

हम सभापति महोदय, जहां अपनी इन कमियों की ओर देखते हैं तो उसके साथ साथ हमने कुछ काम भी किये हैं जहां हम कमियों की आलोचना करते हैं वहां जो अच्छे काम हुए हैं उनकी सराहना करना भी हम लोगों का फर्ज है। मैं केवल इस बारे में थोड़ी-सी बात कहना चाहती हूं जो कुछ एस.एम.एस. हास्पिटल में पिछले साल में सुधार हुए उनकी ओर जरा इशारा मात्र करना चाहती हूं। अभी एक माननीय सदस्य, मैंने पूरा सुना तो नहीं लेकिन खाने को कुछ कह रहे थे। सभापति महोदय, मैं अचानक एक दिन एस. एम. एस. अस्पताल में पहुंच गई। मैंने रोगियों का खाना देखा तो मुझे सरप्राइज हुआ। उनको अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वाण्टिटी का खाना सफाई के साथ दिया जा रहा था, बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि एम.एल.एज. को कैन्टीन में जो खाना मिलता है करीब करीब उस स्तर का खाना मैंने वहां पाया। अगर कोई दूसरा कहता तो शायद मुझे विश्वास नहीं होता लेकिन मैंने खुद अपनी आंख से देखा है इसलिए जिक्र कर रही हूं।

इसी तरह सभापति महोदय, एस. एम. एस में जो केजुअलटी सर्विस चालू की गई है उसकी मैं सराहना करूंगी। रोज एक्सीडेंट होते हैं आज कल तो दुर्घटनाओं का नम्बर बढ़ता जा रहा है। जब दुर्घटनायें होती हैं तो अस्पताल में जाने के बाद रोगी को एकदम उपचार मिलना चाहिए। उसके लिए केजुअलटी सर्विस चालू करने से जो एक्सीडेंट होंगे उसमें दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बड़ी मदद मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बीस बेड ज्यादा तो नहीं हैं। जयपुर को देखते हुए ये बेड प्राप्त नहीं हो सकते लेकिन बीस बेड की व्यवस्था कि है और आपरेशन थियेटर भी स्थापित किया गया है। उसमें मरीज दुर्घटनाग्रस्त होकर आएगा; उसका फौरन इलाज किया जा सकता है।' वहां पर सर्जन और फिजिशियन का भी प्रबन्ध किया गया है। इसी तरह से सभापति महोदय, जो इन्वेस्टीगेशन सर्विस एस एम. एस. में कायम कि है वह भी तारीफ के लायक है। चौबीसों घण्टे इनवेस्टीगेशन का काम करने वाले हरेक विभाग के डाक्टर बैठे रहते हैं। इलैक्ट्रीक कार्डियोग्राम वाले, ऐक्स-रे वाले, वगैरह-वगैरह वहां बैठे रहते हैं। मैं तो इसको एक तारीफ की बात ही मानूं गी कि ऐन वक्त पर सारी सुविधाओं का एक दुर्घटनाग्रस्त को फायदा मिल सकेगा। इसकी अहमियत मैं इसलिए बता रही हूं कि एक दफा मैं खुद देख चुकी हूँ। जनता पार्टी के राज में आज से कोई चार साल पहले जबकि रात को साढ़े सात बजे मुझे अस्पताल जाना था। मुझे इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम कराना था। ढाई घण्टे मैं स्ट्रेचर पर पड़ी रही किन्तु मेरा इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम नहीं कराया जा सका। उस वक्त जनता पार्टी का राज था। मुझे सुराना क्लिनिक में जाकर के मेरा ई सी. जी. कराना पड़ा। डाक्टर मेरे जानकार थे उन्होंने कहा कि कम्पाउण्डर नहीं है.

(व्यवधान)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

साहब कहने दीजिए मुझे आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दाउदयाल जी सुन रहे हो।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत : मैं इसे विस्तार से नहीं कह रही थी लेकिन अब विस्तार से कहूंगी।........

मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम किया जाय किसी ने कहा, मशीन खराब पड़ी है। किसी ने कहा चाबी नहीं है, किसी ने कहा, करने वाला नहीं है। ढाई घंटे तक मैं स्ट्रेचर पर पड़ी रही। फिर कार में बिठा कर सुराणा क्लिनिक ले जाया गया, तब जाकर ई. सी. जी. कराया गया। आप जोर से ना बोलें इसका मतलब यह नहीं हम कुछ नहीं कहते हैं इसलिये आप जोर से बोलते हैं। सभापति महोदय, जो पेस मेकर का प्रबंध किया है उसमें रोटरी क्लब से सहायता ली गई है। गरीबों को वह सुविधा कैसे दी जा सकेगी-इस तरह का प्रबंध किया गया है। हरेक वार्ड में लाइफ सेविंग ट्रंक का प्रबन्ध किया गया है। उसकी मैं तारीफ भी करूंगी। सभापति महोदय यह सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया जाना चाहिये है। बहुत कुछ करना हमारी सरकार का फर्ज है. जो कुछ हो रहा है या जो कुछ सुधार किया जा रहा है, उसमें और बहुत कुछ किया जाना चाहिये। एक मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी, जो जले हुए मरीज आते हैं उनके लिये बर्न्स वार्ड के बारे में। यह एक्सीडेंट जो जलने के होवे हैं, ज्यादातर महिलाओं के साथ होते हैं,। खाना पकाते वक्त-साड़ी में आग लग जाना और कई तरह की ऐसी शिकायतें औरतों के जलने की सुनने में आती हैं.। ऐसे जो कांड हो जाते हैं। उनमें होती है जलने का शिकार ज्यादातर औरतें इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि एक बर्न्स यूनिट एस. एम. एस. अस्पताल में स्थापित की जाये। वहां जगह भी हो सकती है, जगह न भी हो तो उसका प्रबन्ध किया जा सकता है। जनरल वार्ड में ऐसे मरीजों को रखने के कारण उनमें इनफेक्शन ज्यादा होता है तेजी के साथ होता है इसलिये बर्न्स वार्ड का अलग प्रबंध करना निहायत जरूरी है।

सभापति महोदय, आज साइन्स का युग है। इस साइन्स के युग में कई प्रकार की मशीनें चल गई हैं। उन मशीनों को, उन यंत्रों की हमारे राज्य को आवश्यकता है। ऐसे यंत्रों की कुछ खरीद फरोख्त की जाये। माननीय मंत्री महोदय, एक गामा कैमरा के बारे में काफी सुन रहे हैं। उसकी लागत सुनते हैं कि 27-28 लाख के करीब होती है। उससे डायग्नोसिस करने में बहुत मदद मिलेगी। उससे अलग अलग आर्गन्स का डायग्नोसिस होता है। इस समय हमारे राजस्थान में कहीं गामा कैमरा नहीं है। इसके लिये दिल्ली जाना पड़ता है। इसलिये मेहरबानी करके एक-दो ऐसे यंत्र खरीदे जायं। तीसरा मेरा निवेदन है कि हमारे इस अस्पताल को इंस्टीट्यूशन के दर्जे पर पहुंचाया जाय। राज्य में इस प्रकार के मेडिकल इंस्टीट्यूट कायम होना निहायत जरूरी है। चाहें इस अस्पताल को इंस्टीट्यूशन के दर्जे पर पहुंचाया जाय या उपयुक्त समझते हों तो और किसी अस्पताल को ले लें। लेकिन इंस्टीट्यूट कायम होना निहायत जरूरी है। हमारे से छोटे छोटे राज्य इस

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत)

मामले में आगे बढ़ चुके हैं, इंस्टीट्यूट कायम कर चुके हैं. । दिल्ली में मेडिकल इंस्टीट्यूट है । हरियाणा, पंजाब में भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं; अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंस्टीट्यूट की नींव लगायी गई है, बिहार में भी लगायी गई है । उत्तर प्रदेश मे संजय मेडिकल इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था काम कर रही है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक जरूरी बात की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खीचूंगी,

(व्यवधान)

जरा दो मिनट आप कागज नीचे छोड़ दें, मंत्री महोदय, मेरी बात सुन लें,

श्री सभापति: सुन रहे हैं। मंत्री महोदय सुन रहे हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मेरा निवेदन यह है कि हमारे राज्य में नर्सों की बहुत कमी है, न तो अस्पताल में नर्सें पूरी हैं. न प्राइवेट अस्पताल में नर्सें हैं । न ए. एन. एम. पूरी हैं, न पूरी मिड वाइफ हैं. अगर आज केरल की नर्सेज नहीं हों हमारे पास, तो हमारे राज्य की कोई इस प्रकार का नर्सेज नहीं हैं जो इस राज्य की हों । नर्सेज की अत्यन्त कमी है, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां नर्सिंग कालेज या इंस्टीट्यूट छात्रों को तालीम देने के लिये कायम किये जायें । देखा जाय तो अभी तक राज्य में इस स्कीम को मंजूर ही नहीं किया गया । राजस्थान की लड़कियां तो नाममात्र की गिनती की हैं, न तो उनका ध्यान हम लोग इस ओर बढ़ा पाये हैं न हमारे यहां की जनता का ध्यान है,। जो कुछ भी मिड वाइफ की मामूली ट्रेनिंग दो महीने की देते हैं वह भी नाम मात्र की होती है । इसलिये सबसे पहले आपका ध्यान नर्सिंग कालेज के लिये दिया जाय, यहां की आबादी को देखते हुए यहां की आवश्यकता को देखते हुए केवल एक जयपुर में न होकर पांचों डिविजन हैड क्वार्टर्स पर नर्सिंग कालेज की स्थापना हो, यहां मैं पांचों डिविजन का इसलिये बयान कर रही हूं कि यह लड़कियों को दूर-दूर भेजने का सवाल होगा । अभी तक हमारें यहां ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि हम हमारे बच्चों को दूर-दूर भेजें, अलग-अलग जगह नर्सिंग कालेज कायम हो जायेंगे । तो लड़कियां आसानी से जा सकेंगी, आज लड़कियों की बेरोजगारी की बात हो रही है, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां रोजगार चाहती हैं, इससे उन को रोजगार का साधन मिल जायेगा । यह ऐसी सेवा है अगर राज्य सरकार इसे अपने यहां नौकरी न भी दे सके तो वह अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक कमा सकती है, खा सकती है. और समाज को अपनी सेवा दे सकती है । एक ठीक ठाक नर्सिंग पास की हुई लड़की हो तो गांवों में डाक्टर का काम उसके जरिये चला सकते हैं निहायत आवश्यक हैं कि नर्सिंग कालेज की स्थापना की जाय ।

मैं आपको घंटी बजाने का मौका नहीं दूंगी, मैंने कभी मौका किसी को नही दिया कि मैं बोलूं और वे घटी बजायें। मैं आपका ध्यान देख रही हूं; सभापति महोदय, इस लिये मैं समाप्त करती हूं और सोचती हूं कि मंत्री महोदय इन दो तीन बातों की ओर विशेष ध्यान देंगें ।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह !

श्री बहादुर सिंह (बानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या –26 की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाडा जिला राजस्थान के दक्षिण की तरफ है । बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और वेंगू की तहसीलों में ट्राइबल लोग बसते हैं । मैं इस क्षेत्र की समस्या के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा । सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माही बजाज सागर बांध जो विस्थापित लोग हैं, उन के लिए बांध बनने से पहले अस्पताल, डिस्पेंसरी, हैल्थ सब सैंटर वगैरह जो सुविधा राज्य सरकार की तरफ से थीं उन सारी सुविधाओं को विस्थापितों के उठने के साथ साथ राज्य सरकार ने वहां के अधिकारियों ने अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया । जो विस्थापित लोग टेल के किनारे थे वहां आधा हिस्सा इस गांव का डूब में आगया जो कुछ हिस्सा बच गया थोड़ी जमीन काश्तकारों की बच गयी थी उस पर वे आज भी काबिज हैं । ऐसे जो किनारे किनारे चारों तरफ विस्थापित लोग रहते थे उन लोगों के लिये कोई चिकित्सा सुविधा आज उपलब्ध नहीं है. तो मेरा निवेदन है कि जो डिस्पेंसरी, हैल्थ सैंटर, वगैरह वहां से हटाकर दूसरी जगह ले गये या तो उनको वापस उन्हीं गावों में जहां वे लोग बसते थे ।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय, थोड़ा ध्यान दीजिये विस्थापितों का मामला है । सभी माननीय सदस्य बोले आपने नोट किया । अब विस्थापितों की मैं बात कह रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भाषण जारी रखें। सुन रहे हैं मंत्री महोदय।

श्री बहादुर सिंह : मैं किसी काम के बारे में चाहूं या किसी सैंटर का सुझाव बताना चाहूंगा वह नोट किये बिना कैसे याद रहेगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि खांडू बहुत बड़ा गांव था, जहां डिस्पेंसरी थी । खांडू कालोनी बांसवाड़ा में बसाई गई, वहां का अस्पताल दूसरी जगह ले गये. खांडू के आसपास का एरिया है, ग्राम पंचायत ओरिया केसर पुरा, मेसपुरा खेडावडीपाडा और आबापुरा इन पांच ग्राम पंचायतों में बिखरी हुई आबादी में लोग रहते हैं. एक-एक ग्राम पंचायत में पांच हजार से कम जनसंख्या नहीं है । कुल मिला कर 10–12 हजार के करीब लोग बसते हैं । उनके लिये कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है । खांडू कालोनी में खांडू की डिस्पेंसरी थी वह खांडू कालोनी से कहीं और कर दी गई है मेरा निवेदन है, उस एरिया में पंचायतवार सब सेंटर या डिस्पेंसरी नहीं मांग रहा हूं । मेरा निवेदन है आबापुरा पंचायत ऐसा एरिया है जो उन पांचों पचायतों का सैंटर है। आबापुरा ग्राम पंचायत में खांडू के विस्थापित हैं दूसरे विस्थापित हैं, चयनित परिवार हैं । ऐसे लोगों की कालोनी के हिसाब से इस साल में लोग वहां बसना चाहते हैं । और ग्राम पंचायत वहां बसाना भी चाहती है. आप वहां की जनसंख्या को आधार न मानें और पांचों पचायतों की जनसंख्या को आधार मान कर आबापुरा में डिस्पेन्सरी खोल दें इस साल में तो बहुत बढ़िया उन लोगों को सुविधा मिल सकेगी । अन्यथा वे पांचों ग्राम पंचायत, बांसवाड़ा शहर से बांसवाड़ा जनरल अस्पताल से काफी दूरी पर है. । वहां नदी है, नाले है, लोग अस्पताल तक पहुंच

(श्री बहादुरसिंह)

नहीं पायेंगे समय पर कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पायेगी तो लोगों को मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रहेगा ।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम बोरिया में सब सेन्टर खोलने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । ग्राम पंचायत बोरिया के एक तरफ मध्य प्रदेश की सरहद लगती है और दूसरी तरफ माही नदी का पानी, जो वीरपुर से खाण्डू तक पहुंचता है, आता है । लंका के टापू जैसी ग्राम पंचायत रह जाती है जिसको न तो मध्य प्रदेश की सुविधा मिलती हैं न बांसवाड़ा की सुविधा मिलती है । न वे दानपुर जा सकते हैं और न ही बांसवाड़ा आ सकते हैं । उनको बड़ा घूम कर जाना पड़ता है । ऐसी जगह पर यदि सब सेन्टर खोल दिया जाय तो लोगों को सुविधा हो जायेगी नहीं तो कम से कम ढाई तीन हजार से अधिक की जनसंख्या वाले इलाकों को सुविधा नहीं मिल रही है ।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि आदिवासी इलाके में ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट सब प्लान लागू किया गया । केन्द्र और राजस्थान का बजट ट्राइबल इलाके में खर्च करने के लिये दिया जाता है । वह जिस हिसाब से ट्राइबल एरिया में खर्च करना है, जिस हिसाब से अस्पताल सब सेन्टर या डिस्पेन्सरी खोलनी है वह वहां न खोली जाकर दूसरे बड़े-बड़े शहरों, बड़ी जनसंख्या वाले कस्बों में खोली जाती है जिससे उस इलाके के ग्रामीण लोगों को फायदा नहीं मिलता है । मेरा निवेदन है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर और प्रतापगढ़ की तहसीलों में सारे आदिवासी लोग पहाड़ों पर बसने वाले हैं कालोनी बना कर रहने वाले नहीं है, न कालोनी बना कर कभी रहेंगे उन लोगों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिये एक ही रास्ता है कि जिस तरह तहसील के हिस्से में जो गांव पड़ता है उससे 5 या 10 किलोमीटर में ऐसा कोई एरिया बांध कर आदिवासियों को सुविधा पहुंचाई जाय । ऐसी कोई नीति बनाई जाय कि आदिवासी एरिया में इतने किलोमीटर की दूरी के इलाके पर सब सेन्टर, डिस्पेन्सरी आयुर्वेदिक अस्पताल होगा । जिस रूप में भी राज्य सरकार उनको सुविधा देना चाहे वह दे । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए जनरल हास्पिटल ही खोले । सभापति महोदय ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट सब प्लान के माध्यम से आदिवासियों को जो चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं वह आप दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप गांवों की जनसंख्या को आधार मानते हैं, मेरा निवेदन है कि आप ग्राम पंचायत की जनसंख्या को आधार मानिये क्योंकि ग्राम पंचायत के लोग बिखरी हुई आबादी में रहते हैं । मैं ज्यादा समय न लेकर, माननीय मन्त्री महोदय जैसा माननीय भंवरसिंहजी ने कहा कि खुश कर दूं या नाराज कर दूं, उस हिसाब में नहीं बल्कि जनता की मांग को देखते हुए उसके दुख दर्द को देखते हुए निवेदन कर रहा हूं । मेरा निवेदन आप जरूर सुनेंगे । इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : पाइन्ट आफ आर्डर ।

सभापति महोदय लिस्ट में इनका नाम है इसलिये इनका नाम बाद में रखें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, चिकित्सा और आयुर्वेद मंत्री दोनों ही बैठे हुए हैं । बजट में इस बार कम से कम 200 आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की घोषणा की है । मेरा यह निवेदन है कि आयुर्वेद से कोई मरीज ठीक हुआ है क्या ? सभापति महोदय चूर्ण चटनी से सिर्फ मुंह जरा सा साफ हो जाता हैं । यह सरकार का पैसा आप कृपया फालतू बरबाद न करें । जितने आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुए हैं उनमें पधार कर देखें तो यही वैद्य आयुर्वेदिक अस्पताल में बैठे हुए एलोपैथी की दवाओं को काम में लेते हैं । आपने परामर्श दात्री समिति में भी सदस्य बना दिया है तब तो फिर और भी घोटाला ज्यादा है। हमारे दाऊदयाल जी भी वैद्य हैं । उनकी अच्छी प्रेक्टिस चलती तो यह एम. एल. ए. क्यों बनते ? उनकी प्रेक्टिस चलती नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) : उनको राज्य सरकार जेल भेजे । कानून बना हुआ हुआ है । एलोपैथी विज्ञान पर सबका अधिकार है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें माननीय दाऊदयालजी ।

श्री दाऊदयाल जोशी ; माननीय माधवसिंहजी दीवान लिव-52 जो चिकित्सा में काम में आने वाली दवा बिकती है वह आयुर्वेद की है, एलोपैथी की नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं जानता हूं कि आपको आयुर्वेद से अगाध प्रेम है । आप अपने भाषण में पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करिये । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इनको परामर्शदात्री समिति में लेने का निवेदन किया है । यह भी आपके साथ ही रहेंगे ।

श्री माधवसिंह दीवान : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत चिकित्सा मन्त्री और आयुर्वेद मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार तो ये दोनों महकमे एक ही मन्त्रीजी के पास थे इसलिये उन मंत्रीजी ने आयुर्वेद में जो फालतू पैसा बरबाद हो रहा था वह रोक लिया । अब अलग अलग मन्त्रियों के पास ये महकमे हैं । यह जरूरी है उन महकमों में काम हो । नये अस्पतालों का निर्माण न करके जो पुराने अस्पताल चल रहे हैं उनमें ही ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जाये । वैद्यों को और नहीं तो कम से कम 6 महीने का तो एलोपैथी का रिफ्रेशर कोर्स दिलवाइये ताकि ये लोगों को गलत सलत दवाइयां न देकर सही रूप से इलाज कर सकें ।

दूसरा निवेदन है कि जगह जगह एक्सरे मशीने लगी हुई हैं परन्तु बहुत ही कम संख्या में एक्स-रे फिल्म्स उपलब्ध होती है इसलिये उन मशीनों का पांच प्र. श. उपयोग भी नहीं हो पाता। अनेक जगह ये मशीने खराब पड़ी हुई है । एक्स-रे टेक्नीशियन बाहर के प्राइवेट अस्पतालों में जो मशीनें लगी हुई हैं उन पर काम करते हैं । उनकी इच्छा यह रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्स-रे बाहर करवायें । मेरा

(श्री माधवसिंह दीवान)

अनुरोध है कि अगर एक्स-रे फिल्म्स आप फ्री आफ कास्ट सप्लाई न कर सकें और आन कास्ट पर अस्पताल में उपलब्ध करा दें तो, जो फोटो अस्पताल में 6.00 रुपये में खिचवायी जा सकती है, बाहर वाले 20-25 रुपया उसका चार्ज करते हैं उससे मरीजों को काफी राहत मिल सकेगी।

दवाइयों का उपयोग और खपत राजस्थान में काफ़ी अच्छी मात्रा में है फिर भी, राजस्थान में दवाइयों के उद्योग बहुत ही कम मात्रा में लगे हैं और पनप पाये हैं। किसी तरह कोई ऐसी पालिसी बनायें कि जहां तक हो सके अस्पतालों में राजस्थान में बनी दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा दवा-उद्योग लगे, इस तरह की पालिसी बनायी जाय तो यह काफी उपयोगी रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय जब पाली जिले के दौरे पर पधारे थे तब सियाग का जो भवन बना हुआ है, को बनाने वाले सेठ जी से भी उनको मिलाया था और उन्होंने खुद भी भवन देखा था। मुझे आशा है जैसे मेरे साथी विधायक भी आपसे मांग कर रहे हैं, राणावास में अस्पताल खोलें या नहीं खोलें परन्तु सियाग में जरूर डिस्पेंसरी खोलने का......

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : मैं तो उद्घाटन कराऊंगा आपसे।

श्री माधवसिंह दीवान : अन्त में ज्यादा समय न लेकर भैरूंसिंह जी ने जो बात कही, इस बात को दोहराऊंगा। विधायक नगर में एक गैरेज में कंपाउंडर और नर्स बैठते हैं और दूसरे में डाक्टर बैठा रखा है, बड़ी अजीब सिचुएशन है। जिनका गैराज है वे रोज उनको कहते है कि मेरा गैरेज खाली करो, मेरा गेराज खाली करो। मुझे आशा है कि अपने रिप्लाई में आप इस बारे में कुछ घोषणा करेंगे। कम से कम एक लाख की बिल्डिंग वहां बनवा दें ताकि विधायकों को और ज्योति नगर के आसपास के भागों को सहूलियत मिल सके। वहां 100-150 का आउट-डोर हो गया है। यह घोषणा आप करेंगे।

श्री सभापति : श्री अनंग कुमार जैन !

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय चिकित्सा की मांग पर आज विचार-विमर्श चल रहा है। यह मांग आम आदमी से संबंध रखती है। चिकित्सा विभाग की स्थिति दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है। इसमें दिन-पर-दिन अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। प्रश्न के माध्यम से और अन्य अनेक माध्यमों से मंत्री महोदय के नॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले लाते रहते हैं। दुर्भाग्य से पहले वाले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वह तो भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा ग्रसित हो चुके थे उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि एक्शन ले सकेंगे। लेकिन नये स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें ध्यान में लायेंगे उन पर एक्शन लेंगे। बजट में वित्त मंत्री जी द्वारा कई प्रकार की घोषणा की गई हैं कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, डिस्पेंसरी और एडपोस्ट खोले जायेंगे। मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इनके खोलने का आधार, मापदण्ड क्या होगा ? राजनैतिक मापदण्ड ही होगा

(श्री अनंग कुमार जैन)

या कोई स्पेसिफिक मापदण्ड राज्य सरकार ने तय किया है। जिसके आधार पर ये खोले जायेंगे।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो दवाइयां आप डिस्पेन्सरीज को सप्लाई करते हैं वे बहुत कम मात्रा में सप्लाई की जाती है। मैंने पिछले सैशन में सवाल पूछा था उस सवाल को जो जवाब दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि झालावाड़ जिले में मरीजों की एक वर्ष की संख्या है इसके आधार पर दवाइयां भेजी जाती हैं। तो यह 27 पैसे प्रति व्यक्ति, प्रति मरीज दवाई दी जाती है। सभापति महोदय, आज 27 पैसे के अन्दर एक गोली भी नहीं आती है। आप ज्यादा-से ज्यादा दो-तीन गोली मरीजों को दे देवे हैं बाकी सब दवाइयां मरीजों को बाजार से लानी पड़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर यहां मेडिकल स्टोर नहीं है, जहां पर दवाइयां नहीं मिलती है कम से कम वहां पर दवाइयां पूर्ण रूप से वितरित करवावें ताकि दवाइयां मिल सकें। इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है भारत की जनता राजस्थान की जनता के साथ कि आप एक डाक्टर, एक कम्पाउन्डर और एक नर्स डिस्पेन्सरी में लगाते हैं उसके एस्टेब्लिशमेन्ट पार तो 6-7 हजार रुपया प्रति महिने खर्च करते हैं और मरीज को दवा देते हैं। सिर्फ 27 पैसे प्रति दिन की। यह 27 पैसे की दवा भी किसी भाग्यशाली मरीज को ही मिल सकती है। वरना हर व्यक्ति को सारी की सारी दवाइयां बाजार की लिखी जाती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो चार महीने के मरीजों की संख्या देख कर दवाइयां आप विभिन्न जिलों को अलाट करते हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। जहां मरीजों की संख्या अधिक है वहां पर अधिक बजट अलाट करें ताकि ग्रामीण जनता को राहत मिल सके।

दूसरा, सभापति महोदय, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, चिकित्सा की दृष्टि से जो ध्यान दिया जाता है प्रथमतः वह शहर की तरफ दिया जाता है। शहरों के जो अस्पताल है हालांकि उनकी हालत भी अच्छी नहीं है किन्तु उनको सुसज्जित करने की कोशिश की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो थोड़े बहुत अस्पताल खोल रखे हैं उनमें अव्वल तो आपका स्टाफ नहीं मिलता है। डाक्टर अवेलेबल नहीं होता है कम्पाउन्डर अवेलेबल नहीं होता है। इसके बारे में प्रश्न लगाते हैं। शिकायतें करते हैं तो, सभापति महोदय, यहां से आर्डर कर दिया जाता है। वह रिकार्ड के ऊपर ही रहता है। हमारे मन्त्री महोदय और डायरेक्टर साहब यह मान लेते हैं कि हमने पोस्ट भर दी जबकि वास्तविकता यह है कि वह व्यक्ति जोइन नहीं करता है। आम जनता तो यह चाहती है कि उसको डाक्टर मिले, कम्पाउन्डर मिले।

मैं झालावाड़ जिले के बारे में निवेदन करूंगा कि पिछले डेढ़ वर्ष से यहां पर महिला चिकित्सक, जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली चली आ रही है। बीच में भीलवाड़ा से एक महिला चिकित्सक, जो वहां पर काम करती थी, पोस्टिंग किया गया लेकिन एक दिन जोइन करके वे छुट्टी लेकर बैठ गयीं। उन्होंने येन-केन प्रकारेण मंत्री महोदय से मिल कर अपना ट्रान्सफर दूसरी जगह करा लिया। मैंने पिछली

(श्री अनंग कुमार जैन)

बार विधान सभा में प्रश्न पूछा था और आपने यह जवाब दिया था कि अपाइन्टमेन्ट कर दिया है। मंत्री महोदय खाली अपाइंटमेन्ट करने से काम नहीं चल सकता है। आम जनता को जब तक डाक्टर की सुविधा नहीं मिले तब तक उनको भरी हुई नहीं माना जा सकता। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान देंगे। वे इनका मानिटरिंग करें कि जिस चिकित्सक की नियुक्ति की गई है उसने वहां पर जोइन किया है या नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ चिकित्सालय में सारी पोस्ट्स पिछले दो साल से खाली पड़ी हुई है। आई स्पेशलिस्ट पिछले दो वर्ष से छुट्टी लेकर बैठा है और अब तक उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं। वह अभी तक सरकारी सेवा में है। वहां किसी दूसरे व्यक्ति का अपाइन्टमेन्ट नहीं किया गया है। दूसरा, सभापति महोदय, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वह पिछले दो वर्ष से छुट्टी लेकर कोटा में प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहा है। दोनों चिकित्सक कोटा में प्राइवेट प्रेक्टिस कर रहे हैं लेकिन झालावाड़ में उनकी पोस्ट्स भरी हुई मानी जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाय जो बजट आपने अलाट किया वह अलग बात हैं लेकिन जो पोस्ट्स आपने बना रखी हैं उसका तो मानिटरिंग करके कंट्रोल कीजिये। जिनका पोस्टिंग किया है उन लोगों को जोइन करवाइये। जो जोइन नहीं करते हैं उनको सर्विस से रिमूव करिये, सस्पेन्ड करिये। उन पर एक्शन लीजिये और राजनीतिक प्रभाव से दूर रहिये।

सभापति महोदय, दूसरी स्थिति इसके परिप्रेक्ष्य में क्या बनी है? वर्तमान में जो डायरेक्टोरेट है; उस डायरेक्टोरेट की स्थिति जेलखाना जैसी बन गयी हैं। वहां दिन भर तो लाल बल्ब जला हुआ नजर आता है। उस लाल बल्ब के नीचे एक आदमी बैठा रहता है। न कोई आदमी आसानी से अन्दर जा सकता है और न कोई डायरेक्टर से शिकायत कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की जांच करवाइये, डायरेक्टोरेट को जेलखाना न बनावें, उसके फाटक बंद न करावें ताकि वहां लोगों का आना जाना हो सके, और जो जन प्रतिनिधि और दूसरे लोग हैं वे अपनी शिकायत कर सकें। इस बात की भी आप जांच करवाइये। स्पेसिफिकली मैं आरोप लगा रहा हूं। मैं गलत नहीं कहा रहा हूं। मैंने इस बात की जांच की है उसके बाद में आपसे कह रहा हूं ......

(व्यवधान)

सभापति महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन करता हूं कि आयुर्वेदिक औषधालय के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में बताया गया कि प्रति व्यक्ति 24 पैसे के अनुपात से दवाइयां सप्लाई करते हैं। 24 पैसे के अंदर कोई भी गोली नहीं आ सकती है। जहां इतना कम पैसा अलाट करते हैं तो वहां चिकित्सा सुविधा की क्या प्रदान कर सकेंगे। आयुर्वेदिक औषधालय पर भी चार पांच हजार का एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा होता है। एक वैद्य होता है, एक सैकण्ड ग्रेड कम्पाउण्डर होता है और एक नर्स होती है। वहां 24 पैसे प्रति व्यक्ति, प्रति दिन के हिसाब से दवाई देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद मंत्रीजी आप इस विभाग

(श्री अनंग कुमार जैन)

पर रहम खाओ। केवल वैद्यों के तबादलों में ही मत लगे रहो, इस विभाग को सुधारने की कोशिश करो। पिछले चार महीनों के अंदर 1700 वैद्यों के तबादले किये गये और उनमें से 986 वैद्यों के तबादले कैन्सिल किये गये। तो सभापति महोदय, क्या कारण थे कि 1700 वैद्यों के तबादले किये गये और 986 वैद्यों के तबादले केन्सल किये गये ? इसके पीछे भी बहुत बड़ी भूमिका है। सभापति महोदय, एक ओ० पी० माथुर हैं, ये ओ० पी० माथुर साहब कौन हैं ? यह अपने आपको मुख्य मंत्री का दामाद बताते हैं। ये ट्रान्सपोर्ट में इन्सपेक्टर हैं, सभापति महोदय, लेकिन 24 घंटे आयुर्वेद विभाग में रहते हैं। सभापति महोदय, ट्रान्सपोर्ट का इन्सपेक्टर आयुर्वेद विभाग में रहता है। मंत्री महोदय कहीं पधारते हैं तो दो दिन पहले वे वहां पहुंच जाते हैं। सभापति महोदय, जो ओ० पी० माथुर अपने आपको मुख्य मंत्री का दामाद बताकर इन वैद्यों से पैसा ऐंठता है भारी भ्रष्टाचार करता है। इस बात की जांच करनी चाहिये जो तबादले हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन करूंगा। चार महीने में 1700 तबादले करना और 986 ट्रांसफर कैन्सल करना, इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि घोर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह आदेश एकतरफा हुये हैं। मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं इस बारे में। सारे आर्डर्स उनके आदेश से हुए हैं। जो आपके एडीशनल डायरेक्टर का काम करते हैं श्री गोपालदास जी, उनके बारे ज्यादा नहीं कहना चाहता। रोजाना आप उनको अजमेर से आगे सिकन्दरा देख में सकते हैं सरकारी गाड़ी में देख सकते हैं। इनसे आप अन्दाजा लगा सकते हैं वे वहां पर क्या करते हैं ? जिस विभाग की यह स्थिति हो उस विभाग के भ्रष्टाचार को कन्ट्रोल करने के लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य नाम से व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते हैं।

श्री सभापति : किसी आयुर्वेदिक औषधालय का इन्स्पेक्शन करने जाते होंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : यह आयुर्वेदिक औषधालय एक ही जगह है वहां जाते हैं

(व्यवधान)

शाम को।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इन तमाम बातों की आप जांच करें और जांच करके इन पर एक्शन लें जहां पर जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उसको अविलम्ब भरवाने का कष्ट करें।

दूसरे, झालावाड़ जिले के चिकित्सालय के बारे में निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, झालावाड़ में 30 वर्ष से जिला चिकित्सालय है। उसकी स्थिति जो तीस वर्ष पहले थी वही आज है। पहले वह सी श्रेणी में था और आज भी सी श्रेणी में है। जितने बैड्स पहले थे उतने ही आज हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जन संख्या बढ़ती जा रही है और डिमाण्ड बढ़ती जा रही है, उसके आधार पर उस चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के बारे में सरकार के पास प्रस्ताव आये हैं उन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर उस अस्पताल को

(श्री अनंग कुमार जैन)

क्रमोन्नत करके दो श्रेणी का अस्पताल बनाया जाय।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं होम्योपैथी के बारे में दो लाइन निवेदन करूंगा। राजस्थान में 63 होम्योपैथी के औषधालय हैं। एक तरफ तो सरकार ने लोगों को नौकरी दे दी, डाक्टर बना दिया, दूसरी तरफ होम्योपैथी के बारे में यह पाबन्दी लगा दी कि होम्योपैथी के डाक्टर का सर्टिफिकेट कहीं मान्य नहीं होगा। होम्योपैथी बिल्स रिएम्बर्स नहीं होंगे। एक तरफ सरकार कालेज खोलती है, पैसा खर्च करती है, उनको डाक्टर बनाती है, उनको नौकरी देती है दूसरी तरफ पाबंदी लगाती है। इस बारे में भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करके कोई न कोई सही निर्णय लिया जाये।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में बजट की बहस पर जब मुझे बोलने का मौका मिला उस समय 500 उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामीण डिस्पेन्सरीज खोलने का जो प्रावधान किया, उसके लिये वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे चुका हूं और आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें। 5 मिनट का समय रखा है।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर में जो अस्पताल था उसको आपने क्रमोन्नत किया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

अब मैं खास तौर से यह निवेदन करूंगा कि चिकित्सा की जो सुविधा हमारे राजस्थान में उपलब्ध है वह सुविधा ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को मिल सके इस दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जहां पर लोग स्केटर्ड रहते हैं, ढाणियों के अन्दर अपने अपने खेतों में रहते हैं एक दो जगह या सामुहिक आबादी के रूप में नहीं रहते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का इस वर्ष ध्यान रखें। जिस तरह से पेयजल के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने यह नीति तय की है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1.5 किलो मीटर से अधिक दूरी पर पीने के पानी के लिए नहीं जाना पड़े उसी प्रकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते समय, मैं कहना चाहूंगा, दूरी को आधार मानें। दूरी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सुविधा खोलें। कहीं-कहीं पर मरीजों को सिर्फ आधा किलो मीटर की दूरी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है फिर भी, वे मांग करते हैं कि उन के यहां पर चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में 50—50 किलोमीटर की दूरी पर चिकित्सा सुविधा नहीं होने से, यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण जब कभी कोई अचानक बीमार पड़ जाता है तो चिकित्सालय तक पहुंचते-पहुंचते वह दम तोड़ देता है, मर जाता है, बच नहीं पाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष आप जब चिकित्सालय खोलें उस समय दूरी के महत्व को देखते हुए यह तय करें कि कम से कम 20 किलोमीटर की परिधि में चिकित्सा सुविधा हो। ताकि कोई व्यक्ति बीमार होने पर अपनी चिकित्सा करा सके और एकदम मार पड़ जाने पर मर न जाय

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, जो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का हिस्सा है, पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पर आज भी कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी थी। उस समय पश्चिमी राजस्थान से ज्यादातर कांग्रेस के एम. एल. ए. थे और बाड़मेर से भी कांग्रेस के विधायक थे। इसलिये राजनीतिक भेदभाव के आधार पर उस समय उन्होंने वहां पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं खोली। पिछले तीन साल से मैं बराबर प्रयास करता चला आ रहा हूं लेकिन आज दिन तक अपने प्रयास में कामयाब नहीं हुआ हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बार आपकी विशेष कृपा होनी चाहिए जिससे चिकित्सा का जो लाभ है वह हम लोगों को भी प्राप्त हो सके।

दूसरा, सभापति महोदय, बाड़मेर जिले के अन्दर पिछले तीन वर्षों से कम्पाउन्डर्स, नर्सों और डाक्टर्स की बहुत जगह खाली पड़ी हैं। इसकी वजह से जितने उप केन्द्र हैं वे बेकार पड़े हैं। उप केन्द्र स्वीकृत तो कर दिये गये हैं, उनको स्वीकृत हुए 10-10 साल हो गये हैं लेकिन आज तक वहां पर कोई नर्स पहुंची नहीं है। तो उप केन्द्र खोलने से क्या फायदा होगा? लोगों को क्या चिकित्सा सुविधा मिलेगी? इस वर्ष आप 500 नये उपकेन्द्र खोलने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ने जैसा कहा कि चिकित्सा केन्द्र खोलते जा रहे हैं लेकिन जो इतने लम्बे समय से पद रिक्त पड़े हैं उनका क्या होगा? आपके पास प्रशिक्षित नर्स नहीं हैं, कम्पाउण्डर्स नहीं हैं, पूरा स्टाफ नहीं है। पहले स्टाफ को तैयार करके नहीं रखेंगे और चिकित्सा केन्द्र खोलते जायेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उससे लोगों को तो कोई राहत मिलेगी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी नर्स, कम्पाउण्डर्स और डाक्टर्स के रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भर दें। मेरे यहां पर भी काफी स्थान रिक्त पड़े हैं। मै पिछले तीन साल से बराबर प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह से मेरे यहां पर नर्स, कम्पाउण्डर्स व डाक्टर्स चले जायें। कुछ डाक्टर्स को तो भेजा है लेकिन नर्स, कम्पाउण्डर्स की संख्या वही है। बहुत ही कम संख्या में लोग हैं। जो हैं वे जनरल हास्पिटल में ही हैं। वह भी संख्या में नाम मात्र के हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आप नर्स के ऊपर ही जोर क्यों दे रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 500 नये उप केन्द्र खोले जा रहे हैं। 500 नये उपकेन्द्र का प्रावधान किया गया है। 250 पहले खोले थे उनको मिलाकर साढ़े सात सौ हो जायेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इससे जनता को क्या फायदा होगा? इसी तरह से कम्पाउण्डर्स की समस्या भी है।

दूसरा, इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हम प्रशिक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों को लें वे ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हों। जो शहरों के रहने वाले लोग हैं वे तो शहरों में ही जाना पसंद करते हैं, गांवों में जाते ही नहीं हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लिया जायेगा तो वे गांवों में रुक सकेंगे अन्यथा शहरों के लोग तो ट्रांसफर कराकर शहरों में चले जाते हैं और जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।

Page No 143

(143)

(श्री हेमाराम चौधरी)

उनके दिमाग में जनता की चिकित्सा की बात नहीं रहती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस जगह पद रिक्त हों वहां के लोगों को प्रशिक्षण दें। जितनी जरूरत है उतने लोग लें। गांवों के लोग गांवों में ही नौकरी करना पसंद करेंगे। यह कर सकें तो कोई काम हो सकता है बाकी तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप उसी जगह के लोगों को भर्ती करें, नहीं तो दूसरे आते नहीं हैं। उनको आप भर्ती करते नहीं हो दूसरों को भर्ती करते हो तो वे ट्रांसफर करा कर चले जाते हैं। इसलिये यह मेरा सुझाव है, कृपया, इसे स्वीकार करें।

सभापति महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत समिति में प्राइमरी हैल्थ सेंटर राज्य सरकार ने खोले हैं। पंचायत समिति ओरीवाला में प्राइमरी हैल्थ सेंटर तो है लेकिन वह पंचायत समिति के मुख्यावास पर नहीं होकर गुढ़ामालानी तहसील मुख्यावास पर है। मैं चाहूंगा कि पंचायत समिति मुख्यावास पर जो डिस्पेंसरी है उसको प्राइमरी हैल्थ सेंटर में क्रमोन्नत करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि छोटू और छोटू गांव में कोई चिकित्सा सुविधा खोलने की कृपा करें। उसके आस पास में 50 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं है जो उन लोगों को मिल सके। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिये, सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा। मेरे ही विधान सभाक्षेत्र में भागलपुर एवं उदासर दो जगह पर उप केन्द्र बहुत लम्बे समय से स्वीकृत हैं, उनके लिए 19300 रु. भवन और स्टाफ के लिये स्वीकृत भी किये गये थे लेकिन बहुत लम्बे समय के बाद अब तक वहां भवन बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके लिये मैं कई बार पी. डब्ल्यू. डी. वालों से मिला हूं। उन्होंने बताया कि लागत बढ़ गयी है इसलिये उसकी अब 43 हजार रूपये लागत आयेगी और उसका हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट भी भेज दिया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री हेमाराम चौधरी: मैंने इसके बारे प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में बताया गया कि अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है तो यह क्या मामला है इसको मंत्री महोदय देखें और इस मामले में पहल करें। मैंने मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है और उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला भी हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दो उप केन्द्रों के भवन निर्मित करा दें। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया था कि भूमि प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, जवाब गलत है। वहां पर टेन्डर ही काल नहीं किये गये हैं तो जमीन प्राप्त होने या नहीं होने की बात ही नहीं है। इसलिये कृपया कोशिश करें कि ये उपकेन्द्र जल्दी से जल्दी तैयार हो जाये ताकि अगर कभी नर्स भेजने की बात राज्य सरकार सोचे तो वहां पर उसके रहने को भवन तो हो अभी तो वहां कुछ भी नहीं है। सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे दूरी को आधार मानकर इस वर्ष चिकित्सा सुविधायें खोलें। इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, यह निवेदन है कि शहरों के अन्दर रहने वाले लोगों को आप

(श्री हेमाराम चौधरी)

हाउस रेंट अलाउंस देते है, इसलिये हर आदमी शहर के अन्दर रहना पसन्द करता है रूरल एरिया में रहना पसन्द नहीं करता है। दूर दराज के गांवों में जहां कोई जाने को तैयार नहीं होता है वहां पर डाक्टर्स कैम्पाउण्डर्स ओर नर्स को ग्रामीण भत्ता दिये जाने की घोषणा करें. यह बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की ओर लोगों को प्रेरित करने के लिये, आर्थिक लाभ देने के लिये यह करेंगे तो यह एक अच्छा कदम होगा। इस तरफ भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जिस तरह से शहरी क्षेत्र के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी: सभापति महोदय, जितनी सुविधा शहरी क्षेत्र के अन्दर मिलती है उतनी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर नहीं मिलती है। गांवों में पर्याप्त मात्रा के अन्दर चिकित्सा सुविधा नहीं हैं थोड़े बहुत अस्पताल गांवों के अन्दर हैं तो वहां भी डाक्टर वगैरह जाते नहीं है। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो डाक्टर वगैरह नहीं जाते हैं उसकी सब से बड़ी वजह तो मैं यह मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में रुचि रखने वाले आदमियों का शुरू में ही शिक्षा के लिये ठीक तरह से नहीं रिक्रूटमेंट होता है। इसके सम्बन्ध में खेतसिंहजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि 19 मेडिकल टैस्ट के बाद में ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों के लिये 10 नम्बर या 20 नम्बर या कुछ नम्बर रिजर्व कर देने चाहिए कि यह ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर रहने वाला है, इसलिये इसको इतने नम्बर इस बात के दिये जाय। जिससे उसका एडमिशन हो जाय। ऐसे आदमी आयेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जाने की उनकी भावना होगी और वह कार्य भी करेंगे। यह आपकी जो संस्थायें हैं। या जो बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज हैं। उनमें इस तरह के आदमी आ जाते हैं, जो गांवों में जाना पसंद नहीं करते। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो दवाइयां दी जाती हैं वह दवाइयां भी ओल्ड स्टॉक की या इस तरह की दी जाती हैं जिनमें मिलावट वगैरह का भी वहम बना रहता है। इसलिए दवाइयों की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री महोदय को एक सुझाव और देना चाहता हूं। आयुर्वेद औषधालय और चिकित्सालय खोलने का काम यह दोनों चीजें एक ही मंत्री महोदय के पास हों तो डुप्लीकेट मामला नहीं होगा। सबसे पहले यह पता करिये कि ऐसा कौनसा गांव है जिस गांव के अन्दर किसी प्रकार की दवाई की सुविधा नहीं है। पहले ऐसे गांवों को छांटे। जिस गांव के अन्दर डिस्पेन्सरी है उस गांव के अन्दर औषधालय भी खोल देंगे तो बाकी के बहुत से गांव महरुम रह जायेंगे। इसलिए एक लिस्ट आप तैयार करें। जिस गांव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है उसमें दोनों में से एक सुविधा आप उपलब्ध करावें। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना

(श्री महाराम चौधरी)

चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर पिछले 3 साल में ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर किसी तरह की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं खुली इसलिए पहले तो आप शेरगढ़ के अन्दर जितनी चिकित्सा सुविधा है। उतनी सुविधा मेरे क्षेत्र में खोलें। जैसा आपका क्षेत्र है, वैसा का वैसा ही मेरा क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में भी ढाणियों में रहने वाले हैं। इसलिए पहले तो आपके यह जितनी कमी है उसकी पूर्ति कीजिए। उसके बाद में आपके यहां जितने चिकित्सालय आप खोल दें, जितनी चिकित्सा सुविधा कर दें, उतने चिकित्सालय ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चिकित्सा मंत्री जी को अपने क्षेत्र में ले जाइये

श्री महाराम चौधरी : चिकित्सा मंत्री जी से एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी गांवों के चिकित्सालयों में जाकर नहीं देख सकते लेकिन जिला लेवल के जितने भी चिकित्सालय हैं, उन चिकित्सालयों में आप भेष बदल कर जिस तरह कभी आप सफेद टोपी लगाते हैं, कभी दूसरी टोपी लगा लेते हैं, कभी नंगे सिर आ जाते हैं, उसी तरह ग्रामीण बनकर जिला मुख्यालय पर अगर आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। किस तरह से उनको दवाइयां बाजार से मोल लेनी पड़ती हैं। आप प्रोग्राम देकर आते हैं तब तक तो वहां मामला सैट हो जाता है। हां, आप थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर उठायेंगे पहले इत्तला किये बगैर जायेंगे तो आपको जो सुविधायें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेंगी। हमको आप ऐडवांस में कह दीजिए, हम वहां आकर के आपके लिए सुविधा कर देंगे। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा सुविधा के लिए जो डाक्टर भेजते हैं, उनके लिए आवास व्यवस्था ही सबसे प्राथमिक है। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ज्यों ही चिकित्सा केन्द्र खोलें उसके साथ ही डाक्टर आवास के लिए व्यवस्था करावें, छोटा मोटा मकान बन जाय तो डाक्टर लोग उसमें रह सकेंगे। सभापति महोदय, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई का जयपुर में हैड क्वार्टर है। इस मामले के अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रमणशील शल्य चिकित्सा जो आपकी इकाई है, वह दूर-दूर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जाकर अपना कैम्प लगाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। यह भी जो स्थान का सलेक्शन जो करते हैं, पहले नम्बर पर तो यह है कि चिकित्सा का बहुत कम काम किया गया है। जो किया भी गया है तो ऐसे गांवों को सलेक्ट किया गया है, जो कस्बे टाइप गांव हैं। जिनमें पहले से ही सरकारी शफाखाना है और प्राइवेट शफाखाना भी है। इसलिए शेरगढ़ जैसा कोई गांव हो, शेरगढ़ के क्षेत्र जैसा कोई गांव हो, जैसे हमारे पासलो......

(व्यवधान)

पांचोड़ी, इस तरह के जो थड़ी के अंदर वाले गांव है, ऐसे गांवों के अंदर कैम्प लगाकर कार्यवाही करावें तो लोगों को ज्यादा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(समय - समाप्ति - सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं अब एक मिनट ही बोलूंगा जो दवाइयों के अंदर मिलावट वाला मामला

(श्री महाराम चौधरी)

है उसके बारे में निवेदन करूंगा। जो अनधिकृत डॉक्टर हैं, जैसे आई-प्रॉप्रेशन वाले नकली डाक्टर हैं, उसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इंजेक्शन लगाने की मामूली कार्यवाही सीखकर के मोटर साइकिल साइकिल लिए आदमी घूमते रहते हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है। नीम हकीम, मैं तो कहता हूं, कम्पाउण्डर टाइप जो आदमी है, उनके लिए आप को कोई विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिला लेवल के जो अधिकारी हैं उनको चेतना दिलाइये, उनको आप यह कहिये कि इसके सम्बन्ध में पूरी सतर्कता बरतें। गांव वाले आदमियों को बगैर जाने हुए इस तरह की दवाइयां दे दी जाती हैं जिससे बहुत से आदमियों को बुरा परिणाम भुगताना पड़ता है।

अन्त में मैं सभापति महोदय, यही निवेदन करके चिकित्सा मन्त्री जी से कहता हूं, शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र और नागौर निर्वाचन क्षेत्र को कम्पेयर करके जितनी भी मेरे क्षेत्र के अन्दर सुविधायें नहीं हैं वह आप उपलब्ध करवायें।

श्री सभापति : श्री सुन्दरलालजी

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा चिकित्सा मन्त्री से मेरे क्षेत्र के मामलों में जानकारी लेना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र हरियाणा की बोर्डर से लगा हुआ है। 105 किलोमीटर हरियाणा से मेरा क्षेत्र लगता हुआ है। मैंने पिछली विधान सभा में भी कहा था, सन 1947 में आजादी मिलने के बाद मेरे क्षेत्र में कोई चिकित्सालय नहीं खुला आजादी से पहले सिंघाणा में एक डिस्पेन्सरी है। पी.एच. सेन्टर लुहाणा में बना है। पिछले साल मैंने कहा उसके बाद भूतपूर्व चिकित्सा मन्त्री ने यह तो किया लुहाणा में डाक्टर लगा दिया लेकिन वह डाक्टर वहां रहता नहीं है। पहले पोस्ट ही खाली थी। मैंने असेम्बली में क्वेश्चन भी किया था, उसका जवाब आया कि इतने महीने डाक्टर रहा। आपने डाक्टर तो जरूर लगा दिया पर वह डाक्टर वहां रहता नहीं है। आज भी नहीं है। मैं भूतपूर्व चिकित्सा मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डाक्टर लगा दिया, वह रहता तो नहीं हैं पर आपने लगा दिया।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कलकत्ता, बम्बई के सेठ रहते हैं। उन्होंने चिकित्सालय के लिये 10-10 लाख के मकान बना कर तीन साल से दे रखे हैं। मैंने लिख कर दिया वहां हरियाणा की बार्डर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा में 50-100 घरों की बस्ती में भी डिस्पेन्सरी है। अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपको बहुत बढ़ाई करूंगा। मैं बढ़ाई तो नहीं करूंगा बढ़ाई तो आपकी कर दी कि आपको मन्त्री बना दिया। इससे ज्यादा बढ़ाई करने से फायदा भी क्या। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्यायें हैं। मेरे क्षेत्र की समस्या सबसे भिन्न है। मेरे क्षेत्र से हरियाणा की बार्डर लगती है। वहां सब गांवों में सड़कें हैं, सब गांवों में नहर है, सब गांवों में बिजली है, सब गांवों में शिक्षा है। सब गांवों में सब तरह की व्यवस्था है। लेकिन मेरे क्षेत्र के अन्दर कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में हजारों आदमी हैं जिनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में किसी बात की सुविधा तो है नहीं वे रंडवे

(श्री सुन्दरलाल)

ही मर जायेंगे, उनके रिश्ते नहीं हो सकते। यहां सुविधा ही नहीं है तो शादी कौन करेगा ? न तो कोई सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न हास्पीटल हैं, न दवाखाना है। तो आपसे निवेदन करूंगा ......

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशु पालन) : फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम वहां चलाना पड़ेगा नहीं....

श्री सुन्दरलाल : 1952 से ही सूरज गढ़ क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र रहा है। वहां 62 में खिलाफ पार्टी थी, 1967 में खिलाफ पार्टी थी 1972 में मैं एम. एल. ए. बना उसके बाद डिस्पेन्सरी की घोषणा वह भी अभी आज तक कहीं खुली है, उसकी घोषणा हो गयी थी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आयी और वह डिस्पेन्सरी नहीं खोली गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम शिड्यूल कास्ट्स वालों का हल्ला तो ज्यादा करते हैं कि इनको ज्यादा सुविधायें दी जायेगी लेकिन बराबर भी रख लो तो हम आपको धन्यवाद देंगे। मेरा इलाका हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका है। नहर की व्यवस्था तो जब होगी तब देखेंगे। हैल्थ की सुविधा आप जितनी दिला सकते हैं वह दिलावें:

आयुर्वेद मंत्री महोदय से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने वैद्यों से एक बात कहें कि वह आयुर्वेद की दवाइयां काम में लें। एक भी वैद्य आयुर्वेद की दवाई काम में नहीं लेता है, सब एलोपेथी की दवाइयां काम में लेते हैं। जिस काम पर उनको लगाया जाता है वह काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ? इसलिए आप इस प्रकार के आदेश निकालें कि आयुर्वेद दवाइयां ही काम में लें।

मेरे क्षेत्र के वैद्यों के बारे में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि तीन-तीन चार-चार महीने तक वैद्य औषधालय में नहीं जाते हैं। हाजिरी रजिस्टर घर पहुंच जाता है। औषधालय में चपरासी रहता है वैद्य नहीं जाते हैं, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप कभी भी चले जायं वैद्य दवाखाने में नहीं मिलेगा। महिने में 10-10 दिन तक औषधालय नहीं जाते हैं। यह गलत मानें तो मेरे क्षेत्र में खुद जाकर देख लें। मैं गांव के लोगों की गवाह दिला सकता हूं वह वैद्य को जानते तक नही हैं। इस प्रकार क्यों आप 800-900 रुपये के धौले हाथी पालते हैं ? इनको लगाया जाता है तो इनसे काम लो। और काम नहीं करते हैं तो इन पर होने वाले हजारों रुपये के धन के अप व्यय को बन्द करिये। हम शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले आपके साथ हैं फिर भी ढीलापन क्यों दिखाते हो ? मंत्री रहें या न रहें आप शक्ति से काम लें और आदेश दें कि कोई वैद्य दवाखाने में नहीं मिलेगा तो उसको हटा दिया जायगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुहाना में जो दो डाक्टर लगे हुये हैं वह मुहाना में कभी भी नहीं रहते हैं। वैसे मेरा क्षेत्र हरियाणा बोर्डर के पास है वहां 3 कत्ल हुये हैं। कत्ल होने के बाद में मृतकों का पोस्टमार्टम मुहाना में नहीं हुआ सिघाना में हुआ। यह सब बाते हैं। इन बातों को देखते हुये उन डाक्टरों को यह आदेश दें कि वह हैड क्वार्टर पर रहे। वहां 5-5 लाख के मकान बने हुये हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुये यह

(श्री सुन्दर लाल

निवेदन करना चाहता हूँ कि डिस्पेन्सरी खोलते समय हमारे क्षेत्र का भी ध्यान रखें। बस, इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, का ध्यान मेरे कटौती प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरा नाम आया और मंत्री महोदय बातें कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: उनके कान आपकी तरफ है, आंखें ही उधर है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं। जिस इलाके से मैं आता हूं, उदयपुर डिवीजन; पूरा पहाड़ी इलाका है। उस इलाके में चिकित्सा सुविधा का बहुत बड़ा अभाव है। मैंने पी. एच. सी. खोलने के लिये निवेदन किया है। उस क्षेत्र में आज भी डाक्टर जाते नहीं हैं। सभापति महोदय, उस क्षेत्र की डिस्पेन्सरी को चैक किया जाये, वह एक कबूतरखाना बनी हुई है। वहां दवाइयां नहीं है पलंग है तो टूटा हुआ है, गद्दा गन्दा है, कोई व्यवस्था नहीं है। डाक्टर आते नहीं हैं। माननीय खेतसिहजी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन आदिवासी इलाकों में आपकी दवाइयां जाती हैं बिल चार्ज किया जाता है वहां दवाइयां नहीं मिलती है। भयंकर पहाड़ी इलाका है उसमें एक भी रेफरल हॉस्पीटल नहीं है। जनता पार्टी के शासन में माननीय श्री भैरोंसिहजी ने मेरे क्षेत्र की जनता को यह आश्वासन दिया था कि रेफरल हॉस्पीटल खोलेंगे। जनता ने 88 हजार रुपये तो भवन पर खर्च कर दिये, इतना खर्च करने के पश्चात डेढ़ लाख रुपये और पड़े हैं। मैं चाहता हूं, मन्त्री महोदय आप उस इलाके में पधार कर देखें। कई बार प्रसूति अवस्था में महिलाओं, माता और बहिनों की रास्ते में मृत्यु हो जाती है। वे हॉस्पीटल तक नहीं पहुंच पाती हैं। 100 मील के एरिया में रेफरल हॉस्पीटल नहीं हैं। उस डिस्पेन्सरी में न दवाइयां, न डाक्टर टिकता है।

सभापति महोदय, मैं उदयपुर के जिस हास्पीटल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है उदयपुर का टी. बी. सेनेटोरियम, टी. बी. के मरीजों के लिये बहुत बड़ा हॉस्पीटल है लेकिन उसकी हालत बड़ी गम्भीर है। वहां जो डाक्टर है उसको सबसे ऊपर के कमरे में बैठा रखा है। सभापति महोदय, टी.बी. के मरीज ज्यादा नहीं चल सकते हैं। उनके लिये कमरे में बैठने की व्यवस्था नहीं है। वहां पर मरीजों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो दूसरे अधिकारी हैं इंजीनियर्स या प्रशासनिक अधिकारी है उनको तो नीचे बड़े बड़े कमरे दे रखे हैं लेकिन डॉक्टर को नीचे कमरा नहीं दिया। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो डॉक्टर टी.बी. का विशेषज्ञ है, उसको जो कमरा अलाट किया जाय वह कम से कम नीचे की साइड में दिया जाय ताकि वह मरीजों को कभी भी किसी मौके पर देख सके।

सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग में जिस तरह की अनियमितता होती है उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

(श्री मेघराज तावड़)

चाहता हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि विभाग में अनियमितता होती हैं और राजनैतिक-भेदभाव होता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात को सुनेंगे। आपके मेडिकल डायरेक्टर का प्रमोशन हुआ। बिना डी. पी. सी. बिठाये डाक्टर ज्ञान प्रकाश का प्रमोशन हुआ। उनको एडिशनल डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया। उनके समकक्ष श्री ए. बी. एल. माथुर थे। मैं यह नहीं कहता कि उनका प्रमोशन करो लेकिन बिना डी. पी. सी. बिठाये आपने यह अनियमितता बर दी है। ई. एस. आई. में डाक्टर ज्ञान प्रकाश 24-10-1982 को एडिशनल डाइरेक्टर बनाया और 28-11-1982 को उनको डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हेल्थ बना दिया। एडिशनल डायरेक्टर, ए. बी. एल. माथुर उनके समकक्ष थे, लेकिन उनको ई. एस. आई. में ही एडीशनल डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया। वेतन वे आज तक एडिशनल डायरेक्टर का उठा रहे हैं और डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर की 5 पोस्ट्स कई सालों से रिक्त पड़ी हैं। मंत्री महोदय, जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पर लगा रखा है। इन पांच पदों पर अयोग्य लोगों को लगा रखा है। क्यों नहीं आप इन पोस्टों को निरस्त करते हैं? या तो आपके पास योग्य डायरेक्टर नहीं हैं या योग्य डाक्टर्स नहीं हैं। मैं यह चाहूंगा, जो योग्य डाक्टर्स हैं उनसे इन पदों को भरा जाय नहीं इस प्रकार डिप्टी डायरेक्टर पर लगातार जो धन का दुरुपयोग होता है उसको रोका जाय और इन पोस्टों को निरस्त किया जाय।

इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं, चिकित्सा विभाग में एक श्री रमेशचन्द्र शर्मा, 30 सालों से यू. डी. सी हैं। वह मेडिकल एण्ड हेल्थ डिपार्टमेन्ट में बैठे हुए हैं। उसने मैट्रिक करने के बाद एल एल. बी. की है। वहां उनके लिये मेडिकल असिस्टेन्ट की एक पोस्ट क्रियेट की। सभापति महोदय, मेडिकल असिस्टेन्ट टेक्निकल व्यक्ति होता है। उसके लिये अलग क्वालिफिकेशन्स होती है। उसको दरगुजर करके ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को वहां पर लगा रखा है। इसी शख्स ने 1977 में नर्सेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसका पेपर आउट किया। उसको क्या सजा दी गई? उसको कोई सजा नहीं दी गई और मेडिकल असिस्टेन्ट बना कर बैठा दिया। इसी से अन्दाज लगा लीजिये, ऊपर के अधिकारियों से मिल कर कैसे वारे-न्यारे विभाग में होते हैं। माननीय सभापति महोदय यू. डी. सी. के लिये रमेशचन्द्र शर्मा का इन्टरव्यू भी नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान खास तौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जब से डाक्टर ज्ञान प्रकाश, मेडिकल एण्ड हैल्थ के डायरेक्टर बन कर गये तब से कितने ऐसे केसेज हैं जो मिलावट के पकड़े, कैसे दवाओं वालों को पकड़ा गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने वह पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बताऊंगा किस तरह से वहां घोटाले हो रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूं जब डाक्टर ज्ञान प्रकाश जी

(श्री मेघराज तावड़)

डायरेक्टर बन कर पहुंचे तब उन्होंने, मंत्रीजी, अस्पताल के सारे दरवाजे बन्द करवा दिये। सिर्फ एक साइड से पब्लिक दो किलोमिटर का राउन्ड लगाकर अस्पताल में जाती है। यह कर रखा है जो विधायक भी अगर उनसे मिलने जायेगा तो उसको भी स्लिप लेनी पड़ेगी। इस तरह की असुविधा आज लोगों को हो रही है। लोगों में असन्तोष है लोगों के पास समयाभाव है। आज जो मेन गेट है उसको बन्द करके और पीछे का दरवाजा खोला जो नर्सेज और डाक्टर वहां आते हैं, जो पैदल आते हैं, रिक्शा में आते हैं, उनको इस व्यवस्था, जो आज की है, से दो किलोमीटर जाकर आना पड़ता है। मेन गेट को बन्द करने का कारण क्या है? माननीय मंत्री जी मेरी इस बात का भी जवाब देंगे। उस गेट को खुलवाने की बात। मैं यह मानता हूं व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है लेकिन यह व्यवस्था के लिए व्यवस्था नहीं की जा सकती कि विधायक को भी वहां जाकर के पर्ची देनी पड़े। उनके जो पी. ए. हैं उनको स्लिप देने के लिए कहें, उनके पास खड़ा रहना पड़े विधायक को इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। किसी भी डिपार्टमेन्ट में जाकर विधायक स्लिप नहीं देता है। आपके वहां स्लिप दिये बिना अंदर नहीं जा सकते। हमें तो टाइम नहीं मिलता, इतना टाइम हम खराब करें? मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय, इस बात का जवाब देंगे और जितना भ्रष्टाचार, अनियमितताये हो रही हैं उनको भी दूर करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, एस. एम. एस. में, सभापति महोदय, कुछ विद्यार्थियों या डाक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का मामला आया था। जो डॉक्टर्स बाहर रहते हैं जैसे उदयपुर का डॉक्टर जयपुर में आयेगा और एडमिशन लेना चाहेगा, रजिस्टर होना चाहेगा तो उसको 5 नम्बर नहीं मिलते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेता है तब उसे 5 नम्बर मिलते हैं। अफसोस को बात है कि जहां भाई-भतीजा वाद चलता है या जैक एण्ड बैंक वाली बात आती है तो गरीब डॉक्टर रह जाते है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, डॉक्टर सन्तोष, जो मुख्य मंत्री का कोई रिश्तेदार, ने उदयपुर से जयपुर ट्रान्सफर करवाया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया नाम से सम्बोधित न करें।

श्री मेघराज तावड़: माननीय सभापति महोदय, अनियमितता की बात जब मैं कह रहा हूं तो मैं कैसे बताउंगा कौन किसको रिश्तेदार नहीं है। मैंने प्रस्ताव भी यही दिया है कि अनियमिततायें होती हैं। माननीय सभापति महोदय, नियमों को ताक में रख कर के डॉक्टर संतोष को एडमिशन दिया गया। इनको यहा पर एडमिशन नहीं मिल सकता था, नम्बर नहीं मिल सकते थे। जो लोग इनसे पहले आये थे एडमिशन नहीं मिला, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और डायरेक्ट इनको रजिस्टर कर लिया। इसी तरह से डॉक्टर राहुल, जो एक एम. पी. के पुत्र हैं, को भी सारे नियमों को ताक में रख करके एडमिशन दिया। उनका फार्म खारिज कर दिया था तो उन्होंने एक रिट दायर कर दी। यह सतीश अग्रवाल के सुपुत्र हैं, जो एम. पी. हैं। उनका फार्म खारिज कर दिया था उन्होंने

(श्री मेघराज तावड़)

रिट कर दी तो रिट की बात को छिपाने के लिये उनको एडमिशन दे दिया। उनको रजिस्टर कर लिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े लोगों के लिये कानून नहीं है, छोटे लोगों के लिए कानून है। तो फिर कौन बोलेगा, किसके लिए बोलेगा ? इसी तरह के दो उदाहरण और हैं। प्रिन्सिपल के लड़के का फार्म सबसे नीचे था, उसके मिनिमम नम्बर भी नहीं थे। एस. एम. एस. के प्रिन्सिपल के लड़के का सबसे नीचे नम्बर था उनको भी सारे कानून-कायदों को ताक में रखकर रजिस्टर कर लिया गया। माननीय मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की अनियमितताऐं आपके डिपार्टमेन्ट में होती हैं। गरीब लोगों, गरीब विद्यार्थियों और गरीब मां-बाप के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है वह डाक्टर बनने की बात क्या सोचेंगे, कहां इतना पैसा खर्च कर पायेंगे ? इस तरह की अनियमितताएं दूर की जायं। मैं तो समझता हूं. माननीय खेतसिंह जी, इस मामले में थोड़ा ध्यान देकर ईमानदारी से एक्शन लेंगे। मैं चाहता हूं, माननीय खेतसिंह जी, आप किसी के खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा करें तो उसको क्रियान्वित करायें। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो डांगी जी ने गोकुलेन्द्र शर्मा के खिलाफ घोषणा की थी कि मैं सस्पेण्ड कर दूंगा, लेकिन आज भी आपकी फाइल दबी पड़ी हुई है। मैंने पहले यह कहा था, माननीय मंत्री जी, वे आपको घोल करके पी जायेंगे। वास्तव में आपको घोल कर पी गये। आपके ऑर्डर्स की कोई कम्प्लायेन्स नहीं हुई। क्या हिम्मत है उसके खिलाफ एक्शन लेने की और....

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): सभापति महोदय मैं गोकुलेन्द्र शर्मा ...

श्री मेघराज तावड़: आप बाद में जवाब दे दीजिये, मैं आपके सब्जेक्ट पर आ रहा हूं।

श्री दिनेश डांगी : अच्छा ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं यह कहना चाहता हूं, गोकुलेन्द्र शर्मा के खिलाफ आपने घोषणा की, उनकी फाइल कौन दबाकर बैठा है ? गनपतरायजी विशिष्ट शासन सचिव कार्मिक–1 ने वह फाइल दबा रखी है। आपकी हिम्मत है उनसे यह फाइल लेने की ?

दूसरा लाल सीक के डिब्बों की खरीद की गई। उसमें जो घोटाला किया उसके लिये उनको सी. सी. ए. रूल्स के सैक्शन 16 के तहत चार्ज शीट दी गई थी उसको सैक्शन 17 में परिवर्तित करके इस केस को ढीला कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी जल्दी निवेदन कर रहा हूं, मेरा जो टाइम है उसी में पूरा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक औषधालय के बारे में मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। मैंने इस बारे में प्रश्न भी किया था उसका आपने उत्तर दिया 'जी नहीं" जयपुर में एक धनवन्तरि आरोग्यशाला उसमें अनुसंधानशाला है और दवा भी बनती है। यह जो आरोग्य शाला है इसमें अनियमितायें हैं। उनको जितनी भी गवर्नमेन्ट से एड दी जाती है उसका मिस यूज होता है। इसके बारे में मैने माननीय मन्त्रीजी, डांगी जी, को लैटर भी लिखा और यहां प्रश्न भी किया। जो मंगलदास नाम के कर्मचारी इस संस्था में कार्यरत

(श्री मेघराज तावड़)

हैं उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। आपने कहा कि संस्था के हित में उनका कार्यकाल और बढ़ा देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनकी जो जन्म की तारीख है

[समय-समाप्ति सूचक घण्टी]

वह 20. 8. 1920 है। आप अन्दाज लगा लीजिये, उनकी कितने साल की उम्र होगी। वहां पर दूसरे योग्य व्यक्ति हैं उसके बावजूद आपने क्यों संस्था के हित में इतना भ्रष्टाचार कर रखा है? वहां दो लोग मर गये वे। मरीजों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मंत्रीजी, मैं आपको चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि उनका जो रिकार्ड है, कब कब कितने कितने मरीज रजिस्टर हुए, कौन कौन मरा, कब मरा, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया मैं चाहूंगा आप मेरे साथ चल कर वह पुराना रिकार्ड देख लें, आपको अनियमितता मालूम पड़ जायगी। और ....

श्री दिनेश डांगी : कहां ?

श्री मेघराज तावड़ : धन्वन्तरि औषधालय जयपुर में वे कभी आयुर्वेद के स्टूडेन्ट नहीं रहे।

एक व्यक्ति लल्लू नारायण हैं उन्होंने उसको झूठा प्रमाण पत्र दिया। मंगलदास जी ने सर्टिफिकेट दिया, 11 जुलाई 1971 का; मैं बताना चाहता हूं, झूठे प्रमाण पत्र देते हैं। आप जो सरकारी पैसा देते हैं वहां उसका मिसयूज होता है। वहां लोगों को कभी दवा नहीं दी जाती है फिर भी आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि संस्था के हित में यह कर रहे हैं। क्यों नहीं उस संस्था को एड बन्द करते हैं? आप जवाब में यह बतायेंगे, उस संस्था को ऐड बन्द करेंगे या नहीं करेंगे। एड बन्द नहीं करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ जांच करायें। उनके रिकार्ड को सीज आप करायें। जैसा मैंने कहा कि जो दवाइयां इस संस्था में बनती हैं वह 25 पर्सेन्ट कमीशन लेकर निजी संस्था को दी जाती है खुद की संस्था को 25 पर्सेन्ट से ऊपर कमीशन लेकर के दी जाती है। उनके नियमों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं। मैंने पूछा समिति क्या है? आपने उत्तर दिया, वह रिकार्ड मेरे पास है। माननीय सभापति महोदय मैं वैद्यों के बारे में कहना चाहता हूं ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मेरा टाइम है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आयुर्वेद के वैद्यों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। सन् 1972 से एक मैटर राज्य मन्त्रिमण्डल चाहे किसी का भी मंत्रि मंडल रहा हो चाहे सुखाड़िया मंत्रिमंडल रहा हो चाहे जोशी जी का रहा हो, के विचाराधीन चला आ रहा है आयुर्वेद के वैद्यों की अपनी तनख्वाह पशु चिकित्सा के अधिकारियों के बराबर भी नहीं है। मंत्रि मण्डल ने माना है. आदेश जारी किये हैं। मैं कहना चाहता हूं मंत्रि मण्डल के निर्णय के अनुसार दिया जाना चाहिये। यह भैरूलाल कालाबादल का आरोप है कि जो निर्णय हुआ उसके अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिये था लेकिन आज तक उनको निर्णया

(श्री मेघराज तांवड़)

नुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। सभापति महोदय, आपने देखा होगा वैद्य लम्बी कतार में यहां आये थे, वे कब से हड़ताल कर रहे हैं, उनको काफी लम्बा समय हो गया है। यहां आकर के भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने जुलूस भी निकाले हैं, मीटिंग भी की है। उनके बाबत पर्चे आप को भी, सभापति महोदय, दिये होंगे। मेरे को उन्होंने उनके वेतन मान बढ़ाने का प्रतिवेदन दिया। उसमें मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, वेतनमान के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसको लागू करवाने की घोषणा करें।

सभापति महोदय, मैं तो आयुर्वेद में ज्यादा विश्वास रखता हूं, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिये। आयुर्वेद प्रणाली के बढ़ाने के लिये और भी सुविधायें दी जानी चाहियें। आज गांवों में डाक्टर नहीं जाते हैं, आयुर्वेद के वैद्य वहां जाकर कम से कम हम लोगों को कुछ सुविधा तो देते हैं। मंत्रीजी, मैं यही चाहूंगा कि मैंने जो अनियमितताओं की बात कही, उसको दिखाने के लिये आपको पैदल ले जाऊंगा। खेतसिंह जी साहब, आप को मजा आयेगा यहां हाउस और बंगले में गदेले पर बैठते हैं। वहां आप को ले जायेंगे लेकिन पैदल चलायेंगे तब आप देख सकेंगे हमारी क्या स्थिति है, हम कैसी हालत में रह रहे हैं। हम कभी बीमार पड़ जायें तो हम को कोई चिकित्सा नहीं मिलती। गांवों में भयंकर हालत है। ट्राइबल एरिया में मंत्री जी, कोई दवा नहीं मिलती अस्पताल नहीं है! अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है। इस-लिये, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि मेरे इलाके की तरफ ध्यान दिया जाय। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट सब प्लान का जो पैसा है वह प्लान के अनुसार खर्च किया जाय, चाहे मेडिसन के लिये वह पैसा है या चाहे और किसी चीज के लिये वह पैसा है। वह पैसा वहां का वहां ही लगाया जाय। ट्राइबल इलाके का पैसा ट्राइबल इलाके में ही लगाया जाय। बस, इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह!

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : सभापति महोदय मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्राइवेट प्रेक्टिस को पुनः चालू कर दिया है। यह आपने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। जो लोग वाजिब फीस देकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं उनको अब अपने इलाज के लिये क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। पहले उनको क्यू में खड़ा रहना पड़ता था। अब लोग जिस प्रकार अपना इलाज कराना चाहते हैं उसी प्रकार इलाज करा सकते हैं। पहले जिस डाक्टर से इलाज कराना चाहते थे उनको समय नहीं मिलने के कारण उनसे इलाज नहीं करा सकते थे। प्राइवेट प्रेक्टिस आप ने पुनः चालू करके काबिले तारीफ काम किया। उसके लिये मैं आपकी सराहना करता हूं। साथ ही मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष आपने बजट में पांच सौ सब सैन्टर खोलने का जो प्रावधान किया, वह भी बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यह जो डाक्टर्स हैं, चाहे वह लेडी डाक्टर्स हैं या दूसरे डाक्टर्स

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

हैं, उन डाक्टरों के लिये आप मेडिकल कालेज चलाते है। सरकार उनके ऊपर हजारों रुपयों का खर्चा करती है। वह डाक्टर और लेडी डाक्टर गांवों में जाने को बिलकुल तैयार नहीं होते हैं। आपने जो गांवों में डिस्पेन्सरियां खोली हैं वहां पर आप अच्छे डाक्टरों को भेजें। आज होता यह है कि आप डाक्टर्स का पोस्टिंग गांवों में करते हैं तो वह लोग पैसे देकर अपने ट्रान्सफर को केन्सल करा लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप गांवों में एक्सपिरियेंस्ड डाक्टर्स को भेजें। इसके साथ यह भी व्यवस्था करें कि हरएक डाक्टर को पांच साल तक गांवों में रहना पड़ेगा। नहीं तो आज यह हो रहा है कि गांवों में लेडी डाक्टर्स और मेल डाक्टर्स की पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। मेरा आपसे, मंत्री महोदय, यह निवेदन है कि आप इन मेडिकल कालेजेज को उठा दीजिये और डाक्टर्स की जगह पर नर्सेज और कम्पाउन्डर्स ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड कीजिये। आप गांवों में ज्यादा से ज्यादा सब-सैन्टर्स एड पोस्ट हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर, तहसील हैड क्वार्टर पर आप खोलिये। उनमें एक्सपिरियेंस्ड नर्सेज और कम्पाउण्डर्स को रखिये। गांव वालों को अगर बड़ा इलाज कराना होगा तो वह शहरों में जाकर अपना इलाज करा लेंगे। आप शहरों में पूरी फैसिलिटीज डाक्टर्स को दें लेकिन गांवों में एक्सपिरियेंस्ड नर्सेज और कम्पाउण्डर्स रखें ताकि गांवों में जो प्राइमरी नीड्स हैं वह पूरी हो सकें। नहीं तो होता क्या है कि वहां डाक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैतारण में एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है उस मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की बिल्डिंग हमने तीन लाख रुपये लगा कर गवर्नमेन्ट को हैंड ओवर कर दी परन्तु आज ढाई साल से अधिक हो गये हैं उस अस्पताल में लेडी डाक्टर की पोस्ट खाली पड़ी है। इसका नतीजा यह होता है कि जनता की सेवा के लिये जो सेठ लोग डोनेशन देते हैं वह इससे निरुत्साहित होते है। आज, सभापति महोदय, सरकार को उसे हैंण्ड ओवर किये तीन साल हो गये हैं पर अभी तक वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जाय।

इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आप या तो इस प्रकार से डोनेशन से बिल्डिंग मत बनवाइये और अगर आप डोनेशन लेते हैं तो फिर आपको वहां पूरा स्टाफ रखना चाहिये। आज, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र जैतारण में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि हमारे वहां पर 12 सब सैन्टर हैं उनमें दस सब सैन्टर ऐसे हैं वहां पर कोई स्टाफ नहीं है वह खाली पड़े हैं। अभी आपने महीने भर में जब से विधान सभा का सत्र चालू हुआ है कोई स्टाफ लगा दिया हो तो पता नहीं। सभापति महोदय, पिछले दो साल से सब सैन्टर खाली पड़े हुए हैं। इसके लिये मैंने 20 पत्र लिखे हैं। मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा मंत्री महोदय को पत्र लिखा, डायरेक्टर को पत्र लिखा और डायरेक्टर साहब से तो मैं पर्सनली मिला लेकिन आज दिन तक वहां पर कोई स्टाफ नहीं लगाया गया है। सभापति महोदय, गांव वालों ने पंचायत वालो ने चन्दा करके अपने यहां पर 12 सब सैन्टर की बिल्डिंग बनवाई लेकिन वहां पर कोई स्टाफ नही है। डिपार्टमेन्ट की ओर से यह कहा गया था

(श्री शिवदानसिंह राठोड़)

कि बिल्डिंग नहीं है इसलिए कोई नहीं आना चाहता है। अब तो हमने बिल्डिंग बना कर दे दी है फिर क्या कारण है कि वहां पर स्टाफ नहीं है। अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो आप उसे पूरा कीजिये। अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई बेन लगा हुआ है तो आप उस बैन को तोड़िये। वहां पर आप स्टाफ की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार मैं मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मेरे सब डिविजन में एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर है। पाली जिले में कई जगह एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर हैं, पाली जिले में बाकी जितने भी एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर है वहां पर जो हॉस्पिटल हैं उसमें 30 बैड्स की व्यवस्था है परन्तु एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर, जैतारण में सिर्फ 15 बैडेड होस्पिटल है। इसलिये मेरा यह कर-बद्ध निवेदन है, मन्त्री महोदय आप 15 बैडेड की जगह 30 बैडेड हॉस्पिटल करावें। हमने इसके लिये बिल्डिंग भी तैयार कर दी है। इसके अलावा अब थोड़ा मैं, सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग में यह स्थिति है कि वहां जो वैद्य हैं वे सभी एलोपैथी की दवा देते हैं और आयुर्वेद की दवा बहुत ही कम देते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेद विभाग बिलकुल ही धर्मार्थ महकमा है। सारे के सारे वैद्य ऐलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां देते हैं। आयुर्वेद की दवाइयां काम में ही नहीं लेते हैं। दूसरे, आयुर्वेद के जो औषधालय हैं वह बहुत कम हैं। जो औषधालय हैं उनमें भी दवाइयों का प्रावधान बहुत कम है। मेरे यहां पर पांच या छः आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनमें जो दवाइयां हैं उनमें केवल 500-600 रुपये का चूर्ण रखते हैं, अच्छी दवा तो वहां पर मिलती ही नहीं है। अगर आप इस आयुर्वेद विभाग को चलाना चाहते हैं तो आप वैद्यों को पाबन्द करें, सख्ती से काम लें और यह निर्देश दें कि ऐलोपैथी की दवाइयां काम में नहीं लें।

एक माननीय सदस्य : च्यवनप्राश तो वह खुद खा जाते हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि एक एक किलो च्यवनप्राश एक एक एम. एल. ए. को दे दिया जाय।

श्री शिवदान सिंह राठोड़ : इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी आपने जो प्रावधान इस साल में पी. एच सी, हॉस्पिटल तथा एड पोस्ट खोलने का रखा है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है आप क्राइटेरिया रखें कि पिछले दो ढाई साल में जिन तहसीलों में औषधालय नहीं खोले हैं वहां पर पहले खोले जायें। पिछली बार जब पहाड़िया जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक एक जिले में दो हॉस्पिटल खोल दिये। इस बार भी आप चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं। माथुर साहब के समय भी हॉस्पिटल खुले हैं लेकिन पाली जिले में जैतारण, जो मेरी कांस्टीट्यूएन्सी है में कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला है। मेरा यह निवेदन है कि आप जैतारण, जो मेरी कांस्टीट्यूएन्सी है, में डिस्पेन्सरी, सब सैन्टर, पी. एच. सी. व मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलें। मेरा निवेदन है, खास तौर से इस मसले को आप गम्भीरता से लें कि जहां पर पिछले दो साल में डिस्पेन्सरी नहीं खोली गयी है वहां पर

(श्री शिवदानसिंह राठोड़)

डिस्पेन्सरी खोली जायं । इसके लिये आप प्राथमिकता दें ।

श्री सभापति : श्री चाव खां ।

(व्यवधान)

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा डिस्पेन्सरीज खोलने की जरूरीं नहीं है, मुझे ज्यादा डिस्पेन्सरीज चाहिये भी नहीं लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि जो डिस्पेन्सरीज वहां खुली हुई हैं उनमें पूरा स्टाफ लगा दें। उनमें डाक्टरों और नर्सों की कोई कमी नहीं रहनी चाहिये । मेरी दरख्वास्त है मंत्री महोदय से कि मेरे क्षेत्र में काश्तकार लोग है वहां पर कोई जच्चा घर नहीं है । जो जच्चा घर है वहां तक जाने वाली पी. डब्लू. डी. की जो सड़कें हैं वह बहुत खराब हैं । जब जच्चा अस्पताल जाती है तो बीच में बहुत से गड्ढों की वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप तो उन गड्डों को भरा दीजिये । जच्चा घर में नर्सें नहीं हैं उस स्टाफ को पूरा करावें । मेरे क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति तो ऐसी है कि उनमें दवाइयां नहीं मिलती है । अब आप दवाइयां अस्पताल में कितनी देते हैं यह तो मुझको पता नहीं है लेकिन यह शिकायत मुझे सुनने को मिलती है कि अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं । जो दवाइयां आती हैं उनको वहां पर जो डाक्टर हैं वह प्राइवेट डाक्टर को बेच देता हैं और पैसा ले लेता है । मेरे वहां काफी पहाड़ी क्षेत्र हैं कामां, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कामां में एक डाक्टर 13-14 साल से बैठा हुआ है । उसकी आम तौर पर यह शिकायत है कि वह दवाइयों को बेच देता है । जो कुछ दवाइयां मिलती हैं सेम्पल्स भी प्राइवेट डाक्टर्स को बेच देता है । लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप उस डाक्टर का वहां से तबादला कर दें । इसके अलावा यह भी शिकायत है कि वहां से सारी दवाइयां बिकने चली जाती हैं । सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न फार्मेसी के बारे में पूछना चाहता हूं, क्या सरकार बतायेगी कि राजस्थान में फार्मेसिस्ट रजिस्टर करने में धान्धली-रिश्वत खोरी हुई है? क्या उसकी शिकायत सरकार के पास आई है? यदि शिकायत आई है, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इसके अलावा राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा. बी. एम. शर्मा ने क्या सरकार को फार्मेसी कौन्सिल के सदस्यों द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितता के बारे में ध्यान दिलाकर उनके खिलाफ इन्क्वायरी कमीशन बैठाने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो सरकार ने कमीशन बैठाया या नहीं बैठाया ? सभापति महोदय, इतने गम्भीर मामलों को अनदेखा क्यों किया ? 25 फरवरी 1981, को दैनिक नवज्योति में निकली विज्ञप्ति क्या इस बात का सबूत नहीं है कि राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल के सदस्यों, जो राजस्थान कैमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य हैं, ने और उनके लीडर पाटनी साहब, जिन्हें लाटसाहब भी कहते हैं, रिश्वत ली ।

यह विज्ञप्ति मेरे पास मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं । श्याम सुन्दर काबरा ने रजिस्ट्रेशन कराने के उम्मीद

(श्री चांद खां)

वारों से पांच-पांच सौ रुपये बतौर रिश्वत लिये जिसकी रसीद वगैरह भी नहीं दी गयी। जिन्होंने रुपया दिया उनका ही रजिस्ट्रेशन किया गया। इस पर सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गयी? बस, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह :

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठोड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घन्टा और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घन्टा बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 26 के संबंध में जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उन पर मैं मेरे विचार रखते हुए सर्व प्रथम माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में नहीं बोलें।

श्री नारायण सिंह : .... कि राजस्थान में आज भी गांवों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको चिकित्सा सुविधा ठीक तरीके से नहीं मिलती है। आज भी मीलों-मीलों दूर तक लोगों को चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई प्रोग्राम बना कर जिन गांव की जनसंख्या पांच हजार है वहां एक डिस्पेन्सरी या हास्पिटल खोलें, जिन गांवों की जनसंख्या 2500 हो वहां अस्पताल या एडपोस्ट खोलें। आपने इस साल के बजट में जो 500 सब-सैन्टर्स खोलने का प्रावधान रखा है, मैं सोचता हूं कि खाली नाम के लिए ही यह सब-सैन्टर्स होंगे। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, सब-सेन्टर्स पहले से हैं उनमें स्टाफ नहीं है हमारे सीकर में 50 परसेन्ट सब-सेन्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें आज भी स्टाफ नहीं है। जो आलरेडी सब-सेन्टर्स हैं उनमें ही स्टाफ नहीं है तो जो नये सब-सैन्टर्स खोलेंगे उनमें भी स्टाफ नहीं होगा। खाली आप नाम के लिए यह कह सकते हैं कि इतने गांवों के अन्दर हमने चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दी या सब-सैन्टर्स खोल दिए लेकिन एकचुअली उन गांवों में उनका कोई लाभ नहीं है। आज 500 सब-सैन्टर्स के बजाय इससे आधी ऐडपोस्ट या डिस्पेन्सरी ही खोल दें तो, मैं ऐसा समझता हूं, निश्चित रूप से उस क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

आयुर्वेद के 200 औषधालय इस साल खोलने जा रहे हैं वह सराहनीय कार्य है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चूर्ण देने के अलावा आयुर्वेदिक औषधालय के अन्दर दूसरा काम नहीं होता है, यह बात कतई उचित नहीं है। कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां वैद्य अच्छे न हों, चिकित्सा करना जानते न हों, एलोपैथी में विश्वास रखते हों, और खाली इन्जेक्शन देने में ही विश्वास रखते हों लेकिन बहुत सारे गांवों के अन्दर ऐसे भी वैद्य हैं जो कि डाक्टरों से अच्छा काम करते हैं। उनमें लोगों की आस्था है, वह गांवों के अन्दर सेवा-भावना से काम करते हैं और एलोपैथी को बिल्कुल नजदीक नहीं आने देते। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद

Page No 158

(158)

(श्रीनारायणसिंह)

पद्धति से वह अच्छा इलाज करते हैं। उनमें लोगों की आस्था है। इसलिये यह औषधालय गांवों के अन्दर खोले जायेंगे तो इससे निश्चित रूप से चिकित्सा सुविधा गांवों को उपलब्ध हो सकेगी।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर कुछ समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। कुछ ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी जनसंख्या दस हजार के करीब है। आज भी उनके अन्दर खाली या तो सब-सैन्टर हैं या आयुर्वेदिक औषधालय हैं। दस हजार की आबादी वाले गांव के अन्दर एक औषधालय से काम चलता हो, यह मैं समझता हूं कि कतई उचित नहीं है। आपने जो 13 डिस्पेंसरीज खोलने का इस बजट के अन्दर प्रोविजन किया है वह बिलकुल ना के बराबर है। आप 13 डिस्पेन्सरीज कहां खोलेंगे, आपको निश्चित रूप से अपने उत्तर के अन्दर बताना चाहिये। मेरा निवेदन है, डिस्पेन्सरीज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। सब-सैन्टर्स की संख्या को कम करके डिस्पेन्सरी और एडपोस्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

इसके अलावा आपके विभाग की कई जगह पर लोग डोनेशन्स देते हैं, कोई रुपये देते हैं और कोई भवन बनाकर देते हैं। मैं इसकी गहराई में नहीं जा कर आपको उदाहरण के रूप में सीकर के एक अस्पताल के बारे में बताना चाहता हूं। वहां के एक दानदाता ने 80 हजार रुपया जो वहां बिजली की समस्या थी और कई घंटों बिजली नहीं मिलती थी, उस समस्या को दूर करने के लिये जनरेटर लगाने के लिये दो साल पहले दिया। विभाग ने कहा जनरेटर मशीन हम नहीं ला सकते तो उन्होंने जनरेटर मशीन ला कर दी। दो साल बीतने के बावजूद उस मशीन का उपयोग वहां के डी.एम.एच.ओ. के कारण नहीं हो रहा है। वह नहीं चाहता कि वहां के लोगों को उससे फायदा हो। कल जब माननीय मुख्य मन्त्री जी सीकर पधारे थे तो उसी दानदाता ने मुख्य मन्त्रीजी के सामने सांवली स्टेशन पर 80 हजार रुपये की वह मशीन देने का वचन दिया। उसने कहा कि मैं और भी पैसा देना चाहता हूं लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि मेरे दिये हुए पैसे का दो साल तक उपयोग नहीं हुआ गरीबों और बीमारों को उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं उनको निश्चित रूप से आपको दूर करना चाहिये।

आयुर्वेद के औषधालय जहां है वहां कर्मचारियों की तनख्वाह और टी.ए. डी.ए. का जो खर्चा है उसके मुकाबले में दवाइयों का जो एक साल का खर्चा है उसको यदि आप देखें तो बिलकुल ना के बराबर है। जो आयुर्वेद पद्धति के ऊपर से आज धीरे धीरे आस्था उठती जा रही है, उसका कारण यह है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां नहीं मिलती। उनको जो सामान मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। इसलिये गांवों में जो लोग बैठे हैं उनका आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। उनको आयुर्वेदिक सामान और दवाइयां नहीं मिलने के कारण वे लोग इन्जेक्शन, गोली और एलोपैथी की जो दूसरी चीजें हैं उनको देने के लिये कहते है। इसलिये निश्चित रूप से आपको इस बजट के अन्दर खर्चा और कम करके गांवों के अन्दर जहां चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं वहां औषधालयों में दवाइयां

(श्री नारायणसिंह)

और दूसरा सामान देने पर अधिक पैसा देना चाहिए। इस बात की अधिक से व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे ग्रामसभा क्षेत्र के एक ग्राम बांसरोली की ओर दिलाना चाहता हूं। उस गांव की आबादी पांच हजार के करीब है। उसके दस-दस मील के एरिया में दूसरी कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं है। वहां एक ही आदमी ने 3 लाख रुपये खर्च करके बिल्डिंग बनाकर दी है। उस बिल्डिंग के बनने के बाद यदि वहां डिस्पेन्सरी नहीं हो तो मैं सोचता हूं यह न्यायोचित नहीं है। एक आदमी इतना पैसा खर्च करके लोगों को एक सुविधा देना चाहता है, आपको, आपकी सरकार और आपके विभाग के लिये वह कुछ करना चाहता है तो निश्चित रूप से आप उस स्थान को देखें कि उस एरिया के अन्दर दूसरी सुविधायें हैं या नहीं हैं। यदि कोई आदमी आज शहर, जहां और सारी सुविधायें हैं, अन्दर भवन बना कर देता है तो मैं समझता हूं कि आप उसके लिए इन्कार कर सकते हैं लेकिन जहां आस पास में सुविधा ही नहीं है वहां कोई आदमी सार्वजनिक हित में पैसा लगा कर कुछ करता है तो ऐसे काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक दानदाता इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उसकी ओर ध्यान देते हुए इस साल ग्राम बांसरोली के अन्दर डिस्पेन्सरी खोलने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन

माननीय सदस्य, कृपया 5 मिनट में ही खत्म करें।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : आप कहें तो बोलूं ही नहीं।

श्री सभापति : नहीं नहीं, जरूर बोलिये। आपके बहुत अमूल्य सुझाव हैं।

श्री जीतमल जैन : मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं।

सभापति महोदय, प्रशासन को चुस्त करने के लिये कई बार ट्रांसफर्स किये जाते हैं, इसी प्रकार से सरकार को ठीक करने के लिये हमने ढाई वर्षों में दो तो मुख्य मन्त्री बदल दिये और तीन चिकित्सा मन्त्री आ गये। हमने सोचा था, माननीय खेतसिंहजी जो अनुभवी हैं भूतकाल में मंत्री रह चुके हैं के पास यह विभाग आने के बाद शायद इस विभाग में वह क्रांतिकारी कदम उठायेंगे। लेकिन राजस्थान की जनता को इस दृष्टि से बड़ा निराश होना पड़ा है।

सभापति महोदय, धोलपुर काण्ड के पहले अलवर जिले के अन्दर जो तिजारा काण्ड हुआ वह कापके मंत्रीत्वकाल में हुआ है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और क्या हो सकती है। इस तरह के जब काण्ड होते हैं तो हम हर बार यह प्रयास करते हैं कि उनका यहां तत्काल उपचार निकले। ऊपर कुछ दिनों के बाद जनता की स्मृति बड़ी कमजोर होती है उस बात को भुला दिया जाता है। समस्याओं का किस प्रकार से निदान किया जा सकता है इस बात की ओर हमारी कोई चिन्ता नहीं होती। हमारे देश में 34 साल की आजादी के बाद लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के चालू रहते हुए हम राजस्थान के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा के नाम पर कितनी सुविधा उपलब्ध करा पाये हैं यह आप और

(श्री जीतमल जैन)

हम सब माननीय विधायक, जो यहां सदन में मौजूद हैं, जानते हैं कि साधारण चिकित्सा सुविधा भी गांव में रहने वाले व्यक्ति को हम उपलब्ध नहीं कर पाये हैं। जो कुछ भी हमारे बजट का प्रावधान है वह बहुत सीमित है। उसमें भी शहरों के अन्दर जो 20 प्रतिशत लोग रहते है उन पर 80 प्रतिशत पैसा व्यय करते हैं। 80 प्रतिशत आबादी जो गांवों में रहती है. ऊपर बजट का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है। इस प्रकार जो इतने गांवों में रहने वाली जनता है उसके साथ हम बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमारा सारा देश गांवों के अन्दर ही फैला हुआ है। आज हमारे लिये समस्या यह है कि पश्चिमी पद्धति के द्वारा हम जो डाक्टर्स का निर्माण करते है उन पर हमारे राज्य का बहुत बड़ा खर्चा होता है लेकिन दुर्भाग्य है कि वे व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता के अन्दर पले होते हैं सुख सुविधाओं के अन्दर पले होते है इसलिए गांवों में जाना नहीं चाहते। गांवों के अन्दर रहना उनके लिये असुविधाजनक है। उनके लिये वहां रहने की व्यवस्था नहीं है जो शहरों के अन्दर सुख सुविधायें उपलब्ध हैं वह गांवों में उपलब्ध नहीं होती है परिणाम यह होता है कि वह गांवों में जाना नहीं चाहते। आज जितने माननीय सदस्य यहां बोलते है हर बार बजट के ऊपर जब बहस होती है प्राम तौर से सब सदस्यों की यह शिकायत होती है कि डाक्टर गांवों के अन्दर जाना नहीं चाहते। सभापति महोदय, सारा देश तो गांवों के अन्दर रहता है। 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं किन्तु हम उनके सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकते। यह सारा पैसा, जो जनता की गाढ़ी कमाई का है, चिकित्सा के नाम पर खर्च करते हैं किन्तु जिस व्यक्ति के नाम पर खर्च करते हैं, उसको किसी प्रकार की सुविधायें पहुंचाने में हम आज भी असमर्थ है। मैंने जैसा कहा हमारा देश गांवों के अन्दर फैला हुआ है, इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स बढ़ायें जो जगह-जगह जाकर इलाज करें। उसका एक कार्यक्रम हो। एक हफ्ते में एक बार गांवों के अन्दर पहुंचे ताकि उस क्षेत्र के आस-पास 10, 20, 50 किलोमीटर के लोग वहां एकत्रित हों और उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। मैं सभापति महोदय आंख फोड़ काण्ड के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, नीम हकीमों ने आंखों को फोड़ दिया उसके तीन चार महीने बाद उस बात का पता लगा। यह तो केवल सर्जिकल केस की बात हुई। जो नीम हकीम हैं वे कई प्रकार की दवाइयों जो पेटेंट मेडिसिन्स हैं, प्रयोग गांवों के अन्दर करते हैं। सरकार चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध करा नहीं पाती उसके कारण कितने लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है इसके हमारे पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब तक मोबाइल सर्जिकल यूनिट अधिक से अधिक संख्या में इस राजस्थान में उपलब्ध नहीं होंगे तब तक ग्रामीण व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। यह तो सर्जिकल चिकित्सा की दृष्टि से मैंने कहा। चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद विभाग का वैद्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो गांव के अन्दर रह सकता है, जिस प्रकार का यह गरीब देश है उसमें वही यह सेवा कार्य कर सकता है। सभापति महोदय, दो सौ औषधालय

(श्री जीतमल जैन)

आप खोलने जा रहे हैं, मुझे तकलीफ इस बात की है कि डिस्पेन्सरीज में ठीक प्रकार से दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं। मेरे क्षेत्र का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में चान्दोली एक स्थान है अभी पिछले दिनों मेरा जाना वहां हुआ। बजट में 4100 रुपये का प्रावधान वहां पर दवाइयां पहुंचाने के लिये रखा गया था लेकिन 16-7-82 तक केवल 984.90 रुपये की ही दवाइयां वहां पहुंची। वहां वैद्य बैठा है, कम्पाउडर बैठा है उसका खर्चा लग रहा है। औषधालय की बिल्डिंग का किराया लग रहा है, मरीज आते हैं लेकिन इनके पास दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार से जो सस्ती दवाइयां वह गांवों के अन्दर उपलब्ध कराने में हमारी राजस्थान सरकार बिल्कुल असफल रही है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद पद्धति को आप प्रोत्साहन दें। आयुर्वेद पद्धति का किसी समय इस देश के अन्दर बड़ा नाम था आयुर्वेद पद्धति अपना बहुत अच्छा स्थान रखती थी। आज वैद्यों के जिस प्रकार के वेतनमान हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था में उनको रहना पड़ता है उससे वह केवल जीवन यापन के लिये जिन्दा रह सकें इतना भी नहीं मिलता है इसलिये हमें उनके वेतनमानों के बारे में सोचना पड़ेगा। आयुर्वेद विभाग के घोटालों की जो चर्चा इस सदन के अन्दर हुई है वास्तव में वह हम सब के लिये बड़े शर्म की बात है। आखिर इस प्रकार घोटाले इन सस्ती दवाइयों के अन्दर होते रहे और राजस्थान सरकार मूक बनी रहे, यह वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को ठीक प्रकार से अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करें। आप दो सौ औषधालय खोलने जा रहे हैं लेकिन आपने पहले ही दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप औषधालय खोलने की वाहवाही तो लूट रहे हैं। लेकिन उनमें आप दवा दवा आदि कुछ उपलब्ध नहीं करा पायेंगे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसके साथ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं दवाइयों और चिकित्सा की व्यवस्था आप करते हैं लेकिन रोग पैदा क्यों होते हैं? हम इस बात की चिन्ता नहीं करते हैं देश के अन्दर जोरों से मिलावट रही है। आज जब मैंने पिछले साल की रिपोर्ट देखी तो पता लगा कि सारे राजस्थान में 1982 में कुल 1081 नमूने लिये गये। केवल 10?1 नमूने सारे राजस्थान में लिये गये उनमें से 456 नमूनों में मिलावट पाई गई लगभग 40 प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई। मतलब बहुत बड़े स्केल पर इस देश के अन्दर मिलावट का काम हो रहा है। मिलावट की चीजें खाने से स्वास्थ्य गिरता है, आपको इसको चैक करना पड़ेगा। आपको इन्सपेक्टर और डाक्टर्स को अधिक अधिकार देने पड़ेंगे ताकि वे दवाइयों खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोक सकें। अगर आपने यह काम कर दिया तो निश्चित रूप से सारे रोगों से छुटकारा दिला सकेंगे। एलोपैथिक दवाइयां इतनी महंगी हैं कि इस देश का आम आदमी खरीद नहीं सकता। 56 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। आज किसी को जुकाम हो जाये तो डाक्टर को 10 रुपये का नुस्खा बनाते देर नहीं लगती, फिर किस प्रकार से लोग अपना इलाज करा सकते है? आपको

[श्री जीतमल जैन]

विशेष रूप से मिलावट को रोकने की चिन्ता करनी पड़ेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार की अनियमिततायें हैं उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मिनिमम वेजेज के अनुसार कम से कम 7 रुपया आपको एक मजदूर को देना पड़ता है। मेरे पास एक व्यक्ति का प्रार्थना पत्र है जिसने तीन महीने आपके विभाग में नौकरी की है उसका नाम लक्ष्मण प्रसाद हरिजन है। आपने उसको 2 रुपये रोज पर नौकर रखा। मिनिमम वेजेज एक्ट राजस्थान में लागू है लेकिन आपका विभाग उस कानून की अवहेलना कर रहा है। राजस्थान सरकार उस कानून की धज्जियां उड़ा रही है। लक्ष्मण प्रसाद, हरिजन मेहन्दीपुर बालाजी का रहने वाला है। उपमंत्री, श्रीमती कमला भील का लिखा हुआ एक पत्र है। मूल प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली को भेजा। उन्होंने लिखा, मेरी जानकारी में आया है इस हरिजन को दो रूपये रोज तनख्वाह दी जाती है। इसे मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार तनख्वाह दी जाये। इतना ही नहीं, उसको तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दो रुपये रोज तनख्वाह देते हैं, वह भी तीन महीने से नहीं मिली। आप हरिजनों के लिये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप कहते है हम हरिजनों के बड़े हमदर्द हैं। खेतसिंहजी, यह आपके विभाग की बात है आयुर्वेद विभाग की नहीं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप वह कागज मुझे दे दीजिये।

श्री जीतमल जैन : इसके साथ साथ जिस प्रकार की अनियमिततायें, खेतसिंह जी, आपके विभाग में होती हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां नियम है कि सी ए. एस. डाक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये भेजा जाय। इस मामले में कितनी अनियमितता बरती गई है इसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं सी. ए. एस. डाक्टर्स को एम. डी. और एम. एस. की परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिये चुना जाता है। उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, शिड्यूल बनता है 1, 2, 3 किन-किन को कहां रखा जाय आपके, सैक्रेटरिएट ने, आपके विभाग ने जो व्यक्ति शिड्यूल में सैकण्ड नम्बर पर था उसको फर्स्ट नम्बर पर कर दिया और जो फर्स्ट नम्बर पर था उसको सैकण्ड नम्बर पर कर दिया। आप चाहें तो मैं लिस्ट आपको दे दूं। सभापति महोदय बार बार घंटी बजा रहे हैं, आप कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत बड़ा स्केण्डल है इनजस्टिस है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। कई बार राजनैतिक कारणों से कितने उलट फेर होते हैं इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। सन् 1981 में राजगढ़ में हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया था लेकिन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रीजी को लगा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं मेरे होते हुए वह अस्पताल राजगढ़ जायगा जबकि वहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आया है। इसी राजनैतिक आधार पर उन्होंने उस अस्पताल को राजगढ़ से केन्सल कर अपने क्षेत्र बानसूर में कर दिया। एक जगह सैंक्शन करके आप दूसरे दिन उसको बदल

(जीतमल जैन)

दें। यह क्या मजाक है। एक बात और निवेदन कर दूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य: स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण): सभापति महोदय, ये बैठे-बैठे XXX बोल रहे हैं।

श्री सभापति : XXX शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या : स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : उजला जी यह कोई होम्योपैथी का मामला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : माननीय सभापति महोदय, अस्पतालों में आप किस प्रकार की बचत करना चाहते हैं? आप राजस्थान की जनता पर किस प्रकार कर के रूप में भार डालते जा रहे हैं वह तो विपक्ष के नेता महोदय जब बोल रहे थे तब आपको बताया था कि किस प्रकार की बचत करना चहते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण भी विपक्ष के नेता महोदय ने दिये थे। मैं एक बात आक्सीजन गैस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आक्सीजन गैस की अस्पतालों में आवश्यकता होती है और यह आक्सीजन गैस जयपुर से खरीदी जाती है। बात यह है कि दिल्ली से मिलने वाली गैस सस्ती मिल सकती है लेकिन वहां से नहीं खरीद कर जयपुर से खरीदी जाती है। उसको जयपुर से खरीदने की क्या मंशा है, यह आप जानते हैं। इस पर आपको स्वयं विचार करना होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : एक बात मैं अलवर क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। एक्स-रे मशीनों की स्थिति के बारे में हर जगह चर्चा होती है। अलवर में तीन एक्स-रे मशीनें हैं। दो जनरल अस्पताल में हैं और एक जनाना अस्पताल में है। जनाना अस्पताल में एक्स-रे मशीन पिछले ढाई साल से खराब पड़ी है। उसको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जनरल अस्पताल में दो एक्स-रे मशीन हैं उनमें से एक मशीन तो बहुत पुरानी हो चुकी है और वह आउट आफ डेट भी हो गई है। जो दूसरी मशीन है वह भी खराब पड़ी हुई है। शायद जान-बूझकर खराब की जाती है ताकि मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़े जहां अच्छी प्रकार से लूट होती है। गरीब आदमियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आप ध्यान दें।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल जैन : एम्बुलेन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अलवर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है किन्तु पूरे अलवर में केवल एक

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जीतमल जैन)

एम्बुलेन्स है वह भी, सभापति महोदय, सन् 1980 से खराब पड़ी है। मेरा निवेदन है, तीन साल होने आये, क्या आप उस एम्बुलेन्स को ठीक नहीं करा सकते ? इससे मरीजों को कितना कष्ट होता है, इस बात पर भी आप जरा गौर करें।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : मेडिकल ज़ुरिस्ट रखने के आपके कुछ नियम हैं। मेडिकल जुरिस्ट की ट्रेनिगं भी होती होगी लेकिन अलवर की बड़ी अजीब स्थिति है। वहां जो व्यक्ति मेडिकल जूरिस्ट है वह सन् 1962 में एक डाक्टर अपाइन्ट हुआ, 1964 में वह मेडिकल जूरिस्ट हो गया। 1964 से 1983 आ गया आज तक वह मेडिकल जुरिस्ट बना हुआ है। उसको अनुभव जरूर हो गया। अनुभव इस दृष्टि से हो गया कि इतने दिन तक मेडिकल जूरिस्ट का काम करेगा तो निश्चित बात है कि अनुभव हो जायगा। उस अनुभव के साथ साथ उसने दूसरा अनुभव भी प्राप्त कर लिया है कि किस प्रकार जनता को लूटा जाय। मेडिकल जूरिस्ट अलवर की जनता को लूट रहा है। उसके खिलाफ इन्क्वायरी चली है और जांच रिपोर्ट भी आई है। उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं

श्री सभापति : अन्तिम बात कहिये।

श्री जीतमल जैन : दवाओं के लिये अभी तक टेण्डर नहीं किया गया है। 31 मार्च को टेण्डर की डेट खतम होने जा रही है किन्तु अभी तक नये टेण्डर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर 31 मार्च बाद टेण्डर हुआ तो चार महीनों में अस्पताल की क्या हालत होगी, इसका आप स्वयं अन्दाज लगा लें।

कहने को तो बहुत था, सभापति महोदय, लेकिन आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसीलिए सिर्फ एक बात मैं होम्योपैथी के बारे में कहना चाहूंगा। होम्योपैथी का एक बोर्ड बना हुआ है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त है। दो साल से अधिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह सकता है लेकिन उसे चार साल हो गये अक्टूबर 1982 में बोर्ड चुनाव हुए और मनोनीत सदस्य भी बन गये। दो महीने निकल गये लेकिन अभी तक चेयरमेन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उसके पीछे क्या राजनैतिक हित है ? किस प्रकार के लोगों को आप चेयर मैन बनाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते है, यह सब आपके सोचने का विषय है। इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज :

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय राजस्थान सरकार जो जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिये बहुत बड़ा बजट खर्च करती है मैं उसकी प्राथमिकता तय करने के मामले से इत्तफाक नहीं करता। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा बजट का जो पैसा है वह कुछ ऐसे कामों में अधिक खर्च होता है जिनसे कम लोगों को लाभ मिलता है और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये बजट का कम पैसा खर्च किया जाता है। इस प्रकार

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज

आम जनता को चिकित्सा सुविधा से महरूम होना पड़ता है। उसका कारण महज यह है कि अंग्रेज चले गये किन्तु हम अंग्रेजियत से दूर नहीं जा सके। हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अंग्रेजियत से इतने घिरे हुए हैं कि सारा पैसा केवल ऐलोपैथी पद्धति पर खर्च कर देते हैं। जहां तक सर्जरी का प्रश्न है, मैं यह बात मानने को तैयार हूं कि जो सर्जरी के कैसेज हैं केवल वे ही एलोपैथी के डाक्टरों को दिये जाने चाहिये। जो औषधियां से ठीक होने वाले रोग हैं उनका उपचार एलोपैथी की औषधियों से नहीं कराया जाना चाहिये क्योंकि एलोपैथी की दवाओं में जो खराबी है वह यह है कि वह दवा प्रतिक्रिया अवश्य करती है। यदि एक दवा किसी रोग को दबाती है तो साथ में दूसरा रोग उत्पन्न करती है। उससे वह बीमार कुछ दिन बाद अधिक बीमार हो जाता है। हमारी देशी पद्धति, जो आयुर्वेद की है, को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बहुत बड़ा बजट एलोपैथी सिस्टम पर खर्च किया जाता है उसको काटकर हमें आयुर्वेद को देना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, विश्व के किसी भी देश में आप तलाश कर लीजिये जैसी जलवायु और वातावरण होता है, मनुष्य को उसी जलवायु और वातावरण की औषधियां अनुकूल पड़ती हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास स्वास्थ्य रक्षा की बहुत गौरवपूर्ण पद्धति रही है उसी कारण से आज आयुर्वेद बहुत से देशों मे लोकप्रिय होता जा रहा है। मगर एक कहावत है गुलामी जमाने की कि अपने घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। एक आन गांव का सिद्ध वाली बात अंग्रेजी भाषा से सिद्ध होता है। एक तरफ एक छात्र साढ़े पांच साल कोर्स करके डाक्टर बनता है, उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती है दूसरी तरफ वही छात्र हमारी देशी पद्धति में साढ़े पांच साल का कोर्स संस्कृत से करके वैद्य बनता है किन्तु उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। आप हिसाब लगाइये, उतना ही टाइम उतना ही अध्ययन उसने किया है जितना एलोपैथी के डाक्टर ने किया है। केवल उसने अंग्रेजी में कोर्स किया है और इसने संस्कृत में कोर्स किया है। उनके वेतनमानों, सुविधाओं और प्रतिष्ठा में आकाश पाताल का अन्तर है। एक प्रतिभाशाली छात्र स्वास्थ्य सेवाओं में जाना चाहता है तो आपकी मौजूदा व्यवस्था की वजह से लाचार होकर यह पाश्चात्य पद्धति की ओर झुकता है। उसको लाचार होकर डाक्टर बनना पड़ता है क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरी प्रतिष्ठा आयुर्वेद के जरिये नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है सर्जरी को छोड़कर बजट का अधिकांश हिस्सा आयुर्वेद की औषधियों पर ही खर्च करना चाहिये.....।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, ये मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इस गरीब देश का व्यक्ति डाक्टर बनने के बाद.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये खुद वैद्य हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, जिन प्रतिभाओं को डाक्टर बनाने के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च करती है, उनमें से आप देखिये, इस गरीब देश के बजट से कितनी प्रतिभाएं डाक्टर बनने के बाद हिंदुस्तान से पलायन कर जाती हैं। कुछ लोग यह कह कर चले जाते हैं कि दूसरी जगह अधिक सुविधाएं मिलती हैं। आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गरीब देश के टैक्स से तैयार किया हुआ डाक्टर अपने खुद के स्वार्थों के लिये देश के हितों पर लात मार कर, गरीब देश को धोखा देकर चला जाता है। कई तो आपकी इजाजत लेकर जाते हैं, बहुत से धोखा देकर जाते हैं। मेरे गांव भानपुर कलां में एक डाक्टर गोयल थे। करीब दस साल पहले वह अचानक चुपचाप अमेरिका चले गये। उनके बाद उनकी बीबी जो डाक्टर थी, भी कुछ साल बाद वहीं जाकर सैटल हो गयी। मैं यह पूछना चाहता हूं इस गरीब देश का पैसा कब तक, ऐसे लोगों पर खर्च किया जाता रहेगा? जो लोग सब कुछ सीखने के बाद विदेशों में चले जाते हैं। उनके लिये कानून में संशोधन होना चाहिए। डाक्टर बनने के बाद जब तक इस देश की न्यूनतम 15 साल की सेवा नहीं करें तब तक वह किसी भी देश में देश छोड़कर नहीं नहीं जा सकता। यदि वह धोखा देकर चला भी जाता है तो उस पर जितने पैसे हमने खर्च किये हैं वह मय ब्याज के उसके पीछे वाले लोगों, जो जमानतदार हैं, से वसूल किये जाने चाहिये। पढ़ाई के दिनों में जमानत ली जानी चाहिए कि यह आदमी इस देश में 15 साल सेवा करेगा, यदि नहीं करेगा तो जितना पैसा सरकार खर्च करेगी वह मय ब्याज के इस सरकार में जमा करायेगा। इस तरह की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग पैसों के खातिर लोभ लालच के खातिर देश छोड़ कर विदेशों में न भगने पायें।

मैं आयुर्वेद विभाग की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो मैंने निवेदन किया, हमको न्यायार्क दृष्टि से यह करना चाहिए कि ऐलोपैथी के डाक्टरों की तनख्वाह है, वह हमको आयुर्वेद के वैद्यों को करनी चाहिए बल्कि हमने तो यहां तक भी नहीं किया कि हरिदेव जोशी मंत्रिमण्डल ने जो निर्णय आयुर्वेद के चिकित्सकों के लिए लिया था उसको लागू कर देते। हमारी सरकार ने सारे निर्णय करोड़ों रुपये खर्च करके लागू कर दिये पर मुझे खेद है कि एक निर्णय जो वैद्यों के वेतनमान का था, आज तक लागू नहीं किया गया।

[समय समाप्ति-सूचक घण्टी]

मुझे ऐसा ज्ञात है कि सरकार इस विषय पर जल्दी ही कोई उचित फैसला करने वाली है। मेरा निवेदन है कि उस फैसले को जल्दी किया जाना चाहिए। साथ ही आयुर्वेद की औषधियों के बारे में मुझे खास तौर से कहना है। अगर आयुर्वेद की कोई कमजोरी है तो महज यह है कि उसके पास शास्त्रों में बताई गई औषधियां नहीं हैं। वैद्य को ज्ञान होता है कि अमुक चीज चाहिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। किसी को अगर स्वर्णमकर ध्वज की जरूरत है तो वैद्य तो तैयार कर नहीं सकता। अगर आपको पैसा खर्च करने पर स्वर्ण मकर ध्वज नहीं मिलता है तो वैद्य क्या करेगा। इससे आयुर्वेद बदनाम होता है। मैं आयुर्वेद मंत्री जी से यह

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

निवेदन करूंगा कि जो रसायन शालाएं चलती हैं, उनमें अपनी देख रेख में कार्य करायें। उनके बारे में कई शिकायतें हैं। मैं उन सारी शिकायतों में तो नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में आप को आयुर्वेदिक पद्धति को आगे लाना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा के लिये तो आपको आयुर्वेद औषधियां देनी ही पड़ेंगी। आयुर्वेद की औषधियां न केवल अच्छी और लाभकारी हैं बल्कि बहुत सस्ती हैं। मैं आप को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। साधारण तौर पर यदि किसी को सर्दी लगती है, जुकाम लगता है, उसके लिये वह ऐलोपैथी की कोई दवा लेने जाता है तो दो रुपये से कम की कोई दवा नहीं आयेगी कोई इन्जेक्शन भी लेना पड़े तो वह साधारण बात है।

[समय-समाप्ति सूचक घण्टी]

जब कि आयुर्वेद के जरिये से रोजाना काम में आने वाली मामूली चीज से भी उसका उपचार कर लीजिये। आप दो लोंग सेंक कर दाढ़ के नीचे दबाइये सारी सर्दी तुरन्त दूर हो जायेगी। मैं आपको एक खांसी की दवा के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। यह ऐलोपैथी वाले बड़े बड़े बिल बनाते हैं बड़ी बड़ी दवाइयां देते हैं किन्तु खांसी नहीं जाती है। साधारण तौर पर

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जो हल्दी होती है उसको यदि हम अदरक और आकड़े के दूध दोनों की भावना देकर लें तो भयंकर काली खांसी भी दूर हो सकती है। इसी प्रकार

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में वार्तालाप न करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, क्या यह आम तथ्य नहीं है और यह क्रिटीसाइज कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बहुत उपयोगी सुझाव दे रहे हैं, आयुर्वेद के सम्बन्ध में।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं एक बड़ी बीमारी चल रही है कि आज लोगों में शक्ति की कमी आ गयी है। आप देखिये डाक्टर एक नुस्खा दे देते हैं और इस तरह दुनियां को लूटते हैं। मैं आयुर्वेद की छोटी सी चीज बताता हूं जिसके जरिये लोग अपनी शक्ति के ह्रास को रोक सकते हैं। तीन तरह का कटेला होता है, एक ऊंट कटेला होता है, एक फसल कटेला होता है और तीसरा कटेला ऊंट कटेली बोलते हैं। ऊंट कटेली की जड़ों को यदि गौ-दूध के साथ मिश्री मिला कर उपयोग करें तो यह एक बड़ी शक्ति देने वाली चीज है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ध्यान से सुनिये। माननीय सदस्य ने जो शक्ति की बात बतायी है, आपका उदाहरण सामने है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मैं सारी बात इसलिए कहना चाहता हूं कि घर की जोगी जोगनां आन गांव का सिद्ध। हमारे घर में रोज काम आने वाली चीजों का उपयोग नहीं करेंगे

(श्री भेरूलाल भारद्वाज)

हैं और ऐलोपैथिक दवाओं पर लाखों करोड़ों रुपये का बजट खर्च करके एक बीमारी को दुरस्त करते हैं उसके साथ दो बीमारी तैयार करते हैं। एलोपैथी का एक सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि बीमारी को उसी समय रोको, जब कि आयुर्वेद का सिद्धान्त है, बीमारी को जड़ से निकालो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कहीं पर अगर गंदगी पड़ी है तो एलोपैथी का सिद्धान्त कहता है कि उठाने से गंदगी बढ़ेगी इसलिए इस पर एक सफेद चादर लगा दो। फिर भी बदबू आती हो तो इत्र या गुलाब जल छिड़को। सभापति महोदय, इससे यह होगा कि उस समय तो तुरन्त बदबू दब जायेगी लेकिन आगे चल कर गंदगी बड़े कीटाणु पैदा करेगी, वदबू पैदा करेगी। आयुर्वेद का सिद्धान्त है चाहे देर लगे, चाहे आपको थोडी तकलीफ महसूस हो, जो बीमारी शरीर में आ गयी है उसको हम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। आयुर्वेद हमेशा

[समय-समाप्ति सूचक घण्टी]

पचंकर्म में विश्वास करता है, किसी भी बीमारी के कारणों को जड़ से निकालने में विश्वास करता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय स्वास्थय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद मंत्री और आप आपस में बैठ कर इस बजट को संतुलित करलें जो एलोपैथिक औषधियों पर बजट खर्च करने जा रहे हैं. उसको आयुर्वेद की तरफ ट्रांसफर कर दें।

श्री माधवसिंह विधाम : अगर हमारे दोनों मंत्री बोलेंगे तो वैद्य को बुलायेंगे या डाक्टर को बुलायेंगे या भारद्वाज जी को बुलायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय मैं एक सस्ती और अच्छी पद्धति होम्योपैथी की ओर भी ध्यान दिलाऊंगा। इस गरीब देश के अन्दर कीमती दवायें कीमती डाक्टर और कीमती बिल बनाने वाले आप कुछ लोगों को सहायता पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को नहीं। इसलिए आम लोगों की दृष्टि से जिस प्रकार आयुर्वेद में घरेलू औषधियों के जरिये अच्छी दवाओं के जरिये इलाज करते हैं ठीक उसी प्रकार सस्ती और सुलभ औषधियों के द्वारा होम्योपैथी में इलाज होता है। हमको होम्योपैथी की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के परहेज की खास जरूरत नहीं हैं. पैसा अधिक खर्च नहीं होता और दवायें लाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कई बीमारियों का तो उसमें ऐसा इलाज है जिसकी कोई हद नहीं। जैसे पथरी के बारे में भी आप से निवेदन करना चाहता हूं। जब पथरी होती है तो डाक्टरों को बड़ा लम्बा आपरेशन करना पड़ता है। रोगी को काफी तकलीफ होती है रोगी को कितने ही दिनों तक आपको बन्द रखना पड़ता है, होम्योपैथी की एक साधारण दवा एक शीशी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते लेने के बाद पथरी कटकर पेशाब के जरिये निकल जाती है और इस तरह से रोगी को लाभ पहुंचता है। मेरा आप से निवेदन है कि हमको गरीब के बजट के हिसाब से चलना चाहिये, पाश्चात्य देशों की नकल करके पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिये। अब केवल एक बात

(श्री भैरुलाल भारद्वाज)

कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा यह जो डिस्पेन्सरियां, स्वास्थ्य केन्द्र, भवन और रैफरल होस्पीटल की जो आपकी योजना है । उसके बारे में मेरा यह निवेदन है, कि मेहरबानी करके उन क्षेत्रों को प्रायोरिटी दीजिए जहां अब तक कुछ नहीं हुआ है । आपने यह लिखा है कि जहां 30 हजार की जनसंख्या होगी वहां नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं । मैं आपको जमवा रामगढ़ का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । जमवा-रामगढ़ चुनाव क्षेत्र में अगर ब्लाक के हिसाब से चलते हैं तो एक लाख 54 हजार की आबादी है । 30 हजार के अन्दर एक डिस्पेन्सरी का प्रश्न ही नहीं उठता । मेरे वहां बहुत कम डिस्पेन्सरीज हैं खासकर जमवा-रामगढ़ चुनाव क्षेत्र के अन्दर दो लाख की आबादी में केवल दो डिस्पेन्सरी हैं । एक आंधी में पिछले साल खुली थी और एक तीन साल पहले घटवाड़ी में खुली थी । जमवा-रामगढ़ चुनाव क्षेत्र में दो लाख की आबादी पर दो डिस्पेन्सरी हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जब आप नये दवाखाने, डिस्पेन्सरी और नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलें तो कृपया मेरे क्षेत्र का ध्यान रखें । वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यन्त अभाव है । एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरुलाल भारद्वाज : मैं जनरल बात कहूंगा । मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि डाक्टर जो आप मेडिकल कालेज में भर्ती करते हैं उसमें पचास परसेंट लड़कियों की भर्ती करना चाहिए । आपको यह देखना चाहिए कि लड़कियां इस ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रही हैं । आप कहते हैं कि आकर्षित हैं, तो गई कहां ? आप देखिये जहां पर महिला डाक्टरों की पोस्ट्स हैं वहां वे पहुंचती नहीं हैं । गांवों में महिला डाक्टर हैं ही नहीं । मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पचास परसेन्ट स्त्रियां हैं उनके रोगों के उपचार करने के लिए महिला डाक्टरों को कोई तरजीह क्यो नहीं देना चाहते । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि यदि महिलायें या लड़कियां आकर्षित नहीं होती हैं तो आपको पुरुष डाक्टरों की बजाय उनके वेतनमान और सुविधाओं में वृद्धि करने की घोषणा करनी चाहिए ताकि लड़कियां अधिक आकर्षित हों । मेडिकल कालेजों में जितनी भी सीटें हैं और पांच सौ सीटें हैं तो उनमें से ढाई सौ लड़कियों के द्वारा भरी जावें । महिला चिकित्सकों को आकर्षित करने की ओर कारगर कदम उठावें । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : यूनानी पद्धति पर भी प्रकाश डालो ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : यूनानी पद्धति और है उस पर प्रकाश नहीं डाला ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने भाषण समाप्त कर दिया है ।

अब माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि समय को देखते हुए आप कृपया दो-दो मिनट में अपने जो भी उपकारी सुझाव हों वह सदन में रख दें ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, सल्फा ड्रग और माईसिन थ्योरी के बाद यह प्रमाणित हो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गया है कि एलोपैथी पद्धति चिकित्सा साइड में टोटली फेल हो चुकी हैं। इसका वर्णन आयुर्वेद ने किया है :—

कार्श्वद्धि रोगों रोगस्य हेतु भूत्वा प्रशाम्यति।
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्व कुरुतेऽपि च ॥
एवं कृच्छ तमां नृणा दृश्यन्ते व्याधि शंकरा।

यानि आज सारा भारतवर्ष कष्ट साध्य बीमारियों के कारण सल्फा ड्रग और माइसिन थ्योरी के कारण परेशान हैं। मोहनलाल जी जैसा भाई भारद्वाज ने कहा, जहां तक निदान का प्रश्न है आज एलोपैथी ने निदान के मामले में प्रगति की है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। निदान पर किसी की बपौती नहीं हो सकती। ई.जी.सी. डाक्टर ही करे, आयुर्वेद का चिकित्सक न करे, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। डाक्टर पेशाब का टेस्ट करे, आयुर्वेद का चिकित्सक पेशाब का टेस्ट नहीं करे, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरा निवेदन करना यह है कि सर्जरी के मामले में आयुर्वेद जरूर पिछड़ा है इसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन आज भी मेरा चेलेंज है कि औषध चिकित्सा के मामले में आयुर्वेद की पेथी कहीं भी पिछड़ी नहीं है। पिछड़ी है तो उसका कारण है राज्याश्रय प्राप्त नहीं होना। वह राज्याश्रय मेरे राजस्थान में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी सदन में भाई कैलाशजी मेघवाल ने हीरा हींग के मामले को लेकर आरोप लगाया था। हीरा हींग के मामले को लेकर घासीलाल जी यादव जब आयुर्वेद मंत्री थे, ने बड़े जोश के साथ मेरे द्वारा आरोप लगाने पर स्वीकार किया था कि मैं किसी भी मूल्य पर 3लाख 20हजार का पेमेंट नहीं होने दूंगा। 90) रु. किलो की हींग 290) रु. किलो में खरीदी गई। यह हीरा हींग खरीदी गई थी जयपुर के अन्दर रामलाल नाम के व्यक्ति से। इसे रामलाल ने टेण्डर दिया था। मांगीलाल भगवानसहाय ने जो 1600 किलो हीरा हींग बेची वह दिल्ली की एक फर्म से खरीदी गई थी। जगदीशप्रसाद शिवकुमार आड़तिया, पतासे वाले की गली, खारी बावली दिल्ली से 90 रु. किलो में इस व्यक्ति ने हींग खरीदी जिसको राजस्थान सरकार को सप्लाई किया। मैं आयुर्वेद मंत्री जी से पूछना चाहता हूं बड़े जोश के साथ घासीरामजी ने जो कहा था कि किसी भी मूल्य पर चोर को नहीं बख्शा जायगा। क्या वर्तमान आयुर्वेद मंत्रीजी के कार्यकाल में 3 लाख 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा देकर उस पार्टी को पेमेंट नहीं कर दिया गया? आज नकली हींग, जिस हींग के लिए यहां पर कहा गया था कि अगर वह नकली है तो उसका अनेलेसिस करायेंगे, जांच करवायेंगे का अनेलैसिस हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका अनैलेसिस हुआ। अनैलैसिस होने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आई वह आपके सामने मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यह अनैलैसिस रिपोर्ट है। जिसमें कहा गया है कि—'Under the provision of the food Adultretion Act and the rules made their under........

इसके अन्दर कहा गया है कि यह हीरा हींग अखाद्य पदार्थ है। खाने योग्य नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद का सर्वनाश इसलिए हुआ कि वह नकली, हींग हिंगास्टिक चूर्ण में बांट दी गई। भाई माधवसिंहजी दीवान जो कह रहे हैं कि मैं उसकी ताईद करता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मैं, माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद की दृष्टि से बोल रहा हूं इसलिए बड़ी कृपा होगी। मेरा निवेदन करना है कि यह हीरा हींग, जिसकी कि आज आलोचना हो रही है, दवा में मिला दी गई। वह नकली हीरा हींग खाने के बाद स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा ? उदर विकार कैसे मिटेगा ? यह अपने आप में एक अहम प्रश्न है।

माननीय मन्त्री महोदय, हाल ही में आपके कार्यालय में कुछ दिनों पहले तेल खरीदा गया। आयुर्वेद विभाग में एक हजार पीपे तिल्ली का तेल आयुर्वेद की मेडिसन बनाने के लिए फतेहनगर की एक फर्म से खरीदा गया। वहां पार्टी गई, आयुर्वेद विभाग के अधिकारी गए। उन्होंने जाकर फतहनगर की पार्टी को कहा कि एक हजार पीपों में एक-एक किलो तेल कम करते चले जाओ। एक-एक किलो के हिसाब से एक हजार के. जी. तेल कम हो गया। फिर यह तेल पहुंचा उदयपुर की रसायनशाला में। उदयपुर की रसायनशाला वालों ने कहा कि छः सौ किलो तेल लीकेज हो गया। जब उन्होंने देखा कि एक हजार के. जी तेल लाने वाले खा गये तो अपन क्यों नहीं बहती गंगा में हाथ धो डालें। उन्होंने हाथ धो डाला और छः सौ किलो तेल उदयपुर की रसायनशाला वाले खा गये। जब यह तेल भरतपुर रसायनशाला में पहुंचा तो उन्होंने भी सोचा कि जब उदयपुर वालों ने खा लिया तो अपनने क्या बिगाड़ा है। अपन भी खाओ। उन्होंने भी छः सौ किलो तेल लीकेज बता दिया। यही तेल के पीपे जब अजमेर की आयुर्वेद रसायन शाला के अन्दर पहुंचे तो उन्होने दोसौ के.जी. तेल लीकेज बता दिया। इस प्रकार से 2400 के. जी. तेल एक हजार पीपों के अन्दर कम हो गया। मेरा निवेदन करना है माननीय मंत्री महोदय से कि इस प्रकार से आयुर्वेद शालाओं में मखोल किया जा रहा है, जब इस प्रकार के घोटाले आयुर्वेद विभाग में चलेंगे तो आयुर्वेद का कल्याणकारी कार्यक्रम बना सकेंगे या नहीं, यह अपने आप में अहम प्रश्न है।

माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है सहायता दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद की औषधियां मशीनों द्वारा निर्मित हों। मुझे तो दुर्भाग्य इस बात पर लगा कि आयुर्वेद मंत्रीजी ने सदन में कहा कि 52 लाख रुपयों का आयुर्वेद का बजट था उसमें से 9 लाख की दवाइयां खरीदी गई। केवल 9 लाख की। बाकी का सारा का सारा रुपया इस साल में लेप्स होगा। लेप्स इसलिए होगा, राज्य सरकार ने यह परिपत्र जारी कर दिया कि योजना मद से फरवरी से 1 मार्च, 1983 तक नई खरीद पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। नई खरीद पर किसी प्रकार से 14 डिपार्टमेंट को छूट दी गई है। किन्तु आयुर्वेद डिपार्टमेंट को छूट नहीं दी गई है। फिर भी आयुर्वेद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी दवाइयां लाने के लिए अहमदाबाद पधार गए। मैं, आयुर्वेद मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि जो गोपालदास है, क्या यह टैक्निकल हैन्ड है ? क्या यह आयुर्वेद का अ, आ, इ, ई जानता है। जो मिस्टर अग्रवाल है क्या यह आयुर्वेद के विषय में क-ख-ग- जानते हैं ? नहीं जानते हैं। यह दोनों अधिकारी अपने लबड़-धन्नो को लेकर के अहमदाबाद तफरी करने के लिए गए। उनके साथ कोई भी टैक्निकल हैंड नहीं गया। उन्होंने एक पैसे की आयुर्वेद

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की दवाइयां नहीं खरीदीं। आयुर्वेद को आखिरकार किस प्रकार से पनपा सकेंगे? आयुर्वेद मंत्रीजी, डेढ़ लाख रुपया केन्द्रीय सरकार आयुर्वेद की रसायनशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए अनुदान देती है। उस अनुदान का क्या होगा? सुनिये माननीय मंत्रीजी, उदयपुर के अन्दर आयुर्वेद रसायनशाला के लिए एड दी गई उस एड से एक मशीन,

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

खरीदी गई। दो चाक 2868) की धनराशि से खरीदे गए। यह जनता पार्टी के राज में खरीदे थे। यह खड़े रहे। उनसे कोई काम नहीं लिया गया। चूर्ण पीसने की मशीन को खड़े रखा। खड़ा रखने के कारण यह भी खराब हो गई। डिपार्टमेंट में यह एक दिन काम में नहीं आयी। उसकी मरम्मत के लिए आपके कार्यकाल में झूठा बिल बनाया गया। माननीय सभापति महोदय, वह मशीन तो खरीदी गई थी 2568) रुपये में किन्तु उसकी मरम्मत के लिए 2700 रुपयों का बिल बनवाया गया। 2700 रुपये का बिल बना। जिस व्यक्ति ने बिल बनाया उस व्यक्ति को ओरियंट पंखा भेंट किया, जिस व्यक्ति ने बिल बनाया उसको तो पंखा दिया और मिस्त्री को केवल सौ रुपये दिये जिस पार्टी ने यह बिल बनाया उसने आधा कमीशन खाया। उसके अधिकारी को ओरियंट पंखा मिला, मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिरकार आयुर्वेद को किस प्रकार आप कल्याणकारी बना सकेंगे, मेरा निवेदन है कि जैसे एलोपैथी में चर्चा होती है उसके नर्स, कम्पाउंडर नहीं मिलते हैं उसी प्रकार आयुर्वेद के धात्री उपवैद्यों की समस्या आ रही है। एक योजना 1952 में अजमेर के अन्दर चालू की गई 100 धात्री-उपवैद्यों की ट्रेनिंग के लिए प्रोविजन किया गया। उसके लिये यह तय किया गया कि वह ढाई साल की ट्रेनिंग प्राप्त करेगा। इस साल अगस्त के अन्दर पहला सत्र प्रारम्भ हुआ। फार्म आये, उनकी मेरिट बनी। 57 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मेरिट में लिया गया, 85 व्यक्तियों को उनमें प्रवेश दिया गया

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी।]

सभापति महोदय मैं केवल आयुर्वेद के विषय पर ही बोलता हूं।

श्री सभापति : चार माननीय सदस्य और बाकी हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : केवल एक ही बोलेंगे।

श्री सभापति : और माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास मैटर है।

श्री सभापति : आप अपने सुझाव सूक्ष्म में दे दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल आयुर्वेद पर बोलूंगा। 85 व्यक्तियों को उसमें प्रवेश दिया गया, माननीय नये मंत्री महोदय ने आदेश प्रसारित किया कि राज्य सरकार इस धात्री-कल्पद आयुर्वेद विद्यालय के अन्दर दस प्रतिशत नामीनेशन करेगी आपने नामीनेशन कर दिया, वह तो उप सचिव का आदेश गया। उप सचिव के आदेश के आधार पर दस व्यक्तियों को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मेरिट को छोड़ कर प्रवेश दिया उनकी कोई योग्यता नहीं है। दस व्यक्ति ही लिये जाते तब भी समझ में आता, कोई बात नहीं, आटे में नमक चल सकता है लेकिन उसके बाद भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई मंत्री महोदय, आपको डुबोने वाले कुछ लोग हैं, जो आपके नाम पर कहते हैं, सरे आम कहते हैं, हम क्या करें, हमको तो आयुर्वेद मंत्री को एक लाख रुपया साल का देना पड़ता है इसलिए हम तो लायेंगे। इस धात्री उपवैद्य कल्पद विद्यालय के अन्दर पांच व्यक्तियों को और ....

भैरूसिंह गुर्जर : यह कौन कहता है, आप नाम बतायें ऐसी बात कोई नहीं कहता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बाधा न डालें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर आ रहा है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये। यह व्यवस्था का सवाल अर्ज कर रहे हैं। माननीय सदस्य, बोलिये, क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : कौन से नियम के तहत ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, परिवार नियोजन....

एक माननीय सदस्य : इनसे नियम पूछिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया नियमों का ध्यान रखें, आसन को सम्बोधित करें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : दफा 302।

[व्यवधान]

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, परिवार नियोजन कुछ समय पहले लागू हुआ, मेरी बात तो सुनिये....

श्री सभापति : पहले पाइन्ट आफ आर्डर बताइये.

श्री भैरूसिंह गुर्जर : बात वहीं आ रही है। जब हमारे यहां परिवार नियोजन की पद्धति लागू हुई थी एलोपैथी का बराबर प्रचार नहीं था, उस समय आयुर्वेद से इलाज होता था जिससे दनादन लोग मरते थे। परिवार नियोजन की जरूरत नहीं थी। जब से एलोपैथी का प्रचार शुरू हुआ है लोग बचने लगे हैं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। स्थान ग्रहण करिये आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : मै निवेदन कर रहा था, दस व्यक्ति गवर्नमेंट ने नामीनेट कर दिये। यह नामीनेशन पद्धति भी गलत है। यह किसी भी मूल्य पर नामीनेट नहीं किये जाने चाहिये थे। उसके बाद पांच व्यक्ति और लिये। यह सब मेरिट को छोड़कर लिये। उनके लिये कोई मेरिट नहीं है। यहां तक भी चल सकता था लेकिन उसकी जो न्यूनतम योग्यता है माध्यमिक शिक्षा उस माध्यमिक शिक्षा की भी उनके पास डिग्रियां नहीं है। फिर उनको इस धात्री कल्पद

(श्री दाऊदयाल जोशी)

विद्यालय के अन्दर किस प्रकार प्रवेश दिया गया? यह प्रवेश दिया गया। सत्र चालू होता है अगस्त में जब कि प्रवेश दिया गया जनवरी में। जनवरी के अन्दर यह कैसे अपना कोर्स पूरा कर सकेंगे, यह अपने आप में एक अहम् प्रश्न है।

[समय - समाप्ति - सूचक घंटी।]

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट में समाप्त करिये आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा घपला आयुर्वेद विभाग में होने जा रहा है। दो लाख रुपया एक व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है. महेन्द्रसिंह नाम के व्यक्ति के लिये यहां पर पिछले सत्र में माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि किसी भी सूरत में उसको नौकरी पर नहीं लिया जायगा। माननीय सभापति महोदय, महेन्द्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ लिपिक की नियुक्ति, 1964 में हुई। उसको पदोन्नत कर दिया गया 1964 में जब पदोन्नत किया तो उस समय जो परीक्षा होती थी वह परीक्षा उसने नहीं दी तो उसको पदावनत कर दिया उसके बाद में यह खुद पदावनत की हेयता को देखकर वापस ड्यूटी पर नहीं गया। लगातार आठ वर्ष तक यह व्यक्ति अपनी नौकरी पर नहीं गया। नौकरी पर नहीं गया, उसके बाद फिर उसके मन में जंची धूल में लट्ठ चेपो 1971 में आकर उसने एप्लीकेशन दे दी, 1974 में आकर के उसने भर्ती ले ली, उस पर कार्यवाही हुई डिपार्टमेंट ने लिखा अगर इसको नौकरी पर भी लिया जाय तो इसे वेतन नहीं दिया जाय, माननीय स्वास्थ्य सचिव जी ने नोट लिखा, इस आदमी को किसी भी मूल्य पर वेतन नहीं दिया जाये लेकिन आज मुझे पता लगा है कि एक एम० पी० के इशारे पर, कमला बील के इशारे पर उसको पूरे आठ साल का वेतन 50 हजार रुपया....

[व्यवधान]

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : 50 हजार रुपया तो यह देगें, 50 रुपया अतिरिक्त भत्ता और देगें। इस प्रकार एक लाख रूपये की राशि महेन्द्र सिंह राठौड़ वरिष्ठ लिपिक को....

श्री सभापति : समाप्त करिये

एक माननीय सदस्य : अरे मंत्री महोदय इस तरह डरना नहीं जानते

[व्यवधान]

[समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति जी, एक बात और निवेदन कर रहा हूं। आयुर्वेद विभाग है या चू चू का मुरब्बा है मैं पूछना चाहता हूं आयुर्वेद विभाग से 14 फाइलें गायब हैं? उप वैद्य चन्द्रमान टूटेता, अलवर व उप वैद्य पृथ्वीराज के जाली सर्टिफिकेट की पत्रावली गायब है। सारे जाली लोगों की पत्रावलियां थीं वह सारी पत्रावलियां आज डिपार्टमेंट में नहीं हैं वैद्य शिवनाथ शर्मा की पत्रावली नहीं है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को दे दीजिये व्यक्तिगत रूप से।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था,

(व्यवधान)

डिपार्टमेंट में इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। अन्त में एक बात इण्डियन मेडिसन बोर्ड के बारे में कहूंगा जिसको लेकर कैलाश जी ने आरोप लगाया था। इण्डियन मेडिसन बोर्ड में जो घपले हैं वह अपने आप में कीतिमान स्थापित कर चुके हैं। उस बोर्ड पर बीच में एक छापा डाला गया था इस छापे में आयुर्वेद के डाक्टर का एक सर्टिफिकेट पकड़ा गया जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों से युक्त था। सर्टिफिकेट नम्बर है 7272। उसमें नाम की जगह खाली पड़ी हुई है, अनुक्रमांक खाली पड़ा हुआ है जाली सर्टिफिकेट के आधार पर क्या डिपार्टमेंट लगातार लोगों को फायदा देता है,

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

मेरा निवेदन करना है कि आयुर्वेद विभाग को नाम मात्र की सहायता दी जाती है। जिस प्रकार से होम्योपैथी बोर्ड के चुनाव हुए हैं उसी प्रकार आप इण्डियन मेडिसन बोर्ड के चुनाव करायें। सन् 1971 से इसके चुनाव नहीं हुए। माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी, आप थोड़ी चिंता कर रहे हैं। इसलिये आपने आयुर्वेद परामर्शदात्री बोर्ड बनाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इण्डियन मेडिसन बोर्ड का कल्याण करना चाहते हैं तो जो इसका विधान है उसके तहत भगवान के नाम पर इस बोर्ड का चुनाव करवाइये। सन् 1971 के बाद चुनाव नहीं हुए। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिये। बहुत समय ले लिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं आयुर्वेद चिकित्सकों के वेतनमान के बारे में लगातार बोलता आ रहा हूं। मुझे दुःख है कि कैसी मीन मेन्टेलिटी के लोग हैं। कांग्रेस के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि मैंने इसका अन्न खाया है, आज मुझे पता लगा मेरे साथियों ने मुझे कहा, दाऊदयाल जी आप वैद्यों के वेतनमान के विषय में मत बोला करिये। कांग्रेस के नेताओं, मुख्य मंत्री और आयुर्वेद के मंत्री जी ने हमसे कहा कि तुम दाऊदयाल को साथ लेकर फिरते हो तुमको ग्रेड लेना है या नहीं लेना है ? मैं नहीं बोलूंगा, साहब अगर आप मेरे नहीं बोलने से ग्रेड देना चाहते हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन यह मेरा राईट है, मेरा अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसमें चूक नहीं सकता। जब हिन्दुस्तान के हर प्रांत के अन्दर, मध्यप्रदेश के

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

अन्दर आयुर्वेद के चिकित्सकों के वेतनमान 1000 से लेकर 1800 तक हैं हरियाणा के अन्दर 900 से लेकर ··· (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश के अन्दर 900 से लेकर 1000 की वेतन शृंखला है तो क्या कारण है -

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक व्यक्ति लगातार अपने खून पसीने की कमाई

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के आधार पर अपने बच्चों को पढ़ा कर योग्य बनाता है उस वैद्य को सरकार डाक्टर की वेतन श्रृंखला नहीं दे रही है । मैं आपसे पुरजोर शब्दों में अधिकार के साथ मांग करता हूं आयुर्वेद के वैद्यों को उनका हक देना पड़ेगा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा वरना आयुर्वेद चिकित्सक अब सड़क पर आयगा तो आपका यह राज आंधी की तरह उड़ता हुआ चला जायगा ।

श्री सभापति : समाप्त करिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एलोपैथी के लिये बोला गया है । एक ही बात कहना चाहता हूं ···

श्री सभापति : आपकी एक बात का कोई अन्त नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके डिपार्टमेंट में एक घपला चल रहा है, पांच लाख रुपये इकट्ठे हुए हैं । राजस्थान भर के कोने कोने में जो फार्मेसिस्ट हैं उन्होने पांच लाख इकट्ठे कर लिये हैं । वह कहां कहां जायेगा, भगवान जाने, लेकिन यह 'ई' फार्म और 'एन' फार्म के आधार पर जो आपके स्नातक बन रहे हैं ··

श्री सभापति : स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसके आधार पर जो फार्मेसिस्ट बनने जा रहे हैं ··

श्री सभापति : समाप्त कीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनमें 13 हजार व्यक्ति जाली तरीकों से पैसा इकट्ठा करके लाये हैं । जयपुर में यह पैसा आ चुका है । वह चाहते हैं फार्मेसिस्ट की डिग्रियां उनको मिल जायें और वह सल्फा ड्रग्स और माइसिन ड्रग्स जैसी जहरीली दवाएं बाजार में बेच सकें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें, नियमों को ध्यान में रखें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी बात के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हुआ अन्त में आयुर्वेद मंत्रीजी से निवेदन करूंगा भाई कैलाश जी ने जो 33 सूत्री आरोपों की लिस्ट कमला जी के हाथों में संभला दी थी उसका क्या बना ? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री जयदेव प्रसाद (रतनगढ़) : संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : सभापति महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मंगल कामना के साथ आयुर्वेद के संबंध में मांग सं. 26 पर अपना कथन प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री सभापति : उनके कान आपकी तरफ हैं।

श्री जयदेव प्रसाद (इन्दोरिया) : मेरी तरफ दो आंख हैं, न कान है, सिर्फ पीठ है । हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी को पूर्ण अधिकार है कि स्वस्थ आदमियों को बीमार घोषित कर दें । मैं उनसे कुछ भी निवेदन करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वह तो एक अरण्य-रोदन होगा मैं माननीय आयुर्वेद मंत्री जी से दो मुद्दों पर निवेदन करना चाहूंगा। एक तो इस बात का पता लगावें कि राजस्थान के किन किन गांवों में आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सा की व्यवस्था है उनकी एक लिस्ट बनावें । उसके आधार पर जिन गांवों में किसी

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

तरह की चिकित्सा व्यवस्था नहीं है वहां आप व्यवस्था कीजिये। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि इस बात का पता लगावें कि पंचायत स्तर पर राजस्थान मे ऐसी कौन सी जगह हैं जहां किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद कहां आपको औषधालय खोलना है, कहां डिस्पेन्सरी खोलनी है इसका निर्णय लेवें। सभापति महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि सुदूर गांवों में अगर कोई चिकित्सा सुविधा है तो वह आयुर्वेद के माध्यम से ही है। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित है। अभी अनेक माननीय सदस्यों ने विचार रखे कि वैद्य लोग एलोपैथी की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनकी बात को चैलेन्ज नहीं करना चाहता लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह वही वैद्य हैं जो पेंट, बुशर्ट पहनते हैं धोती-कुर्ता पहनने वाला कोई भी वैद्य एलोपैथी की दवाओं का इस्तेमाल नहीं करता। उसकी सारी विद्या पर भारतीय संस्कृति की छाप है इसलिये उनका जीवन पवित्र है। मंत्री जी तो पीठ दिखा कर चले गये लेकिन उनके अधिकारियों, जिन पर उनका बिल्कुल अंकुश नहीं है, से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): जिनकी डिमांड है उनको बुलावें साहब। फिर मुद्दे कौन नोट करेगा।

श्री सभापति : यह कोई आवश्यक नहीं है। आप समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य भाषण चालू रखिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : कोई बात नही वह बैठे हैं तो उनको धन्यवाद। एक विशेष प्रकार का रोग होता हैं धनुषटंकार यानी टिटेनस। इसकी हर जगह चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिये। सभापति महोदय, यह ऐसा रोग है जिसके होने के बाद वैद्य और डाक्टर जानते हैं, बचना मुश्किल है। जहां तक भवन की सुविधा उपलब्ध हो वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। आपको घंटी नहीं बजानी पड़ेगी आपने समय देकर कृतार्थ किया उसके लिये धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री समर्थलाल।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन जी!

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मेरा निवेदन है...

श्री सभापति : मैंने नाम पुकार लिया उनको बोलने का अवसर....

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: यूनानी पद्धति पर प्रकाश अवश्य डालें।

श्री सभापति : जरूर।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं): सभापति महोदय, सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्रीजी, आयुर्वेद मंत्रीजी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि मेरी तहसील में एक भी पद रिक्त नहीं है, डाक्टर लेडी डाक्टर और वैद्य वगैरह सबकी पोस्टिंग पूरी है जिस

(श्री रामधन चौधरी)

हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि बजट में 12 डिस्पेंसरी शहर में और 13 ग्रामीण डिस्पेंसरीं खोलने का प्रावधान रखा है तो....

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सरकार की तरफ से जबाव न हो जाय और डिमाण्ड पास न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय डिमाण्ड पास होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रामधन चौधरी : तो यह ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। इसलिये मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि या तो लिखो ही मत ताकि हम लोग लालायित न हों या कम से कम 00:200 का प्रावधान रखें ताकि जिनको डिस्पेंसरी वगैरह नहीं मिली है उनको मिल जाय। दूसरा आयुर्वेद मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे यहां आयुर्वेद औषधालय बड़े सफल रहे हैं। आज 6-7 औषधालय लाडनू क्षेत्र में विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। वह बड़ी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उनमें त्रुटि यह है कि जितना बजट आप देते हैं उसका सदुपयोग नहीं होता है। जिला आयुर्वेद अधिकारी कोई अच्छे सज्जन हों ताकि कम से कम 6 महीने में चैक जरूर कर लें स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि लाडनूं में वर्षों से आंखों का अस्पताल चल रहा है। बिना किसी अव्यवस्था के 20 बैड का अस्पताल चल रहा है, अच्छी व्यवस्था है वहां आप पोस्ट भर दें। मुझे ज्ञात हुआ है कि 3-3 पोस्ट वैसे ही बेकार पड़ी हुई है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल की तारीख में वहां 113 लोगों की आंखों के आपरेशन हुए हैं। इतना बड़ा अस्पताल है उसका रिकार्ड भी आपको पेश किया है मुझे उम्मीद है कि लाडनू में आई हास्पिटल की पोस्ट जरूर भर देंगे।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि मेरी तहसील में ग्राम रताऊ है। यह पांच हजार की आबादी का गांव है। वहां दाई के सिवाय और कोई इन्जेक्शन लगाने वाला नहीं है। अगर डाक्टर से दवाई लिखवाकर लावें तो वहां से लाडनूं 35 किलोमीटर पड़ता है। 35 किलोमीटर जाकर दवाई लेकर आवें और इन्जेक्शन लगावें तो कितना मुश्किल होता है। उस एरिया में छोटे छोटे गांव हैं। कोई अस्पताल नहीं होने की वजह से वहां लोगों को तकलीफ होती है। आप एक एड पोस्ट खोल दें तो आपकी कृपा होगी। कृपा शब्द तो इसलिये कह रहा हूं कि यूं तो आपसे हाथा-जोड़ी करनी पड़ेगी। आपसे कुछ भी नहीं मांग सकते क्योंकि बजट में आपने कुछ रखा ही नहीं है। मेहरबानी करके कम से कम पांच हजार की आबादी वाले गांव में इन्जेक्शन लगाने वाला लगा दें। आजादी के 35 साल बाद आप यह नहीं कर सकते हैं तो यह बड़े दुःख की बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्राम रताऊ में एक एड पोस्ट खोलने के आदेश आप जरूर देंगे।

(श्री रामधन चौधरी)

तीसरा जैसोरगढ़ में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के लिए एक दानदाता ने बिल्डिंग बनाने के लिए निवेदन किया है। अगर इस साल नहीं तो आने वाले साल में सरकार इसको खोलने की स्थिति में हो तो मैं उनको कहूं कि बिल्डिंग बनवा दें। झांसा देने वाली बात तो आप कहना मत क्योंकि कल को लोग मेरे को पकड़ेंगे। इस साल नहीं तो आने वाले साल सरकार इस मामले में विचार करे तो एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, जिसको प्रसूति गृह कहना चाहिए, के लिए आफर आया है। उन्होंने कहा है, मैं दो लाख रुपया लगाना चाहता हूं। वहां पर जगह भी पड़ी हुई है। इसके साथ मैं हमारे हैल्थ मिनिस्टर साहब और हैल्थ विभाग के अधिकारियों को दुबारा धन्यवाद देता हूं कि लाडनूं तहसील में पूरा स्टाफ लगा रखा है। अभी तो कोई पोस्ट वेकेन्ट नहीं है। और जो मैं चाहता हूं कि एक आई हास्पिटल वहां जरूर हो वह आप लोग जरूर खोलेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर,

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण अंचलों से आता हूं इसलिए ग्रामीणों की बात करूंगा। ग्रामीण अंचलों में भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण अंचलों से इलाज के लिए शहर आते आते ही लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक डिस्पेन्सरीज खोली जावें ताकि उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके, दवाई आदि मिल सके और वे अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य अच्छी प्रकार से रख सकें।

माननीय सभापति महोदय भवानीमंडी में चिकित्सालय है। वहां पर डाक्टर है लेकिन वह एक दिन कार्य करता है फिर उसके चार दिन बाद आता है। इसी प्रकार वहां एक लेडी डाक्टर थी वह भी वर्त्तमान में नहीं है। वहां पर महिलाओं को चिकित्सा के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मेरे डग क्षेत्र में लेडी डाक्टर के लिए पिछले सत्र में मैंने प्रश्न रखा था। जो भूतपूर्व मन्त्री महोदय थे उन्होंने बताया था कि डग इन्टीरियर में है इसलिए वहां पर कोई महिला डाक्टर नहीं जा सकती। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले महीनों में वहां महिला डाक्टर न होने के कारण एक लेडी की मृत्यु हो गई। उसको उपचार नहीं मिल सका। इसी प्रकार मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में जो उणेर गांव है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उणेर एक दिगम्बर जैन मंदिर हैं। पूरे देश भर से वहां यात्री दर्शन करने के लिए आते है। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिये वहां पर एक डिस्पेन्सरी खोली जाये तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देना चाहता हूं। चौमेल में जो डिस्पेन्सरी है उससे जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वहां पर आपने जो फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर रख रखा है, वह एक दिन वहां पर रहता है और बाकी दिन बाहर रहता है। वह हाजरी वहां पर लगाता है। सभापति महोदय, न तो वहां दवाइयों की व्यवस्था है, न कम्पाउन्डर ही वहां रहता है।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

उस पर पाबन्दी लगाई जाये या अन्य किसी कम्पाउन्डर को लगाया जाय ताकि जनता को सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार झालावाड़ के मुख्य चिकित्सालय में भारी अव्यवस्था है। वहां पर जो मरीज जाते हैं उनको समय पर न तो कम्पाउन्डर मिलता है, न डाक्टर ही मिल पाते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं, एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है, एक्स-रे प्लेट्स नहीं हैं। भवानी मण्डी में भी एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है और प्लेट्स न होने के कारण जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। भवानी मण्डी 25 हजार से ऊपर की आबादी का क्षेत्र है। वहां पर एक एम्बुलेन्स गाड़ी की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके अभाव में गरीब जनता को कहीं जाना पड़ता है तो वे बीच में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। सभापति महोदय, भवानी मण्डी डिस्पेन्सरी में दवाइयों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां पर दवाइयों का बजट अधिक स्वीकृत कर के जनता को लाभ पहुंचावें। इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : स्वास्थ्य मंत्री जी !

(व्यवधान)

मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का नाम पुकार लिया है।

श्री खेत सिंह राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, आज चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग पर इस विधान सभा के 21 माननीय सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की और कुल मिलाकर 200 के ऊपर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने यहां कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये, एक-एक का जवाब मैं देना चाहूंगा। जिन माननीय सदस्यों ने आज के वाद विवाद में भाग लिया, अपने कटौती प्रस्ताव दिये थे उन सब को मैं लिखित में जो उन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनका जवाब भेजूंगा।

मान्यवर, सर्व प्रथम भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार यहां व्यक्त किये थे हालांकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं। इस सदन की परम्परा ऐसी रही है कि जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते उनको जवाब नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह है कि उनको जो कहना था वह कह कर चले गये तो मैं भी इसके लिये बाध्य नहीं हूं कि मैं हरएक का जवाब दूं। जो माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं उनका जवाब देना आवश्यक है। फिर भी, वे वयोवृद्ध है और वे पार्लियामेन्ट में भी लम्बे समय तक मंत्री पद पर रहे हैं, इसलिये मैं जवाब दे देता हूं। मान्यवर, उन्होंने दो समस्याएं यहां पर रखीं। उन्होंने कहा कि भरतपुर में मोबाइल सर्जिकल यूनिट की मोटर खराब पड़ी है। मैंने विभाग से मालूम किया है, उस मोटर की रिपेयर हो चुकी है और वह मोबाइल सर्जिकल यूनिट ठीक है। उसी में हमने आई आपरेशन के लिये व्यवस्था और कर दी है। उसी मोटर को हम आई आपरेशन के लिये जो हरियाणा से लगता हुआ अलवर का बार्डर है वहां पर भेजेंगे ताकि वहां पर कैम्प लगा कर आप-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रेशन कर सकें और जो आंख फोड़ो काण्ड हुआ है उस प्रकार का भविष्य में काण्ड न हो। इसमें मैं जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनसे भी सहायता लूंगा। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे इसमें भागीदार बनें, जहां कहीं भी वे कैम्प लगवाना चाहें वहां पर कैम्प लगायेंगे और उस प्रकार के काण्ड से बचने का पूरा प्रयत्न करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि भरतपुर के अस्पताल में डाक्टरों की कमी है। तो मुझे यह बतलाया गया कि कोई ज्यादा कमी नहीं है बहुत मामूली सी कमी है। एक या दो डाक्टर्स की कमी के लिए बतलाया उस कमी को भी समय रहते हम निश्चित तौर पर पूरा कर देंगे। मान्यवर, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें यहां बड़ी गम्भीरता से कही थीं हालांकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में कुछ बातें कही। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी सवाई मानसिंह अस्पताल और मेडिकल कालेज के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपसे यह निश्चित तौर से निवेदन कर सकता हूं कि सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान का ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत का एक शानदार अस्पताल है। वहां उसमें हमारे बहुत ही अच्छे डाक्टर्स काम कर रहे हैं। उनको गलेक्सी आफ डाक्टर्स मैं कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। डाक्टर गंगवाल, डाक्टर मेहता, डाक्टर सेठी और रामावतार शर्मा इस प्रकार के कई...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डा. रामावतार शर्मा का पोस्टिंग कहां है?

श्री खेत सिंह राठौड़ : रामेश्वर शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ दी मेडिकल कालेज, काम कर रहे हैं। I am sorry.

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस अस्पताल के अन्दर अच्छे-अच्छे डाक्टर्स हैं जिनका उत्तरी भारत में अच्छा नाम है, अच्छा काम है। आपने देखा होगा, डाक्टर सेठी को पद्मश्री भी मिला है। जयपुर फुट आज उत्तरी भारत में ही नहीं दक्षिण भारत में भी मशहूर है। यह सारी परिस्थितियां यह साबित करती हैं कि सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर अच्छे-अच्छे। डाक्टर्स हैं। माननीय सदस्य यहां नहीं हैं दूसरी माननीय सदस्या, जिन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल की तारीफ की थी जो देवगढ़ से आती हैं, भी यहां उपस्थित नहीं हैं। कुल मिलाकर मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय भी इस बात को मानेंगे कि सवाई मानसिंह हास्पिटल आल इण्डिया मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मुकाबले में होने जा रहा है। आज हमारे पास फण्ड्स की कमी है यदि हमारे पास में फण्ड्स पूरे हों और हम पूरे इक्विपमेन्ट्स दे सकें तो मैं यह कह सकता हूं कि आल इण्डिया मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट के मुकाबले किसी भी हालत में सवाई मानसिंह अस्पताल कम नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ स्पेशलिटीज हम इस साल और डवलप करने जा रहे हैं। कुछ स्पेशलिटीज लास्ट ईयर डवलप हुई हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि सवाई मानसिंह हास्पिटल के अन्दर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लास्ट ईयर कितना डवलपमेंट हुआ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जैसा मैं आपसे कहूं, लास्ट ईयर इमरजेंसी सर्विसेज और

Page No 182

(182)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जो एक्सीडेन्ट हो जाते हैं उनके लिए सर्विसेज डवलप हुई हैं 19 बेड की वहां पर हमने व्यवस्था की हैं। कोई भी एक्सीडेन्ट का केस अगर इस हॉस्पिटल में पहुंचता है, तुरन्त उसकी पूरी जांच की जाती है। ब्लड लिया जाता है, यूरिन और उसकी दूसरी चीजों के बारे में एग्जामिनेशन हो जाते हैं और उसका उसी वक्त उपचार किया जाता है। अब जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ है लेकिन कुल मिला कर मैं आपसे यह कह सकता हूं कि इस सर्विस से निश्चित तौर पर लोगों को फायदा पहुंचा है।

इसी तरह से एक इन्टेंसिव केयर यूनिट, जिसके अन्दर हार्ट पेशेन्ट रखे जाते हैं मानमीय नेता महोदय आप जानते हैं जिनको हार्ट अटेक होता है उनको परेशानी होती है; की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी मरीज तुरन्त अगर हॉस्पिटल में पहुंचे तो उसका उसी वक्त उपचार किया जा सके और उसके बचने के आसार बन जायें। इस पद्धति को देखते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस साल कुछ और फण्ड्स दिये। अभी आपने बजट में भी देखा होगा कि ओपन हार्ट सर्जरी और यूरोलॉजी के लिये दस लाख रुपये का प्रोविजन किया गया है। मैं स्वयं डाक्टर नहीं हूं मैंने मालूम किया है कि वह प्रोविजन इसलिये किया गया है कि अगर किडनी के अन्दर स्टोन है तो आपको किडनी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, बगैर ऑपरेशन के किडनी में उस स्टोन को तोड़ करके पेशाब के जरिये निकाल दिया जायगा। इस तरह का भी एक यूनिट लगाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस प्रकार से ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस अस्पताल के अन्दर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। हमने इसके लिए बम्बई के जो बड़े बड़े बिजनेस मेन हैं। उनसे भी बात की है और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिये हैं। अगर हमको उनसे कुछ और फण्ड मिल जायेंगे तो यहां यूरोलोजी का अलग से एक डिपार्टमेन्ट कायम कर सकेंगे। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं वह उत्तरी भारत का एक सबसे अच्छा सैन्टर होगा। इसी तरह इस साल हमने दंत चिकित्सा की भी 25 सीटों का प्रावधान किया है। अपने यहां राजस्थान में आम तौर पर दांतों की बड़ी बीमारी होती है। नॉन वेजीटेरियन और पान खाने वालों में यह बीमारी और भी ज्यादा है। इसलिए इसकी भी हमने व्यवस्था की है कि इस साल हम 25 छात्रों को एडमिशन देंगे। हम यह व्यवस्था भी कर रहे हैं कि हमारे यहां पर डेण्टल कॉलेज खुल जाये। आज हमको दूसरे प्रदेशों में एक दो सीट बड़ी मुश्किल से मिलती हैं उसके लिए कितनी ही दौड़ भाग करनी पड़ती है। अगले वर्ष से जब हमारे यहां पर ही यह डेन्टल विंग खुल जायेगी तो इससे निश्चित रूप से यहां के कुछ लड़कों को एडमिशन मिलेंगे, साथ में दंत चिकित्सा की जो हमारे यहां कमी है, उस कमी को भी हम पूरा कर पायेंगे। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि मेडिकल कॉलेज के लिये अगर कुछ फण्ड हमको मिल जाय जैसा कि बागड़ ने हमको कुछ पैसा दिया है, मैं चाहूंगा कि हाउस के माननीय सदस्य जो जहां भी इन्फ्लुएन्स हो अगर हमको भवन निर्माण के लिए पैसा दिला सकते हों तो निश्चित तौर से एक इन्स्टीट्यूट की हैसियत

(श्री खेतसिंह राठोड़)

यह सवाई मानसिंह हास्पिटल पैदा कर सकता है। इसमें डाक्टरों की और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सिर्फ भवन की कमी है और कुछ इन्स्ट्रूमेन्ट्स की कमी है जिसको सरकार भी पूरा करने का प्रयत्न करेगी। लेकिन भवन की पूर्ति के लिए हमें जन सहयोग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पी०जी इन्स्टीट्यूट के लिए कितने रुपये की आवश्यकता है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमको करीब एक करोड़ रुपये की आवश्यकता है। एक करोड़ का प्रोविजन हो जाय तो भवन बन जायेगा और भवन बनने के बाद हम इक्विपमेन्ट वगैरह खरीद लेंगे।

एक माननीय सदस्य : माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी से सहयोग लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य मंत्रीजी अभी पत्र लिख रहे हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था कि पांच मेडिकल कॉलेजेज हैं हमारे, लेकिन तीन मेडिकल कॉलेज के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कोई बात नहीं कही। न उदयपुर के बारे में किसी ने कुछ कहा, न जोधपुर के बारे में किसी ने एक शब्द कहा और न बीकानेर के बारे में कोई बोला है। सिर्फ अजमेर मेडिकल कॉलेज के बारे में एक-दो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि साहब उसका जो भवन है वह जर्जर अवस्था में है। अगर भवन की रिपेयर नहीं करवाई गई और बीच की विंग को डिमोलिस करके ठीक नहीं किया गया तो आगे जाकर के मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मैं स्वयं अजमेर गया था। मैंने हास्पिटल का निरीक्षण किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भवन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर्स को कहा है कि आप इस बारे में राय दीजिये। कुछ रिपेयर्स करवाने की आवश्यकता है, कुल मिलाकर एक वक्त हम को इस बीच के पोर्शन को डिमोलिस करके नया बनाना ही पड़ेगा। आज चाहे हमारे पास फण्ड की कमी हो लेकिन भवन ठीक कराये बगैर आगे चलना बड़ा मुश्किल है। इस बात को मैं मानता हूं। एक वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज इस चर्चा में भाग नहीं लिया न उन्होंने कोई दिल चस्पी दिखाई लेकिन राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा यह फर्ज और दायित्व है कि जहां जो कमी है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। वहां पर पानी की कमी के बारे में मुझे बताया गया था और इस बात को मानते हुए, मैंने एक ट्यूब वैल वहां मन्जूर किया है जिससे मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जो पीने के पानी की कमी रहती है वहां नहीं रहेगी। पहले एक हैण्ड पम्प आपके यहां लगा हुआ है उसमें मीठा और अच्छा पानी निकलता है। उसी के साथ हमने एक ट्यूब वैल लगाया है पीने के पानी की जो हॉस्पिटल में कमी है उसको पूरा करने में वह भागी दार बनेगा।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): आपकी उदारता की वजह से मैं बोला नहीं, आप वहां गये थे। आपने वहां का निरीक्षण किया था उसी समय आप सारे आश्वासन देकर आये थे इसलिए मैं नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता कि कुछ आक्षेप करूं। आपकी यह दरियादिली कि आज आप यह घोषणा कर रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बड़ी कृपा है आपने एक बात तो मानी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : शेरगढ़ के सदस्य तो हैल्थ मिनिस्टर है वह मांग क्या करेंगे। वह तो आदेश देंगे।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि मन्त्री से सम्बन्ध रखने के बनिस्पत तो अधिकारियों से रखने में ज्यादा फायदा है। मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वे पहली दफा विधान सभा में तशरीफ लाये हैं यहां तीस-तीस वर्ष हो गये हैं।

(व्यवधान)

मन्त्री मन्त्री होता हैं और अधिकारी अधिकारी होता है। मंत्री के आदेश देने के बाद में अधिकारी की मजाल नहीं है कि वह तामील नहीं करें। यह बात अलग हैं मन्त्री, स्वयं के मन में ही कुछ और हो, बाकी आदेश देने के बाद तामील नहीं हो, इस बात को मानने के लिये, श्रीमन् मैं तैयार नहीं हूं। अधिकारी का फर्ज हैं कि मन्त्री के आदेश की तामील करे। अधिकारी का यह भी फर्ज हैं कि रीति-नीति के बारे में कोई ऐसी बात हैं तो वह मन्त्री के ध्यान में लाये। लेकिन मन्त्री का आदेश आखरी आदेश है और उसकी पालना करना अधिकारी का फर्ज और दायित्व हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री के मन की बात का पता कैसे लगे?

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्यमंत्री पशुपालन) : इसकी भी मशीन मंगा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दूसरी बात यह भी कही कि पश्चिमी राजस्थान में डिस्पेन्सरीज की बड़ी कमी है बनिस्पत पूर्वी राजस्थान के। मैं हालांकि इस बात को मानता हूं कि वहां पर एरिया बहुत बड़ा है। जैसा आपके पास में बैठे नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्पेन्सरीज खोलने में आज तक का जो क्रायटेरिया रहा हैं उसमें सबसे पहली बात है डेन्सिटी आफ पापुलेशन। जहां पर ज्यादा आबादी है, घनी आबादी है वहां पर निश्चित तौर पर बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। इस वजह से वहां पर डिस्पेन्सरीज को प्राथमिकता दी गई हैं। इस बार न तो हमारे पास डिस्पेन्सरीज हैं और न यह झगड़ा है। बहुत थोड़ी सी डिस्पेन्सरीज हैं। जहां तक सब सेन्टर्स का प्रश्न है, सब सेन्टर्स में भारत सरकार का ही कुल पैसा है और भारत सरकार ने ही एक गाइड लाइन हमको दे रखी है उसी के अनुसार हमको सब सैन्टर्स खोलने पड़ेंगे। उसके अन्दर 150 सब सैन्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेन्ट चाहे उस तरह से खोल सकती है, उसमें हम निश्चित तौर पर रेगिस्तानी इलाकों और आदिवासी इलाकों का ध्यान रखेंगे। उनके अन्दर ज्यादा देने का प्रयास करगे।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दवाइयों की कमी के बारे में आपने कहा, यह बात सही है कि जिस वक्त राजस्थान बना था उन दिनों में एक करोड़ और 67 लाख का बजट था, राइट फ्राम 1951 से 1956 तक। सन् 1956 तक 1 करोड़ 67 लाख का बजट था। इस साल देखिये जो मैंने पेश किया है। वह किया है 92, 91, 83000/- का। तो इतना बजट रखते हुए भी चूंकि आबादी बेहद बढ़ रही है, इसलिये मैं बाद में आबादी के बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जा रही है, तो अपने आप सुविधाओं में कमी होती जा रही है। हालांकि हमने प्रयास किया है, दूर दराज के गांवों में डिस्पेन्सरीज हो, एडपोस्ट हों, सब सैन्टर्स हो हमारा यह प्रयास रहा है कि जो बड़े हास्पिटल हैं उनमें निश्चित तौर पर शैयायें बढ़े और लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिले। नयी नयी स्पेशलिटीज डवलप हों। ज्यों हम नयी नयी स्पेशलिटीज डवलप करते है, नई नई बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कैंसर के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कहा भी था। कैंसर के बारे में हमने यह तय किया है कि हमारे पांच मेडिकल कालेज है कम से कम एक एक स्पेशलिटी दूसरे कालेज में भी बढ़ाई जाय। हमने इसके लिये बीकानेर को सलेक्ट किया है। बीकानेर एक उपयुक्त जगह है। पहले से वहां पर कैंसर के इलाज भी चल रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो भी बेस्ट डाक्टर्स हों उनको वहां पर पोस्ट करें ताकि वहां का सेन्टर एक ऐसा सेन्टर बन जाय कि लोगों में विश्वास पैदा हो और कैंसर का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। आज दौड़ भाग करके सब बोम्बे जाने की कोशिश करते हैं या और कहीं जाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते है, हमारा स्वयं का सेन्टर ऐसा हो कि बोम्बे जाने की आवश्यकता नहीं पड़े और यहीं पर कैंसर का इलाज हो सके। इसके बारे में कितनी और मशीनरी की जरूरत है क्या क्या और इक्विपमेन्ट की जरूरत है, उनको मंगवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं, इस तरह से हम एक-एक स्पेशलिटी करके मेडिकल कालेज में डवलप करेंगे। उन मेडिकल कालेज की और उन स्थानों की भी अपने आप में शोहरत बढ़ेगी और लोगों को भी उससे ज्यादा लाभ मिल सकेगा। जैसा मैंने पूर्व में कहा, सवाई मानसिंह अस्पताल को एक इन्स्टीट्यूट का रूप देने की हमारी मंशा है। इसमें समय लग सकता है लेकिन कुल मिलाकर हमारी यह इच्छा जरूर है। तो मेडिकल कालेज के बारे में मैंने आपसे कुछ निवेदन कर दिया।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, उसके लिये जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, राणावास में भवन बना हुआ है वहां पर कोई डाक्टर नहीं है, और न वहां पर इलाज हो रहा है। राणावास में डाक्टर तो एक है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : प्रसूति केन्द्र, मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए भवन दिया हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डाक्टर तो वहां पर एक मिस्टर चारण लगे हुए है। अब एक डाक्टरनी चाहते है आप।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर ; यही वरदान दे दो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अभी मैं कहने में सक्षम नहीं हूं इसलिये कि कुल मिलाकर 7 ही प्रसूति गृह पूरे राजस्थान में खोले जाने का प्रावधान है। उस वक्त बैठकर आप देख लेंगे। मैं यूं ही अगर कहूंगा तो आप कहेंगे जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आप हमको झांसा मत देना। तो मैंने भी यह तय किया, मैं आपको झांसा न देकर जो सही पोजीशन है वह आपको कह दूं। बहुत ही कम आइटम हैं इसलिये मैं.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी कह दें कि आप झांसा नहीं देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं दूंगा।

दूसरा जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ बातें कही हैं। उनके कहने में काफी सच्चाई है। जैसलमेर में निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि डाक्टर्स की कमी है। आपकी डिपार्टमेंट ने मुझे जो आंकड़े दिये हैं वह आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं ...

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : छोड़ो उनको यह देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं है।

देखिये जूनियर स्पेशलिस्ट की जगह सैंक्शन्ड हैं उनमें से आपके यहां पर दो कार्य कर रहे हैं, तीन पोस्ट खाली हैं उनको भरने का प्रयास करूंगा। मैंने डायरेक्टर साहब और सैक्रेटरी साहब को कह दिया है कि मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी यह प्रस्ताव लाइये, कहीं से भी हो इन पदों की पूर्ति होनी चाहिए। जहां तक पी. ए. एस. का प्रश्न है, आपके यहां पर 34 पोस्ट सैंक्शन्ड हैं उनमें से 27 लगे हुए हैं। इसलिये आप जो बता रहे थे इतनी बात नहीं है। 7 जगह खाली हैं उनको भरने का हम प्रयास करेंगे। मैल नर्सेज फर्स्ट ग्रेड की 3 जगह हैं उसमें से दो कार्य कर रहे हैं एक जगह खाली है। मैल नर्स ग्रेड-2 की जगह आपके यहां ज्यादा खाली हैं। 35 पद हैं उनमें से सिर्फ 6 ही काम कर रहे हैं, 29 की जगह खाली हैं। यह मैं मानता हूं। क्लास फोर्थ की कोई खास जगह खाली नहीं है। आपके 78 स्थान हैं जिनमें से 74 पर काम कर रहे हैं चार जगह खाली हैं। ए. एन. एम. आपके यहां 41 सैंक्शन्ड हैं उनमें से 31 पर काम कर रही हैं; 10 जगह खाली हैं। अब मैंने एक निर्णय लिया है कि जो बाड़मेर का ट्रेनिंग सैंटर है वहां से पास होकर जो भी निकलेंगे उनका पोस्टिंग बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर तीन जिलों में ही किया जायगा। इससे धीरे धीरे आपकी यह जो कमी है उसकी हम पूर्ति कर देंगे। यह भी हमने तय कर दिया है कि अब जब हम नयी भर्ती करेंगे तो उन्हीं जिलों के लोग होने चाहिये और और जिलों से नहीं लिये जाने चाहिये। उन्हीं जिलों के हो इसके लिये हमने यह तय कर दिया है कि पांचवी से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई अगर उन्होंने उस जिले में की हो, तभी हम उस जिले का मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। पिछली बार भी ऐसी कुछ बातें हो गई कि किन्हीं और जिलों जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, के लड़के गये उन्होंने वहां पर अपने एड्रेस लिखा दिये और यह साबित कर दिया कि हम वहां के परमानेन्ट रेजिडेंट हैं। इस तरह से उन्होंने वहां दाखिला ले लिया और ट्रेनिंग ले ली।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अब हमने यह तय किया है कि वहीं के लड़के होंगे, जो पांचवी से दसवीं तक उन जिलों में पढ़े हैं। उन्हीं को हम प्रवेश देंगे। उससे आपकी इस समस्या का मेरा खयाल है, समाधान होने की काफी गुंजाइश बनेगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बस करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी तो शुरू हुआ है जवाब।

एक माननीय सदस्य : संक्षेप में करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : संक्षिप्त करूं।

पोकरण और जैसलमेर के हास्पिटल के बारे में आपने जो फरमाया, पोकरण के अन्दर भी डाक्टर्स की कमी है। अगर आप स्वयं कोई नाम बता सकें तो हम उसको लगा देंगे। हमने ऐसा किया है कि टोटल 800 के करीब जो डाक्टर्स राजस्थान लोक सेवा आयोग से सलेक्ट होकर आये हैं उन 800 को ही पोस्टिंग दी है। 800 में से 150 ने जोइन नहीं किया। इस तरह से डाक्टर्स की कमी रही उसके बाद हमने पुनः शार्ट टाइम का एडवरटाइजमेण्ट निकाला, उसके अनुसार एप्लीकेशन इन्वाइट की गयी. जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं, चाहे राजस्थान में रहने वाला है, चाहे हरियाणा में है चाहे हिमाचल में है, चाहे पंजाब में है, चाहे उत्तरप्रदेश में है, चाहे बॉम्बे में है, उनकी एप्लीकेशन्स इन्वाइट कीं। कुल मिलाकर 400 से ऊपर एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। जब हम उनका सलेक्शन करेंगे तो उनसे पहले ही बांड भरवायेंगे कि आपको रूरल डिस्पेन्सरीज में जाना ही पड़ेगा इसी बेसिस पर आपको नियुक्ति आदेश दे रहे हैं। अगर आप रूरल डिस्पेन्सरी में नहीं जाना चाहें तो आप इंकार कर दीजिए ताकि हम दूसरे जो हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से ले लें। सभापति महोदय, हमको शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा भरना पड़ेगा। उसके लिए भी एप्लीकेंट्स हैं, पूरी एप्लीकेशन्स हैं। उनका कोटा भर देंगे, 64 लेडी डॉक्टर्स की भी एप्लीकेशंस आयी हैं उन सबको लेने की चेष्टा करेंगे, अगर वह यहां आना चाहेंगी तो। जहां जहां लेडी डॉक्टर्स की कमी है, हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस बात के लिए जागरूक हैं कि जो वेकेंसीज, जो हमारे पास डिस्पेन्सरी में सैक्शंड पोस्ट पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाय। उसी प्रयत्न में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से भी कॉन्टेक्ट किया। बार-बार डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी को भेजा, इन्टरव्यू करवाये, इन्टरव्यू करवाने के बाद जो लिस्ट बनी उसके अनुसार हमने उनको नियुक्तियां दी हैं। आपने देखा होगा इन नियुक्तियों में फर्स्ट पोस्टिंग हरएक डाक्टर की रूरल डिस्पेन्सरी में की है. जिन्होने जोइन नहीं किया उनके स्थान पर नयी एप्लीकेशन इन्वाइट की हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया के इस कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आवश्यकता हुई तो फिर एक एडवरटाइजमेण्ट निकालेंगे जो हमारे पास सैक्शंड स्ट्रेंथ है, जो सैक्शंड पोस्ट हैं डॉक्टर्स की, उनको जल्दी से जल्दी भरने का प्रयास करेंगे।

जहां तक नर्सिंग स्टाफ का प्रश्न है, विशेष तौर से हमारे पास नर्सेज की कमी हैं. हालांकि हमने काफी ट्रेनिंग सैन्टर खोल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रखे हैं। ए. एन. एम. के लिए कुल मिलाकर 18 स्थान पर ट्रेनिंग चल रही है। हर जगह 30-30 ए. एन. एम. की ट्रेनिंग चल रही है. उन ट्रेनिंग सैन्टर्स में सीट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले दिनों भारत सरकार के सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ यहां आये थे, उनसे भी निवेदन किया है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। जिन जिलों के अन्दर अभी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है उन जिलों के अन्दर ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए अगर भारत सरकार कुछ हमको मदद दे देगी तो सोचते हैं जल्दी ही हम उन जिलों के अन्दर भी ट्रेनिंग सैन्टर खोल देंगे तथा स्टाफ शार्टेज को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। माननीय सदस्यों ने कहा कि आप 500 सब सैन्टर्स इस साल और खोल रहे हो जब कि आपके पास पहले से ही स्टाफ की कमी है। उसको कैसे आप भरेंगे। यह निश्चित बात है कि पूरी जगहों को नहीं भर पायेंगे लेकिन भारत सरकार से ये सब-सैन्टर्स मिल रहे थे, अगर हम इस साल नहीं खोलते तो, हो सकता है, किसी और दूसरी स्टेट को ये मिल जाते। बिहार ने वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की तो हमारे को लिखा कि आप खोलने के लिए तैयार हो? हमने चार जिलों के लिए रिकमण्डेशन भेजी हैं हो सकता है, हमारे चार जिले मंजूर हो जायेंगे। उनके अन्दर नये सैंटर वगैरह खोलने की हमारी योजना स्वीकृत हो जायेगी।

मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहता था कि अभी आपने कुछ जगह अलग अलग समस्यायें बतायीं. कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने खांडू की बात कही।

(व्यवधान)

क्षय रोग की बात अभी बताता हूं। आपने कहा कि बांसवाड़ा में डॉक्टर्स की कमी है। यह बात सही है कि बांसवाड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है. बांसवाडा जाने के बाद तो डॉक्टर वहां राजी रहते हैं वहां रहने को खुश रहते हैं लेकिन दूरी की वजह से पहले जाते नहीं हैं। एक एनेस्थीसिया के लिए वहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बड़ी कमी महसूस हुई। हमने दो डॉक्टरों को पोस्ट किया। उन्होंने नौकरी छोड़ने तक का तय कर लिया लेकिन वहां जाना मंजूर नहीं किया। हमने वहां के लिए तय किया है कि कोई रिटायर्ड एनेस्थीसियन भी मिल जाय तो उसको वहां पर एंगेज कर दें ताकि वहा ऑपरेशन करने वगैरह में सहूलियत हो जाये। इसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं।

दूसरी बात है कि राजस्थान में बहुत ही दूरदराज के इलाके होने की वजह से, आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से डॉक्टर्स की उन स्थानों पर निश्चित तौर पर कमी रहती है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया हम प्रयत्नशील हैं। ज्यों-ज्यों डॉक्टर सलेक्ट होंगे, उनको भेजने की कोशिश करेंगे।

श्री बहादुर सिंह: मंत्री महोदय, आबापुरा ग्राम पंचायत में डिस्पेन्सरी खोलने के लिए निवेदन किया था, उसके सम्बन्ध में मुझे बता दीजिए। वहां विस्थापितों की चिकित्सा के हिसाब से खांडू डिस्पेन्सरी हट जाने की वजह से बड़ी तकलीफ है। वह एरिया बहुत दूर पड़ता है, 5 पंचायतों के बीच में आबापुरा गांव हैं, सैन्टर का एरिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आबापुरा का नाम लिख रखा है। मैं इसके लिए सी. एम. एच. ओ. बांसवाड़ा से रिपोर्ट मागूंगा जैसा आपने फरमाया, वह पोजीशन वहां पर है कि बीस-बीस मील की डिस्टेन्स में कोई व्यवस्था नहीं है और आदिवासी लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है। हालांकि यह एक पार्टी गवर्नमेण्ट है फिर भी राजस्थान का मंत्री होने के नाते मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको यह सुविधा प्राप्त हो।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : पार्टी गवर्नमेंण्ट का क्या मतलब है, स्पष्टीकरण दें मंत्री महोदय।

श्री सभापति : यह तो आपको स्वयं मालूम है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : हमको मालूम नहीं है। गवर्नमेंण्ट इज गवर्नमेण्ट, इसमें पार्टी या व्यक्ति विशेष का प्रश्न नही है।

अनेक माननीय सदस्य : पार्टी से गवर्नमेंण्ट बनती है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: कौन सी पार्टी?

एक माननीय सदस्य : इन्दुमती का कुनबा .....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सोजत से आने वाले माननीय सदस्य, एक तरफ पूरी पोस्टें भर रहा हूं इसके लिये कोशिश कर रहा हूं, ऊपर से भानुमती का कुनबा....

एक माननीय सदस्य : इन्होंने भानुमती नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : मैंने इन्दुमती का कुनबा कहा।

श्री खेतसिंह राठौड़ विरोधी दल के माननीय नेता महोदय; आप से निवेदन करूंगा जो अलवर से आने वाले आपके माननीय सदस्य हैं उन्होंने फरमाया कि गारत हो रहा है डिपार्टमेंट। मैं तो यह समझ रहा था कि यह मेरे को धन्यवाद देंगे एक हफ्ते पहले तो मैं इनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग का उद्घाटन करके आया हूं, इनके वहां पर डिस्पेन्सरी खोली है उसके लिए तो कुछ इन्होंने कहा नहीं और पूरी नाराजगी...,

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उद्घाटन तो सीकर में भी कर दिया। उद्घाटन करने तो सीकर में भी पधारे थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान, मैं आप से निवेदन करूंगा कि जहां कहीं अच्छा काम हो थोड़ा सा अपने साथियों से कहिये कि वे कहीं-कहीं प्रशंसा भी करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर में भी कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सीकर में कल मुख्य मंत्री गये थे। आप तो यहां थे आप पधार नहीं सके, अगर आप वहां होते तो और रौनक रहती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं वहां रहता तो मुख्य मंत्री वहां जाते नहीं, इसलिए मैं यहां रहा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक्स-रे के बारे में सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि एक्स-रे मशीन तो है लेकिन एक्स-रे फिल्म की कमी है। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट से यह कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल हैड क्वार्टर हैं, वहां पर जिस तरह से यहां मेडिकल कालेज में या बड़े हास्पिटल के अन्दर एक "सेल्फ

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आटो फाइनेंसिंग स्कीम" लागू की है, जिससे जो पैसा लगता है, उसी पैसे को लेकर वापस वह लगा देता है उनके पास में रिवाल्विंग फण्ड हो उसी तरह की स्कीम लागू करें जिससे प्लेट्स आती रहे, लोगों को तकलीफ भी न हो उनको बाहर भी नहीं जाना पड़े। इस बात की मेरे पास कई स्थानों से शिकायत आयी है कि जान - बूझकर कई जगह डाक्टर्स एक्स-रे मशीनों को खराब कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं ताकि मरीज बाहर जाकर दूसरी क्लिनिक या दूसरी एक्स-रे मशीन जहां पर लगी हुई है. वहां से एक्स-रे करवाये। उनमें उनकी भागीदारी होती है। हमने इसके लिए यह प्रयत्न किया है कि ऐसे व्यक्तियों को एन्गेज करें जो जाकर मशीन को देखेंगे कि यह जान - बूझकर खराब की गयी है या वाकई इसमें खराबी हुई है। इस को देखने का भी प्रयत्न करेंगे। यदि इस तरह के मामलों में कोई लोग पकड़े गये तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की हम कार्यवाही करेंगे।

झालरापाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप सब सेंटर्स किस तरह से खोलेंगे उसके लिए मैंने आप से निवेदन कर दिया कि यह गाइड लाइन के हिसाब से खोलेंगे। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दूर-दराज के इलाके हैं, लम्बी डिस्टेन्सेज हैं, वहां पर मेहरबानी करके चिकित्सा सुविधा ज्यादा देने का प्रयत्न करें। कई दफा मरीज को लाते-लाते ही रास्ते में डैथ हो जाती है। यह बात मैं मानता हूं कि मीलों तक कहीं पर कोई सुविधा नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। यह सारी बातें होते हुए हमारे फण्ड की जो पोजीशन है वह मैंने आपको बता दी है. उनमें जितना सम्भव हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगा ताकि आपकी डिफिकल्टीज दूर हों।

नागौर से आने वाले माननीय सदस्य एक तो यह चाहते थे कि जहां 5 हजार की आबादी से कम के गांव हैं वहां पर डिस्पेन्सरी और औषधालय दोनों हो, तो आपकी क्या व्यवस्था होगी। हमने एक निर्णय लिया है, दूसरे मैं मेरे माननीय सहयोगी मंत्री जो औषधलय से ताल्लुक रखते हैं, से बातचीत करूंगा। हमारा यह प्रयास जरूर है कि जहां औषधालय और डिस्पेन्सरी दोनों हैं वहां से तो औषधालय को शिफ्ट किया ही जाना चाहिए इस दृष्टि से कि दूसरे गांवों को भी सुविधा मिले जहां पर, मान लीजिये पापुलेशन ज्यादा है कस्बे की पापुलेशन 7 हजार है या 5 हजार से ऊपर है व वहां पर औषधालय और डिस्पेन्सरी दोनों रहे तो भी उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिये। जहां डिस्पेन्सरी छोटे गांवों में आ गई है और वहां पर औषधालय भी है, मैं चाहूंगा, निश्चित तौर पर मेरे साथी भी इसको एग्री करेंगे, और ज्यादा गांवों को सुविधा मिले इस दृष्टि से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। एड पोस्ट, डिस्पेन्सरी वहां से हटा देंगे और दूसरी जगह स्थानान्तरित कर देंगे....

श्री महाराम चौधरी : एक गांव में एक सुविधा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक गांव में एक सुविधा।

गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि डाक्टर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ज्ञान प्रकाश को कैसे लगा दिया जब कि आपकी डी० पी० सी० नहीं हुई। यह तीनों डाक्टर बराबर के हैं, डाक्टर ज्ञान प्रकाश डाक्टर माथुर और डाक्टर जगदेव। सीनियोरिटी के हिसाब से सीनियर मोस्ट डाक्टर ज्ञान प्रकाश हैं। उनकी सी. आर. बेस्ट है। कुल मिलाकर के उनका ही हक था। और जिनका हक था, उन्हीं को हमने हक दिया है।

श्री घनश्याम तिवारी : यानि और दोनों की खराब है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं बेस्ट है, खराब के लिये मैंने कहां कहा। खराब तो मैंने नहीं कहा। रिपोर्ट सबकी अच्छी है, सबको प्रमोशन मिलेंगे लेकिन जो सीनियर मोस्ट हैं और जिनके खिलाफ कोई खराब रिपोर्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर उनको प्रमोशन मिलना चाहिये। इसी दृष्टि से डाक्टर ज्ञान प्रकाश को डायरेक्टर बनाया गया है। मैं समझता हूं किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

श्री माला राम (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैं एक बात....

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें माननीय सदस्य।

श्री मालाराम : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में शह पुरा गुवार में एक एड-पोस्ट थी उसको 1980 के अन्दर वहां से हटा दिया गया। अब वहां दूसरी कोई सुविधा नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपने बीच में प्रश्न उठाया है मैं इसको देखूंगा, आपकी खुली हुई डिस्पेन्सरी बन्द क्यों हुई ?

(6.42 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मालाराम : डिस्पेन्सरी खुली हुई है,

श्री खेतसिंह राठौड़ : खुली हुई डिस्पेन्सरी आम तौर से बन्द नहीं होनी चाहिये।

श्री मालाराम : एडपोस्ट है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एडपोस्ट है तो भी बंध नहीं होनी चाहिये। हमारी मन्शा है हमारा राज्य जन-कल्याणकारी राज्य है उसी दृष्टि से हम यह चाहते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। उसी दृष्टि से हम यह भी नहीं सोचते हैं कि यह किसकी कन्स्टीट्यूएन्सी है या किसी की नहीं है; आपका नजरिया, जिस वक्त मे आप पावर में आये थे तब यह जरूर रहा था। खासतौर से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, जो उस वक्त एज्यूकेशन, सिचाई पावर और सब मिनिस्टर्स थे उनके पास बड़े पोर्ट-फोलियो थे। उन दिनों में जाते जाते हमने कुछ स्कूल जहां जो गांव डिजर्व करते थे वहां पर मंजूर करके एक लिस्ट निकाली थी। श्रीमन् ने आते ही उस पूरी की पूरी लिस्ट को केन्सिल कर दिया। यानी 3 सौ से ऊपर स्कूल थे उनमें से एक स्कूल किसी गांव में नहीं रखा। सब नये गांव हाथ में ले लिये। श्रीमान्, यह आपका दृष्टिकोण था उसी से आपने काम किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके क्षेत्र में कितने खुले।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे क्षेत्र में तो तो उस वक्त में खुले थे। उसका मुख्य कारण यह था कि आपने एक क्राइटेरिया बनाया था उस क्राइटेरिया में स्कूल आते थे। आपने क्राइटेरिया बनाया था लेकिन स्कूलों की पहले जो लिस्ट निकाली थी वह पूरी की पूरी कैंसल कर दी। आज आप हम पर चार्ज लगाते हैं कि जानबूझ कर कर रहे है।....

श्रीमन्; अलवर से आने वाले माननीय सदस्य के राजगढ़ के अन्दर डिस्पेन्सरी खुल गई। उन्होंने कहा, आपको मालूम पड़ा कि राजगढ़ का एम. एल. ए. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है इसलिए राजगढ़ से हटाकर अपने बानसूर ट्रांसफर कर दी. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने तो एक डिस्पेन्सरी ही की है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और अपने क्षेत्र में

श्री खेतसिंह राठौड़ : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य, यहां पर उपस्थित नहीं हैं इसलिये मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी यहां से उधार गये हैं इसका मतलब यह है कि उन्होंने बात सीरियस से नहीं कही होगी इसलिये वे चले गये। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी चले गये हैं। दीगोद के माननीय सदस्य ने एक चार्ज लगाया और कहा कि फार्मासिस्ट कौंसिल वाले ने 5 लाख रुपया एकत्रित किया है। पता लगाया तो मालूम हुआ है कि इन्डियन कौन्सिल वालों को भवन बनाने के लिये 5 सौ रुपये के हिसाब से कोई चन्दा इकट्ठा किया है। अगर उसमें भी कोई गड़बड़ी हो तो आप कृपापूर्वक मुझे लिखित में दीजिये। जिससे आप जांच कराना चाहेंगे उससे मैं जांच कराऊंगा। और कोई भी गड़बड़ करने वाला है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सी0 एम0 एच0 ओ0 के बारे में कहा कि वह बीमार रहते हैं। हम भी इनके बारे में सोचते रहे हैं। अभी एक अभियान चल रहा रहा है, यह अभियान ज्यों ही समाप्त हो जायगा उसके बाद हम कार्यवाही कर लेंगे। यह अभियान इसलिये चलाया है कि आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है अगर हमने उस पर कन्ट्रोल नहीं किया तो आप निश्चित मानिये कि चाहे बीस सूत्री कार्यक्रम हो चाहे कोई भी योजना क्यों न हो, वह कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसलिये हमने एक अभियान के रूप में स्वेच्छा से नसबन्दी कराने के लिऐ महिलाओं और पुरुषों को प्रोत्साहित करने के लिये एक कार्यक्रम रखा है जिससे वह अपना आपरेशन करवायें और ज्यादा औलाद न हो, उनका भविष्य सुधरे, उनके बच्चे भी अच्छी तरह से फले- फूलें, ठीक तरह से वह अपना जीवन निर्वाह करें, इसी दृष्टि से यह अभियान चलाया है। मुझे विश्वास है कि इस अभियान में सारे सदन के माननीय सदस्यों, खास तौर से विपक्ष के नेता महोदय भागीदार बनेंगे और इस अभियान को कामयाब करने में सफल करने में सहयोग देंगे जिससे राजस्थान में सबका हित हो। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं समझता हूं मैंने कई बात निवेदन की हैं। कई ऐसे मुद्दे रह गये है जिनके बारे में मैं यहां नहीं कह सका हूं। जिन कटमोशन का जवाब अगर यहां नहीं दिया तो....

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : विधायक नगर की डिस्पेन्सरी के बारे में -

श्री खेतसिंह राठौड़ : विधायक नगर की डिस्पेन्सरी के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि विधायक नगर में हम डिस्पेन्सरी एक गैराज के अन्दर चला रहे हैं माननीय सदस्यों की भावना है, माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं कि गैराज में डिस्पेन्सरी चले इसलिए हमने एक लाख रुपये का प्रोविजन किया है उससे एक भवन बनवा देंगे।

इन शब्दों के साथ में मैं चाहूंगा कि कृपा करके....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : भवानी मंडी में लेडी डाक्टर नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मांग मन्जूर करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ में खराब हुई मशीनों और भवानी मण्डी में लेडी डाक्टर नहीं है। उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की है। झालावाड़ जिले के बारे में एक शब्द नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो जो कट-मोशन्स आपने दिये हैं, इस सम्बन्ध में मैंने मोशन्स पूर्व में भी निवेदन कर दिया था कि कि हर कट मोशन का जवाब माननीय सदस्यों को लिखित में उनके घर पर भेजूंगा

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दे रहा हूं माननीय सदस्यों को।

श्री बालचन्द्र आर्य : पहले कुछ पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। श्री बालचन्द्र आर्यवीर संक्षेप में

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डग और भवानी मण्डी में लेडी डाक्टर और डाक्टर नहीं है। भवानी मण्डी की आबादी 25 हजार से ऊपर है। जहां एम्बूलेन्स की आवश्यकता है क्या वहां आप इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे झालावाड़ में कई एक्स-रे मशीनें है जो खराब पड़ी हैं....

श्री अध्यक्ष : इस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, अस्पष्ट कोई मसला रह गया हो तो उसके बारे में आप कहें।

आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय से मैंने पश्चिमी राजस्थान में क्षय रोग, यानी टी0 बी0 की बीमारी जिस तरह बढ़ रही है, उसकी रोकथाम के लिये निवेदन किया था।

दूसरा, मैंने यह निवेदन किया था कि कैंसर की रोकथाम और डिटेक्शन के लिए एस. एम. एस. हास्पिटल में जिनीय एक्सीलरेटर मशीन, कोस्केन्ट और बॉडी स्केन की व्यवस्था करने का आपका क्या विचार है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन धर्य रखो।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय-मैंने विशेष रूप से मंत्री

(श्री अनंग कुमार जैन)

महोदय से दो प्रश्न पूछे थे कि झालावाड़ जिला चिकित्सालय की 30 वर्षों से वही स्थिति चली आ रही है, उसको क्या, मंत्री महोदय क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

दूसरा, मेरा निवेदन यह था कि 2-2 वर्षों से जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट्स खाली चल रही हैं, क्या राज्य सरकार का उनको भरने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम ।

श्री मालाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न की ओर स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, खेतड़ी क्षेत्र में ठिकाने के टाइम से अस्पताल में एक्स-रे मशीन थी उस मशीन को डिपार्टमेन्ट ने आज तक सुधार कर नहीं भिजवाया ।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल !

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने मंजूर किया गत वर्ष राजगढ़ अन्दर के रेफरल हास्पिटल के आदेश प्रसारित हो गये थे । उस समय जो स्वास्थ्य मन्त्रीजी थे, श्री बद्रीप्रसादजी गुप्ता, वे वहां से उस हास्पिटल को हटा करके अपने चुनाव क्षेत्र वान्सूर ले गये थे । क्या मन्त्री महोदय यह उचित नहीं मानते कि इस समय राजगढ़ के अन्दर रेफरल हास्पिटल होना चाहिये ? क्राइटेरिया के अनुसार जो रेफरल हास्पिटल हुआ या उसकी पुनः स्थापना करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : संक्षेप में बिलकुल संक्षेप में ।

जयपुर में जो वर्तमान व्यवस्था है इसको देखते हुए, रोगियों की भारी संख्या को देखते हुए कई सालों से जिला अस्पताल खोलना प्रस्तावित है । जिला अस्पताल खोलने के बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ भी नहीं कहा । मैं कहना चाहूंगी, आप क्या करने वाले हैं ? एक तो यह बता दें दूसरे, वर्तमान में जहां जनाना अस्पताल स्थित है बिलकुल उसके साथ में हो लगा हुआ है जनाना अस्पताल का एक और भवन जिसमें जनाना अस्पताल की सुपरिन्टेडेन्ट रहती हैं तो क्या जनाना अस्पताल को और बढ़ाने के लिये भूमि या तो पुलिस लाइन से लें........

श्री अध्यक्ष : वह तो आप देख लेंगे कहां से भूमि लेनी है । आपने सुझाव दे दिया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसको बढ़ाने के लिये कोई विचार रखते है ? इन दो बातों के बारे में कहना चाहूंगी । बाकी जो मेरे कट मोशन हैं उनको आप ...

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़ !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । अब मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं दो-तीन प्रश्न करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन विषयों के सम्बन्ध में यहां पूर्व में चर्चा नहीं हुई है ।

(श्री अध्यक्ष)

वह नये विषय नहीं उठायें। स्पष्टीकरण के लिये अवसर दिया जा रहा है। क्योंकि चर्चा समाप्त हो चुकी है एक तरह से इसलिए माननीय सदस्य थोड़े में यदि कोई शंका रह गई हो तो उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रेफरल हास्पिटल के लिये कहा, हमारा जो इलाका है वह पहाड़ी इलाका है। डेढ़ तहसील मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में आती है। मन्त्रीजी सुन नहीं रहे हैं डेढ़ तहसील मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में आती है, सारा पहाड़ी इलाका है। अध्यक्ष महोदय सौ मील के एरिया में कोई रेफरल हास्पिटल नहीं है। एक दूसरा एडीशनल डाइरेक्टर की पांच पोस्टें लम्बे अर्से से रिक्त पड़ी हैं उनके बारे में आपने चर्चा नहीं की या तो उनको भरिये। उनकी जगह डिप्टी डाइरेक्टर्स लगा रखे हैं। या तो उन पदों को भर या फिर उनको निरस्त कीजिये ताकि डाक्टरों में असन्तोष नहीं हो। तीसरा मेरा प्रश्न यह था कि विद्यार्थियों की भर्ती होने में डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें अनियमिततायें बरती जाती हैं उसके लिए एक पालिसी रखिये। कोई भी अधिकारी हो.... •

श्री अध्यक्ष : रिपीटिशन नहीं होगा दुबारा, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : पांच पांच साल के लिए पालिसी बनाई जाय।

(व्यवधान)

एक जगह एक डाक्टर रहता है उसके लिए पालिसी बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री यदुनाथ सिंह। इधर से मेरी दृष्टि हट गई।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जितने अन्धे हैं उनके आधे अन्धे हमारे देश में हैं। अन्धेपन का कारण विटामिन ए की खुराक की कमी होना है। हमारे देश में अन्धापन कम हो खास तौर से रूरल एरिया में बहुत अन्धेपन के केसेज हैं इसके लिए सरकार के सामने कोई प्रोग्राम है क्या ? नम्बर 1 नम्बर–2, अध्यक्ष महोदय, हास्पिटल्स के बारे में, बेड्स के बारे में, नर्सेज के बारे में, डाक्टर्स के बारे में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पापुलेशन के हिसाब से डिस्पेन्सरीज हैं

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आया हुआ है कई तरीके से मन्त्री जी को सुनें।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह !

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 1977 में जब आपकी सरकार थी तब आपने कई डिस्पेन्सरीज और एडपोस्ट खोली थी। उसके बाद में जनता सरकार ने वह बन्द कर दी थीं। आपके निर्णय को एग्जीक्यूट नहीं किया ...

श्री अध्यक्ष : अब उस जनता सरकार का उत्तराधिकारी कौन है यहां।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : यही सरकार है।

श्री यदुनाथसिंह : सभी हैं।

श्री अध्यक्ष : जनता पार्टी है तो आपकी हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा, क्या अब उनकी ऐसी इच्छा है कि उस निर्णय को इम्प्लीमेन्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूसिंह !

श्री भैरूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्सान की बढ़ती हुई आबादी को घटाने के लिये ...

श्री अध्यक्ष : भूमिका न बांधिये। आपको कोई शंका रह गई हो तो उसको थोड़े में तत्काल कह दीजिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह था कि माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कोई इस तरह की बात नहीं कही कि मच्छरों की जो लगातार आबादी बढ़ती जा रही है उसकी रोकथाम के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल और श्री चतुर्भुज।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी तहसील के अन्दर शाहपुरा में एक्स-रे मशीन है, उसमें कुछ सामान की कमी है वह कमी निकाली जाय। दूसरा, मेरा निवेदन है कि तहसील के अन्दर लेडी डाक्टर के वास्ते हमने बार-बार एप्लीकेशन दी। एक दो बार आर्डर भी हुए, तो वह चार पांच दिन बाद वापस चली गई। इस वास्ते मेरा निनेदन है कि शाहपुरा के अन्दर लेडी डाक्टर सदैव रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : दो मिनट। मेरा निवेदन है, शाहपुरा में पचास साल पहले दो डाक्टर थे तब से दो डाक्टरों की पोस्ट अभीतक चली आ रही है। कम से कम चालीस-पचास गांवों के मरीज आते हैं उन दो डाक्टरों को रोटी खाने की फुरसत भी नहीं मिलती है। इस वास्ते एक डाक्टर की पोस्ट और बढ़ाई जाय। म्हारे फूल्यो के मायने डाक्टर दो साल की छुट्टी गया ट्रेनिंग में, तो अस्पताल सूना हो गया। इस वास्ते फूल्यो में डाक्टर की पोस्ट जल्दी कायम की जाकर भरी जावे। म्हारे गांव कनेशनकलां में भी चार महीने से जगह खाली है उसको भरा जाय।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री देवीलाल : इस बजट का स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडाराय सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा थोड़ा स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक शंका है। इस शंका पर थोड़ा विचार करने के लिये सुझाव देना चाहता हूं। सारी डिमाण्ड पर हमारा नम्बर नहीं आया और एक डिस्ट्रिक्ट से तीन-चार माननीय सदस्यों को अवसर दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक भी माननीय सदस्य को भी अवसर नहीं दिया। हम डिमाण्ड पर भी नहीं बोल पाते। स्वास्थ्य मन्त्रीजी और आयुर्वेद मन्त्रीजी पश्चिमी राजस्थान के हैं आपको पश्चिमी राजस्थान ही दिख रहा है तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे भी डिस्ट्रिक्ट का कोई न कोई विकास तो होना ही चाहिये। आप सुनना भी नहीं चाहते तो

(श्री चतुर्भुज)

हमारा क्या होगा ? हमको मौका मिलना चाहिये। डिस्ट्रिक्टवाइज माननीय सदस्यों को दो दो मिनट मिलने चाहिये। सभापतिजी पश्चिमी राजस्थान के हो गये, घर का नगारा और बजाने वाले भी घर के, ऐसा मालूम हो रहा है। इस पर कन्ट्रोल होना चाहिये। इसके बारे में मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया था।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि मेरे इलाके में आंखों का जो अच्छा अस्पताल है उसमें एक जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट क्रिएट की जाय। आपने अपने रिप्लाई में उसका जवाब नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मौके पर इसकी घोषणा करेंगे कि जिस जिस जगह एक-एक पोस्ट खाली पड़ी है उस को भरेंगे। परसों की तारीख में 113 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। इतना अच्छा अस्पताल है उसमें किस अधिकारी का ट्रान्सफर करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्वास्थ्य मन्त्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, हम भाषण तो नहीं करेंगे....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हम भाषण तो नही करेंगे, पाइन्टेड प्रश्न करेंगे। भाषण नहीं करेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि आये दिन कोटा में एक्सीडेन्ट होते हैं, क्या वहां पर इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना करने की कृपा करेंगे ? दूसरा....

श्री अध्यक्ष : अभाव अभियोग का अवसर नहीं है। माननीय सदस्य, यह कमी तो पूरे राजस्थान में है। कोई शंका हो तो उसके बारे में पूछ हो तो। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, विस्तृत चर्चा नहीं होगी। श्री चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो बैड्स अस्पतालों में हैं, वहां जो पेशेन्ट्स आते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या आप कोई अगले वर्ष में नीति निर्धारित करेंगे, बैड्स की संख्या बढ़ायेंगे। ऐसी प्रक्रिया अपनाने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अब तक की मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ताक में रख कर राज्य सरकार की ओर से मेडिकल कालेजों में लड़कों का नॉमिनेशन किया है, जैसे आपने श्रीनगर में नोमिनेशन किया तो राजस्थान में लड़कों का हक मार कर नामिनेशन किया है। यह सन् 81 में और 82 में किया। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ऐसा एक प्रदेश होगा हिन्दुस्तान जहां स्टूडेन्ट्स चाहते हैं मेडिकल कालेज में एडमिशन मिले श्रीनगर।

श्री अध्यक्ष : देश में भावात्मक एकता के लिये ....

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, भावात्मक एकता ठीक है, राजस्थान के स्टूडेन्टस् तो सफर करें उसमें भावात्मक एकता ....

श्री अध्यक्ष हां वह कहां तक सफर करे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक तो मैं यह जानकारी करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी और करना चाहता हूं। क्या यह सही है इस बार दवाइयों के लिये जो टेन्डर इनवाइट किये जा रहे हैं उन टेन्डर के इनवाइट करने में विलम्ब हुआ है, उसका परिणाम यह निकलेगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आपको अप्रेल के एण्ड तक तय करना होगा जिसके कारण दवाइयां अप्रेल और मई में नी मिलने वाली हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, अब मैं समय नहीं दूंगा। मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्षय रोग की वृद्धि के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि पहले डेजर्ट में क्षय रोग कम होता था पर अब जांच से ऐसा मालूम हुआ है कि डेजर्ट के इलाके में भी क्षय रोग बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि लगातार पिछले पांच वर्षों से अकाल की स्थिति होने से लोगों की माली हालत ऐसी हो गई है कि जो खाने को खुराक मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं किन्तु क्षयरोग वहां पर बढ़ा जरूर है। जैसा, श्रीमन्, आपको तो मालुम है प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे राष्ट्र को दिया है उसके तहत क्षय रोग निवारण के लिये हमने जांच शुरू कर दी है स्थान स्थान पर हमने यह मालूम किया है कहां पर कितने क्षय रोगी हैं। क्षय रोग का इलाज बड़ा लम्बा होता है 19 महीने तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं, आम तौर पर रोगी कुछ महीने दवा ले लेता है ज्यों ही उसकी खासी बन्द हो जाती है, बलगम आना बन्द हो जाता है वह समझ लेता है मैं ठीक हो गया हूं लेकिन कुछ रोज के बाद वापस से वह बीमारी फैल जाती है इसलिये इसकी जानकारी देने के लिये हमने डिपार्टमेन्ट को हिदायत दी है। लोगों का पूरा इलाज होना चाहिये। और पूरा कोर्स हो ताकि वह इस डिसीज से छुटकारा पा सकें।

श्रीमन्, झालरा पाटन या झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे जिला चिकित्सालय में डाक्टर्स की बहुत कमी है।

(व्यवधान)

आपके यहां पर कनिष्ठ विशेषज्ञ के स्वीकृत पद सात है और उन पर कार्यरत पांच हैं, दो रिक्त स्थान हैं। सहायक शल्य चिकित्सक के स्वीकृत पद 9 हैं, कार्यरत सात हैं और दो स्थान रिक्त हैं। महिला चिकित्सक के चार हैं स्वीकृत पद उनमें से दो का शायद पी०जी० के लिये सलेक्शन हो गया है इसलिये दो पद रिक्त हो गये। उनमें से एक की पूर्ति जल्दी ही कर दी जायेगी। कुल मिलाकर आप जैसी

(श्री खेतसिंह राठौड़)
सोचनीय स्थिति बताते हैं वैसी स्थिति झालावाड़ में नहीं। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक्स-रे मशीन खराब है। मशीन कितने अर्से से खराब पड़ी है। उसको ठीक कराने की कार्यवाही की जायेगी। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां परसे रेफरल हास्पिटल हटा दिया गया, क्या रेफरल हास्पिटल मन्जूर करने की कोई योजना है। फिलहाल तो कोई योजना नहीं है लेकिन मेरी सिम्पैथी इनके साथ है। जयपुर देहात से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप जनाना अस्पताल के लिये क्या कर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल के पीछे जो लेडी डाक्टर्स रहती हैं उनकी बिल्डिंग के और अस्पताल के बीच में काफी जमीन पड़ी हुई है। उसका क्या यूज कर रहे हो। इसके बारे में जैसा कि आपने बजट स्पीच में सुना, पांच लाख रुपये का प्रोविजन किया है। हमारी मंशा यही है कि जगह को यूटिलाइज करके वहां पर बिल्डिंग बनायी जाय जिससे कुछ प्राब्लम साल्व हो सके। गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, प्लीज।

श्री खेतसिंह : एक्सप्लेनेशन तो, श्रीमन् कब तक चलेगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला अस्पताल के बारे में बोला था, जयपुर की बर्निंग समस्या है। आप उस पर ध्यान देंगें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपके एडीशनल डायरेक्टर के स्थान रिक्त पड़े हैं। यह पद रिक्त तो नहीं है लेकिन हम जल्दी ही डी० पी० सी० करवा रहे हैं। डी० पी० सी० होते ही उन पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां कर दी जायेंगी। मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मलेरिया बढ़ रहा है; मलेरिया के लिये 50 प्रतिशत व्यय तो भारत सरकार करती है 50 प्रतिशत हम हम करते हैं। मलेरिया के जर्म्स भी ऐसे हो गये हैं कि मामूली दवाई तो छिड़कने से तो उन पर असर ही नहीं होता है। फिर भी हमारा प्रयत्न यह है कि मलेरिया की रोकथाम को जाय। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके वहां पर लेडी डाक्टर की कमी है। जैसा कि यहां अपने उत्तर में निवेदन किया, 65 लेडी डाक्टर्स की एप्लीकेशन्स आयी हैं और हम एडहाक एपाइंटमेंट दे रहे हैं। उनमें से आपके वहां पर लेडी डाक्टर लगा दी जायगी। देवली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व और पश्चिम भाग में भेद रखते हैं। श्रीमन्, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कोई भेद नहीं होगा। आपका अवश्य ख्याल रखा जायेगा। लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां पर आंखों के डाक्टर की कमी है। आप एक जूनियर स्पेशयलिस्ट चाहते हैं। वहां पर जो पद है वह सी. ए. एस. डाक्टर का है। आपने जिस डाक्टर के लिए कहा, पी. जी. वह जूनियर स्पेशलिस्ट है, वह वहां नहीं लग

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सकता। कोई सी. ए. एस. डाक्टर लगाने के लिए हम प्रयत्नशील है, और हम लगा देंगे।

एक माननीय सदस्य : आप पोस्ट चेन्ज कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पोस्ट चेन्ज होना जरा ठीक नहीं रहेगा। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा भीमसिंह हॉस्पिटल 500 शैयाओं का अस्पताल है। कोटा बहुत बड़ा जिला है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने तो जनरल बात कही थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनरल जो आपने कहा, जहां पर पेशेन्ट का नम्बर बढ़ता हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको शैयाएं बढ़ानी चाहिये। आपके और मेरे विचार में कोई अन्तर नहीं है। पर द्रव्य, जिसको आपने कहते हैं धन, की पूर्ति होने पर इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मान्यवर, इसमें अभी थोड़ी कमी है।

विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने दो प्रश्न उठाये हैं। एक तो उन्होंने कहा, जो छात्र लिये गये हैं काश्मीर भेजे गये हैं, उनका नोमिनेशन किस आधार पर किया है। श्रीमन्, आपने स्वयं पहले यह निर्णय फर्माया था, आपका ही यह आदेश था, कोई नया प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। यह प्रश्न है बिलकुल नया। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं निवेदन कर देता हूं कि हमने इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती है। यह मैं आपको निवेदन कर सकता हूं। जैसा आपने कहा, एक-दो केन्डीडेट हैं कोई दिल्ली का था उसको भी सलेक्ट कर लिया है। इसमें तो ऐसी भी कोई बाधा नहीं है। पहले भी ऐसा होता रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले तो आपका ही राजस्थान।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज हमारा और आपका राज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमन्, अगर आप मुझे यह कहते कि 1979, 1977 या 1978 में किस किस को आपने कैसे भेजा तो मैं पूरे फिगर्स लेकर आता। न तो इसके बारे में कोई कटमोशन्स हैं आपके, न कोई ऐसी बात कही। अब आप एवरेटली क्वेश्चन को मेरे सामने रखें, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कहना कि उस वक्त आपने क्या परम्पराएं रखी थीं। मैंने आपसे निवेदन किया था पिछले वर्ष पूछा था तो पिछले वर्ष भी इसी तरह से नामिनेशन हुए थे। अब आप जब भी चाहेंगे आपके पास, मान्यवर, रूल्स की किताब है, आप किसी भी तरह से प्रश्न को उठा सकते हैं। और जब आप उठायेंगे तो मुझे जवाब देना होगा। मैं समझता हूं काफी मैंने बता दिया।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : भवानी मण्डी के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : श्री दिनेश राय डांगी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आयुर्वेद मंत्री जी।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर। माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वहां की महिलाएं लेडी डाक्टर के अभाव में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। उन्होंने कह दिया। आर्डर, आर्डर। अब सबका जवाब आना जरूरी नहीं है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद से संबंधित सदन के माननीय सदस्यों ने करीब 52 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। कई माननीय सदस्य ने इस चर्चा में भाग लिया हैं। मुझे इस बात की खुशी हैं कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद पद्धति और उसके कार्य-कलापों की सराहना की है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूं। मैं उनके किसी विशेष मुद्दों पर उत्तर देने से पूर्व विभाग की जानकारी थोड़ी आपके मार्फत सदन को देना चाहता हूं। राजस्थान जिस समय बना तब आयुर्वेद विभाग के पास केवल 340 चिकित्सालय औषधालय और 100 रोगी शैयायें थीं। और केवल 15 लाख का बजट था। आज 2600 चिकित्सालय/औषधालय और 825 रोगी शैयायें है और बजट भी करीब 9-10 करोड़ का बनाया गया है। राजस्थान के दूरस्थ स्थानों पर जहां एलोपैथी के डाक्टर्स नहीं जा सकते हैं वहां वैद्य, उप-वैद्य, जिन्हें कम्पाउन्डर्स और नर्स बोलते है, जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनकी सेवा यह वैद्य लोग करते हैं। वैसे राज्य के अन्दर भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है जो कि रोगों के निदान के लिए, निवारण के लिए बहुत आवश्यक है। विभाग द्वारा मेलों और उत्सवों पर कई शिविर लगाये जाते हैं। 1982-83 में 132 ऐसे शिविर लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई विशेष बीमारियों, जैसे अग्निमान्दर, नारू, श्वास रोग और नेत्र रोग आदि के भी शिविर लगा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में क़रीब 45 स्थानों पर इस प्रकार के शिविर लगाये हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए ट्राइबल इलाके में ट्राइबल सब-प्लान में खर्चा कर कई शिविर लगाये हैं जिससे उन गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को काफी फायदा हुआ है।

जैसे कई माननीय सदस्यों ने दवाइयों के बारे में अपनी शिकायतें की हैं, बहुत कम दवाइयां बनीं और बहुत कम दवाइयां वितरित की गयी हैं, माह फरवरी के अन्त तक 31.88 लाख रुपये की औषधियों का निर्माण हो चुका है और लगभग 15 लाख रुपये की दवाइयां निर्मित होने की सम्भावना और है। इसी प्रकार माह फरवरी के अंत तक 65.38 लाख रुपये की औषधियां वितरित की जा चुकी हैं तथा इसी माह में 20 लाख रुपये की औषधियां और वितरित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में 8 लाख रुपये की औषधियां औषधालयों में उपलब्ध करा दी जायेंगी।

इस वर्ष विभाग में कम्पाउण्डर्स, नर्स एवं वैद्यों के रिक्त पदों को भी भरा गया इनके 289 पद भर गये हैं जिसके फलस्वरूप आज की तारीख में किसी भी औषधालय में

(श्री दिनेश डांगी)

कम्पाउन्डर, नर्स की जगह रिक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त 23 वैद्यों के पदों को भी इसी माह भरने के मैंने आदेश दे दिये हैं। और भी रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि कुछ सदस्यों ने बताया, औषधालयों में स्टाफ की कमी रहती है। राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र भी है जिसके लिए कोटा जिले से आने वाले माननीय सदस्य, श्री दाऊदयाल जी जोशी ने कहा है' यंत्र तो खरीद लिये हैं लेकिन उन यंत्रों से दवाइयां नहीं बनती। इस तरह की बात नहीं है। अनुसंधान केन्द्र के अन्दर 1975-76 में आन्तरिक ज्वर, जिनको टाइफाइड बोलते है, साइटिका, पक्षाघात आदि की विशिष्ट औषधियों का भी परीक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार से राज्य के मनीराम धनवन्तरि मन्दिर रतनगढ़, चूरू में आयुर्वेद चिकित्सालय में श्वास पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। केन्द्रीय होम्योपेथी परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जयपुर में भी एक क्लिनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित किया गया है। होम्योपथिक चिकित्सा केन्द्र में भी अनुसंधान कार्य चालू है। राज्य में, अध्यक्ष महोदय, 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं। उनमें से एक जयपुर में है जो भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान है, वह सारे हिन्दुस्तान में अव्वल नम्बर का आयुर्वेदिक कालेज है। इसके साथ में अनुसंधान शाला और 120 बेड्स का अस्पताल भी है। इसी प्रकार उदयपुर में राजस्थान सरकार की ओर से एक कालेज चल रहा है। उसके साथ में भी इसी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध है। सीकर, सरदारशहर, सादुंलशहर में इसी प्रकार के आयुर्वेदिक महाविद्यालय अनुदान से चल रहे हैं। इस प्रकार से राज्य के अन्दर कोशिश इस बात की की जा रही है कि आयुर्वेदिक पद्धति बढ़े, आयुर्वेदिक शिक्षा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भारतीय चिकित्सा पद्धति और यूनानी पद्धति से और होम्योपैथिक लाभ मिल सके।

जहां तक रसायनशालाओं का प्रश्न है, मुझे, अध्यक्ष महोदय, विभाग का कार्यभार लिये करीब 4 महीने हो गए। कई लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, मैंने आते ही सबसे पहले इस विभाग के अन्दर कोशिश की है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को दण्ड दिया जाय। माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नों के उत्तर में भी मैंने सदन में कहा था और आपको पता है कि किन-किन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या एक्शन लिये गये हैं। साथ ही रसायनशालाओं के जहां तक प्रश्न है, मैंने आते ही कोशिश की कि रसायनशालाओं के अन्दर श्रमिक बेकार नहीं रहें और अच्छी दवाइयां बनें। वैसे मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की चार रसायनशालायें हैं। एक अजमेर, एक जोधपुर, एक उदयपुर और एक भरतपुर में है। उनमें जो माल बनता है वह बहुत अच्छा बनता है। झण्डु की दवाइयां है उससे सस्ती भी उनकी दवाइयां पड़ती हैं। एलोपैथिक तो बहुत महंगी है। राजस्थान सरकार की इन रसायनशालाओं में अच्छा माल बनता है लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक दवाई के अन्दर 8 तरह के घटक हैं। अगर एक घटक बाजार में नहीं मिलता है तो उसके सात घटक बेकार चले जाते हैं। उसके लिए खरीद मे काफी समय लग जाता है। यही कारण है कि दवाइयां बनने में देरी लगी

(श्री दिनेश डांगी)

श्रीमन्, मोटी मोटी बातें तो यही हैं। इस साल के बजट में हमने 200 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव रखा है। पिछले दो ढाई साल में एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोलने से आयुर्वेद क्षेत्र में बहुत बेकारी रही। जो कॉलेज से लड़के निकले उनको भी जगह नहीं मिली। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद भीलवाड़ा में शिविर लगा था। आयुर्वेद के एक भ्रमणशील चिकित्सा यूनिट की स्थापना की है। इसके द्वारा राजस्थान में जगह जगह शिविर भी लगाये जायेंगे, उनमें असाध्य रोग जैसे अर्शभगन्दर, क्षारसूत्र से इनका इस प्रकार से आपरेशन होता है कि कहीं भी खून आने की सम्भावना नहीं होती। इस प्रकार के शिविर लगेंगे, राजस्थान के जो अनुभवी वैद्य और पंडित हैं उनसे उनमें काम करवायेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी। यहां पर कुछ साथियों ने कुछ व्यक्तिगत बातें भी कही हैं पर सबके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है मेरे ख्याल से।

श्री दिनेश डांगी : एक दो बातें और हैं। अगर आप पर्याप्त समझते हैं,....

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशीजी के चन्द प्रश्नों का उत्तर दे दीजिये उसके बाद में मतदान करवा देता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 20 लाख की दवाइयां खरीदेंगे। आज तारीख 9 है और कल 10 हो जायेगी, तो 10 तारीख से लेकर आने वाले बीस दिनों में क्या माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय, 20 लाख रुपये की दवाइयां खरीद पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : रोजाना एक लाख की खरीदेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री मजीठिया साहब नये नये आये हैं उनसे मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आयुर्वेद मेडिशन्स की खरीद में हमेशा घोटाले हुए हैं, हमेशा चोर बाजारी हुई है और हमेशा लूट हुई है। पिछले महीने अहमदाबाद जाकर लोगों ने मजीठिया साहब की आंखों में धूल झोंककर टी. ए., डी. ए. बनाया है। यह 20 लाख की दवाइयां किस तरह से 20 दिन में खरीद सकेंगे।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि यंत्रों से दवाइयां बनाने का संबंध, माननीय मंत्रीजी, अनुसंधानशाला से है। अनुसंधानशाला वात रोग पर, पक्षाघात पर अनुसंधान कर रही है। वहां यंत्रों से दवाइयां नहीं बनतीं। मेरा आपको चेलेन्ज है कि राजस्थान की चारों रसायनशालाओं में जो 6 लाख रुपये की मशीनरी पड़ी हुई है उसको बिलकुल भी उपयोग में नहीं लिया जाता। आपके यहां गोलियां बनाने की मशीन है, आपके यहां ट्यूब भरने की मशीन है, आपके यहां भस्म बनाने के लिये यंत्र लगे हुए हैं उनका कहीं उपयोग नहीं होता है। पिछले दो साल में आपने बजट लैप्स किया, 600 कर्मचारी बेकार बैठे रहे, 12 गजेटेड आफिसर बेकार बैठे रहे, उनको मुफ्त मे तनख्वाह दी है। मेरा आपके माध्यम से यह पूछना है, क्या अगला बजट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आने से पूर्व विश्वास दिलायेंगे कि इन रसायनशालाओं में उपयुक्त दवाई बना पाये हैं ? और ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, चर्चा शुरू नहीं होगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक मिनट ।

मेरा निवेदन यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को नियुक्ति के अधिकार पदोन्नति के अधिकार, पदावनति के अधिकार न हो, ऐसा कहीं नहीं है । केवल इस आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट में जो डाइरेक्टर हैं, इस पद के ऊपर जो पुराने थे उनके ऊपर कुछ चार्ज थे, इसलिये मान सकता हूं कि उनको अधिकार नहीं दिये गये किन्तु नये जो डाइरेक्टर बनाये हैं क्या उनको उनके अधिकार आप तुरन्त देंगे कि वे नियुक्तियां कर सकें, पदोन्नतियां कर सकें ट्रांसफर कर सकें । एडिशनल डाइरेक्टर को कोई अधिकार नहीं कि वे रोजाना के कार्य में हस्तक्षेप करे । नये जो डाइरेक्टर आप बना दिये हैं उनको विश्वास में लेकर उनके अधिकार क्या आप उनको देंगे और इस साल कितनी रकम लैप्स नहीं होने देंगे ?

श्री अध्यक्ष : डा० उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मुझे एक प्रश्न तो यह पूछना है, यूनानी पद्धति में सैन्ट्रल कौंसिल से जो सम्बद्धता लेनी थी वह नहीं ली गई तो यूनानी पद्धति के इस समय जितने परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं उन लोगों के भविष्य के बारे में आपका क्या चिन्तन है ? बोर्ड उनकी परीक्षा ले सकता है किन्तु उनको प्रमाण-पत्र नहीं दे सकता । जिन्होंने फाइनल की परीक्षा दी है वे क्या करेंगे ? इसके बारे में आपका उत्तर क्या है ।

दूसरा जो आयुर्वेद संस्थान है भारतीय आयुर्वेद संस्थान ...

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद के बारे में तो इस सभा की तरफ से श्री जोशी जी को अधिकृत किया हुआ है । यूनानी के बारे में आप पूछें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दोनों के बारे में पूछ सकती हूं, तीनों के बारे में पूछ सकती हूं । अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दें ।

भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक पद पर वर्तमान में जो बैठे हुए हैं वे पद के उपयुक्त नहीं हैं । उनके बारे में आपका क्या कहना है ? किस तरह से आप उनको अनुमति दे रहे हैं, यहां घूम आओ वहां घूम आओ जब कि उस पद के उपयुक्त नहीं है ? यह प्रश्न यों खड़ा होता है, यूं तो इनको दिल्ली से पैसा मिलता है लेकिन काफी पैसा हम भी देते हैं राजस्थान से । उसमें जो घपले हो रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ सूचना है, कुछ जानकारी है ? किन-किन सब्जेक्ट्स में क्या-क्या करने जा रहे हैं ।

तीसरा मेरा प्रश्न और है आयुर्वेद के जो अपने यहां वैद्य हैं उनके जो वेतनमान हैं मान्यवर अध्यक्ष महोदय, उनसे पशु चिकित्सकों के अधिक हैं । मेरे पास सारा रिकार्ड है । आयुर्वेद के जो छात्र हैं उनको ज्यादा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

समय लगता है पढ़ने में, उनको लगता है 6 साल और कुछ माह और इनको लगता है $5\frac{1}{2}$ साल। आप इनको किस श्रेणी में रखना चाहते हैं? अन्य प्रान्तों में भी वैद्यों के वेतनमान अधिक हैं। क्या आप इस पर विचार करेंगे?

एक अन्तिम बात यह पूछना चाहती हूं, जो होम्योपैथी है इसके पुनर्भरण की व्यवस्था आपके यहां नहीं है। और सारी पद्धतियों के पुनर्भरण की व्यवस्था है केवल होम्योपैथी के पुनर्भरण की व्यवस्था क्यों नहीं है? इन तीनों चारों प्रश्नों के उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह। केवल एक प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं नीति सम्बन्धी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा आप भी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आयुर्वेद औषधालय हैं उनके अन्दर आम शिकायत यह रहती है कि वैद्य नहीं रहते हैं। इसलिये राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की नीति बनायेंगे या नीति बदलेंगे, अभी जो उन पर कन्ट्रोल है डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स का या अन्य अधिकारियों, का क्या उनसे हटा कर आप पंचायत समितियों को देना चाहेंगे जिससे गांव वालों की जो भी शिकायत हो, वैद्य वहां रहता नहीं हो, उसकी पंचायत में या पंचायत समिति में चर्चा हो जाये? इस पर क्या राज्य सरकार विचार करेगी···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक ही बात और पूछना चाहता हूं, जैसी शिक्षा विभाग में कमलाजी ने नीति निर्धारित की है क्या मंत्री महोदय आप भी अपने डिपार्टमेन्ट में ट्रांसफर्स की वैसी ही नीति लागू करेंगे? क्योंकि चार महीने में डूंगिया अस्पताल के राम प्रसाद का 14 जगह ट्रांसफर हो गया···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछ लिया। कृपया बैठ जाये। व्यक्तिगत प्रश्न है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा में यह बात उठाई थी, अधिकतर वैद्य एलोपैथी की दवाइयां काम में लेते हैं। क्या उनको 6 महीने का रिफ्रेशर कोर्स करवाने का कोई आप विचार रखते हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : एलोपैथी कोई पैथी है।

श्री रूपलाल परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला में आदिवासियों के हाथों, पांवों में बाले निकलते हैं। उन बालों का इलाज कराने की आशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ माननीय सदस्यों ने और सवाल पूछे हैं। कोटा के श्री दाऊदयाल जोशी ने कहा है कि 20 लाख रुपये की दवाइयां मार्च के एण्ड तक खरीद सकेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह दवाइयां हमारी रसायनशाला में बन जायेंगी और हम उनको सप्लाई कर सकेंगे। हमारे पास

(श्री दिनेश डांगी)

काफी माल खरीदा पड़ा है जिसके घटक अवेलेबल नहीं थे, वह मिल गये हैं अब दवाइयां बन जायेंगी। इन्हीं दवाइयों के लिये गुजरात से लाने को कहा है। गुजरात का, अध्यक्ष महोदय, हमने प्रपोजल रखा था कुछ घटक भी नहीं मिल रहे थे, कुछ हमारे श्रमिक भी बेकार बैठे हुए थे। हमने यह सोचा उनको भी कुछ कच्चा माल लेकर दे दें। वहां पर सरकारी निगम बना हुआ है जिनकी रेटस हमारे यहां से कम पड़ती है। हमसे ज्यादा नहीं है इसके लिये हमने तकनिकी लोगों की टीम भेजी थी

श्री बाऊदयाल जोशी : टेक्निकल हैण्ड नहीं है उसमें ...

श्री दिनेश डांगी । उनके साथ टेक्निकल आदमी भी थे। वह सारी रिपोर्ट मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है फाइनेंस डिपार्टमेंट आज्ञा दे तो हम इस महीने के अन्त में और भी दवाइयां ला सकते हैं। इन्होंने स्थानान्तरण के बारे में कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जो ट्रांसफर हुए कुल 1073 स्थानान्तरण हुए....

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये। टोटल 5,594 में से 18 प्रतिशत हुए। केवल 537 ट्रांसफर हुए, इफेक्ट होने में डबल हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसके कारण क्या हैं ?

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : कोई नीति निर्धारण करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : निर्धारित नीति के अनुसार हो रहे हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी : रकम लैप्स होगी क्या ?

श्री दिनेश डांगी : सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 6 महीने की कोई एलोपैथी की ट्रेनिंग दिला दी जाय। यह आलरेडी हमारे यहां चल रहा है। जो कॉलेज में पढ़ते हैं 6 साल पढ़ने में लगते हैं और 6 महीने का इन्टर्नशिप है। सारा कार्यक्रम हाथ में है। पहले के कोई गुरुकुल में पढ़े हों जिनको पूरा ज्ञान नहीं हो उन लोगों के बारे में शिकायत हो सकती हैं। ऐसे बहुत कम केसेज मिलेंगे।

जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने तिब्बिया कालेज बारे में पूछा है तिब्बिया कालेज के छात्र मुझ से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से मिले उनको आश्वासन दिलाया है उनकी परीक्षाओं को नियमित करने के लिये जो चेयरमैन हैं इन्डियन मेडिसन बोर्ड के 11 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। उनसे कहलाया है। लैटर लेकर जायें वहां कौंसिल उनकी सहमति ले। इस बीच में हम यहां कोशिश करेंगे राजस्थान सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को हम लिख रहे हैं कि यहां पर आयुर्वेद के साथ-साथ यूनानी की भी एक ऐसी फेकल्टी बन गयी।

(व्यवधान)

आयुर्वेद संस्थान के अध्यक्ष के बारे में। डायरेक्टर के बारे में कहा गया। इस समय एडहाक काम कर रहे हैं।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : योग्यता रखते हैं ?....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज ।

श्री दिनेश डांगी : बीकानेर से आने-वाले माननीय सदस्य ने विभाग के कर्मचारियों के बारे में कहा । मैंने सभी प्रधानों को लैटर्स दिलाये हैं। कहीं भी वैध अनुपस्थित रहता है, किसी की कोई शिकायत है तो प्रधान की मार्फत हमारे विभाग को भेजें, हम कार्यवाही करेंगे ।

आखिरी प्रश्न यह है कि....

श्री अध्यक्ष: अब वे समक्ष गये, कार्यवाही होगी ।

श्री दिनेश डांगी: अध्यक्ष महोदय आज की बहस में 5 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजबहादुर जी, माननीय सदस्य श्री भैरूसिंह गुर्जर गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री मेघराज तावड़, अमवा-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरूलाल भारद्वाज और दाऊदयाल जी जोशी, ने वैद्यों के वेतनमान के बारे में बात कही । वैसे आज तक कम से कम चार-चार बार वैद्य, चिकित्सक और छात्र संघ के लोग मुझ से मिले हैं । करीब 5-6 बार माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले । परसों मैंने स्वयं उनसे सारी बात करके उनको सारी बात समझायी । माननीय दाऊदयाल जी भी साथ में थे मुख्य मंत्री जी के सामने जब बात हुई । राजस्थान सरकार ने सन् 1977 में 21-4-77 को जो बेसिक पे इनकी जब मानी थी उसको जब हमने मान लिया है तो बाद भी धरने पर बैठे हैं।

(व्यवधान)

जब बेसिक पे को मान लिया है उसके हिसाब से पे कमीशन के हिसाब से जो स्केल्स बढ़ते है उसका उनको फायदा मिलेगा। हुआ यह था कि 21-4-77 को जो फैसला किया उसको जनता पार्टी वालों ने नहीं माना और वैरी कमीशन में इस मामले को डालकर कर्मचारियों को गुमराह किया । आज उसी का फल है कि हड़ताल लम्बी चल रही है । बाकी सरकार की मंशा है कि इनको सुविधायें मिले इनके वेतनमान बढ़े । यह मामला मंत्रि मंडल के सामने सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । आसन पैरो पर है कृपया बैठ जाय। माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

मांग का पारण

मांग संख्या 26 का पारण

मांग पर मतदान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोकस्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92 91,83 000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11·00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।
(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.31 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 10 मार्च, 1983 के म.पू. 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 368 की सूचना

परिशिष्ट—"क"

जिला झालावाड़ के छात्रावासों की सूचना

क्र. सं.	स्थान	योजना	छात्र संख्या
1.	झालावाड़	अनुसूचित जाति	45
2.	खानपुर	अनुसूचित जन-जाति	40
3.	झालरापाटन	विमुक्त जाति	39
4.	घोमहला	विमुक्त जाति	21

छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन

1. छात्रों के भोजन, नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन, तेल एवं जूते आदि पर व्यय मेस समिति द्वारा किया जाता है। मेस समिति के खाते में 6 से 8 तक के छात्रों हेतु प्रत्येक छात्र प्रतिमाह 100 रुपये की दर से तथा कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों हेतु 106 रुपया प्रति माह की दर से 9 माह के लिये राशि अनुदान के रूप में विभाग द्वारा दी जाती है।

2. इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को 60 रुपया प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40 रुपया प्रति छात्र पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिया जाता हैं।

3. मुफ्त निवास तथा—

(1) दरी-गद्दा—एक

(2) एक कम्बल

(3) एक तकिया मय दो कवर

(4) एक खेस

(5) एक थाली

(6) दो कटोरी

(7) दो चादर

(8) एक प्लास्टिक मग (बड़ा)

(9) एक चारपाई या तख्ता

(10) सामान रखने हेतु बक्सा

4. कठिन विषयों को पढ़ाने हेतु अंशकालीन अध्यापक (गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषयों हेतु)

5 अंशकालीन चिकित्सक की सुविधायें भी निःशुल्क प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 370 की सूचना आदेश की प्रति व सूची

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाए) अजमेर

कार्यालय—आदेश

निम्नांकित अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:—

द्वितीय वेतन श्रृंखला

क्र. सं. 1	नाम अध्यापिका एवं वर्तमान 2	स्थानान्तरित स्थान 3	कारण 4
1	श्रीमती कंचन जैन, स. अ. रीबा मा. वि., रायपुर	रीबा मा. वि. गुलाबबाड़ी, अजमेर	राज्यादेश से
2.	श्रीमती जयश्री शर्मा, स. अ. राकेबाउ मा. वि. अजमेर	राबा मा. वि. सावर	समायोजन से
3.	श्रीमती सावित्री शर्मा, प्र. अ. राबाउ प्रा. वि. हरमाड़ा	रामो इलबा मा वि, अजमेर	राज्यादेश से
4.	श्रीमती मोहनकुमारी गहलोत, स. अ. रामा इलबा मा. वि., अजमेर	प्र. अ., राबाउ प्रा. वि. हरमाड़ा	समायोजन से
5.	श्रीमती चेरिटी रॉबर्ट, स. अ. रामा इलबा मा. वि. अजमेर	राबाउ मा. वि., नसीराबाद	समायोजन से
6.	श्रीमती सोहिनी दीक्षित, स. अ. राबाउ मा. वि. नसीराबाद	राबा मा. वि आदर्श-नगर, अजमेर	राज्यादेश से

तृतीय वेतन श्रृंखला

1.	श्रीमती बिलकीस खानम, स. अ. राबाउ प्रा. वि. रामसर	राबा प्रा. वि, मदार, अजमेर	राज्यादेश से
2.	श्रीमती कृष्णा माथुर, स. अ. राबा मा. वि. गुलाबबाड़ी, अजमेर	राबाउ प्रा. वि. रामसर	समायोजन से
3.	श्रीमती कमला गांधी, स. अ. राबाउ प्रा. वि. रामसर	राबाउ प्रा. वि. श्री नगर-रोड, अजमेर	राज्यादेश से

4.	श्रीमती रुक्मणी राठौड़, स.अ. राबाउ प्रा. वि. श्रीनगर रोड़, अजमेर	राबाउ प्रा. वि. रामसर	समायोजन से
5.	श्रीमती निर्मला गहलोत स.अ. राबाउ प्रा. वि. देवलियाकलां	राबा प्रा. वि. रामनगर, अजमेर	राज्यादेश से
6.	श्रीमती रीता भगत्यानी, स. अ राबा प्रा. वि. रामनगर, अजमेर	राबाउ प्रा. वि. देवलियाकलां	समायोजन से
7.	श्रीमती शैल माथुर, स. अ राबाउ प्रा. वि. जवाजा	राबा प्रा. वि. सेदड़ा-रोड़, ब्यावर	राज्यादेश से
8.	श्रीमती संध्या रावत, स. अ. राबा मा. वि डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर	राबाउ प्रा. वि. जवाजा	समायोजन से

संबंधित प्रधानाध्यापिका इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर इनका अनुपालना प्रतिवेदन शीघ्र भेजें समायोजन वाली अध्यापिकाओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं समय ग्रहण देय होगा।

Sd-
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र-संस्थाएं), अजमेर

क्रमांक:--जिश/ छात्र/ अज- --+संस्था-1/ का-राज्यादेश/ 82/ 3347--70 दिनांक 10-8-82 प्रतिलिपि निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. शिक्षा सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर।
4. वरिष्ठ, उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाएं) अजमेर।
5. संयुक्त निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जयपुर को उनके द्वारा आज दिनांक 10-8-82 को दूरभाष पर दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रेषित है।
6. संबन्धित प्रधानाध्यापिका पर दिये गये आदेशों की अनुपालन में प्रेषित है
7. निर्देश पंजिका

जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र-संस्थाएं), अजमेर

परिशिष्ट–"अ"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थाएं), अजमेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती संतोष कंवर, स० अ० राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिपलाई वर्तमान में कार्यरत राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पावटा के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पासलपुर के स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं तथा उनका पुनः पदस्थापन राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिपलाई में किया जाता है।

ह०/–
जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्रा संस्थाएं; अजमेर।

क्रमांकः–जि. शि. अ./छात्रा/अ. ज./संस्था-1/फा॰राज्यादेश/82/3320-28 दिनांक 10-8-82 – प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. शिक्षा सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक, (महिला) शिक्षा विभाग जयपुर को उनके द्वारा आज दिनांक 10-8-82 को दूरभाष पर दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रेषित है।
5. वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी; (छात्रा-संस्थाएं) सवाई माधोपुर।
6. प्रधानाध्यापिका; राज॰ बा॰ उ॰ प्रा॰ वि॰ पिपलाई।
7. प्रधानाध्यापिका, राज॰ बा॰ उ॰ प्रा॰ वि॰ पावटा।
8. प्रधानाध्यापिका, राज॰ बा॰ उ॰ प्रा॰ वि॰ पासलपुर।
9. संबंधित अध्यापिका।
10. निर्देश पंजिका।

ह०/–
जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्रा संस्थाएं, अजमेर।

Page No 212

परिशिष्ट–"अ"

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्रा-संस्थाएं), अजमेर–305001

कार्यालय आदेश

श्रीमती रशीदा परवीन, स० अ० राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय उनियारा का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से टोंक शहर में किया जाकर वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) टोंक को निर्देश दिये जाते हैं कि वे टोंक शहर में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाली अध्यापिका का स्थानान्तरण उनियारा कर श्रीमती परवीन का पदस्थापन उसकी जगह करें तथा अनुपालना राज्य सरकार व इस कार्यालय सहित उच्चाधिकारियों को भेजें।

ह०/-
जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्रा संस्थाएं, अजमेर।

क्रमांक:-जि.शि.अ./छात्री/अ.ज./संख्या-1/फा-राज्यादेश/82/3337-44 दि. 10-8-82
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. शिक्षा सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर।
3. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
4. संयुक्त निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग जयपुर को उनके द्वारा आज दि. 10-8-82 को दूरभाष पर दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रेषित है।
5. वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) टोंक।
6. प्रधानाध्यापिका, रा. बा. प्रा. वि. उनियारा।
7. सम्बन्धित अध्यापिका
8. निर्देश पंजिका।

ह०/-
जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्रा संस्थाएं), अजमेर।

———

(213)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाएँ), अजमेर ।

कार्यालय आदेश

श्रीमती भारती मुकर्जी, व. अ. तृतीय वेतन श्रृंखला रा. बा. मा. वि. गंगापुर सिटी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से करौली शहर में किया जाकर वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) सवाई माधोपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे करौली शहर में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाली अध्यापिका का स्थानान्तरण गंगापुर सिटी कर श्रीमती भारती मुकर्जी का पदस्थापन उसकी जगह करें। तथा अनुपालना राज्य सरकार व इस कार्यालय सहित उच्चाधिकारियों को भेजें ।

ह०/–
जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्रा संस्थाएं अजमेर ।

क्रमांक:–जि.शि.अ./ छात्रा/ अ.ज./ संस्था- 1/फा-राज्यादेश/82/ 3329-36 दि. 10-8-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. शिक्षा सचिव, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर ।
3. निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर ।
4. संयुक्त निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जयपुर को उनके द्वारा आज दिनांक 10-8-82 को दूरभाष पर दिये गये आदेश की पालना में प्रेषित है:—
5. वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), सवाई माधोपुर ।
6. प्रधानाध्यापिका रा. बा. मा. वि., गंगापुर सिटी ।
7. संबधित अध्यापिका ।
8. निर्देश पंजिका ।

ह०/–
जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्रा संस्थाएं अजमेर ।

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 93 की सूची

वर्षवार सीलिंग भूमि का कब्जा प्राप्त करने का विवरण

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1966	535
1967	—
1958	—
1969	1223
1970	2389
1971	61076.52
1972	33879.40
1973	37368
1974	56492.64
1975	158780.08
1976	135108.69
1977	17291.47
1978	4164.77
1979	5368.21
1980	18954.22
1981	4614
1982	1466.02

नोट : उक्त सूचना 26 जिलों की है।

———

जिलेवार भूमि का कब्जा लेने की स्थिति

क.सं.	नाम जिला	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
1.	अजमेर	8914.60
2.	अलवर	1744
3.	बांसवाड़ा	1442
4.	बाड़मेर	46339
5.	भरतपुर	778
6.	भीलवाड़ा	30964
7.	बीकानेर	95970
8.	बूंदी	16398
9	चित्तौड़गढ़	6713
10.	चूरू	2250
11.	डूंगरपुर	2073
12.	धौलपुर	1456
13	गंगानगर	19133
14.	जयपुर	19534
15.	जैसलमेर	85536
16.	जालौर	33808
17.	झालावाड़	2780
18.	झुंझुनू	993
19.	जोधपुर	23692
20.	कोटा	59542
21	नागौर	4042
22.	पाली	26354
23.	सवाई माधोपुर	7025
24	सीकर	144
25.	सिरोही	1865 32
26	टोंक	14462
27.	उदयपुर	18026
	योग :—	5,40,243.92

परिशिष्ट—4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बहरोड़ तहसील में माढन से सातों सड़क निर्माण

371. **श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार तहसील बहरोड़ में माढन से सातों सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या ग्राम सातों हरियाणा की सीमा पर स्थित है तथा यहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1 एवं 2) राजस्थान-हरियाणा की सीमा पर स्थित ग्राम सातों तक धनाभाव के कारण सड़क बनाये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

ट्रेक्टर व ट्राली कर

372. **श्री तेजपाल यादव (चौमूं)**: क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य-प्रदेश व उत्तर प्रदेश में ट्रेक्टर व ट्रोली जो कृषि के काम में आती है, उस पर सड़क व यातायात कर नहीं लिया जाता जबकि राजस्थान में यह वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) कृषि के काम में आने वाले ट्रेक्टर ट्रोली पर सड़क व यातायात कर से कुल कितनी वार्षिक आमदनी होती है तथा इस कर को वसूल करने के लिये सरकार का वार्षिक खर्चा कितना होता है ?

(3 क्या सरकार इस कर को समाप्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में कृषि के काम आने वाले ट्रेक्टर व ट्रोली पर सड़क व यातायात कर लिया जाता है अथवा नहीं इसके संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है, जो प्राप्त होने पर प्रेषित कर दी जायगी। राजस्थान में इन वाहनों से सड़क कर वसूल किया जाता है किन्तु कोई यातायात कर वसूल नहीं किया जाता है। सड़क कर मोटर वाहन करारोपण अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये जाने के प्रावधान होने के कारण वसूल किया जाता है।

(यातायात मंत्री)

(2) वर्तमान में ट्रेक्टर व ट्रोली से क्रमशः 19,52,995/-रु व 14,75,870/- रु. सड़क कर पूरे वर्ष में बनता है। यातायात कर वसूल किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। समस्त प्रकार के करों की वसूली एक साथ की जाती है जिसमें ट्रेक्टर व ट्रोली के कर भी सम्मिलित हैं। अतः अलग से इन कर की वसूली का वार्षिक खर्चा बताना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं।

मार्केटिंग सोसायटी, रामगंज मण्डी के व्यवस्थापक द्वारा शक्कर की काला बाजारी

373 श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कोटा जिले की मार्केटिंग सोसायटी रामगंज मण्डी के व्यवस्थापक द्वारा सोसायटी की शक्कर ब्लेक में बेच दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

जी हां। शिकायती पत्र दिनांक 16-8-82 को प्राप्त हुआ। प्रारंभिक जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

माला देवी गुफा का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

374. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की न्यायत तहसील इन्द्रगढ़ में मालादेवी नामक स्थान पर स्थित गुफा के बारे में पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त गुफा के बारे में अब तक क्या जानकारी प्राप्त की गई तथा किस प्रकार ?

(2) क्या यह सही है कि गुफा राजस्थान का आश्चर्य बन सकती है ? यदि हां, तो उक्त गुफा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां विभाग ने जिला प्रशासन के माध्यम से इस गुफा की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये थे, किन्तु गुफा में अंधेरा होने एवं जंगली जानवरों के होने के भय के कारण इस दिशा में अभी सफलता नहीं मिल पाई है।

(2) गुफा की सम्पूर्ण जानकारी हुये बिना इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

माडा योजना के अन्तर्गत कार्य

375. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) माडा योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले की किस किस तहसील के कितने कितने गांव आते ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या माडा योजना के अन्तर्गत उक्त ग्रामों में 1980 से 1982 के दिसम्बर तक कोई कार्य हाथ में लिये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन गांवों में और क्या-क्या कार्य हाथ में लिये गये हैं ? कृपया विभाग वार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) माडा योजना में किन-किन विभागों ने अपने कार्य पूरे कर लिये हैं और कितना-कितना खर्चा आया ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिला की 5 तहसीलों के कुल 265 गांव माडा योजन के अन्तर्गत सम्मिलित हैं

क्रम सं0	तहसील	गांव की संख्या
1.	गिर्वा	49
2.	मावली	4
3.	गोगुन्दा	81
4.	कुम्भलगढ़	28
5.	वल्लभनगर	103

सूची सदन के पटल पर रख दी गयी हैं (सूची "अ" पर उपलब्ध)।

(2) माडा योजना के अन्तर्गत उक्त तहसीलों के ग्रामों में वर्ष 1980 से 1982 तक पेयजल कूप/हैण्डपम्प निर्माण/ एनीकट/ प्राथमिक शाला भवन निर्माण, आश्रम स्कूल बनाने का कार्य संबंधित विभागों द्वारा हाथ में लिये गये है। जिन जिन गांवों में जो जो कार्य हाथ में लिये गये हैं विभागवार कार्यों की सूची सदन के पटल रख दी गयी हैं। (सूची "क")

(3) माडा योजना के अन्तर्गत जिन-जिन विभागों ने अपने अपने कार्य पूरे कर लिये हैं एवं जो व्यय किया गया उसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

—·—·—

सूची

जिला	लघु खण्ड का नाम	लघु खण्ड सं.	तहसील	पं. समिति	ग्रामों की सं.	कुल जनसंख्या	जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत
उदयपुर	गिर्वा नाथद्वारा मावली	34	1-गिर्वा	1-बड़गांव	48	22228	12445	
			2-नाथद्वारा	2-मावली	4	2100	959	
			3-मावली	3-गिर्वा	1			55.11
				योग: -	53	24328	13404	

क्र.सं.	से. कोड. नं.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल एकड़	कुल जनसंख्या	जनजाति की जनसंख्या	तहसील	पं. समिति	ग्रामान्तर्गत पटवार हल्का	ग्रामपंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2	कायलों का गुड़ा	1305	427	383	गिर्वा	बड़गांव		
2.	3	बादरवाड़ा	1952	109	71	”	”		
3.	4	मदार	3209	1597	488	”	”		
4.	5	बरोड़िया	1014	275	273	”	”		
5.	6	हासीयार	476	115	109	”	”		
6.	7	झीड़ोली	2227	378	285	”	”		
7.	8	कसनियावड़	1147	466	413	”	”		

8.	12	भालों का गुड़ा	286	244	134	गिर्वा	बड़गांव
9.	13	कुण्डाल गुड़ा	227	97	—	,,	,,
10.	14	राया	484	118	105	,,	,,
11.	15	मठाठा	719	182	101	,,	,,
12.	16	करवड़ी	269	154	154	,,	,,
13.	20	मुनवास	650	538	324	,,	,,
14.	21	रामा	3895	2207	691	,,	,,
15.	22	सरे	3293	1262	572	,,	,,
16.	24	करेली का गुड़ा	614	245	171	,,	,,
17.	25	अम्बेरी	3545	943	581	,,	,,
18.	27	भीलों का बेदला	1410	264	211	,,	,,
19.	31	ब्राहमण की हुन्दर	705	345	78	,,	,,
20.	38	प्रताप पुरा	450	366	247	,,	,,
21.	44	ठोकली	3426	1619	962	,,	,,
22.	82	नेरेड़ा	3141	913	322	,,	,,
23.	83	गोदान कला	1129	431	431	,,	,,
24.	84	वनाडोया	1492	482	480	,,	,,
25.	85	गहलोतों का वास	447	208	200	,,	,,
26.	86	बियाल	506	239	210	,,	,,
27.	87	कुण्डाल उवेश्वर जी	1566	325	169	,,	,,
28.	88	धार	1545	439	418	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	89	बडगा	1679	479	478	गिर्वा	बड़गांव		
30.	143	पिपलवास	1790	566	267	नाथद्वारा	,,		
31.	144	पापामाल	368	186	186	,,	,,		
32.	154	भूताला	649	690	379	,,	,,		
33.	163	लोसींग	2333	1167	407	,,	,,		
34.	165	कुण्डा	1285	357	181	,,	,,		
35.	166	उपाण	2924	1082	612	,,	,,		
36.	167	रावा	400	7	—	नाथद्वारा	बड़गांव		
37.	168	घाटी का मठ	326	—	—	,,	,,		
38.	169	भूमलि ों का गुड़ा	174	22	18	,,	,,		
39.	173	कोलर	868	169	27	,,	,,		
40.	174	बरवालिया	427	180	103	,,	,,		
41.	175	गोरेला	972	357	154	,,	,,		
42.	186	कमली का गुड़ा	290	145	76	,,	,,		
43	189	कालीवास	1661	490	216	,,	,,		
44.	190	सियोल	111	78	14	,,	,,		
45.	191	लिलेरा	369	72	15	,,	,,		
46	192	बरवा	169	120	102	,,	,,		
47.	193	शिकारवाड़ी	390	33	33	,,	,,		
48.	196	बेरन	1071	621	345	,,	,,		

1.	80	बिखरनी	1767	522	267	मावली	मावली
2.	81	मारवास	1232	331	186	,,	,,
3.	82	मऊवा	2655	1100	399	,,	,,
4.	83	रामजी का गुड़ा	738	147	107	,,	,,
1.	45	लाड़ियों का खेड़ा	1137	419	249	गिर्वा	गिर्वा

जिला	लघुखण्ड का नाम	लघु खण्ड सं.	तहसील	पंचायत समिति	ग्रामों की सं.	कुल जन सं.	जनजाति की जन सं.	प्रतिशत
उदयपुर	गोगुन्दा कुम्भलगढ़	35	1. गोगुन्दा	गोगुन्दा	81	37701	21846	
			2. कुम्भलगढ़	कुम्भलगढ़	28	15415	7595	
				योग....	109	53116	29441	55.57

क्र. सं.	संसस कोड न.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल [एकड़]	कुल जनसख्या	जनजाति की जन संख्या	तहसील	पंचायत समिति	ग्रामान्तर्गत पटवार हल्का	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1	मंगा	1596	309	256	गोगुन्दा	गोगुन्दा		
2.	2	ताबा	1466	577	350	,,	,,		
3.	3	बागड़	1279	534	324	,,	,,		
4.	4	भानुपुरा	2321	1075	374	,,	,,		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	5	बिकोड़ा	3344	947	456	गोगुन्दा	गोगुन्दा		
6.	6	जोरमा	600	349	294	,,	,,		
7.	8	भोखारा	3673	1841	1284	,,	,,		
8.	10	भाटों का साईरा	1895	569	186	,,	,,		
9.	16	नोकोर	1151	512	315	,,	,,		
10.	17	बजावल	3874	844	429	,,	,,		
11.	18	पलासमा	2178	894	352	,,	,,		
12.	19	बालाफल	1597	635	316	,,	,,		
13.	22	मदार	501	248	139	,,	,,		
14.	23	पांबा	55	59	59	,,	,,		
15.	25	उमरेना	1081	341	299	,,	,,		
16.	29	रोमडा	6238	838	246	,,	,,		
17.	30	गुन्दारी	2205	727	345	,,	,,		
18.	36	हथिनोयारवर	2320	504	269	,,	,,		
19.	38	गेन्हो का गुड़ा	374	164	--	,,	,,		
20.	39	पनेर	1093	557	223	,,	,,		
21.	40	तीरोल	1089	512	241	,,	,,		
22.	41	गुमान	2000	567	364	,,	,,		

Page No 224

224

23.	50	हायला	594	277	277	गोगुन्दा	गोगुन्दा
24.	51	छोतरावास	1904	451	451	,,	,,
25.	52	कड़ेच	1691	594	498	,,	,,
26.	53	रीछवाड़ा	[illegible]29	246	243	,,	,,
27.	54	पीपराना	885	177	177	,,	,,
28.	55	फला	1307	267	266	,,	,,
29.	56	रावछ	6972	1431	1408	,,	,,
30.	57	टेगड़ा	987	120	120	,,	,,
31.	58	कुड़लावास	744	174	172	,,	,,
32.	59	बरांवली	1145	245	245	,,	,,
33.	60	पुणावली	1690	940	219	,,	,,
34.	61	वागुनी	1614	155	155	,,	,,
35.	62	पालीदाना	1529	644	325	,,	,,
36.	65	कुम्भारवास	210	147	15	,,	,,
37,	71	नाका का गुड़ा	669	439	134	,,	,,
38.	73	बासलीया	1607	603	380	,,	,,
39.	74	डिगारी	569	251	198	,,	,,
40.	84	सुधार मादड़ा	405	240	95	,,	,,
41.	85	श्री मालियों की मादड़ी	687	353	59	,,	,,
42.	86	भाटमादड़ा	744	503	123	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	87	जेलानी	484	128	71	गोगुन्दा	गोगुन्दा		
44.	88	राणावतों का गुड़ा	142	90	82	,,	,,		
45.	89	झाडोली	545	428	80	,,	,,		
46.	102	कारकर्ण का गुड़ा	286	144	78	,,	,,		
47	103	फुटिया	609	218	76	,,	,,		
48.	106	धीरजो का गुड़ा	124	121	74	,,	,,		
49.	108	दादीया	1284	796	411	,,	,,		
50.	110	अजयपुरा	351	127	127	,,	,,		
51.	1 1	सूरन	1722	285	232	,,	,,		
52.	122	भुझारपुरा	562	212	168	,,	,,		
53.	113	शिवाड़िया	1924	570	560	,,	,,		
54.	114	उन्दरी	1712	109	—	,,	,,		
55.	115	बहड़ा	1364	52	52	,,	,,		
56.	118	कछवा	900	704	304	,,	,,		
57.	119	भाटा	904	485	467	,,	,,		
58.	120	मोखी	4682	248	230	,,	,,		
59.	121	नाल	6792	997	983	,,	,,		
60.	122	पाटिया	3200	610	530	,,	,,		
61	123	मोड़ुआ	1786	756	182	,,	,,		

Page No 226

226

62	124	देवड़ो का खेड़ा	1376	380	116	गोगुन्दा	गोगुन्दा
63.	125	मोकल	2709	627	193	,,	,,
64.	126	सूरजगढ़	2079	824	541	,,	,,
65.	127	सेनवाड़ा	5698	655	333	,,	,,
66.	128	उन्डीथल	3660	731	439	,,	,,
67.	129	देवड़िया	582	139	83	,,	,,
68.	130	छाली	1496	793	468	,,	,,
69.	131	मलारिया कला	1582	299	283	,,	,,
70.	132	मलारिया खुर्द	196	41	9	,,	,,
71.	133	मादा	2150	694	260	,,	,,
72.	134	बड़न्दीया	1779	377	198	,,	,,
73.	135	कोरलाऊ	993	241	120	,,	,,
74.	136	जीराई	160	250	127	,,	,,
75.	139	मारोड़ी	927	513	41	,,	,,
76.	141	मजाम	2711	579	209	,,	,,
77.	142	जोगीयों का गुढ़ा	639	230	197	,,	,,
78.	143	बासड़ा	933	168	68	,,	,,
79.	145	चोरबावड़ी	796	264	140	,,	,,
80	146	सवावती का गुड़ा	579	255	47	,,	,,
81	147	मदारड़ी	4174	968	580	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	82	ग्रारेट की वागला	590	245	137	कुम्भलगढ़	कुम्भलगढ़		
2.	83	कोटड़ा	449	195	194	,,	,,		
3.	84	कलथाना	1196	509	347	,,	,		
4.	85	बरदड़ा	2011	515	182	,,	,,		
5.	87	उटेडो की वागल	1811	657	336	,,	,,		
6.	88	सेनिया	1372	294	145	,,	,,		
7.	89	उदावड़	1024	367	320	,,	,,		
8	96	मैलावड़ी	365	237	78	,,	,,		
9,	97	बड़गांव	1691	828	276	,,	,,		
10.	113	बारिन्ड़	217	526	336	,,	,,		
11.	114	खेडलिया	1641	766	328	,,	,,		
12.	117	दामड़ी	950	449	115	,,	,,		
13.	118	हमेरपाल	1272	820	400	,,	,,		
14.	119	चामूआ सर-बोला	1163	685	305	,,	,,		
15.	122	कोदार	785	533	374	,,	,,		
16.	123	वौवास	1310	774	366	,,	,,		
17.	124	बांतरी	2073	780	372	,,	,,		

Page No 228

18.	125	जेतारण	2129	746	419	"	"
19.	126	पिपाना	2285	768	315	"	"
20.	127	देलवाड़ियां	391	291	175	"	"
21.	139	पीपला	1354	554	312	"	"
22.	142	माछड़ा	1519	672	391	"	"
23.	144	उसर	761	788	323	"	"
24.	145	बनुजा	599	466	145	"	"
25.	146	कोड़ाकड़ा बागल	452	320	199	"	"
26.	148	रामावतों की बागलें	1864	771	404	"	"
27.	149	हलाई की बागल	602	201	117	"	"
28.	151	तलाघरी	1721	658	184	"	"

सूची

जिला	लघुखंड का नाम	लघुखंड नं.	तहसील	पं. समिति	ग्रामों की संख्या	कुल ज.सं.	ज.जा. की जन.संख्या	प्रतिशत
उदयपुर	वल्लभ नगर	36	बल्लभ नगर	भीण्डर	103	24984	17202	68.85

क्रम संख्या	सें० कोड नं.	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल [एकड़]	कुल जन संख्या	ज.जा. की ज. संख्या	तहसील	प.समिति	ग्रामान्तर्गत पटवार हल्का	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	67	टाक	1773	562	378	बल्लभ नगर	भीण्डर		
2.	63	राजपुरा	158	173	–	"	"		
3.	69	फलेट	816	121	120	"	"		
4.	70	गोवला	964	250	212	"	"		
5.	71	हरियान	1069	106	66	"	"		
6.	72	पिन्डोलिया	2927	785	701	"	"		
7.	85	जैलाई	447	219	156	"	"		
8	102	बजा का खेड़ा	202	101	53	"	"		
9.	103	धारता	1882	880	160	"	"		
10.	124	गजपुरा	200	105	63	"	"		
11.	125	फसरिया	922	512	461	"	"		
12.	126	बेरीपुरा	108	111	111	"	"		
13.	127	कापरेन का खेड़ा	915	322	193	"	"		

14.	128	फार का वास	449	217	202	वल्लभनगर	भीण्डर
15.	129	भील का वास	547	112	87	”	”
16.	130	पदमेला	694	333	333	”	”
17.	131	भोपाल सागर	453	277	157	”	”
18.	132	मासींगपुरा	875	399	359	”	”
19.	135	पाटिया	871	112	5	”	”
20.	137	ओनार सिंह जी की भागल	451	251	—	”	”
21.	138	अडीनदा	2702	1320	1093	”	”
22.	139	पट वटान की लीम्बावास	217	28	28	”	”
23.	141	रानी डूंगला	923	321	318	”	”
24.	142	नागरिया	3203	298	296	”	”
25	143	रायला	327	226	226	”	”
26.	145	धावडीया	1964	966	935	”	”
27.	147	देरावल	469	137	68	”	”
28.	148	राजीया	2431	379	179	”	”
29.	149	ाहरपुरा	595	226	225	”	”
30.	150	भामेला	578	384	253	”	”
31.	151	हुण्डई	1411	511	152	”	”
32.	153	गोरिया	618	432	303	”	”
33	154	काकडिया खेडा	358	125	2	”	”
34.	155	कडेचा	1105	325	166	”	”

Page No 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	157	डावकिया	110	69	69	वल्लभनगर	भीण्डर		
36.	158	मेडीखेडा	308	147	147	,,	,,		
37	159	डागड़न का खेड़ा	736	129	129	,,	,,		
38.	160	चोल	763	204	164	,,	,,		
39.	161	आमलिया	267	229	229	,,	,,		
40.	162	भरडिया	59	156	120	,,	,,		
41.	164	भार तलाई	77	444	366	,,	,,		
42.	169	दोबियान का खेडा	250	181	56	,,	,,		
43.	170	गढ़ा	227	109	—	,,	,,		
44.	172	जवतरा	402	314	282	,,	,,		
45.	178	बोलगा का सांड	785	118	89	,,	,,		
46.	184	माल खेजड़ी	387	147	128	,,	,,		
47	186	पीपलपुरा	637	136	36	,,	,,		
48.	187	पथ्वीसिंह का खेडा	52	24	—	,,	,,		
49.	188	धाकड़ों का खेडा	738	436	13	,,	,,		
50.	189	राणावतों का खेडा	60	76	40	,,	,,		
51.	190	चैनपुरिया	281	128	—	,,	,,		
52.	191	जसवन्तपुरा	604	116	33	,,	,,		
53.	192	नीमड़ी	444	413	—	,,	,,		
54.	193	सारंगपुरा	1058	549	110	,,	,,		

55.	195	अचलाना	687	353	292	वल्लभ नगर	भीण्डर
56.	197	गोपालपुरा	3034	47	136	,,	,,
57.	199	खेडी	657	233	160	,,	,,
58.	200	ग्राकोला	2738	902	635	,,	,,
59.	201	मोर्दा	353	194	121	,,	,,
60.	202	वरनोदा	2120	419	409	,,	,,
61.	203	बेडवी	58	81	81	,,	,,
62.	204	पडवाल	631	60	60	,,	,,
63.	205	गुन्दला	467	129	112	,,	,,
64.	206	नारदा	245	127	122	,,	,,
65.	208	संगतपुरा	1455	159	244	,,	,,
66.	209	गोगा गुडा	352	174	131	,,	,,
67.	210	फलाडोर	5 8	172	89	,,	,,
68.	211	काना तालाब	818	267	242	,,	,,
69.	213	मालों का गुडा	114	110	108	,,	,,
70.	219	रामेला	91	49	49	,,	,,
71.	222	आलूखेडा	449	379	323	,,	,,
72.	223	सवना	1671	648	471	,,	,,
73.	224	सिशोडियान	941	205	163	,,	,,
74.	225	ग्रनगोरा	735	176	145	,,	,,
75.	226	ओपोलो खेडा	415	45	20	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	227	सामेल	480	136	—	वल्लभनगर	भीण्डर		
77	2 8	भगड	226	25	25	,,	,,		
77.	229	चक उमरना	9	24	24	,,	,,		
79.	239	चक पेमला खुर्द	14	24	24	वल्लभनगर	भीण्डर		
80.	231	सुन्दर पुरा	152	44	--	,,	,,		
81.	232	पेमला खुर्द	232	63	63	,,	,,		
82.	235	माकला तालाब	75	41	41	,,			
83.	236	बिकरणिया	1736	357	274	,,			
84.	237	पिपला पानी	482	63	93	,,	,,		
85.	240	खेण्डवडा	331	68	60.	,,	,,		
86.	243	सेमल	32	35	35	,,	,,		
87.	244	पिपलवास	1084	224	224	,,	,,		
88.	245	कयर पुरा	876	341	148	,,	,,		
89.	246	सिड़	1947	372	346	,,	,,		
90.	247	हरिया ड्री	546	243	243	,,	,,		
91.	248	उदपुरा	228	79	3	,,	,,		
92.	249	उमरी वा बेला	554	119	119	,,	,,		
93.	250	मोटाखेड़ा	263	47	47	,,	,,		
94.	251	बेरोय	357	51	51	,,	,,		
95.	252	फतेहपुरा	206	63	61	,,	,,		

96.	253	मगरीफला	528	257	254	वल्लभनगर	भीण्डर
97.	254	मावपुरा	291	284	279	,,	,,
98.	255	गोपा की भागल	375	230	214	,,	,,
99.	256	झालो का खेड़ा	129	22	3	,,	,,
100.	258	नारपुरा	254	314	307	,,	,,
101.	260	अम्बा का कुआ	254	102	102	,,	,,
102.	261	सालकीयान का खेड़ा	46	37	—	,,	,,
103.	262	नानवीयान का खेड़ा	100	47	47	,,	,,

परिशिष्ट "क"

माडा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की सूची

(राशि लाखों में)

क.सं.	निर्माण कार्य	वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की प्रगति	विभाग
	क-एनीकट					
1.	भाटों का सायरा	81-82	0.70	0.55	कार्य चल रहा है	पं.स. गोगुन्दा
2.	बाबुआ सरजेला	81-82	0.30	0.30	कार्य पूर्ण हो गया	पं.स. कुम्भलगढ़
3.	बोर तलाई	82-83	0.94	0.60	कार्य चल रहा है	पं.स. भीण्डर
4.	अम्बावाकुआ	82-83	0.92	0.02	"	पं.स. भीण्डर
	ख-प्राथमिक शाला भवन					
1.	जैतारण (कुम्भलगढ़)	80-81	0.50	0.43	कार्य पूर्ण हो है	सा. नि.वि जिला खण्ड-II
2.	मारवास (मावली)	80-81	0.60	0.32	कार्य चल रहा है	नगर खण्ड उदयपुर
3.	मासिंगपुर (भीण्डर)	80-81	0.50	0.31	"	नगर खण्ड उदयपुर
	ग. आश्रम स्कूल					
1.	रावछ (गोगून्दा)	80-81	5.96	1.01	कार्य चल रहा है	सा. नि. वि. जिला खण्ड-II
2.	भरंडिया (भीण्डर)	80-81	5.96	2.07	"	नगर खण्ड उदयपुर
	घ, पेयजल कूप					
1.	नीमड़ी	80.81	0.15	—	कार्य चालू नहीं किया गया इस माह में चालू होने की सम्भावना है।	पं.स. भीण्डर
2.	भायेला	80-81	0.15	0.06	कार्य चल रहा है	पं.स. भीण्डर
3.	पूनावली	80-81	0.15	0.05	"	पं.स. गोगून्दा
4.	पलासनमा	80-81	0.15	0.02	"	पं.स. गोगून्दा
5,	रोयड़ा	80-81	0.15	0.05	"	पं.स. गोगून्दा

1	2	3	4	5	6

(राशि लाखों में)

वर्ष 81-82

अ–गोगून्दा (हैण्डपम्प) प्रत्येक गांव में दो हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य है

1. धीरजी का गुडा	0.22	0.036	एक हैण्ड पम्प लगाया जो असफल रहा कार्य चालू नहीं किया गया	हैण्डपम्प जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ड्रिलींग एवं हैण्ड पम्प, उदयपुर
2. कुमारवास	0.22	0.094		
3. राणावती का गुडा	0.22	--	इस माह में चालू होने की सम्भावना है	
4. सधारमादड़ा	0.22	—		
5. गोदी का गुडा	0.22	—		
6. तिरोल	0.22	—		
7. वासड़ा	0.22	—		
8. मेवाडिया	0.22	—		
ब–वल्लभनगर				
9. जसवन्तपुरा	0.22	0.29		
10. गोपाकी भागल	0.22	0.28		
11. नाहरपुरा	0.22	0.26		

वर्ष 1982-83

अ–बड़गांव

1. बखाड़िया — इस वर्ष में 30 हैण्डपम्प स्वीकृत हुये हैं इस हेतु 3.05 लाख रुपये माह जनवरी, 83 में सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है कार्य शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।

2. रामजी का गुडा

स–गोगून्दा

3. डूंगरपुरा
4. बरावली
5. रीछवाड़ा

Page No 237

(237)

ब–वल्लभनगर

6. नाहरपुरा
7. बेरीपुरा
8. हुरकावास
9 डाबिया का खेड़ा
10. घोल
11. भरडिया
12. मोकला तालाब
13. पीपलापानी
14. पीपलवास

स–गोगून्दा

15. भूज्ञारपुरा

परिशिष्ट "ख"

विभागों द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की सूची

क्र.सं. स्कीम	नाम निर्माण कार्य	वर्ष	व्यय राशि लाखों में	विभाग का नाम
1. एनीकट	1. चावुम्रा सरजेव	81-82	0.30	पंचायत समिति कुम्भलगढ़
2. पेयजल/हैण्डपम्प				
	1. जसवन्तपुरा	81-82	0,29	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ड्रिलिंग एवं हैण्ड पम्प उदयपुर
	2 गोपा की भागल	81-82	0.28	
	3. नाहरपुरा (वल्लभनगर)	81-82	0.26	
3. प्राथमिक पाठशाला भवन				
	1. जैतारण (कुम्भलगढ़)	80-81	0.43	

सीकर नगर में केन्द्रीय बस स्टेण्ड का निर्माण

376 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर में रोडवेज का एकीकृत बस स्टेण्ड नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर, लुहारू, बीकानेर, सालासर नागौर, नावां के बस स्टेण्ड क्रमश: रेलवे स्टेशन, न्यायालय नगर परिषद् एवं रामलीला मैदान के पास सड़कों पर अवस्थित है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन स्टेण्ड्स पर यात्रियों के लिये न तो शौचालय न पेशाबघर और न ही छाया के लिये स्टेण्ड बने हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि इससे महिला यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(4) सीकर डिपो से तथा बाहर से आने वाली सीकर की बसों में प्रतिदिन कितने यात्री यात्रा करते हैं तथा औसतन कितना रुपया पथ परिवहन को प्राप्त होता है ?

(श्री घनश्याम तिवाडी)

यात्रियों की असुविधा पथ परिवहन की आय एक लाख से ऊपर का शहर होने तथा विधान सभा में यातायात मंत्री के आश्वासन के बावजूद पथ परिवहन निगम एकीकृत बस स्टेण्ड क्यों नहीं बना रहा है ?

(5) उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए क्या इस वित्तीय वर्ष में सरकार बस स्टेण्ड बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सीकर नगर में रोडवेज का एकीकृत बस स्टेण्ड नहीं होने के कारण जयपुर, लोहारू, बीकानेर, सालासर नागौर, नांवा के लिये जाने वाले और आने वाले यात्रियों को क्रमशः रेलवे स्टेशन न्यायालय, नगर परिषद एवं रामलीला मैदान के पास से सड़कों पर से बसों में बैठने एवं उतरने का प्रबन्ध किया हुआ है।

(3) जयपुर व बीकानेर की ओर जाने वाली बसों के रवाना होने के स्थलों पर एक एक यात्री शेड की व्यवस्था की हुई है। लेट्रिन अथवा पेशाबघर बने हुये नहीं है। यदि यह उपलब्ध हों तो उस हद तक असुविधा कम होगी।

(5) सीकर से विभिन्न मार्गों पर जाने वाले वाहनों में प्रतिदिन औसतन 6 890 यात्री यात्रा करते हैं तथा किराया राशि के रूप में औसतन 23 860 रु० प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। एकीकृत बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में विवरण चाहा गया है। स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण कर लिया गया है। वांछित विवरण प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(5) जी नहीं। निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में बस स्टेण्ड का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

जैतारण में राजस्व अभियान के तहत हटाये गये अतिक्रमण

377. श्री [illegible] राठोड (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा जैतारण, जिला पाली के खसरा नं. 291, 293 294, 5[illegible] 507, 886 और 897 सरकारी रिकार्ड के अनुसार सरकारी सम्पत्तियां व भूमि [illegible] हैं और इन सम्पत्तियों पर अधिकतर कब्जे किये हुये हैं ?

(2) यदि हां, तो राजस्व अभियान में इनमें से कितने अतिक्रमियों को बेदखल किया गया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण यथावत है और अब राज्य सरकार इनको कब बेदखल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) राजस्व अभियान के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी को बेदखल नहीं किया क्योंकि कस्बा जैतारण के खसरा नं. 291, 292, 293 व 294 की भूमि आबादी में है जो नगरपालिका क्षेत्र में है जिस पर अतिक्रमणियों को बेदखल करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश नगरपालिका को दे दिये गये हैं । खसरा नं. 886 व 887 पर न्यायालय का स्थगन आदेश है । खसरा नं. 506 व 507 के पंचायत द्वारा जारी किये गए पट्टे नियम विरुद्ध होने से उन्हें निरस्त करने की कार्यवाही जिलाधीश न्यायालय में विचाराधीन है । बेदखली के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

नियोजन कार्यालय, बीकानेर में पंजीकृत व्यक्ति

378. **श्री सुरजाराम** (नोखा) क्या यह बताने की कृपा करेंगे:--

बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगारों का नाम पंजीकृत है तथा पिछले तीन सालों के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति एवं विकलांग कितने-कितने थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

बीकानेर जिले के नियोजन कार्यालय में वर्ष 1982 के अन्त तक 14001 बेरोजगारों के नाम पंजीकृत थे । पिछले तीन सालों की वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सूचना

पिछले तीन वर्षों में बीकानेर जिले में रोजगार दिलाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार दिलाया गया				
	अनु० जाति	अनु० जनजाति	विकलांग	अन्य	कुल
1980	40	08	13	364	425
1981	42	10	310	254	616
1982	93	13	28	404	538
योग	175	31	351	1022	1,579

प्रतापगढ़ से धरियावद, नीमच, रतलाम, मन्दसौर, और बाँसवाड़ा सड़क में आई कृषकों की भूमि

379. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार ने प्रतापगढ़ से धरियावद, नीमच, रतलाम, मन्दसौर और बांसवाड़ा सड़क में आयी कृषकों की भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं चुकाया है? यदि हां, तो कितने कृषकों को और अब मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

प्रतापगढ़ से धरियावद, नीमच, मन्दसौर तथा बांसवाड़ा सड़क में आई भूमि का मुआवजा बकाया नहीं । केवल प्रतापगढ़ रतलाम सड़क के अरनोद, पीपलोदा भाग में 53 व्यक्तियों को चुकारा किया जाना शेष है, चालू वित्तीय वर्ष में चुकाये जाने की सम्भावना है।

चाकसू में अकाल राहत कार्य

380. **श्री राम कंवार बैरवा** (फागी): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) राजस्थान में इस वर्ष अकाल राहत के लिये राज्य सरकार ने कितनी धन-राशि का प्रावधान रखा है व केन्द्र से कितनी सहायता मंजूर की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के फागी, सांगानेर, सिकराय चुनाव क्षेत्रों में अकाल घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) तहसील चाकसू में अकाल घोषित कर कितनी राशि के कितने राहत कार्य खोले गये हैं ?

उत्तर

(1) सहायता व्यवस्था के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सहायता लेकर राहत की व्यवस्था करती है। संवत् 2039 में 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए भारत सरकार ने खर्चे की अधिकतम सीमा 2986.70 लाख रुपये तय की है ।

(2) तहसील फागी, सांगानेर एवं सिकराय क्षेत्र के ग्रामों में खरीफ की फसल में नुकसान 50 प्रतिशत से कम होने के कारण किसी गांव को अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया ।

(3) तहसील चाकसू के अभाव ग्रस्त क्षेत्र हेतु सात सड़क कार्य, भू संरक्षण कार्य एवं 16 तालाब कार्य स्वीकृत किये गये । इस प्रकार कुल 44 कार्य स्वीकृत किये गये हैं । इन कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 9.83 लाख रुपये हैं

जयपुर शहर में देवस्थान विभाग के मकानात के किराये की बकाया

381. श्री जगन सिंह (बयाना) : एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में विभाग द्वारा किराये पर दिये गये भवनों की संख्या कितनी है और किराया कितना कितना है ?

(2) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग की किराये की कितनी राशि किन किन व्यक्तियों पर बकाया हैं कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त राशि कितने समय से बकाया है ।

(4) उपरोक्त बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये गये भवनों की संख्या 342 है, तथा किराये की सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है ।

(2) सूची सदन की पटल पर रखदी गयी है ।

(3) सूची में बकाया की अवधि अंकित है ।

(4) सम्बन्धित न्यायिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

सूची

देवस्थान विभाग. जयपुर की सम्पदा के किराये से संबंधित सूची

क्र०सं०	नाम किरायेदार	किराये पर आवंटित भवनों की संख्या	किराये की दर	बकाया किराया की राशि दिनांक 1.7.78 से 31.12.82	बकाया किराया पेटे वसूल हुई राशि	शेष बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री जयकुमार पु० चौथुराम	दुकान	738.00	39852.00	1462.25	38389.75
2.	" केशवदास पु० बद्रीदास	"	629.00	33966.00	2071 96	31894.00
3.	" मुन्ना लाल जयपुर गोटा वर्क्स	"	640.00	34560.00	1518.75	33041.25
4.	" सुरजनारायण पु. छीतर मल	"	658.00	35532.00	2210.00	3332[illegible].00
5.	" राधेश्याम पु० कस्तूर चन्द	"	136.00	7344.00	540.00	46864.00
6.	" नारायणदास पु० खान चन्द	"	467.00	25218.03	607.50	24610.50
7.	" सूरजमल पु० लादूराम	"	307.00	16578.00	540.00	16038.00
8.	" चुन्नी लाल पंजाबी	"	319.00	17226.00	—	17202.16
9.	" श्यामलाल	"	379.00	20468.00	950.00	19516.00
10.	" चोइथराम पु० कीमतराय	"	400.00	21600.00	675.00	20925.00
11.	" रामकिशोर जोशी	"	515.00	27810.00	832.00	26978.00

12.	श्री कुन्दन पु० मल्लाकुमार	गोदाम	425.00	22950.00	-877.50	22072.50
13.	श्रीमती गुलाब पत्नी बद्रीनारायण	"	240.00	12960.00	270.00	12690.00
14.	श्री बद्री पु० मल्लाकुमार	दुकान	27.50	1485.00	1430.00	55.00
15.	" राधेश्याम पु० स्वरूप नारायण	"	452.00	24408.00	180.00	24228.00
16.	" ब्रजलाल रामगोपाल	"	1861.00	100494.00	1500.00	98994.00
17.	" राधेश्याम रामगोपाल	"	1137.00	61398.00	900.00	60418.00
18.	" इन्द्रलाल रोशनलाल	"	240.00	12960.00	1382.00	11577.50
19.	" देवी नारायण	"	250.00	12960.00	6262.00	6698.06
20.	" लक्ष्मणलाल माणकचन्द	"	208.00	11232.00	3952.00	7280.00
21.	" दामोदर पु० मुन्नालाल	"	200.00	11232.00	3952.00	7280.50
22.	" नरोत्तम पु० स्वरूपनारायण	"	200.00	10800.00	3800.00	7000.00
23.	" प्यारीलाल चौथमल	"	200.00	10800.00	3800.00	7000.00
24.	" फूलचन्द भंवरलाल	"	200.00	10800.00	4900.00	5900.00
25.	" जगीलाल पु० नारायणलाल	"	200.00	10800.00	4500.00	6300.00
26.	" रामगोपाल पु० मेहताबराय	"	200.00	10800.00	4804.00	5996.00
27.	" भंवरलाल उर्फ नानूलाल	"	200.00	10800.00	4600.00	6200.00
28.	" रामशरण पु० गप्पूलाल	"	200.00	10800.00	4500.00	6300.00
29.	" बाबूलाल पु० श्री लाल	"	200.00	10800.00	3800.00	7000.00
30.	" विद्यादेवी पत्नी छटनलाल	"	247.00	11338.00	4937.00	8401.00
31.	" गोपाललाल पु० सुरजमल	"	247.00	13338.00	5557.50	7780.50
32.	" श्यामलाल पु० नानकराम	"	391.00	21114.00	486.00	20628.00

1	2	3	4	5	6	7
33.	श्री हजारीलाल पु० गुलाबचन्द	,,	310.00	16740.00	4558.00	12182.00
34.	श्री मदनलाल पु० भूरालाल	,,	391.00	21114.00	486.00	20628.00
35.	श्री मदनलाल पु० जटीलाल	,,	322.00	17388.00	5903.00	11485.00
36.	श्री गट्टूलाल पु० रामप्रताप	,,	310.00	16740.00	3255.00	13485.00
37.	श्री मगीलाल पु० राममहाय	,,	322.00	17388.00	3381.00	14007.00
38.	श्री गट्टलाल पु० रामप्रताप	,,	238.00	12852.00	2499.00	10853.00
39	श्री देवीलाल पु० गोपीनाथ	,,	233.00	12852.00	5355.00	7497.00
40.	श्री गोपाललाल पु० हरिनारायण	,,	446.00	24084.00	454.00	23630.00
41.	श्री ओमप्रकाश	,,	396.00	21384.00	280.00	21104.00
42	श्री अमोलकचन्द्र पु० लड्डूजी	,,	438.00	23652.00	450.00	23202.00
43.	श्री याशीनबेग पु० अहमदबेग	,,	286.00	15444.00	450.00	14694.00
44.	श्री चण्डूमल पु० सेवकराम	,,	426.00	23004.00	11390.00	11614.00
45.	श्री हरनामसिंह पु० जीवनसिंह	,,	378.00	20412.00	—	20412.00
46.	श्री बंसीलाल पु० चेतनदास	,,	512.00	27648.00	1100.00	26548.00
47.	श्री घनश्याम पु० गणेशनारायण	,,	497.00	26838.00	884.00	25954.00
48.	श्री उत्तमचन्द्र पु० दामोदरलाल	,,	485.00	26190.00	1040.00	25150.00
49.	श्री बाबूलाल पु० भागीरथ	,,	495.00	26730.00	1040.00	25690.00
50.	श्री जौहरीलाल पु० हजारीलाल	,,	522.00	28188.00	832.90	27356.00
51.	श्री कमलकिशोर पु० भौरीलाल	,,	574.00	30996.00	1105.00	29891.00
52	श्री रामआधार पु० रामदुलारे	,,	510.00	27540.00	1196.00	26344.00

53.	श्री नन्दकिशोर पु० चन्दालाल	दुकान	470 00	25380.00	702.50	24677.00
54.	श्री प्रहलाद पु० श्यामलाल	,,	522.00	28188.00	832.00	27356 00
55.	श्री लल्लूराम पु० कालूराम	,,	491.00	26514.00	650.00	25764.00
56.	श्री दौलतमल पु० लालचन्द	,,	436.00	23544.00	650.00	22920.00
57.	श्री नाथूलाल पु० श्रीलाल	,,	505.00	27270.00	884.00	26385 00
58.	श्री मोहनलाल पु० सुरजमल	,,	411 00	22194.0[illegible]	991 .00	12284.0[illegible]
59.	श्री सीताराम पु० राधेश्याम	,,	357.00	19278.00	942.00	18333.00
60.	श्री गुलाबचन्द पु० देवीलाल	,,	357.00	19278.00	590.0	13316.00
61.	श्री राधावल्लभ पु० देवीलाल	,,	316.00	17064.00	1170.00	15894.00
62.	श्री गोपालदास पु० घीसालाल	,,	357.00	19278.00	1040.00	1823[illegible].00
63.	श्री जानकीवल्लभ पु० लच्छीराम	,,	189.00	10206.00	813.00	9393.00
64.	श्री जानकीवल्लभ पु० लच्छीराम	,,	219.00	11826 00	747.50	11078.50
65.	श्री [illegible]मलाल पु० प्रहलाद	,,	50.00	27[illegible]0.00	728.00	192.00
66.	श्री रमलाल पु0 प्रहलाद	,,	[illegible]30.00	17820.00	1170.00	16650.00
67.	श्री कैलाश पु. भागीरथ	,,	484.00	26136.00	650.00	25846.00
68	श्री हनुमान पु० मांगीलाल	,,	348.00	18792.00	874.00	17983.00
69	श्री कालूराम पु० छोटूराम	,,	774.00	41796 00	546.00	41250.00
70.	श्री मांगीलाल [illegible] नारायण	गोदाम	329.00	17786.00	292,00	17473.[illegible]0
71.	श्री कन्हैया लाल पु० माधोलाल	दुकान	341.00	18414.00	840.00	17574.00
72	श्री धूलीचन्द पु०	,,	126.00	5316.00	5938.00	[illegible]378.[illegible]0
73.	श्री पुरुषोत्तम	,,	45.00	2025.9[illegible]	1127.00	898.00

1	2	3	4	5	6	7
74.	श्री रमेशचन्द्र	दुकान	45.00	2256.00	1266.00	990.00
75.	श्री राधेश्याम	गोदाम	84.00	4210.00	1270.00	2940.00
76.	श्री रामजीलाल	,,	52.00	2606.00	1150.00	1456.00
77.	श्री फूलचन्द किशनलाल	दुकान	447.00	24138.00	390.00	23748.00
78.	मुलकचन्द पु० मेन्दीलाल	,,	640.00	34560.00	1326.00	33234.00
79	श्री गोविन्द नारायण पु० राम नारायण	,,	561.00	30294.00	988.00	29306.00
80.	श्री गिरधारीलाल मुरारीलाल	,,	471.00	25434.00	450.00	24984.00
81.	श्री जगन्नाथ पु० सुख लाल	,,	16.00	864.00	416.00	448.00
82.	श्री गुलाबचन्द पु० मोहनलाल	,,	626.00	33804.00	1830.00	31984.00
83.	श्री देवीलाल पु० रामलाल	,,	605.00	32670.00	1560.00	31110.00
84.	श्री गोवर्धनदास पु० दुर्गालाल	,,	216.00	11634.00	868.00	10796.00
85	श्री केसरलाल पु० मेन्दीलाल	,,	577.00	61158.00	884.00	30274.00
86.	श्री रामचन्द्र पु० भगाराम	,,	385.00	20790.00	937.00	19853.00
87	श्री मूलचन्द दरजी	जीना	54.00	2916.00	374.00	2602.00
89	श्री गोविन्दशरण पु० श्यामसुन्दर	दुकान	350.00	18900.00	928.00	17972.00
89.	श्री मालीराम प्रहलाद	,,	112.00	6048.00	84.50	5963.50
90.	श्री सूरजमल पु० मन्नालाल	,,	75.00	1710.00	1425.00	285.00
91.	श्री परमानन्द ठाकुरदास	,,	255.00	13770.00	910.00	12860.00
92.	श्री दिलीपकुमार सुन्दरलाल	,,	330.00	17820.00	1657.50	16162.50
93.	श्री परसराम पु० भेरूमल	,,	322.00	17[illegible]88.00	1160.00	16228.00

94.	श्री दीपचन्द पु० मूलचन्द	दुकान	268.00	14772.66	465.75	14006.80
95.	श्री नारायण दास पु० मूलचन्द	,,	312.00	16848.00	—	16848.00
96.	श्री निजामुद्दीन	,,	93.00	4503.00	2550.00	1953.00
97.	श्री रामस्वरूप	,,	158.00	7650.00	4332.00	3318.00
98.	श्री जहीर मोहम्मद पु० नन्हेखां	,,	540.00	29160.00	650.00	28510.00
99.	श्री प्रभाती पु० आसराम	,,	577.00	31158.00	650.00	30508.00
100.	श्री घीसीलाल पु० हर बक्स	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
101.	श्री उमरबेग पु० मुनीरबग	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
102.	श्री ,, ,,	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
103.	श्री मोतीलाल पु० कल्याण	दुकान	445.00	26730.00	350.00	26380.00
104.	श्री अब्दुलकरीम पु० अब्दुलरहीम	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
105.	श्री मोहम्मद हनीफ ,,	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
106.	श्री अब्दुल लतीफ ,,	,,	525.00	27350.00	675.00	27675.00
107.	श्री अब्दुल रशीद पु० मोहम्मद खां	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
108.	श्री बाबूखा पु० हुसने खां	,,	525.00	28350.00	650.00	27700.00
109.	श्री बंशीरे पु० मदारबक्स	,,	525.00	28250.00	650.00	27700.00
110.	श्री रामजीलाल पु० चन्दुमल	,,	525.00	28350.00	600.00	27750.00
111.	श्री दीन मोहम्मद पु० नूरमोहम्मद	,,	525.00	28350.00	325.00	27925.00
112.	श्री रतनचन्द पु०	,,	473.00	25542.00	450.00	25092.00
113.	श्री रामेश्वर प्रसाद	,,	499.00	26946.00	240.00	26706.00
114.	श्री रमेशचन्द्र	,,	30.00	1620.00	1590.00	30.00

1	2	3	4	5	6	7
115.	श्री दीवान सिंह एण्ड सन्स गोदाम		411.00	22194.00	832.00	21362.00
116	श्री	,,		5940.00	370.00	5570.00
117.	श्री दौलतराम पु: चेलाराम			243000	525.00	1905.00
118.	श्रीमती निमला देवी	दुकान	557.00	35478.00	1371.50	34106.50
119.	श्री श्रवण कुमार	,	205.00	11070.00	4921.00	6149.00
120.	श्री विजयलाल लक्ष्मीचन्द्र	गोदाम	210.00	11340.00	63.00	11277.00
121.	श्री पुरुषोत्तदास पारुमल	दुकान	575.00	31050.00	1595.00	29455.00
122.	श्री चुन्नीलाल पु. मोती लाल	थड़ी	312.00	16848.00	362.50	16485.00
123.	श्री बाबूलाल उर्फ अमरुद्दीन	,,	128.00	6912.00	380.00	6532.00
124.	श्री सुरजमल पु. रामप्रताप	गोदाम	247.00	13338.00	105.00	13233.00
125.	श्री सत्यनारायण पु: दुर्गालाल	बुखारी	88.00	4752.00	2230.00	2522.00
126.	श्री हरिदास	थड़ी	250.00	13500.00	950.00	12550.00
127	श्री रामबाबू श्री निवास	गोदाम	250.00	13500.00	4250.00	9250.00
128.	श्री लीलचन्द पु: विजयलाल		239.00	12906.00	117.00	12789.00
12[illegible].	श्री मुरलीलाल छितरमल		261.00	14094.00	281.25	1381[illegible].75
130.	श्री बालमुकन्दलाल मोहरीलाल	,,	137.00	7398.00	702.00	6696.00
131.	श्री गोपालदास पु: हरीदास	,,	51.00	2754.00	48.00	2665.50
132.	श्री छीतरमल पु: भोलानाथ शिव गोयल	,,	112.00	6048.25	168.75	5879.50
133.	श्री महेश पु० श्यामसुंदर	गोखा	67.50	3645.00	1289.00	2356.00
134.	श्री यज्ञदेव शर्मा	दुकान	477.00	25758.00	650.00	2510.00

135.	श्री गुलाब खां पु० अल्लाबक्स	दुकान	636.00	34344.00	10716.00	23628.00
136.	श्री रामगोपाल पु० विजयलाल	,,	467.00	25218.00	624.00	24594.00
137.	श्री देवीकीनन्दन पु० गोपीलाल	,,	1454.00	78516.00	1161.00	77355.00
138.	श्री लक्ष्मी नारायण	दुकान	404.00	21816.00	9090.00	12726.00
139.	श्री बनारसीदास पु० मोती लाल	,,	426.00	23120.00	1611.00	21509.00
140.	श्री ज्ञानचन्द पु० भगवानदास	,,	464.00	25056.00	2437.00	22619.00
141.	श्री भौरीलाल	,,	55.00	330.00	[illegible]	[illegible]
142.	श्री कन्हैयालाल सत्यानारायण	[illegible]	138.00	7451.00	252.00	7200.00
143.	श्री कन्हैयालाल गणेशलाल	,,	125.00	6750.00	[illegible]	6750.00
144.	श्री अल्लाबक्स पु० कल्लूखां	,,	143.00	7742.00	620.00	7122.09
145.	श्री कन्हैयालाल पु० रामजवाहरलाल	,,	177.00	9558.00	3182.50	6375.50
146.	श्री कालूराम पु० सुन्दरलाल	गोदाम	181.00	9774.00	300.00	9474.00
147.	श्री रामावतार	छत	1039.00	111106.00	2604.00	107503.00
148.	श्री मनमोहन गोपाललाल	दुकान	420.00	22680.00	575.00	22105.00
149.	श्री विरदीचन्द पु० कल्याण बक्स	,,	480.00	25920.00	776.75	25143.25
150.	श्री विरदीचन्द पु० रामावतार	,,	570.00	30780.00	270.00	30510.00
151.	श्री मदनलाल पु० नाथूलाल	,,	480.00	25920.00	1057.00	24862.69
152.	श्री द्वारकानाथ विरदीचन्द	,,	510.00	27650.00	950.00	26590.00
153.	श्री रामप्रसाद खण्डेवाल	,,	526.00	28404.00	1950.00	26454.00
154.	श्री लालचन्द पु० छगुमल	गोदाम	50.00	2600.00	2500.00	200.00
155.	श्री कृष्णचन्द	बुखारी	50.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
156.	श्री महेन्द्र गोयल	गोदाम	195 00	10530.00	360.00	10170.00
157.	श्री तुलसीदास इन्डस्ट्रीज	.	170.00	9180.00	261.00	8919.00
158.	श्री भगवान सहायक नवीन व्यापार [illegible]	,,	189.00	10206.00	260,00	9999.00
159.	श्री मोहनलाल	,,	280.00	15120.00	520.00	14600 00
160.	श्री गुल्ला पु० किशने धोबी	दुकान	440.00	23750 00	610.00	23150.00
161.	श्री जमनदास वकील	,,	440.00	23760.00	241.50	23518.00
162.	श्री नारग्या पु० नाथू धोबी	,,	504.00	27291.00	–	27221.00
163.	श्री हुसेन पुत्र मोग्या	,,	440.00	23760.00	420 00	23341.00
164.	श्री चौथमल पु० लहूराम	,,	440.00	23760 00	117.00	60.00 23643.00
165.	श्री भगवानदास रमेशचन्द	,,	38.00	–	–	–
166.	श्री करमचन्द खानचन्द	,,	35.00	1890.00	1855.00	35.00
167.	श्री जितेन्द्र सिंह	मकान	245.00	13230.00	949.59	12280.59
168.	श्री कैलाश पु० राधावल्लभ	,,	88.00	4752.00	4410.00	342.00
169.	श्रीमती नर्बदा देवी	,,	49.00	2646.00	2352.00	294.00
170.	श्री भंवरसिंह	,,	92.00	4784.00	5784.00	–
171.	श्री ओम प्रकाश	,,	16.00	864.00	746.00	128.00
172.	श्री मोहम्मद यासीन	,,	17.00	918.00	918.00	–
173.	श्री जुगल किशोर	,,	29.00	1566.00	1378.00	188.00
174.	श्रीमती मनोहरी देवी	,,	17.00	918.00	699.00	219.00

175.	श्री सुरेशचन्द्र	मकान	81.00	3762.00	2952.80	810.00
176.	श्री श्रवणसिंह	,,	40.00	6486.00	500.00	5986.00
177.	श्री उदयचन्द	,,	20.00	1080.00	700.00	380.00
178.	श्री विष्णुचन्द	,,	14.00	756.00	756.00	—
179.	श्रीमती चन्द्रमुखी रस्तोगी	,,	22.00	1188.00	726.00	462.00
180.	श्री हरिमोहन	,,	10.00	540.00	110.00	430.00
181.	श्री श्याम बिहारी	,,	10.00	540.00	235.00	305.00
182.	श्री रामशरण	,,	14.00	756.00	714.00	42.00
183.	श्री रामसिंह	,,	20.00	1017.75	577.75	440.00
184.	श्री आनंदीलाल	,,	19.00	931.00	312.00	619.00
185.	श्री शान्ति स्वरूप	,,	97.00	5238.00	859.00	4979.00
186.	श्री लालचन्द पु. आसाराम	,,	22.00	1188.00	192.00	996.00
187.	श्री घनश्याम	,,	36.00	1632.00	22.00	1610.00
188.	श्री अमीरसिंह	,,	713.00	702.00	689.00	13.00
189.	श्री रुडमल	छत	1.00	1640.00	353.00	1287.00
190.	मौढ नवयुवक संघ	मकान	51.00	2754.00	329.00	2425.00
191.	श्री जुगलकिशोर पारीक	,,	23.00	1242.00	500.00	380.00
192.	श्री श्याम सुन्दर	,,	20.00	880.00	1012.00	230.00
193.	श्री शंकरलाल	,,	44.00	2376.00	—	2376.00
194.	श्री मांगीलाल पु. जोहरीलाल	,,	33.00	1782.00	892.00	890.00
195	श्री दिनेश कुमार	,,	73.00	2847.00	1971.00	876.00

1	2	3	4	5	6	7
196	श्री राम किशोर कटारा	मकान	30.00	1620.00	22.50	1597.50
197	श्री जगदीश चन्द्र कटारा	,,	38.00	2052.00	25.00	2227.00
198.	श्री कैलाश बन्धु माथुर	,,	8.00	432.00	—	432.00
199.	श्री रामगोपाल	,,	13.00	702.00	663.00	39.00
200.	श्री सुरेन्द्र नाथ वकील	,,	37.00	1998.00	1734.00	264.00
201.	श्री शान्ति[illegible]	,,	56.00	3024.00	1176.40	2847.60
202.	श्री कल्याण शर्मा	,,	22.00	1188.00	—	1188.00
203.	श्री अजीतसिंह दुलेरी	,,	14.00	750.00	490.00	260.00
204.	श्री रघुवीरसिंह	,,	20.00	1080.00	1020.00	60.00
205.	श्री राजेन्द्र कुमार	,,	33.00	1782.00	1673.00	109.00
206.	श्री रवीन्द्र कुमार कटारा	,,	40.00	2160.00	216.00	1944.00
207.	श्री रघुवीरसिंह	,,	14.00	756.00	714.00	42.00
208.	श्रीमती जमना देवी	,,	30.00	1620.00	1350.00	270.00
209.	श्री सरयू शरण	,,	24.00	1296.00	816.00	480.00
210	श्री विजय सिंह	,,	138.00	4554.00	990.00	3564.00
211	श्री राधेलाल	,,	10.63	574.02	382.42	191.80
212.	राजस्थान कर्मचारी महासंघ	,,	31.00	1674.00	1433.00	241.00
213.	श्री दुर्गालाल ला[illegible]राम	,,	37.00	1998.00	1813.00	185.00
214.	श्री वशिष्ट कुमार	,,	315.00	17010.00	2624.00	14386.00
215.	श्री वल्लभ	,,	15.00	810.00	765.00	45.00

216.	श्री शान्ति स्वरूप	मकान	5.00	270.00	135.00	135.00
217.	श्री चन्द	,,	19.00	285.00	190 00	195.00
218.	~~श्री दामोदर लाल~~	,,	~~36.00~~	~~1944.00~~	~~1093.75~~	~~850.25~~
219.	श्री विपिन प्रभाकर	,,	51.00	2754.00	2019.00	735.00
220.	श्री कैलाशचन्द्र	,,	8.00	432.00	—	432.00
221.	श्री अब्दुल सत्तार	,,	18.00	972.00	59.50	862.50
222.	श्री जुगलकिशोर	,,	5.00	270.00	214.43	55.57
223.	श्री रामबक्स मीणा	,,	2.00	108.00	18.00	90.00
224.	श्री ईश्वर पु० लादू	,,	3.00	162.00	87.00	75.00
225.	श्री केदार नाथ	,,	43.00	2322.00	1330.00	992.00
226.	श्री जुगल किशोर	,,	20.00	1080.00	214.43	865.57
227.	श्री बद्रीनारायण	,,	60.00	3240.00	276.00	2964.00
228.	श्री रूपचन्द्र	,,	16.00	864.00	106.25	757.75
229.	श्री वस्तीचन्द	,,	13.00	702.00	689.00	13.00
230.	श्री हरमानसिंह	,,	102.00	1326.00	1122.00	204.00
231.	श्री कानां	,,	46.00	2484.00	140.00	2344.00
232.	श्री वजीर	,,	20.00	1080.00	56.00	1024.00
233.	श्री भंवरी देवी गुलया	,,	10.00	540.00	280.00	260.00
234.	श्री वेंकटी पु० इन नवक्स	,,	40.00	2160.00	100.00	2060.00
235.	श्री राधेश्याम	,,	28.00	1512.00	774.00	738.00
236	श्री सुशील कुमार	,,	18.00	972.00	226 00	746.00

1	2	3	4	4	6	7
		मकान				
237.	श्रीमती [illegible] देवी	"	38.00	20 2.00	101.25	1050.25
23[illegible].	श्री सुशील कुमार	"	70.00	3780.00	—	3780.00
239.	श्री आर. एस. चोपड़ा	"	40.00	2160.00	—	2160.00
240.	श्री स्वामी शरण कायस्थ	"	164.00	8856.00	3331.00	5515.00
241.	श्रीमती सोना बेगा लक्ष्मीनारायण	"	25.00	1350.00	1350.00	—
242.	श्री माल सिंह		45.00	2280.00	500.00	17[illegible]0.00
243.	श्री एस. एन. पुरोहित	"	29.00	1276.00	1169.00	107.00
244.	श्री गोविन्द सिंह लोहारी	"	47.00	2538.00	2187.50	351.00
245.	श्री राम प्रसाद	"	28.00	1512.00	812.00	700.00
246.	श्री विष्णु दत	"	53.00	2358.00	365.00	1993.00
247.	श्री सीता राम	"	10.00	540.00	60.00	480.00
248.	श्री पदम सिंह भार्टी	"	58.00	2436.00	2404.00	32.00
249.	श्रीमती दमयन्ती नागर	"	92.00	3345.00	3253.00	92.00
250.	श्री [illegible] [illegible]लाल	"	3.50	179.00	31.50	147.5[illegible]
251.	[illegible] दीपचन्द	"	115.00	2691.00	105.00	2586.00
		योग				

क. स.	नाम किरायेदार	किराये पर प्राव-टित भवन की संख्या	मासिक किराया की राशि की 1-7-78 से नवनिर्धारित किराये के अनुसार	बकाया	बकाया का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ताराचन्द पुत्र लालाजी मल	दुकान	658.00	46759.00	15.5.70
2.	श्री बंशीधर पुत्र कन्हैयालाल	,,	228.00	12872.00	26.11.70
3.	श्री अब्दुलवहाव पुत्र अब्दुल गफार	,,	432.00	23445.00	17.1.77
4.	श्री घासी पुत्र रामचन्द्र	,,	525.00	28412.00	25.10.77
5.	श्री सूरज पुत्र महादेव	,,	429.00	24766.00	1.7.76
6.	श्री श्याम नारायण	,,	550.00	30360.00	1.8.76
7.	श्री रामनिवास शाह	,,	30.00	4091.00	7.8.71
8.	श्री अब्दुल अमहद पुत्र भूरेखां	,,	15.94	1426.00	21.6.74
9.	श्री मुकट बिहारीलाल भार्गव	मकान	116.00	15015.00	1.1.70
10.	श्री महादेव मीना	,,	11.00	743.00	15.5.77
11.	श्रीमति मनोहर देवी	,,	16.00	864.00	1.6.78
12.	श्री विरद्धीचन्द	,,	19.00	961.00	25.5.74
13.	श्री सीताराम	प्याऊ	51.00 प्रतिवर्ष	392.50	1.8.76
14.	श्री सूरजप्रकाश पापा	मकान	184.00	14186.00	28.2.72
15.	श्री नरेन्द्र कुमार	,,	48.00	3272.00	11.7.72
16.	सहायक कर्मचारी संघ	अलमारी	2.00	262.00	1.4.71

1	2	3	4	5
17. श्री मोहनलालजी	मकान	47.00	3307.00	25.11.74
18. श्री प्रेमचन्द	,,	113.00	10952.00	20.5.73
19. श्री यशवन्त कुमार	,,	29.00	2001.00	1.4.78
20. श्रीमति सत्यवती देवी	,,	44.00	3306.00	23.5.75
21. कांग्रेस कमेटी	,,	70.00	9531.00	20.12.71
22. श्री रामनारायण	,,	16.00	2046.00	20.5.68
23. श्री रामस्वरूप	,,	156.00	8994.00	10.11.75
24. श्री रामावतार	,,	107.00	10486.00	1.11.74
25. श्री नवलकिशोर पारीख	,,	10.00	650.00	1.7.77

सूची राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरान, जयपुर

क्र. सं.	नाम किरायेदार	आवंटित भवनों की संख्या	मासिक किराया	1-7-75 से 31-12-82 तक की बकाया	किराये पेटे वसूल की राशि	शेष बकाया
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री छीतर खां	मकान	755	40770.00	638.96	4013.04
2.	,, रहीम खां	,,	574	30996.00	701.40	30295.56
3.	श्रीमती फातिमा	,,	1288	69552.00	891.46	68660.54
4.	श्री सत्यनारायण	,,	1327	71658.00	1362.00	69296.00

5.	श्री गोविन्दनारायण	मकान	31.84	—	—	—
6.	,, आत्मप्रकाश	,,	17.53	—	—	—
7.	,, भौरीलाल	,,	53.31	—	—	—
8.	,, भगवानदास	,,	398	21492.00	6746.00	14746.00
9.	,, हरिनारायण	,,	153	8262.00	1245.00	7017.00
10.	,, रूपसिंह	,,	137	7344.00	1055.00	6289.00
11.	,, रमाकान्त	,,	57	3078.00	920.00	2158.00
12.	,, डी. के. डे.	,,	1600	86400.00	400.00	86000.00
13.	,, गजानन्द	,,	428	23112.00	123.74	22988.00
14.	,, रूपचन्द्र	,,	208	11232.00	806.54	10425.46
15.	,, मन्त्री, जयपुर देहात कांग्रेस	,,	40	2160.00	229.50	1930.50
16.	,, धनराज	,,	2352	127008.00	848.10	126159.00
17.	,, मोहनलाल	,,	1049	56646.00	1025.50	55620.50
18.	,, राकेश कुमार	,,	1049	56646.00	969.08	55676.92
19.	,, केसरलाल	,,	2352	127008.00	318.60	126689.40
20.	,, रामचन्द्र	,,	496	26784.00	1796.00	24988.00
21.	,, कुंज बिहारी	,,	184	9936.00	72.00	9861.00
22.	,, राधेश्याम	,,	300	16200.00	701.25	15498.75
23.	,, धनपतराय	,,	1585	85590.00	107.86	85484.14
24.	,, मूलचन्द	,,	2185	117990.00	637.25	117352.75
25.	,, लक्ष्मीमोहन	,,	496	26784.00	197.47	26586.53
26.	,, पूनमचन्द	,,	284	15336.00	263.90	15072.10
27.	,, गजानन्द	,,	428	23112.00	296.36	22815.64
28.	जिला विकास परिषद	,,	49	2646.00	588.00	2058.00

Page No 259

क्रम सं.	नाम किरायेदार	किराये पर आवंटित भवन की संख्या	मासिक किराये की राशि दि. 1-7-78 से नव निर्धारित किराये के अनुसार	बकाया	बकाया का दिनांक
1	1	3	4	5	6
1.	श्री शान्तीलाल	मकान	39.84	5147.30	23-3-72
2.	श्री चतरभुज	,,	63.76	4461.20	1-2-77
3.	श्री प्रातम प्रकाश	,,	39.84	5239.20	5-1-72
4.	श्री राजमल	,,	1293.00	71434.71	25-9-72
5.	श्री रामपाल	,,	775.00	42896.00	10-1-73
6.	श्री रामसहाय	,,	272.00	15809.49	1-12-65
7.	श्री विश्वनाथ	,,	925.00	55955.00	25-3-77
8.	श्री मोहम्मद इब्राहीम	,,	400.00	23440.00	1-2-77
9.	श्री सुभद्रकुमार	,,	2776.00	150790.48	15-8-77
10.	श्री किशनलाल	,,	1049.00	56872.16	15-10-77
11.	श्री श्यामसुन्दर	,,	1.06	141.08	1-10-71
12.	श्री नरेन्द्रकुमार	,,	460.00	25179.84	15-9-76
13.	श्री नरेन्द्रकुमार	,,	369.00	20384.75	1-11-75
14.	श्री कन्हैयालाल	,,	186.00	10561.40	11-4-78
15.	राजकीय प्राथमिक शाला	,,	37.00	1665.00	1-4-79

Page No 260

14.	राजकीय प्रा. वि. जयपुर	मकानात	215.00	84,495.00
15.	जिला शिक्षा अधिकारी, द्वितीय	,,	61.00	549.00
16.	जिला शिक्षा अधिकारी, द्वितीय प्रा. वि.	,,	76.00	684.00
17.	प्रधानाचार्य, महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर	,,	778.00	3,05,754.00
18.	प्रधानाचार्य, महाराजा संस्कृत, कालेज (छात्रावास)	,,	78.00	702.00
19.	जिला रसद अधिकारी, जयपुर	,,	25.50	1453,00
20.	सहा. निदेशक राज. प्राच्य विद्या प्रति, जयपुर	,,	65.00	585.00
21.	अधिशासी अभियन्ता, जलदाय विभाग, जयपुर	,,	257.00	1,01 001.00
22.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत मण्डल, जयपुर	,,	9.44	198.24
23.	भू-प्रबन्धक आयुक्त, जयपुर	,,	1450.00	6,750.00
			8754.94	12,56,871.24
			कुल योग....	67 12 329.83

सूची बकाया किराया 31-12-82 (सरकारी विभाग)

क. सं.	पद नाम किरायेदार मय विभाग	सम्पदा का विवरण	मासिक किराया	वि. विवरण बकाया
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षक, डाक विभाग, जयपुर	मकानात	256.00	1,00,608.00
2.	सहायक महानिदेशक, डाकतार विभाग, देहली	,,	96.00	37 728.00
3.	अधीक्षक पुलिस विभाग, जयपुर	,,	817.00	7,353.00
4.	अधीक्षक, पुलिस चौकी, चांदपोल	,,	180.00	1 620.00
5.	जिला कृषि अधिकारी, जयपुर	,,	7.00	63.00
6.	उप-निदेशक, कृषि विभाग, दौसा	,,	44.00	396.00
7.	प्रधानाचार्य रा. उ. मा. विद्यालय, जयपुर	,,	2573,00	54,033.00
8.	प्रधानाचार्य कमला नेहरू स्मृति, रा. उ. मा. विद्यालय, जयपुर	,,	1228.00	25,788.00
9.	राजकीय उद्योग प्रशिक्षणालय, जयपुर	,,	1418.00	5,23,242,00
10.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), जयपुर	,,	90.00	1,890.00
11.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), (म. श्री रतनबिहारीजी)	,,	37.00	333.00
12.	जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रथम) (मं. श्री ब्रज ब्रजराज बिहारीजी)	,,	150.00	1,350.00
13.	उप-शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाए)	,,	144.00	1,296.00

राजस्व अभियान में मंदिरों की भूमि से हटाये गये कब्जे

382 श्री दावखां (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) जनवरी-फरवरी, 1983 में चलाये गये राजस्व अभियान मे किस-किस जिले में मन्दिरों की कितनी-कितनी भूमि व जायदादों पर दूसरे लोगों का नाजायज कब्जा पाया गया ?

(2) क्या सरकार ने इन नाजायज कब्जों को हटाकर भूमि व जायदाद मंदिरों के नाम पर करा दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस राजस्व अभियान के अन्तर्गत 3-2-1983 तक मन्दिरों की कुल 20,207 एकड़ भूमि पर प्रथम दृष्टा रूप से अनाधिकृत कब्जे पाये गये। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई। मंदिरों की अन्य जायदाद पर कब्जे का बिन्दु राजस्व अभियान में सम्मिलित नहीं था, अत: आंकड़ों का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां, न्यायिक कार्यवाही की जा रही है।

सूची

देवस्थान के मन्दिरों की भूमि के अवैध हस्तान्तरण व गलत नामान्तरण के बाद जांच पाये जाने वालों की जिलेवार संख्या एवं एकड़ निम्न प्रकार से हैं:—

क्र० सं०	नाम जिला	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़)
1	2	3	4
1.	अजमेर	168	—
2.	अलवर	269	—
3.	बांसवाड़ा	17	28
4.	बाड़मेर	30	519
5.	भरतपुर	173	755
6	भीलवाड़ा	17	29
7.	बीकानेर	31	
8.	बूंदी	3	—
9	चित्तौड़गढ़	5	—
10.	चूरू	9	7194
11.	डूंगरपुर	3	—

1	2	3	4
12.	धौलपुर	21	—
13.	गंगानगर	134	571
14.	जयपुर	354	1194
15.	जैसलमेर	9	1511
16.	जालौर	47	518
17.	झालावाड़	41	3332
18.	झुंझुनू	519	—
19.	जोधपुर	168	—
20.	कोटा	550	—
21.	नागौर	483	4081
22.	पाली	33	223
23.	सवाई माधोपुर	163	—
24.	सीकर	14	252
25.	सिरोही	59	—
26.	टौंक	—	—
27.	उदयपुर	127	—
	राजस्थान राज्य	3451	20207

जिला बाड़मेर में लिग्नाइट पर आधारित ताप बिजलीघर की स्थापना

383. श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जो भी बिजली राजस्थान को प्राप्त है उसके आधार पर बाड़मेर एवं जैसलमेर जिला इसके आखिरी छोर पर आया हुआ है जिसके कारण मध्य में होने वाली किसी भी त्रुटि एवं वोल्टेज कमी की हानि इस क्षेत्र को ही सर्वाधिक उठानी पड़ती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लिग्नाइट नाम का पदार्थ सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का इसी जिले के ग्राम कपूरडी में उपलब्ध है ?

(3) क्या ऊर्जा विभाग की लिग्नाइट के आधार पर चलने वाले ताप बिजलीघर की बाड़मेर में स्थापना करने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू की जायेगी ? यदि नहीं तो ऐसी योजना न बनने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान को जिन स्रोतों से विद्युत प्राप्त होती है उनको ध्यान में रखते हुए, राज्य के कई क्षेत्र आखिरी छोर पर पड़ते हैं। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि राजस्थान की प्राप्य विद्युत के आधार पर बाड़मेर व बाड़मेर जिला ही आखिरी छोर पर आया हुआ है। यह सही है कि बाड़मेर जिला विद्युत स्रोतों से दूरस्थ स्थिति में होने के कारण, विद्युत सप्लाई तंत्र में त्रुटि एवं वोल्टेज की कमी से अधिक प्रभावित होता है।

(3) खनिज विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, बाड़मेर के कपूरड़ी ग्राम के क्षेत्र में लिग्नाइट भण्डार पाये गये हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कपूरड़ी क्षेत्र में पाये गये लिग्नाइट की श्रेणी राजस्थान में अन्य स्थानों पर प्राप्त लिग्नाइट के अनुरूप ही है।

(3) जी नहीं. अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

सहकारी कताई मिल, श्रीगंगानगर

38. श्री रामकिशोर मिणा (सिकराय एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि सहकारी कताई मिल, श्रीगंगानगर हैडक्वार्टर हनुमानगढ़ का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है ?

(2) इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा जब प्रारम्भ हुआ उस समय निर्माण कार्य की मूल लागत के अनुमान क्या थे और निर्माण के दौरान उसमें कब-कब वृद्धि की गई और अब तक उस पर कितना व्यय हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि मिल के संचालक मंडल को जयपुर में हुई बैठक में ठेकेदार द्वारा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किये गये हर्जाने के दावे को पंच फैसले के लिये भेजे जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो ठेकेदार द्वारा किस मद में बढ़ोतरी के आधार पर कुल कितना क्लेम पेश किया गया ?

(4) संचालक मंडल की यह बैठक जयपुर में कब हुई और उसमें कौन-कौन उपस्थित थे ? कृपया उस रोज लिये गये निर्णय के मिनिट्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पंच फैसले में निर्णय ठेकेदार के पक्ष में हुआ लेकिन सरकार ने उस पंच फैसले को अमान्य कर दिया ? यदि हां, तो पंच फैसले को अमान्य करने के क्या कारण थे ? कृपया पंच फैसले एवं उसे अमान्य करने के निर्णय की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

265

उत्तर

(1) गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स मुख्यालय हनुमानगढ़ का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था। लेकिन अब ठेकेदार से बचा हुआ कार्य वापिस लेकर राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन को दे दिया गया है।

(2) मिल का निर्माण कार्य दिनांक 4-6-79 को प्रारम्भ हुआ एवं उस समय प्रिमियम सहित मूल लागत 86, 12, 988.00 रुपये आंकी गई थी। निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण कार्य की निविदा दर पर बढ़ोतरी किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन किये जाने पर 13-11-80 को 43.91 प्रतिशत प्रीमियम के स्थान पर दिनांक 1-1-81 से 59.51 प्रतिशत प्रीमियम मजदूरों में वृद्धि होने के कारण दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार 6,95 996.30 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। अब तक ठेकेदार को 87,10 184.11 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) संचालक मण्डल की एक बैठक दिनांक 13 7.82 को हुई और उस बैठक में निम्न संचालकगण उपस्थित थे।:—

1. श्री महेन्द्रसिंह, एम. एल. ए. अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र जैन, शासन सचिव, सहकारी विभाग राज. जयपुर
3. श्री प्रहलादराय शर्मा, जिलाधीश, श्री गंगानगर
4. कु. मुकुलिका सेन एक्टिंग रजिस्ट्रार सरकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
5. श्री एस. एस. परशामी, उप शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्री वी. के. तापड़िया, मैनेजर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जयपुर।
7. श्री एस. एस. जैन, सहायक मैनेजर, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, दिल्ली।
8. श्री कुलदीपसिंह, सदस्य
9. श्री मुखत्यार सिंह, सदस्य
10. श्री भीखाराम, सदस्य
11. श्री देवीलाल, सदस्य
12. श्री ओ. पी. भार्गव, प्रबन्ध संचालक

माननीय श्री रामपाल उपाध्याय तत्कालीन राज्य मंत्री सहकारिता ने बैठक में विशिष्ट आमन्त्रित के रूप में भाग लिया। उस रोज लिये गये निर्णयों की प्रति संलग्न है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्णय की प्रति

कार्यवाही विवरण संचालक मण्डल दिनांक 13-7-1982

कार्यवाही संचालक मण्डल बैठक दिनांक 13-7-1982 (विचार पूरा न होने से संचालक मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 2-7-1982 को दिनांक 13-7-82 के लिये एडजोर्न हो गई थी। जो आज दिनांक 13-7-82 को दिन के 11-00 बजे माननीय मंत्री महोदय सहकारिता के चैम्बर में जयपुर में श्री महेन्द्रसिंह एम. एल. ए. अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निम्नांकित संचालकों ने भाग लिया :—

1. श्री महेन्द्रसिंह एम एल.ए. अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र जैन शासन सचिव सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर
3. श्री प्रहलादराय शर्मा, जिलाधीश श्रीगंगानगर
4. कु. मुकुलिका सेन, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर
5. श्री एस. एस. परनामी, उप शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान जयपुर
6. श्री वी. के. तापड़िया, मैनेजर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जयपुर
7. श्री एस, एस. जैन, सहायक मैनेजर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, दिल्ली।
8. श्री कुलदीपसिंह, सदस्य
9. श्री मुख्त्यारसिंह सदस्य
10. श्री भीखाराम, सदस्य
11. श्री देवीलाल सदस्य
12. श्री ओ. पी. भार्गव, प्रबन्ध संचालक

माननीय श्री रामपाल उपाध्याय, राज्य मंत्री महोदय सहकारिता ने विशिष्ट आमन्त्रित के रूप में बैठक में भाग लिया।

विचारणीय विषय सूची के अनुसार विचार विमर्श हुआ व निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

प्रस्ताव	निर्णय
24 (1) मै. वी. के. कंसट्रक्शन वर्क्स प्रा. लि. चण्डीगढ़ के द्वारा किये गये क्लेम्स पर विचार	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि कान्ट्रेक्टर मै. वी. के. कंसट्रक्शन वर्क्स प्रा. लि. द्वारा दिये गये बिन्दुओं को उप समिति की दिनांक 12-7-82 की सिफारिश के अनुसार कान्ट्रेक्ट की शर्त 13 के अन्तर्गत आर्चिटेक्ट इंजीनियर को रेफर कर दिया जाये जिसमें मैनेजर के व्यू भी पूरे मुद्दे पर दिये जाये और मैनेजमेन्ट के काउन्टर क्लेम भी भेजे जाये और उनसे अनुरोध

(267)

	किया जाये कि वह अपना निर्णय सात दिन में देने की कृपा करें। कान्ट्राक्टर ने इकरार किया कि वह बाकी बचे कार्य को द्रुतगति से पूरा करेगा और दिनांक 30-9-1982 तक समस्त कार्य अवश्य पूरा कर देगा। इस बचे कार्य का भुगतान भी अभी मौजूदा रेटों पर पूर्व प्रचलित परम्पराओं के अनुसार रनिंग बिल के द्वारा किया जायेगा। श्री परनामी ने उपरोक्त निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की।
24 (2) मे. एम.एम सी. द्वारा की गई मूल्य बढ़ोतरी पर विचार	विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि संचालक मण्डल द्वारा मशीनरी निर्माताओं से मूल्य वृद्धि के प्रश्न के निपटारे के लिये गठित उपसमिति इस सम्बन्ध में निर्णय ले।
24 (3) मै. टेक्सटूल लि. द्वारा की गई मूल्य बढ़ोतरी पर विचार	विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि संचालक मण्डल द्वारा मशीनरी निर्माताओं से मूल्य वृद्धि के प्रश्न के निपटारे के लिये गठित उपसमिति इस सम्बन्ध में निर्णय ले।
24 (4) संचालक मण्डल के सदस्यों को अन्य राज्यों की कताई मिलों के कार्य के अध्ययन के लिये यात्रा पर भेजने पर विचार।	प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

एतत् पश्चात सभा की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

जनजातीय क्षेत्रिय विकास निगम, उदयपुर

385. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में आदिवासियों की भलाई हेतु जनजातीय विकास निगम की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो यह कब की गई ?

(2) जनजातीय क्षेत्रीय विकास निगम में मनोनीत कितने सदस्य हैं एवं निगम की कितनी बार मीटिंग बुलाई गई ?

(3) इस वक्त उक्त निगम के संचालन मण्डल के कितने सदस्य है ? कृपया नामावली सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां 27 मार्च, 1976 को राज. जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम की स्थापना की गई। जो दिनांक 13-11-80 से राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. हो गया।

(2) इस समय संचालक मण्डल में 16 सदस्य हैं, एवं संचालक मण्डल की अब तक 17 बैठकें हो चुकी हैं।

(3) इस समय संचालक मण्डल में 16 सदस्य हैं। नामावली सदन को पटल पर रख दी गई है।

सूची

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर के संचालक मण्डल में मनोनीत 16 सदस्यों की नामावली:—

1.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	अध्यक्ष
2.	विकास आयुक्त एवं सचिव, जनजाति विकास विभाग, जयपुर	सदस्य
3.	वित्त आयुक्त, राज जयपुर	”
4.	राजस्व आयुक्त एवं सचिव, राज. जयपुर	”
5.	शासन सचिव, सहकारिता राज. जयपुर	”
6.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर	”
7.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर	”
8.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सह. क्रय विक्रय संघ लि, जयपुर	”
9.	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य सह. उपभोक्ता संघ लि. जयपुर	”
10.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष जिला विकास अधिकरण, उदयपुर	”
11.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विकास अभिकरण, बांसवाड़ा	”
12.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़	”
13.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विकास अभिकरण, डूंगरपुर	”
14.	जिलाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विकास अभिकरण, कोटा	”
15.	पंजीयक, सहकारी समितियां, राज. जयपुर	”
16.	प्रबन्ध निदेशक, राजस संघ, उदयपुर	”

राजस्थान व हरियाणा के मध्य बस चलाने का समझौता

386: सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान एवं हरियाणा प्रदेश के बीच यातायात निगम को किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी गाड़ियों ने किस किस समय पर चलाने का आपसी करार किया हुआ है ? कृपया करार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(269)

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) क्या यह सही है कि हरियाणा ने करार के विरुद्ध अनधिकृत रूप से निर्धारित मार्गों के अतिरिक्त तथा निर्धारित संख्या से अधिक बसें चलाई है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में राजस्थान यातायात निगम तथा सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) करार की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमे वांछित सूचना उपलब्ध है ।

(2) राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के बीच एक करार जुलाई, 81 में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस चलाने के सम्बन्ध में किया गया था । निगम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा राज्य के गुडगांव आगार द्वारा करार के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त वाहने फरवरी, 83 के द्वितीय सप्ताह से संचालित की जा रही है । सूचना प्राप्त होते ही इस पर आक्षेप उठाया गया और इसे तुरन्त बन्द करने के लिये लिया गया ।

दिनांक 8-3-83 को हरियाणा राज्य परिवहन के अधिकारियों ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों से विचार विमर्श के दौरान हरियाणा के अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि एक वापसी सेवा दिल्ली-अलवर-जयपुर की दिल्ली कोटपुतली-जयपुर होकर चल रही है । यह उक्त करार के विरुद्ध है और इसकी छानबीन की जा रही है ।

करार की प्रति

Reciprocal Transport Agreement between the States of Rajasthan and Haryana arrived in a Joint meeting held on 17-18-7-81 at Delhi/Jaipur.

PRESENT

Rajasthan Side	*Haryana Side*
1. Shri Agarwal State Transport Commissioner Rajasthan.	i) Sh. R. C. Verma, State Transport Controller, Harayana.
	ii) Sh. Dharam Vir. Addl. State Transport Controller, Haryana.

iii) Sh. N. D. Jagga,
Flying Squad officer,
Transport Department, Haryana.

iv) Sh. R. Verma.
Secretary, R. T. A.
Hissar.

v) Sh. S.S. Ahlawat,
Secy. RTA Faridabad

vi) Sh. Ram Gopal,
Traffic Manager-
Haryana Roads, Sub
Deptt., Delhi.

Stage carriages:—

It was felt that traffic on the existing routes has increased considerably since the last agreement concluded in the year 1974. S.T.C. Rajasthan pointed out that there is all round increase in traffic on every joint route and the frequency of services on these routes needs to be increased keeping in view the increased traffic demand. He felt that the proposal of opening up new routes for joint operation may be taken up later on. Presently the services on the existing routes be strengthened. It was therefore decided that the trips on the existing routes be increased as per traffic demand. Accordingly a list of routes along with number of trips being operated by both states under various joint agreements has been consolidated and the additional trips to be opened by each state on these joint routes have been shown against each route in the statement enclosed with the agreement. The existing operation as well as the additional operation agreed to in this meeting being a party in kilometer on the extent of 1930 kms.

S.T.C. Rajasthan further Stated that the earlier recommendation of Rajasthan State Road Transport

Corpn. of curtailing services on some of the routes to the extent of 222) can not be accepted. He felt that there is a need to augment the services rather than applying out on the existing ones. Likewise Haryana would also not refuse its services on the existing routes. S.T.C. Harayana agreed to the suggstion and it was agreed that the services/ routes curtailed/ surrendered in a joint meeting held in Oct. 1930 may not be treated as such and deemed to have been in operation by both the States.

2. It was agreed that the joint time table of the new services will be framed in consultation with the concerned RTO both the States.

3. It was agreed that ordinarily no additional services be operated on the joint routes. Even in the territory of Home State if it effected the Inter-State service already in operation under reciprocal agreement. The addition of services, if any on a part of the inter-state route becomes necessary, the reciprocating state may be informed accordingly.

4. It was agreed that Clause 8 (iii) of agreement arrived at in February, 1968 be deleted. There does not appear to be to the necessary of issuing upto 52% extra stage carriage permits to the operator other than the State Transport Undertaking.

Public carriers : (Substantive permit)

The attention of S.T.C. Rajasthan was drawn to the reciprocal transport agreement arrived at in July, 1973 wherein it was agreed that the quota for public carriers permits was increased from 5000 to 7000 for each state. This additional quota of public carriers could not be given effect due to some or the other reason. It was agraeed that the quota of permits for public carriers should be increased from 500 to 700 as agreed earlier.

General :

a) The reciprocating state shall accord recognition to road tax registration licences, public service vehicles authorisation, certificate of fitness etc, in respect of vehicles plying under the reciprocal agreement,

b) There shall be single point Motor vehicles Taxation in respect of vehicles covered under the reciprocal agreement subject to the condition that permits are countersigned by the: Transport Authority.

c) Temporary permits issued due to pendency of the renewal of permits shall be countered on single taxation.

d) There shall be exemption from payment of Goods/Passenger tax in respect of any class of vehicles entering either state.

Sd/-	Sd/-
(R.k Agarwal)	(Ram S. Verma)
Transport Commissioner	State Transport Controll
Rajasthan.	Haryana.

— - — —

Page No 273

Inter–State routes between Haryana and Rajasthan as agreed to by both the States in the joint meeting held on 18/18-7-81 at Delhi and Jaipur.

S. No.	Name of the Route	Length of route			No. of S. Trips		Total kms.		Addition in operations as agreed to in the meeting.			
									Single tips		Total kms.	
		Raj.	Hr.	Total	Raj.	Hr.	Raj. in Hr.	Hr. in Raj.	Raj.	Hr.	Raj in Haryana	Hr. in Raj.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Sardulgarh-Koriwala	29	13	42	2		26	—	—	—	—	—
2.	Nohra-Sirsa	30	30	60	10	10	300	203		—	—	—
3.	Bhadra Hissar Via Adampur	34	32	66	20	18	640	612	—	—	—	—
4.	Hissar-Rajgarh via Jhumpa	48	22	70	6	12	132	576	4	—	88	—
5.	Tijara-Bawal via Tapukara Bhiwari	30	35	65	8	8	380	240	—	—	—	—
6.	Kotputli-Rewari via Behror	58	21	75	16	4	336	232	—	2	—	116
7.	Tijara-Rewari via Kotkasim	35	22	57	4	8	88	280	—	—	—	—
8.	Tijara-Bolni	35	2	37	12	—	24	—	—	—	—	—

9. Pilani-Loharu	18	6	25	12	10	72	180	—	16	—	288
10. Behror-Rewari via Kuud	32	24	56	20	12	480	384	—	—	—	—
11. Pragpu-Nizampur	53	16	69	4	—	64	—		—	—	-
12. Khetri-Nizampur	27	1	28	12	—	12	—	—	—	—	—
13. Kotputli-Ateli	40	18	58	12	6	216	240	—	—		-
14. Kotputli-Narnaul	14	34	48	4	12	136	168	—	—	—	—
15. Singhana-Narnaul via Bakri	18	19	37	2	..	38	—	4	—	76	—
16. Behror-Narnaul via Jakhrana	18	7	25	8	4	56	72	—	—	—	—
17. Satnali-Khetri	-40	6	46	12	—	62	—	—	—	—	—
18. Jhunjhnu-Narnaul	70	18	88	8	—	144	—	4	—	72	—
19. Bhadra-Kamsara	29	2	31	6	—	12	—	—	—	—	—
20. Hanuman Garh-Dabwali via Sangaria	6	10	16	12	12	120	72	—	—	—	—
21. Ganganagar-Dabwali	95	35	130	—	10	—	950	2	4	70	380
22. Bisana-Loharu	77	5	82	6	—	30	—	—	—	—	—
23. Kama-Ferozpur-Zhirka	24	21	45	4	4	84	96	2	—	42	—
24. Jhunjhunu-Loharu	64	8	72	4	—	32	—	—	4	—	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Deeg-Punbana via Ghurera	43	5	47	8	—	40	—	—	—	—	—
26.	Bhadra Hissar via Balsamand	34	32	66	12	11	384	340	2	—	64	—
27.	Saddulsher-Sangaria-Dabwali	34	35	69	4	4	140	176	2	—	70	—
28.	Bhadra Siwani via Rajgarh	38	14	52	2	—	28	—	—	—	—	—
29.	Sidhmukh-Gorchi	34	3	37	2	—	6	—	—	—	—	—
30.	Jaipur-Loharu via Pilani extended upto Bhiwani	245	73	318	2	—	146	—	—	—	—	—
31.	Tijara-Sona via Bhiwari	35	26	61	6	4	160	140	—	2	—	70
32.	Tijara-Ferozpur-Zhirha via Nimli	16	8	24	12	4	96	64	—	—	—	—
33.	Bharatpur-Gurgaon	76	88	164	2	2	176	152	2	—	176	—
34.	Alwar-Rewari via Tijara; Tapukara	88	22	110	2	2	44	176	—	—	—	—
35.	Ganganagar-Sirsa via Dabwali	81	87	168	2	2	174	162	—	—	—	—

36. Pachari-Nizampur	30	2	32	6	—	12	—	—	—	—	—
36A. Loharu-Jaipur via Pilani	2	2	—	—	—	64	—	—	—	—	—
37. Sidhumukh-Siwani	50	37	87	4	—	188	—	2	—	74	—
38. Sidhumukh-Siwani	50	43	93	2	—	86	—	2	—	86	—
39. Bhadra-Bhatukalan	26	23	49	2	—	46	—	—	—	—	—
40. Sohna-Rewari	5	43	48	—	2	—	10	—	—	—	—
41. Nuh-Jhurera via Puahana	8	77	85	—	2	—	16	2	—	154	—
42. Sikari-Puahana via Jhurera	40	4	44	2	—	8	—	—	—	—	—
43. Khetri-Loharu	70	5	75	4	—	20	—	—	—	—	—
44. Narnaul-Rewari	3	52	55	—	16	—	48	—	—	—	—
45. Rohtak-Jaipur via Bahuror, Kotputli	130	80	210	2	2	160	260	—	—	—	—
46. Sadulpur-Behal	19	7	26	2	—	14	—	—	—	—	—
47. Fathabad-Nohar via Lootsar	32	60	92	2	—	120	—	2	—	120	—
48. Nandei-Ferozpur-Jhirka	64	16	80	8	2	128	128	—	—	—	—
49. Sardar Sahar-Rohtak via Rajgarh	197	122	319	2	2	244	394	2	—	244	—

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50. Jaipur–Delhi via Kotputli	156	94	270	20	13	1780	2028	—	—	—	—
50A. Jaipur–Delhi extend upto Ajmer	284	94	378	—	2	568	—	—	—	—	—
51. Kotputli–Mohinder-garh	64	64	128	2	2	128	128	2	—	128	—
52. Bahror-Rewari via Shahjahapur	29	29	58	4	4	116	116	2	—	58	—
53. Khetri-Narnaul via Nizampur	26	19	45	4	4	76	104	2	2	38	52
54. Hissar-Rajgarh	63	48	111	—	2	—	126	2	—	96	—
55. Chandigarh-Loharu extened upto Pilani	18	306	324	—	4	—	72	2	—	612	—
56. Delhi-Alwar via Sohna	37	102	139	8	16	816	592	2	4	204	148
57. Delhi-Jaipur via Alwar	181	102	306	4	2	408	362		2	—	362
58. Delhi-Gwalior	29	66	306	1	2	66	53	—	—	—	—
59. Delhi-Khetri	37	150	187	3	10	450	370	2	—	300	—
60. Delhi-Bharatpur via Hodal	67	79	146	4	4	316	268	2	—	158	—

61. Delhi-Jhunjhnu via Pilani-Loharu	61	155	216	2	3	310	183	—	3	—	183
62. Chandigarh-Jaipur via Kotputli Delhi	156	169	437	2	2	562	312	—	—	—	—
63. Chandigarh-Jaipur via Rohtak, Kotputli	165	281	424	—	2	538	—	—	—	—	—
64. Rewari-Bhartpur via Sohna	77	100	177	2	2	200	154	—	—	—	—
65. Rewari-Jhunjhnu via Narnaul, Khetri	72	91	163	2	2	182	144	2	2	182	144
66. Narnaul-Jaipur via Kotputli	156	34	190	2	2	68	312	—	—	—	—
67. Ajmer-Bhewani via Narnaul extend upto Hissar	298	22[illegible]	524	2	2	452	596	—	2	—	596
68. Ganganagar-Delhi via Hanumangarh Hissar	199	205	204	2	+	410	—	—	—	—	—
69. Sikar-Delhi via Rohtak via Pilani	139	145	284	2	—	290	—	—	—	—	—
70. Gurgaon-Nogawan via Ferozpur-Zhirka	3	10 100	3	—	2	—	6	—		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71.	Narnaul-Kotputli via Banethi	23	30	53	4	—	120	—	—	—	—	—
72.	Shahjahanpur-Narnaul via Neemrana	29	10	39	7	—	60	—	—	—	—	—
73.	Behror-Mahindergarh via Jakhrana	26	32	58	2	—	64	—	—	—	—	—
74.	Rewari-Ajmer via Jaipur	292	29	321	—	2	—	584	—	—	—	—
75.	Bikaner-Delhi via Hissar	260	192	452	2	2	384	520	—	—	—	—
76.	Ganganagar-Delhi via Dabwali	95	323	418	2	—	646	—	—	—	—	—
77.	Delhi-Kotputli	40	102	142	4	—	408	—	—	—	—	—
78.	Bahror-Rewari via Shahjhanpur, Bewal Neemrana	48	24	72	16	8	384	384	—	—	—	—
79.	Narnaul-Alwar	78	—	—	2	—	156	—	—	—	—	—
80.	Bhiwani-Pilani	16	50	66	—	4	—	64	—	—	—	—
81.	Gurgaon-Alwar	35	—	—	—	2	—	70	—	—	—	—
82.	Ganganagar-Hissar	90	140	230	2	2	280	180	—	2	—	280

83. Jin-Ganganagar	90	—	—	—	2		1?0	—	—	—	—
84. Rewari-Alwar	?0	2?	31?	2	4	82	180	—	—	—	
85. Surtagarh-Sirsa	90	—	—	—	2	—	80	—	—		—
86. Hanumangarh-Alanabad	4?	12	52	8	4	96	160	—	4	—	160
87. Gurgagon-Kotputei	48	94	142	—	2	—	96	—	—	—	—
88. Rewari-Bhiwani Mor	4		—	—	22	—	88	—	—	—	
89. Hanumangarh-Hissar	29	138	167	?	4	116	276	—	—	—	—
90. Sri Madhopur-Rewari	45	90	1?5	—	2	—	90	—	—	—	
						1?908	15979			311?	?035

Sd/-
(R. K. Agrawal)
Transport Commissioner
Rajasthan.

Sd/-
Transport Commissioner
Haryana.

अलवर जिले की सड़कों के रख-रखाव के लिये आवंटित धनराशि

387 श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले की सड़कों के रख-रखाव के लिये वार्षिक धनराशि कितनी दी जाती है? कृपया गत 2 वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उसमें से प्रशासनिक व्यय कितना है तथा निर्माण कार्यों पर कितना खर्च किया गया ?

उत्तर

(1 अलवर जिले की सड़कों के रख-रखाव हेतु सन् 1981-82 में 90 50 लाख रुपये दिए गए तथा 82-83 में 84.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(2) प्रशासनिक व्यय 81-82 में लगभग 5.61 लाख रुपये एवं 82-83 में (फरवरी तक) लगभग 6.01 लाख रुपये किया गया है।

सीकर जिले में अकाल राहत कार्य

388. श्री त्रिलोक सिंह (फतहपुर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(2) सीकर जिले में कितने व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यों के तहत कार्य दिया गया है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले के कुल 840 ग्रामों में से 423 ग्रामों को इस वर्ष अभावग्रस्त घोषित किये गये है।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 28 सड़क कार्य स्वीकृत किये गये है इनके लिये स्वीकृत राशि 23 लाख रुपये हैं इन कार्यों में से 25 कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं एवं उन पर 277 श्रमिक कार्यरत हैं।

माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास, उदयपुर

389. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास सरदारपुरा, उदयपुर के लिए जमीन कब, किससे एवं कितने रुपयों में प्राप्त की ? कृपया प्राप्ति के दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) उक्त भूमि पर भवन बनाने हेतु राज्य सरकार ने कितना अनुदान दिया एवं कितना जन सहयोग प्राप्त हुआ ?

(3) क्या उक्त भूमि में से सेन्टपॉल के पास वाली जमीन से लेकर छात्रावास तक की भूमि पूर्व में बिना रजिस्ट्री के 147000/- रु. में सेन्टपॉल को बेची गई जो सेन्टपॉल के एकाउन्ट में विद्यमान है ?

(4) क्या उक्त जमीन में से सेन्टपॉल को, श्री राजमल महेश्वरी को एवं अन्य लोगों को रजिस्ट्री द्वारा जमीन बेची गई ? यदि हां तो कब व कितने रुपयों में ?

(5) उक्त भूमि के बेचान से जो रुपये प्राप्त हुए वह संस्था के आय व्यय में जमा हुये या नहीं ? यदि हुए हैं, तो कृपया वर्ष 1981-82 की संस्था की आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार बिक्री से प्राप्त धनराशि में, गबन एवं अनियमितता के लिये जांच करवायेगी और गबन एवं अनियमितता पाए जाने पर दोषी व्यक्ति एवं संस्था के विरुद्ध फौजदारी केस दायर करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास हेतु भूमि महिला आश्रम भीलवाड़ा ने राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग से वर्ष 1956 में प्राप्त की। जमीन की कीमत 14, 703. 75 पैसे व ब्याज के, 9 900 रुपये चुकाये गये। बेचान की स्वीकृति की प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) छात्रावास निर्माण हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 1959-60 में 81. 000 रुपये का अनुदान दिया तथा संस्था ने 31. 935 रु० जन सहयोग से जुटा कर व्यय किये।

(3) जी नहीं, सेन्टपॉल स्कूल को जो भूमि बेची गई है उसकी रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं।

(4) सेन्टपॉल स्कूल को 10, 453 वर्गफीट का एक प्लाट 45, 972 रुपये में तथा 11951 वर्गफुट का दूसरा प्लाट 47, 804 रुपये में विक्रय किये गये। प्राप्त सूचना के अनुसार इनकी रजिस्ट्री क्रमश: दिनांक 1-6-81 व 30-5-81 को हुई। इस प्रकार संस्था ने दो प्लाट 93 776 रुपये में सेन्टपॉल स्कूल को बेचे। इसके अतिरिक्त दो प्लाट श्री राजमल पुत्र श्री बंशीलाल महेश्वरी को 56. 200 में प्रलेख पट्टे (लीज-डीड) पर दिये तथा श्री उमराव सिंह पुत्र सुमेरमल बाफना को 49, 111 रुपये में बेचा।

(समाज कल्याण मंत्री)

(5) वर्ष 1981-82 में विभाग द्वारा संस्था को कोई अनुदान नहीं दिया गया। अतः वर्ष 1981-82 की ऑडिट रिपोर्ट संस्था से प्राप्त नहीं हुई। इसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(6) यह एक पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था है और इसके अन्दरूनी मामलों में दखल के लिये समाज कल्याण विभाग सक्षम नहीं है।

Copy of the letter No. F. 5 (42) / 9/ A/ 56/ Dated. Jaipur the August, 1956 from the Chief Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur to the Chief Engineer Public Works Department (B & R) Rajasthan, Jaipur.

Sub. – Sale of mounted Police Lines building Udaipur to the Mahila Ashram, Bhilwara.

I am directed to convey sanction of his-highness the Rajpramukh to the sale of the mounted Police Lines building at Udaipur to the Mahila Ashram, Bhilwara for Rs. 13500/-(Rupees Thirteen thousand Five hundred only) plus the cost of land attached to the building at Rs. 250/-(Rupees Two hundred fifty only) per bigha. The total amount is to be recovered in instalments. The first instalment of Rs. 10,000/-may be recovered during this year and the balance in the next years.

No. F. 4 (12) G/A/ 56/ Dated August, 1956

Copy forwarded for information and necessary action to the :-

1. Secretary to Government, P. W. D. Raj. Jaipur.
2. Commissioner, Udaipur.
3. Superintending Engineer, Udaipur with reference to the correspondence resting with his letter No. Nil dated 19 th July, 1956.
4. Executive Engineer, B & R P. W. D. Udaipur with reference to his letter No. Nil dated 19. 7. 1956.
5. Secretary, Mahila Ashram Bhilwara.

Sd/
Deputy Secretary to Govt.

भीलवाड़ा जिले में खोले गये विद्यालय

391. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1980-81 व 1981-82 तथा 1982-83 में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा नये विषय खोले गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में असमानता रही ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार पिछड़े क्षेत्र, ज्यादा छात्र तथा भवन के आधार पर विद्यालय खोलने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो क्या उक्त तीनों वर्षों में इस आधार को दृष्टिगत रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में खोले गये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा नये विषयों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां ।

(3) आमतौर पर स्थानीय मांग के तकाजे को देखते हुए विद्यालय खोले जाते हैं तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिये कुछ प्रतिशत अधिक दिये जाते हैं ।

विवरण

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1980-81. 1981-82 तथा 1982-83 में खोले गये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा नये विषयों का विवरण।

वर्ष 80-81

	क्षेत्र	मावि से उमावि	उप्रावि मावि	सेप्रावि से उप्रावि	नये प्रावि	विषय/वर्ग
1.	आसीन्द	–	–	1	3	3
2.	भीलवाड़ा	–	–	–	–	–
3.	जहाजपुर	–	2	1	8	1
4.	मांडलगढ़	–	2	2	5	2
5.	माण्डल	–	1	1	3	1
6.	शाहपुरा	–	1	2	1	1
7.	बुरड़ा बनेड़ा	–	1	2	6	2
8.	सहाड़ा रायपुर	–	1	1	1	3
			10	10	27	12

सत्र 1981–82

	क्षेत्र	माविसे उमावि	उप्रावि से मावि	प्रावि से उप्रावि	नये प्रावि	विषय/वर्ग
1.	आसीन्द	–	–	3	2	1
2.	भीलवाड़ा	–	–	–	4	2
3.	जहाजपुर	–	–	3	3	3
4.	मांडलगढ़	–	–	3	3	3
5.	मण्डल	–	–	1	–	–
6.	शाहपुरा	–	–	2	3	1
7.	हुरड़ा बनेड़ा	–	–	2	3	1
8.	सहाड़ा रायपुर	–	–	4	2	–
			–	18	20	11

सत्र 1982–83

	क्षेत्र	मावि से उमावि	उप्रावि से मावि	प्रावि से उप्रावि	नये प्रावि	विषया/वर्ग
1.	आसीन्द	1	–	2	–	1
2.	भीलवाड़ा	1	–	1	–	1
3.	जहाजपुर	1	–	1	–	2
4.	माण्डल गढ़	2	–	3	–	3
5.	माण्डल	1	–	1	–	–
6.	शाहपुरा	1	–	3	–	3
7.	हुरड़ा बनेड़ा	1	–	2	–	1
8.	सहाड़ा रायपर	1	–	1	–	2
		9	–	14	–	13

डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाडा, आसपुर व डूंगरपुर के लोगों को विद्युत कनेक्शन

392. श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या डूंगरपुर जिले की तहसील सागवाड़ा, आसपुर व डूंगरपुर के लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिये बिजली विभाग के अधिकारियों ने [illegible] रुपया प्रति कनेक्शन से वसूल किये हैं ?

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

(2) यदि हां, तो कितनी रकम जमा हुयी है ?

(3) क्या यह सही है कि इन गांवों के अलावा जिन गांवों के लोगों ने पैसे जमा नहीं कराये हैं उन्हें सरकार बिजली पहले दे रही है और जिनके पैसे जमा हैं उन्हें नहीं दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या जिन गांवों के लोगों ने मण्डल कार्यालय में राशि जमा करा दी उन्हें इस वर्ष बिजली दे दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल के आदेश सं. 1494 दिनांक 24-4-1980 के अन्तर्गत प्रत्येक भावी उपभोक्ता ने ग्राम विद्युतीकरण के सर्वेक्षण करने हेतु यह राशि जमा कराई थी।

(2) डूंगरपुर जिले की तहसील डूंगरपुर के एक, तहसील सागवाड़ा के चार तथा तहसील आसपुर के पांच गांवों के भावी उपभोक्ताओं द्वारा कुल 39600/- रुपये की राशि जमा कराई गई है।

(3) जी हां। तहसील सागवाड़ा के ग्राम बारगी को नियमित कर, मण्डल के आदेश दिनांक 19-2-83 द्वारा विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। तहसील डूंगरपुर, आसपुर तथा सागवाड़ा के अन्य ग्राम जिनके भावी उपभोक्ताओं ने उपरोक्त रकम जमा कराई है, संबंधित पंचायत समितियों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत है। इन योजनाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का है। स्वीकृत योजनाओं में से ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु चयन, फेज्ड कार्यक्रम के अनुसार, वार्षिक योजना के ग्रामीण विद्युतीकरण मद में उपलब्ध प्रावधान, मण्डल के संसाधानों एवं उपलब्ध विद्युती व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(4) जी नहीं। 1982-83 हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ये ग्राम चालू वर्ष में विद्युतीकृत नहीं किये जाते हैं। इन ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों के कार्यक्रम के अन्तर्गत ही किया जाना सम्भव होगा।

जजपुरा एवं गुर्जा रोड से थूम बावू तक एप्रोच रोड

393. श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जजपुरा एवं गुर्जा रोड से तीर्थ स्थल थूम बावू के लिये कोई अप्रोच रोड बनवाई गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी लागत से ?

(श्री शिवसिंह रावत)

(2) क्या इस एप्रोच रोड बनाने वाले ठेकेदार का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कितना और किस मद से व कितने किलोमीटर का ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2) वर्णित अप्रोच रोड का निर्माण सार्वजनिक विभाग द्वारा नहीं कराया गया। अत: वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता।

निम्बीजोधा से नागौर तक पक्की सड़क का निर्माण

394 श्री रामधन (लाड़नूं): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बी जोधा से नागौर 74 कि. मी. है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क को सरकार पक्की बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि लाडनूं से नागौर जाने का एक मात्र सीधा रास्ता है ? आबादी और विभाग की नीति के मुताबिक क्या सरकार इस सड़क को जिला मुख्यालय से जोड़ने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि निम्बीजोधा से मालगांव की अधूरी सड़क का कार्य इस साल पूरा किया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) नागौर जिले के कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं ?

(5) क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2) निम्बीजोधा से नागौर की दूरी 75 कि. मी. है और लाड़नूं से जाने का सीधा रास्ता है इस मार्ग के नागौर से हेड हिस्से पर पक्की सड़क बनाये जाने की स्वीकृति दे दी गई है और कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायगा। शेष हिस्से में सड़क बनाने के लिये धनाभाव के कारण अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) निम्बीजोधा से माल गांव की अधूरी सड़क अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ही बनाई गई थी और धनाभाव के कारण इसे योजना के अन्तर्गत पूरा किया जाना अभी संभव नहीं है।

(4) 79 पंचायत मुख्यालय अभी सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं।

(5 धनाभाव के कारण उक्त पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़े जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी के गांवों का विद्युतीकरण

395. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)**-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण करने के लिये योजनाएं स्वीकृत हुयी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत योजनाओं के अनुसार निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? स्वीकृत योजनाओं के अनुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना था तथा कितने कनेक्शन दिये जाने थे और उनके बजाय उपलब्धि क्या रही ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । एक योजना पंचायत समिति बस्सी एस. पी. ए. (पूर्व) वर्ष 1980-81 में तथा दूसरी पंचायत समिति बस्सी एस. पी. ए (पश्चिम) वर्ष 1981-82 में स्वीकृत हुई है ।

(2) जी हां । राज्य के विभिन्न जिलों व पंचायत समितियों के क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्विति, वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उपलब्ध प्रावधान, माडल के संसाधन एवं विद्युत की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए की जा रही है । उपरोक्त दोनों स्वीकृत योजनाओं में प्रथम व द्वितीय वर्ष में प्रस्तावित ग्रामों व कुओं के कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

	प्रस्तावित ग्राम			कृषि कुए
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	कुल ग्राम	
पं0स0 बस्सी एस. पी. ए. (पूर्व)	46	33	79	560
पं0स0 बस्सी एस. पी. ए. (पश्चिम)	47	—	47	350

इन योजनाओं में सन्दर्भित ग्रामों की वर्ष 1981-82 व 1982-83 के विद्युत मण्डल के ग्रा॰वि॰ कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य व फरवरी, 1983 तक की उपलब्धि

(ऊर्जा मन्त्री)

1. पंचायत समिति बस्सी (पूर्व)

	लक्ष्य		उपलब्धि	
	ग्राम	कुए	ग्राम	कुए
ग्रा॰वि॰ कार्यक्रम 1981–82	20	100	2)	100
ग्रा॰वि॰ कार्यक्रम 1982-83	2	40	–	25 [25 फरवरी 1983 तक]
				शेष कार्य चालू है ।

2. पंचायत समिति बस्सी (पश्चिम)

	लक्ष्य		उपलब्धि	
	ग्राम	कुए	ग्राम	कुए
ग्राम वि॰ कार्यक्रम 19 1–82	–	80	–	82
ग्राम वि॰ कार्यक्रम 1982 83	!	10	–	(16 फरवरी, 1983 तक)

— — —

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 406 की प्रति

प्रतिलिपि – पत्र संख्या 12 (3)81 राजस्व/ 81 दिनांक 1.10.81 ओर से– जिलाधीश उदयपुर वास्ते-तहसीलदार, मावली

विषय:– प्रार्थना-पत्र श्री मोतीलाल पिता लालचन्द महाजन, नि0 मावली, बाबत – कला भूमि की आबादी मे परिवर्तन कराने ।

सन्दर्भ:– आपका पत्र क्रमांक/ राजस्व/ 1463 दिनांक 18-7-81

प्रार्थना -पत्र श्री मोतीलाल महाजन से सम्बन्धित आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उपजिलाधीश, वल्लभनगर से जांच कराई जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित मौजा-मावली के आराजी न0 [60] पर प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया । क्योंकि प्रार्थी का उक्त अनधिकृत कार्य, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1656 की धारा 90 ए का उल्लघंन होने से प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है । आवेदक (प्रार्थी) के खिलाफ, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए–91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है । आपके कार्यालय की पत्रावली सं0 21/ 30 इसके साथ भेजी जा रही है ।

———

(291)

परिशिष्ठ 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 407 की तालिका

मासिक अधिशुल्क भुगतान का विवरण पत्र [चार्ट] सर्व श्री बिरला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ के द्वारा चुकाया गया

क. सं.	माह	वर्ष		
		1980-81	1981-82	1982-83 [दि० 31-1-83 तक]
1.	अप्रेल	—	—	—
2.	मई	—	—	—
3.	जून	—	—	—
4.	जुलाई	1,29,507.50	1,08,025.00	1,35,608.00
5.	अगस्त	1 03,007.50	1 2?,683.50	99,504.00
6.	सितम्बर	89,780.00	1,84,07?.00	2,07,675.00
7.	अक्टूबर	77,180.00	2 29, 734.00	1 73,2?4.50
8.	नवम्बर	1 00,112.50	2,13,089.00	1 98,072.00
9.	दिसम्बर	1 06,180.00	1,59,966.00	1,55,583.00
10.	जनवरी	?9,920.00	1,11,645.00	1,89,369.00
11.	फरवरी	76 390.00	52,209.00	—
12.	मार्च	2,98,180.00	4,19,412.00	—
	योगः—	10,50,257.50	16,02,84?.00	11,60,065.50

———

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 408 के परिशिष्ट 'क'

RATE OF ROYALTY ON MAJOR MINERALS (w. e. f. 1. 4. 75)

S.No.	Name of Mineral	Quality/ shape & size of the mineral	Rate of Royalty w. e. f. 1. 4. 75	w. e. f. 12. 6. 78	w. e. f. 1. 1. 79	w. e. f. 23. 7. 81
1	2	3	4	5	6	7
1.	Coal					
	1)Group Coals					
	Bengal-Bihar Coal field		2.00			
	a) Cooking Coal:Grades A, B & C					
	b) Non cooking coal selected grade-A					
2.	2. Group II Coals		1.90			
	1. Bengal, Bihar Coal Field					
	(a)Cooking coal:Grades D & E					
	(b)Non Cooking coal selected grade-B					

2	3	4	5	6	7
2. Outlaying coal fields Non. cooking coal selected grade					
3. Group III Coal					
1. Bengal,Bihar Coal fields		1.75			
(a) Cooking coal grade F G H & HH					
(b) Non cooking coal grade I					
2. Outlaying coal fields: Non cooking coal Grade II,III-A and III B					
4- Group IV A coals Bengal,Bihar coal fields Non cooking coal grade II III A & III B		1.50			
5. Group IV B coals cutlaying coal field non cooking coal grades II & III		11.75			

6. Sigerani coals All coals	1.90
7. Assam coals	
(a) Other than Khasi and Jaintial hills coal	
1. Run mine	2.00
2. Handicapped and lump coals	3.00
(b) Khasi & Jantial hills	1.00
8. Group V coals Ungraded—coals	0.90
9. Group VI coals rejects	0.40

Planation

or the purpose of this item the grade of coal shall be as prescribed under clause 3 of the Colliery Control Order, 1945.

i) "Ungraded coals" are coals whose ash/ ash plus moisture content exceeds the specifications prescribed by the government for purpose of grading, under the Colliery Control Order, 1945 but does not exceeds 50%.

1	2	3	4	5	6	7
	ii) Rejects coals are having ash/ash moisture content in excess of ꞉0%.					
	MICA					
	a) Crude Mica		8.00 per hundred kg.			
	b) Trimmed mica of qualities other than heavy stained dense stianed or spotted second quality		16.00 " "			
	c) Trimmed Mica of heavy stained dence stainedor spotted second quality		8.40 " "			
	d) Waste and scrapmica		2.80 " "			
	e) Waste rounds		3.60 " "			
?.	*OLD*					
			1. 60 Per one gram of Gold per tonne of ore and on proxate basis.			2.00
	(b) Silver		50.00 Per Kg. of metal			.00.00

4.	*IRON*			
	1. Ore			
	(a) Containing more than 62% of Fe	2.00	4.00	
	(b) Containing up to 62% of Fe	1.50	3.00	
	2. Ore fines in size less than 1.25 cm.-produced incidental to mining and sizing of ore.	0.35		
	3. Red Oxide	2.00		
5.	(a) All precious and semi-precious (Except diamond)	Twenty percentum of the sale price at the pit's mouth.		
	(b) Diamond	Fifteen percentum of the sale price at the pit's mouth.		
	(c) Agate	40.00		
6.	*MANGNESE ORE*			
	(a) Mangnese dioxide containing 78% or more of Mn02 and 4% or below	15.00		30.00
	(b) 46% Mn and over	6.00		12.00
	(c) 35% Mn and above and below 46%	3.00		7.50

1.	2 3	4	5	6	7
	(d) Below 3 % Mn but above 25% Mn	2.00		5.00	
	(e) Mn or below 25%	[illegible]		2.00	
7.	*CHROMITE* (Both lumpy non friabel and concentrates)				
	(a) containing 4 % Cr 203 and above	20.00			
	(b) Containing less than 40% Cr 203 and more than 40% Cr 203	12.00			
	(c) Containing less than 40% Cr 203	6.00			
8.	*LIMESTONE*	2.50			4.50
9	*DOLOMITE*	3.00			6.00
10.	*GRAPHITE*				
	(a) with 80% or more carbon	16.00			50.00
	(b) With 40% of more carbon but less than 80% carbon	11.00			30.00
	(c) With less than 40% carbon	3.50			2.00

11. *CHINACLAY INCLUDING BALL CLAY*		
(a Crude	2.00	4.00
(b) Washed	8.00	18.00
12. *KYANITE*		
(a) 60% Al 203 and above	30.00	30.00
(b) Below 60% Al 203 and above 50% Al 203	10.00	30.00
(c) 50% Al 203 and below	4.50	30.00
13. *GYPSUM*		
(a) Fertilizer grade (Gypsum supplied to Fertilizer factories)	2.00	4.00
(b) Other grades	3.00	4.00
14 *LIME SHELL* (INCLUDING CALACIOUS AND SAND CHALK)	3.00	5.00
15. FIRECLAY (including Plastic pipe Lithographic and natural pazzolanic)	2.00	4.00
16. *LIMENITE*	6.00	
17. COPPER ORE	Three rupees and twenty five paisa per unit percent of copper metal per tonne of ore and on prorate basis.	

1	2	3	4	5	6	7
18.	LEAD ORE		4.00 Rupees w. e. f. 12-6-78 One rupee and fifty paisa per unit percent of metal per tonne of ore and on prorate basis 3.00 rupees w. e. f. 23-7-81			
19.	ZINC ORE		Three rupees per unit percent of Zinc Metal contained per tonne of ore and on prorate basis. Rs. 4.00 w. e. f. 23-7-81			
20.	GARNET (ABRASIVE)		7.00			10.00
21.	*SILLIMANITE*					
	(a) 58% A-L 203 ore more		35.00			40.00
	(b) Below 58% A-L 203		20.00			40.00
22.	*BARYTES*					
	(a) White (including snowhite)		10.00			15.00
	(b) Buff		6.50			8.00
23.	(a) Quarts and Quartsite		1.25			2.50
	(b) Sand for stowing		0.25			
24.	GLASS SAND AND MOULDING SAND		1.50			2.50
25.	Corundum		50.00			65.00

26. Bouxite (All grades)	4.00	8.00
27. Ochre	2.00	5.00
28. *STEATITE* (Soapstone & Talc)		
(a) All grades except the inferior grade used in insecticide industry	4.50	8.00
(b) Inferior grade used in insecticide industry	2.25	
29. APATITE (Rock Phosphate)		
(a) Ores with 25% or more P205	5.00	15.00
(b) Ores with less than 25% P205	4.00	20.00
30. *ABESTES*		
(a) Chrysotile of superior quality i. e. AS, A B and C	250.00	250.00
(b) Chrysotile of inferior quality i. e. other than AS, AB, C	60.00	250.00
(c) Amphibole	12.00	15.00
31. *CADMIUM*	**Eight rupees per unit percent of cadmium metal per tonne of ore and prorate basis.**	16.00

1	2	3	4	5	6	7
32.	*CALCITE*		3.00			6.00
33.	DIASPORE		[illegible]			20.00
34.	FELSPAR		2.00			4.00
35.	FLUORSPAR					
	(a) Containing 85% or more		35.00			75.00
	(b) Containing 70% but less than 85%		30.00			50.00
	(c) Containing 30% but less than 70%		20.00			35.00
	(d) Containing 30% or less		10.00			15.00
36.	*MAGNESITE*					
	(a) Superior quality	with less than 2.5% Silica	3.00		6.00 w.e.f. 14.2.79	
	(b) Inferior Silica quality	2.5% or maoe	2.50		As above	
37.	NICKEL ORE		Two rupees per unit percent of nickel metal per tonne and on prorata basis.			
38.	PYRITES		Four rupees per tonne of pyrites with forth percent sulphur content and on prorate basis Rupees 4.80 w.e.f. 23-7-81.			

39. PYRORYLLITE		
(a) For all grades except the inferior grade use in insecticide industry	3.00	5.00
(b) Inferior grade used in insecticide industry	1.50	5.00
40. *RUTILE*	70.00	5.00
41. VERMICULITE	2.00	4.00
42. Wolferamite	Five rupees per tonne of ore with 1% and on prorate basis	10.00
43. WOLLASTINITE		10 00
44. All other minerals not here in before specified	Ten percent of sale price at the pits moutn.	

RATE OF ROYALTY ON MINOR MINERALS

No.	Name of Mineral	Quality/shape & size of the mineral		Rate of royalty (Rs. per tonne) w.e.f. 5-8-75	w.e.f. 24-8-79	w.e.f. 23-9-79	Conservation factor in tonne per cubic meter
1	2	3		4	5	6	7
1.	Sandstone	1-Dimensional Stone (Patti-Katla, Mill Stone, Ashlate Flooring stone	Distt. Bharatpur	5.94	7.00	7.00	–
			S.Madhopur	5.00	7.00	6 80	–
			Kota	4.00	6.00	5.00	27
			Bundi	4 00	6.00	5.00	
			Jhalawar	4.00	6.00	5.00	
			Other distt.	3.00	5.00	4.00	
		2-Masonary stone for Khanad ballast Road, Matal, Fechara, Gitti and Grit and crusher dust)		0.50	1.50	1.00	1.4
2.	Limestone	1-Dimensional stone for Kota use as rooling fooring, (All facing stone and for making stone pillars)			5.00	10.00	
		Other areas			3.00	7.00	

		2. Suitable for Limeburing.		3 00	5.00	
		3-Masonary stone (Ballast road metal Gitti, Grit, Crusher dust papers	0.50	1.50	1.00	
3.	Minerals used an blocks and or sawn, polished or carved marble and other decorative stones	Marbles/ Minerals/ Decorative stoner	20.00 10.00	50.00 –	27.50 –	2.7
4.	Granite and Diorie	(i) Blocks, Slabs, Tiles, (ii) Masonary stone ballast	20.00 0.50	50.00 1.50	27.50 1.00	1.6
5.	Chips & powder making minerals marble, Dolomite, Rhyolite, Chert, Serpentine & Limestone	Chips and powder making	3.75	6.00	5.00	2.7
6	Phyllite and Schist.	i) Dimensional stone (Patt-ika-tala, flooring)	2-50	5.00	3.00	2.2
		(ii) Masonary	0.50	1.50	1.00	1.4
7.	Lime Kankar Jhajhara	Suitable for lime buring	1.00	2,50	1.50	1.4
		(ii) Masonary stone	0.50	1.50	1.00	1.4

1	2	3	4	5	6	7
8.	Bricks earth, Murram, Kankar (Gavel) Dhandala, Surkhi.		0.50	1.50	1.00	1.4
9.	Bajri		0.50	1.50	0.75	1.4
10.	Fuller's earth		7.50 & 15.00	15.00	15.00	1.00
11.	Bentonite		3.75 & 7.50	10.00	7.50	1.2
12.	Saltpeter		80.00	80.00	80.00	
13.	Slatestone		15.00	20.00	18.00	2.00
14.	Ordinary white red and yellow clay used for white Colour washing		1.50	2.00	2.00	1.5
15.	Brick earth and shale for special use.		—	4.00	4.00	
16.	Other Minerals not specified.	(Chipsmaking stone)	3.75	6.00	5.00	
		(ii) Dimensional stone	2.50	5.00	4.00	
		(iii) Masonry stone	0.50	1.50	1.00	

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची

सूची भूमिहीन कृषकों द्वारा बंजर भूमि पर अतिक्रमण करने सं0 2039 कार्यालय तहसीलवार प्रतापगढ़

क्र0सं0	नाम पटवार सर्कल	नामग्राम	नाम अतिक्रमी	आराजी नं0	रकबा	वि0 वि0
1	2	3	4	5	6	7
1.	कुलथाना	1– सनोटी	1. शंभु/ नन्दा मेघा सनोटी	176	2.00	
		2– विलेसरी	2. पन्ना लाल/प्यारा विलेसरी	325	0.05	
			3. भगवाना,/ ऊंकार/ शोभा राम	369	1.95	
			4. अम्बु/ नन्दा नाई	325	1.00	
2.	जसामता	3– उमरखेड़ी	5. भेरु/ भगा कीर लेबिसरी	143	4.00	
			6. भेरु/ सवा कीर "	143	5.00	
			7. मोती/ वरदा "	143	2.00	
			8. बहादर/वरदी राम दरोगा	143	6.00	
			9. हीर/ बगदो रामकुम्हार	143	4.00	
			10. रतन/केशुराम लुहार	143	5.00	
			11. केशर सिंह/ फतेह सिंह	143	2.10	
			12. गुमान सिंह/ अमर सिंह	168	6.00	
			13. राम/ गंगाराम कीर	143	6.16	
			14. गिरधारी/ गंगाराम	143	2.10	
			15. मगन/ प्यारा	143	4.00	

1	2	3	4	5	6	7
			16. काछु/सवादरोगा	143	2.09	
			17. गंगाराम/लक्ष्मण कीर	143	6.07	
			18. भगवाना/प्यारा	143	2.10	
3.	सांसडी	4– बजरंगगढ़	19. नारायण/भागीरथ तेली	752	0.15	
			20. गोवर्धन सिंह/गुजार सिंह	349/1	2.00	
			21. हीरा/रामा मीणा	11/1	1.05	
			22. देवा/मन्ना	11/1	0.10	
			22. नोवा/उकार चमार	91	0.03	
			24. भ्रमरा/सवा	418	1,00	
			25. किशन/चम्पालेवानो	416	1.00	
			26. मदन मोहन/चतरभुज	397/411	0.10,0.10	
			27. श्रीमती कंचन/सीमा आंजना	206,444/209	1.00,2.00	
4.	सुहागपुरा	5– सुहागपुरा	28. अम्बालाल/कालू गुजर	35	0.06	
5.	विरपुर	6– खेमपुरिया	29. नारायण/कालू भील	51/1	1.00	
			30. नन्दा/रामा	54/1	5.00	
			31. होमला/नारीया	50	1.05	
			32. कालु/होमा	11/2	0.10	
			33. रतिया/नोजिया	1/2	2.00	
			34. मगलिया/जोखिया	1/2	2.00	
			35. नारिया/नन्दा भील	1/2	1.00	

				36 सवला/ केशिया	1/2	2.00
				37. मेगजी/ मोगला	48	2.05
				38. माणिया/ गमेरा	48	3 10
				39. चोकला/ गमेरा	48	3.00
				40. नगजी/ नन्दा	54/1	3.00
6.	नारायणखेड़ा	7–	बिफनिया	41. कमजी/ थावरा मीणा	43/1	1.10
				42. भगवाना/ रामा	43/1	1.00
				43. कमजी/ वेला	861/1	1.10
				44. नानका/ गमजी	861/1	1.00
				45. वाला/ गेतिया	861/1	1.00
				46. मांगु/ देवजी	861/1	1.00
				47. रामा/ नाथू	861/1	1.00
				48. नगजी/ गुलाब	861/1	1.00
				49. मावजी/ भगवाना	861/1	1 00
				50. द्विलिया/ गुलाबा	861/1	1.00
				51. परता/ प्यारा	861/1	1.00
				52. कालु/ खुमाननाथ	2	3.00
		8.	सिन नखेड़ा	53. उकार/ गोतम मीणा	223	1.10
7.	बारिया	9.	घोरिया	54. सानखा/ रहूमतखा	28/1	0.04
		10.	केशरपुरी	55. अमरा/ देवा	15/1	0 01
				56. छगन/ पेमा	15/1	0.10

1	2	3	4	5	6	7
8.	रठावना	11-	57. वाल'/ स.वा गायरी	672	00 3	
			58. कन्हैया/नाथू चमार	1122	0.03	
			59. कचरू/ गोरा गायरी	515	0.10	
			60. अम्बालाल/ नन्दा चमार	1122	0 03	
			61. कशन/लालुराम दमामी	1122	0.06	
			62. अम्बालाल/ नाथूराम दमामी	1112	0.05	
			63. प्रभुलाल/ कालूलाल कुलमी	1184	0.10	
			64. काशीराम/नन्दा कुमावत	1113	0 06	
			65. कालूसिंह/ प्रधानसिंह	1113	0.04	
			66. भादु/ हीरा ब्राह्मण	1114	0.12	
			67. नाथया/ बेरा चमार	1183,1186	0.10	
			68. कन्हैया/ हीरा	1114	0.10	
			69. प्यारा/वाला गायरी	552	0.10	
			70. लक्ष्मण/ वाला कुमावत	1114	0.10	
			71. नाथू/ रतन	1183	0.10	
			72. नानुराम/सवा	157/1	0.04	
			73. भगा/गुलाबा	195	0.06	
			74. काशीलाल/ कालू	188	0.03	
		12. गोपालपुरा	75. चम्पालाल/नारायण	167	0.06	
			76. भंवर/हेमा	181	1.00	

			77. बिहारी/प्रथा बंजारा	112,125	1.0,0.010
9.	धमोत्तर	13-धमोत्तर	78. मोडीराम/शंकर ब्राह्मण	229 मी	0.02
			79. शिवनारायण/शंकर ,,	229 मी	0.02
			80. श्रीमती सोहन/वरदीचन्द	229 मी	0.02
			81, रामा/माना मीणा	69 मी	0.02
10.	बारावरदा	14-खेडा नाहरसिंह	माता –	–	–
11.	पानमोडी	15-पान मोडी	82. श्रीमती मोडीबाई/कचरूगायरी	836 मी	0.19
			83. चतरभुज/गोतम चमार	25	0.16
12.	बरडिया	16-बरडिया	84. उदेराम/सामरा हरजिन	476	2.00
	–		85. डालु/रूपा चमार	657	6.00
			86 नानुराम/उदा मोई	302	0.05
			87. बाका/भेराबंजारा	656	3.10
		काजली	88. नाहरसिंह/पृथ्वी राज	21/1	1.00
13.	घडा	17-समलाधदा	89. रामनारायण/केशुराम सुथार	657	2.10
				752	1.10
			90. गोविन्दसिंह/चेनसिंह	752	3.00
			91. कालुसिंह/दलेलसिंह	^52	2.05
			92. जगदीश/केशुराम	752	2.05
			93 शुरा/शंकर कुमावत	657	2.00
			94. रामचन्द्र/लालुराम बलाई	657	1.15
			95 डालु/रूपा चमार	416	1.10

1	2	3	4	5	6	7
			96. मांगीलाल/हीरालाल	419	0.06	
			97. भेरू/ काना बलाई	419	0.88	
			98. दौलतराम/ चतर भुज	419	1.10	
			99. रतनलाल/ लक्ष्मण कुमावत	673	1.10	
			100. चम्पालाल/लक्ष्मण कुमावत	673	1.15	
			101. गोपाल-प्रेमचन्द/ भुवान	234	1.11	
		18-रंजात	102. मांगु/ तेजा बंजारा	58	4.04	
		19-लालुपुरा-पीपलखेडी	103. हीरा/ नन्दा कलाल	57/2	2.10	
			104. बाहदाखां/ मुलतान खां	143/1	2.10	
			105 चुनीलाल/जगदीशराम गायरी	51	1.12	
			106. मांगु/जगदीशराम गायरा	51	1.12	
			107. भेरा/कल्ला हजुरी	160,1820-18	1.05	
		20-घडा	108. लक्ष्मीनारायण/हकुतमी	706	1.00	
			109. गणपत-देवीलाल/राधाकिशन	772	2.00	
			110. नाथु/ प्यार चन्द	772	0.15	
			111. रतनलाल/ जगन्नाथ कुलकी	438	1.10	
			112. रामचन्द्र/ किशनगायरी	438	0.10	
14.	मदुरातालाव		113. धुलापिता लिम्बा मीणा	981	8.12	
15.	घमोतर	22.धमोतर	114. सत्यनारायण/धुलसुमन	328	1.13	

			115. रूपनावरसिंह/ शंभुसिंह	226	1.10
			116 मोहनलाल/ गुजादेवन्द तैली	40मी	2.09
16.	देवगढ़	23.देबगढ़	117. वसीला/ नारीयामेघा	373मी	1.00
		24 सामलीपढार	118 पादीया/ शमा	296	5.00
17.	कुलमी पुरा	25.ढ़ीमा	119. मोडा/ त्रिलोक हरिजन	414	3.00
			120. मोडीराम/ सेमचन्द दर्जी	414/20	3.00
18.	अमलावद	26.अमलावद	121. जगदीश/ रामलाल	789	2.00
		27.बगवांस	122. धुनमचन्द/ नन्दा	380	1 00
			123. जगदीश/ हीरा चमार	371	.05
19.	पण्डाया	28.पण्डावा	124. नौसीया/ रामा मीणा	351/10	2.00
20.	चिकतारा	29. बीरकी	125. कदिया/ कजोड़	31मी	3.00
			126. नाथू/ पुनीया	54मी	3.00
			127. कापीया/ कीर	156मी	4 00
			128. नागजी/ नाथु	54मी	2.10
		30.पिपलीखेड़ा	129. सवजी/ जीता	125	3.1
			133. नवला/ भग्या	39	2.00
			131. हुरजी/ देवला.	38	2.10
			132. हीरा/ हेमा	12मी	2.00
		31. बीकावास	133. रामलाल/ कोडा	447मी	3.00
			134. होमला/ केशा	345/13	3.00
			135. प्यारा/ होमा	345/12	3.10

(312)

1	2	3	4	5	6	7
			136. फकीरचन्द/मुरली	345/13	1.10	
			137. सूपा/ चौबा	3/ 1	2.00	
			138. हुरजी भगवाना	345/ 13	4.00	
			139. शंकरलाल/ जगन्नाथ	8/ 1	6.00	
		32. श्यामपुर	140. उदा/ देवा	740/ 1	4.00	
			141 गांगलाल/ मतिया	740/ 1	6.00	
			142. मंगीया/ हुरिया	740/ 1	6.00	
			143. मालया/ देवा	740/ 1	3.00	
			144. रूपा/ नाथोया	740/ 1	2.00	
			145. नगणा/ बल्ला	740/ 1	2.60	
			146. हवली/ देवा	740/ 1	4.00	
			147. रेघलाल/ देवा	740/1	4.00	
			148. कन्नी/ उदा	740/ 1	3.00	
			149. धुलिया/वेर्गया	740/1	2.90	
			150. मांगाया/ वेसा	641/ 1	5.00	
21.	लोदपुरा	33.चोरी	151. राधेश्याम/जगदीशराम	169	1,18	
		34. गोपालपुरा	152. बागला/ किशना	306	1.00	
			153. हीरा/ उधरमीणा	306	1.00	
22.	रामपुरीया	35.रामपुरीया	154. ककड/ होला	10.20	4.00 200	
			155. साधु/ मीनू	10	4,00	

		156. कम [illegible]/धावरा	10.20	2.06
		157 रूपा/भे[illegible]	15/2	1.15
		158. रसना/होम[illegible]	42/2	4.18
		159. गोतम/ऊंकार	44	4.18
		160. लालु/अलजी	16/2	15 बिस्वा
		161. भेरा/किशना	49	3.00
		162. मानीगा/किशना	249	3.00
		163. मोगाजी/लालू	2[illegible]/2	2.00
23. अचमपुर	36. बड़ी बम्बोरी	164. रामा/जीवा	146	5.00
	37. दोतड़	165. डुलजी/द्रवा	[illegible]19	3.01
		166. जीवा/घन्ना	272	2.00
		167. नगजी/जाखीया	292	6.00
		168. वेस्ता/ऊंकार	7	4.00
		169. बावडू/मेघा	78	5.00
	38. भंवरसेमत्ता	170. दांतीया/होमजी	31	2.00
		171. वक्ता/लखमा	31	1.10
		172. तोगाराम/हीरा	34	1.00
		173. उदा/वागा	1011/7	3.00
24.	39. गोपालपुरा	174. पुनीया/कालू	94	4.17
	40. साहुरीया	175. दल्ला/हुरजी	29	5.00
		176. हीरा/दुला	133	2.00

1	2	3	4	5	6	7
			177. हुरिया/लालु	117	2.00	
24. पसेरा		41. बमेरा	178. लखीराम/ भेरा	37	15.00	
		42. साकरखेड़ी	179. पन्नालाल/ गुलाबजी	39	1.10	
		43, बडोदिया	180. चुन्नीलाल/नाथूराम	150/1	1.01	
		44. बरखेड़ी	181. इब्राहीम/मोहम्मद	184/57	1.18	
			182. खाजु/मोहम्मद	170/37	4.00	
25. अचलेश्वर		45. अचलेश्वर	183. कीरा/ भेरा	109	.04	
			184. देवा/ नन्दा	109	.04	
			185. रूपा/ भेरा	1117	1.00	
			186. किशन/कानीराम	549	1.00	
			187. जगदीश/ कस्तुरचन्द	865, 366	12 बिस्वा	
		46. रजोरा	188. मन्ना/ काना	36	2.01	
			189. रामरतन/ शंकर	57, 58	1.00	
			190. भेरों/ मनखा	57	06	
			191. मंगलसिंह/ शंभूसिंह	47, 48	3.00	
		47. देवद	192. भग्गा/लक्ष्मणलाल	262/1	10.00	
		48. सेमली	193. शंभुगीर/ शंकरगीर	240	1.00	
			194. भंवरगीर/ शंभूगीर	92	.08	
26. कुणी		49. मोरखर	195. रामदेवा/रतनलाल	69	.10	
			196. चुन्नीलाल/ रतनलाल छछीराम	123	5 बिस्वा	

	197. अमृतलाल/ मोतीकुमावत	188	5 बिस्वा
	199. चम्पालाल/ तोरीराम	188	15 बिस्वा
50. मचसाला	200. अमृतराम/श्रीराम कुमावत	108	8
	201. रामा/ भंवर/किशनगायरी	22	2 10
	202. कालु/ चतरभुज	22	.12
	203. रामा चेना/ रामचन्द्र	22	1 00
	204. वजेराम/ चम्पा मीणा	22	1.13
	205 शेरअली/रंगीनखां	43	1.02
	206 सालगराम/ कालू	68/1	.08
	207. रामा हेमराज	68/1	.08
	208. रतनलाल/ दलेचन्द	21	.02
	209. नानुराम/जगन्नाथ	114/1	.02
	210. जगन्नाथ/ माना	114/ 1	.02
	211 भंवरलाल/किशन	114/ 1	.02
51. कुणी	212. रघुवीरसिंह/ अगरसिंह	202	2.00
52. हुडुनिया	213. वर्दा/नन्दा	817/ 294	1.12
	214. जारदखां/खिमनखां	18	1.18
	215. मोहन/ माधोमाली	398, 392	2.18
	216. चिरू/ खजू	61	1.05
	217. रतनलाल/ दलीचन्द	109	1.15
	218. अजीजखां/ गफूरखां	162	1.00

1	2	3	4	5	6	7
			219. राजू/अलारख	162	1 00	
			220 फकरू/इब्राहीम	159	1.00	
			221. कासम/घासी	220	1.00	
			222. बीहारीदास/चम्पालाल	220	1 00	
			223. पुष्कर, झमकलाल	390	1.00	
			224. फकरू/इब्राहीम	542	0.03	
			225. साबीर/प्यारा	677	1.10	
			225. राजू/पीरू	109	2.05	
			226 प्रेमचन्द/रतनलाल	398	2.02	
			227. कचरू/पेमा	398	1.00	
			228. जारदल/चिमनखां	542	1.06	
			229. बगदी/कुशलराम	220	0.08	
			230. रामचन्द्र/बिहारी	220	0.15	
			231. जगन्नाथ/भगनाथ मीणा	67	0.05	
			232. भावा/किशनमाली	651	0.18	
			233. बगदीराम/किशन	648	0.15	
			234. चतरभुज/मन्ना	663	1.02	
			235. प्यारा/रतन/मन्नालाल	624	1.00	
27. डाबडा		53. डाबडा	236. हीरा/पन्ना हेमराज	425	10 बीस्वा	
			236. मांगू/मेघा	2	1 10	

Page No 318

28. पीलू	54. नायूखेडी	237. अम्बिकाप्रसाद/ओमप्रकाश	31	1.06
	55. कोलवी मन्दिर	238. उम्मेदसिंह/ उदयसिंह/ देवीसिंह	174	1.02
		239. विक्रमसिंह/ कबीरसिंह	163	1.16
		240. गोर्धनसिंह/ देवीसिंह	99/3	1.10
		241. उदयसिंह/ देवीसिंह	121	1.10
		242. रामसिंह/ उम्मेदसिंह	192	0.01
	56. छायन	243. उदा/ हीरा गुजर	64/1	0.05
	57. पिलू	244. अर्जुनलाल/ हीरालाल	876	2.10
		245 सरनुमसिंह/ भंवरसिंह	876	0.10
		246. भालूसिंह/ भंवरसिंह	876	10 बीघा
		247. कुशल लाला बंजारा	980/1	10 बीघा
	58.	248. सांगीया पुम्या बंजारा	151/1	0.10
		249. नारायणसिंह दौलतसिंह	,,	0.10
	59. सवरोध	250. अम्बालाल धुलीलाल	772	1.03
		251. लालजी धुलीलाल	772	3.00
		252. सवतीराम आरजी गायरी	772	1.10
		253. गणेश चुन्नीलाल	772	3.00
		254. भैरू बारजी	772	.16
		255 जुजारसिंह जीवनसिंह	672	.10
		256. गोरधनसिंह अर्जुनसिंह	308	5.00
		257. मन्ना गुलाब	308	.10
		258. सुरतसिंह रतनसिंह	300	.10

1	2	3	4	5	6	7
29 पतावि		60. वरमण्डल	259. बालम चतर गायरी	449	1.00	
			260. मदनलाल उत्तमराम राव	1093	2.00	
			261. मैरू कन्हैया मथुरालाल	300	03	
		61. साकरीया	262. भैरू वेणीराम	10	1.02	
			263. युदर्लसिह देवीसिह	619	1.15	
			264. मवेदा दान कुमावत	622/36	0.02	
		62 वलीयाट	265. अनोपसिह कुबेरसिह	502.504	2.00	
30 बलाड		63. बवाड	266 तुलसीराम घन्ना	1768	1.12	
			267. सतार खुदाबक्ष	1057	2.00	
			268. सैतरमलाल	1076	1.00	
			269. इसाक मुश्ताक अलीमोहम्मद	1753	1.00	
		64. मानपुरा	270. अराका मैराजी	38	1.10	
			27 . भागीरथ हर लाल	16.387	1.10	
			272. तेर्जया पुना भील	108	5.00	
			273. वाबुलाल मगनीराम	118	3.04	
			274 कालू पेमा मीणा	116	2.00	
			275. जीवावारजीया	193	3.05	
			276 आरजी देवा	94	2.00	
			277. भुवानीशकर आरजी	94	2.00	
			278. हुरजी बाबु	142	4.00	

Page No 320

			279.	मांगीलाल भैरा	16.20.22	2.02
			280.	सांभीलाल पेशलाल	132	6.00
			281.	सुजानसिंह बहादुरसिंह	383.384	2.19
			281.	लछमी वपुरा	42	1.10
32.	लालबड	65. लालबड	283.	कानजी दारीया भेरामीणा	409	1.00
			284.	रामा सवा	33.226	5.10
			285.	आरजी मालीया	22	1.18
			286	घसाल भायामीणा	426	1.00
			287.	कोवा गौतम मीणा	256	3.00
			288.	रतना हेरजी मीणा	266	3.00
			289.	वनुडा भोनाम मीणा	216	3.10
			290.	रामा सवा मीणा	33.226	5.10
		66	291.	रतना होरा मीणा	2/3	3.11
		वगडावत	292.	नानका मीणा	28	2.12
		67. चिरूट	293.	केशुराम होमला	5	5.00
		68. मानपुरा	294	मावजी माना मीणा	8890.94	3.15
		69. जनीवगडावत	295.	वानजी कालू मीणा	46	5.00
		70. ओहा	296.	गुलाब/नन्दामीणा	16.29	1.10
		71. रमाघाटी	297.	हुरीया हरीया मीणा	40	2.00
33.	कोटड़ी	72 परपटीया	298	नारजी नाथू मीणा	33/2	5.00
			299.	बीजीया/खेमजी मीणा	33	5.00

1	2	3	4	5	6	8
		73. शोली	300. नाकुडा भेरा	42	1.00	
			301. रुपसिंह/ रतनसिंह	365	17	
		74 कोटडी	302 कानूराम बालूराम	771/1	1.01	
34.	अरनोद	75. पिरावली	303. मोती वरका भुवान चमार	129/1	3 10	
35.	फतेहगढ़	76. मानपुरा	304. रकमा कालिया मीणा	39	3.00	
			305 भीमा नागजी मीणा	33	2.05	
			30[illegible]. बावरा हेमरो मीणा	79.81.102	5 06	
			307. कबरीया सेता मीणा	77	8.00	
			308. हे ला धारीया मीणा	39	2.10	
			309. रकमा खेमा मीणा	81	3.09	
			310 खेमजी मांगीया मीणा	39	3.00	
			311 कारू पुजा मीणा	102	4.00	
			312. गौतम पुजा मीणा	81.102	4.15	
		77. प्रतापपुरा	313. कोलीया भेरा मीणा	297.300	6.10	
		78. हुरीयारन्डी	214. चोथलाल दल्ला मीणा	27	2.06	
		79 भीमपुरा	315 नाकुडा वाना मीणा	59	2.00	
36.	बेडधा	80. धावाखेड़ी	216. हीरालाल काना मीणा	112	1.06	
			317. डालू भैरजी मीणा	66	1.05	
			318. जुजार नागद मांना मीणा	1	1 12	
			319. कचरु हकोर मीणा	8	1.14	

			320. उदयराम कचरा मीणा	131	1 05
			321. मोहन रणछोड़ मीणा	232,234	5.18
		81. बलेडीया	322. गुमान किशन मीणा	223	1 05
		82. पट्टली	323 देवीसिंह स्वरूपसिंह	6	4.13
		83. फरेडी	324. पवा भेरा डांगी	57	2 08
			325. वगदीराम कालू डांगी	242	2.05
			326. सेवाराम कालू डांगी	209	2.00
			327. डोरथन लक्ष्मीचन्द	11	2.00
			328 सोहन शंकरनाथ	11	3.00
		84. कबाड	329 शंकर राना मीणा	14	2.15
37.	अचलावदा	85. नवाखेड़ा	330. हीरा देवा मीणा	24	3.12
		86. कराडीया	331. प्यारा वेरीया मीणा	237	5 00
		87. छोटा थामलीया	332 रामचन्द्र वदा मीणा	19	5.09
		88. झाकर	333. भगवान/हुरजी	19	1.02
		89. मछराका	334. मानजी/प्यारा	331	0.12
		90. झाकर	335. मांगु/नागजी	21/2 23	2.04
		91. मोहेडा	336. चम्पा/नगजीराम	377	0.10
38.	मोहेडा	92. दीवाला	337. नाथू/मुवान मौड़ा	57	1.01
			338. गंगाराम/रुपा	522	0.13
			339. भग्गा/प्रथा	409/1	0.14

Page No 323

1	2	3		4		5	6	7
				340.	रतना/हुरजी भेरा	168	0.14	
				341.	रामचन्द्र/नन्दा	155	0.10	
				342.	भेरा/तारा चमार	152	1.09	
				343.	अम्बाराम/ कालु	14	3.05	
				344.	भंवरसिंह/ गोरधनसिंह	1	2.05	
39.	जालसी	93.	जाजली	345.	जगनाथ/वरदा	529	0.10	
		94.	कौडीनेरा	346.	सीताराम/फुलिया	101	1.05	
				347.	सीताराम/ फुलिया	104	2.03	
		95.	वनपुरा	348.	वरदा/ओंकार मीणा	47	1.80	
		96.	आटोनेरा	349.	काहु/ अम्बालाल	104	1.00	
		97.	जैठिया-खेड़ी	350.	भ्राशिया/ मना	5	2.10	
				351.	कुशाला/ माना मीणा	102	1.00	
		98.	नाथूखेडी	352.	तुलसीराम/ बगदीराम	46	0.11	
				353.	नाथू/ भेरा मीणा	1/ 7,21	1.08	
40.	चूपना	99.	कुडवास-खुर्द	354.	लखमा/ सवा मीणा	43	1.10	
				355.	हीरा/ वजा मीणा	4	2.00	
				356.	हरजी/ कचरा मीणा	33	2.11	
		100.	भ्रोझा	357.	शंभु/पुजारी	450/ 3	0.06	

			358.	कालुराम/ हरिराम-रामा पिता मन्ना	458/3	2.07
			359.	मांगीलाल/नाथू चमार	433	2.00
			360.	पुना/ चमना मीणा	254	0.10
41.	साखपली खुर्द	101. साखपली खुर्द	361.	भगा–पुना/ हुरजी	720	5.00
			362.	कल्ला/ वेला मीणा	650	1.00
		102. बरखण्डर	363.	किशनलाल/ हेमराज	657, 658 652	3.06
		103. प्रचल-पुरिया	364.	रूपा/ मानीग मीणा	27	4.00
		104. कार्करिया	365.	कालु/ कमजी	44	2.00
			366.	लाला/ मेगजी मीणा	63	2.00
		105. तलाया	367.	भेरा/ काना मीणा	146	1.19
			368.	गोतम/भगा मीणा	63	2.00
			369.	दल्ला/ मंगला मीणा	161	1.10
			370.	हुरजी/ रतना मीणा	199, 201	1.02
		106. रामपुरीया	371.	हकरा/देवा मीणा	14	3.00
			372.	कमजी देवा मीणा	14	3.00
			373.	भोली/ हुरजी मीणा	14	2.00
		107. रूपपुरिया	374.	नन्दा/ गोतम	43/7	2.00
			375.	रामजी/ गोतम	43/7	2.00

1	2	3	4	5	6	7
		108. साखथली खुर्द	376. देवजी/भेरा मीणा	27	2 00	
		109. महुडीलेखा	377. नालेरा	27	2.00	
		110. कन्शरिया-पीर्दलिया	377. नाथिया/काना	12 14	4 09	
		111. मीणा खेड़ा	378. रामा/भेरा मीणा	30	6.00	
4.	सेवना	112. सेवना	379 अर्जुन/धुलजी मीणा	56, 59	2.10	
			380. पुनिया/कुशाला	46, 56	2.14	
			391. कानाजी/दल्ला	912/1	2.10	
			382 कालु/नाजजी मीणा	56	0 15	
			383. नाहू ओमजी मीणा	56	0.10	
			384. नगजी/आशिया मीणा	914	0.15	
			385. रामा/भिगजी मीणा	885 914	1.104	
			386. गोतम/दल्ला मीणा	642/2	1.10	
			387. गोतम/हमेरा	425/2	2.01	
			388. हीरया/नगजी मीणा	790/1	1.00	
			389. लालु/धनजी मीणा	790/1	1.10	
			390. पुंजिया/मल्ला मीणा	969	2.00	
			391. चम्पा/वेस्ता मीणा	969	2.00	
			892- किसना/हुरजी मीणा	969	1.00	

				393.	कानजी/दल्ला मीणा	918/1	2.01
		113.	बडवास-कलां	394.	हीरालाल/कालु मीणा	385, 383	2.11
				395.	उदा/पुंजिया मीणा	426	4.00
				396.	पुलिया/दोपा मीणा	428	1.10
				397.	गमेरा/लक्ष्मण	426	2.00
				398	सेमजी/प्रथा मीणा	426	1.10
				399.	रामलाल/नाहू	489,493	6.04
				400.	कचरू/खानिया	580. 581	1.15
				401.	हीराजी/डूंगा	667	4.00
				402.	बन्सीलाल/नीया मीणा	332. 334	3.18
43.	सालमगढ़	114.	मद्दुडोखेड़ा	403.	थावरा/रूपा मीणा	93/1	3.00
				404.	गोनिया/केरिंग मीणा	32/49	3.08
				405.	गोतिया/ओंका	8	2.05
		115.	पठार	406.	पेमा/मनजी मीणा	7	3.00
				407.	हुरजी/सरदारा मीणा	33	2.13
		116.	खजुरी	408.	लालुडा/राजिंग	32/1	4.00
				409.	हिन्दडा/आलु	32	3.06
				410.	रमुंग/काना मीणा	23/1	3.00
				411.	अर्जुन/काना मीणा	20	4.00
		117.	लाम्बा-खाटा	412	हीरा/गलजी	99/1,104/1	3.00

Page No 327

(327)

1	2	3	4	5	6	7
			413. कुशा ॰ i/ दल्ला मीणा	62	1.15	
		118. मोगपुरा	414. नानिया/ वस्ता	9	4 00	
		119. प्रतापपुरा	415. रामला, धन्ना मीणा	9	2 00	
		120. कानड़	416. चमना/ नागजी	52	4.10	
			417. उदीसा/ हजारा	261	1.00	
			418. अर्जुन/खेमजी	302	3.02	
			419 नागजी / भग्गा	168, 268	1.10	
			420. बेरिंग/ नारिया	280, 281	1.15	
44.	ओडीसाखली	121. ओडी-साखली	421. रामा/ मांगु/ ऊंकोर	302	0.19	
			422. रामा /बदिया	801	20.7	
		122. कानगढ	423. खेमजी/ दोपा	252, 253	6.10	
			424. /			
			425– फुलिया / गोतम	153/ 1	3.10	
			426. हुरिया/ मानिम	96/ 1	4.00	
		124 मीठिया	427. मानिग/गोनम	672/ 1	1.10	
			428. हकरिया/ पुनिया मीणा	599	2.10	
			429. दोपा /खातिया	607/ 1	5.00	
45.	राजपुर	125. राजपुर	430. वजीराम/ मत्ता	501/ 4	1.00	
			431. कानिया/ होमा	5/ 1	3.00	

		126.	नवाखेड़ा	432.	लालु/मंगला/मीणा	77/3	6.10
				433.	नाथुड़ा/कचरिया	4/1	4.10
				434.	बसन्त/कचरिया मीणा	345	3.02
46.	उठेत	127.	उठेन	435.	चन्नणा/खुमा मीणा	144	2.00
				436.	रुकमा/गौतम	24	1.00
				437.	उदा/वक्ता	48/1	0.10
		128.	बांसताई	438.	रामा/धुरा मीणा	20	1.00
47.	निनोर	129.	निनोर	439.	श्रीमती रुकमा/घन्ना	878	1.05
		130.	बोरविया	440.	गौतम सेवा चमार	161/2	1.00
		131.	लावाखेडी	441.	रामा/थावरा मीणा	199	1.10
				442.	कालु/जोधा	1163	2.10
				443.	मगना/भैरा गायरी	1163	6.15
		132.	छुटेनाख	444.	रामा/बमराव बलाई	31/33	1.03
				445.	भैरा/देता मीणा	495	2.15
48.	दिवाता	133.	नानदखेडा	446.	बेसिया/लछियामीणा	130/	3.00
		134.	खजुरी	447.	बगनी/प्यारा मीणा	12/3	1.10
				448.	मन्ना/विरिया	73/2	2.10
		135.	बामनखेडी	449.	कमरा/नाथु मीणा	68	5.03
				450.	काना/जीवा	74,81/1	10.12
		136.	सुयारघाटी	451.	भगानी/जीवा	42	1.05
				452.	श्रवण भैरा	37	2.17

Page No 329

1	2	3		4		5	6	7
		137.	जानुकुडी	453.	मांगु/ थेवा	27/ 3क	2.15	
		138.	सरबारपुरा	454.	लिम्बीया/ गोखिरामेणा	113/ 6	3.05	
						16/ 2		
49.	आमेरामा	139.	मोलासे की गली	455.	गौतम/ मोगजी मीणा	381	2.01	
		140.	सरकोट	456	उदा/ वजल: मीणा	383	1.05	
		141.	आमीरामा	457.	रावजी/ लालिया मीणा	42/ 95	3.01	
		142.	डावडी	458.	नौरिया/ फुलजी मीणा	63	6.03	
				459.	छवियः/ गौतम मीणा	133 134	2.10	
				460.	आश राम/ मेगीजा मीणा	1723/ 1	4.05	
						1724/ 1		
				461.	जीवला/ केशया मीणा	2020	4.01	
				462	गौतम/ जीवला मीणा	2021	5.01	
50	दलोट	143	चन्देरा	463	वरदा/ पूजिया मीणा	587	1.01	
		144	लखनिया	46म.	मांगीलाल/ कालु मोंकिया	319	0.11	
		145	वशोद	465.	मोहन/ कालु बलाई	385	2 05	
				466.	जगन्नाथ/ श्रवण चमार	151	1.00	
51.	एकुण्डा	146	एकुण्डा	467.	नारायण/ हेमराज	311	0.05	
				468.	कालु/ भागीरथ	311	1 00	
				46 .	हुरलाल/ महेन्द्र मीणा	311	0.05	

Page No 330

147	बेलियामंडी	470.	रतन/ रामा	307	0.10
		471.	पन्ना/ ओंकार मीणा	307	0.05
		472.	नारायण/वरदा	3051/2	0.10
					1114.06

(331)

परिशिष्ट 9

सूची ब

अतारांकित प्रश्न संख्या 413 की सूची

वर्ष 1982-83 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी के ग्रामों की सूची ।

पंचायत समिति धोरी मन्ना :-

एम. एन. पी धोरी मन्ना (भाग प्रथम)

1. नगर 16/2/311

एम. एन. पी. धोरीमन्ना (भाग-द्वितीय)

2. कुंडावा 16/322

एम. एन. पी. धोरी मन्ना (भाग-तृतीय)

3. पिपराली 16/2/342
4. बोरचारना 16/2/343
5. हरिराज कानोल 16/2/341
6. पूजाबेरी 16/2/340
7. पाबू बेरा 16/2/339
8. भीमथाल 16/2/318

पंचायत समिति सिणधरी :-

आर. एम. एन. पी. सिणधरी (भाग-प्रथम)

1. कारना 16/2/223
2. भूखा भगतसिंह 16/2/228
3. साहिरा 16/2/229
4. टाको 10/2/234
5. कामथह 16/2/238

आर. एम. एन. एन. पी. सिणधरी (भाग-द्वितीय)

6. गडेसरा 16/2/255
7. नीमली 16/2/258
8. इर्वासिदरी 16/2/261

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 414 की प्रतिलिपि

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक दिनांक और से सन्त सिंह, बीकानेर महिला पापड़ श्रमिक संघ, इन्दरा कटला, पूरूबाई कुंआ कोट गेट बीकानेर वास्ते माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि संयुक्त श्रम आयुक्त [मु] राजस्थान, जयपुर पत्रांक 13450 दिनांक 26–11–81

विषय : बीकानेर महिला पापड़ श्रमिकों की समस्याओं के अवगत कराने हेतु।

बीकानेर का पापड़ उद्योग काफी प्रसिद्ध और विकसित है। यहां के पापड़ सम्पूर्ण भारत के अलावा कई देशों में बिकते है जिससे कुछ न कुछ विदेशी मुद्रा मिलती है किन्तु खेद है कि इस उद्योग में कार्यरत 15 हजार महिला श्रमिकों का निर्माताओं द्वारा भरपूर शोषण किया जा रहा है। इस उद्योग में अधिकांश बाल विधवायें व गरीब असहाय महिलायें कार्यरत है. जिन्हे मजदूरी के नाम पर मात्र रुल्प राशि ही मिल पाती है। एक सौ पापड़ बेलने का पारिश्रमिक मात्र डेढ़ रूपया है और एक सौ पापड़ बेलने में चार घण्टे से भी अधिक समय लग जाता है। इस प्रकार दिन भर में (आठ घण्टे) में एक महिला श्रमिक दो सौ पापड़ भी नहीं बेल पाती।

आज सरकारी नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी आठ रुपये है मगर इन अबलाओं को तो आठ रुपये तो क्या तीन रुपये भी नहीं मिलते है, जो शर्मनाक और दर्दनाक है।

अतएव आपसे निवेदन है कि आप पापड़ उद्योग में कार्यरत महिलाओं को होने वाले शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु अपने प्रभाव का सदुपयोग करें ताकि उनको अपने काम की उचित मजदूरी मिल सके।

आप स्वयं एक महिला होने के नाते अच्छी तरह जानती हैं कि आज के इस मंहगाई के युग में एक ग्रहणी किस प्रकार स्वयं भूखी रह कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है।

आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप इस सम्बन्ध में अपने प्रभाव का सदुपयोग कर राजस्थान सरकार तथा सम्बन्धित उद्यमियों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को इन अबलाओं को शोषण से बचाने एवं उचित पारिश्रमिक दिलाने का निर्देश प्रदान करेंगी।

परिशिष्ट 2

चिन्ह क

अतारांकित प्रश्न संख्या 423 की सूचना व शिकायत की प्रति

बीकानेर जिले की अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	80-81	81-82 का अनुमानित खर्च
1.	मातृ सेवा सदन मोटेन्सरी स्कूल, बीकानेर	43058	53416
2.	बाल भारती मोन्टेसरी, गंगाशहर (बीका.)	107914	108445
3.	राजस्थान बालभारती बीकानेर मान्ट	117645	168445
4.	पी. बी. एम. होस्पीटल बीकानेर मान्ट	46842	58194
5.	ही. सो. रामपुरिया विद्यानिकेतन सोनदेशरी, बीकानेर	126017	146209
6.	एल. के. एस. आई. जैन कन्या उ. प्रा. वि, बीका.	66772	79554
7.	सौफिया मा. वि. बीकानेर उप्रावि	23389	30543
8.	मातृ सेवा सदन मा. वि. बीकानेर उप्रावि	32154	35735
9	बीकानेर राज्य महिला मडल बाल बाड़ी बीकानेर	29672	32242
10.	बीकानेर राज्य महिला मडंल आसानियों का चौकको	28168	28919
11.	भैरवरत्न मातृ प्रा. वि. बीकानेर	31785	26389
12.	मातृ सेवा सदन शिशु शाला बीकानेर प्रावि	27793	25058
13.	शिशु शिक्षा सदन प्रा. वि. गंगाशहर	8661	9728
14.	बीकानेर राज्य महिला मंडल केन्द्रीय कार्यालय, बीकानेर	19511	19902
15.	भैररवत्न मातृ पाठशाला उ. मा. वि. बीकानेर	99448	98558
16	सेठ फतेहचन्द बालिका विद्यालय बीकानेर माध्य	84408	79233
17.	भैरवरत्न उ. मा. वि. बीकानेर (उ. मा. स्तर)	29604	27683
18.	बीकानेर राज्य महिला मडंल विवेकानन्द मार्ग, बीकानेर	100294	105348
19.	बीकानेर राज्य महिला मण्डल मा. वि. आसानियों का चौक, बीकानेर	88820	93976
20.	फतेहचन्द दम्माणी बालिका विद्यालय, बीकानेर	9773	13825
21.	सौफिया मा. वि., बीकानेर	11847	13769
22.	मातृ सेवा सदन मा. वि. बीकानेर माध्य	25216	26250

1	2	3	4
23.	बी. के. मा. वि., बीकानेर	121268	143788
24.	जैन उ. मा. वि. बीकानेर माध्य. स्तर	200813	261309
25.	हि. सो. रामपुरिया विद्या निकेतन मा. वि. गंगाशहर, बीकानेर	127828	139222
26.	जैन पाठशाला सभा, बीकानेर (केन्द्रीय कार्या.)	18144	27274
27.	सालम छात्रावास, बन्धड़ा	1755	1790
28.	भारतीय विद्या मन्दिर केन्द्रीय कार्यालय बीकानेर	11370	13249
29.	भारतीय विद्या मन्दिर रा. उ. मा. वि. बीकानेर	39028	45487
30.	राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय केन्द्रीय कार्यालय बीका.	15167	14793
31.	सादूंल पुष्करणा उ. मा. वि., बीकानेर	2466	9057
32.	जैन उ० मा० वि० बीकानेर (उ० मा० वि० स्तर)	325	325
33.	सादूंल पुष्करणा उ० मा० वि०, बीकानेर	81366	116180
34.	संगीत भारती, बीकानेर	18430	24955
35.	भारतीय विद्यामन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर	51748	52824
36	हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर	5550	5639
37.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, बीकानेर	64589	—
38.	श्री गुणप्रकाश सज्जनालय, बीकानेर	8229	8491
39.	जुबली नागरी भण्डार, बीकानेर	7215	9244
40.	शिक्षा भारती पुस्तकालय, बीकानेर	1035	960
41.	गायत्री पुस्तकालय, बीकानेर	1037	1037
42.	विद्यार्थी सभा पुस्तकालय, बीकानेर	5514	5546
43.	नवयुवक पुस्तकालय, नापासर	603	633
44.	नृसिंह पुस्तकालय, बीकानेर	3097	3463
45.	छात्र सदन पुस्तकालय, बीकानेर	783	793
46.	आचार्य श्रीराम उ० प्रा० वि० बीकानेर उ.प्रा.वि.	67225	80611
47.	श्रीकृष्ण उ० प्रा० वि०, बीकानेर	62661	71504
48.	हनुमन्त उ० प्रा० वि०, गंगाशहर	70535	76002
49.	अग्रसेन उ० प्रा० वि०, बीकानेर	52149	53785
50.	पी. बी. एफ. मोन्टेसरी उ० प्रा० वि०, बीकानेर	18401	22243
51.	राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय नं० 4, बीकानेर	44247	45519
52.	राष्ट्रीय उन्नति विद्यालय नं० 1, बीकानेर	88796	103068
53.	शिक्षा सदन उ० प्रा० वि०, बीकानेर	9030	(7989) (13134)
54.	हनुमान बाल प्रा० वि०, बीकानेर	7989	10390

Page No 335

(335)

1	2	3	4
55.	बी. के प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	19734	23551
56	शिक्षा सदन प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	10302	12089
57.	राजस्थान महिला प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	14511	16105
58.	नेहरू विद्याभवन प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	21046	24849
59.	दुर्गा प्राथमिक विद्यालय, गंगाशहर	03239	01328
60.	शिव प्राथमिक विद्यालय, गंगाशहर	4010	4066
61.	श्रीराम प्राथमिक विद्यालय, गंगाशहर	3689	4843
62	बाहेती मूलचन्द शिवि किसन विद्यालय, बीकानेर	25446	29619.
63.	शिशुस्थल रेल्वे कर्मचारी प्रा० वि०, बीकानेर	7879	5701
64.	रामदेव पाठशाला, बीकानेर	16511	19519
65.	जैन प्रा० वि०, बीकानेर	53586	62484
66	श्री गणेश प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	17571	20437
67.	राष्ट्रीय सहायक प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	34684	41430
68.	करणी आदर्श पाठशाला, बीकानेर	32617	40509
69	महादेव प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	9000	5990
70.	बालिका प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर	106 9	15025,
71	बाल विद्या भवन न 2, बीकानेर	8083	10186
72	बाल निकेतन प्रा. वि., बीकानेर	23 02	26125
73.	बाल शिक्षा सदन प्रा. वि., नापासर	17229	21693
74.	राष्ट्रीय उन्नति प्रा. वि. नं. 2, बीकानेर	20572	16084
75.	बाल विद्याभवन नं. 2, बीकानेर	18118	19764
76.	लक्ष्मी प्रा. वि, गंगाशहर	7848	8821
77.	भैरव प्रा. वि., बीकानेर	5039	6500
78.	सर्वबाल हितैषी प्रा. वि, बीकानेर	8248	8297
79.	श्री नरसिंह आदर्श प्रा. वि., गंगाशहर	4858	5957
80	अरविन्द प्रा वि., बीकानेर	8916	12412
81.	शिक्षा सदन प्रा. वि. न. 2, बीकानेर	7428	9192
82.	शास्त्री निकेतन प्रा. वि., बीकानेर	8592	9125
83	बेबी हैप्पी स्कूल, बीकानेर	8317	10385
84.	विद्या समिति, नोखा	6440	2206
85.	महिला जागृति परिषद, बीकानेर	45930 (अनुमानित)	–
86.	महाजनी प्रा. वि., बीकानेर	14332 (अनुमानित)	–
87.	बालिका विद्याभवन समिति, गंगाशहर	7444 (अनुमानित)	–

(अनुदान प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं हुए)

1	2	3	4
88.	बालिका विद्याभवन समिति उ. प्रा. वि. गंगाशहर		
89.	श्री कृष्ण विद्यालय, भीनासर		
90.	जीवन कन्या विद्यालय, बीकानेर		
91.	महिला जाग्रति परिषद, बीकानेर (मा. वि.)		
92.	सोफिया मा. वि., बीकानेर (उ. मा. वि.)		
93.	सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्सटीट्यूट, बीकानेर		
94.	भैरों शिक्षा सदन प्रा. वि., बीकानेर		
95.	बाल विद्या समिति, नापासर		
96.	बाल विद्यापीठ प्रा. वि., नापासर		

चिन्ह "क"

बीकानेर जिले की निम्न संस्थाओं को वर्ष 80-81 में राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया

क्र0सं0	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि
1.	हि. सी. रामसारिया उ. मा. वि. गंगाशहर, बीकानेर	3000/-
2.	साफोया मा. वि., बीकानेर	10000/-
3	संगीत भारती, बीकानेर	2500/-
4.	हि. सो. रामपुरीया विद्यानिकेतन मान्टेसरी स्कूल गंगाशहर, बीकानेर	10000/-
5.	बालभारती मोन्टेसरी स्कूल, बीकानेर	7500 /-
6.	राजस्थान बाल भारती, बीकानेर	7500/-
7.	पी. बी. एम. मोन्टेसरी स्कूल, बीकानेर	5000/-
8	मातृ सेवा सदन मोन्टेसरी स्कूल, बीकानेर	5000/-

चिन्ह "ख"

महाविद्यालय शाखा

बीकानेर जिले में 3 अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	राशि	
		1980-81	1981-82
1.	श्री जैन पी. जी. कालेज बीकानेर	3,31,580/-	3 87,000/-
2.	श्री जे एस. आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर	3,51,495/-	3,76,000/-
3.	श्री नेहरू शारदा पीठ (रात्रि) महाविद्यालय, बीकानेर	52,826/-	59,000/-

नोट :– वर्ष 1981–82 में पी जे. एस. आर. जैन महाविद्यालय, बीकानेर को 52,000 रु0 का तदर्थ अनुदान स्वीकृत किया गया।

339

चिन्ह "ग"

राजस्थान विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 826. प्र. ता.

संस्कृत शाखा

संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत श्री सादुंल विद्यापीठ, बीकानेर एक मात्र अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था थी जिसे राज्य सरकार ने दिनांक 1-7-81 से राज्याधीन ले लिया। संस्था को वर्ष 80-81 में 1,19,422 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया तथा 30-6-81 तक (वर्ष 81-82) 32,100 रुपये स्वीकृत किया गया।

(340)

चिन्ह "ङ"

सेवा में,

श्री मान् निदेशक महोदय,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषय:– शाला में भयंकर आर्थिक संकट के कारण शाला को सरकारी अधिग्रहण में लेने हेतु।

मान्यवर,

अत्यधिक खेद के साथ आपकी सेवा में निवेदन करने के लिए विवश होना पड़ा है कि शाला में व्यवस्था सम्बन्धी कमजोरियों के कारण भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। जिसके आंशिक निवारण हेतु विभाग द्वारा फरवरी 78 से अनुदान की राशि का केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित पदों को सीधा भुगतान किये वेतन बिलों पर व्यवस्था द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने पर होता रहा है। जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नांकित बिन्दुओं में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है:—

(1) सत्र 78-79 में व्यवस्थापक द्वारा माह अगस्त, 78 से मार्च, 1979 तक का बकाया संस्थागत 30% भुगतान कर सेवामुक्ति की धमकी देकर कर्मचारियों से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाये गये।

(2) सत्र 1979-80 में अध्यापकों एवं कर्मचारियों का बकाया 30% वेतन भुगतान व्यवस्थापक द्वारा नहीं किया गया है। इस पर भी गत वर्ष की भांति शाला को मद्दे नजर रखते हुए सभी कर्मचारियों से उस बकाया राशि पर हस्ताक्षर करवाये जाने की धमकी दी जा रही है।

(3) माह अप्रेल, 80 से अक्टूबर, 80 तक सात माह का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु व्यवस्थापक द्वारा इस अवधि का बकाया 30% वेतन भी हमें नहीं चुकाया गया है।

(4) श्री शिवराज छंगाणी को अप्रेल, 78 से लेकर अक्टूबर, 80 (माह 31 का) तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है जो कि अपने आप में अमान्यकृत है।

(5) श्री मदनमोहन रंगा को मई, 1978 से 1980 का 50% एवं मार्च, 1980 से अक्टूबर, 1980 तक 100% बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया हैं जिनका कि नवीन वेतनमान में स्थिरीकरण किया जा चुका है।

341

(6) शाला में अन्य वरिष्ठ अध्यापकों में श्री शिवरतन रंगा, श्री प्रेमरतन बोहरा श्री महेन्द्रकुमार गहलोत एवं श्री मदनमोहन रंगा को उच्च माध्यमिक स्तर के वेतन के अन्तर की राशि एवं वेतनवृद्धि का अन्तर भी अप्रेल, 1978 से अक्टूबर 1980 तक का बकाया भुगतान नहीं किया गया है।

(7) व्यवस्थापक के हिस्से की बकाया राशि (30%) भविष्य निधि के हिस्से के 1978 से अक्टूबर, 1980 तक का कर्मचारियों के भविष्यनिधि खातों में अभी जमा नहीं करवाये गये हैं जो कि कानूनी रूप से भयंकर अपराध है और अध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है।

(8) शाला के जिन अध्यापकों एवं कर्मचारियों का नवीन वेतनमान में स्थिरीकरण विभाग द्वारा किये जाने के बावजूद भी बकाया अन्तर की राशि का भुगतान अभी तक व्यवस्थापक द्वारा नहीं किया गया है। इस राशि में संस्थागत देय राशि पर कर्मचारियों से केवल हस्ताक्षर करवा लेने की नियत के कारण ही विलम्ब किया जा रहा हैं।

(9) सेवानिवृत्त एवं दिवंगत अध्यापकों एवं कर्मचारियों को उनकी बकाया भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है जो कि अमानवीय क्रूरता एवं आर्थिक अपराध का निकृष्टतम उदाहरण हैं।

(10) संस्था में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का सन 1972–73 एवं 75–76 तक समय समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता अन्तरिम राहत एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं है किया गया और केवल शाला की बहियों मे ऋण स्वरूप दिखाया गया है। जो कि वार्षिक अंकेक्षण विवरण में स्पष्टत: मालूम किया जा सकता है।

(11) इसके अतिरिक्त शाला पर विभिन्न देनदारियों जैसे बिजली, पानी के बिलों की राशि का भुगतान, नहीं किया जाने के कारण शाला की सहशैक्षणिक गतिविधियों को पूर्णतः पाला मार गया है।

(12) छात्रों की छात्रनिधि जिसकी राशि लगभग 60,000 है वो निरन्तर दुरुपयोग होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों मे असन्तोष फैलता जा रहा है।

(13) संस्था का वर्तमान में कोई स्थायी कोष नहीं और जो थोड़ी बहुत स्थाई जमा राशि थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है।

(14) उपरोक्त तथ्यों का संचालन विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों अपने शाला निरीक्षण प्रतिवेदनों में आपको समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है। इसके साथ ही सन 1976–77 एवं 1977–78 में तत्कालीन निदेशक महोदय

द्वारा विशेष विभागीय अतिरिक्त प्रेक्षण दल शाला में भेजा गया था जिसने अपने प्रतिवेदनों में शाला व्यवस्थापन समिति को दिवालिया घोषित करते हुए शाला को सरकारी अधिग्रहण में लेने की जोरदार शब्दों में अभिशंषा की थी।

(15) आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी आकर्षित किया जा रहा है कि संस्था की ऐसी मरणासन्न आर्थिक स्थिति हो जाने के बावजूद भी प्रबन्ध समिति द्वारा न ही किसी प्रकार से धन एकत्रित किया जा रहा है और न ही समस्याओं के निवारण हेतु प्रबन्ध समिति बुलाई जा रही है और न ही अध्यापकों के प्रतिनिधि और अध्यापकों से विचार विमर्श तक किया जाता है वर्तमान प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी चुनाव की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। यह सब अनुदान नियमों के विरुद्ध हो रहा है जबकि निदेशालय, बीकानेर में स्थित है।

अन्त में उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विवरणों को मद्देनजर रखते हुए निवेदन है कि शाला में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों तथा छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शाला का सरकारी अधिग्रहण तुरन्त प्रभाव से करने के आदेश प्रसारित करने का श्रम करें। शिक्षा, शिक्षार्थी एवं शिक्षकों के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देंगे।

सधन्यवाद।

संलग्न :– जिला शिक्षा अधिकारी छात्र, बीकानेर की 10/12/79 की रिपोर्ट

(2) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, द्वारा 8/5/78 का आदेश

हम हैं शाला के समस्त कर्मचारी गण

343

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी [छात्र संस्थाएं] बीकानेर

क्रमांक : जिशिअ/बीका/निजी-I/अशाप/पुष्करणा/79-80 दिनांक 10-12-79

श्रीमान् निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषय:– श्री सार्दुल पुष्करणा उ. मा. वि., बीकानेर में भयंकर अव्यवस्था के क्रम में।

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विद्यालय में गंभीर अव्यवस्था होने की शिकायत पर मैं दिनांक 4-12-79 को लगभग 1.15 बजे विद्यालय पहुंचा। विद्यालय पूर्णतया अस्तव्यस्त था एवं कक्षाओं में कोई अध्यापन कार्य नहीं हो रहा था। किसी भी कक्षा में छात्र एवं अध्यापक नहीं था। केवल 25-30 छात्र विद्यालय प्रांगण में खेल रहे थे। कुछ अध्यापक शाला कार्यालय में बैठे थे। विद्यालय प्रधानाध्यापक श्री शिवराजछंगाणी अवकाश पर थे। मैंने विद्यार्थियों तथा अध्यापकों से इस अव्यवस्था के विषय में पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की तो छात्रों ने बताया कि:—

1. कोई भी अध्यापक कक्षा में नहीं आता है और अध्यापन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
2. विद्यालय में खेल एवं पुस्तकालय की सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही हैं और पुस्तकालय सत्र प्रारंभ से ही बन्द पड़ा है।
3. छात्रों की उपस्थिति अंकित नहीं की जाती है और छात्रों की उपस्थिति अपने आप ही अंकित कर दी जाती है।
4. कुछ छात्र विद्यालय प्रारंभ होने पर आते हैं परन्तु कक्षाओं में अध्ययन न होने से वे भी कुछ समय बाद अपने घरों को चले जाते हैं।
5. छात्रों ने बताया कि प्रधानाध्यापक जी को हम कई बार समस्याओं से अवगत करा चुके हैं लेकिन वे विद्यालय व्यवस्था से बिल्कुल उदासीन हैं।

अध्यापकों ने अपने कार्य के प्रति उदासीन होने के लिये निम्न प्रकार से जानकारी दी:-

1. प्रधानाध्यापक जी एवं कनिष्ठ व्याख्याता श्री मदनगोपाल रंगा को पिछले लम्बे समय से वेतन नहीं मिल रहा है।

2. सभी अध्यापकों को 30 प्र. श. वेतन संस्था के द्वारा पिछले 16 माह में नहीं दिया जा रहा है।

3. विभाग द्वारा सहायतार्थ दी जाने वाली 70 प्रतिशत वेतन मार्च, अक्टूबर, नवम्बर, 79 का नहीं मिला है।

4. पी. एफ. का कोई हिसाब नहीं है।

5. पिछले तीन माह से पी. एफ. का एकाउण्ट पी. ओ. एकाउण्ट में नहीं खोलने से राजकीय अनुदान 70 प्र. श. नहीं मिल रहा है।

6. कई कर्मचारियों को नवीन वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है।

7. विद्यालय की कीं प्रबन्ध समिति विद्यालय व्यवस्था की तरफ से बिल्कुल उदासीन है एवं पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं।

ऐसी स्थिति में विद्यालय को चालू रखना एवं विभाग द्वारा 70 प्र० श० की आर्थिक सहायता देना बिल्कुल ही फिजूलखर्ची है एवं विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है।

अतः निवेदन है कि विद्यालय की मान्यता तुरन्त समाप्त कराई जाय एवं आर्थिक सहायता बन्द कराई जाय।

हस्ताक्षर
(कनक मल जैन)
जिला शिक्षा अधिकारी
बीकानेर।]

कार्यालय-निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

व्यवस्थापक, सादुल पुष्करणा उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर को शाला कर्मचारियों के बकाया वेतन तथा एरियर्स की राशि का भुगतान करने एवं भविष्य निधि राशि को नियमित न करने इत्यादि उनके वित्तीय अनियमितताएं बरतने के कारण इस कार्यालय ने पत्र सं. शिविरा । अनु । बी । 16425 । 76/77 । 39 दिनांक 28.4.78 के अन्तर्गत अनुदान नियम 3 (17) 3 (18) व 3 (39) की अवहेलना पाये जाने के कारण बताओ नोटिस दिया गया । इस कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर संस्था ने दिनांक 4.5.78 के पत्र से भेजा जिसको प्रत्येक बिन्दु पर विचार करने के बाद सन्तोषजनक नहीं पाया । संस्था के उत्तर से यह भी स्पष्ट हो गया है कि इसके द्वारा माह जनवरी, 78 को अनुदान राशि अर्जित करने के पश्चात् भी कर्मचारियों के वेतन का पूरा भाग न चुकाकर आंशिक रूप से अग्रिम चुकाया गया जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है ।

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बीकानेर की रिपोर्ट के अनुसार संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और वह कर्मचारियों को पूरा वेतन चुकाने में समर्थ नहीं है जिससे भविष्य में संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि का सही उपयोग होने की प्रतिभूति नहीं है ।

ऐसी दशा में सादुल पुष्करणा उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर को विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान को तुरन्त प्रभाव से व्यवस्थापक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था रोकी जाती है और जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) बीकानेर को अधिकार दिये जाते हैं कि वे माह फरवरी, 78 से बकाया अनुदान की राशि का भुगतान सीधे कोषालय से प्राप्त करेंगे । ये आदेश निम्न प्रतिबन्धों से युक्त होगा :-

1 जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर संस्थान में स्वीकृत पदों के अनुसार ही मासिक अनुदान को फरवरी 78 से [illegible] 78 तक राशि प्राप्त कर सीधे कर्मचारियों को अनुदान प्रतिशत के अनुपात में चुकायेंगे ।

2 जुलाई 1978 से प्राप्त होने वाले छात्र शुल्क की राशि को प्राप्त कर उसे संस्था के 30 प्रतिशत अंशदान के रूप में समायोजित करेंगे ।

3. माह जनवरी 78 या उससे पूर्व की समस्त देनदारियों का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का ही होगा ।

ह०
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Page No 346

(346)

क्रमांक : शिविरा । अनु । बी । प्रा । 16425 । 76·77 दिनांक 8.5,78 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है ।

1. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) बीकानेर को भेजकर लेख है कि यह व्यवस्था कर्मचारियों को देय वेतन भुगतान को ध्यान में रखते हुए की जा रही है अतः इन्हें चाहिये कि वे इन आदेशों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करेंगे ।

2. व्यवस्थापक, सादुल पुष्करणा उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर ।

3. कार्यालय, बीकानेर ।

ह०
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची

सत्र 1982-83 में खोले गये उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची :-

	जिला	छात्र	छात्रा	योग
1.	अजमेर	6	3	9
2.	भरतपुर	7	2	9
3.	अलवर	14	1	15
4.	जयपुर	18	2	20
5.	झुंझुनू	6	-	6
6.	सीकर	8	1	9
7.	बीकानेर	4	-	4
8.	चूरू	8	1	9
9.	गंगानगर	10	1	11
10.	कोटा	6	-	6
11.	बून्दी	6	-	6
12.	झालावाड़	5	-	5
13.	सवाईमाधोपुर	7	2	9
14.	टोंक	3	1	4
15.	जोधपुर	8	3	11
16.	पाली	8	-	8
17.	नागौर	11	1	12
18.	जालौर	5	-	5
19.	सिरोही	2	1	3
20.	बाड़मेर	6	-	6
21.	जैसलमेर	1	-	1
22.	बांसवाड़ा	5	-	5
23.	भीलवाड़ा	7	2	9
24.	डूंगरपुर	4	-	4
25.	चित्तौड़गढ़	6	1	7
26.	उदयपुर	14	2	16
27.	धौलपुर	3	-	3
योग :-		188	24	212

सन् 1982-83 में खोले गये उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची :—

जयपुर

1. विराटनगर
2. गोजगढ़
3. फुलेरा
4. नरायना
5. जातीपुरा
6. लालसोट
7. गठवाड़ी
8. राजकीय उच्च माध्यमिक (कन्या) विद्यालय, दौसा
9. कोटपूतली
10. हस्तेड़ा
11. बसवा
12. बटवाड़ा
13. बाहुरी का नाका
14. कालवाड़
15. चाकसू
16. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा ।
17. आंधी
18. मचरोल
19. भानपुरकलां
20. चौथवाड़ी (संस्कृत विद्यालय)

अलवर

1. बानसूर
2. खोहली
3. पिनान
4. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवीजी की गली, अलवर
5. मांजरोकलां
6. रामगढ़
7. खोरामलावली
8. कठूमर
9. नारायणपुर
10. कोटकासिम
11. मुण्डावर
12. टहला
13. शाहजहांपुर
14. बासकृपालनगर
15. मतलवास
16. हरसाना

भरतपुर

1. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीग
2. सेवर
3. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, बयाना
4. कदावल
5. सोकरी
6. पहाड़ी
7. निठार
8. गादोली
9. हेलना

अजमेर

1. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुष्कर
2. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़

2. बड़ाखेड़ा
3. सिन्धी उच्च माध्यमिक विद्यालय, खारीकुई
4. बघेरा
6. सराना
7. लोडी
8. अन्ध विद्यालय, अजमेर।
9. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, विजयनगर

धौलपुर

1. तसीमो
2. बसई नवाब
3. सरमथुरा

जोधपुर

1. तलवासनी
2. तिवरी
3. बाप
4. राजकीय किसान (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यायय नागोरी बेरा (मण्डोर)
5. सेतरावा
6. गुढ़ा विश्नोइयान
7. कालीबेरी
8. राजकीय हयूसन दरबार (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर।
9. बावड़ी
10. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपाड़शहर।
11. शेरगढ़

जालोर

1. रानीवाड़ा कलां
2. आहोर
3. दासपां
4. झाब
5. सियाणा

बाड़मेर

1. सिन्धरी
2. गडरारोड
3 पचपदरा
4. बायतू
5. गुड़ामलानी
6. धोरीमन्ना

सिरोही

1. रेवदर
2. स्वरूपगंज
3. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवगंज

पाली

1. मारवाड़ जंक्शन
2. बगड़ी
3. आनन्दपुर कालू
4. नाडोल
5 बेड़ा
6. रोहट
7. सेठ चम्पालाल बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुर।
8. सुमेरपुर

जैसलमेर

1. रामगढ़

नागौर

1. कुचेरा
2. ककनवाली
3. मनाना
4. जायल
5. मोलासर
6. निम्बीजोधा
7. जावला
8. सांजू
9. रियांबड़ी
10. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचामन
11. हरसोर
12. चावड़ियां

कोटा

1. छबड़ा
2. मांगरोल
3. किशनगंज
4. सुल्तानपुर
5. कैथून
6. इन्दरगढ़

झालावाड़

1. अकलेरा
2. खानपुर
3. सुनेल
4. डग
5. झालरापाटन

टोंक

1. छिलाय
2. अलीगढ़
3. दतोब
4. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालपुरा

सवाई माधोपुर

1. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर
2. बड़ागांव (खेडला)
3. श्रीमहावीरजी
4. रतनजिला
5. नादेती
6. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, करोली
7. बामनवास (खुर्द)
8. शिवाड़
9. कुडगांव

बून्दी

1. बडधन
2. नैनवां
3. केशवरायपाटन
4. आलोद
5. देई
6. तालेड़ा

बीकानेर

1. मापासर
2. एम. एम. उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर।
3. चोपड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगाशहर
4. बसरासर

श्री गंगानगर

1. राजकीय (कन्या) उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोहर
2. पीलीबंगा
3. उतरादाबास
4. अनूपगढ़
5. रावतसर
6. हनुमानगढ़ टाऊन
7. संगरिया
8. केसरीसिंहपुर
9. गणेशगढ़
10. रायसिंहनगर
11. मिर्जेवाली मेर

झुंझुनू

1. बुहाना
2. शिमला
3. झाझंड़
4. गुढ़ा
5. चनाना
6. मन्डावा

चूरू

1. सरदारशहर
2. साहवा
3. घणाऊ (राजगढ़)
4. छापर
5. सिद्धमुख
6. दूधवाखारा
7. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़
8. बोदासर
9. सेठ बंसीधर माध्यमिक विद्यालय, रतनगढ़

सीकर

1. खन्डेला
2. नीम का थाना
3. खाचरियावास
4. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय, श्री माधोपुर
5. लोसल
6. पीपराली
7. बीबीपुर
8. जाजोद (लक्ष्मणगढ़)
9. धोंद (जिला सीकर)

उदयपुर

1. भमराना
2. कल्याणपुर
3. टीडी
4. सराड़ा
5. गींगला
9. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा
10. इन्टाली
11. कुरज
12. सायरा

6. सरदारगढ़
7. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय, देवगढ़
8. खेरोदा
9. रा० क० मा० वि० नाथद्वारा
10. इन्टाली
11 कुरज
12. सायरा
13. फतह (उदयपुर)
14. कोटड़ा
15. घासा
16. बेदला

डूंगरपुर

1. आसपुर
2. ओबरी
3. फलोज
4. बीछीबाड़ा

बांसवाड़ा

1. परतापुर
2. नरवाली
3. आनन्दपुरी
4. तलवाड़ा
5. सज्जनगढ़

भीलवाड़ा

1. पन्डेर
2. बिगोद
3. हुरड़ा
4. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय गंगापुर
5. दौलतगढ़
6. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा
7. सुवाणा
8. बागोर
9. बड़लियास

चित्तौड़गढ़

1. भैंसरोड़गढ़
2. सेंती (शहरी क्षेत्र)
3. निकुम्भ
4. राजकीय (कन्या) माध्यमिक विद्यालय, छोटी सादड़ी
5 पहुंना
5. सांवलियाजी का मन्डाफिया
7. आकोला

सत्र 1982-83 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची :—

	जिला	छात्र	छात्रा	योग
1	अजमेर	11	–	11
2.	भरतपुर	10	–	10
3.	अलवर	10	–	10
4.	जयपुर	19	2	21
5.	झुन्झुनू	10	–	10

	जिला	छात्र	छात्रा	योग
6.	सीकर	9	1	10
7.	बीकानेर	4	–	4
8.	चूरू	11	–	11
9.	गंगानगर	11	2	13
10	कोटा	3	–	3
11.	बून्दी	5	–	5
12.	झालावाड़	3	–	3
13.	सवाईमाधोपुर	13	–	13
14.	टोंक	8	1	9
15.	जोधपुर	8	–	8
16.	पाली	10	–	10
17.	नागौर	9	–	9
18.	जालौर	4	–	4
19.	सिरोही	5	–	5
20.	बाड़मेर	6	2	5
21.	जैसलमेर	1	–	1
22.	बांसवाड़ा	5	–	5
23.	भीलवाड़ा	14	–	14.
24.	डूंगरपुर	8	–	8
25.	चित्तौड़गढ़	3	–	3
26.	उदयपुर	18	3	21
27.	धौलपुर	3	–	3
	योग	221	11	232

सन 1982-83 में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची :-

बीकानेर :-

1. पिथरासर (नोखा)
2. मोहनाचौक (बीकानेर)
3. खिमेरा (लूनकरणसर)
4. भवकासर (कोलायत)

चूरू ;-

1. खुड़ेराबड़ा (रतनगढ़)
2. घड़सीसर (सरदारशहर)
3. चारिया (सुजानगढ़)
4. रावतसर कुंजला (राजगढ़)
5. स्याली (राजगढ़)
6. राणासर (चूरू)
7. पुसरास (तारानगर)
8. जोधासर (श्री डूंगरगढ़)
9. रेयाटुन्डा (तारानगर)
10. भड़रेऊ टीबर (तारानगर)
11. राजेड़ (डूंगरगढ़)

झुन्झुनू :–

1. सेकसरिया (चिड़ावा)
2. जेही पहाड़ी (झुंझुनूं)
3. लोरडा (नवलगढ़)
4. घरडाना (सूरजगढ़)
5. मेनपुरा (गुढ़ा गोडजी)
6. सिरियासर कलां (मडावां)
7. हमीरी (अलसीसर)
8. बीबासर (झुंझुनूं)
9. चिरानो (खोतड़ी)
10. गढ़लाकलां (उदयपुरवाटी)

सीकर :–

1. दाता न. 3 (दांतारामगढ़)
2. प्रनोख (धोद)
3. मऊ (कन्या) (श्री माधोपुर)
4. निझरा (नीमकाथाना)
5. रुल्याँका माली (लछमणगढ़)
6. हुडेरा (फतहपुर)
7. तिजाड़ोका बास (नीमकाथाना)
8. जेरठी (सीकर)
9. सदोनसर (फतहपुर)
10. दिवराला (संस्कृत) (सीकर)

श्री गंगानगर :–

1. मेनावाली (हनुमानगढ़)
2. ताखरावाली (पं. गणेशगढ़)
3. चक 15 बी.एल.डी (ए) डबजाल (अनूपगढ़)
4. पक्का सारना (कन्या) (हनुमानगढ़)
5. मनाई (भादरा)
6. पीलीबंगा गांव (पीलीबंगा)
7. लालगढ़ जाटान (कन्या) (सादुलशहर)
8. मानसियां (नोहर)
9. बुढ़वालिया (नोहर)
10. घरेगयंवाली (श्री करणपुर)
11. 13 कपू वकताना (श्री गंगापुर)
12. जवाहरनगर (श्री गंगानगर)
13. बगीची (रायसिंहनगर)

जोधपुर :–

1. उदलियावास (बीलाड़ा)
2. बासनी तम्बोलियान (सरदारपुरा)
3. निम्बाका तालाव (ओसिया)
4. हागोर्डोग्राम मोखेरा (फलोदी)
5. खियासरिया (शेरगढ़)
6. लाम्बा (बिलाड़ा)
7. प्रतापनगर (जोधपुर)
8. हंतूडी (ओसिया)

बाड़मेर :–

1. कुगणियों की ढाणी (बाड़मेर)
2. मूल की ढाणी (कोरना)
3. सणया (सिणधरी)
4. मर्यान्डी (सिवाना)
5. गडरारोड (कन्या) (शिव)
6. बीजराड़ सियाको का तला (चौहटन)
7. चौहटन (कन्या) (चौहटन)
8. बाडमेर (संस्कृत) (बाड़मेर)

जालौर :–

1. बणदर (रानीवाड़ा)
2. भादरूण ग्राम पं. चौहटा (सालोट)
3. जैगावास (भीनमाल)
4. भीनमाल (संस्कृत) (भीनमाल)

नागौर :-

1. मावा (डीडवाना)
2. चूंटीसरा (नागौर)
3. छापड़ा (जायल)
4. खाखड़की (मेड़ता)
5. मामडोली (मकराना)
6. बोनाई (परबतसर)
7. बीजोट (नावां)
8. हीरणी ढाणी पं. खेरला (डेगाना)
9. ढाणीपुरा (रियां)

जैसलमेर :-

1. पोकरण (पोकरण) नं. 3 (हरिजन बस्ती)

सिरोही :-

1. मोमाना (पिंडवाड़ा)
2. जोगापुरा (सिरोही)
3. मकावल (रेवदर)
4. देलदर (पिंडवाड़ा)
5. झांडोली (संस्कृत) (सिरोही)

पाली :-

1. भादरलाल (रानी)
2. लोरोती (जैतारण)
3. मालनू (बाली)
4. लीलाम्बा (रायपुर)
5. नेतरा (पाली)
6. पीपावास (सोजत)
7. थराड़ी (खारची)
8. कुलथाना (रोहट)
9. गुड़ा जेतसिंह (रानी)
10. सावलता (देसूरी)

जयपुर

1. घासीपुरा (शाहपुरा)
2. नवाबास (लालसोट)
3. बालावाला (सांगानेर)
4. उरसेवा (दूदू)
5 जोरपुरा सुन्दरियावास (फुलेरा)
6 खालवास (जमुवारामगढ़)
7. हिंगोनिया (दौसा)
8. चूरने (कोटपूतली)
9. फतहगढ़ (गोविन्दगढ़)
10. गढ़ (बस्सी)
11. नाथावाला (विराटनगर)
12. गांधीनगर कन्या (जयपुर शहर)
13. कालूवास (लालसोट)
14. टोरडा (कोटपूतली)
15. चन्दवाजी कन्या (आमेर)
16. रामपुरा उटी (सांगानेर)
17. गांगदवाडी (सिकराय)
18. खुडियाला (दूदू)
19. निन्दोला (चौमू)
20. जोधपुरा(कोटपूतली)
21. विराटनगर संस्कृत (विराटनगर)

धौलपुर

1. बुबाटी (धौलपुर)
2. दिहोली (राजाखेड़ा)
3. बोमई (बाड़ी)

भरतपुर

1. काठोल (कामा)
2. कारवारी (बयाना)
3. नरायना चौथा पं. रास्ता (डीग)
4. वहिरधा (रूपबास)
5. पाला (कुम्हेर)
6. जालूसी (नगर)
7. झाडोली (वैर)
8. गोगेरा (वैर)
9. खचेरा (नन्दबई)
10. नवारा (कामा)

अलवर

1. पुनखर (उमरेण)
2. गोरधनपुरा (मल्लाना)
3. सालोथी (राजगढ़)
4. तलवाना (बहरोड)
5. शेरपुर (बहरोड)
6. अडवा (कठूमर)
7. गहूवास (मण्डलवर)
8. रूगवास (तिजारा)
9. पारा (राजगढ़)
10. नसोपुर (लक्ष्मणगढ़)

कोटा

1. मासल्बोरी (मन्ता)
2. झाफाहेडी (नावां)
3. बालापुर (किशनगढ़)

अजमेर

1. मेवाडिया (किशनगंज)
2. शेरगढ़ (भिनाय)
3. बामनहेड़ा (जवाजा)
4. देवपुरी (अराई)
5. बिठर (किशनगंज)
6. जीवण (मसूदा)
7. गुडगांव (केकड़ी)
8. बोली (किशनगढ़)
9. रूपनगर (मसूदा)
10. रामपाली (केकड़ी)
11. ब्यार (भिनाय)

सवाई माधोपुर

1. अरनियां (गंगापुर)
2. लुहावद (नादौती)
3. जाटव बस्ती (हिन्डौन)
4. मावली (करोली)
5. शीशवाड़ा (महुवा)
6. भावरां (बामनवास)
7. दौलतपुरा (खन्डार)
8. भजेड़ा (टोडाभीम)
9. तालचिड़ा (नदौती)
10. डोडा (करोली)
11. ऐंकिड (सपोटरा)
12. भूरीपहाडी (खन्डार)
13. उखगांव (बामनवास)

बून्दी

1. बाब्यूली (नैनवा)
2. टोकड़ा (हिन्डोली)
3. इश्वर नगर साखेरी (केशवरायपाटन)
4. मरेडा (नैनवा)
5. लक्ष्मीपुरा (बून्दी)

(357)

टौंक

1. नोहटा (निवाई)
2. नौरंगपुरा प. (बगड़वा)
3. बोहन्दा (टोडारायसिंह)
4. जु'नया (देवली)
5. बनेठा कन्या (उनियारा)
6. चन्दलाई (टौंक)
7. अम्बापुरा (मालपुरा)
8. चैनपुरा (निवाई)
9. साडला (टोडारायसिंह)

झालावाड़

1. कंवरपुरा मडवालान (खानपुर)
2. लसूडियाशाह (मनोहरथाना)
3. दुबालिया (पिडावा)

चित्तौड़गढ़

1. कल्याणपुरा (बेगूं)
2. बड़वल (बड़ीसादड़ी)
3. चौकसी (चित्तौड़गढ़)

उदयपुर

1. कालीड़ा (बड़गांव)
2. पार्थर (सलूम्बर)
3. वरड़ा (बड़गांव)
4. सिवटवाड़ा (सराड़ा)
5. लकावा (सलूम्बर)
6. बदड़ा (कुम्भलगढ़)
7. खडेल (रेलमगरा)
8. वरार (कन्या), (भीम)
9. छार्ना (कन्या), (खेरवाड़ा)
10. मेड़ता (मावली)
11. छोटा (बाठरड़ा) (वल्लभनगर)
12. झालों की मदार (नाथद्वारा)
13. सिधाड़ा (गोगुन्दा)
14. बुजड़ा (गिर्वा)
15. चासदा (गिर्वा)
16. पलाना खुर्द (कन्या), (गिर्वा)
17. कानूवाड़ा खेरवाड़ा)
18. सेमाल (सराड़ा)
19. बड़गुला (सराड़ा)
20. बस्सी जोहेरा (सलूम्बर)
21. भितोड़ी (सलूम्बर)

भीलवाड़ा

1. धराकडखेड़ी (मांडलगढ़)
2. उमाजी का खेड़ा (मांडलगढ़)
3. बिलियां कलां (भीलवाड़ा)
4. चोउखेड़ा (सहाड़ा)
5. प्रतापपुरा (असिन्द)
6. आमदला (मांडल)
7. रेड़ (शाहपुरा)
8. जूना गुलाबपुरा (हुरड़ा)
9. भगुनगर (जहाजपुरा)
10. ककरोलिया माफी (कोटड़ी)
11. बडला (कोटड़ी)
12. जयनगर (आसिन्द)
13. देवरिया (शाहपुरा)
14. रूपाहेली खुर्द (बनेड़ा)

बांसवाड़ा

1. बस्सी चन्दनसिंह (बांसवाड़ा)
2. कुशलकोट (बागीडोरा)
3. छोटी वदरेल (दानपुर)
4. मोरडी नीचली (घाटोल)
5. चोपासाग (बांसवाड़ा)

डूंगरपुर

1. आरा (सागवाड़ा).
2. पगारा पं. खेड़ा (डूंगरपुर)
3. चारवाड़ा ग्राम पं. बेंजा (बीछीवाड़ा)
4. वालीरा (आसपुर)
5. झलाई (चौरासी)
6. बिलीया बडगाव (सागवाड़ा)
7. भाणोती का ओडा (डूंगरपुर)
8. वाकडा (सीमलवाड़ा)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 428 का विवरण

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की वर्ष वार सूची

क्र०सं०	नाम कर्मचारी पद स्थापन स्थान	कब से	कब तक	प्रतिनियुक्ति का कारण
1.	श्री श्यामसुन्दर गोस्वामी कार्यालय अधीक्षक म०सं०का० जयपुर	14-11-79 से	29-11-80	सेवा नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार
2.	श्री नःसी राम म्हावर क०लि०रा०सं०वि० तीतरिया	7-2-80 से	5-5-80	सामान्य प्रशासन । संस्था में रजिस्टर: बनाने
3.	श्री पुष्करेन्द्र प्रसाद शर्मा क०लि०रा०सं०वि० भरतपुर	4-2-80 से	2-4-80	सहायता अनुभाग में बिल बनाने
4.	श्री दामोदर लाल भट्ट व०लि०रा०सं०का० उदयपुर	4-3-80 से	17-4-80	वेतन केन्द्र में बिल बनाने
5.	श्री परमेश्वरलाल कनिष्ठ लिपिक रा०सं०का० सीकर	11-3-80 से	27-3-80	,, ,,
6.	श्री हरिनारायण बडाया क०लि०रा०सं०वि० शाहपुरा	29-3-80 से	5-4-80	,,
7.	श्री पूर्णाशंकर शर्मा च०श्रे०क०रा०सं०का० उदयपुर	21-4-80 से	26-4-80	चपरासी का कार्य हेतु
8.	श्री मेघासिन्धु शर्मा क०लि०रा०सं०वि० बगरु	1-4-80 से	9-4-80	वेतन केन्द्र में बिल बनाने हेतु
9.	श्री पूर्णाशंकर शर्मा च०श्रे०क०रा०सं०का० उदयपुर	4-6-80 से	16-6 80	चपरासी का कार्य हेतु
10.	श्री नाथू लाल मीणा च०श्रे०क०रा०सं०का० मनोहरपुर	16-9-80 से	14-10-80	,,
11.	श्री नन्दलाल वर्मा क०लि०रा०सं०वि० मेड	15-9-80 से	6-10-80	संस्थापन 4 में रजिस्टर बनाने हेतु
12.	श्री संजन मीणा च०श्रे०क०रा०सं०का० मनोहरपुर	21-10-80 से	13-2-81	चपरासी का कार्य
13.	श्री गिर्राज प्रसाद व्याख्याता रा०स०का० कालाडेरा	30-8-80 से	29-11-80	संस्थापन अनुभाग में डी०पी०सी० कार्य हेतु
14.	श्री रघुनन्दन दाधीच व्याख्याता सं०का० महापुरा	3-12-80 से	9-12-80	

		2-6-80	से	17-11-80	
		6-8-80	से	1-9-80	मेरिट सूची बनाने हेतु
15.	श्री सोहन लाल शर्मा व्याख्याता सं०का० मनोहरपुर	26-6-8[illegible]	से	18-7-80	"
		6-8-80	से	1-9-80	"
16.	श्री दुर्गासहाय शर्मा स०उ०स०का० महापुरा	8-8-86	से	1-9-80	"
17.	श्री महेश चन्द शर्मा स०अ०सं०वि० मेड	[illegible]-8-80	से	1-9-80	"
18	श्री नरेन्द्र पाण्डेय स०अ०सं०का० नीमका थाना	1-8-80	से	12-8-80	"
19	श्री मोती लाल जोशी प्रोफेसर सं०का० उदयपुर	21-3-80	से	1-4-80	निदेशालय का कार्य - विभाजन हेतु
		वर्ष 1981			
20.	श्री देवीलाल च. श्रे. क. रा. सं. का. उदयपुर	9-2-81	से	17-2-81	चपरासी कार्य हेतु
21.	श्री सज्जन मीणा च. श्रे. क. रा. सं. का. मनोहरपुर	19-3-81	से	3-6-81	"
22.	श्री ऋषिशंकर गुजराती क. लि. रा. सं. वि. खोरी	22-6-81	से	28-7-81	फिक्सेशन बजट कार्य हेतु
23.	श्री गया प्रसाद अग्रवाल क. लि. रा. सं. वि. भरतपुर	16-9-81	से	31-12-81	सेवा पुस्तिका बनाने हेतु
24.	श्री पुष्करेन्द्र प्रसाद शर्मा क. लि. रा. सं. वि. करौली	9-11-81	से	23-11-81	सेवा पुस्तिका बनाने हेतु
		3-12-81	से	31-12-81	
25	श्री गिर[illegible] प्रसाद व्याख्याता रा. सं. का. कालाडेरा	4-2-81	से	3-7-81	डी. पी. सी. कार्य हेतु
		19-6-81	से	4-8-81	
26.	श्री रमेश चन्द्र पंच स. अ. रा. सं. का. मनोहरपुर	1-5-81	से	17-6-81	मेरिट सूची बनाने हेतु
27.	श्री महेश चन्द शर्मा स. अ. रा. सं. वि. मेड	1-6-81	से	17-6-81	"
28.	श्री राधेश्याम कलावाटिया प्राचार्य रा. सं. का. नीम का थाना	28-5-81	से	12-6-81	पांडुलिपियों का पुनर्विलेखन कार्य हेतु
29.	श्री सागरमल दीक्षित प्र. अ. रा. सं. वि. चौथवाडी	"		"	"

1	2	3	4
30.	श्री राधेश्याम पदमेश व. अ. रा. सं. का. कालाडेरा	28-5-81 से 12-6-81 26-8-81 से 31-8-81	पांडुलिपियों के पुनर्विलेखन कार्य हेतु
31.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा स. अ. रा. सं. का. उदयपुर	28-5-81 से 12-6 81	,,
32.	श्री गिरजा प्रसाद व्याख्याता रा. सं. क. कालाडेरा	1-6-81 से 2-6 81 10-6-81 से 12-6-81	,,
33.	श्री रमेश चन्द्र पंच स. अ. रा. स. का. मनोहरपुर	1-5-81 से 15-5-81 1-6-81 से 17-6-81	परीक्षा परिणाम कार्य हेतु
34.	श्री महेश पंच स. अ. रा. स. वि. मेड	1-6-81 से 17-6-81	परीक्षा परिणाम कार्य हेतु
		वर्ष 1982	
35.	श्री गया प्रसाद अग्रवाल रा. सं. वि. भरतपुर	1-1-82 से 9-7-82	सेवा पुस्तिका तैयार करने हेतु
36.	श्री पुष्करेन्द्र प्रसाद शर्मा रा. सं. वि. करौली	1-1-82 से 17-7-82	लेखा शाखा कार्य हेतु
37.	श्री बाबूलाल शर्मा क. लि. रा. सं. वि. हाथोज	12-2-82 से 26-7-82	डिस्पेच कार्य हेतु
38.	श्री प्रवीण भार्गव क. लि. रा. स. का. दौसा	13-9-82 से 31-12-82	शैक्षणिक अनुभाग में परीक्षा परिणाम
39.	श्री रामजीलाल बैरवा क. लि. रा. स. वि. चौमू	15-1-82 से 14-6-82 21-10-82 से 19-11-82	वेतन केन्द्र में बिल बनवाने हेतु
40.	श्री हरिनारायण शर्मा क. लि. रा. सं. वि. महापुरा	24-11-82 से 21-12-82	वेतन वृद्धि एवं छुट्टियां स्वीकृत करने हेतु
41.	श्री शंकरलाल खाण्डल स. अ. रा. सं. वि. हाथोज	24-2-82 से 5-5-82	वेतन केन्द्र में 858 सी. डी. कार्य हेतु ।

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की वर्षवार सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी पद-स्थापन स्थान	कब से कब तक	प्रति नियुक्ति का कारण
	वर्ष 1980		
1.	श्री श्याम सुन्दर गोस्वामी, कार्यालय अधीक्षक म. सं. का. जयपुर		
42.	श्री रघुनन्दन दाधीच व्याख्याता रा. सं. का. महेशपुरा	20–8–82 से 2–9–82	मेरिट सूची बनाने हेतु
43.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा स. अ. रा. सं. वि. शाहपुरा	26–7–82 से 5–8–82	संगोष्ठी कार्य हेतु
44.	श्री दुर्गासहाय शर्मा स. अ. रा. स. का. मनोहरपुरा	11–8–82 से 24–8–82	मेरिट सूची बनाने हेतु
45.	श्री महेशचन्द्र शर्मा स. अ. रा. सं. वि. खोरी	13–8–82 से 8–10–82	"
46.	श्री शंकरलाल खाण्डल स. अ. रा. सं. वि. हाथोज	6–7–82 से 31–12–82	858 सी. डी. कार्य हेतु
47.	श्री नरेन्द्रकुमार पाण्डेय व. अ. रा. सं. का. महापुरा	11–8–82 से 28–8–82	मेरिट सूची बनाने हेतु
48.	श्री महेशचन्द्र टांक पी. टी. आई. रा. शि. प्र. वि. महापुरा	25–9–82 से 30–9–82	"
49.	श्री सागरमल दीक्षित प्र. अ. रा. सं. वि. शिवसिंहपुरा	6–10–82 से 12–10–82	"
50.	श्री राधेश्याम कलावटिया प्राचार्य रा. सं. का. नीम का थाना	12–1–82 से 13–1–82	निदेशालय के 25 वर्ष पूर्ण होने के काम में
51.	श्री रेवतीरमण स. अ. रा. सं. वि. हाथोज	11–10–82 से 12–11–82	"

समान परीक्षा योजना केन्द्र महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर में का गई प्रतिनियुक्तियों का विवरण

क्र. सं.	नाम कर्मचारी पद स्थापन स्थान	कबसे कब तक	प्रतिनियुक्ति का कारण
		वर्ष 1980	
1.	श्री महेश चन्द्र पंच, स.अ. रा.स.वि मेढ	16-10-80 से 21-11-80	प्रश्नपत्र विश्लेषण/परीक्षा/शैक्षिक कार्य
		वर्ष 1981	
2.	श्री अनिल कुमार भट्ट, स.अ. रा.स.वि. महापुरा	6-3-81 से 4-4-81	,,
3.	श्री डा. सीताराम शर्मा, स.अ. रा.स.वि चौमूं	26-4-81 से 14-5-81	,, ,,
4.	श्री रामप्रसाद गोयल, व्याख्याता रा.स.बा. दौसा	26-4-81 से 1-5-81	,, ,,
5.	श्री डा. सीताराम शर्मा स.अ. रा.स.वि. चौमूं	17-5-81 से 30-6-81	,, ,,
		14-10-81 से 16-11-81	,,
6.	श्री प्रभात कुमार शर्मा, क.लि. निदेशालय, जयपुर	8-12-81 से 7-1-82	,,
		26-4-81 से 2-5-81	,,
		वर्ष 1982	
7.	श्री डा. सीताराम शर्मा, स.अ. रा.सं.वि. चौमूं	1-2-82 से 4-2-82	,,
8.	,, ,,	4-3-82 से 28-4-82	,,
9.	श्री प्रेमजी, व.अ.क. रा.से.का. जोधपुर	20-5-82 से 28-5-82	,,
10.	श्री राधेश्याम पदमेश व.अ. रा.स.का.	22-5-82 से 20-5-82	,,

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 433 की सूची

सूची स्वीकृत राहत कार्य प्रभाव स्थिति सं. 2039 जिला बूंदी

क्र. सं.	नाम तहसील	अभिकरण	कार्य का नाम	कार्य चालू होने की दिनांक
1	2	3	4	5
1.	बूंदी	सा० नि० वि०	बूंदी–चित्तौड़ रोड आधुनिकरण	27-2-83
2.	,,	,,	एप्रोच रोड लक्ष्मीपुरा डोरा–सुतड़ा	
3.	,,	,,	पाकल पुरिया से मंडावरा	–
4.	,,	,,	नमाना से मंडावरा वाया आमली	–
5.	,,	,,	गरड़दा से भोपाल पुरा	1-3-83
6.	,,	वन विभाग	मुखेड़ क्लोजर	–
7.	,,	,,	खटकड़ क्लोजर	29-1-83
8.	,,	,,	झरपीर क्लोजर	–
9.	,,	,,	काली डूंगरी क्लोजर	–
10.	,,	,,	केवड़ियों कमलोई क्लोजर	=
11.	,,	,,	डाबी पलंका क्लोजर	–
12.	,,	सिंचाई वि.	चांदा का तालाब	–
13.	,,	,,	माला का तालाब	–
14.	,,	,,	डोरा टेंक	–
15.	,,	,,	मरलोली एनीकट	30-1-83
16.	,,	,,	भेरु की पुल	–
17.	,,	,,	कल्याण पुरा टेंक	–
18.	,,	,,	कँवरपुरा टेंक	–
19.	,,	,,	गांव की पुल	–
20.	,,	,,	गड़ी टेंक	–
21.	,,	,,	हरदा पिकअप वियर	–
22.	,,	भू. संरक्षण	चरागाह विकास कछालिया	–
23.	के०पाटन	वन विभाग	लुनाधा क्लोजर	–
24.	,,	सा. नि. वि.	पापड़ी से बसवाड़ा	–
25.	,,	,,	कोलोई से भेसखेड़ा	–

1	2	3	4	5
26.	उप खह. इन्द्रगढ़	सा, नि. वि.	इन्द्रगढ़ से डीबरी	—
27.	(क्षेत्र-पीपल्दा)	,,	इन्द्रगढ़ से कमलेश्वर	—
28.	,,	,,	एप्रोच रोड ग्रन्धोरा	—
29.	,,	व- विभाग	गेंगापुरा क्लोजर	—
30.	नैनवा	सा० नि० वि०	आतरदा से करवर	1-3-83
31.	,,	,,	जारखोदा से करवर	26-3-83
32.	,,	,,	खासपुरिया से गम्भीरा-समिधि	—
33.	,,	,,	बामन गांव से समिधि	—
34.	,	सिंचाई वि०	अरनेठा तालाब	—
35.	,,	,,	बटावदी टेंक	—
36.	,,	,,	फलाइठनी एनीकट	21-2-83
37.	,,	,,	गुरजनिया एनीकट	17 2-83
38.	,,	भू० सं० वि०	बम्बूली वाटर रोड	4-2-83
39.	,,	,,	रेठोदा चरागाह	2-2-83
40.	,,	,,	चरागाह विकास कोलाहेड़ा	—
41.	,,	सिंचाई वि.	बांक्या नया गांव	—
42.	,	वन विभाग	पीपल्या मागक चोक क्लोजर	1-2-83
43.	,,	,,	अरियाली बुढ करवर	1-2-83
44.	,	,,	रामगढ़ नर्सरी	16-2-83
45	,,	,	जजावर क्लोजर	—
46.	हिण्डोली	सा० नि० वि०	डाटून्दा से बसोली-मोवन	25-2-83
47.	,,	,,	नेगढ से बसोली	23-2-83
48.	,,	,	एप्रोच रोड थाना-वाया रधुनाथपुरिया सहसपुरिया	—
49.	,,	सिंचाई वि	विषधारी डेम	21-2-83
50.	,,	,	मरडिया बांध	3-2-83
51.	,	,	विजयगढ़ टेंक	20-2-83
52.	,,	,,	खेरखटा एनीकट	4-2-83
53.	,,	,,	ब्राह्मणों की ग्रो० एनीकट	20-2-83
54.	,,	,,	सलवाना तालाब	—
55.	,,	,,	माना का तालाब (मेंढी)	—
56.	,,	भू-संरक्षण	चरागाह विकास पंगारा	—

1	2	3	4	5
57.	हिन्डोली	भू संरक्षण	चरागाह विकास बटवाडी	–
58.	,,	,,	चरागाह विकास पायरा	–
59.	,,	,,	चरागाह विकास भीमगंज	–
60.	,,	सिंचाई विभाग	फतेहगढ़ एनीकट	6–2–83
61.	,,	वन विभाग	शिकारबुर्ज क्लोजर	–
62.	,,	,,	डाबेटा क्लोजर	1–2–83
63.	,,	,,	डाटून्दा क्लोजर	7–2–83
64.	,,	,,	विजयगढ़ क्लोजर	8–2–83
65.	,,	,,	खोन्या क्लोजर	2–2–83
66.	,,	,,	पंगारा क्लोजर	1–2–83
67.	,,	,,	विशनपुरा क्लोजर	8–2–83
68.	,,	,,	भीमगंज क्लोजर	8–2–83
69.	,,	,,	हासोली नर्सरी	1–2–83

(367)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 435

राजस्थान सरकार

(सहायता विभाग)

सम्वत् 2038 की अभावस्थिति में चलाये गये पशु पोषण केन्द्रों की सूची :-

क्र. सं. नाम जिला	क्र. सं.	केन्द्र का नाम	नाम जिला	क्र.सं.	केन्द्र का नाम
1	2	3	1	2	3
बीकानेर	1.	छतरगढ़	जोधपुर	1.	खारा बेरा
	2.	देशनोख-I		2.	भीमतान
	3.	देशनोख-II		3.	खेजड़ीकला
	4.	बाडूसर		4	जाजीवालगहलोतान
	5.	सरदासर		5.	जोलियाली
	6.	सवादेसर		6.	झांवर
	7	कालासर		7.	दांतीवाड़ा
	8.	जोगनाथ		8.	धवा
	9.	भीनासर		9.	फींच
	10.	बोरला		10.	नावरला
	11.	जयमलसर		11.	रोहिचा कलां
	12.	बीकानेर देहात 1		12.	सालवा कलां
	13.	बीकानेर देहात 2		13.	सालूडी
	14.	मोतीगढ़		14.	सुबदण्ड
	15.	बीछवास नं. 1		15.	खुडाल
	16.	बीछवास नं. 2		16.	खातियासनी
	17.	श्री कोलायत		17.	चाली
	18.	फुलासर		18.	खारा बेरा पुरोहितान
	19.	बीकमपुर		19.	बिसलपुर
	20.	गोड		20.	मोगडा कलां
	21.	बज्जू		21.	भियासनी
	22.	बरसलपुर		22.	ओलवी
	23.	दियातरा		23.	खारिया मीठापुर
	24.	दासोडी		24.	चिरढाणी
	25.	खीन्दासर		25.	तिलवासनी
	26.	मीठड़िया		26.	बालां
	27.	रणजीतपुरा		27.	बिलाडां

1	2	3	1	2	3
बीकानेर	28.	गज्जेवाला	जोधपुर	28.	बीजासनी
	29.	गुडा		29.	बोयल
	30.	पांदी		30.	भाखी
	31.	भकासर		31.	कापरडा
	32.	मोडायत		32.	लाम्बा
	33.	मानकासर		33.	डुण गांव
	34.	सुरजडा		34.	अरटिया खुर्द
	35	हर्दा		35.	रामडावास
	36.	भलूरी		36.	बागोरिया
	37.	शेरूवाला		37.	अरटिया कलां
	38.	बांगडसर		38.	बिरामी
	39.	सेवडा		39.	बुचेटी
	40.	करनीसर		40.	सेत्रकी कलां
	41.	गडीयात		41.	जूड
	42.	ग्रांधी		42.	टापू ह्वालिया
				43.	बारां खुर्द
				44.	चिराई
				45.	नेरवां
				46.	खांवड़ा
	47.	डावरा	जैसलमेर	1.	नोख
	48.	भाटेलाई		2.	देवा
	49.	केतू गोदारा		3.	बडोडागांव
	50.	केतू जणियां		4.	बानधम
	51.	केतू सारणा		5.	काणोत
	52.	पली		6.	हमीरा
	53.	ढढू		7.	भू
	54.	चोलीणा		8.	पिथला
	55.	मूडला कलां		9.	रूपसी
	56.	कुशलवा		10.	माहिनगढ़
	57.	कानासर		11.	काठोडी
	58.	भोजासर		12.	सम
	59.	पलीना		13.	कनोई
	60.	ांम्रा		14.	दबड़ी
	61.	माणकलाव		15.	डेढा

1	2	3	1	2	3
	62	पाल		16	खहड़ी
	63.	केरू		17.	म्याजलाई
	64.	ओसियां 1		18.	रामां
	65.	ओसियां 2		19.	सांगड
	66.	भीकमकोर		20.	रिवडी
	67.	पण्डितजी की ढाणी		21.	कपूरिया
				22.	लखा
	68.	खेडापा		23.	झिझियाली
	69.	जूल चेराई		24.	मोढा
	70.	शेरगढ़		25.	कुण्डा
	71.	सेतरावा 1		26.	तेजमालता
	72.	सोइन्तरा		27.	अडवाला
	73.	शेरगढ़ 2		28.	देवडा
	74.	खिरंजा		29.	चेलक
	75.	देवू		30.	कोटडी
	76.	चाखा		31.	नरसिंहगा की ढाणी
	77.	बालेसर		32.	रेदबीगोट
	78.	सोलंकिया कलां		33.	राजला
	79.	नाथडाऊ		34.	रामगढ़
	80.	चांद समां		35.	सोनू
	81.	रायसर		36.	हावर
	82.	सेतरावा 2		37.	डांगरी
	83.	जाटा भाण्डू		38.	नेहड़ाई
	84.	ठाठणियां		39.	डाभला
	85.	फलोदी शहर 1		40.	लोढाकोयर
	86.	फलोदी शहर 2		41.	सुलताना
	87	फलोदी शहर 3		42	तेजपाला
	88.	फलोदी शहर 4		43.	खड्याला
	89.	खीचन		44.	बईया
	90.	फलोदी देहात 1		45.	तेजरावां
	91.	फलोदी देहात 2		46.	पोकरण-II
	92.	फलोदी देहात 3		47.	पोकरण-III
	93	बाप		48	रामदेवरा
	94.	भोयासर		49.	माडवा

Page No 370

(370)

1	2	3	1	2	3
	95.	वारू		50.	वलाड
	96.	टेपू		51.	बान्धवा
	97.	खाऊ		52.	लूणाकलां
	98.	माउ		53.	झाबरा
	99.	सिहडा		54.	भसेडा
	100.	पीलवा 1		55.	राजगढ़
	101.	पीलवा 2		56.	बारट का गांव
	102.	लोहावट प्रथम		57.	मदासर
	103.	लोहावट द्वितीय		58.	लाठी
	104.	बावड़ी		59.	खेतोलाई
				60.	भणियाणा
				61.	फलसूण्ड
				62.	रातडिया
				63.	छायण
				64.	मजासर
				65.	राजमथाई
				66.	लोहार की
				67.	बासनपीर
				68.	सम–II
				69.	जैसलमेर–I
				70.	जैसलमेर III देहात

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 436 की रिपोर्ट

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि. फतहनगर

वेरीफिकेशन रसायन खाद दिनांक 30-6-82

क्रमांक	नाम वस्तु	स्टाक रजिस्टर के अनुसार क्वान्टिटी	भौतिक सत्यापन के अनुसार क्वान्टिटी		कमी (—) या अधिक (+)		घटत/बढ़त के लिये जिम्मेदार		विशेष विवरण
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1.	श्री राम यूरीया	63	63	7812-00					1440 बेग ओर
2.	यूरीया किसान	9	9	1120-50	—	—	—	—	आये सत्यापन के
3.	एन. पी. के. (इफको)	725	725	124591-25	—	—	—	—	— समय
4.	सुपर फास्फेट (मतुल)	540	537	28424-00	(—)3	159-00	गोदाम कीपर		
5.	सुपर फास्फेट दिल्वी	45	45	2385-00	—	—	—	—	—
6.	सुपर फास्फेट देबारी	470	469	21574-00	(—)1	46-00	—	—	—
7.	यूरीया गुजरात	2	2	245-00	—	—	—	—	—
8.	डी.ए.पी.	200	200	10600-00	—	—	—	—	—
9.	एम. ओ. पी.	43	43	2700-00	—	—	—	—	—
10.	एस. पी. (देबारी 100 किलो में)	40	40	3000-00	—	—	—	—	—
11,	सी. ए. एन.	147	147	12568-00	—	—	—	—	—
12.	डी. ए पी. (आई. पी. एल)	2	2	381-30	—	—	—	—	—
				215401-35		205-00			

गोदाम कीपर

व्यवस्थापक

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि. फतहनगर

वेरीफिकेशन कीट नाशक औषधियां दिनांक 30-6-82 को

क्रमांक	नाम जिन्स	स्टाक रजिस्टर के अनुसार क्वान्टिटी	भौतिक सत्यापन के अनुसार क्वान्टिटी		कमी(—) या अधिक (+)		घटत/बढ़त के लिये जिम्मेदार व्यक्ति		विशेष विवरण
			क्वा.	राशि	क्वा.	राशि	क्वा.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बी.एच.सी. (50 किलो)	263	263	15410	—	—	—	—	—
2.	बी.एच.सी. (25 किलो)	539	539	22015	—	—	—	—	—
3.	बी.एच.सी. (10 किलो)	314	312	6280	2	(—)40.00	गोदाम कीपर		
4.	रोगोर (100 एम.एल.)	903	903	6324	—	—	—	—	—
5.	रोगोर (250 एम एल.)	80	80	1600	—	—	—	—	—
6.	सीड टेसर्स (आधा किलो)	31	34	306	(+)3	(+)27.00	गोदाम कीपर		
7.	मेला टोक्स (100 एम.एल.)	8 शीशी	8 शीशी	64 00	—	—	—	—	—
8.	इक्वामीन (500 एम.एल.)	519	519	1414.00	—	—	—	—	—
9.	इक्वामीन (1 लीटर)	39	39	1560	—	—	—	—	—
10.	इक्वामीन (500 एम.एल.)	80	80	1760	—	—	—	—	—
11.	वेगोल (आधा किलो)	32	32	8801	—	(—)11.00	—	—	—
12.	डायमोक्रोन (250 एम.एल.)	110	110	4950	—	—	—	—	—
13.	फेराडोक्स (1 लीटर)	38	38	628	—	—	—	—	—
14.	डायमाटोक्स (1 लीटर)	7	7	224	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	किसेवस कार्बोरीयर	10	10	600	–	–	–	–	–
16.	निवाक्रोन(250 एम एल)	63	63	2520	–	–	–	–	–
17.	निवाक्रोन(100 एम एल)	250	250	4000	–	–	–	–	–
18.	नुवान(250 एम एल)	76	76	3040	–	–	–	–	–
19.	[illegible] (1 लिटर)	6	6	256	–	–	–	–	–
20.	माइक्रो फोस(100 एम एल)	73	73	568	(–)2	(–)16–00	–	–	–
21.	ट्रेसल (500 ग्राम)	8	8	64	–	–	–	–	–
22.	एल्ड्रीन(10 किलो)	27	27	2187	–	–	–	–	–
23.	सेविन डस्ट(25 किलो)	15	15	1275	–	–	–	–	–
24.	एण्डोसल्फालन (250 एम एल)	90	388	8536	(–)2	(–)46–00	–	–	–
25.	डायोमोक्रोन (100 एम एल)	117	117	2223	–	–	–	–	–
26.	मेलाथीयोन (500 एम एल)	290	290	6960	–	–	–	–	–
27.	एल्ड्रीन (5 किलो)	122	122	4880	–	–	–	–	–
28.	मेलाथीयोन (10 किलो)	5	5	310	–	–	–	–	–
29.	मेलाथीयोन (5 किलो)	10	10	320	–	–	–	–	–
30.	मेलाथीयोन डस्ट (10 किलो)	100	100	6200	–	–	–	–	–
				117340·00		86·00			

गोदाम कीपर

व्यवस्थापक

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि. फतहनगर

वेरीफिकेशन बीन उपभोक्ता सामग्री दिनांक 30-6-82

क्रमांक	नाम वस्तु	स्टाक रजिस्टर के अनुसार क्वान्टीटी	भौतिक सत्यापन के अनुसार क्वान्टीटी संख्या	भौतिक सत्यापन के अनुसार क्वान्टीटी राशि	कमी (-) या अधिक (+) संख्या	कमी (-) या अधिक (+) राशि	घटत/बढ़त के लिये जिम्मेदार व्यक्ति	घटत/बढ़त के लिये जिम्मेदार राशि	वि० वि०
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10
1.	मक्का गंगा - 5 (6 किलो)	51	51	1542-75	-	-	-	-	-
2.	ज्वार सी. एच. एस. - 5 (3 किलो)	93	93	2790-00	-	-	-	-	-
3.	गंगा - 2 (7 किलो)	46	46	1623-80	-	-	-	-	-
4.	गंगा - 5 (7 किलो)	48	42	1260-00	6	121-80	गोदाम कीपर		-
5.	अरहर (8 किलो)	8	8	342-40	-	-	-	-	-
6.	बीकानेरी नरमा (20 किलो)	23	23	2185-00	-	-	-	-	-
7.	मक्का - 5 (पुराना 7 किलो)	48	4	1552-00	-	-	-	-	-
				11295-95		121-80			

गोदाम कीपर व्यवस्थापक

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि., फतहनगर
वेरीफिकेशन उपभोक्ता सामग्री दिनांक 30-6-82 को

क्रमांक	नाम वस्तु	स्टाक रजिस्टर के अनुसार क्वान्टीटी	भौतिक सत्यापन के अनुसार क्वान्टीटी		कमी (—) या अधिक (+)		घटत/बढ़त के लिये जिम्मेदार व्यक्ति		विशेष विवरण
			क्वा.	राशि	क्वा.	राशि	क्वा.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	घोरत चैतक (17 किलो)	4	4	487.00	—	—	—	—	—
2.	प्रीमीयर साबुन	8 पैकेट	8 पैकेट	1072.00	—	—	—	—	—
3.	पाम आयल	400 टीन	400 टीन	60140.00	—	—	—	—	—
4.	उड़द मोगरा (50 किलो)	66	66	16500 00	—	—	—	—	—
5.	उड़द मोगरा (35 किलो)	471	471	82195.00	—	—	—	—	—
6.	उड़द मोगरा (100 किलो)	97	97	48500.00	—	—	—	—	—
7.	सीमेन्ट	550	550	22550.00	—	—	—	—	—
8.	शक्कर	1496	1496	54640.00	—	—	—	—	—
9.	वाशिंग सोडा	6	6	1800.00	—	—	—	—	—
10.	चना दाल	1107	1107	387450.00	—	—	—	—	—
				1161034.00					

गोदाम कीपर व्यवस्थापक

Page No 376

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 फतहनगर

स्टाक वैरिफीकेशन कपड़ा केन्द्र, फतहनगर दिनांक 30-6-32

क्रमांक	स्टाक र. प. संख्या	नाम वस्तु		दर	स्टाक जिन्स के अनुसार भाव वस्तु	स्टाक जिन्स के अनुसार भाव राशि	भौतिक सत्यापन के अनुसार मात्रा	भौतिक सत्यापन के अनुसार राशि	कमी मात्रा	कमी राशि	अधिक मात्रा	अधिक राशि	रिमार्क्स
1.	5	केम्ब्रिक रोल छींट	9·35	8·45	91·95	802·32	93·00	785·85	1·95	16·47	—	—	
2.	7	केम्ब्रिक छींट पीस	9·00	8·10	7·20	58·32	6·80	55·08	0·40	3·24	—	—	
3.	9	रोयल बिनीशर्टिंग	22·75	20·55	2·90	59·59	2·90	59·59	—	—	—	—	
4.	10	जुपिटर टेरिकोट	20·25	18·25	50·00	912·50	50·00	912·50	—	—	—	—	
5.	12	छींट हविया	6·80	6·20	132·95	824·29	132·95	824·29	—	—	—	—	
6.	13	पोलिस्टर टेरिकोट	20·55	185·00	124·05	2301·12	124·05	2301·12	—	—	—	—	
7.	16	रंगीन फुल वायल	6·45	5·85	27·35	160·00	24·90	145·77	2·45	14·23	—	—	
8.	17	वायल कंचन कामनी	4·40	40·00	36·15	144 60	36·15	144·60	—	—	—	—	
9.	18	छींट सत्यम सुन्दरम	4·80	4·40	2·90	12·76	2·90	12·76	—	—	—	—	
10.	19	कामिनी वायल	4·25	3·85	26·90	103·56	26·00	100·10	0·90	3·46	—	—	
11.	20	हेमा मालिनी छींट	9·16	3·75	5·35	20·06	5·35	20·06	—	—	—	—	
12.	21	पोलिस्टर कोशीगन	24·75	23·55	54·45	1282·29	54·45	1282·29	—	—	—	—	
13.	23	चादर डिलक्स	23·20	21·00	2	42·00	2	42·00	—	—	—	—	
14.	24	वाइस सुप्रीम सूटिंग	37·00	33·30	28·90	962·37	28·65	954·05	0·25	8·32	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	25 जुपिटर लट्ठा	4-75	4·35	2-90	12-61	2-90	12-61	–	–	–	–	
16.	आर के फब्रिक लट्ठा	11-30	10-20	252-10	2571-42	252-00	2570-40	0-10	1-02	–	–	
17.	27 बेलकम पोपलीन	5-75	5-25	9-90	51-97	9-90	51-97	–	–	–	–	
18.	28 केंबरिक पिस मील	9-35	8-40	40-60	341-04	38-00	319-20	2-06	21-84	–	–	
19.	30 इन्डिया यूनाइडेट सूटिंग	45-00	40-50	32-00	1296-00	32-00	1296-00	–	–	–	–	
20.	31 पोपलिन मोनोपोली	5-85	5-35	40-00	214-00	40-00	214-00	–	–	–	–	
21.	32 राज मदिर पोलि.	4-55	4-15	4-60	19-09	4-60	19-09	–	–	–	–	
22.	सूनी छींट	7-00	6-30	117-70	741-51	113-25	713-47	4-44	28-04	–	–	
30.	35 मबनम पापलीन			निल	–	निल		निल		नील	–	
31.	36 मद्रास सटिंग	20-25	18-25	1-30	23-73	1-32	23-73	–	–	–	–	
32.	36 स्वीटीपिसराउन्ड	17-25	14 65	16-25	238.06	16-25	238·06	–	–	–	–	
33.	रोल पोलिस्टर	23-40	–	निल	–	निल	–	निल	–	–	–	
34.	37 नेकरन चीट राल	11-15	–	निल	–	निल	–	निल	–	नील	–	
3:.	38 वायल रंगीन जयपुर	3-50	3-20	47-25	151.20	47-25	151-20	निल	–	नील	–	
39.	39 कोस्ट उल	22-00	20-00	1-75	35-00	1-75	35-00	निल	–	नील	–	
37.	39 टोपेस्टीक पदो	–	–	निल	–	निल	–	निल	–	नील	–	
38.	40 खपीछींट	5-45	5-00	50-90	254-50	48-20	241-00	2.70	13.50	नील	–	
39.	42 पंजाबव्युटो	5-10	4-60	–	6-90	–	–	1.50	6.90	नीख	–	
40.	42 युवराज सटिंग	20-00	18-25	1-20	22-50	1-20	22-50	निल	–	नील	–	

41.	43 रूपमति पोपलीन	6-25	5-65	33.45	188-.9	33.00	186.45	0.45	2.45	निल	—
42.	44 स्कीनब्यूटी	8.50	7-70	5-50	42.35	5.50	42 35	निल	—	निल	—
43.	44 हेन्डलुम दरी	42-75	40-00	11-2	20-00	1/2	20.00	निल	—	निल	—
44.	45 केम्ब्रीक छींट	9-45	7-00	50-15	351-05	50,15	351.05	निल	—	निल	—
45.	46 केम्ब्रीक छींट	8-35	7-60	17-50	133-00	17.50	133.00	निल	न	निल	—
46.	48 शटिंग मेरठ	10-40	10-00	11-15	111-50	11 15	111.50	निल	—	निल	—
47.	48 सुन्दरम पोपलीन	6-80	6-20	2-00	12-40	2.00	12.40	निल	—	निल	—
48.	49 सूती सूटिंग	1050	10-00	2-15	21-50	2.15	21.50	निल	—	निल	—
49	49 टेरीकोट श्री राम	—	—	निल	—	निल	—	निल	—	निल	—
50.	50 टेरीकोट सूरत	18-10	—	निल	—	निल	—	निल	—	नल	—
51.	51 छींटपोलिनोसिक	11-25	1070	37-90	405-53	36.75	393.23	1.15	12.30	निल	—
52.	52 टेरीकोट मासमानी	18-10	—	निल	—	निल	—	निल	—	निल	—
53.	53 वीमल ग्रान्डपेलेक्स	12-10	11-50	12-50	173-75	12.00	138.00	0.50	5.75	निल	—
54.	54 बुसर्टींग इन्दौर	11-75	11-20	13-20	118-96	13.30	143.96	निल	—	निल	—
55.	55 बुशर्टिंग	7-30	6-50	259-30	1711-38	259-00	1709-40	0-30	1-98	—	—
56.	56 सादी गितांजली	33-00	31-50	13	409-50	13	409-50	निल	—	निल	—
57.	57 किंग एण्ड क्यून पो.	—	निल	—	निल	—	निल	—	—	निल	—
58.	58 सूटिंग सर्टिंग मेरठ	19-26	—	निल	—	निल	—	निल	—	निल	—
59.	59 उड़क्का पोपलीन	6-90	6-30	52-15	328-55	52-15	328-55	निल	—	निल	—
66.	60 जर्मी	12-90	—	निल	—	निल	—	निल	—	निल	—
61.	60 क्रेप रंगीन	—	—	निल	—	निल	—	निल	—	निल	—
61.	61 आकाशवाणी लट्टा	7-00	—	निल	—	निल	—	निल	—	निल	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.	61 पोपलीन पालोनसो	9-25	8-35	25-65	214-18	23-30	194-56	2-35	19-62	निल	–	
63.	62 प्रींट सटिंग सूती	8-50	7-70	21-20	163-24	20-00	15 -00	1-20	9-24	निल	–	
64.	63 धोती जनानी मोती	40-00	36-00	3-00	108-00	3	108-00	निल	–	निल	–	
65.	63 धोती रंगीला रतन	24-00	22-00	3-00	66-00	3	66-00	,,	–	,,	–	
66.	64 पोलिस्टर विस	900	8-10	6-00	48-60	6	48-60	,,	–	,,	–	
67.	65 सटिंग पट्टा	3-10	2-80	187-75	525-70	187-75	325-70	,,	–	,,	–	
68.	66 सटिंग मेरठ	3-10	2-80	312-50	575-00	312-50	875-00	,,	–	,,	–	
69.	67 गादी पाठ मेरठ	4-20	3-80	107-75	409-45	107-75	409-45	,,	–	,,	–	
70.	68 बरटन मेरठ	11-60	–	निल	–	निल	–	,,	–	,,	–	
71.	70 छोटा मेगना अहमदाबाद	5-95	5-40	383-30	2123-82	391 00	2111-40	2-30	12-42	,,	–	
72.	71 पोलीकवर	–	–	निल	–	निल	–	निल	–	,,	–	
73.	71 विशाल कोब्रिक	9-00	8-10	56-85	460-49	56-00	453-60	0-85	6-89	,,	–	
74.	72 जुपीपोपलीन	7-90	–	निल	–	निल	–	निल	–	,,	–	
75.	72 हेमा वायल रूबीया	14-00	13-30	5-00	66-50	5-00	66-50	,,	–	,,	–	
76.	73 सुनिता साड़ी	40-70	36-70	3-00	110-10	3	110-00	,,	–	,,	–	
77.	73 प्रिन्ट साड़ी	48-00	44-00	3-00	132-00	3	132-00	,,	–	,,	–	
78.	74 जूपिटेक्स सूटिंग	49-50	44-50	14-45	643-02	14-45	643-02	निल	–	निल	–	
79.	75 चित्री छींट	5-15	4-60	4-75	21-85	4-75	21-85	,,	–	,,	–	
80.	75 दिपा रानी वायल	10-44	9-40	3-50	32-90	3-50	32-90	,,	–	,,	–	

81.	76	नशीली छींट	10-35	9-35	45-00	420-75	45-90	420-75	"	–	"	–
82.	77	रूबिना क्वीन	19-20	17-40	12-15	211-41	12-00	208-80	0-15	2-61	"	–
83.	77	राजदुलारी छींट	4-16	3-75	27-75	104-06	25-75	92-81	3 00	11-25	"	–
84.	78	मधूरा सुटिंग	96-00	63-00	0-75	47-25	0-75	47-25	निल	–	"	–
85.	78	ब्लाउज पीस	3-90	3-60	3-00	10-80	3	10-80	"	–	"	–
86.	79	छींट प्रिन्ट मेरट	7-25	6-50	13-50	87-75	13-50	87-75	"	–	"	–
87.	79	टीप टोप पो0	7-00	6-30	1-00	6 30	1-00	6 30	"	–	"	–
88.	79	कम्बल किशान छाप	56-25	51-00	1-00	51-00	1	51-00	"	–	"	–
89.	80	उनी लोई	84-00	76-00	1½	114-09	1½	114-00	"	–	"	–
90.	81	मफलर	6-75	6-15	8-00	49-20	8	49-20	"	–	"	–
91.	81	मद्रास लट्ठा	4 50	4-10	3-15	12-92	3-15	12-92	"	–	"	–
92.	83	पान पति छींट	6-70	6-10	10-45	63-75	7-75	47-28	2-70	16-.7	"	–
93.	84	कम्बल नटराज	62-01	56-01	1-00	56-00	1	56-00	निल	–	"	–
94,		मोदी रंगीन पोपलीन	7-20	6-50	2-90	18-85	2-90	18-75	"	–	"	–
95.	85	पोली॰ट रंगीन	7-65	7-00	21 95	153-65	21-50	150-50	0-45	2-15	"	–
96.	86	रूबिया ब्लाउज सूती	2-50	2-30	91-00	209 30	91	209-30	निल	–	"	–
97.	87	प्रिन्ट सटिंग	7-80	7-10	119-60	849-16	119-60	849-16	निल	–	निल	–
98,	89	अपनापन छींट	6-85	6-25	45-75	285.94	45-75	285-94	"	–	"	–
99.	88	गोल्डन हीरो	13-05	11-70	102-70	1201-59	102-70	1201-59	"	–	"	–
100.	90	रंगीन टेरीकोट	25-50	23-00	13-50	310-50	12-25	281-75	1-25	28-75	"	–
101.	91	बुसर्ट लेडीलवी	8-10	7-30	238-25	1739-23	237-75	1735-58	0-50	3-65	"	–
102.	92	धर्म करम	5-80	5-30	7-70	40-81	5-80	30-74	1-90	10-70	"	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103.	93	छींट र बोला	9-50	8-65	128-25	1118-01	128-75	1113-69	0-50	4-32	निल	—	
104.	94	वायल कादम्बनी	6-35	5-75	66-00	379-50	64-70	372-03	1-30	7-47	.	—	
105.	97	पिलोकवर मेटेक्स	7-30	6-60	47	310-20	47	310-20	निल	—	,,	—	
106.	98	चादर रंगीन मेटेक्स	26.40	23.80	61	1451-80	61	1451-80	,,	—	,,	—	
107.	99	डारिया चदा	27-60	25-00	1	26-00	1	25-00	,,	—	,,	—	
108.	100	केम्बक छिट	9-55	8-65	152-25	1316-96	150-00	1297-50	2-25	19-46	,,	—	
109.	102	चदर डबल बैड	55-10	40-50	1	49-50	1	49-50	निल	—	,,	—	
110	102	पोलिस्टर ब्लाउज	16-15	14-50	162	2349-00	162-00	2349-00	,,	—	,,	—	
111.	103	मेना सुन्दरी	4-00	3-60	19-80	71-28	19-80	71-28	,,	—	,,	—	
112.		रंगरूप ओपलिन	78-85	5-35	34-40	184-40	34-40	184-04	,,	—	,,	—	
113.	107	बोम्बे डाइगं चद्दर	38-00	34-20	1-00	34-20	1	34-20	,,	—	,,	—	
114.	108	सूती साड़ी	40-50	36-50	2-00	73-00	2	73-00	,,	—	,,	—	
115.	108	सूती साड़ी	41-50	37-00	1-00	37 00	1	37-00	,,	—	,,	—	
116.	109	सूती साड़ी	47-00	42-30	2-00	84-60	2	84-60	निल	—	,,	—	
117.	110	,, ,,	52-70	48-00	2-00	96-00	2	96-00	,,	—	,,	—	
118.	110	साडी	55-00	50-00	1-00	50-00	1	50-00	,,	—	,,	—	
119.	110	,, सिन्टेक्स	52-70	48-00	2-00	96-00	2	96-00	,,	—	,,	—	
120.	111	,, ,,	45-90	49-60	1-00	49-60	1	49-60	,,	—	,,	—	
121.	111	,, ,,	59-40	53-50	1-00	53-50	1	53-50	,,	—	,,	—	
122.	114	पेन्ट पीस	42-00	37-80	2-00	57-60	2	75-60	,,	—	,,	—	

123	115	पोलिस्टर पीस	22-00	20-00	14-00	280-00	14-00	280-00	,,	–	निल	–
124.	122	वेनदुर पोपलीन	5-20	4-70	62-00	291-40	61-30	288-11	,,	–	,,	–
125.	124	लट्ठा इंजन छाप	4-30	3-90	224-80	876-72	224-80	876-72	,,	–	,,	–
126.	126	साड़ी केसमीलीन	34-00	30-60	18	550-80	18	550-80	,,	–	,,	–
127.	128	वन्दना साड़ी	30-00	27-00	18	486-00	18	486-00	,,	–	,,	–
128.	136	ब्लेक रोज होकोट	59 00	54-00	17	918-00	17	918	,,	–	,,	–
129.	137	लाइनिंग	53-25	50-10	4	200-40	4	200-40	,,	–	,,	–
130.	138	प्रिंट सटिंग	41-70	37-60	1	37-60	1	37-60	,,	–	,,	–
131.	139	सटिंग	55-15	47-05	2	24-10	2	94-10	,,	–	,,	–
132.	140	केम्ब्रीक रंगीन प्रिमाली	14-35	13-00	60-44	785-85	60-00	780-00	0-45	5-85	,,	–
133.	141	सटिंग	54-40	49-00	1	49-00	1	49-00	निल	–	,,	–
134.	142	टेरीकोट श्रीराम	18-70	17.00	21.00	357.00	21.00	357-00	निल	–	निल	–
135.	143	चेक टेरीकोट	22-70	20-50	11-50	235-75	11-50	235-75	,,	–	,,	–
136.	144	गादी पाट	6-60	6 00	28 00	168-00	28-00	168-00	,,	–	,,	–
137.	150	प्रसन्ता छींट	7-50	6-00	63-75	433-50	63-75	433-50	,,	–	,,	–
138.	152	छोटी क्रान्ती	7-40	6-80	44-00	299 20	44-00	269-30	,,	–	,,	–
139.	152	स्वीटी लव छींट	13 60	12-30	16-50	202-95	16-50	202-95	,,	–	,,	–
140.	154	सटिंग 1099	35-15	32 65	18-80	613-82	18-80	613-82	,,	–	,,	–
141.	155	,, नेपाली	31-20	28-10	10-70	300-67	10-70	300-67	,,	–	,,	–
142.	157	सटिंग 6000	35-15	32-65	11-00	359 15	11-00	359-15	,,	–	,,	–
143.	158	सटिंग 50-65	28-35	25-55	64-00	1635-20	64-00	1635-20	,,	–	,,	–
144.	159	,, गोल्ड मोडा	32-30	29-10	9-60	279-36	9-60	279-36	,,	–	,,	–

Page No 383

(383)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145-	161	सटिंग नं. 05079	36-25 32-70	33-25	1078-28	32-60	1066-02		0-65	21-26	”	—	
146.	162	” सिल्वर मोडल	21-85 19-8	5-60	117-12	5-90	116-12		निल	—	”	—	
147.	163	” त्रिवराबडाग	94-10 85-00	1-05	89-25	1-05	89-25		”	—	”	—	
148	164	” स्किपर	58-80 53-00	2-00	106-03	2-00	106-00		”	—	”	—	
149.	165	सूटिंग स्किपर	51-60 46-60	6-25	290-63	6-25	290-63		”	—	”	—	
150.	166	” लोटस	58-20 52-80	19-95	1053-36	19-95	1053-36		”	—	”	—	
151.	167	” म्युसिनी पोपलीन	7-15 6-55	13-85	90-72	13-85	90-72		”	—	”	—	
152	170	चादर	23-75 21-45	1	21-45	1		21·45	निल	—	निल	—	
153.	173	थान नं. 42 लट्ठा	4·47 3-10	495-25	2030-53	490-75	2030·53		,	—	—	—	
154	177	चादर मेरठ	43 15 38-85	39	1515-15	39	1515-15		,,	—	,,	—	
155.	179	खादी रंगीन	15-92										
			5-80 5·30	99-50	527-35	97-50	516-75		2-00	10-60	,	—	
156.	180	सटिंग लान नं. 883	7-05 6-35	163·75	1039-81	163-75	1039·81		निल	—	,,	—	
157.	181	, चैक 1773	10·40 9·40	188 75	1777-75	188-75	1774 25		,,	—	,,	—	
158.	185	कैलाश पति लट्ठा	4-35 4-00	6 65	26·60	6-65		26-60	,,	—	,,	—	
159.	186	कम्बल इब्बलवाल	154·00 139·00	1	139·00	1		139·00	,,	—	,,	—	
160.		मार्किंग नागराज लट्ठा	5·00 4-50	930-25	4186-13	930-25	4186-13		,,	—	,,	—	
161.	189	चादर दौराला	31-30 28-20	17	479-40	17		479-40	,,	—	,,	—	
162.	190	, पानीपत	27-00 24-30	6	145-80	6		145-80	,,	—	,,	—	
163.	191	, बादल	39·00 35-10	13	456-30	13		456·30	,,	—	,,	—	

164.	192	, पानीपत	44·50	40·00	17	680·00	17	680·00	निल	–	निल	–
165.	193	,, बड़ा साइज	41·75	42·15	13	547·95	13	547·95	,,	–	,,	–
166.	194	शाल लेडिज धारीवाल	28·10	25·30	3	75·90	3	75·90	,,	–	,,	–
167	195	लेडिज शाल नं 888	36·00	32·40	5	162·00	5	162·00	,,	–	,,	–
168.	197	कम्बल पन्स	53·10	48·00	5	240·00	5	240·00	,,	–	,,	–
169.	198	कम्बल किसान	64·60	58·20	9	523·80	9	523–80	निल	–	निल	–
170.	199	,, टोकिया	96·10	8 -90	10	899·00	10	899–00	,,	–	,,	–
171.	200	,, अमरपल्ली	122	110–	1	119·00	1	110–00	,,	–	,,	–
172.	202	,, राजदूत	23·30	86·00	10	860·00	10	860–00	,,	–	,,	–
172.	202	लोई जोड़ा	155–	138·60	1½	207·90	1½	207–90	,,	–	,,	–
174.	203	दरी पानीपत	47 50	52 80	4जोड़ा	171·20	4जोड़ा	171–20	,,	–	,,	–
175.	204	,, एमडीएम पानी	62–	56·00	6	336 00	6	336–00	,,	–	,,	–
176.	205	खेस जोड़ा पानीपत	47·50	42·80	2½	107·00	2½	107–00	,,	–	,,	–
177.	207	निलम चादरा	37·60	35·00	18½	629·00	18½	629–00	,,	–	,,	–
178	208	करटन पर्दा मेरठ	14·50	13·10	121·75	1594·93	121·75	1594–63	,,	–	,,	–
179.	212	चादरा	25·70	23·20	2जोड़ा	46·40	2जोड़ा	46–40	,,	–	,,	–
180.	216	नागवणी लट्ठा	3 82	3·50	3250·511	1341·75	3238·50	11334·75	2·00	7·00	,,	–
181.	218	जनता धोती	29·42	25·50	51½जोड़ा	1364·75	51½	1364–75	निल	–	,,	–
182.	219	चादरा 25-26 नं.	37·35	83·65	25 ,,	841·25	25	841–25	,,	–	,,	–
183.	220	,, नेरू चैक	39 50	35 60	25	899·00	25.00	890–00	,,	–	,,	–
184.	221	कढ़ुराई सूटिंग मेरठ	24·20	21·80	57·20	1249·96	57·20	1246–96	,,	–	,,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185.	222	कुटिया छाप लट्ठा	4·45	3·15	935·10	2945·57	635·10	2945–57	निल	–	निल	–	
186.	223	तकिया खोली	5·80	5·30	23	121·60	23	121–90	"	–	"	–	
187	224	चादर नर्सिंग	55·50	50·00	1	50·00	1	50·00	"	–	"	–	
188	221	" सुनील	54·00	49 00	2	98·00	2	98·00	"	–	"	–	
189	225	" भारतीय	44·23	40·75	$7\frac{1}{3}$	305·62	$7\frac{1}{3}$	305·00	"	–	"	–	
190	225	रंगरूप पोपलीन	6·45	5·90	99·50	587·05	99·50	587·03	"	–	"	–	
191	227	लट्ठा भीलवाड़ा	6·40	5·80	6·25	36·25	5·00	29·00	1·25	7·25	"	–	
192	229	छींट नूरी	8·02	7·62	920·50	7014·21	920·50	8014·50	निल	–	"	–	
193	230	लट्ठा कलस	5·25	4·75	584·00	2774·00	584·00	2744·00	"	–	"	–	
194	232	धोती न 8 25	40 70	36·70	33जोड़ा	1211·10	33जोड़ा	1211.10	"	–	"	–	
195	236	गबरून भीलवाड़ा	8·85	8·00	29·75	238·00	29·75	238.00	"	–	"	–	
196	237	महाराणा लट्ठा	4·75	4·35	861·25	3746·44	861·25	3766·44	"	–	"	–	
197	238	लट्ठा 150 सीएम	6·00	5·40	409·30	2210·20	409·30	2210·22	"	–	"	–	
198	240	प्रादर्शकन्या वायल	4·85	4·45	81·75	363·79	81·75	363.79	"	–	"	–	
199	241	हिरापन्ना लट्ठा	4·75	4·35	766·25	3333·19	766·25	3333·19	"	–	"	–	
200	242	टावर छाप धोती	33 60	30 30	$110\frac{1}{2}$	3348·15	$119\frac{1}{2}$	3348·15	"	–	"	–	
201	243	पोलिस्टर	17·25	15·55	104·00	1617·20	104·00	1617·20	"	–	"	–	
202	245	छींट फुल बिहार	7·00	6·30	109·30	688·59	109·30	688·59	"	–	"	–	
203	246	चादर सुपर	38·00	38·00	50	1900·00	38	1900·00	"	–	"	–	
204	247	शाल लेडिज	24·00	21·60	10	216·00	10	216·00	"	–	"	–	

205.	248	सफेद पोपलीन	5·00	4·50	50·45	227·03	50·45	227·03	निल	—	निल	—
206.	249	टूबब	7·55	6·85	155	1061·75	155	1061·75	,,	—	,,	—
207.	250	रामशास्त्री धोती	42·70	38·50	31½	1212·75	31½	1212·75	,,	—	,,	—
208.	251	पोलीस्टर शर्ट	17·72	16·00	50·45	807·20	50·45	807·20	,,	—	,,	—
209.	252	"	13·40	12·10	119·55	1446·56	119·55	1446·56	,,	—	,,	—
210.	253	"	11·20	10·10	32·35	326·74	32·35	326·74	,,	—	,,	—
211.	254	"	21·90	19·80	19·50	386·10	19·50	386·10	,,	—	,,	—
212.	255	देशबन्धु धोती	34·00	30·60	42½	1300·50	42½	1300·50	,,	—	,,	—
213.	256	लिलिप लट्ठा पट्टा	5·40	4·90	22·70	111·23	20·50	100·45	2·20	10·78	,,	—
214.	257	चद्दर भीलवाड़ा	37·00	33·30	3	99·90	3	99·90	निल	—	,,	—
215.	258	राजारानी पोपलीन	4·75	4·35	397·50	1729·13	395·50	1720·45	2·00	8·70	,,	—
216	259	कल्पना छींट अहमदाबाद	6·45	5·85	109·85	642·63	109·85	642·63	निल	—	,,	—
217.	260	डिलक्स चादर	26·25	23·65	37	875·05	37·00	875·05	,,	—	,,	—
218.	261	शुशी सूटिंग	4·80	4·40	227·40	1000·56	227·40	1000·56	,,	—	,,	—
219.	262	धोती जोड़ा कर्मवीर	37·50	33·70	1	33·70	1	33·70	,,	—	,,	—
220.	263	पोपलीन जेम्स बांड	7·45	6·85	816·15	5593·37	816·55	5593·37	,,	—	,,	—
221.	264	असली किसान लट्ठा	6·20	5·60	98·50	551·60	98·00	548·80	0.50	2.80	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222.	265	पोपलीन	6-10	5-50	826-50	4545-75	825-50	4540-25	1-00	5-50	नील	–
223.	266	साड़ी सिन्टेक्स	62-85	56-65	99	5608-35	99	5608-35	निल	–	,,	–
224.	220	चादरा तहरू चेक	39-60	35-60	5	178-00	5	178-00		–	,,	–
		कुल योग				145693-21		145315-22		377-99		
नोट :		बीस नं० 537845 बिल्टी नं० 6927 ता. 12-10-78 नेशनल कन्जुमर बैंगलोर बिल्टी एवं ओपन डिलेवरी से माल प्राप्त नहीं हुआ।				5278-39		5278-39				
		कुल योग				150971-60		150593-61		377-99		

नोट- रीटेल कपड़ा बिक्री से 377-99 की (तीन सौ सत्तर रुपया 99 पैसा की घटत आई)

संजीवन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि० फतहनगर
उदयपुर 3 1 3 3 0 1

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 438 की सूची

तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के यहां पंजीकृत प्रन्यासों की सूची एवं उनकी सम्पदा का विवरण :—

क्र. सं.	नाम पंजीकृत सार्वजनिक तहसील प्रतापगढ़	पंजीयन संख्या व दिनांक	मंदिर के नाम कृषि भूमि	आवास गृह संख्या	दुकानें	वि. वि.
1	2	3.	4	5.	6	7
1.	श्री दिगम्बर जैन दशा हुमड तेरापंथ आमनाई श्री मोडजी का मंदिर प्रतापगढ़ जिला चितौड़गढ़ ।	54 / 11-2-64	–	निज मंदिर के साथ धर्मशाला, मकानमय नोहरा व 3 मकान	2	–
2.	श्री भट्टारक यश कीर्ती दिगम्बर जैन बोडिंग प्रतापगढ़ जिला चितौड़गढ़ ।	64 / 6-7-64	–	छात्रालय भवन विद्यालय भवन	–	
3.	श्री मोटा मंदिर दिगम्बर आमनाई; देवगढ़; तहसील प्रतापगढ़ जिला चितौड़ गढ़	171 / 22-12-66	माफी भूमि देवगढ़ ख.न. 158 बीघा 33)3 अमलावद स.न. 276 बीघा 6 काश्त भूमि प्रतापगढ़ ख.न. 76 बीघा 6ll)6	3 मकान धर्मशाला	3	
4.	श्री नया मंदिर दिगम्बर जैन बीस पंथी आमनाइ प्रतापगढ़ जिला चितौड़गढ़	172 / 22-12-66	–	1 मकान 4 कमरे	-	

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री ऋषभदेवजी मंदिर नृसिंह पुरा समाज प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।	173 / 22-12-66	–	मंदिर के साथ मकान	मंदिर के साथ दुकान	
6.	श्री जुना मंदिर जी आमनाए बीस पंथी प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़ ।	174 / 22-12-66	–	मंदिर के साथ हाल	10	
7.	श्री रामवाटिका धर्मशाला प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़	267 / 5-12-77	–	4 कमरे	7	
8.	• श्री जी नगरा नागर (इन्डर साव) ट्रस्ट प्रतापगढ़ जिला चित्तौडगढ़ ।	2 चित्तौड़ 281 / 14-10-81	उमलावद स.न. 1307 बीघा 10) । मीरावसा स.न. 299 बीघा 6।।) 1 319 बीघा 6।।) 2 स. न. 324 बीघा 13।।) स. न. 332 बीघा 19।) ठीकरिया स. न. 264 बीघा 11) 6	–	7	
9.	श्री विष्णु मंदिर ट्रस्ट खेरिट तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़	5 चित्तोड़ 181 / 23-11-81	खेरोट ख. न. 314 – बीघा 28।।।) मोहनपुरा स. न. 201 बीघा 33।।) 3 ख. न. 202 बीघा 7।।।) ख. न. 203 बीघा 5।) 4	–		

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 439 से सम्बन्धित सूचना

निगम को पिछले 5 वर्षों में वर्षवार हुए घाटे का मानचित्र

वर्ष	घाटा (लाखों रुपयों में)
1977–78	234.00
1978–79	250.16
1979–80	467.93
1980–81	706.70
1981–82	1103.89

नाम ग्राम	मन्दिर का नाम	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम	रजिस्टरी का विवरण	रकबा	वि.वि
बसाड़	पचान महाजनान दशा हुम्मड़ आसनाए श्री मन्दिर देवगढ़	पंचान महाजनान मोटा देवगढ़	श्री इस्मायल पि.अलारखा मुसलमान बसाड़	बिकाय जरिये रजिस्टर नं. 79 व 11–6–69 तादादी रूपये 425)	11 बिघा –	

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 411 की सूची

अक्टूबर, 79 में बीकानेर आगार में परिचालकों को नियुक्ति हेतु तैयार की गई चयन सूची

क्र. संख्या	रोल नम्बर	नाम व पिता का नाम
1	2	3
1.	82 एस. सी.	श्री विचित्रसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह
2	47	,, कानाराम पुत्र श्री जीयाराम विश्नोई
3.	188	,, अनीलकुमार सरीन पुत्र श्री श्याम
4.	430 एस. टी.	,, हनुमानप्रसाद मीणा पुत्र श्री हरीनारायण
5.	404 (464)	,, बाबूखां पुत्र श्री खुदाबक्स सोडो
6.	368	,, भंवरलाल प्रजापत पुत्र श्री लिखराराम
7.	80 एस. सी.	,, सत्यनारायण पुत्र श्री हरचन्दराम
8.	362	,, रामसुख विश्नोई पुत्र श्री आदूराम
9	104	,, नोरंगलाल पुत्र श्री भूराराम
10.	263	,, करणाराम पुत्र श्री सागरमल
11.	209	,, दिनेशचन्द वैष्णव पुत्र श्री महावीरप्रसाद
12.	63 एस. टी.	,, शम्भूदयाल वर्मा पुत्र श्री जीतूराम
13.	217	,, बनवारीलाल पुत्र श्री हीरालाल
14.	406 एस सी.	,, बीरबलराम पुत्र श्री गबराराम
15.	205	,, सत्यवीरभान पुत्र श्री अमरसिंह
16.	361	,, सज्जनकुमार पारीक पुत्र श्री मदनलाल
17.	35	,, विशनलाल विश्नोई पुत्र श्री पतराराम
18.	426	,, महिपालसिंह पुत्र श्री हीरासिंह
19.	390	,, बीरबलसिंह पुत्र श्री भगवानाराम
20.	243	,, दीलिपसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
21.	50 एस. सी.	,, रामप्रताप नवदा पुत्र श्री रामकुमारसिंह
22.	429 एस. टी.	,, हनुमानप्रसाद मीणा पुत्र श्री रामफूल
23.	3[illegible]	,, भागीरथमल पुत्र श्री मालूराम
24.	120	,, रामविलास शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन
25.	466	,, रामदयाल शर्मा पुत्र श्री गोविन्दराम
26.	424	,, मदनदान पुत्र श्री किशनदान
27.	206	,, विद्याधर पुत्र श्री रामफूल
28.	67 एस सी.	,, कालूराम कछावा पुत्र श्री गंगाराम

1	2	3
29.	229	श्री कर्णसिंह पुत्र श्री हरफूलराम
30.	231	,, महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुल्तानराम
31.	137	,, रामस्वरूप कालेर पुत्र श्री भूराराम
32.	169	,, सत्यनारायण स्वामी पुत्र श्री सोहनलाल
33.	22	,, शिवचन्द्रसिंह पुत्र श्री लादूराम
34.	204	,, कन्हैयालाल पुत्र श्री सिवाराम
35.	87 एस. सी.	,, केशूराम मेघवाल पुत्र श्री नारायणलाल
36.	360	,, मदनलाल जाट पुत्र श्री महादेवाराम
37.	480	,, धन्नालाल विश्नोई पुत्र श्री तेजाराम
38.	172	,, पूनमचन्द पुत्र श्री सूरजनदास
39.	88	,, महमदहसन पुत्र श्री मोहम्मदअब्बास
40.	109	,, भागीरथ पुत्र श्री लखाराम
41.	215	,, सहीराम चौधरी पुत्र श्री गिरधारीराम
42.	236	,, गणपतराम विश्नोई पुत्र श्री भागचन्द
43.	496	,, भैरोंसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह
44.	227	,, रामप्रताप विश्नोई पुत्र श्री भैरूदान
45.	21	,, जगदीशकुमार पुत्र श्री मनीराम
46.	463	,, भंवरलाल भम्भू पुत्र श्री भारमल
47.	121	,, गणपतराम पुत्र श्री युवा राम
48.	300	,, हेत राम पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद
49.	328	,, मल्लु राम विश्नोई पुत्र श्री बरसिंगाराम
50.	285	,, राम किशोर लखरा पुत्र श्री सोहन लाल
51.	313	,, भगवाना राम पुत्र श्री देदा राम
52.	433	,, बन्सी राम राजपुरोहित पुत्र श्री कल्याणसिंह
53.	268	,, भैरूदान पुत्र श्री हुकमदान
54.	119	,, प्रेमसिंह पुत्र श्री नौरंग राम
55.	301	,, मोहन राम पुत्र श्री केसरा राम सारण
56,	78	,, उगम सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
57.	332	,, रामेश्वर लाल पुत्र श्री नन्द लाल स्वामी
58.	273	,, भंवर सिंह पुत्र श्री भगवाना राम
59	196	,, भगवान राम पुत्र श्री भागीरथ बिश्नोई
60.	234	,, रघुनाथ सिंह श्री जमन सिंह
61.	220	,, तेजपाल सिंह पुत्र श्री अन राम जी
62.	91	,, किशन लाल सोनी पुत्र श्री हरचन्द राम
63.	76	,, राम प्रसाद पूनिया पुत्र श्री वीरबल राम

Page No 393

(393)

1	2	3
64.	242	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण राम
65.	293	,, नेमी चन्द पुत्र श्री काना राम
66.	296	,, धर्म चन्द पुत्र श्री सीसपाल
67.	16	,, बनवारी लाल यादव पुत्र श्री नारायण राम
68.	202	,, हर भजन सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह
69.	365	,, बालू राम विश्नोई पुत्र श्री दानू राम
70	226	,, बद्री प्रसाद स्वामी पुत्र श्री श्रवण दास
71.	446	,, सवाई सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह
72.	238	,, मोती राम जाट पुत्र श्रीलाल
73.	306	,, हजारी लाल माली पुत्र श्री नारायण लाल
74.	249	,, ओम प्रकाश पुत्र श्री जीवण राम
75.	374	,, प्रताप सिंह पुत्र श्री फूल चन्द
76.	237	,, भागीरथ चौधरी पुत्र श्री चतर राम
77.	333	,, पोकर मल पुत्र श्री उमा राम प्रजापत
78.	26	,, विद्याधर सिंह पुत्र श्री हरदेवा राम कुलहीर
79.	399	,, साहब राम पुत्र श्री मनफूल राम
80.	230	,, ईश्वर सिंह पूणिया पुत्र श्री धर्मो चन्द राम
81.	६89	,, बीरबल राम पुत्र श्री सुन्दर राम
82.	285	,, राम लाल मईया पुत्र श्री प्रभु राम
83.	70	,, गणेश राम पुत्र श्री खेराज राम
84.	75	,, गिरधारी लाल पुत्र श्री अमाना राम
85.	352	,, होशियार सिंह पुत्र श्री चन्द्रा राम
86.	186	,, सीता राम पुत्र श्री प्रकाश चन्द
87.	23	,, विद्याधर महला पुत्र श्री जीवन राम
88.	61	,, लखी प्रसाद ओला पुत्र श्री गोदी राम
89.	469	,, विनय कुमार शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद
90.	503	,, जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नारायण राम
91.	381	,, केशा राम पुत्र श्री गोवर्धन राम
92.	150	,, जय सिंह पुत्र श्री पूरणसिंह
93.	461	,, राम चन्द्र सिंह बिठायाल पुत्र श्री बक्षा राम
94.	272	,, फूला राम कसवा पुत्र श्री इणा राम
95	359	,, भवानी सिंह शेखावत पुत्र श्री बाछू सिंह
96.	115	,, सूरजभान सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह राजपूत
97.	151	,, अमरीक सिंह जोहल पुत्र श्री बलवीर सिंह
98.	241	,, गुलाबसिंह राठौड़ पुत्र श्री नत्थू सिंह

1	2	3
99.	294	श्री लूणाराम बाना श्री कानाराम जिन्झा
100.	239	,, महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र कुमार
101.	92	,, वायद अली पुत्र श्री महनू खां मूलरवानी
102.	164	,, दलजीत सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह
103.	72	श्री हनुमाना राम विश्नोई पुत्र श्री रामनारायण
104.	274	,, हसन खां पुत्र श्री अलाई बक्ष खां
105.	213	,, रूपचन्द्र दर्जी पुत्र श्री खड़क चन्द्र
106.	2	,, मोहन सिंह राठौड़ पुत्र लक्ष्मण सिंह
107.	69	,, बनवारी लाल विश्नोई पुत्र श्री भारमल राम
108	84	,, सुखा राम चौधरी पुत्र श्री खेराज राम
109.	348	,, रामेश्वर लाल पुत्र श्री झूथा राम
110.	8	,, सावर मल पुत्र श्री कुम्खा राम
111.	489	,, धर्मवीर सिंह पुत्र श्री जागी रमा
112.	39	,, रामसिंह मान पुत्र श्री महादेव राम
113.	40	,, महावीर सिंह पुत्र श्री गिरधारी
114.	85	,, किशन लाल सुनार पुत्र श्री सोहन लाल
115.	248	,, बलवन्त सिंह पुत्र श्री हरी सिंह
116.	290	,, मदन लाल पुत्र श्री हनुमाना राम
117.	305	,, सत्य प्रकाश पुत्र श्री पुरुषोतम लाल
118.	184	,, रतन सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह
119.	167	,, हनुमाना राम मण्डा पुत्र श्री लालू राम
120.	320	,, शान्ति प्रसाद पुत्र श्री भगवान दास
121.	419	,, बृज मोहन सिंह पुत्र श्री सोहन लाल
122.	254	,, अंतर सिंह पुत्र श्री कालु राम
123.	7	,, रिद्द करण पुत्र श्री तुलसा राम
124.	176	,, मोहम्मद फयाद पुत्र श्री कासिम अली
125.	395	,, जगदीश प्रसाद जाट पुत्र श्री नानग राम
126.	284	,, रूपा राम पुत्र श्री हीरा राम जाट
127.	297	,, केसर देव कालेर पुत्र श्री टीरू राम
128.	140	,, भजना राम विश्नोई पुत्र श्री रुघनाथ राम
129.	265	,, अमर चन्द जाट पुत्र श्री डूगर राम
130.	216	,, सुखदेव सिंह पुत्र श्री भाग चन्द
131.	436	,, सुमेर सिंह शेखावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह
132.	214	,, हीरा सिंह पुत्र श्री भूरा राम चौधरी
133.	36	,, बनवारी लाल विश्नोई पुत्र श्री कालू राम

1	2	3
134.	138	श्री मोहन लाल पुत्र श्री टीकू राम
135.	108	" गंगा राम कुम्हार पुत्र श्री माला राम
136.	497	" सही राम बिश्नोई पुत्र श्री कस्तूरा राम
137.	415	" प्रेम शंकर हर्ष पुत्र श्री शिव शंकर
138.	338	" सुल्तान सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह
139.	207	" राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री नारायण राम
140.	60	" सतपाल पुत्र श्री हरी राम शर्मा
141.	96	" लीला राम पुत्र श्री राम चन्द्र डेलू
142.	334	" झरूँखां पुत्र श्री पालिया खां
143.	225	" महावीर सिंह नेहरा पुत्र श्री सुल्तान राम
144.	473	" सपात खां पुत्र श्री नत्थू खां
145.	59	" ओम प्रकाश सुनार पुत्र श्री रामस्वरूप
146.	19	" प्रेम चन्द खटवाल पुत्र श्री आशाराम
147.	81	" किशन लाल माली पुत्र श्री गोपी राम
148.	467	" सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गुरुदयाल
149.	3	" मामी राम शर्मा पुत्र श्री बीरबल राम
150.	371	" लक्ष्मण सिंह सारण पुत्र श्री हनुमान र म
151.	129	" सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री गजे सिंह
152.	474	" सुभाष चन्द्र पुत्र श्री गुरुदयाल
153.	476	" उदा राम बिश्नोई पुत्र श्री राम चन्द
154.	238	" सुख राम पुत्र श्री भूरा राम
155.	57	" जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधाकृष्ण शर्मा
156.	235	" रूपा राम बिश्नोई पुत्र श्री धन्ना राम
157.	327	" कम्मू खां पुत्र श्री समसू खां
158.	188	" महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल
159.	162	" जसमाल पुत्र श्री जस्सू राम
160.	52	" श्याम लाल पुत्र श्री भूरा लाल शर्मा
161.	45	" नोरंग राम ग्राम डंगराना तह
162.	136	" राम कुमार पुत्र श्री पन्ना राम
163.	407	" रतन सिंह पुत्र श्री लादू सिंह राजपूत
164.	48	" महेन्द्र सिंह पूनिया पुत्र श्री नारायण राम
165.	95	" अजय पाल सिंह पुत्र श्री भानू प्रताप सिंह
166	200	" त्रिलोक सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह
167.	441	" बगड़ा राम विश्नोई पुत्र श्री धीया राम
168.	134	" सुशील कुमार पुत्र श्री भगवती प्रसाद

1	2	3
169.	101	श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री श्योकरणा राम
170.	420	" राजेश हर्ष पुत्र श्री गौरी शंकर
171.	240	" हनुमान राम विश्नोई पुत्र श्री मोहरराम
172.	77	" हनुमान प्रसाद विश्नोई पुत्र श्री राम लाल
173.	97	" सुरेन्द्र सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह
174.	83	" राम पुत्र श्री असा राम
175.	103	" महिपाल सिंह पुत्र श्री गुगन राम
176.	470	" मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री पदमा राम
177.	345	" जहूर खां मेव पुत्र श्री नूर बक्ष
178.	375	" हरी राम विश्नोई पुत्र श्री मुकना राम
179.	483	" जगदीश प्रसाद चौधरी पुत्र श्री नरसा राम जानी
180.	153	" जयसिंह यादव पुत्र श्री नन्द राम
181.	343	" बनवारी लाल भांझरिया पुत्र श्री इन्द्र राम
182.	39	" कैलाश चन्द्र पुत्र श्री कैलाश चन्द्र
183.	33	" विद्याधर पुत्र श्री हनुमानाराम
184.	302	" किशन लाल पुत्र श्री हरसा राम
185	117	" सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद
186.	442	" बाबुलाल नाई पुत्र श्री राम किशन
187.	174	" श्रोनाण सिंह चौधरी पुत्र श्री चतरा राम
188.	307	" भीम सिंह महला पुत्र श्री हीरा सिंह
189.	369	" राम कुमार ढाका पुत्र श्री मुन्सी राम
190.	17	" मान सिंह पुत्र श्री जीत सिंह
191.	192	" पुरुषोतम तंवर पुत्र श्री भंवरलाल
192.	465	" लालचन्द्र वर्मा पुत्र श्री बुद्धा मल
193.	49	" बलवान सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह
194.	376	" भंवर लाल विश्नोई पुत्र श्री भीम राज
195.	54	" मेघा राम जाट पुत्र श्री दराज राम
196.	245	" चन्द कसवा पुत्र श्री श्यायाराम
197.	260	" तुलसी राम पुत्र श्री मुन्ना राम
198.	112	" राम प्रकाश तेतरवाल
199.	151	" भंवर लाल दर्जी पुत्र श्री मूघा राम
200.	377	" मुन्नी राम विश्नोई पुत्र श्री सोहन लाल
201.	118	" रक्षपाल विश्नोई, विश्नोई निवास, जेल रोड, बीकानेर
202.	400	" श्याम सुन्दर भोजक पुत्र श्री भवंरलाल
203.	269	" जयदेव सिंह राठ पुत्र श्री केसवदान

(597)

1	2	3
204.	459	श्री प्रेम प्रकाश गोदारा पुत्र श्री बुधा राम
205.	254	'' तारा चन्द हुरडा पुत्र श्री हीरा राम
206.	475	'' ख्याली राम चौधरी पुत्र श्री राधाकृष्ण
207.	414	'' दिनेश चन्द हर्ष पुत्र श्री प्रहलाद राम
206.	27	'' जोध सिंह पुत्र श्री सादुल सिंह शेखावत
209.	79	'' सूर्य प्रकाश पुत्र श्री राम लाल सिंह
210.	224	'' बनवारी लाल पुत्र श्री लीछमा राम
211.	270	'' निजरू खां पुत्र श्री सक्षम मल
212.	134	'' बेगा राम चौधरी पुत्र श्री परखा राम
213.	385	'' अनिल कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द
214.	295	'' श्रीचन्द गोदारा पुत्र श्री मुणा राम
215.	384	'' अजीम खां पुत्र श्री जयमल खां
216.	86	'' जयपाल सिंह राजपूत पुत्र श्री जगदेव सिंह
217.	106	'' गणेश शर्मा पुत्र श्री रतन लाल
218.	203	'' महेन्द्र सिंह पुत्र श्री छोटू सिंह
219.	287	'' देवी लाल ओझा पुत्र श्री आशा राम
220.	110	'' हीरा राम बाना पुत्र श्री लालूराम
221.	181	'' रामकरण पुनिया पुत्र श्री धन्ना राम
222.	144,	'' गोबिन्द सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह शाकंरोत
223.	201	'' मलकीत सिंह सिंधु पुत्र श्री चेत सिंह
224.	468	'' बाबू लाल पुत्र श्री प्रहलाद राम
225.	222	'' बरसी राम पुत्र श्री चतरू राम
226.	358	'' मुन्नी राम पुत्र श्री भागीरथ
227.	401	'' बैज लाल स्वामी पुत्र श्री जगनदास
228.	434	'' जय प्रकाश पुत्र श्री नत्थी लाल शर्मा
229.	219	'' गिरधारी लाल कालेर पुत्र श्री लक्ष्मण राम
230.	257	'' रमेश चन्द्र पुत्र श्री जय नारायण
231.	241	'' हर लाल सिंह पुत्र श्री चन्द्र राम
232.	146	'' ओम प्रकाश पुत्र श्री भीम राज शर्मा

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 442 की सूची

लिस्ट खसरा नम्बरान, कस्बा नीम का थाना

क्र. सं. 1	ख. न. 2	भूमि का रकबा 3
1.	958	0.10
2.	959	2.14
3.	960	0.10
4.	961	0.03
5.	962	1.09
6.	965	2.05
7.	966	1.00
8.	967	2.07
9.	968	0.04
10.	969	2.08
11.	970	3.00
12.	971	7.18
13.	1003	6.12
14.	1005	3.12
15.	1006	3.02
16.	1007	3.08
17.	1008	3.06
18.	1036	1.07
19.	1037	0.01
20.	1038	1.18
21.	1039	1.09
22.	1040	1.03
23.	1041	1.11
24.	1042	1.04
25.	1043	1.11
26.	1044	8.02
27.	1009	4.09
28.	1017/1	1.19
29.	1018	2.09
30.	1019	4.04

Page No 399

(३९९)

1	2	3
31.	1023	1.15
32.	1024	1.13
33.	1025	0.13
34.	1026	0.03
35.	1027	1.09
36.	1028	1.05
37.	1031	5.16
38.	1032	0.13
39.	1033	0.15
40.	1034	0.05
41.	1035	1.05
42.	1010	3.06
43.	1011	2.12
44.	1013	3.02
45.	1015	0.03
46.	1012	0.01
47.	963	-
48.	964	-

योग—100.13 बीघा (62 एकड़ भूमि)

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 की प्रति

श्रीमान् जिलाधीश महोदयजी,
जिला बांसवाड़ा (राज.)

विषय :– समस्या समाधान हेतु ज्ञापन

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बांसवाड़ा जिले में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब लोग निवास करते हैं। यह जिला प्रारंभ से पिछड़ा हुआ है यहां पर गरीबी अज्ञानता, भुखमरी, बेकारी आदि जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार भी नाम मात्र का आरक्षण का ढोंग व आरक्षण नाम की बोखलाहट करती है। गत 5 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ता आ रहा है। वर्तमान समय में भी यहां पर अकाल पड़ गया है। यहां के छात्र छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ दी है। तथा मजदूरों ने घर बार छोड़ दिया है और मध्यप्रदेश गुजरात आदि राज्यों में चले गये हैं। ऐसी भयंकर समस्या समाधान हेतु हम गरीब छात्रों व मजदूरों की निम्नलिखित समस्याएं हैं :–

(1) समाज कल्याण, छात्रावास में खाने-पीने का सामान कम्बल, गद्दलें, चद्दरें दरियां, साबुन, कपड़े आदि दिया जाये।

(2) छात्रावास में जाली हस्ताक्षर कर बिल पास करवाने वाले वार्डनों को अति शीघ्र निलम्बित किया जाये।

(3) छात्रावास में प्रधानाध्यापक का हस्तक्षेप बन्द किया जाये।

(4) छात्रावास में छात्र–छात्राओं की संख्या बढ़ाई जाये।

(5) छात्रावास में छात्रों की राशन राशि 106/रु. से 150 रुपया की जाये।

(6) छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रति माह दी जाये।

(7) छात्र–छात्राओं को राज्य परिवहन व निजी बसों में अनिवार्यतः कन्सेशन दिया जाये।

(8) छात्रों पर किये गये जाली केस वापस लिये जावे। व विद्यार्थी आन्दोलन में पुलिस हस्तक्षेप बन्द किया जाये।

(9) कुशलगढ़ आदिवासी क्षेत्र में खुले महाविद्यालय भवन का निर्माण किया जावे। व अध्ययन प्रारम्भ किया जाये।

(10) वर्तमान में खुले स्कूलों, भवन निर्माण व छात्रावास भवन का निर्माण किया जावे। व अध्यापकों की व्यवस्था की जावे।

(11) कक्षा प्रथम से अंग्रेजी प्रारम्भ की जावे। तथा निजी पब्लिक स्कूलों को बन्द किया जाये।

(12) शिक्षण प्रशिक्षण बन्द किया जावे व महाविद्यालय बांसवाड़ा में एल. एल. बी. व बी. एड प्रशिक्षण कॉलेज खोला जावे

(13) जिले में लगने वाले हाट बाजार को बन्द किया जाये।

(14) जिले में देशी शराब के अड्डों को बन्द किया जावे।

(15) औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेरोजगार छात्र को रोजगार की गारन्टी दी जाये। व बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता दिया जाये।

(16) विभिन्न स्थानों पर कार्यरत सरकारी गैर सरकारी मजदूरों को 12/–प्रतिदिन के हिसाब से दिया जावे।

(17) मजदूरों को प्रति सप्ताह मजदूरी दी जावे।

(18) माही के अधीनस्थ पावर हाउस न. 1 व 2 पर डिस्पेन्सरी खोली जावे।

(19) बांसवाड़ा सिन्टेक्स मिल में जिले व राज्य से आये लोगों को बाहर निकाला जावे। तथा यहां के स्थानीय गरीब लोगों को रोजगार दिया जावे।

(20) सिन्टेक्स मिल में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य, आवास, ओवर टाइम बोनस का पूरा पैसा दिया जावे।

(21) जिले में माही व सिलवानी बांध पर बाहर के लोगों को निकाला जावे। तथा स्थानीय बेरोजगार लोगों को स्थाई रोजगार दिया जावे।

(22) जिले की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति को आरक्षण दिया जावे

(23) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं को बी. ए., एम. ए. करने के बाद नौकरी की गारन्टी दी जावे। व बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय।

(24) अनुसूचित जाति/ जन जाति पर पुलिस व अन्य अधिकारी गणों द्वारा हो रहे शोषण, जुर्म अत्याचार बन्द किया जावे। साथ में छुआ छूत के भेद भाव को बन्द किया जावे।

(25) जिले में अकाल राहत कार्य अति शीघ्र प्रारम्भ किया जावे। तथा पशुओं के लिये चारा, पानी की व्यवस्था की जावे। जिले में कडाणा व माही डूब क्षेत्र में आये लोगों को भूमि एलोटमेन्ट की जावे। तथा बकाया मुआवजा अति शीघ्र दिया जावे।

ह0/
विनीत,
अनु. जाति/जनजाति के छात्र व मजदूर।

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 444 का विवरण

तहसील चौमू में चल रहे नेहरू छात्रावास के लिये एक वर्ष की सहायता का विवरण

छात्रावास की छात्र संख्या :-

कक्षा 6 से 8 के छात्र	20
कक्षा 9 से 11 तक	40
कुल	60

(1)	भोजन वस्त्र आदि के लिये	
(क)	20 छात्रों के लिये 100/- रुपये प्रतिमाह की दर से	18,000/-
(ख)	40 छात्र के लिये 106/- रुपये प्रतिमाह की दर से	38,160/-
(2)	पुस्तकों स्टेशनरी आदि के लिये	
(क)	20 छात्रों के लिये 40/- रुपये प्रतिवर्ष	800/-
(ख)	40 छात्रों के लिये 60/- रुपये प्रतिवर्ष	2,400/-
(3)	अंशकालीन 3 रसोइयों के लिये	6,750
	कुल	66 010/-

तथा

1-	एक अंशकालीन अध्यापक के लिये	12,00/-
2-	एक अधीक्षक के लिये	1,000/-
4-	एक अंशकालीन डाक्टर के लिये	300/-
		2,500/-

यह समस्त राशि छात्रों की मैस समिति के खाते में प्रति तीन माह 25 प्रतिशत की दर से जमा कराई जाती है ।

परिशिष्ट--23

अतारांकित प्रश्न संख्या 446 की सूचना

प्रपत्र (क)

सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव पर वार्षिक व्यय

		व्यय 80–81	व्यय 81–82	व्यय 4/82 से 1/83
1.	उनियारा नेनवा रोड मय सी. डी. वर्क गलवा नाला	5,33 881	9,58,681	12,343
2.	सी डी वर्क उनियारा इन्द्रगढ़ रोड	42,932	63,371	13,819
3.	डिग्गी मेन रोड से मन्दिर कल्याणजी	–	22,473	–
4.	पचेवर नगर रोड	3,525	3,36 112	–
5.	ए/आर टू सिन्दोलिया मन्दिर मालपुरा से लाम्बो	–	59,715	–
6.	बी/टी हम्मीरपुर से झिराना	3,41,855	2,38,084	–
7.	मिसिंग लिंक रोड आन बोली निवाई रोड	2,26,458	5,47,783	1,69,993
8.	ए/आर दूनी से घाड रोड	2,61,600	1,33,754	–
9.	कन्सट्रक्शन आफ ककोड़ नगर रोड	2,99,900	1,61,345	73,2,558
10.	बी/टी मालपुरा से लाम्बा हरिसिंह रोड	4,04,914	1,39,6264	–
11.	ए/आर टू शोप	4,52,488	–	–
12.	ए/आर टू उनियारा से देवल वाया झाडली	2,60,361	96,813	–
13.	ए/आर टू पचेवर दूदू केकड़ी रोड	2,76,570	25,058	–
14.	ए/आर टू काटोली रोडविलेज	47,167	9,933	–
15.	रा. उच्च मार्ग पर निर्माण कार्य	–	–	15,73,892
16.	रख रखाव एवं मरम्मत कार्य [समस्त सड़कें]	45,51,205	64,93,570	73,19,161